# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

# कार्यवाही

खंड ४३ } गुरुवार, २४ नवम्बर सन् १९५५ ई० { अंक १

## अधिकृत विवरण

## विषय-सूची



[कृ० पृ० उ०

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५६

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे से श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

## उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
वेणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेंद्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे--

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, वन व सहकारी मंत्री)
श्री चन्द्र भानु गुप्त (नियोजन, उद्योग, स्वा[illegible] व [illegible] मंत्री)
श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मंत्री)

# प्रश्नोत्तर

५—श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्था में निर्वाचन क्षेत्र)—(स्थगित)

६-९—श्री लल्लू राम द्विवेदी—(स्थगित)

१०—श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(स्थगित)

११—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(स्थगित)

## ग्राम सभा और न्याय पंचायत के लिए प्रदेशीय सरकार की ओर से बक्से देने की योजना

आदि सं० ६ तारीख १३-१०-५५

१२—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा और न्याय पंचायत के लिये सरकार की ओर से एक बक्स देने की कोई योजना है ?

श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मंत्री)—जी नहीं। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं है। गांव सभा एवम् न्याय पंचायत के रेकर्ड की सुरक्षा हेतु गांव सभायें और न्याय पंचायतें संचालक, पंचायत राज के सुझाव से एक-एक बक्स खरीद कर रही हैं।

आदि सं० ७ तारीख १३-१०-५५

१३—श्री राम नन्दन सिंह—यदि हां, तो सरकार कितने बक्स उक्त ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों को भिजवायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

आदि सं० ८ तारीख १३-१०-५५

१४—श्री राम नन्दन सिंह—इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह भी प्रश्न नहीं उठता।

आदि सं० ९ तारीख १३-१०-५५

१५—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि वह रुपया प्रत्येक गांव सभा से वसूल किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह भी प्रश्न नहीं उठता।

आदि सं० १० तारीख १३-१०-५५

१६—श्री राम नन्दन सिंह—(क) क्या उन बक्सों के बनाने का ठेका दे दिया गया है ?
(ख) यदि हां, तो किसे ?

श्री सैयद अली जहीर—(क) जी हां। संचालक, कुटीर उद्योग के परामर्शानुसार राज्य की ५ कम्पनियों को ठेका दिया गया है।

(ख) १—मेसर्स बैजनाथ ज्वाला प्रसाद इटावा वाले, कानपुर।

२—मेसर्स गर्ग ब्रादर्स, लोहामंडी, आगरा।

३—मेसर्स पदमचन्द जैन, बिसवां, सीतापुर।

४—सहायक संचालक, कुटीर उद्योग (टी० सी०), कानपुर।

५—मेसर्स यू० पी० स्माल स्केल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव, सोसाइटी लिमिटेड, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २२ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का २१वां अधिनियम बना।

## सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक पर, श्री राज्यपाल की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५५, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का १५वां अधिनियम बना।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का १६ वां अधिनियम बना।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का प्रथम पूरक) विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग ( १९५५–५६ का प्रथम पूरक ) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ११ अक्तूबर, १९५५, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का १७ वां अधिनियम बना।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ११ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त होगई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का १८ वां अधिनियम बना।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति १५ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का १९ वां अधिनियम बना।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक

**सचिव, विधान परिषद्**—श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति २१ अक्टूबर, १९५५, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का २० वां अधिनियम बना।

## संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर नियम, १९४९ में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति

**श्री परमात्मा नन्द सिंह** (समाज कल्याण तथा श्रम मंत्री के सभा सचिव)—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से माल (स) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५०६/१–स–३२६–स–१९५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५, जिस से संयुक्त प्रांतीय कृषि आयकर नियम, १९४९ में संशोधन किये गये हैं, को मेज पर रखता हूं।

## सन् १९५५ ई० का यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५५ ई० के यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

## प्रस्ताव कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिपारिशों से सहमत है

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत, वन व सहकारी मंत्री)—SIR,

I move that this House agrees generally with the States Reorganization Commission in their recommendations and emphasises that the State of Uttar Pradesh should remain as it is subject to such minor border adjustments as might be considered necessary.

जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने जो रेजोल्यूशन इस वक्त इस सदन के सामने रखा है, वह एक बहुत ही जरूरी और अहम रेजोल्यूशन है, जो हमारे इस देश की तवारीख में सबसे पहले हमारे लेजिस्लेचर के सामने आया है। जहां तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें मुख्तलिफ जरियों से मेम्बरान के सामने इस सदन के बाहर आ चुकी हैं और बहुत कुछ मालूमात उनको हासिल हो चुकी हैं।

जो हमारे इस सदन का कायदा है रेजोल्यूशन के मुताल्लिक, उसमें अगर मुझको ठीक याद है, तो रेजोल्यूशन के मूवर को आध घंटा और दूसरे मेम्बरान को गालिबन १५ मिनट बोलने के लिये मुकर्रर है। मैं नहीं अर्ज कर सकता कि मैं इस आध घंटे के अन्दर, जो मेरे लिये टाइम बहैसियत प्रस्तावक के है, अपनी पूरी बात इस ऐवान के सामने रख सकूंगा या नहीं और खसूसन इसलिये भी, जैसा कि मेम्बरान सुन रहे होंगे, मुझ को अपने गले की तकलीफ की वजह से, अपने बोलने की रफतार को बमुकाबिले पहले जमाने के धीमी रखनी होगी। मैं यह तो नहीं चाहूंगा कि सब वक्त मेम्बरान का मैं ले लूं लेकिन जनाब से यह दरख्वास्त जरूर करूंगा और जनाब के जरिये से इस सदन के मेम्बरान से, कि अगर मैं इसमें कुछ ज्यादा वक्त ले लूं तो मुझे मुआफ फरमाया जाय।

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हर मेम्बर को अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका मिला है। मैं तो इसमें भी कुछ हर्ज नहीं समझता हूं अगर यह हाउस दो दिन से ज्यादा इस मसले पर बहस करे, मगर इस दो दिन के बाद जो दिन आने वाला है वह दिन ऐसा है जिसकी बाबत यह हाउस फैसला कर चुका है कि उस रोज यह सदन अपनी बैठक न किया करे। बहरहाल, मुझे इसमें भी अपनी तरफ से कोई रुकावट नहीं पैदा करनी है। यह इस सदन की मरजी पर है कि वह किसी मसले पर कब तक बहस करना चाहता है, मैं इसमें कोई सख्ती नहीं करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश के बाबत कहने से पहले मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आज सदन के सामने है, उसको जिन साहबान ने मुरत्तब किया है वह मुबारकबाद के काबिल हैं। उन्होंने एक बहुत ही नाजुक, मुश्किल और अहम मसले पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसको तै करते वक्त तय करने वालों के सामने बहुत सी दिक्कतें आ सकती थीं और आई भी हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह मालूम होता है कि जितनी भी बातें इस मसले पर गौर करने के काबिल हो सकती थीं, उन सब पर गौर करके बहुत ही अच्छा फैसला हमारे सामने रखा गया है और आज वह रिपोर्ट अपनी खूबियों के साथ हमारे मुल्क के सामने है और दुनिया की नजरें इस तरफ हैं कि यह मुल्क इस रिपोर्ट के मुतालिक क्या फैसला देगा। इस वक्त मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें बहुत ही कुशादगी है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो सिफारिश कमीशन ने की है, उन सिफारिशों के साथ जनरली यह हाउस, जिसके सामने यह प्रस्ताव है, इत्तिफाक करता है। इन सिफारिशों का दायरा उत्तर प्रदेश तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफी वसीह है। इस रिपोर्ट में कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उसको यू० पी० के रहने वालों ने भी मंजूर किया है और इस पर जोर दिया है कि ऐसा होना चाहिये। मैं अपने जाती तजुर्बे पर यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेचर ही नहीं बल्कि यहां के रहने वाले भी इस रिपोर्ट से इत्तिफाक करते हैं और यहां के रहने वाले यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश मौजूदा हालत में कायम रहे और इसमें किसी किस्म की काट-छांट करके तब्दीली न की जाय।

कुछ राय जो मेरे नजदीक बहुत थोड़ी सी है, इस राय के खिलाफ यहां के रहने वालों की तरफ से जाहिर की गई है। मैं उन साहबों की राय से, जो कि उत्तर प्रदेश को मौजूदा हालत में छोड़ देने के खिलाफ हैं, उनका भी इसके लिये बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने अपनी राय जाहिर की और जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया जा सकता है। राय तो एक ऐसी चीज है, जिसको जाहिर करने की सबको आजादी है, लेकिन उस राय को जाहिर करके अपना मकसद हासिल करना और उस राय में जिस किस्म के कोई गलत तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं, उसमें हमारी इस स्टेट के रहने वालों ने ऐसे कोई तरीके अख्तियार नहीं किये, यह बहुत काबिले शुक्रिया बात है और मैं उनकी राय की भी उसी तरीके से एतमाद और इज्जत करता हूं जिस तरीके से किसी इन्सान को अपने भाइयों की राय का एतमाद करना चाहिये, बिला लिहाज इस बात के कि वह राय आम्मा है या चन्द आदमियों के अन्दर मखसूस है। इस रिपोर्ट में जो है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा है, वैसा ही रहे। लेकिन इसमें एक राय, एक नोट के जरिये से इसके खिलाफ भी जाहिर की गई है और वह मिस्टर पणिक्कर की राय है। मिस्टर पणिक्कर एक बहुत ही काबिल और काबिले इज्जत की हैसियत वाले समझे जाते हैं और मैं उनकी राय की बहुत कद्र करता हूं और इस नजर से देखता हूं कि मुल्क का एक बहुत काबिल आदमी किसी मुश्किल मसले के मुताल्लिक अपनी राय दे सकता है। इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है, जैसा कि उनके कमीशन के और भाइयों ने इजहार किया है। मगर आदमी से गलतफहमी हमेशा होती रही है और उनकी राय भी मैं समझता हूं गलतफहमी पर मुबनी है। इसके मुताल्लिक मैं अपनी गुजारिश में अर्ज करूंगा कि उन्होंने गालिबन इस राय से किन वजूहात से इत्तिफाक नहीं किया और जो दलीलें इस नोट में दी गई हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बतलाती हैं कि वह राय अपनी जगह पर सही नहीं है। मैं उस राय के मुताल्लिक पहले अर्ज करता हूं कि कहां-कहां और क्या-क्या उसमें कहा गया

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

है और उसमें किस जगह पर यह बात है जिससे यह पता चलता है कि वह राय सही नहीं है। इसमें एक राय इस बात पर मुबनी है कि यू० पी० एक बहुत ही बड़ा स्टेट है और उसमें इतनी आबादी है कि जिस आबादी को कंट्रोल करना और उसके लिये नफे का काम करना, जो किसी स्टेट में हो सकता है, बहुत मुश्किल है। जहां तक स्टेट्स के बड़े और छोटे होने का सवाल है, उस सवाल को इस रिपोर्ट में एक खास चैप्टर के अन्दर अलग डील किया गया है और आया स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, जो राय इसमें जाहिर की गई है, वह यह है कि स्टेट्स का बड़ा होना कोई गलत बात नहीं है बल्कि वह मुनासिब बात है। मैं जनाब वाला, की इजाजत से, इस रिपोर्ट में से थोड़ा सा हिस्सा, जिसमें कि यह राय मेम्बरान कमीशन ने जाहिर की है, पढ़ना चाहूंगा। जब मैं यह कह रहा हूं कि मेम्बरान कमीशन ने जो यह रिपोर्ट दी है, उसमें साफतौर से यह बात जाहिर की है और खुद मिस्टर पणिक्कर की राय भी इस मामले में है, जो राय कि रिपोर्ट के उस चैप्टर के अन्दर रखी गयी है, उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में भी उस राय से किसी किस्म का एख्तिलाफ जाहिर नहीं किया है। वह मैं थोड़ा-सा हिस्सा मेम्बरान को सुनाना चाहता हूं। वह इस रिपोर्ट के सफा ६१ पर है। उसमें स्मालर और लार्जर स्टेट्स की मेरिट्स का मुकाबला किया गया है। इसके पैराग्राफ २१८ पर लिखा है कि :—

"Experience of the working of different administrations in this country does not lend support to the view that in large States standard of administration deteriorate. In actual practice some of the larger States in India have proved to be the best administered. In fact efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit."

स्टेट के बड़े होने से एक नतीजा यह निकाला जाता है कि अगर स्टेट एरिया में बड़ी हो या आबादी के लिहाज से बड़ी हो तो उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिफीकल्टीज आती हैं और यह एक बड़ा आर्गूमेन्ट है जिस को पणिक्कर साहब ने यू० पी० के खिलाफ अपने डिसेंटिंग नोट में दिया है। इस आर्गूमेन्ट की तरदीद, कमीशन की जो मुत्तफ़िका राय है उससे होती है। कमीशन की मुत्तफ़िका सिफ़ारिश है कि किसी स्टेट के साइज से यह समझना कि उस का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता, यह बात उसूली तौर पर नहीं मानी जा सकती और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही, जैसा कि ऐक्चुअल प्रैक्टिस से साबित होता है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यह बात नहीं कही जा सकती जैसा कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया कि उनके बड़े होने से वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब नहीं रहता है। जहां तक यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं हिन्दुस्तान की जो दूसरी स्टेट्स् हैं उनसे कोई मुकाबला तो नहीं करूंगा—कि मैं कहूं कि यू० पी० का एडमिनिस्ट्रेशन फलाँ स्टेट से अच्छा है, फलां स्टेट से अच्छा है। मुझको यह बात अच्छी भी नहीं मालूम देती। लेकिन हां, यह जरूर अर्ज करूंगा कि यह कोई नहीं बता सकता और न कोई बता सका है कि यू० पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन हिन्दुस्तान के अन्दर छोटी और बड़ी स्टेट्स जो मौजूद हैं उनमें से किस से खराब है और किस से बदतर है। एक स्टेट के बड़े होने से यह नतीजा निकालना कि उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा, इस वजह से किसी स्टेट को बड़ा नहीं होना चाहिए, कमीशन ने खुद इस आइडिया को डिस्कार्ड किया है और उनकी राय इस तरफ गई है। कुछ बातों को जो मैं अभी अर्ज करूंगा जिसके बिना पर यह नतीजा निकलता है कि स्टेट्स जितनी हों बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिये, इसलिए कि उनके छोटे होने में दिक्कतें आती हैं, मैं समझता हूं कि कमीशन की जो मुत्तफ़रिक़ा राय है उसके होते हुए हम इस बात को कोई कन्सीडरेशन नहीं दे सकते जो राय कि हमारे बु र्ग पणिक्कर साहब ने जाहिर की है। अपनी दलील को इलस्ट्रेट करने के लिए जो वह कहते हैं, उस सिलसिले में दो-तीन फ़ीगर्स दे कर उनसे मुकाबला किया है। मसलन् उन्होंने फ़रमाया कि यू० पी० चूंकि

इतना बड़ा है, लिहाजा उसके अन्दर जो खर्च एजुकेशन पर हुआ, जो खर्च सोशल सर्विस पर हुआ उसका दूसरी स्टेट्स से मुकाबिला किया जाय जैसा कि इसमें मुकाबिला किया गया है तो वह कम हुआ और यह भी कहा कि जहां तक लिटरेसी का ताल्लुक है उसमें यू० पी० की पोजीशन जो है वह बमुकाबिले दूसरी स्टेट्स के बहुत बेहतर नहीं है। एक चीज इसके अन्दर मौजूद है और इससे हमारे पणिक्कर साहब का कम से कम कोई एख्तिलाफ नहीं है। वह लफ्ज भी मैं निकाल कर सुनाऊंगा। यह रिपोर्ट जो है उसमें युनानिमसली यह कहा गया है कि स्टेट का खर्चा आज की दुनिया में बिलखसूस हिन्दोस्तान के अन्दर बहुत ज्यादा जेनरलाइज किया गया है। खर्च सोशल सर्विसेज और एजुकेशन में प्रिफरेएबुल है बमुकाबिले उस खर्च के जो स्टेट के डेवलपमेंट पर हुआ है। बिजली पैदा करने में, इर्रीगेशन में, सड़क बनाने में जो इन लाइन्स का डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा खर्च करना बहुत अच्छी बात है बमुकाबिले इसके कि किसी और लाइन पर खर्च किया जाय और यह खर्चा उस वक्त तक बराबर ठीक है जब तक कि लोगों के अन्दर से पावर्टी न निकल जाय, लोगों की वान्ट न निकल जाय। यह इस किस्म की बात इसमें लिखी है। वह थोड़ा सा मैं बाद में पढ़ दूंगा। मुझे तो यह कहना है और ऐवान के इल्म में है कि यू० पी० में कम से कम उस वक्त से जब से सन् १९४६ में अपनी गवर्नमेंट आई, यहां कई काम हुये। मैं अर्ज करूंगा कि मैं इसको मानता नहीं हूं कि सोशल सर्विसेज पर और एजुकेशन पर खर्चा जिस तरह से मुकाबिला करके बतलाया जाता है कि दूसरी स्टेटस से कम है तो इसको मैं नहीं मानता लेकिन इस वक्त अगर मैं मान लूं तो वह भी काबिले एतराज नहीं है। हमने क्या-क्या किया? सन् १९४६ से जब कि यह गवर्नमेंट आई सड़कें बनवानी शुरू की गई, जो नहरें पहले बनी हुई थीं उनसे शाखायें निकलवाना शुरू किया गया, फूड के मसले को हल करने की पूरी कोशिश की गई, बिजली के लिये पावर स्टेशन्स बनाये गये, एनीमल हस्बेन्ड्री और फूड में जो कुछ भी तरक्की करनी चाहिये थी उसको किया गया और उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये गये और उसका नतीजा भी बरामद हुआ। इस ऐवान में एक दफा नहीं बल्कि कई दफा यह बात आती रहती है। मसलन इसी साल बजट स्पीच में मैंने बतलाया कि किस-किस लाइन पर क्या-क्या डेवलपमेंट इस स्टेट में हुये, कितने ट्यूबवेल्स लगे, कितनी सड़कें कच्ची और पक्की बनाई गईं, कितने स्कूल खुले, कितने कालिजेज खुले और मेडिकल में भी तरक्की की गई। इस रिपोर्ट में हेल्थ का मुकाबिला भी किया गया है और यह बतलाया गया है कि उसमें खर्चा कम हुआ है। अगर मैं गिनाऊं तो ज्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि इन प्रोसीडिंग्स को दूसरी जगह जाना है और मेरी यह ख्वाहिश है कि डेवलपमेंट की मैं सारी बातों को रखता उन सब के सामने तो उनको मालूम हो जाता कि क्या-क्या किया गया है लेकिन मैं उनको यहां नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ है लेकिन यह अर्ज करूंगा कि यहां पर सैकड़ों ट्यूबवेल्स बनाये गये, हजारों मील लम्बी सड़कें बनाई गईं, इर्रीगेशन को बढ़ाया गया और कई पावर स्टेशन्स बनाये गये। बिजली के तीन पावर हाउसेज आपके सामने एक साल में बन कर तैयार हो गये हैं। मुहम्मदपुर और पथरी पावर हाउसेज बन चुके हैं। जमुना पावर स्टेशन बनने जा रहा है। राम गंगा डैम सेकंड प्लान में शामिल है। माताटीला में काम हो रहा है जहां से आबपाशी के साथ ही साथ बिजली भी दी जा सकेगी। यह सब चीजें ऐसी हैं जिनको देख कर कोई भी कह सकता है कि राइट लाइन पर काम हुआ है। सही चीजों के लिये रुपया खर्च किया गया है। ऐसी चीजों को डेवलप करने के लिये रुपया खर्च किया गया है जिससे स्टेट की माली हालत अच्छी हो जावे और उसी के लिये काम भी हो रहा है। ये काम सेकेंड प्लान में भी जारी रहेंगे। जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि मैं इस बात की जुर्रत नहीं करता हूं कि मैं इसके मामले में कुछ मुकाबिला करूं क्योंकि उसके खिलाफ भी कुछ कहा जा सकता है क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि बम्बई में हेल्थ के ऊपर कितना खर्च किया गया है या बंगाल या और किसी बड़ी स्टेट में उसके ऊपर कितना खर्च

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

किया गया है और यहां का उन स्टेटों से क्या मुकाबिला है लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि हेल्थ के मुतालिक मेडिकल डिपार्टमेंट की सर्विसेज यू० पी० में मुसलसल तौर पर जो कोशिश करता रहा है और जो रुपया साल ब साल हर पहिले साल से ज्यादा खर्च किया जाता रहा है सन् ४६ से जब से कि यह गवर्नमेंट आई, उसको देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता है कि कम खर्च होता रहा है। मेरे नजदीक इसमें कोई निस्बत की बात नहीं है। मैं पणिक्कर साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कहता हूं। मुमकिन है कि उनकी बातें गलतफहमी के ऊपर मुबनी हों। मेरे ख्याल में मुकाबिला तो तभी हो सकता है जब कोई किसी की कमजोरियों का बयान करने लगे तो जो उसमें अच्छाइयां हों उनका भी बयान कर दें कि इसमें यह तो कमजोरियां हैं लेकिन यह खूबी भी है। लेकिन यह बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि इस हमारी स्टेट में अगर सोशल सर्विसेज के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर १० लाख रुपया कम खर्च किया गया है तो यहां पर फलां स्टेट से १ करोड़ रुपया इर्रीगेशन के ऊपर ज्यादा खर्च किया गया है। मगर वह चीज जो रिपोर्ट में दी गई है उससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि जो इस रिपोर्ट में निकाला गया है। अगर एजुकेशन में या लिट्रेसी में कम खर्च किया गया है तो इर्रीगेशन में और बिजली के बढ़ाने में ज्यादा खर्च किया गया है। इन चीजों को देखते हुये मैं समझता हूं कि जो मुगालता इस रिपोर्ट को देखने के बाद पैदा होता है वह नहीं होना चाहिये। इस बात को मैं छोड़ देता हूं और जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं वह मैं सुना दूंगा जिसकी निस्बत मैंने अर्ज किया और आगे अर्ज करूंगा। मैंने इसमें इतनी बात अर्ज की है, मैंने कहा है कि मेनी प्रोजेक्ट्स इस किस्म के खर्चे के बमुकाबिले दूसरे खर्चे के प्रीफरेबिल हैं और यह राय कमीशन की रिपोर्ट में लिखी है और इसलिए जो फैसला हमारे दोस्त पणिक्कर साहब ने दिया है वह सही नहीं है।

एक बात और कही गयी है कि चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है लिहाजा उसका पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स है। मैं तो यह नहीं कह सकता महज अपने में नासमझी होने की वजह से इस दलील को और उसके असर को समझने से मजबूर हूं कि पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स है और उसको दूसरी स्टेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इन सो मेनी वर्ड्स उनके नोट में हैं। इसके लिखने से एक आदमी का दिमाग जिस तरफ पहुंचेगा इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता कि वह इन्फ्लूएन्स अगर इसलिये इस्तेमाल करता है जिससे लोगों को फायदा होता है उनके एडवर्स नहीं हो तो शिकायत की बात नहीं है, अगर इस चीज को इस्तेमाल करता है जिससे लोगों का नुकसान होता हो तो उसकी शिकायत होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि पणिक्कर साहब का मतलब यह है कि यू० पी० को पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स हासिल है। उसको हम स्टेट्स के एडवर्स इस्तेमाल करें यह पहली बात, दूसरी बात यह है कि यू० पी० बड़ा है और अपनी बड़ाई जस्टीफाई करता है। यह स्टेट है जिसके रहने वाले दूसरी स्टेट के रहने वालों को लीड देते हैं। जो आदमी दूसरी स्टेट में रहते हैं वह आइडिया और कल्चर यू० पी० से पाते हैं और यू० पी० की बड़ाई से फायदा उठाते हैं। यह यू० पी० की बड़ाई के लिये पणिक्कर साहब ने कहा है और यह लिखा है कि यह ऐसी चीज है जो कन्डेम होने के काबिल है और यह बड़ाई और मौका किसी भी स्टेट को हासिल नहीं होना चाहिये। यह इस तरह से अपना असर दूसरों पर डाल सकता है। वह ऐसा है उसके पास ऐसी उम्दा बातें हैं जो खुद ब खुद अपना असर दूसरों पर डालती है। जैसे एक आदमी बम्बई का रहने वाला है और वह यू०पी० में आकर देखे और यहां के रहने वालों की बातें सुने और उसके दिमाग पर यह इम्प्रेशन हो कि यह नकल करने लायक बातें हैं और हमारे यहां नहीं हो रही हैं, हमको भी करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि यह नकल उम्दा हो सकती है क्योंकि मुल्क में एक जगह ऐसी है जहां के रहने वालों पर दूसरे नजर डालते हैं और मिसाल ले सकते हैं और अपने लिये एक राह अख्तियार

कर सकते हैं। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू का वजूद दुनिया के लिये मुफीद है और उनका जो असर है वह रहने वाले चाहे जहां के हों मगर फायदा सभी उठा रहे हैं तो क्या हम यह कहेंगे कि चूंकि नेहरू जी यू० पी० के रहने वाले हैं इसलिए तारीफ हो रही है। महात्मा जी यू० पी० के रहने वाले नहीं थे लेकिन उनकी बड़ाई दुनिया मानती थी। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू को बड़ाई हासिल है और दूसरे मुल्क अमेरिका, रूस और एशिया के मुल्क, चीन आदि पर असर पड़ा है। दुनिया इस नजर से देखेगी कि वह असर बुरा है या भला है। उससे कोई फायदा पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है। अगर दुनिया के फायदे की बात पंडित जवाहर लाल कहते हैं तो वह काबिले ऐतबार है। जो आज गवर्नमेंट आफ इंडिया है उसके जरिये से यू० पी० को किसी किस्म का अनड्यू ऐडवान्टेज मिल जाता हो तो मैं उसकी बड़ी जोर से तरदीद करता हूं और हर जगह उसको डिस्ऐप्रूव करने को तैयार हूं। किसी ऐलीगेशन का जो उसमें शामिल है अगर उसका यह मतलब निकलता हो तो वह बिलकुल गलत है। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की शिकायत नहीं करता। गवर्नमेंट आफ इंडिया तो मेरी है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया, हिन्दुस्तान में जो रहने वाले हैं उन सबकी गवर्नमेंट है। यू० पी० को हक है कि पूरी तौर से उससे फायदा उठाये और इसी तौर से हर एक को हक है कि उससे पूरी तौर से फायदा उठाये। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो पोजीशन है उसके मुताबिक उसे यू० पी० को ही नहीं देना है बल्कि और भी जगह देना है। मैं खुद इस बात को अपने सामने रखता हूं और जब मैं अपने आपको कहता हूं तो अपने आप को नहीं कहता हूं बल्कि यू० पी० गवर्नमेंट को कह रहा हूं, यू० पी० लेजिस्लेचर को कह रहा हूं। हम इस बात को रिकाग्नाइज करते हैं कि हमारे इसरार की वजह से दूसरे के हक पर कोई असर न पड़े। जो प्लान आजकल चल रहा है, उस प्लान की बाबत मैं अर्ज करूंगा कि उसके लिटरेचर को पढ़िये और उससे निकालिये कि फर्स्ट प्लान के सिलसिले में दूसरी स्टेट्स को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने क्या दिया और यू० पी० को क्या दिया ? एक अरब चालीस करोड़ रुपया कुल था उसमें से कितना रुपया हमको मिला गवर्नमेंट आफ इंडिया से और कितना रुपया दूसरी स्टेट्स को मिला। मैं यह अर्ज नहीं करता लेकिन मैं उसकी बहस खुद गवर्नमेंट आफ इंडिया से कर चुका हूं और बतला चुका हूं कि किसी हैसियत से भी यू० पी० को छोटी से छोटी स्टेट मान कर भी जितना रुपया दिया गया है उसका क्या जस्टीफिकेशन है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अगर हिन्दुस्तान के अंदर स्टेट्स में दो अरब रुपया तकसीम हो उसमें से यू० पी० को सिर्फ १२ करोड़ रुपया मिले तो क्या यह यू० पी० का अन्ड्यू ऐडवान्टेज उठाना है। हमको तो डिसऐडवान्टेज हुआ। उसमें लिखा है कि चूंकि यू० पी० की आबादी बड़ी है, उस आबादी के बिना के ऊपर यू० पी० को यह मौका हासिल है कि वह दूसरी जगह जाकर मुतालबा करे कि आबादी की बिना के ऊपर उसको रुपया मिले। कोई मिसाल पेश की जाय कि यू० पी० को आबादी के लिहाज से दिया गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से ग्रान्ट्स-इन-एड दी जाती है, कोई बतलाये कि यू० पी० को आबादी के लिहाज से दिया गया है, मैं कहता हूं कि कभी नहीं दिया गया है।

मैंने एक मर्तबा, जब कि फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट आफ इंडिया का यहां आया था, उसके सामने यह मांग रखी, अपनी रिपोर्ट पेश की कि जो रुपया इन्कम-टैक्स का होता है यानी जो रुपया इन्कम-टैक्स के नाम से वसूल होकर गवर्नमेंट आफ इंडिया को जाता है उसकी जो तकसीम होती है हिन्दुस्तान के तमाम सूबों को वह उनकी आबादी के हिसाब से हुआ करे। मेरी यह मांग बहुत हद तक सही थी लेकिन उसने इस को कन्सीडर नहीं किया बल्कि उसने यह फैसला किया कि २० फीसदी रुपया काट कर बाकी का कुल पर तकसीम कर दिया जाय और यही हुआ। पार्लियामेंट में मेम्बरों की जो तादाद है उसमें भी यही बात निकलती है। आप देखें पार्लियामेंट में ४९९ मेम्बर्स होते हुए हमारे यहां के वहां ८६ मेम्बर हैं, ऐसी हालत में मेरी यह समझ में नहीं

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

आता कि कैसे लोग फितरत के खिलाफ बात करते हैं जो नहीं होना चाहिये था कि इतनी तादाद होने की वजह से अपनी जगह का ऐडवान्टेज उठाते हैं, लोगों पर इंफलएंन्स डालते हैं और अपने सूबे का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता और न कोई ईमानदार आदमी इसे मानने को तैयार हो सकता है कि ४९९ मेम्बर्स के मुकाबले में ८६ आदमियों की तादाद कुछ कर सकती है। आज हम सुना करते हैं कि लोग बड़ी-बड़ी जगहों पर बैठ कर कहते हैं कि यू० पी० को यह फायदा है और वह फायदा है। मैं कहता हूं कि जो हमारे सूबे की तादाद है या जो उसका हक है उस लिहाज से अगर देखा जाय तो खुद ब खुद पता चल सकता है कि यू० पी० के साथ क्या खास हमदर्दी दिखाई जाती है? जहां तक कांस्टीटयूशन का ताल्लुक है अमरीका के कांस्टीटयूशन में, बड़ी स्टेट्स अमरीका में भी हैं, आबादी के लिहाज से उतना रिप्रेजेनटेशन नहीं दिया गया है जितना उन बड़ी स्टेट्स को मिलना चाहिये। रूस की मिसाल भी आपके सामने है उसमें भी उतना रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया है। इसी तरह से आप चीन को ले लीजिये, वहां के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिवज में भी वह चीज नहीं है। खैर वह अलग बात है। मैं वहां के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात नहीं करना चाहता कि क्यों अमरीका के आदमियों ने यह किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमरीका, रूस और चीन ने बांट कर उन स्टेट्स को छोटा क्यों नहीं किया। इसलिए यह कहा गया कि यहां इनबैलेन्स होता है लिहाजा यू० पी० के टुकड़े करके कुछ को पंजाब में मिला दो, कुछ तोड़-फोड़ दो, उन्होंने इसे इस लिहाज से सोचा और कुछ ने कुछ दूसरी लाइन्स में सोचा। मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात इस वक्त निकाल सकता हूं कि जो दलीलें सोची और कही जाती हैं वह माकूल नहीं हैं और न सूबा और मुल्क के हित में हैं। एक बड़ी स्टेट काट कर छोटी कर दी जाय ताकि उसका असर कम हो जाय, एक तो यह बात रही, यह उनके नोट में लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि हम जो इस वक्त है जिस कांस्टीटयूशन के मातहत चल रहे हैं उस कांस्टीटयूशन के मातहत ही अगर रिप्रेजेन्टेशन रहे तो भी हम मानने को तैयार नहीं हैं कि यू० पी० अपनी स्टेट के लिये पार्लियामेंट से ग़लत काम करा सकता है या कोई काम ऐसा कर सकता है जिससे दूसरी स्टेट्स का नुकसान हो जाय और यू० पी० उससे फायदा उठा ले। इसलिए मेरे नजदीक कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यू० पी० का बंटवारा सोचा जाय। मैं अर्ज करूंगा कि मैंने इस बात को भी सोचा है और जब मैं यह कह रहा हूं तो इस लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे यह कहना है बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि चूंकि मैंने एक बात सुनी है इसलिये सोचा, बड़े ही सिम्पैथेटिक एटीट्यूट से सोचा कि आया ऐसा होना चाहिए या नहीं। आज जो यू० पी० के हिस्से हैं उसमें हर एक बंटता है अगर यू० पी० को बांटा जाय। यह बात ऐसी है कि जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको बच्चे नहीं समझते हैं और मैं भी सारी दुनिया के सामने एक बच्चा ही हूं। तो एक बच्चा इसमें अपनी नासमझी की वजह से कुछ बातों को गलत भी समझ लेता है। अगर उनके सामने यह बातें होतीं तो गालिबन ऐसा ख्याल नहीं होता। एक बात और है जिस को मैं अर्ज कर देता हूं। वह एक फैक्ट है इसलिये मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। अगर इस हाउस का माहौल जिसमें कि मैं इस वक्त हाजिर हूं, अगर मैं इसको कन्वीनियेन्ट नहीं पाता हूं तो जाहिर है कि मेरे दिल में यह ख्याल होता है कि मैं उस माहौल में चला जाऊं जहां अच्छी जगह मिले, जो माहौल यहां है उसमें रद्दोबदल करके दूसरे माहौल में चला जाऊं। तो इस किस्म की ख्वाहिश आदमी के दिल में आती है और वह किसी बदनियती से नहीं आती है, बल्कि इस तरह की चीज नेचुरली उसके कान्सेंस में पैदा होती है कि भाई यहां के दरोदीवार में जगह नहीं है इसलिये दूसरी जगह चला जाय। इस किस्म का एक शेर भी है कि

एक घर बनाना चाहिए लेकिन वह मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो एक वजह उसकी यह हो सकती है।

मैंने इस बात को भी हमदर्दी के साथ सोचा कि क्या वाकई यू० पी० के टुकड़े हों। मैं अर्ज करूं कि वह पोजीशन नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा है। मैं इस यू० पी० के मामले को एक प्वाइन्ट आफ व्यू से देखता हूं। वह प्वाइन्ट आफ व्यू मेरा यह है कि एकानामिक हालत क्या है। यहां के रहने वालों की जो आर्थिक स्थिति है वह क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ने वाला है। पहले मैं जब यह सोचूंगा कि इसका बटवारा हो तो सबसे पहले मैं यही सोचूंगा कि जो हिस्से बंट कर जायेंगे उनकी क्या हालत होगी? अगर मैं यों कहूं कि इसको नहीं बंटना चाहिए तो मैं इस तरह की बात इसलिये नहीं कहता हूं कि यू० पी० वाले यह चाहते हैं कि इतनी बड़ी स्टेट रहे, यह मेरी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन सब से बड़ी ख्वाहिश मेरी यह है कि कोई आदमी, कोई हिस्सा और कोई जगह जो आज यू० पी० के अन्दर है उसमें ऐसी कमी न आ जाय जिसकी बिना पर उसकी हालत आज से बदतर हो जाय। मैं यकीन रखता हूं इस बात पर, मेरे पास इस वक्त समय नहीं है, नहीं तो मैं साबित भी कर देता। मगर जो तजवीज है, हालांकि उसमें कोई तजवीज नहीं है सिर्फ पणिक्कर साहब की एक तजवीज है; लेकिन कुछ तजवीजें यहां हैं जो मैंने सुनी है और जिसके मुताल्लिक कुछ बातें भी होती रही हैं। इन तजवीजों को जब मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि अगर हम इसको एक आर्गूमेंट मान कर भी चलते हैं, हालांकि वह गलत आर्गूमेंट है कि यू० पी० की सरकार ने पश्चिमी जिलों को इगनोर किया है तो वह बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं। मगर यह कह देना चाहता हूं कि यू० पी० के पश्चिमी जिलों को कभी भी इगनोर नहीं किया गया। लेकिन जहां तुम जा रहे हो, वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा बल्कि वहां और ज्यादा इगनोर हो जाओगे अगर इस लालच में जा रहे हो। तो क्या गारन्टी है इस बात की, कौन है यहां, जो इस बात को साबित कर सकता है। मैं आपसे अर्ज करूं, एक मोटी सी बात है, यह जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि बड़ी स्टेट जो होगी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन साउन्ड होगी, एक बात तो यह है और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी स्टेट होगी उसके अन्दर मुख्तलिफ किस्म की अपार्चुनिटीज मौजूद होगी और वह कुदरत की तरफ से हासिल होगी। आज यू० पी० को सहारनपुर से बलिया तक देखिये, इसके सारे एरिया को देखिये, तो आप यह देखेंगे कि कहां कहां-हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन्स बनाये जा सकते हैं, कहां-कहां पर स्टीम स्टेशंस बनाये जा सकते हैं, कहां पर नहरें निकाली जा सकती हैं और इसके अलावा कई जगहें ऐसी होंगी कि जहां पर ट्यूबवेल्स बनाये जा सकते हैं। उन स्टेशन को इस्तेमाल करके वहां पर ट्यूबवेल्स बन सकते हैं, जो कि किसी भी मुल्क की जिन्दगी को बढ़ाने के लिये मुल्क की जान है और जिन पर मुल्क की सारी जिन्दगी मुनहसर करती है, वहां की हालत बेहतर होंगी, जब कि यह तमाम चीजें वहां पर मौजूद होंगी।

अब एक टुकड़ा आप यू० पी० के पश्चिम का और एक टुकड़ा पंजाब का ले लें और उन को मिला लें, वहां क्या है, जो साहबान इसके तरफदार हैं वह बतलावें कि नेचुरल बाउन्डरीज के अन्दर जो जगह है, वह अच्छी है या जो जगह अब आपके पास आने वाली है, वह अच्छी है। अगर इसको कहा गया होता तो मैं जानता कि यहां इन वजूहात से यह माकूल नहीं है। फिर अगर कोई यह कहता कि यहां यू० पी० में मिनरल्स नहीं हैं लिहाजा यू० पी० में फलां हिस्सा मिला दिया जाय तो मैं इस बात को मानता कि इस बात को जरूर होना चाहिए और इस बात की कोशिश करता और इस बात का सबसे बड़ा ऐडवोकेट होता कि हमारे अन्दर एक कमी है और हमें उस कमी को किसी न किसी तरह से दूर करना है। अगर कहीं मिनरल हैं और उसको यू० पी० में मिलायें जाने की तजवीज की जाती, तो उसको मैं मान सकता था लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि बिजनौर या मेरठ को इससे अलग कर दिया जाय। जो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

लोग यहां पर बिजनौर के खिलाफ हैं तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से बेचारे की किस्मत का फैसला है जो कि उसके लिये यह कहा गया है कि उसको उधर मिलाया जाय। मेरठ है या कोई जगह है अगर उनको यह कहा जाय कि इन-इन जगहों को अलग करके एक अलग से स्टेट बनाई जाय, तो जो कुछ भी उसको दूसरे किस्म के एडवांटेज पैदा होते हैं, वह नहीं हो सकते हैं। मैं तो उसको इस नजर से देखता हूं कि उनको एकानामिक ऐडवान्टेजेज क्या हैं ? आज पंजाब की पोजीशन यह है कि वह आज आंख लगाये बैठे हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां पर भाखरा नागल स्कीम को बनाया है जिसकी वजह से उसने इसको लिया है।

That was the only point discoverable in that area which could be utilized for the purpose of the generation of electricity or for the purpose of irrigation.

उस जगह को मैंने खुद देखा है। जो यहां यू० पी० की किताब है जिसको कि हमने बनाया है और जिसमें लिखा हुआ है कि किस-किस जगह से इस स्टेट के अन्दर क्या-क्या चीजें मिल सकती हैं और कहां-कहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक के स्टेशन कायम हो सकते हैं, कहां-कहां ट्यूब-वेल्स बन सकते हैं और कहां-कहां इंडस्ट्रीज की चीजें मिल सकती हैं, तो यह सब हमारे पास मौजूद है। अब कोई यह दिखाये कि इस तरह से फलां-फलां जगह वहां के आदमियों की हालत बेहतर हो सकती है लेकिन अगर जब आज मुझे एक रोटी भर पेट खाने को नहीं मिलती है और एक रोटी से घटा कर आप आधा रोटी देते हैं और उठाकर ऐसी जगह भेजते हैं जहां एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है तो हुजूर मैं उस जगह जाने को तैयार नहीं हूं। मैं पश्चिमी तरफ का आदमी होने के वजह से यह अर्ज कर रहा हूं कि मुझे यह बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है और इस हाउस को भी मंजूर नहीं होनी चाहिये। जहां तक इस बात का ताल्लुक था तो मैंने यह अर्ज कर दिया कि महज एकानामिक ख्याल से हमको इसको देखना चाहिये। जो इस पर एतराजात किये गये हैं उसके मुताल्लिक जो दो-तीन बातें मैंने अर्ज की हैं उसके सिवाय और भी इसके मुताल्लिक कहा जा सकता है, जो इसमें कहा गया है वह मौजूद है और इसकी रिपोर्ट को जिसने पढ़ा होगा उसके सामने यह बातें पूरे तौर से मौजूद होंगी, मेरे लिये शायद इसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। मैं इस बात को सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश को तकसीम नहीं होना चाहिये। इस सदन के जो मोअज्जिज मेम्बर हैं वह भी इस बात को सोच सकते हैं और समझते हैं कि उत्तर प्रदेश तकसीम नहीं होना चाहिये। आज जिस हालत में वह है, उसको उसी तरह से कायम रखना चाहिये। मुझे इस में कोई एतराज नहीं है, अगर कोई हमारे यहां आता है तो हमें लेने में कोई एतराज नहीं है, हम उनकी खिदमत करने के लिये तैयार हैं। आपके सामने जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का एडजेस्टमेंट किया गया है।

जो माननीय मेम्बर श्री पणिक्कर साहब के नोट से सहमत हैं वे लोग भी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं जिस तरह से उन्होंने यू० पी० को तकसीम किया है। वे लोग एक दूसरे तरह की खास तकसीम चाहते हैं। हमारे कुछ भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं, उनको भी मैंने सुना है। मैं हाफिज जरूर हूं लेकिन मेरी आंखें खुली हुई हैं और मुझे भी नजर आता है और दुनिया दिखाई देती है कि सहारनपुर और बलिया के रहने वालों की जिन्दगी में और उनके रहन-सहन में कितना फर्क है। यहां पर एक मेरठ के मेम्बर श्री ज्योति प्रसाद जी बैठे हैं, उनके जिले में भी खादर है, मेरे जिले में भी खादर है, मैंने भी देखा है। एक बात मैं यहां पर और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आप इस बात पर गौर करें तो आप को मालूम होगा कि अमृतसर के रहने वालों की जिन्दगी में और एक बलिया के रहने वाले की जिन्दगी में क्या फर्क है। मैं जनाब के जरिये से इस हाउस के बैठने वालों से यह अपील करूंगा और उनकी कान्सेंस से यह अपील करूंगा कि वे इस बात को सोचें कि जो आदमी बलिया में रहता है वह उसी तरह के कपड़े पहनता है जिस तरह से एक सहारनपुर का रहने वाला पहनता है। इसी तरह से आप अमृतसर के रहने वाले और बलिया के रहने वाले को भी देख सकते हैं कि क्या फर्क है ? उनके रहन-सहन और उनकी शादी वगैरह का क्या तरीका है ?

अब सभी मेम्बर अपने दिल में सोचें और इस फैसले पर पहुंचें कि आया इन बातों के अन्दर कोई इस तरह की बात है या नहीं । बोली जो बोली जाती है, वह वैसी ही है या नहीं, सिर्फ लहजे का फर्क है, सहारनपुर का जो आदमी है वह बिजनौर के आदमी से दूसरा है या इसके लिये पंजाब ही करीब रहेगा, इस तरह की बातें कहां तक ठीक हैं। मैंने जब एक जगह यह दलील दी तो एक साहब ने उसे ठीक किया। एक साहब ने यह कह दिया कि अमृतसर पर यू० पी० का इन्फ्लुएंस नहीं है या जो बात लुधियाना में नजर आती है वह अम्बाला में नहीं आती। कल्चर के लिये सहारनपुर और बलिया को अलग करना और उसी के बिना पर यह कहना कि चूंकि दोनों जगहों में इस तरह की एकता नहीं है, इसलिये ये अलग होने चाहिये यह दलील ठीक नहीं है। यह उसी तरह से हो गया, जैसा कि एक साहब ने कहा कि यू० पी० में तीन जबानें बोली जाती हैं, तो मैंने कहा कि एक जबान और बोली जाती है और वह है अंग्रेजी। यहां कई आदमी अंग्रेजी भी बोलने वाले हैं, तो यह चौथी जबान हो गई। तीन जबानें कहां से आ गईं मैंने कहीं नहीं सुना। बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर तथा दूसरी जगहों में मैं गया हूं, लेकिन मैंने किसी जगह भी तीन जबानें नहीं सुनीं। यहां की जो तहजीब है, कल्चर है और यहां की इल्म जो यहां के आदमियों पर असर करती है उसको हमें देखना है। जो चीज सहारनपुर में पढ़ाई जाती है, वही यहां भी पढ़ाई जाती है और यदि आप आगे जाइये, बिहार के अन्दर, तो उसके अन्दर भी कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आयेगा जिस बिना पर मैं यह समझूं कि यह दलील जस्टीफाइड है।

दो बातें यहां कही गई हैं। जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन किया गया उससे मालूम होता है कि काफी ओपीनियन इस स्टेट के अन्दर ऐसी है जो चाहती है कि यू० पी० तकसीम हो। मैं नहीं समझा कि वे किस-किस शहरों में गये हैं। यह मैं समझता हूं कि तीन मेम्बर जो उसके हैं, दो मेम्बरों ने कुछ कहा है और तीसरे साहब ने कुछ कहा है, लेकिन कई साहब उनमें ऐसे भी पहुंच गये ह कि उन्होंने दो मेम्बरों से कुछ कहा है और एक से कुछ दूसरी बात कही है। कमीशन के मेम्बर यहां के सभी लोगों से मिले और उन्हीं की बातों को सुन करके, उन्होंने रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि यू० पी० ऐसा ही रहेगा जैसा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बड़ी ओपीनियन है जो यह चाहते हैं कि यू० पी० तकसीम हो जाये। यदि इस बात को देखा जाय कि कितनी ओपीनियन ऐसी है जो चाहती है कि यू० पी० तकसीम हो तो मैं जानता हूं कि वह ज्यादा नहीं है। अगर यहां के साढ़े ६ करोड़ इंसानों की आबादी में से ४ लाख आदमी यह कहें कि यू० पी० तकसीम किया जाय तो क्या वह इस काबिल समझा जाय कि इसका तकसीम किया जाना ठीक है और क्या इसी बिना पर यू० पी० तकसीम हो जाना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की बात ठीक भी हो सकती है कि अगर साढे ६ करोड़ में से ४ लाख आदमी इस तरह की ओपीनियन के हों कि यू० पी० तकसीम होना चाहियें, तो उनकी ओपीनियम पर अमल करना कोई सही बात नहीं है। कई साहबों ने इस बिना पर लोगों की ओपीनियन के बारे में कहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात कहां तक ठीक हो सकती है जब कि एक ओवर-ह्वेलमिंग मेजारिटी इस बात पर है कि इसको तकसीम नहीं होना चाहिये।

इन्तजामी खर्च की बात कही जाती है। गोया दलील यह दी जाती है कि अगर कोई स्टेट बड़ी होगी तो उस का ओवरआल एक्स्पेन्डीचर कम होगा और गालिबन यू० पी० का जो मेमोरेन्डम था उसके अन्दर भी यह बात लिखी गई थी। उसके खिलाफ भी इसके अन्दर कहा गया है। उन्होंने बताया है कि यू० पी० का खर्च कम नहीं है और एक तादाद दी है कि इसमें इतने आफिसर्स हैं। मगर यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसका क्या क्राइटेरियन उन्होंने रखा है। किस खर्च को कम समझा और किस खर्च को ज्यादा। एक स्टेट का इतना खर्चा है ऐडमिनिस्ट्रेशन का और दूसरी स्टेट का भी इतना खर्चा है ऐडमिनिस्ट्रेशन का। इन दोनों का मुकाबिला करने से उन दोनों में जो फर्क आता है उस फर्क की बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस स्टेट का खर्च कम है या ज्यादा। जब तक उन तमाम फैक्टर्स को जिन पर कि खर्च होता है सामने न रख लिया जाय तब तक कौन खर्च कम है और कौन ज्यादा है, नहीं बताया जा सकता।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

यू० पी० के अन्दर जो खर्च हो रहा है वह खर्च कम है या ज्यादा है, यह किस बिना पर निकालेंगे। किसी जगह पर अगर डेवलपमेन्ट नहीं हो रहा है, इसलिये वहां आफिसर्स की भर्ती नहीं हो रही है। जितने आफिसर्स हैं उन पर जो खर्च होता है वह खर्च ऐडमिनिस्ट्रेशन में जाता ही है। अगर उस खर्च को न लिया जाय तो कम हो जायगा। जो चीजें देखनी थीं उनको तो देखा नहीं, सिर्फ यहां की तादाद को लेकर बता दिया कि इतने नौकर हैं लिहाजा इतना खर्च ज्यादा है। लिहाजा ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो ज्यादा खर्च होने की दलील दी जाती है वह भी सही नहीं है। वक्त बहुत जा रहा है, शायद मैं भी थक जाऊं, लेकिन मुझ को एक लालच और था। मैं तो आज यहां से रुड़की चला जाऊंगा, वहां कल पंडित नेहरू जी आ रहे हैं, लिहाजा मुझको वहां जाना है। इसके खत्म होने के बाद और कुछ शायद कह भी नहीं सकूंगा इसलिए मैंने कुछ ज्यादा वक्त लेने की कोशिश की और भी कुछ वक्त लेता, मगर मैं देखता यह हूं कि इस वक्त मुझ को पौन घंटे से शायद ज्यादा बोलते हुए हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इस वक्त मैं एक पैराग्राफ का यहां रेफरेंस दिये देता हूं। उसका इस्तेमाल कुंवर साहब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी तकरीर में कर लेंगे। मैं उसे हाउस को सुना दूंगा। अब इसमें एक अमेंडमेंट और है।

**श्री चन्द्र भानु गुप्त** (नियोजन, उद्योग, स्वास्थ्य, खाद्य व रसद मंत्री)--एक और भी आ गया है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--दूसरा भी आ चुका है। मैं कहता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट कुंवर साहब का है इसकी जरूरत नहीं है इसलिये कि आप इस प्रस्ताव के लफ्जों का मुलाहिज़ा फरमाइये। इसमें उन सिफारिशों को जो उन्होंने की हैं उन सबको हमने जेनरली एप्रूव किया है और इस रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि एक खास किस्म की सिफारिश को निकाल कर कहा गया है कि हमें इसको मंजूर करना चाहिये। मेरा कहना यह है कि हमारी मंजूरी तो सब के लिये है और जहां तक कहने का ताल्लुक है मेम्बरान जो कुछ भी फरमाना चाहें फरमा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यह भी कहूंगा कि यहां जो राय ज़ाहिर होगी और जो अमेन्डमेन्ट किये जायेंगे वह गवर्नमेंट आफ इंडिया में जायेंगे और वहां पर देखा जायगा कि किसने क्या कहा। लिहाज़ा यह जरूरी नहीं है कि रेजोल्यूशन को अमेन्डेड फार्म में भेजा जाय। ये अमेन्डमेन्ट्स भी चले जायेंगे और उसके साथ जो कुछ कहा जायगा वह भी जायगा।

**श्री चन्द भानु गुप्त**--बिजनौर की भी एक तजवीज है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह क्या है? हुजूर माफ़ फरमावें, मैं दो फ़िकरे और कहूंगा। एक साहब "दिल्ली चलो, दिल्ली चलो" की आवाज़ बहुत दिनों से सुनाते रहे हैं और एक गाना है उसमें शुरू में ही यह है कि "दिल्ली चलो, दिल्ली चलो" लेकिन जब दिल्ली ही नहीं रह गई तो कहां जायेंगे। मैं समझता हूं कि वह इसको पेश नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि वह अपने रेजोल्यूशन को मूव ही नहीं करना चाहते हैं और उसको पेश भी नहीं करेंगे। वह इसके सपोर्टर भी नहीं हैं कि यू० पी० को तकसीम किया जाये। मैं समझता हूं कि इस ऐवान के हमारे यह भाई हरगिज़ इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि यू० पी० का कोई टुकड़ा काट कर कहीं दूसरी जगह मिला दिया जाय।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--जो मसला इस वक्त हाउस के सामने पेश है वह इतना इम्पार्टेंट है कि उसमें ज्यादातर सदस्य बोलना चाहेंगे। जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है उनको भी वक्त देना है। अब सवाल यह है कि इसमें २४ और २५ नवम्बर को ही बहस की जाये या शनिवार को भी सदन बैठे। अगर सदस्य शनिवार को भी बैठना चाहेंगे तो उनको ज्यादा वक्त बोलने के लिये मिल सकेगा।

**कुछ आवाजें**--हां सैटरडे ( Saturday ) को भी बैठ लेंगे।

**श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)**—मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि:—

"Add the following at the end of the resolution:

"and the House also endorses the view of the States Reorganization Commission that in any future set-up the unity of India should be the paramount consideration, and recommends to the Government to implement as far as possible the recommendations regarding this."

श्रीमान् जी, जो प्रस्ताव अभी माननीय नेता सदन ने इस भवन के सम्मुख रक्खा है वह मैं समझता हूं कि अपने देश की तवारीख में एक बड़ा महत्व रखता है। कब्ल इसके कि मैं कुछ इस संबंध में कहूं मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उसके इस फैसले के लिये कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होगा, मैं मुबारकबाद देता हूं।

(करतल ध्वनि)

इसके लिये भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो भी रेकमेंडेशन हमारे सामने आई हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो मेजारिटी है उसको माना है क्योंकि दो एक जगहों के अलावा जहां कि झगड़ा हुआ है जैसे बम्बई या विशाल आन्ध्र बनाने के लिये कांग्रेस कमेटी ने मेजारिटी ओपिनियन को अपनाया है और उसका स्वागत किया है। जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है, मैं निस्सन्देह यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां न तो विभाजन की मांग है और न लोग ही चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विभाजन हो। हमारे प्रदेश के लोग आपस में एक हो कर रहना चाहते हैं। जो कुछ भी मांग है वह कुछ राजनीतिज्ञों के कारण है जिनको हुकूमत में पहुंचने में बाधा हुई है और इस कारण उन्होंने इस बात की मांग रखी है। लेकिन जहां तक पीपुल्स डिमांड का सवाल है मैं समझता हूं कि न तो यहां के लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विभाजन हो और न इसके लिये एजिटेशन ही करना चाहते हैं।

जहां तक पणिक्कर साहब का इस संबंध में नोट है मैं तो समझता हूं कि हमें ऐसा समझना चाहिये कि यह एक स्वप्न था हमने देखा और आंख खुलने के बाद हम भूल गये, वह ऐसी बात नहीं है कि हम उस पर कोई जवाब देने की कोशिश करें। मैं इसके साथ-साथ स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने काफी हद तक इतने मुश्किल सवाल को इतनी आसानी के साथ हल किया है। मैं समझता हूं कि किसी भी क्वार्टर से किसी प्रकार का एजीटेशन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी ऐसी बात हुई है उसके लिये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गुड आफिस कमेटी बन गई है। वह इस बात का प्रयत्न कर रही है कि कोई न कोई वर्केबिल सैल्यूशन निकाला जाय। कोई भी कमीशन जो अपनी सिफारिश करता है, यह दावा नहीं कर सकता है कि सब अच्छी सिफारिश ही होंगी। लेकिन ग्रेटेस्ट मेजर आफ एग्रीमेंट इस कमीशन की सिफारिशों में मौजूद है जिसके लिये मैं समझता हूं कि अच्छे विद्वान व चरित्रवान लोग अगर इस कमीशन में न होते तो मैं समझता हूं कि जो निष्पक्ष रिपोर्ट हमारे सामने आई है वह न आती। यह सही है कि किसी भी कमीशन की रिपोर्ट आती है तो हमको अख्तियार है कि हम उस पर विचार करें, उसको बदलें और फिर पार्लियामेंट को पावर है कि अपना अंतिम निर्णय दें। बहरहाल, मुझे क्षोभ है कि बम्बई में जहां आज एजीटेशन हो रहा है क्या आज जरूरत थी और अकारण क्यों इतना नेशनल प्रापर्टी का नुकसान किया जा रहा है। तीन-चार लोगों की बाडी बना दी गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा वह वर्केबिल सैल्यूशन निकालेंगे और जब कोई फैसला उनका हो जाता तब कोई स्टेप लिया जाता, तो ठीक था। लेकिन आज एजीटेशन करना व राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान करना बम्बई के नाम पर धब्बा लगाता है और खास तौर पर इस समय जब कि हमारे यहां रूसी डेलीगेशन यानी प्राइम मिनिस्टर रशा और कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेट्री यहां घूम रहे हैं तो ऐसे समय में कम से कम संयम होना चाहिये था और इस तरह की बातें न की जानी चाहिये थीं।

जहां तक रेकमेंडेशंस का ताल्लुक है उसमें दो बातें मुख्यत: रखी गई हैं। एक तो यह कि एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिये

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

और दूसरी बात कि यूनिटी आफ इंडिया किसी भी प्रकार से बिगड़ने न पाये। मेरा ख्याल है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिये लेकिन प्रायरटी भारतवर्ष की यूनिटी पर होनी चाहिये। अगर यूनिटी मिट गई तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जायेगी। आज मैं देख रहा हूं कि प्राविन्शियलिज्म की फीलिंग बहुत डेवलप हो रही है, अगर रोक-थाम न की गई तो मुश्किल हो जायेगा और अगर पृथकता का ख्याल हमने अपने देश में पनपने दिया तो बड़ी मुसीबत हो जायगी। सारे देश की फ्रीडम खतरे में पड़ जायगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कुछ भी करें, लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि चाहे हमारा प्रदेश छोटा हो या बड़ा उसके लिये उन्नति के हम साधन जुटाये। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनने से यह एक गलत विचारधारा पैदा हो गई है कि चूंकि गवर्नमेंट ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन कायम किया है इसलिए हर प्रदेश यह चाहता है कि कुछ न कुछ और हिस्सा मिल जाय। हम नहीं चाहते कि हमको कुछ मिले, हम एक घर के हैं। हमारी जो ताकत है वह हिन्दुस्तान की यूनिटी की है। आज इन तमाम प्रदेशों के होते हुये भी पंडित जवाहर लाल का एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसने यूनिटी को कायम रक्खा है और देश को बहुत कुछ एक करके चलाया है। यह विचार करना कि सब लोग अपनी-अपनी मांग बढ़ा-बढ़ा कर पेश करने लगें यह कमीशन कायम करने की मन्शा नहीं थी, यह बहुत ही गलत तरीका है। मैं समझता हूं कि इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। पणिक्कर साहब का जो नोट है उसको मैंने गौर से पढ़ा। पणिक्कर साहब के नोट में जो बातें हैं मैं सबसे सहमत नहीं हूं। लेकिन कम से कम इस बात को सरकार को समझ लेना चाहिये कि उन्होंने इस बात को कहा है कि एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में और पब्लिक हेल्थ में हम कहीं ज्यादा पीछे हैं और स्टेट्स के मुकाबिले में। इससे सरकार को चेतावनी लेनी चाहिये और अगर हमको अपने देश की यूनिटी को कायम रखना है तो उसके लिये हमें इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करना है।

अब जहां तक इस बात का संबंध है कि स्टेट्स अगर विभाजित की जायं, बनाई जायं तो उसमें ब्राड प्रिंसिपिल्स क्या हो? क्या बेसिस हो जिससे हम अपने देश में प्रांत बनायें तो मैं कहूंगा कि वह केवल चार या पांच चीजें हो सकती हैं। एक तो लैंग्वेज है। दूसरा जिऑग्रेफिकल लोकेशन है। तीसरे एकानामिक प्रास्पैरिटी या उसका अभाव है। चौथे सेन्टीमेंटल, रिलीजस या फिलासफिकल आउटलुक हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल लैंग्वेज के ही आधार पर किसी प्रदेश को नहीं बना सकते हैं। केवल एकानामिक प्रास्पैरिटी को लेकर ही किसी प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार केवल जिऑग्रेफिकल लोकेशन को लेकर ही किसी प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते हैं या रिलीजस आउटलुक को लेकर किसी प्रदेश को बनाना है तो नहीं बना सकते हैं। वास्तव में सही बात यह है कि सब बातों को समय के साथ देखते हुये हमें विचार करना पड़ेगा तभी स्टेट का निर्माण सही होगा। अगर भाषा के बेसिस पर स्टेट बनाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर एक बड़ी भारी स्टेट बन सकती है। इसी प्रकार जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर पहाड़ी भाषा बोली जाती है, वहां पर भी एक स्टेट बनाई जा सकती है। तो स्टेट्स बनाने का हमारा यह आधार नहीं हो सकता है। इसके विपरीत यह है कि बहुत से लोग एक भाषा बोलते हुये एक साथ नहीं मिलना चाहते हैं जैसे साउथ में रायलासीमा व तेलंगाना आंध्र के साथ मिलना नहीं चाहता हालांकि उनकी भाषा एक है। इसलिये भाषा के आधार पर कोई प्रांत नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप केवल जिऑग्रेफिकल बेसिस पर लें तो उसमें भी मैं समझता हूं कि बड़ी भारी दुश्वारी होगी। आप देखें कि बम्बई और सिन्ध का पार्टीशन हुआ था हालांकि वहां कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी नहीं थी लेकिन सिंध अलग किया इसलिए नहीं कि कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी थी बल्कि इसलिये कि अंग्रेज मुसलमानों को खुश करना चाहते थे, उनको अपीज करना चाहते थे, इसलिये वहां का विभाजन हुआ था। इसके अलावा मद्रास का भी पार्टीशन किया गया, आंध्र से। मद्रास के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई खराबी न थी। वहां भी पार्टीशन इसलिये किया गया कि आंध्र के लोग नेगलेक्टेड थे। लेकिन यू० पी० में कोई ऐसा सवाल

नहीं है। अगर आप कुछ दिन पहले के पूर्वी और पश्चिमी यू० पी० के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना पश्चिमी जिलों के लिये खर्च किया गया है उतना पूर्वी जिलों के ऊपर कभी खर्च नहीं हुआ। इसलिये कोई वजह नहीं मालूम होती कि इसको मान लें। यह कोई आधार यू० पी० के बटवारे का नहीं कहा जा सकता है। कोई आधार नहीं मालूम होता है जिसकी वजह से हम यह कह सकते हों कि केवल जिओग्रैफिकल बेसिस की वजह से हम अपने प्रांत को बांट लें। अगर इकानामिक प्रास्पैरिटी को ही ले लें कि कोई सूबा बहुत एडवांस है इसलिये उसको अलग कर दें और उसको एक प्रांत और बना दें तो आप देखें कि इस तरह से एक आयसोलेटेड पाकेट हो जायगी और कोई फायदा नहीं निकल सकता है। जहां तक रेलीजस सेंटीमेंट्स का ताल्लुक है तो यह कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमने अपने यहां सेकुलर स्टेट अपनाई है। इसलिये कोई सवाल इसका भी नहीं उठता है। केवल कोई एक बात को लेकर प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। अगर हमें अपनी स्टेट का निर्माण करना है तो हमें दो-तीन बातों को देखना पड़ेगा। हमें हर सूबे के एरिया को ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रखना होगा। दूसरे यह भी देखना होगा कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, और सबसे महत्व की बात जो है वह यूनिटी की है। अगर देश की यूनिटी बरबाद होती है तो आप चाहे जितने छोटे और बड़े प्रांत करना चाहते हों कर दें लेकिन सबसे बड़ा मौलिक प्रश्न भारत की एकता को कायम रखना है। अगर हमारी एकता को धक्का पहुंचा तो भारत की स्वतंत्रता खतरे में होगी और जो भारत ने आज संसार में अपनी इज्जत बनाई है, वह बरबाद हो जायगी। यह ऐसी चीजें हैं कि इन बातों पर विचार करना ही होगा। मैं और भी इस समय कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर भाषा का सवाल नहीं है। जैसे स्विट्जरलैण्ड है, वहां पर तीन भाषायें बोली जाती हैं और ये तीनों आफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड हैं। वहां के लोग एक साथ रहते हैं। यह कोई आधार नहीं है कि जो एक बोली बोलते हैं उनको इकट्ठा किया जाय। असल में जो विचार करना है वह यह नहीं कि चूंकि हम एक किस्म के हैं इसलिये एक ही जगह पर बैठना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और इसलिये भारतीय के नाते एक जगह पर हमें बैठना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में जाइये तो वहां के लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, बंगाल में जाइये तो वहां के लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम बंगाली हैं और इसी तरह से बिहार के लोग भी कहते हैं और गुजराती लोग व महाराष्ट्र के लोग भी कहते हैं लेकिन कोई नहीं कहता कि हम हिन्दुस्तानी हैं। यह एक प्रान्तीयता की चीज है और इसका भय इतना बढ़ रहा है कि इसको दबाने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा प्रदेश छोटा या बड़ा बने, लेकिन हमें इन छोटी-छोटी दलीलों में नहीं जाना चाहिए।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में अभी जो माननीय नेता सदन ने आर्गूमेंट्स इसके पक्ष में दे सकते थे, वह उन्होंने दिये और मैं भी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की जो मांग की गयी है वह जनता की मांग नहीं है बल्कि वह चन्द उन पोलिटिशियन की मांग है जो इसका विभाजन कराना चाहते हैं। आज अगर हम यह देखें कि पश्चिमी जिलों की क्या हालत है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ३० से लेकर सन् ४६ तक लगभग ४४ करोड़ रुपये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च किये गये। इस ४४ करोड़ रुपये में गंगा कैनाल, यमुना कैनाल, आगरा कैनाल और शारदा कैनाल और जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वे सब पश्चिमी जिलों के फायदे के लिये ही बनाये गये हैं। इसके बाद आप देखिये कि सन् ४१ से सन् ४५ तक एडवाइजर्स रिजीम था, उसमें भी ६ करोड़ रुपये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया गया जिसमें से सिर्फ ६७ लाख रुपया ही पूर्वी जिलों पर खर्च किया गया और बाकी पश्चिमी जिलों पर खर्च किया गया। लेकिन जब स्टेट की सारी इनर्जी पक्षपात के दृष्टिकोण से नहीं खर्च की जा रही है कि इधर लगायें या उधर लगायें तो फिर बटवारे की मांग कैसे की जाती है? हां, यह

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

तब हो सकता है जब पश्चिमी जिले वाले कहते कि आप सारा खर्चा पूर्वी जिलों में ही कर रहे हैं, इसलिये उनकी मांग हो सकती है। लेकिन आज जो भय है वह जनता के दिल में नहीं है बल्कि लीडरों के दिल में है। उनका ख्याल है कि कहीं कुछ ज्यादा खर्च पूर्वी जिलों में न हो जाय, क्योंकि अब रेहन्द डैम बन रहा है और एक सीमेंट फैक्टरी भी मिर्जापुर में बन गयी है तथा उसी के साथ कुछ थोड़े से ट्यूबवेल्स लग चुके हैं तो इस बात से शंका हो गयी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता के हृदय में शंका नहीं है। हो सकता है कि लीडरों के दिलों में कुछ शंका हो गयी हो तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ही निर्मूल चीज़ है और सबसे बड़ी चीज जो समझने की है वह भारत की एकता है। उसको सामने रखना है। पणिक्कर साहब ने जो अपना नोट लिखा है तो मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि उनको यह शंका है कि हमारे यहां के अधिक आदमी पार्लियामेंट और राज्य सभा में हैं। जैसा कि अभी सदन के नेता ने भी बतलाया कि ८६ सदस्य पार्लियामेंट में और ३१ सदस्य राज्य सभा में हैं। इसके लिये पणिक्कर साहब ने कहा इस संख्या को कम कर देना चाहिये पर उनकी यह शंका निर्मूल है। उत्तर प्रदेश के लिये मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर किसी प्रकार से भी प्रान्तीयता की भावना नहीं फैल सकी है। यहां पर दूसरे प्रान्तों के बहुत से लोग भी हैं। आप बम्बई को ही लीजिये वहां पर गुजराती अपनी हैसियत रखता है, महाराष्ट्री अपनी अलग हैसियत रखता है, मगर उत्तर प्रदेश में इतने अधिक बंगाली हैं, महाराष्ट्री हैं और वे लोग उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से घुलमिल गये हैं कि उनमें अब किसी किस्म का फर्क ही नहीं रह गया है और किसी तरह से भी इस बात की शंका नहीं की जा सकती है कि इस प्रदेश में प्रान्तीयता की भावना है। इस प्रदेश में रहते हुये उन लोगों ने काफी कन्ट्रीब्यूट भी किया है और हमारे उत्तर प्रदेश के उत्थान में काफी योग दिया है, यह भी एक कटु सत्य है, इसलिये इस प्रकार की कोई भावना हमारे यहां नहीं है जिसके कारण इस बात की शंका हो जाय कि इस प्रकार का विभाजन हमारे प्रदेश का होना चाहिये। जहां तक कोआपरेशन का ताल्लुक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश इसमें भी सब से ज्यादा हैसियत रखता है। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि यदि भाषा को ले लिया जाय, तो यहां एक ही भाषा है और हिन्दी यहां की प्रमुख भाषा है, इसलिये भाषा का भी कोई प्रश्न इसके अन्दर नहीं आता है। अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि कास्ट आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन और प्रान्तों के मुकाबिले में यहां बहुत कम है और इन्सीडेंस आफ टैक्सेसन भी बहुत कम है, इन सब बातों को देखते हुये मैं इस बात को निश्चित रूप स कह सकता हूं कि इस बात की मांग करना कि इस प्रदेश को विभाजित किया जाय, कोई माने नहीं रखता है। इस मांग में कुछ चन्द राजनैतिक लोगों का हाथ है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हम लोगों को अपने देश की एकता को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिये बमुकाबिले इसके कि हम छोटे-छोटे झगड़ों में फंसें। जितना हमारे प्रदेश का एडजेस्टमेंट और बढ़ाया जा सकता है, वह बढ़ाया जाय और अगर नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो मैं इस बात की दरख्वास्त भी नहीं करना चाहता हूं कि बढ़ाया जाय। जो मेरा संशोधन है, उस पर मैं खास तौर से इसलिये आग्रह करता हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव आया हुआ है उसमें एडजेस्टमेंट की बात कही गई है, तो जहां तक एडजेस्टमेंट की बात है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मेरा जो संशोधन है, वह उस चैप्टर से सम्बन्ध रखता है, जिस चैप्टर में यूनिटी आफ इंडिया का विषय डील किया गया है और उसमें रेमेडीज बतलाई गई हैं कि हम किस प्रकार से अपनी एकता को कायम रखें। उस एकता के कायम रखने वाले चैप्टर में यह बात आती है क्योंकि उसमें कमीशन ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि हमको अपनी आल इंडिया सर्विसेज जो पहले ब्रिटिश के जमाने में थी, वह अब बहुत खत्म हो चुकी हैं और कमीशन ने सजेस्ट किया कि आल इन्डिया बेसिस पर

हम को सर्विसेज को रखना चाहिये जैसे कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ और फारेस्ट है, इनका कुछ असर पड़ता है और इसके विषय में कमीशन ने कितने ही अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हमें भारतवर्ष की एकता को कायम रखना है तो ५० प्रतिशत यदि दूसरे प्रदेशों के लोग सर्विसेज में आते हैं, तो ५० प्रतिशत इस प्रदेश के भी होने चाहिये ताकि इस प्रकार से प्रान्तीयता की भावना किसी में न पैदा होने पाये और वे एक-दूसरे से मिल-जुलकर रहना सीख सकें।

रिपोर्ट में जजों के लिये यह एडजस्टमेन्ट किया गया है कि एक-तिहाई जज हर प्रदेश में दूसरे प्रदेश के होने चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि हर प्रदेश में ऐसा होना चाहिये कि वहां पर दूसरी जगह के थोड़े से जज हों। मैं इस बात को समझता हूं कि कमीशन ने जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दी है वह काफी महत्व रखती है। जो प्रस्ताव है उसमें केवल माइनर चीजों का ही एडजेस्टमेन्ट किया गया है, इसलिये अगर आप इस मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो जो एक बेसिक चीज, 'यूनिटी आफ इंडिया' है वह इसमें आ जाती है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रस्ताव एक हाउस से पास हो गया है और उसमें कुछ मौलिक कमी रह गई है और उसको यह हाउस पूरा कर रहा है तो उसको मान लेना चाहिये, यह अपर हाउस है, इसलिये अगर किसी कमी को यहां पर पूरा किया जा रहा है तो उसको मानने में किसी बात का ऐतराज नहीं करना चाहिये। अगर आप इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो आप का प्रस्ताव जो अपूर्ण है वह पूर्ण हो जायगा। हमारे लिए यह एक बहुत ही जरूरी बात है कि भारत की एकता को कायम रखा जाय। मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने रखा है उसको माननीय नेता सदन स्वीकार करेंगे। इस के साथ ही साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सदा एक रहा है और सदा एक रहेगा।

**श्री गोविंद सहाय** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---अब तो सिर्फ पांच मिनट रह गये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि लन्च के बाद से बोलना शुरू करूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**---ठीक है, आप लन्च के बाद ही बोलियेगा। कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२ बज कर ५५ मिनट पर अवकाश के लिए स्थगित हो गयी और दो बजे से श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री गोविंद सहाय**---डिप्टी चेयरमैन महोदय, मेरा संशोधन यह है :---

मूल प्रस्ताव के शब्द "कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे संधान (adjustments) को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग के माननीय सदस्य के० एम० पणिक्कर के नोट से मूल रूप में सहमत है और इस बात का आग्रह करता है कि देश के समूचे पुनस्संगठन, आर्थिक प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों, अम्बाला डिवीजन, पुरानी दिल्ली, अलवर, भरतपुर सम्मिलित कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ एक नया प्रदेश बना दिया जाय।"

डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं यह मानता हूं कि हद बन्दी कमीशन का काम बहुत मुश्किल था और खास कर ऐसे देश में जहां पर मुख्तलिफ विचारों, ख्यालों और विश्वासों के लोग हैं, तो उन सभी को एक रिपोर्ट के रूप में रखना मुश्किल ही नहीं, बल्कि एक नामुमकिन बात है। लेकिन मोटे तौर पर जो कोशिश की है, जिस नजरिये से कमीशन ने यह काम किया है, उससे मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं। उनकी बहुत सी बातों से मुझे एख्तिलाफ भी है। जैसा मैं समझता हूं कि जहां-जहां उसूली और व्यावहारिक बातों को उन्होंने कुर्बान करने की कोशिश की है, वहां पर असन्तोष पैदा हो रहा है। एक तरफ जहां कई बातें ऐसी दिखलाई देती

[श्री गोविंद सहाय]

है कि जिससे हमें एख्तिलाफ होता है तो दूसरी तरफ कई ऐसी उसूली बातें भी हैं जिससे कि इसकी अवहेलना होती है। मैं समझता हूं कि हममें से कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता है कि एक तरफ तो यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ फिर यह बात कही जाय कि इसको और बड़ा बना दिया जाय, इसी तरह की रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन इनके होते हुये भी मैं मानता हूं कि कमीशन के मेम्बरों के काम से मुल्क को बहुत फायदा हुआ है। जिस नजरिये से उन्होंने यह काम करने की कोशिश की है, उससे सारे मुल्क के लोग फायदा उठा सकते हैं।

जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है यह बात सही है, जो कि आज इस सदन के लीडर ने कही थी और मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक करता हूं। मैं डिवीजन का कायल नहीं हूं और मेरा ख्याल यह है कि अगर मेरे संशोधन को डिवीजन का नाम दिया गया, तो यह उसके साथ इन्साफ करना नहीं है। किसी भी तरह की डिवीजन की बात करना आज वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन जो रिआर्गेनाइजेशन आफ इंडिया की बात आज हो रही है, इसी नजर से मैं इस सवाल को उठाता हूं और उसी नजर से देखता भी हूं, तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट के बारे में भी यह बतला देना चाहता हूं। इसके लिये डिवीजन का जो शब्द है यह कुछ दोस्तों की इनायत है जो उन्होंने इसको डिवीजन के नाम से पुकारा। मैं उसे डिवीजन नहीं समझता और डिवीजन का नाम अच्छा नाम भी नहीं है। इसलिए मैं जिस नजर से इस सवाल को देखता हूं, वह उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है। बल्कि यह समूचे हिन्दुस्तान का सवाल है। हिन्दुस्तान का जो नया नक्शा बन रहा है उसमें हमारा क्या नजरिया होना चाहिये इसी बात को सामने रख कर मैं इस सारे मसले को देखता हूं। जब मैं इस नजरिए से देखता हूं कि हिन्दुस्तान जो पहले २४ हिस्सों में बंटा था उसे अब १६ या १७ हिस्से में बांटने की कोशिश की जा रही है तो जाहिर है कि छोटे इलाके बड़े होंगे और बड़े इलाके कुछ छोटे होंगे। अगर इस किस्म की कुछ तब्दीली होती है तो किसी जगह के लोगों को यह शिकायत नहीं करना चाहिए कि यह हमारा डिवीजन हुआ। बल्कि हिन्दुस्तान का जो नया नक्शा बनाने में तब्दीली हो रही है उसे उसी नजर से देखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी नजरिये से देखा भी जायगा। जो लोग यह दलील देते हैं कि उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे प्रदेशों से कुछ लेकर जो नया प्रदेश बनाने की कोशिश करने वाले लोग हैं वह फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, पोलिटिकल वजूहात से वह ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि यह कहां तक सही है। लेकिन अगर वह फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं तो आप उनके फ्रस्ट्रेशन को दूर कीजिए। यह मतालबा कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से उठा है। उनमें अगर फ्रस्ट्रेशन है तो यह आप में है। लेकिन अगर यह दलील दी जाती है तो इसका दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो डिवीजन चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको जायका लग गया है लम्बी सल्तनत का, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैं नहीं मानता कि वह फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। अगर वह फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन न वह फ्रस्ट्रेटेड हैं न आपको फासिस्ट ग्रेपर्स कहा जा सकता है। मैं यह मान कर चलता हूं कि सभी ईमानदारी के साथ, इस चीज को सोचकर चल रहे हैं कि हिन्दुस्तान का नक्शा किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। जब मैं इस नियत से देखता हूं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश है उसकी एक ऐतिहासिक कांटीन्यूटी रही है। ऐतिहासिक तरीके से कभी भी ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा। इसका एक इतिहास अंग्रेजों से पहले का है, एक इतिहास अंग्रेजों के आने के बाद का है। उस वक्त अंग्रेजों ने अपने ढंग के ठीक तरीके से और मैं कहता हूं कि कोई भी फारेन अगर होता, कोई भी एलियन पावर अगर होती तो वह ऐसे मुल्क पर जो बिखरा पड़ा हो और लम्बा-चौड़ा हो उस पर कंट्रोल करने के लिए एक ही नीति अपना सकता है और वह यह कि जहां उसकी सल्तनत हो वहां एक बड़ा इलाका ऐसा हो जिसे वह अपना बेस लैण्ड बना सके।

ब्रिटिश नीति ने यह अच्छा समझा कि दिल्ली के पास एक बड़ा इलाका ऐसा हो जो उनकी बेस लैण्ड बन सके। उस उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों की भी मदद की और अपना नेशनल कैरेक्टर होने की वजह से हिन्दुस्तान को भी काफी नेशनल लीडर्स मुहैय्या किये। अब पोस्ट इन्डिपेन्डेंस एरा में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उस उत्तर प्रदेश ने जो सारे हिन्दुस्तान का केन्द्र कहलाता था, जिसे बंगाल, मद्रास हर तरफ के आदमी हिन्दुस्तान कहते थे, वही उत्तर प्रदेश जो जोड़ने का एक साधन था, उसी के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एक आवाज़ बुलन्द होने लगी। इसको छिपाने से कोई फायदा नहीं है। इसका मुझे भी टेस्ट मिला है और मुझे भी उसका तजुर्बा है। मुझे भी साउथ इंडिया जाने का मौका मिला है। वहां के अच्छे-अच्छे आदमी खुद हिन्दी पढ़ते थे और उनको हिन्दी पढ़ने का शौक था। जितना साउथ इंडिया में हिन्दी पढ़ने का आन्दोलन चला, मैं समझता हूं कि उतना कहीं नहीं चला लेकिन उत्तर प्रदेश से जब मांग उठाई जाती है तो साउथ इंडिया वाले उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के लोग हम पर हावी होने की बात कर रहे हैं और आज नौबत यह आ चुकी है कि साउथ इंडिया का कोई भी आदमी हिन्दी जानता है तो वह जान बूझकर अंग्रेजी बोलने लगता है। अभी मुझे एक कालिज के फंक्शन में जाने का मौका मिला। वहां लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी में बोलिये नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। यह रिजिडिटी आ चुकी है। आज मैं यह महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विशालता जिसने कि हिन्दुस्तान की यूनिटी को कायम रखा अगर आज हिन्दुस्तान में उसकी वजह से गलतफहमी होने लगी है कि यहां के लोग उन पर हावी होकर उनको दबाना चाहते हैं तो इन ख्यालों को दबाया नहीं जा सकता है और ऐसे ख्यालात आज पैदा हो रहे हैं। इन ख्यालातों को नजरअन्दाज करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐडमिनिस्ट्रेटिव कान्फरेंसेज में भी जाने का मौका लगा है और मैंने देखा है कि जब कोई बात उत्तर प्रदेश वाले उठाते थे तो दूसरे लोगों में फुसफुस होने लगती थी और वह कहते थे कि मालूम होता है यहां सब कुछ जानते हैं। आज यू० पी० के खिलाफ एक भावना बढ़ रही है। यह जायज हो या नाजायज लेकिन यह फैक्ट है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे लोगों का यह ख्याल है कि एक वक्त था जब यू० पी० ने बड़े-बड़े लोग पैदा किये। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में श्री मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, सर तेजबहादुर सप्रू और आज जवाहर लाल जैसे लीडर पैदा हुये लेकिन यह कुदरत का दस्तूर है कि एक इलाके में अगर किसी जमाने में बड़े आदमी पैदा होते हैं तो फिर उसके बाद उसी इलाके में दूसरे जमाने में उतने ही बड़े लोग नहीं पैदा हो सकते हैं। आज लोगों का कहना है कि यू० पी० में जो पाकेट एडिशन हैं, जो स्मालर साइज के लीडरों के एडिशन पैदा हो रहे हैं यह कहीं छा गये तो समूचे भारत के लिये खतरनाक होंगे तो यह वह शिकायत करते हैं।

मैं इस बात का सवाल नहीं उठाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने किसी से कम कोशिश की, मैं पश्चिम और पूरब को सवाल नहीं बनाना चाहता हूं, मैं यह भी नहीं मानता हूं कि पश्चिम का रुपया पूरब में खर्च होता है, मैं तो इस बात को मानता हूं कि हर उस हिस्से की जो पिछड़ा हुआ है तरक्की की जाय। मेरी निगाह में पश्चिम और पूरब का सवाल गलत है। तो यह दलील देना कि पश्चिम पर ज्यादा रुपया खर्च होता है और पूरब पर कम खर्च होता है इसका मैं कायल नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का इस नजरिये से संगठन करने के खिलाफ हूं। यह मेरी राय जरूर है लेकिन मैं चाहता हूं कि इशूज को कन्फ्यूज न किया जाय। अगर इस मुल्क में गरीबी, बेकारी रहना है और अगर यही सोशल स्ट्रक्चर रहा तो फिर आप चाहे जहां रहिये, चाहे उत्तर प्रदेश में रहिये या दिल्ली में यह तो कायम रहेगी ही। इस बात के ऊपर एजिटेशन हों यह मैं नहीं चाहता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं, उनको भी मैं ऐन्टी

[श्री गोविंद सहाय]

नेशनल समझता हूं। जो स्टेट्स को मेनटेन करते हैं या जो इक्सपेन्शन करते हैं, या जिनकी ऐसी मनोवृत्ति है, उस समूची मनोवृत्ति को मैं ऐन्टी नेशनल समझता हूं। मेरी निजी राय है और मुझे अपनी निजी राय देने का मौका आया और मैंने अपनी राय कमीशन के सामने दी थी। चूंकि पब्लिक के सामने लीडर्स ने बहुत सम्भाल कर कहा इस लिये जनता ने कोई एजीटेशन नहीं किया है। लेकिन अगर कोई एजीटेशन नहीं हुआ है तो उससे यह नहीं समझना चाहिये कि लोग उस बात को चाहते नहीं हैं। जब आप यह कहते हैं कि कोई एजीटेशन नहीं हुआ है तो आप इस बात को खुद ही समझिये कि आप क्या कह रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि यहां भी बम्बई बनाया जाये या यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह से एजीटेशन किया जाये। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने यह चाहते हुये भी एजीटेशन नहीं कराया है। किया सब कुछ जा सकता है। जब बेचैनी होती है तब सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस विचार के लीडरों की राय है कि यह इतना बड़ा सवाल नहीं है कि इसके लिये एजीटेशन किया जाय। लेकिन उसके लिये इस तरह से नहीं कहना चाहिये जिससे कि एक नया शगूफ़ा ही छूट जाये। जो लोग यह कहते हैं कि राय आम्मा नहीं पैदा हुई वह इस बात को सोचें। आपका ख्याल यह है कि उनके अन्दर ऐसी राय है ही नहीं। उनके अन्दर राय है लेकिन उनके लीडरों ने यह समझा कि यह मसला ऐसा नहीं है कि इसके लिये गर्मी पैदा की जाय। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों के अन्दर यह राय है कि उनको अपनी राय जाहिर करने की आजादी नहीं है। कांग्रेस हुकूमत के अन्दर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों की यह राय हो कि हम आजाद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस मसले पर आजादी से राय ली ही नहीं गई है। लेकिन अगर उनको आजादी दी जाये तो वह अपनी राय दे सकते हैं कि वह ऐसा चाहते हैं। मैं यू० पी० का डिवीजन नहीं चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इसको रिआर्गनाइजेशन का सवाल समझा जाये। तब हमारे सामने यह सवाल आता है कि कौन सा ऐसा नक्शा बनाया जाय जिससे यह देश १६, १७ यूनिट्स में तक्सीम कर दिया जाये जहां से ऐडमिनिस्ट्रेशन हो। मेरा यह ख्याल है कि जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है उसके अनुसार करने से कई समस्यायें हल हो जाती हैं। पंजाब का मसला हल हो जाता है, विन्ध्य प्रदेश का मसला हल हो जाता है और ग्वालियर के उन जिलों का मसला हल हो जाता है जो यू० पी० से मिलना चाहते हैं। इस लिये मेरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश का जितना हिन्दी स्पीकिंग इलाका है पश्चिम की तरफ का वह और बाहर के जिलों को मिला कर ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से अलग कर दिया जाये। मैं यह मांग इसलिये नहीं करता हूं कि मुझे यहां कोई तकलीफ है और वहां पर पर मुझको फूलों की मालायें पहनाई जायेंगी। पंजाब के अन्दर जो हिन्दी स्पीकिंग जिले हैं, वह सब उसमें मिला दिया जायें। दिल्ली स्टेट खत्म कर दी गई है। सब लोगों की राय है कि इस स्टेट को खत्म न किया जाये। वहां की सारी पोलिटिकल पार्टीज की राय थी कि इस स्टेट को खत्म न किया जाये। पंजाब के कुछ जिलों की राय है कि उनको यू० पी० में मिला दिया जाये। मैं समझता हूं कि पश्चिमी जिलों का लिंक दिल्ली से ज्यादा है। यह आर्गेनिक लिंक है। उन जिलों का दिल्ली से ज्यादा तिजारत का ताल्लुक है, सांस्कृतिक संबंध है और दिल्ली से ही ज्यादा ताल्लुक है। ट्रेड का आर्गेनिक लिंक है। पश्चिमी जिले के आदमियों से पूछ लीजिये। आप ज्यादा बहस में न पड़िये, १० आदमियों को ले लीजिये, वह पच्छिमी जिलों में जायं और ५०--१०० आदमियों से पूछें कि तुम ऐडमिनिस्ट्रेटिवली दिल्ली पसन्द करते हो या इलाहाबाद। मैं जानता हूं कि वह कहेंगे कि अगर दिल्ली हो जाय तो अच्छा है।

दूसरी ओर महाकौशल के बनने से भी झगड़ा हो रहा है, ग्वालियर के लोगों का कहना है कि हम महाकौशल में जाने के बजाय यू० पी० में जाना अधिक पसन्द करते हैं। विन्ध्य प्रदेश के लोगों की भी राय यही है और वहां की असेम्बली में भी यह प्रस्ताव पास किया गया। वहां की जनता ने हड़ताल की क्योंकि वह महाकौशल से मिलना पसन्द नहीं करते हैं। अगर आप सारे इलाके को दो यूनिट में बांट दें तो मैं नहीं समझता

कि कौन सा आसमान फट जायेगा, क्या देश-भक्ति की कमी हो जायेगी, क्या अभिशाप हो जायगा। मेरा ख्याल है कि इससे पंजाब को फायदा होगा। आज जो हिन्दुस्तान के दूसरे खित्तों में यू०पी० के खिलाफ नफरत हो रही है उसको ठेस लगेगी और नफरत मुहब्बत में पैदा हो, इसका मौका मिलेगा। एक बात लीडर आफ दी हाउस ने बताई कि कौन सा गैर मामूली फायदा यू० पी० उठा रहा है। मैं भी कहता हूं कि गैर मामूली फायदा नहीं उठा रहा है, जितना रुपया यू० पी० को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। अगर दो हिस्सों में हो जाता है तो ज्यादा रुपया मिल सकता है और एकोनामिक डेवलपमेंट भी होगा। आज बावजूद इस के कि यू० पी० के नेता लोग केन्द्र में हैं लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, वह एन्टी यू० पी० होता जा रहा है। जितने आई० सी० एस० आफीसर्स हैं, साउथ के लोग हैं, उन सबकी नजर यू० पी० के खिलाफ हो रही है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हमारे मिनिस्टर एक बात को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी गोटिंग खिलाफ होती जाती है। आज यू० पी० के खिलाफ एक माहौल पैदा हो गया है। यू० पी० जो पहले मुहब्बत की चीज समझी जाती थी, जो राजनैतिक जागृति का प्रतीक समझा जाता था, आज दूसरे खित्तों में नफरत का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे खित्ते के लोग नफरत की निगाह से देख रहे हैं। अगर आप इसको गलत समझते हैं तो मैं दावत देता हूं कि आप साउथ इण्डिया जाइए लेकिन उनको न मालूम हो कि आप मिनिस्टर हैं या कांग्रेस के लोग हैं, तो आप को मालूम हो जायगा कि साउथ का आदमी किस नजर से यू० पी० को देखने लगा है। मेरा जो अमेंडमेंट है वह डिवीजन या इस किस्म की बात नहीं चाहता है। मैंने हिन्दुस्तान के नक्शे को अपने सामने रखा है और मेरे अमेन्डमेन्ट से, जो पोलिटिकल तनाव इस वक्त पैदा हो रहे हैं और हर जगह प्राब्लेम पैदा हो रही है, वह हल हो सकती है। मैंने लीडर आफ दी हाउस की हर बात को गौर से सुना और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझ पर उसका काफी असर होता है। मैं खुले दिलो-दिमाग से उसको जज्ब करने की कोशिश करता हूं और मन्जूर करने में कोई कोताही नहीं करता हूं और जिस बात को खिलाफ समझता हूं उसको साफ कहता हूं। उन्होंने एक बात व्यवहारिक कही। अगर यू० पी० के लोग तकसीम चाहते हैं, अगर उनका कुछ फायदा होता हो, एकानामिक फायदा हो, तो तकसीम कर लें। अपने साथी हैं, हम चाहते हैं कि खुशहाल रहें। मैं उनकी नेक नियती की कदर करता हूं। इस स्टैन्डर्ड को एप्लाई करके कहता हूं कि आज का जो यू० पी० का सेटअप है, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती है, एकानामिक डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता है। इसमें मिनरल वेल्थ नहीं है, रा मैटिरियल नहीं है, कल-कारखाने जितने खुलने चाहिये, नहीं खुले। अगर इस यू० पी० को इसी तरह रखा गया तो नुकसानदेह होगा और आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं रह सकता। २४—२५ कारखाने भारत में खुले लेकिन यू० पी० का नम्बर नहीं आया। एक यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि यहां रा मैटिरियल नहीं है, मिनरल वेल्थ नहीं है, इसलिये जो सजशन मैं रख रहा हूं उससे यह बातें हल हो जायेंगी। अगर विन्ध्य प्रदेश मिल जायेगा तो रा मेटिरियल मिल जायेगा और ग्वालियर मिल जायेगा तो लैन्ड मिल जायेगी और लैन्ड प्रोब्लेम खत्म हो जायेगा। आप की मिनरल वेल्थ बढ़ेगी। मुझे खुशी नहीं है कि डिवीजन ही किया जाय लेकिन तकसीम के मामले रोजाना नहीं आते हैं। इसमें मजाक की बात नहीं है। आज जो आबोहवा बह रही है उसको आप देखें। मैं एक राय रखता हूं, यह दूसरी बात है प्रचार करने के लिये राय आम्मा को कनफ्यूज नहीं करता हूं लेकिन राय है।

अब हिन्दुस्तान का बहतरीन पैटर्न जो निकल सकता है, बहुत सी उलझनें जो दूर हो सकती हैं वह इस तरीके से हो सकती हैं कि सारे हिन्दी स्पीकिंग एरियाज को दो यूनिट्स में बांट दिया जाय। यह कल्चरल तरीके से, ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मुनासिब यूनिट होगी। एक दलील यह दी जाती है कि रशा और चायना में बड़े-बड़े यूनिट्स हैं। लेकिन यह दलील यहां लागू नहीं हो सकती। टोटेलीटैरिअन कंट्रीज के अन्दर बड़े-बड़े यूनिट्स हो सकते हैं।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—अमरीका में भी तो है।

श्री गोविन्द सहाय--यही कारण है कि अमरीका इसी लिये अब तक यह नहीं तय कर पाया कि वह सोशलिस्टिक कंट्री है या एक वेलफेयर स्टेट है। बहरहाल, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि बड़े यूनिट्स दूसरी जगह हो सकते हैं। टोटेलीटेरिअन पैटर्न के लिये यह चीज जरूरी हो सकती है। आज जो हमारी स्टेट है, हमारे जो मिनिस्ट्रान हैं वे एक दिन में सारे सूबे को नहीं देख सकते हैं। मिनिस्टर बढ़ाये जायं तो लोग एतराज करेंगे। बारीकियों के साथ वे अपना ताल्लुक जिले से नहीं रख सकते हैं। अगर किसी जगह कोई काम कर दिया जाय तो लोग कहते हैं कि फलां जगह यह चीज की गई। लोग कहते हैं कि बनारस के घाट बन गये। मैं कहता हूं कि आपने जो काम किया, ठीक किया। हर मिनिस्टर जो एक बेसिक बात करता है वह आखिर रहेगी तो हमारे सूबे में। मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता। अगर आपका इन्टीमेट कंटैक्ट नहीं होता है तो कुदरतन आप कुछ काम ऐसे कर जायेंगे जिन पर लोग ऐतराज कर सकते हैं। अगर २५ जिलों की एक यूनिट हो तो डेमोक्रैटिक सिस्टम के अन्दर ज्यादा इंटीमेट ताल्लुक हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की नजर से, कल्चर की नजर से, एकोनामिक सेल्फ सफीशियेंसी की नजर से, सिखों की नजर से, विन्ध्य प्रदेश की नजर से, दिल्ली वालों की नजर से, यह एक बेहतरीन सैल्यूशन है। इसमें सिर्फ एक कमजोरी है और वह यह कि खाकसार की जबान से यह पेश किया गया है।

अगर कहने में कोई कमजोरी हो सकती है, अगर आपके मुखालिफत करने की कोई वजह हो सकती है तो इसलिये इधर से यह चीज कही जा रही है, उधर से नहीं। लेकिन मैंने भी किसी से कम नहीं कहा है और जो कहा है वह वही कहा है जो बहुत से लोगों की राय है। अगर कोई यह सोचे कि मुझे अपने सूबे या मुल्क से किसी से कम मुहब्बत है तो यह बात भी नहीं है और न किसी से कम मैं अपने देश और प्रांत के लिये सोच सकता हूं हालांकि मैं यह भी नहीं चाहता कि इसके लिये मुझे कोई सर्टीफिकेट दे दे। जिस तरह से मैं यह कहता हूं कि जो लोग कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ राय आम्मा को भड़काना चाहते हैं, वह देश के दुश्मन हैं, उसी तरह से मैं यह भी कहता हूं कि जो लोग दबाव और जोर से पब्लिक ओपीनियन को दबाना चाहते हैं वह भी देश के दुश्मन हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि इन दोनों ख्यालों के लोगों की नियत खराब नहीं है और एक माली में दोनों अपने प्रदेश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, दोनों की राय एक है। हमारे सदन में हर डिबेट एक सुचारु रूप से होती है लेकिन जब मैं उस सदन यानी लोअर हाउस को डिबेट्स को पढ़ता हूं तो पता चलता है कि वहां मामूली-मामूली बातों पर मोटिव लगाये जाते हैं और लोग बगैर थोड़ी सी फुलझड़ी छोड़े नहीं रहते हैं। इस सबके लिये हमें लाइट हार्टेडली सोचना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि इस पर गौर से सोचा जायगा।

जहां तक पणिक्कर साहब की बात है मैं नहीं समझता कि लोग उनके खिलाफ बहुत सी बातें क्यों कहने लगते हैं जो नहीं कहना चाहिये। मैं आपसे बताऊं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है और बहुत से लोगों की राय भी वैसी ही थी। मैं जानता हूं कि यहां भी बहुत से लोगों की राय इसी तरह की थी। लेकिन राय एक ऐसी चीज है जो बदला भी करती है। मैं कहता हूं कि पणिक्कर साहब ने जो इशू दिया है उसे आप नजरअन्दाज चाहे जितना भी कर दीजिये, लेकिन वह चीज आपके यहां उठ चुकी है और वह भुलाई नहीं जा सकती। जहां तक फैक्ट्स और फीगर्स का सवाल है कि पणिक्कर साहब को फैक्ट्स और फीगर्स नहीं मालूम थे तो यह बात भी मुनासिब नहीं है। आखिर वह भी एक इने गिने योग्य पुरुषों में से हैं। उन्होंने भी फैक्ट्स और फीगर्स को जरूर पढ़ा होगा। वह खाली बात बिना किसी सूझ-बूझ के नहीं कर सकते हैं और न लिख सकते हैं। यह तो कोई बात नहीं है कि पणिक्कर साहब का एक नजरिया है, उन्होंने बगैर सोचे समझे या बगैर फैक्ट्स और फीगर्स के लिख दिया होगा। मुझे मालूम है कि यह आप ही के यहां के लोगों के ख्यालात हैं और असरात हैं। उनको सामने रखते हुये यह प्वाइन्ट इसमें रखा गया है। जहां तक पणिक्कर साहब के ऊपर किये गये क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है जैसा मैंने अभी कल भी

अखबार में देखा है, उसमें कहा गया है कि मीनिंगलेस है। आप सोचें कि पणिक्कर साहब की जो रिपोर्ट है वह मीनिंगलेस कही जाती है। मेरा ख्याल है कि पणिक्कर साहब की बाबत जो अखबारों में निकलता है और जो कल निकला है वह पढ़ने से मालूम पड़ता है कि लड़कपन उसमें भरा हुआ है। मैं उसे कानूनी तौर पर तो गलत साबित नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आखिर उन्हें कुछ योग्य ही समझकर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नियुक्त किया था। उनकी रिपोर्ट को कंडम करना चाइल्डिश ही कहा जा सकता है। फिर यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से उसकी काफी मुखालिफत की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से पैंड छपवाये गये हैं; मैंने भी एक पैंड मंगाने की कोशिश की थी लेकिन अभी मंगा नहीं पाया हूं। मैं यह भी जानता हूं कि इस लड़ाई में यू० पी० ऐसा ही रहेगा जैसा आज है और मुझे इसकी कोई मुखालिफत नहीं है। मैंने तो अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। मैं कांग्रेस और उसकी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को भली-भांति जानता हूं लेकिन फिर भी मुनासिब समझता हूं कि जो कुछ मरी समझ कहती है उसे कहने के लिये एक अमेंडमेंट मूव कर दूं कि मेरी यह राय है। लोगों ने मुझसे कहा कि न आपने कोई स्टेटमेंट ही दिया और न कोई पब्लिक मीटिंग ही की तो फिर आप इसके खिलाफ यह कैसे मूव करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि कोई एजीटेशन इस पर नहीं कराना था जो मैं यह सब करता। एक मौका आया और अपनी राय जाहिर किये दे रहा हूं। जो यू० पी० के रहनुमाओं ने स्टेटमेंट्स दिये हैं उन्होंने भी इसे माना है। यानी जो दलीलें दी गयी हैं कि यू०पी० स्टेट रहे तो उन्हीं दलीलों ने मुझे बतलाया है कि यू०पी० को दो हिस्सों में तकसीम किया जाय। यानी हिन्दुस्तान का अजसरे नौ नक्शा बनाने के लिये यह ठीक होगा, मेरा ख्याल है और इसी ख्याल से मैंने यह भी देखा कि ऐसा करने से जो एजीटेशन दिल्ली में हो रहा है, वह खत्म हो जायगा और पंजाब का मसला आसानी से हल हो जायगा। जो गर्मी ऐसा न होने से हो रही है वह खत्म हो जायगी। अगर आप ने इसको आज नजरअन्दाज कर दिया कि रायआम्मा नहीं है तो इतना आपको मालूम हो ही गया है कि यह अपनी जड़ पकड़ चुका है। रायआम्मा एक खास तरह का सायकौलाजिकल टेन्शन पैदा करता है। इसलिये मैं कांग्रेस के उन दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस कम्पेन को एक सीमा के अन्दर रखा है और एक अच्छे स्टैन्डर्ड से रखा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके बरअक्स स्टैन्डर्ड से रखा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके बरअक्स कोशिश हुई है जो कि ठीक नहीं था। बिजनौर जिले की बात मैं कहता हूं मैं कोई चैलेंज नहीं देता हूं और न यह कोई ईशू ही है। मैंने अपने जिले के जो प्रतिनिधि हैं और म्युनिसिपल बोर्ड व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हैं उनसे पूछा तो उनकी आमतौर से यही राय है कि साहब हमारा दिल्ली से ज्यादा ताल्लुक है। उनका कहना है कि कल्चरली और इकोनामिकली हमारा अधिक संबंध दिल्ली से है। इस तरह मैंने और जिलों के लोगों से भी पूछा। वहां के एम० एल० एज० से भी पूछा और हुजूरवाला, यह कहते हुये शर्म आती है कि वहां के ९७ एम० एल० एज० ने इसके पक्ष में कहा लेकिन कहा जाता है कि बाद में उनकी राय बदल गयी। अब जब मैं उनसे पूछता हूं तो वे कहते हैं कि दिल तो तुम्हारे साथ है लेकिन अपनी राय को दबा रहे हैं। अगर इस तरह से उनकी राय दबायी जाती है तो वह ठीक नहीं है। मैं जब भी वहां के एम० एल० एज० से पूछता हूं तो उनकी राय यही है कि विभाजन होना चाहिये। मेरे पूछने का यही स्टैन्डर्ड है। कांग्रेसी लोगों का ज्यादातर यही ख्याल है और बार एसोशियेशन तथा ट्रेड एसोशियेशन्स की भी यही राय है। किसानों में तो यह बात अभी इतनी नहीं फैली है लेकिन उनकी भी ऐसी राय होती जा रही है। अगर यू० पी० में इस तरह की बातें होती रहेंगी तो अब तक जो कुछ इसका नेशनल विकास हो चुका है वह अब आगे नहीं होगा। मैं कोई चैलेंज नहीं देता हूं लेकिन इतना कहता हूं कि यह चीज जड़ पकड़ चुकी है, इसलिये इसको दबाना अब मुश्किल है। जिन लोगों को अपने पास रखना है उनको मिलाना पड़ता है और उनके लिये मिठास होनी चाहिये। लेकिन अब भी आपकी स्पीचेज का जो सार होता है वह बहुत ही इसके खिलाफ होता है। मैं समझता हूं कि इस मसल पर ज्यादा गर्मी पैदा करने की जरूरत नहीं है। यह मसला खुद ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है।

[श्री गोविन्द सहाय]

यह मसला अब एक बड़ी बाडी के पास जा रहा है इसलिये मैंने अपने ख्यालात मजबूती से जाहिर कर दिये हैं। मेरा यकीन है कि जिस नजरिये से मैंने इस मसले पर विचार करने की कोशिश की है, मेरे उधर के दोस्त भी उसी तरह से इसको आंकने की कोशिश करेंगे। मैंने जानबूझ कर पश्चिम और पूर्व की कंट्रोवर्सी जाहिर नहीं की। मैंने यह नहीं कहा कि पूर्वी जिले पिछड़े हुये नहीं हैं। अगर वे पिछड़े हुये हैं तो उनका विकास होना चाहिये।

पणिक्कर साहब की बातों में जाने से इस मसले को बढ़ाना है क्योंकि फैक्ट्स दोनों तरह के हैं। जो मैं जानना चाहता हूं वह यह कि मैं इस मसले को हिन्दुस्तान के नक्शे को सामने रखते हुए सोचता हूं और जब मैं इसको हिन्दुस्तान के नक्शे को सामने रखते हुए सोचता हूं तो मेरी दलील जो है वह सब को मान्य होगी। आप जिस तरह से सोचते हैं उसमें आपके सामने यू० पी० का नक्शा है और अगर मैं भी इसी तरह से इस मसले को सोचूं तो यकीनन मैं भी यही कहूंगा कि यह सूबा तकसीम न हो। मैं यह कहूंगा कि यह इन्सानी फितरत होती है कि जब उसकी कोई चीज अपने पास से जाती है तो उसको देने में बहुत तकलीफ होती है और इन्सानी फितरत जो है उससे मुल्क बरी नहीं रह सकता है। जिन लोगों की यह राय है, यह साफ दिखाई देता है कि उनका यह कहना उनके दिमाग की एक चीज को जाहिर करता है कि उनको इसके विभाजन से तकलीफ होती है और यह एक कुदरती चीज है। लेकिन अगर आप इसको यू० पी० के नक्शे को सामने रख कर नहीं सोचते हैं तो हमारे सामने समूचे हिन्दुस्तान का नक्शा आता है तो हमको कुछ सोचने का एक मौका मिलता है और एक जस्ट चीज सामने आती है कि कुछ खुशगवार लोगों को यह मौका मिलता है जो कि इसको करना चाहते हैं, इस बात को कहने में, मैं इस प्रदेश की अच्छाई को देखता हूं, भारत की सुदृढ़ता को देखता हूं और आर्थिक विकास को देखता हूं जिसके लिये यू० पी० के लोगों में हिन्दुस्तान के लिये बढ़ती हुई मुहब्बत को देखता हूं। यदि पुरानी तवारीख को देखिये तो यू० पी० का आदमी मुहब्बती इन्सान समझा जाता था। सारे भारत को देखते हुये भी अगर आपने इसको न माना और ऐसे ही रहने दिया और उस चीज को बहस में डाल कर तनातनी पैदा कर दी, तो मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि जो दाग पड़ जाता है वह मिटा नहीं करता है, बल्कि बना करता है। आप नहीं बनायेंगे तो दूसरा बनायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस मसले को हर किस्म के निर्माण की नजर से, कौम की बेहतरी के ख्याल से, आप उसी नजरिये से इसको देखने की कोशिश करेंगे।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जो प्रस्ताव सदन के सन्मुख मूल रूप में उपस्थित किया गया है, उसमें यह संशोधन मैं उपस्थित करना चाहता हूं--

मूल प्रस्ताव में से शब्द "और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-छोटे सन्धान ( adjustments ) को छोड़कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"पर साथ ही भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा अन्य विशिष्ट आधारों पर वर्तमान विन्ध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्य भारत के मोरेना, भिन्ड, शिवपुरी व ग्वालियर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाये जाने की सिपारिश करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुये मैं इसके पहले इसके अन्दर जो बातें कही गयी हैं, उन पर कुछ निवेदन करूंगा। मैं यह उचित समझता हूं कि उससे पहले की जो कुछ और दूसरी बातें हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

करूंगा। सबसे पहली बात, जिसको कि मैं कहे बग़ैर नहीं रह सकता हूं, यह है कि मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति करने में कुछ हमारे देश के वातावरण को देखते हुये, जल्दी की है। मेरा अपना ख्याल है कि अभी यह आयोग इस मकसद को लेकर के नहीं नियुक्त होना चाहिये था। ऐसा मैं इसलिये कहता हूं कि हमारे देश को अभी स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए ८ वर्ष हुए हैं और उसे बहुत से अंग्रेजों के वक्त की बातें उत्तराधिकार में मिली हैं जिनको अभी हमें दूर करना है। यह बात भी सही है कि अभी हमें बहुत से रचनात्मक प्रवृत्तियों को लाने की चेष्टा करनी है और बहुत सी उन ऋणात्मक प्रवृत्तियों को, जिनको अंग्रेज अपने सौ वर्ष के शासन में दे करके गये खत्म करने की कोशिश करना चाहिये और कर रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि रचनात्मक दृष्टि से हमें इस प्रकार की रचनात्मक बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

हम स्वतंत्रता के बाद अपने देश में जो बहुत सी अच्छी बातें देख रहे हैं, उनकी हमने स्वतन्त्रता से पहले कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के और दूसरे देशों के मुकाबिले में यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में राजनैतिक पार्टियों का मतभेद केवल उसूली बातों तक ही रहा है, लेकिन हमारे यहां राजनैतिक पार्टियों में एक दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति है, अगर किसी एक पार्टी ने एक बात कही है चाहे वह ठीक ही क्यों न हो, लेकिन दूसरी पार्टी उसको गलत कहेगी। उस वक्त हम यह भी भूल जाते हैं कि यह बात देश के लिये हितकर होगी या अहितकर होगी। मैं समझता हूं कि आज यह बात साबित भी हो रही है। अगर आप बम्बई और रीवां के झगड़े की तरफ नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि यह बात कुछ हद तक सही भी है। ऐसे समय में जब हमारे यहां बाहर से कुछ अतिथि भी आये हुये हैं तो उनके सामने हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हमें यहां पर इस बात पर गौर करना होगा कि जो कमीशन नियुक्त किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है उस पर जो फैसला होने जा रहा है, उस पर विचार करना है। इसके लिये मैं नेता सदन से यह कहना चाहता हूं कि इस बात को विचार करते समय आप यू० पी० के नक्शे को अपने सामने न रखें, बल्कि हिन्दुस्तान के नक्शे को सामने रखें। मैं समझता हूं कि उस वक्त आप ज्यादा सही फैसला कर सकेंगे। माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने यह बात एक संकुचित विचार से नहीं कही है, बल्कि एक विशाल हृदय से सोचकर कही है। मैं उनकी बातों की ताईद करता हूं। हमको अपने देश के फायदे का भी ख्याल रखना चाहिये। हम को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह बात किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिये कही है।

अब मैं कुछ बातें कमीशन की रिपोर्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैंने इस कमीशन की रिपोर्ट को बहुत ही गौर से पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका सम्बन्ध तीन बातों से है। इस सम्बन्ध में तीन प्रकार की तजवीजें हमारे सामने हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। पहली तजवीज तो यह है जो सरकार की तरफ से पेश की गयी है, जिसको मूल प्रस्ताव में रखा गया है और वह यह है कि जिस किस्म का यू० पी० आजकल है वैसा ही बना रहे। दूसरी तजवीज यू० पी० के विभाजन की है। तीसरी तजवीज यह है जिसको मैंने पेश किया है और साथ ही दूसरे लोगों ने भी पेश किया है कि यू० पी० जैसा है वैसा ही बना रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें कुछ दूसरे हिस्से भी जोड़ दिये जायें। पहले किस्म की और तीसरी किस्म की जो तजवीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा मूल भूत मतभेद नहीं है, वे एक दूसरे की कम्पलीमेंटरी या पूरक कही जा सकती हैं। इसलिये मैं इनके ऊपर पहले विचार न करके, विभाजन की जो मांग है, उसके बारे में निवेदन करना उचित समझता हूं। अगर विभाजन की मांग को देखा जाय तो वह दो तरह की है, एक मांग तो वह है जो पणिक्कर महोदय ने अपने नोट द्वारा इस सिफारिश के अन्दर रखी है और दूसरी

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

मांग वह है जिसकी तजवीज गोविन्द सहाय जी ने अपने प्रस्ताव द्वारा पेश की है और जिसको आज साधारण तौर पर दिल्ली, आगरा, मोरेना के नाम से पुकारा जाने लगा है। पणिक्कर साहब की जो तजवीज है और जो दूसरी तजवीज है उसके अन्दर बहुत सी दलीलें हैं और यदि यह कहा जाय कि दिल्ली, आगरा और मोरेना समिति ने उनकी बहुत सी तजवीजों को अपनाया या पणिक्कर साहब से लीं तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। पहले यदि पणिक्कर साहब की बात पर विचार किया जाय, तो ज्यादा ठीक होगा। पणिक्कर साहब की तजवीज पर विचार करने से पहले, मेरा ख्याल है कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इस बात पर ख्याल करूं कि यह जो कमीशन बनाया गया, उसका बुनियादी उद्देश्य क्या था? साथ ही साथ उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कौन से जरिये, कौन से क्राइटेरियन तय किये थे, तो यहां पर ६२ पेज में तथा अन्य स्थानों पर इस कमीशन की बातों में अथवा यों कहिये कि इसके द्वारा स्टेट्स पुनस्संगठन की जो बुनियादी बात या जो उद्देश्य रखा गया है, वह यह है कि—

"Administrative efficiency and co-ordination of economic development and welfare activity."

इन शब्दों के साथ यह बतलाया गया है कि हमारा उद्देश्य जो होना चाहिये वह यह हो कि हमारे देश की इकाई एक रहे और उसका सामूहिक रूप से कल्याण हो। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें भी हमें अधिक सफलता प्राप्त हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जो यह नेशनल रिआर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो इसके लिये यहां पर बहुत सी चीजें विवेचना के लिये हो जाती हैं और उस विवेचना करने के बाद एक सिद्धान्त जो कमीशन का आधा है और उसने उसमें जो बात कही है, मैं उनको आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं —

"1. Geographical contiguity, and absence of pockets and corridors.
2. Financial self-sufficiency.
3. Administrative convenience.
4. Capacity for future development ; and
5. a large measure of agreement within its borders and amongst the people speaking the same language in regard to its formation, care being taken that the new province should not be forced by a majority upon a substantial minority of people speaking the same language."

तो ये थोड़े से सिद्धान्त कमीशन के द्वारा बताये गये हैं या निर्णीत किये गये हैं जिनके अनुसार फैसला होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जिन सिद्धान्तों का ख्याल रखना चाहिये, उनके साथ-साथ एक सिद्धान्त यहां पर यह भी बतलाया गया है जिसको ख्याल में रखना जरूरी है और इन सिद्धान्तों के ख्याल पर जो कि उसने कहे गये हैं, एक सिद्धान्त स्माल वर्सेज बिगर स्टेट्स के सम्बन्ध में भी है और उसके लिये जो चैप्टर है, उसमें कमीशन ने बतलाया है कि किस तरह से छोटे यूनिट की चेष्टा करना आजकल के युग में वांछनीय नहीं है। आज इस साइन्टिफिक युग में इस प्रश्न को लिये बिना ही कोई बात निर्णय कर देना बड़ा गलत होगा। यह बतलाया गया है कि जो छोटी स्टेट्स हैं उनसे अगर यह ख्याल किया जाय कि उनके छोटे होने की वजह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई लिवलीनेस आती है या ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कोई ज्यादा अच्छी एफीशेंसी आती है तो यह बात बहुत गलत है। उन्होंने यहां तक कहा है कि—

"With the expansion of the requirements of organized social communities modern States inevitably tend to grow bigger and it is difficult to reverse the process."

उसके बाद वह कहते हैं—

"In the existing conditions in this country as determined by territory and population, the ideal of self government for very small units can, therefore, possibly be realized only at the level of local institutions.

In actual practice, some of the larger States in India have proved to be the best administered. In fact efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit."

मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि उन्होंने यहां पर दलील देकर साबित किया है, उनका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। इन उद्देश्यों को तय करने के उसूलों और उन बातों को जिन को ख्याल में नहीं रखना है, इन सब को अपने सामने जब हम रख लेते हैं तो फिर हमारे लिए यह स्वाभाविक होता है कि किसी भी मसले को हम तय करें तो हमारा तरीका यह होना चाहिए कि इस काम को करने से हमारा यह उसूल सिद्ध होगा, सियासी तरीके से हमारा यह उसूल सिद्ध होगा। मुझे आपसे निवेदन करना पड़ता है कि माननीय पणिक्कर हमारे देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि उनकी विद्वता उनके बड़प्पन में किसी को भी शुबहा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करूं कि कोई भी शख्स उनके इस नोट को पढ़ ले, वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि किसी चीज का निर्णय करने का जो तरीका होना चाहिए वह तरीका उन्होंने एकदम नजरन्दाज किया है बजाय इसके कि वह यह कहते कि यू० पी० के विभाजन कर देने से हमारा जो स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, देश को एक इकाई में रखने का, दूसरी बातों का जिनका हमने पहले फैसला किया है वह इस-इस तरह से पूरी होंगी तो एक दलील भी ऐसी उसके अन्दर आपको नहीं मिलेगी। बल्कि एक नई बात उन्होंने निकाल दी, जिसका कोई जिक्र शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट में नहीं है और वह यह है कि देश के अन्दर यू० पी० का प्रभाव है और यह प्रभाव ठीक नहीं है, उसका कम होना बहुत जरूरी है। किसी प्रान्त का प्रभुत्व है या नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने यू० पी० के विभाजन के फैसले को आधारित कर दिया है। आगे चल कर उन्होंने कहा है कि यह बात मानी हुई है कि यू० पी० का प्रभाव हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि इस प्रभाव को किस प्रकार से दूर किया जाय। उन्होंने कहा कि इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जिस तरीके से अमरीका, रशिया के अन्दर वहां के सिस्टम आफ गवर्नमेंट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर स्टेट्स का रिप्रेजेन्टेशन बराबर हैं, बगैर इस बात का ख्याल किये हुये कि इकाई छोटी है या बड़ी, उन्होंने सबको बराबर रिप्रेजेन्टेशन दिया है, या उनको वेटेज मिला हुआ है वैसा ही किया जाय। मगर उन्होंने दलील दी है कि हिन्दुस्तान का संविधान अभी बना है इसलिए हमारे लिये यह करना मुमकिन नहीं है। फिर वह कहते हैं कि इसका दूसरा उपाय टुकड़े किए जाना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि माननीय पणिक्कर का यह दलील देने का तरीका कहां तक ठीक है।

पहली बात तो यह है कि हमें यह सोचना है कि क्या दरअसल यू० पी० का प्रभाव इस प्रकार का है जिस प्रकार का कहा गया है और क्या प्रभाव इसलिये है कि पालियामेंट के ४९९ सदस्यों में ८६ सदस्य यू० पी० के हैं। अब पहली बात तो यह है कि आया य० पी० का प्रभाव है भी, तो इसमें शक मालूम होता है। हम लोग तो मजाकिया तौर पर यह सुनते आये हैं कि केन्द्र में या तो मद्रासी या चपरासी का ही जोर है, लेकिन फर्ज कीजिये, है भी तो क्या यह प्रभाव इसलिये है कि वहां पर जवाहर लाल जी हैं या पन्त जी हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि अब इस जमाने में यह कहा जा सकता है कि नेहरू जी इलाहाबाद के हैं या पन्त जी यू० पी० के हैं। अगर नेहरू जी इलाहाबाद के होते तो बंगलौर की सड़कें फूलों से न बिछ जातीं। क्यों पन्त जी की आज इज्जत देश के दूसरे भागों में है। यह कहना कि नेहरू जी इलाहाबाद के हैं या पन्त जी यू० पी० के हैं, यह चन्द पढ़े-लिखे दिमागों की बात है जो इस तरह से सोचते हैं। हमको यह मंजूर करना पड़ेगा कि पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर ही ऐसी बातें जड़ पकड़ा करती हैं। फर्ज कर लिया जाय कि यू० पी० का प्रभाव है तो क्या पणिक्कर जी ने कोई तजवीज पेश की है जिसके जरिये से यह प्रभाव दूर किया जा सकता है। यह प्रभाव दूर नहीं हो सकता है। मैं ताज्जुब करता हूं कि पणिक्कर जी ने यह कैसे कहा कि यू० पी० बिगेस्ट यूनिट होने के कारण ही अपना प्रभाव रखता है। इस तरह से कह कर

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

के पणिक्कर साहब ने अपने लफ्जों से ही अपनी बातों को काट दिया है और बुरी तरह से काट दिया है। मैं उनके इन लफ्जों को पढ़े देता हूं--

"In fact even after a partition of the kind suggested below Uttar Pradesh will still have a population of over 40 millions and will continue to be the biggest unit in India."

मैं पूछता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश आज सब से बड़ा यूनिट है तो क्या इसी कारण आप कहते हैं कि उसके प्रतिनिधि ज्यादा है और इसीलिये, उसका प्रभाव है? यदि ऐसा है तो आपको तजवीज के बाद भी यू० पी० सब से बड़ा यूनिट बना रहता है। क्या आपने उस मर्ज का इलाज किया जिस मर्ज को आप बताते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पणिक्कर जैसी हस्ती किस तरह से ऐसी बात कहती है। फिर अगर इस तरह से हम इस प्रभाव को दूर करेंगे तो मैं कहूंगा कि करते जाइये विभाजन। देश के सारे यूनिट्स तो एक तरह के नहीं हो सकते हैं। कोई यूनिट तो बड़ा रहेगा ही। किसी यूनिट के तो ज्यादा रिप्रेजेन्टेटिव्स रहेंगे ही। इसको आप कब तक काटेंगे। यह बतलाने के बाद पणिक्कर साहब ने यह नहीं बतलाया कि विभाजन से यह फायदा होगा। उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने दूसरा तरीका अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जो लोग यू० पी० का विभाजन नहीं करना चाहते हैं वह यह दलील देते हैं कि वह यों गलत है, यों गलत हैं। तीन चार चीजें उन्होंने रखी हैं और कहा कि यों गलत हैं।

पहिली दलील तो वही है जो उन्होंने प्रभाव वाली बात कही है। मैं उसके बाबत ज्यादा कहना नहीं चाहता। दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कि जो विभाजन की मुखालिफत करते हैं कि उत्तर प्रदेश इज ए होमियोजीनियस ऐंड इंटीग्रेट स्टेट है, तो उनका कहना यह है कि सन् १७७५ से यह प्रांत बनना शुरू हुआ और छोटी-छोटी स्टेट्स मिलाकर यह प्रदेश बना तब वह कैसे होम्योजीनियस और एक हो सकता है। मैं कहता हूं कि यह कोई तरीका नहीं है किसी चीज की एकता को खंडन करने का। अगर उनको कुछ फर्क मालूम होता है तो उनको कहना चाहिये था कि फलां खंड उस खंड से अलग मालूम होता है। यह एक से नहीं है। आज तो हमको यह देखना है कि दरअसल उसमें होम्योजिनियटी है कि नहीं। कोई दलील नहीं है जिसकी बिना पर वह यह कह सकें कि इसमें होम्योजिनियटी नहीं है। उन्होंने इसके लिये एक भी दलील नहीं दी है। आप कल्चरल या लैंग्वेज की बिना पर ही तो कह सकते हैं कि उसमें होम्योजिनियटी नहीं है। उसके लिये आपको बतलाना चाहिये। फिर अगर दलील दी तो यह कहते हैं कि कुमायूं और बुन्देलखंड में कोई होम्योजिनियटी नहीं है। जब उन्होंने यह दलील दी है तो गोरखपुर और गढ़वाल को क्यों एक साथ रक्खा है। अगर उनमें होम्योजिनियटी हो सकती है तो औरों में क्यों नहीं हो सकती है। आगे चलकर उन्होंने कहा है कि मेरठ का खादर भी अलहदा है। तो अगर इस तरह से आप चलायेंगे तो कहां तक चलायेंगे। मेरठ के मुकाबिले में गढ़वाल भी अलग है। मैं तो कहता हूं कि मेरठ के मुकाबिले में आगरा और मथुरा भी अलहदा है, मेरठ और बुलन्दशहर का इलाका बड़ा सरसब्ज और खुशहाल है। लेकिन आगरा और मथुरा का इलाका बहुत ही सूखा हुआ है। कोई आर्गूमेंट इसके लिये नहीं रह गया है कि क्यों इसका डिवीजन किया जाय। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि उत्तर प्रदेश की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एकनामी भी बहुत खराब है। क्या यह विभाजन से मिट जायेगी? वह तो विभाजन से बढ़ेगी। इस तरह से उन्होंने तीन आर्गूमेंट्स दिये हैं जिनकी वजह से उनकी राय है कि इसका विभाजन होना चाहिये। वह तीनों ही आर्गूमेंट्स गलत हैं। आप किसी चीज को गलत साबित कर सकते हैं लेकिन उसके लिये आपको सबूत देना पड़ेगा कि जो आप सबूत दे रहे हैं उससे वह गल्ती मिट जायगी। उससे वह ठीक हो जायगा। मुझे तो पणिक्कर साहब की दलील से ऐसा लगा जैसे कोई वकील किसी केस को यह समझते हुये भी ले लेता है कि यह केस गलत है और फिर उस केस को सच साबित करने के लिये आर्गूमेंट्स तैयार करता है। वह जानता है कि यह गलत है फिर भी उसको सच साबित करने की कोशिश करता है और यह

सोचता है कि मैं कैसे अपने मुअक्किल को जितवा दूं। वही काम पणिक्कर साहब ने किया है। उन्होंने दूसरे तरीके से एक तजवीज पेश की और जो उसके खिलाफ कहता है उसको वह गलत कहते हैं। मैं एक बुनियादी बात इस सिलसिले में कहना चाहता हूं और वह यह कि पणिक्कर साहब ने जिस तजवीज का आधार यह बताया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर यू० पी० का प्रभाव बहुत ज्यादा है उसको लेकर उन्होंने सारी बात यहां पर रखी। उस संबंध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो पहले परिवर्तन का सुझाव दिया वह क्या यू० पी० के विभाजन से ज्यादा बड़ा है, उसको कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बात कही जाय तो बेजा न होगा। वह यह कि जो मनोवृत्ति है कि किसी प्रांत के किसी क्षेत्र का प्रभुत्व न बढ़े यह गलत है, अगर उसको दूर करने की आवश्यकता है तो उसका तरीका यह नहीं है कि हम अपने प्रांत को बांटे बल्कि यह है कि हम कोशिश करें इस बात की कि हमारा जो विचार करने का तरीका है वह बुनियादी तौर पर बदला जाय। इस तरह के विचार करने का तरीका अपने आप यह बतलाता है कि दिमाग में कहीं बीमारी है और उसको जल्दी से दूर करना है। मैं तो समझता हूं कि यह बात हिन्दुस्तान के अन्दर मौजूद नहीं है कि हर हिन्दुस्तानी अपने को हिन्दुस्तानी पहले समझता है और आखिर में भी हिन्दुस्तानी समझता है। जरूरत है इस बात की कि हम भविष्य की कल्पना करें जिससे हम अब हिन्दुस्तानी अपने को समझ सकें। हम अपने को यू० पी०, बंगाली और मद्रासी न समझ सकें। इस भविष्य की कल्पना पणिक्कर साहब नहीं करते हैं। मैं तो समझता हूं कि भविष्य में यह होन जा रहा है कि हर हिन्दुस्तानी अपने को हिन्दुस्तानी समझेगा और प्रदेशीय स्तर पर विचार करना छोड़ देगा। जब तक ऐसा नहीं करेगा देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ख्याल करने की बात है कि आज हिन्दी-रूसी भाई-भाई का नारा लग रहा है। हम विदेश वासियों के प्रांगण में विश्व प्रेम के लिये आज देश की बाउन्ड्री तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं और विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। वहां पर हम इस बात को सोचकर कि आज हमारे देश के अन्दर इस बात की शिकायत है कि यू०पी० का प्रभुत्व बढ़ रहा है और इस बात को सोचकर के हम विभाजन की बात सोचें तो मैं कहता हूं कि अगर प्रभुत्व बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है। हम इस बात को समझें कि दिमाग के अन्दर कोई बीमारी है। उसको दूर करना चाहिये। यह मेरा विनम्र निवेदन रहा पणिक्कर साहब की तजवीज के बारे में।

दूसरे लोगों की जो तजवीज है वह दिल्ली, आगरा और मौरेना की तजवीज के नाम से है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे नजदीक आगरे में बहुत से लोग रहते हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी बातों को स्थानीय अखबारों में पढ़ता रहता हूं। मैंने उसका जो सार है लेने की कोशिश की। एक दलील यह दी जाती है कि पश्चिमी जिलों में डेवलपमेंट के अन्दर रुकावट हो रही है, मुझे ज्यादा उचित न होगा कि मैं आंकड़े पेश करूं, इस बात के कि यह बात नितान्त गलत है। माननीय नेता सदन ने आज भी और पहले भी इस बात को कहा है कि पश्चिमी जिलों में डेवलपमेंट के लिये किस तरह कार्यवाही की जा रही है। मैं कहता हूं कि अगर इस बुनियाद पर विभाजन करें तो एक-एक जिले की तहसील को बांटना पड़ेगा। कहीं कम्युनिटी प्रोजेक्ट बन रहे हैं कहीं एन० ई० एस० ब्लाक्स बन रहे हैं। चूंकि वहां यह हो रहा है, हमारे यहां भी यह होना चाहिये, यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये।

यहां पर कहा गया है कि मेरठ और आगरे को मिलाकर एक प्राविन्स बना दिया जाय। मेरठ और आगरे का कोई मुकाबिला नहीं है। मेरठ के अन्दर जिस कदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं आगरे के अन्दर उसके आधे भी नहीं हैं। हमें इस मनोवृत्ति को बदलना है कि जो काम दूसरी जगह हो रहा है वह हमारे यहां भी उसी समय होना चाहिये। हमको एक दूसरे को अपना समझना चाहिये। दूसरे के भले में अपना भला समझना चाहिये। कुछ समय के लिये किसी जगह कोई चीज ज्यादा कर दी गई तो क्या हमें उसके लिये रंज होना चाहिये? उसके लिये शिकायत होनी चाहिये? यह बात गलत है। अगर इस बुनियाद पर देश के टुकड़े करने लगें तो उसका नतीजा खराब होगा। हमारी सख्शियत नहीं बन सकती है अगर आज हम इस तरह की मनोवृत्ति रखते हैं। यू० पी० के दो हिस्से कर दीजिये। अगर यही मनोवृत्ति रही तो यू० पी० के दो नहीं कई हिस्से करने पड़ेंगे। विचार करने के तरीके को बदलो, हिन्दुस्तान को एक समझो,

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
जो सलिशयत की बात दुनिया के दूसरे हिस्से के लोगों के लिये कह रहा है वही यू० पी० का विभाजन करने जा रहा है। हमें इसको देख कर दुख होता है। अगर गोविन्द सहाय जी के हृदय से बात निकलती है तो हमारे हृदय से भी निकलती है। यू० पी० के विभाजन से बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस मनोवृत्ति से नुकसान होने जा रहा है। इससे उसी तरह नुकसान होगा जिस तरह पाकिस्तान की मनोवृत्ति के कारण नुकसान हुआ। आज वह बात इसलिये हो गई कि कुछ बेसमझ वालों की तादाद ज्यादा हो गई थी और उनका आन्दोलन न दबाया जा सका जिसकी वजह से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आज दोनों खुशहाल नहीं हैं। आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिये इतिहास में उन्होंने अपने नाम को कलंकित कर लिया है। मैं कहता हूं कि आज यू० पी० का विभाजन भी अगर उसी तरह से होता है तो आने वाली सन्तानों के सामने आप अपना नाम कलंकित करके छोड़ जायेंगे। अगर कोई दूसरी दलील होती और कहीं इसके खिलाफ कोई राय होती तो भी हमें उसका विरोध करना चाहिये था इसलिए मैं यह बातें कहने पर मजबूर हुआ।

एक बात लैंग्वेज और कल्चर की कही गई है जिस की वजह से यू० पी० के अन्दर दो हिस्से करना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर दूसरा हिस्सा भी अलग हो जाय तो क्या आप समझते हैं कि उस दूसरे हिस्से के अन्दर भी लैंग्वेज और कल्चर एक ही होगी। अंग्रेजी को ही लीजिये। वह एक हिस्से में एक तरह से बोली जाती है और दूसरे हिस्से में दूसरी प्रकार से लोग बोलते हैं। मेरठ और आगरा कमिश्नरियों को एक में मिलाने का प्रयत्न यहां पर है। हमारा जिला आगरा के अन्दर आता है। हमारा कल्चर जो रहा है मैं कहता हूं कि बृज और आगरा या मेरठ का कल्चर बिल्कुल सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है कि उनका कल्चर अलग-अलग नहीं है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी की बात कही गई है तो मैं कहता हूं कि इसका सम्बन्ध जहां तक हमारे प्रान्त से है तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी काफी अच्छी है। अगर सब से अच्छी नहीं है तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है और फिर इसकी भी कोई गारन्टी नहीं मालूम होती है कि विभाजन के बाद आज के मुकाबिले में ज्यादा अच्छी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी उस नये प्रान्त की हो सकती है। आज क्या हम इंकार कर सकते हैं कि हर शख्स की सारी जरूरतें उसके लिये जिले से पूरी होती हैं। आप देहात के आदमियों को ले लीजिये। उसे यह नहीं मालूम कि लखनऊ में कौन बैठा है और इलाहाबाद में कौन बैठता है लेकिन उसकी सारी जरूरतें जिले में ही पूरी हो जाती हैं। अगला हमारा जो सेट अप है उसकी मंशा यह है कि हर आदमी की ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा किया जाय वहीं पर जहां पर वह रह रहा है। यहां मेरी मंशा देहात से है। तो फिर आप देखें कि लखनऊ कुछ दूर है इसका सवाल कहाँ पैदा होता है। फिर क्या आप यह कह सकेंगे कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी की बात करते हैं कि राजधानी दूर है तो उसका सवाल ही कहां रह जाता है। हां हाई कोर्ट इलाहाबाद में दूर पड़ता है। अगर यह दिक्कत है तो इसके लिये एक बेंच बना कर काम चल सकता है, केवल इतनी चीज के लिए बटवारे का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। यह कोई बहुत बड़ी दलील नहीं है जिसकी वजह से यू० पी० का बटवारा होना चाहिये। थोड़ी सी बात मैं और कह कर बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा समय हो चुका है। अगर इस मांग के अन्दर कोई बुनियादी बात भी पहले थी, जब पहले उठाई गई थी, तो वह भी आज खत्म हो चुकी है। पहले दलील दिल्ली, हरियाना और आगरा के हिस्सों को एक में मिलाने की थी, हरियाना का कुछ हिस्सा और दिल्ली और आगरा का कुछ हिस्सा है तो कौन सी चीज इनके अन्दर लाभ की है, वह बतला दी जाय। गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जो सिखों का आन्दोलन है वह खत्म हो जायेगा और जो दिल्ली तथा पंजाब की मांग है वह भी खत्म हो जायेगी और

जो यह एक अड़ पकड़ चुका है वह भी खत्म हो जायेगा। मैं बड़ी नम्रता के साथ गोविन्द सहाय जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह इस चीज को मंजूर करते हैं तो ठीक उसी तरह की नींव पड़ जायेगी सिखों के आन्दोलन की जिस तरह से पाकिस्तान की नींव पड़ी थी। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि कोई भी गलत चीज हैं और थोड़ी सी ताकत है तो उसको मनवा लिया जा सकता है। एक गलती हमसे हुई जब पाकिस्तान मंजूर किया और दूसरी गलती अब होगी यदि हम बटवारे की बातें करते हैं। हां, कभी-कभी यह बात सुनने में आती है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आन्दोलन किया जायेगा। मैं मानता हूं कि वह आन्दोलन कर सकते हैं और सरकार भी मंजूर कर सकती है कि यू० पी० के दो हिस्से कर दिये जायं तो इस तरह से उन्हें कामयाबी मिल सकती है, जैसी कि ८ वर्ष पहले जिन्ना को मिली थी। लेकिन इससे वह फल नहीं होगा जिसको वह चाहते हैं। यह कहना कि दिल्ली में इसलिये जाना चाहते हैं कि वहां के लोगों से हमारी कल्चरल एफेनिटी ज्यादा है तो यह बात भी नहीं है। मैं दिल्ली से ज्यादा नजदीक रहता हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि कल्चरल बातों में हम उनसे ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत इधर के इलाकों से। मैं इस मांग का समर्थन करने में लाचार हूं। जो यह कहा जाता है कि यह पापुलर मांग है तो मैं मथुरा में रहता हूं और हमारे यहां एक दम से कोई ऐसी आवाज नहीं है। गोविन्द सहाय जी ने दावत दी है कि मेरे साथ चलिये, मैं उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं। वहां पर इस तरह की कोई मांग नहीं है और अगर है तो वह उन पर इम्पोज की जा रही है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव पर आता हूं। मैंने कुछ जिले यू० पी० में मिलाने की तजवीज की है। मेरा कहना यह है कि विन्ध्य प्रदेश के ८ जिले और ग्वालियर के ४ जिले यू० पी० में मिला दिये जायं। ग्वालियर के इन ४ जिलों के बारे में पणिक्कर साहब ने रिपोर्ट के पृष्ठ २५१ में खुद कहा है कि इन जिलों को यू० पी० में मिला दिया जाय। एक दलील उनके पास है और मैं उनकी दलील का कायल हूं इसलिये यह कहता हूं। जो ८ जिले विन्ध्य प्रदेश के बारे में मैंने कहा है तो इनके साथ हमारी सांस्कृतिक और भाषा की एकता है। साथ ही वे हमारे साथ मिलने में खुश भी हैं और इसका इजहार भी किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में बहुत से खनिज पदार्थ भी हैं। हमारे प्रदेश की सवा छः करोड़ जनता बहुत गरीब है और हमारे यहां कोई हैवी इन्डस्ट्रीज नहीं लग पा रही है। गोविन्द सहाय जी ने खुद कहा है कि यू० पी० की तरक्की का रास्ता खत्म हो गया है। अगर यह इलाका हमें मिल जायेगा तो हमारी तरक्की हो जायेगी और उनको भी एक जरिया अपनी बहबूदी का मिल जायेगा तथा हैवी इन्डस्ट्रीज की वजह से हमारी भी तरक्की होगी। एक बात यह है कि बहुत सी नदियां जो इन जिलों से निकलती हैं और हमारे प्रदेश के अन्दर से बहती हैं तो बहुत से रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स वहां पर कायम किये जा रहे हैं। इस तरह से हमारा और उनका भी फायदा होगा। अगर यह ख्याल करके कि इससे यू० पी० का साइज बड़ा हो जायेगा, और स्थानों को न मिलाया जाय तो यह बात नहीं है। दोनों जगहों की पापुलेशन को मिला करके हमारे प्रदेश की पापुलेशन करीब सात करोड़ के हो जायेगी। साथ ही साथ इन जिलों के अन्दर घनी बस्तियां नहीं हैं और हमारा यू० पी० बहुत ही घना बसा हुआ है, हमारी कुछ पापुलेशन उधर चली जायेगी, तो इस तरह से जो पापुलेशन की डेन्सिटी है, वह भी ठीक हो जायेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं और मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों को इस प्रश्न के ऊपर बहुत गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये, केवल जोश-खरोश की दलील करने से यह प्रश्न हल नहीं होने वाला है। हमें इसको पूरी तरह से सोचना है कि हम भविष्य में भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे कि एक ऐसी गलती हो जाय जिसके लिये हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब नायब सदर साहब, मैं यह तरमीम पेश करता हूं कि मूल प्रस्ताव में से शब्द 'सामान्यतया' हटा दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द 'पूर्णतया' रख दिया जाय।

जनाब, यह तरमीम जो कि मैंने पेश की वह इसलिये की कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रस्ताव था, वह तो बहुत साफ था लेकिन कुछ बातें और तरमीमों में आ गयीं, जैसे कहीं विन्ध्य प्रदेश मिला दिया जाय कहीं दिल्ली का सूबा मिला दिया जाय और कहीं पर यह है कि धौलपुर मिला दिया जाय तो मेरा ख्याल यह है कि यह सूबा जिस हालत में है, उसी हालत में रहने दिया जाय, न उसमें से घटाया जाय और न उसमें कुछ बढ़ाया ही जाय। बाकी जो आधा चौथाई जिला जरूरी है ऐडजस्टमेंट के लिये वह तो जैसा कि मूल प्रस्ताव में है, होगा ही।

मेरे दोस्त ने अभी दलील दी कि यह मसला अभी न उठाया जाता तो कहीं बेहतर होता। मैं समझता हूं कि जो चीज उठानी है, उसको उठना ही चाहिये। यह जो ख्याल जाहिर किया गया कि जो हमारे अतिथि आये हुये हैं उनके सामने यह तमाम बहसें हो रही हैं, हमारे अतिथि तो सब कुछ जानते हैं और जो हालत है उसको अगर जान लेंगे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। इसलिये मैं तो समझता हूं कि यह मौजूं मसला, मौजूं वक्त पर आया है और इस मसले को हमें हल करना है।

जो ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक, पूर्वी जिलों को सहायता न मिलने के मुताल्लिक, तालीम के मुताल्लिक और कल्चर के मुताल्लिक कई बातें कही गयी हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं उन सब की ताईद करता हूं लेकिन अगर यह कहा जाय कि हमारा कल्चर नहीं मिलता है इनसे या उनसे, तो मैं कहता हूं कि हमारा कल्चर सारे देश से मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है। इसलिए यह ख्याल गलत है कि हमारा कल्चर पूर्वी जिलों का और पश्चिमी जिलों का नहीं मिलता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे यहां गोश्तखोर और सब्जीखोर सदियों से ही एक साथ रह रहे हैं और उनके कल्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि हम इस प्रकार के ख्याल पैदा करें। मेरे ख्याल से यह इस बात की सबसे बड़ी दलील यह है कि हम लोग सदियों से एक साथ ही रहते आये हैं और इसलिए हमारे सूबे का कोई भी हिस्सा अलग नहीं होना चाहिये। जो लोग एक साथ मिल करके रहना चाहें, उनको अलग करने की बात कहना किसी के भी अधिकार की चीज नहीं होनी चाहिये।

अगर आप बम्बई में जायें तो वहां के लोग यू० पी० के रहने वालों को हिन्दुस्तानी कहेंगे, बंगाल में जाइये तो वहां के रहने वाले यू० पी० के रहने वालों को हिन्दुस्तानी कहेंगे, इसी तरह से पंजाब और मद्रास को देखें तो वहां के लोग भी यही बात कहते हैं। इस बात से यही पता चलता है कि अगर सारे भारत में कोई प्रदेश ऐसा है जो सही माने में भारत कहलाता है तो वह हमारा प्रदेश ही है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश की खास खुसूसियत यह भी है कि हमारे यहां राम, कृष्ण और बुद्ध ऐसे महापुरुष पैदा हुये हैं जिन्होंने इस देश को ही नहीं बल्कि विदेशों को भी प्रेम, सेवा और समान्यता का सिद्धांत सिखाया है और मिलजुल कर रहना सिखाया है। फिर हम कैसे अयोध्या को इस प्रदेश से अलग कर सकते हैं। अगर हम अयोध्या को इस प्रदेश से अलग करते हैं तो हम राम के आदर्शों को इस प्रदेश से अलग करते हैं, अगर मथुरा को अलग करने की बात को सोचते हैं तो कृष्ण के धर्म प्रेम को इस प्रदेश से अलग करते हैं और अगर गोरखपुर को अलग करते हैं तो समानता के सिद्धांत को देश से अलग करते हैं। इस प्रदेश को विभाजित करने की बात मैं समझता हूं कि किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिये। इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दलीलें श्री गोविन्द सहाय जी ने दी हैं वह ठीक नहीं हैं और उस में कोई तथ्य नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को पेश करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं——

मूल प्रस्ताव में "और इस बात" से लेकर "वर्तमान रूप में बने रहने चाहिये" तक सब शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——

"यह सदन राज्य की भाषा तथा सामाजिक और संस्कृति के आधार पर विन्ध्य प्रदेश तथा राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिपारिशों के आधार पर देहली राज्य के भंग होने पर देहली के आस-पास के समस्त गांव उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाने की मांग करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी जिले का रहने वाला हूं। जिस समय गोविन्द सहाय जी भाषण दे रहे थे तो उसे सुन कर वास्तव में मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गलतफहमी पर श्री गोविन्द सहाय जी का भाषण मुबनी है उसी गलतफहमी पर श्री पणिक्कर जी ने अपना नोट दिया है। मुझे वास्तव में यह कहते हुये बड़ा दुख होता है कि सरदार पणिक्कर साहब का नोट बहुत कुछ हद तक गलतफहमी पर मुनहसिर है और उनके नोट में सेल्फ कांट्रेडिक्टरी बातें कदम-कदम पर पाई जाती हैं। एक ओर तो वह स्वयं ही इस बात को दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश का एरिया, उत्तर प्रदेश का रकबा बहुत बड़ा है और इसीलिये उस रकबे को छोटा होना चाहिये और दूसरी ओर उनकी भी यह राय है और उनका भी यह प्रपोजल है कि मेरठ डिवीजन से लेकर झांसी डिवीजन तक मिला दिया जाय। आप अन्दाजा लगाइये कि यह कितना सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी नोट है कि एक व्यक्ति जैसा कि वह आपको बतलाते हैं कि इस तरह से बड़ी असुविधा है कि एक मेरठ का आदमी इलाहाबाद तक आता है, उसे असुविधा है, मगर एक मेरठ का आदमी झांसी चला जाय या हमीरपुर और बांदा तक चला जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह से जहां तक दूरी का संबंध है, उस असुविधा में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सरदार पणिक्कर तथा दूसरे मेम्बरों की यूनानिमस राय से मध्य प्रदेश बनाया गया जो कि मौजूदा उत्तर प्रदेश के एरिया से कहीं अधिक है। सरदार पणिक्कर की राय तथा दूसरे कमीशन के मेम्बरों की यूनानिमस राय से राजस्थान बनाया गया जिसका एरिया उत्तर प्रदेश के एरिया से कहीं अधिक है। फिर एरिया के आधार पर किसी स्टेट या राज्य का विभाजन करना मैं समझता हूं कि किसी सिद्धांत पर भी यह ठीक नहीं है। जहां तक दूसरी बात का संबंध है वह है आबादी के बिना पर और सरदार पणिक्कर साहब ने अपने नोट में इस बात का जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, किन्तु इसके साथ ही साथ कमीशन के दूसरे माननीय मेम्बरों ने उनकी बात का जवाब भी दिया है और कहा है कि मान लीजिये अगर आज पाकिस्तान न बना होता और पाकिस्तान न बनाने पर आज यूनाइटेड बंगाल होता, तो इस तरह से इस यूनाइटेड बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से अधिक होती तो उसके लिये फिर क्या यह सवाल हो सकता था कि बंगाल का भी डिवीजन किया जाय तो यह बात नहीं हो सकती थी। इस आधार पर किसी स्टेट को डिवाइड करना कि उसका रकबा या आबादी ज्यादा है, मैं समझता हूं कि यह कोई सैद्धांतिक बटवारा नहीं है। खुद कमीशन ने यह माना है कि जो भी स्टेट्स बनाये जायें वे बड़े काशेशली बनाये जायं और किसी बुनियादी सिद्धान्त पर और उन्होंने उसके लिये कुछ सिद्धांन्त भी रखे हैं। सबसे पहला उनका सिद्धान्त भाषा के सम्बन्ध में है। भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है वह किसी जमाने में कांग्रेस की भी यही राय थी और वर्किंग कमेटी में कुछ साल पहले जो भाषा के आधार पर सिद्धान्त निश्चय हुआ था उसका हवाला भी दिया था कि भाषा के अनु-सार ही स्टेट्स बननी चाहिये। कमीशन ने भी भाषा को महत्व पूर्ण आधार माना है, जिस आधार पर कि स्टेट्स बननी चाहिये और मैं समझता हूं कि यदि किसी स्टेट के अन्दर ऐसी भाषा है कि एक हिस्से वाले लोग दूसरे हिस्से वाले लोगों की बात को समझ सकें, फिर उसमें आबादी की कोई बात नहीं है, तो यहां पर इस बात का भी मसला नहीं है कि भाषा के आधार पर इसको विभाजित किया जाय। उत्तर प्रदेश में मेरठ का आदमी बलिया की

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

बात समझ सकता है और झांसी का आदमी रुहेलखंड की बात समझ सकता है और भी उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहां आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाये और वहां की भाषा न समझ सके। हां, अगर मद्रास का आदमी उत्तर प्रदेश में आये तो वह यहां की भाषा नहीं समझ सकता या उत्तर प्रदेश का आदमी मद्रास जाये, तो वहां की भाषा नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से अमृतसर का आदमी उत्तर प्रदेश की भाषा और उत्तर प्रदेश का आदमी पंजाब की भाषा नहीं समझ सकता है। जहां तक भाषा का संबंध है जिसको कमीशन ने सबसे बड़ा आधार माना है, वह सिद्धांत उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता और स्वयं पणिक्कर साहब ने माना है कि भाषा का आधार सबसे बड़ा होना चाहिये। मगर यह यहां लागू नहीं होता इसलिये कि सारे उत्तर प्रदेश की भाषा एक दूसरे की समझ में आ जाती है। जहां तक फर्क की बात है, फर्क तो डिवीजनों में भी होता है। मुरादाबाद की भाषा शाहजहांपुर की भाषा से कुछ भिन्न है। आगरे की भाषा मथुरा की भाषा से कुछ भिन्न है। यह छोटी-छोटी भिन्नतायें डिवीजन का कारण नहीं होनी चाहिये। इसके बाद दूसरा सिद्धांत कमीशन ने बनाया है फाइनेन्शल इस्टैबिलिटी। अगर आर्थिक ढांचे को देखा जाय तो मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का है कि इसके अन्दर कोई इस बात की गुंजाइश नहीं है कि यहां कभी कोई आर्थिक संकट आ जाय। किन्तु आज अगर पूरब-पश्चिम को अलग कर दिया जाता है जैसा कि पणिक्कर साहब ने माना है, तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स सरप्लस हो जायेंगे और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस डेफिसिट रह जायेंगे। डिवीजन से हमारी फाइनेन्शल इस्टेबिलिटी भी कायम नहीं रहती। तीसरा सिद्धांत जो कमीशन ने माना है, वह है ज्योग्रैफिकल कंटीन्यूटी। जिस प्रकार सरदार पणिक्कर साहब ने डिवीजन किया है उससे वह भी कायम नहीं रहती। अगर मुरादाबाद से आप जालौन जायें, झांसी जायें, बांदा जायें, हमीरपुर जायें तो जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्स का एरिया है उसमें से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि सरदार पणिक्कर के नोट से ऐसी साबित होती हो जिसके आधार पर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस का बंटवारा जायज कहा जा सकता हो।

दो बातें उठाई गई हैं। एक तो यह कि इतना बड़ा एरिया और इतनी ज्यादा पापुलेशन जहां पर हो वहां पर लैक आफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशेंसी का अन्देशा रहता है। दूसरा अन्देशा यह बताया जाता है कि भारतवर्ष की सियासत को उत्तर प्रदेश डामिनेट करेगा। जहां तक पापुलेशन और डामिनेशन का संबंध है जैसा कि कमीशन ने स्वयं कहा कि यह आज की दुनिया में पापुलेशन से डामिनेशन नहीं होता। आज तो पार्टी गवर्नमेंट का जमाना है। जिसकी पार्टी ज्यादा बड़ी हो, जिसकी पार्टी मेजारिटी में हो वह डामिनेट करता है। जिस देश के अन्दर पार्टी गवर्नमेंट हो, जिस देश के अन्दर डेमोक्रेटिक ढांचा हो, वहां पर इस प्रकार का खौफ कि स्टेट के अन्दर ज्यादा पापुलेशन है लिहाजा वह स्टेट इन्फ्ल्यूयेंस करेगी उस स्टेट का डामिनेशन रहेगा, मैं समझता हूं कि यह भय सर्वथा निराधार है। इसी प्रकार जहां तक एफीशेंसी का संबंध है यह जरूरी नहीं है कि कम आबादी वाली स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो। खुद कमीशन ने इसकी इक्जाम्पुल दी है कि फलां देश में जहां आबादी तो कम है लेकिन उनकी एफिशेंसी ज्यादा नहीं है।

आप एक बड़ी मोटी मिसाल लीजिये हिन्दोस्तान और पाकिस्तान की। हिन्दोस्तान का एरिया पाकिस्तान के मुकाबिले में कहीं ज्यादा है। यहां की पापुलेशन भी वहां से बहुत ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान के अन्दर संविधान बनाना तो अलग रहा अभी वहां उसका ढांचा ही नहीं बना है। हिन्दोस्तान के अन्दर तो इसके बरअक्स संविधान भी बन गया और चुनाव भी हो गये। यह मिसाल देना कि बड़ा एरिया होने के कारण और पापुलेशन अधिक होने के कारण कोई एफीशियन्सी में फर्क आ जायगा वह बात निराधार है इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो यह पूरब और पच्छिम का सवाल उठाया गया है इसके अन्दर न वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का भला है और न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का भला है। इतिहास के बारे में श्री गोविंद सहाय जी ने कहा कि इतिहास के अन्दर पूरब और पश्चिम कभी एक नहीं रहे और सरदार पणिक्कर ने

जो इशारा किया है कि इनका इतिहास अलग-अलग है। किन्तु मेरा विचार है कि जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है राम कृष्ण की सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और बुद्ध स हजारों साल पहल की है और यह सभ्यता पूरब और पश्चिम में सदैव एक रही है। इसलिय कोई नुक्ता ऐसा नहीं मिलता है जो हमें इस नतीज पर पहुंचाये कि पूरब और पश्चिम अलाहदा कर दिये जायं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि ऐसे बहुत स इलाके हैं जहाँ वही भाषा मिलती है, वही भाषा बोली जाती है, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो उन्हें इस प्रदेश में मिला दिया जाय और श्री गोविंद सहाय जी ने भी कहा है कि बटवारे से सारे मसले हल हो जायेंगे, न विन्ध्य प्रदेश का सवाल रहेगा न अम्बाला का सवाल रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह रखना चाहता हूं कि इसका हल बंटवारा नहीं है। इसका हल यह है कि उन इलाकों को जिनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता आपकी जैसी है बजाय इसके कि आप उनको अलग निकाल दें आप इस बात की कोशिश क्यों नहीं करते कि वह आपके साथ मिल जायं। ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोगों क दिमाग में यह डर रहा है और इसी वजह से वह कमीशन के सामने इनसिस्ट नहीं कर सके कि वह स्थान और वह जिले जो विन्ध्य प्रदेश में शामिल हैं या वह इलाके जो देहली और मेरठ के बीच हैं वह उत्तर प्रदेश में आ जायं। तो इस तरह से देहली का मसला भी हल हो सकता है और विन्ध्य प्रदेश का भी मसला हल हो सकता है। जो भाषा झांसी की है, जालौन की है, वही विन्ध्य प्रदेश की है और जो भाषा मेरठ की है, वही भाषा दिल्ली और मेरठ के चारों ओर तक की है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि उत्तर प्रदेश जितना है उतना तो रहना ही चाहिये, उसके न रहने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ वह इलाके जो उत्तर प्रदेश में आज नहीं हैं और जिनकी भाषा, कल्चर, रहन-सहन और जिनके रस्म-रिवाज आज उत्तर प्रदेश के हैं और जो छोटे-छोटे टुकड़ों में शामिल हैं वह सबके सब उत्तर प्रदेश में मिलने चाहिये। कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली का राज्य समाप्त हो जाय, दिल्ली में कोई विधान सभा न रहे और जो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली है वह केन्द्रीय दिल्ली हो जायगी और इसके अलावा जो चारों ओर के इलाके हैं वह पंजाब में शामिल हों या यू० पी० में शामिल हों। यह जाहिर है कि पंजाब में यह एजीटेशन है कि पंजाब में केवल वह प्रदेश शामिल होना चाहिये जहां पंजाबी बोली जाती है। इस तरह से सबसे आसान तरीका सेंट्रल सरकार के सामने यह है कि दिल्ली ऐसा इलाका है जहां उत्तर प्रदेश की जबान बोली जाती है इसलिए उसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाय। इसी तरह से विन्ध्य प्रदेश का इलाका जो महाकौशल में शामिल नहीं होना चाहता है उसका भी सहज इलाज है कि उस हिस्से को महाकौशल में शामिल न करके उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाये। इसलिये मेरा यह जो प्रस्ताव है कि दिल्ली के इलाके को और विन्ध्य प्रदेश के इलाके को उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया जाय उससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को जरूर मंजूर कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न इस समय सदन के सम्मुख है उस के लिये मेरा तो पहले से ही निश्चित मत है कि इस प्रान्त का बटवारा न हो। उसकी एकोनामी एक है, उस की संस्कृति एक है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिये इसका एक रहना आवश्यक है। यह उदाहरण समस्त देश के लिये है। यह जो सदन के सम्मुख प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं दो एक बातें कुमायूं के विषय में कहना चाहूंगा। जो सब बातें इस प्रस्ताव के समर्थन में कही गयी हैं मैं उनकी ताईद करता हूं। केवल दो बातें पणिक्कर साहब के उत्तर प्रदेश सम्बन्धी नोट के विषय में कहना चाहता हूं। जब मैंने इसको पढ़ा तो इसके छपने से पहले अखबारों में यह निकला था कि यह बहुत दलील पूर्ण नोट है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो यह मेरे गले नहीं उतरी। इसमें लिखा है कि यू० पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं है जितना दावा किया जाता है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि यू० पी० का

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है। उनकी जो सब से मुख्य दलील इसके विभाजन के लिये है वह यह है कि विभाजन करने से दक्षिण प्रदेश के लोग खुश हो जायगें और भारत के संघ को तोड़ने की कभी इच्छा नहीं करेंगे। अतएव अगर दक्षिण के लोगों को खुश करना है तो यू० पी० का विभाजन किया जाना चाहिये। अपनी दलीलों की पुष्टि में उन्होंने दूसरे देशों की मिसालें दीं हैं। उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयार्क जैसी बड़ी स्टेट तथा नेवेदा जैसी छोटी स्टेट का रिप्रेजेन्टेशन एक सा रखा गया है। लेकिन वह यह भूलते हैं कि हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज में रिप्रेजेन्टेशन पापुलेशन के हिसाब से ही रखा गया है। सिनेट में स्टेट्स का रिप्रेजेन्टेशन है। उसमें रिप्रेजेन्टेशन सब स्टेटों का एक सा है। दूसरी मिसाल उन्होंने रूस और प्रशा की दी है। लेकिन रूस एक प्रजातांत्रिक देश नहीं है। जो उन्होंने जर्मनी की मिसाल दी है वह उस समय की मिसाल दी है जब वह प्रजातंत्र देश नहीं था। यह मिसाल गणतंत्र देश के लिये लागू नहीं होती। इसके अलावा जो प्रशा के देश बनाये गये हैं वह सम्मति ले कर नहीं बनाये गये हैं बल्कि बल प्रयोग से बनाये गये हैं। अगर उन मिसालों को लागू करते हैं तो प्रजातंत्र के उसूलों को छोड़ना पड़ेगा। उसूल छोड़ कर कहां पहुंचेंगे यह कहना मुश्किल है। इसलिये उदाहरण के आधार पर जो दलील दी गयी है वह ग़लत है। उन्होंने इस कारण से विभाजन की मांग की है कि भारतवर्ष के दक्षिणी प्रदेश खुश होंगे, क्योंकि उनको यू० पी० से डर है कि वह आल इंडिया पोलिटिक्स में डोमिनेट करता है। तो उनका जो सिद्धान्त इस रिपोर्ट में भारत की एकता दृढ़ रखने का है उस के विपरीत यू० पी० के विभाजन की सिफारिश जाती है। अब यह कहना कि दक्षिण वाले चाहते हैं इसलिये विभाजन किया जाय, चाहे यू० पी० वाले चाहें या न चाहें, मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। अब अगर उनका आधार यह है कि दक्षिण वाले डरते हैं कि यू० पी० डामिनेट करेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि यह देखना जरूरी होगा कि इस कथित डर के पीछे भावना राष्ट्रीय है या राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है। स्पष्ट है कि दक्षिण की यह कथित भावना राष्ट्रीय भावना के विपरीत है और इस भावना को किसी भी तरह से सामने लाना और उत्साह देना राष्ट्र हित की बात नहीं है और इस नोट द्वारा डाक्टर पणिक्कर ने देश की सेवा नहीं की है। मेरा डाक्टर पणिक्कर के प्रति अत्यन्त आदर का भाव है। उन्होंने पहले एक नोट देश की एकता के लिए दिया है कि इसी एकता के बढ़ावे के आधार पर प्रदेश बनायेंगे उस के बाद यह विभाजन की सिफारिश एक दम असंगत है। मैं अधिक समय इस विषय में सदन का नहीं लेना चाहता हूं क्यों कि सदन का समय बहुमूल्य है।

अब मैं कुमायूं के विषय में कुछ कहना चाहता हूं—वह ऐसा स्थान है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में आया है। वहां की जनता के विषय में विचार नहीं किया गया है, जैसा कि हिमांचल प्रदेश की जनता की ओर ध्यान दिया गया है। हालांकि दोनों प्रदेशों की जनता का स्तर एक है और वह एक से पिछड़े प्रदेश हैं। कुमायूं के विषय में कुछ नहीं कहा गया है और उसका कारण यह है कि कुमायूं ने कोई मांग पेश नहीं की और यह अच्छा ही था कि कोई मांग पेश नहीं की। इससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की सरकार की हो जाती है। मैं जानता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी तथा उन के साथी कुमायूं से प्रेम रखते हैं। जब उन्होंने और उनके साथियों ने अधिकार सम्भाला है, इसमें प्रयत्नशील हैं कि कुमायूं की सेवा करें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन कल दूसरा विधान मंडल बन सकता है और दूसरे लोग अधिकार में आ सकते हैं। अतएव कुमायूं के प्रति उसकी विभिन्न तथा पिछड़ी हुई परिस्थिति में किस व्यवस्था को बना कर कार्य किया जाय ताकि कुमायूं की तरक्की अवश्यम्भावी हो। यह विचार करना, उसका वैधानिक परम्परा बांधना या विधान में संशोधन करना सरकार का कर्त्तव्य है, इसलिये इस विषय में विचार करना आवश्यक होगा। यह बात मैं कोई तंगदिली से नहीं कह रहा हूं। इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं। जब कमीशन

स्थापित हुआ, उस समय मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र तारीख २५ अगस्त, १६५४ को भेजा। उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :—

"Respected Sir,

I am a protagonist of as big States in the Union of India as are possible. I am one with you in opposing any division of the Uttar Pradesh. The division of our State amounts to vivisection and is a most undesirable thing. Anything that goes against the ideas and thoughts of oneness of the nation goes against the mission of Swaraj.

तो मैंने यह लिखा :—

"I am, therefore, strongly opposed to the separation of Kumaon from the rest of the Uttar Pradesh.

मैंने इस पत्र के साथ यह मांग की कि उत्तर प्रदेश का रेप्रिजेंटेशन यहां की असेम्बली में बढ़ाया जाय। उसका कारण भी दिया जो कि संक्षेप में यह है :—

"There are, however, certain matters that may be brought to the notice of the authorities concerned. Firstly, the communications in the Kumaon hills are so difficult that it is very difficult for a Member of Legislature to keep intimate contact with his constituents. Time and money required for the purpose is ten times more than that in the plains. It is, therefore, essential for a proper representation of the people that the proportion of representation should be at least five times than that in the plains.

This will increase the present number of members in the Legislature and incidentally it will have the effect of making the voice of this area more effective in the Counsels of the Pradesh. At present due to your leadership, Kumaon has nothing to complain of and have everything to be grateful for. But later on it is only the number of representatives of these parts that will have the effect of checking any invidious discrimination. As the problems and needs of these parts are peculiar and different from the rest of the State and since it will need far more money than its contribution towards the State which finances it, it is essential that its representation in the Legislature of the Pradesh should be effective. It should not be a nominal one as it is at present. I, therefore, pray you that this may kindly be considered."

तो इसके उत्तर में मुख्य मंत्री पन्त जी ने एक धन्यवाद का पत्र भेजा जो कि मेरे पास मौजूद है और उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"I thank you for your letter and am glad that you feel the way you do on the question of organization of States. In an ascent Republican country of ours, the emphasis has to be on solidarity and oneness, so that people's minds are not distracted away from the very important problems of development and economic progress that we have to attain for the country speedily.

"Communications in Kumaon, I agree, are not good but as you know we are doing our bit in improving them. The recent big schemes of road construction in the hills, and the various Shramdan efforts will improve them still further. Not only Kumaon but problems of similar nature in different forms face other parts of the country and in building the foundation of a stable progress we have to keep in mind larger issues. Everywhere in democracy one has ultimately to go by numbers, and your suggestions will not fit into the pattern and principles laid down in the Constitution and Pepole's Representation Act. Kumaon has received a fair treatment in matters of development, and one has to acknowledge it with gratitude. Real strength of pepole lies in development of character, self-reliance, and other basic qualities to which greater attention has to be paid by every one, especially by Congressmen. The fear of any invidious

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

or unfair treatment in future need not worry us as whosoever is at the helm of affairs in a democratic Government can never neglect the welfare of any section or area."

मैं निवेदन करता हूं कि मैं इस सदन के सामने कुमायूं के विषय में जो कह रहा हूं वह इस वजह से नहीं कि मैं तंगदिल हूं बल्कि राष्ट्रीयता के नाते कह रहा हूं। कुमायूं प्रदेश का एक बहुत पिछड़ा हुआ अंग रहा है। उस की तरक्की किस तरह से अच्छी हो, उस पर विचार करने के लिये इस सदन के सम्मुख मैं अपने विचार रख रहा हूं और इस समय इस चीज को यहां रखने की जरूरत इसलिये आ पड़ी है कि आज का दिन इस विषय में महत्व रखता है और जो चीजें इस समय तय होंगी वह बहुत दिनों तक चलेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर जो कुछ कहना है वह कहा जाय, ताकि वह इस सदन के रिकार्ड में आ जाय।

श्रीमन्, मैं जो निवेदन करता हूं केवल राष्ट्रीयता के नुक्तेनजर से उस प्रश्न को देखा जाय। स्टेट्स जो हैं या जो बनेंगे वह इस नियत से बनें कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा जनता की कर सकें और उनको तरक्की ज्यादा से ज्यादा दे सकें। इस नजर से देख कर यह शक्ति संचालन का प्रश्न नहीं रहता है तो फिर सेवा का क्षेत्र रहता है। सेवा का क्षेत्र जितना विस्तृत बनाया जाय, वह अपने देश को और उतना ऊंचा करता है। मैं इस प्रश्न को केवल इस नजर से देखता हूं कि यह एक सेवा का क्षेत्र बनाया गया है और इस में ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है और जनसाधारण की इसमें किस तरह से ज्यादा सेवा होगी उस को देखना है। उसमें यह भी देखना है कि क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का बोलबाला किस विभाजन में रहेगा। उस नजर से, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने इस सवाल को उठाया है। लेकिन उस हद तक नहीं उठाया है जिस हद तक उठाना चाहिये था। रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट से हमारा प्रदेश एक रहना चाहिये। उसी तरह से मध्य प्रदेश का एक बड़ा भारी प्रदेश बनेगा और सम्भव है कि जहां विभिन्नतायें हैं वहां भी एक प्रान्त बनेगा। इसलिये इस प्रस्ताव को पास करते हुये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हर एक व्यवस्था कर के देश के अन्दर राष्ट्रीयता को बढ़ती दी जाय और हमारे प्रदेश की एकता बढ़ती ही चली जाय और हम राष्ट्र की महती सेवा करें।

श्रीमन्, अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने इस रिपोर्ट में हिमांचल प्रदेश के बारे में पढ़ा होगा, उसमें जितने भी सुझाव हिमांचल प्रदेश के लिये हैं, वे सब कुमायूं के लिये लागू होने चाहिये। जैसे डेवलपमेंट बोर्ड व भारतीय सरकार की सहायता तथा पंजाब में शामिल होने पर एक मंत्री की हिमांचल से नियुक्ति।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि जिस प्रकार स्काटलैन्ड की सुव्यवस्था के लिये सेक्रेटरी आफ स्टेट फार स्काटलैंड तथा उसके मुहकमे काम करते हैं, वही व्यवस्था कुमायूं के प्रति होनी चाहिये। वहां के लिये एक अलग मंत्री होना चाहिये जो वहां की हर बात को ध्यान में रखे तथा व्यवस्था करे। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह कुमायूं का ही रहने वाला हो। दूसरी जगह का भी आदमी हो सकता है। लेकिन ऐसा आदमी होना चाहिये जो वहां की गरीब जनता के बीच में बैठने में अपनी बेइज्जती न समझे। उस आदमी की सब से बड़ी क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिये कि उसके हृदय में गरीब के प्रति प्रेम तथा सेवा का भाव हो और वह वहां की जनता से हमदर्दी रखता हो। वह वहां के लोगों के साथ उनकी झोपड़ियों में बैठ सकें और उनकी मुश्किलों का ठीक से अन्दाजा कर सके तथा ओर भी ध्यान रखना चाहिए और इसकी तरक्की करनी चाहिए। मैंने इस विषय में अपने विचार रखने का दुःसाहस इसलिये नहीं किया है कि मेरे विचारों का कोई प्रभाव होगा। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज कमजोर है और उसका कोई प्रभाव नहीं। किन्तु यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैं चाहता हूं ऐसे अवसर पर यह इस सदन की कार्यवाही में रिकार्ड हो जाय कि मैंने कुमायूं के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया है।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह हदबन्दी की जो रिपोर्ट है, उसके बनाने वालों ने अधिक मेहनत के साथ उसे लिखा है और उनका दृष्टिकोण पूर्ण तौर पर भारतीय रहा है, सूबों का दृष्टिकोण उनका नहीं रहा है, यद्यपि उसके तीनों सदस्य भिन्न-भिन्न सूबों के निवासी रहे हैं। इसके अन्दर कुंजरू साहब हमारे सूबे के निवासी हैं लेकिन जिस तरह से और लोगों ने प्रान्तीयता का ध्यान नहीं रखा है, तो कुंजरू साहब ने तथा अन्य दूसरे सदस्यों ने भी देश के नुक्ते निगाह को ध्यान में रखते हुये ही, अपनी सिफारिशें सूबों के सम्बन्ध में की हैं। लेकिन सरदार पणिक्कर साहब की चर्चा आयी है और वह बहुत विद्वान् आदमी हैं तथा उनको देश व विदेश का भी बड़ा अनुभव है, किन्तु हमारे सूबे के सम्बन्ध में उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मुझे खेद है कि मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। इस रिपोर्ट के अन्दर भारत की भिन्न-भिन्न सीमाओं को तय करते हुये, उन्होंने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के साथ जिस चीज पर सबसे अधिक जोर दिया है वह है भारत की एकता। एकता के आगे किसी चीज का भी महत्व नहीं है, एकता किन में? विभिन्नताओं में एकता! जो लोग विभिन्नताओं से डरते हैं वह यह भूल जाते हैं कि किसी बगीचे के अन्दर यदि एक ही तरह के फूल हों तो वह खूबसूरत बगीचा नहीं हो सकेगा। इसी तरह से हमारे सूबे के अन्दर भी विभिन्नतायें हैं, भिन्न-भिन्न जमीनें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तथा धर्म हैं और हमारा देश भी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इन विभिन्नताओं में एकता बढ़ाने से राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। इसलिये जो लोग विभिन्नताओं के नाम पर सूबे के टुकड़े करना चाहते हैं, वे गलती पर हैं और इस तरह से वे इस राष्ट्र के मूल सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। हमारे देश में जो लोग देहातों में रहते हैं उन्हें मालूम है कि हर काश्तकार को धान की जमीन चाहिये, हर काश्तकार को गेहूं की जमीन भी चाहिये। यदि एक ही तरह की उनको जमीन दी जाय तो वह संतुष्ट न होंगे। हर एक देश चाहता है कि हमारे पास बन्दरगाह भी रहें, हमारे पास पहाड़ भी रहें, हमारे पास ग्रीष्म देश भी रहें, हमारे पास शीत देश भी रहें, हमारे पास खनिज पदार्थों की भी जमीन रहे। सब तरह की चीजें हम चाहते हैं। फिर हमारा सूबा क्यों न चाहे कि हमारे यहां पहाड़ भी रहें, हमारे यहां नदियां भी रहें, हमारे यहां झीलें भी रहें। फिर यह तय बात है कि पहाड़ों की संस्कृति हम समतल लोगों की संस्कृति से मिलती नहीं है। उनकी भाषा भी नहीं मिलती। तो इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है। जो लोग हमारे सूबे को इसी आधार पर दो टुकड़े करने की बात करते हैं, वह सूबे के साथ कोई इन्साफ नहीं कर रहे हैं, उसमें सूबे का कोई हित भी नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि पीलीभीत और नैनीताल को आप जोड़ना चाहते हैं बलिया के साथ, किन्तु आप बरेली को नहीं जोड़ सकते। यह मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से उन्होंने झांसी को मेरठ के साथ कर दिया। मैं बहुत अभिमान के साथ यह बात मानता हूं। इससे पहले मैं एक बात कह दूं, पिछले दिनों अमेरिका में प्रेसीडेन्टशिप के लिए स्टीवेन्सन साहब और आइसन हावर साहब का मुकाबिला हुआ था। स्टीवेन्सन साहब जब हार गये तो उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार को तार दिया और उसमें एक बात कही कि हम दोनों में भिन्नता तो बहुत कम है, एकता बहुत अधिक है। हिन्दुस्तान के अन्दर भी मैं यह मानता हूं कि हमारे अन्दर भिन्नता बहुत कम है, एकता बहुत अधिक है, विभिन्नता का मतलब विरोध नहीं है। गेंदे और गुलाब के अन्दर कोई विरोध नहीं है, भिन्नता अवश्य है। भिन्नता होना जरूरी भी है। यदि आप के रूप के अन्दर भिन्नता न हो तो रूप का मजा न आये, यदि बगीचे के अन्दर भिन्नता न हो तो बगीचा अच्छा न लगे। गांधी जी कहा करते थे, मुझे याद है, यदि हिन्दू सच्चा हिन्दू बन जाय और मुसलमान सच्चा मुसलमान और तब दोनों एक जगह मिलकर रहें तो उसमें खूबसूरती है। उसमें भारतीयता है। मेरे एक मित्र हैं श्री मंजरअली सोख्ता साहब, उनसे मेरा बड़ा मतभेद रहा। वह मानते थे कि हिन्दू हिन्दू न रहे, मुसलमान मुसलमान न रहे तब दोनों एक हो जायें। मतलब इसका यह है कि आप गेंदे को भी काट दें, गुलाब को भी काट दें तब धरती जैसी होगी वैसी ही हालत यहां हो जायगी। भिन्नताओं को ठीक-ठीक विकास होने देना चाहिये इसी में कला है, इसी के अन्दर हमारी संस्कृति है। पश्चिम के जिले, निश्चित बात है कि ज्यादा उन्नत हैं। एक बार मैं फाफामऊ स्टेशन पर जनवरी के महीने था। १०-१५ आदमी सवेरे ठंड में जा रहे थे। किसी के पास जूते नहीं थे, किसी के पास

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

गरम कपड़े नहीं थे। हमारे यहां यह सम्भव नहीं है कि इस सर्दी के अन्दर बिना जूते के कोई आदमी जाय। वहां गरीबी है, वहां पर भूखापन है। इसलिये हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम कहें कि वे हमारे रहें। उनकी गरीबी के कारण उनको आप अपने हाथ न लें इसमें मनुष्यता नहीं है। यदि हम अपनी सम्पन्नता उनको दे दें और उनकी गरीबी ले लें तभी हम मिल कर कोई सूबा या देश बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कोई देश चल नहीं सकता है। पिछले दिनों कंट्रोल हटाते समय रफी साहब ने यह कलापूर्ण बात की कि जिन इलाकों में गल्ला ज्यादा होता था उनको उन इलाकों से जोड़ दिया जिनमें गल्ला कम होता था और इस तरह से अन्न का यातायात हो जाने के कारण उन इलाकों में गल्ले की कमी दूर हो गयी। हमारे सूबे में एक जगह उपभोक्ता हैं तो दूसरी जगह उत्पादक हैं और वही उत्पादक दूसरी जगह उपभोक्ता हैं तो इस तरह से हमारा सूबा मिल कर एक बना हुआ है और इसके अन्दर भिन्न-भिन्न पुरानी परम्परायें हैं। उनके अन्दर कोई विरोध नहीं है, विभिन्नता जरूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह है कि जो लोग इस पक्ष में हैं कि उत्तर प्रदेश के दो भाग हो जायं उनको यह उम्मीद है कि पंजाब में जो झगड़ा हो रहा है, वहां सिखों की यह मांग है कि अम्बाला डिवीजन अलग कर दिया जाय, तो मेरा ख्याल है कि यह किसी तरह से न होगा और हमारे देश के नेता ऐसे किसी इलाके को पंजाब से अलग न करेंगे और अगर अलग करेंगे भी तो पहाड़ी इलाकों को अलग करके हिमाचल प्रदेश में मिला देंगे और इस तरह से सिखों का पंजाब में परसेंटेज बढ़ा देंगे और अगर अम्बाला डिवीजन को अलग करना ही हुआ तो वह उसको हिमांचल प्रदेश में मिला सकते हैं, इसलिये पंजाब के झगड़े की वजह से जो उम्मीद करते हैं कि यू० पी० के दो टुकड़े हो जायेंगे, तो मेरा कहना है कि उनको निराश होना ही पड़ेगा। पूरे हिन्दुस्तान की दृष्टि से और अपने प्रदेश की दृष्टि से यह सोचना मुनासिब है कि हमारा प्रदेश एक रहे और इस समय जब सारी दुनिया में एक प्रवृत्ति बड़े होने की है तो इसको छोटा करना मुनासिब नहीं है।

अब एक दूसरी बात की तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आखिर जो यह मांग है उसमें एक बात यह जरूर है कि पश्चिमी जिलों के ५० परसेन्ट काम जिले में ही पूरे नहीं होते, इसलिये वहां के निवासियों को वहां से हाईकोर्ट या सूबे की सरकार के पास जाना पड़ता है जो बहुत दूर पड़ती है। इस चीज को मिटाने का तरीका यह है कि डिस्ट्रिक्ट्स को स्वावलम्बी बनाया जाय और ९० परसेन्ट काम जिलों में ही हो जायं। अगर जिले की अदालतों से १० परसेंट से अधिक मुकदमे आते हैं, हाईकोर्ट में, तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई दोष है और उस कमी को पूरा करना ही है। कभी जमाना था जब हम प्राविंशियल आटोनामी की बात करते थे। उस समय हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करते थे जब कि यह नारा था कि हमारे सूबे में प्राविंशियल आटोनामी हो जाय। आज जब कि देश स्वतंत्र हो गया और प्राविंशियल आटोनामी हो गयी तो डिस्ट्रिक्ट में आटोनामी होनी चाहिये। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि आप जिला कौंसिल बनावें। फिर जमाना आवेगा जब हम गांव की आटोनामी बनाने की बात करेंगे, फिर व्यक्तिगत आटोनामी की बात करेंगे। मेरी दृष्टि में तो यह है कि जब इस प्रदेश में राम राज्य होगा तब राज्य रहित प्रदेश होगा तब हर एक नागरिक कहेगा कि कोई राजा हो या रानी हम तो पूरे स्वतंत्र हैं। वही सच्चा स्वराज्य होगा। उसकी तरफ बढ़ने के लिये हमें आज प्राविंशियल आटोनामी के बाद डिस्ट्रिक्ट आटोनामी की तरफ बढ़ना है और उसके बाद गांव स्वराज्य की तरफ जाना है। आप यह कहेंगे कि इसका मतलब यह है कि सेंटर के बाद बीच के सूबे तोड़ दिये जायें, यह हो सकता है। आपने पहिले कमिश्नरियों को तोड़ा था मगर किसी कारण वह न चल सका तो उनको फिर से कायम करना पड़ा। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट में आटोनामी कायम हो। जिले हमारी जरूरतों को हल कर दें। हमारे एक परसेंट केसेज ही सेंटर में जायें। आज हमको जो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए लखनऊ और इलाहाबाद दौड़ना पड़ता है वह न करना पड़े। आज जो शिकायत का मौका है वह इसीलिये है कि हमको अधिकतर सूबे के हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ना

पड़ता है। अगर हमारे अधिकतर मसले जिलों में ही तय हो जावें तो तब वह विवाद रहेगा ही नहीं।

अन्त में यह आप से कहूंगा कि हमारे सूबे ने बड़े-बड़े आदमियों को पैदा किया है और यह इसीलिये है कि यह सूबा बहुत बड़ा है। बड़ा सूबा ही बड़े-बड़े आदमियों को पैदा कर सकता है। पणिक्कर साहब ने लिखा है कि यह सूबा इतना बड़ा है कि अपना प्रभाव अनुचित रूप से सेंटर में डालता है तो आज हमारे सूबे का प्रभाव इसलिये नहीं है कि हमारा सूबा बड़ा है बल्कि वह इसलिये है कि यहां जवाहर लाल पैदा हुये हैं। जवाहर लाल हमारे सूबे के रहने वाले हैं। गांधी जी का जब प्रभाव सारे देश में था तब गुजरात की बड़ी चर्चा थी तो गुजरात का प्रभाव उस समय देश में इसीलिये नहीं था कि गुजरात एक बड़ा सूबा था बल्कि वह इसलिये था कि गांधी जी वहां पैदा हुये थे। इसी तरह से मद्रास का भी प्रभाव रहा है। किसी को यू० पी० से डरने की बात नहीं है। आज देश के लोगों को जवाहर लाल पर विश्वास है इसलिये उनका प्रभाव है। भगवान करे कि उत्तर प्रदेश की एकता कायम रहे। अगर आप उत्तर प्रदेश की एकता कायम न रख सकें तो देश की भी एकता खतरे में पड़ जायगी।

*श्री सभापति उपाध्याय (नामनिर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनस्संगठन आयोग के विषय को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो हमारे उत्तर प्रदेश की अखंडता के लिये प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विषय में जो सज्जन उत्तर प्रदेश का खंडन अर्थात् टुकड़ा करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि राज्य की महत्ता से या लघुता से वह ऐसा करना चाहते हैं। सभी विषय में राज्य की उन्नति होनी चाहिये आर्थिक उन्नति, कायिक उन्नति और बौद्धिक उन्नति तीनों होनी चाहिये। आज जो उत्तर प्रदेश है, वह बड़ा है, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिये न कि टुकड़ा करने का उद्योग करना चाहिये। दूसरी बात यह है हर देश में एक प्रदेश का प्राधान्य रहता है, यह उत्तर प्रदेश जो है उसमें प्रायः हमारे अवतारभूत राम, कृष्ण, बुद्ध और वामन अवतार यह सब इसी उत्तर प्रदेश में हुये। इसका अर्थ यह है कि यह जो भूमंडल हैं उसमें सप्त द्वीप बसे हैं उसमें जम्बू द्वीप हमारा देश हैं, उसके ९ खंड हैं और भारत खंड की बड़ी प्रशंसा है। इसमें टुकड़े किये जायं यह असंगत है। इसलिये उनको यह ध्यान देना चाहिये कि जिस देश में उनके आराध्य देवता पैदा हुये, उस प्रदेश का वह आदर करें, अगर यह बड़ा है तो प्रसन्न होना चाहिये न कि दुखी। तीसरी बात यह है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और सभी शुभ कार्य पूर्व दिशा में ही बैठ कर किये जाते हैं और पश्चिम दिशा में तो सूर्य अस्त होता है। इसलिये पूर्व दिशा से संबंध रखने में सभी कार्य ठीक होते हैं। उत्तर प्रदेश के टुकड़े करना अदूरदर्शिता है। उनका यह कहना कि उनके राज्य छोटे हैं तो कायिक उन्नति नहीं होती है, बौद्धिक उन्नति नहीं होती है। आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी देश बड़े हैं परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी देश ही बड़े हैं। श्री गोविंद सहाय जी ने कहा कि यू० पी० के जो नेता हैं उनका प्रभाव है और यह भी कहा गया कि बनारस के घाटों का सुधार किया जा रहा है और मथुरा के घाटों का सुधार नहीं किया जा रहा है। बनारस संस्कृति का केन्द्र है और सभी देश उसके ऋणी हैं तो बनारस की समानता करना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि पूर्वी देश आर्थिक दशा में गिरा हुआ है। मैं पहले कह चुका हूं कि आप किसी से पूछें कि आप का शरीर दुर्बल है तो मान लेगा, अगर कहे कि आमदनी कम है तो मान लेगा, लेकिन अगर आप कहे कि बुद्धि कम है तो लड़ने को तैयार हो जायेगा। इसलिये बुद्धि का बड़ा महत्व है। यदि हमारे देश में बड़े-बड़े बुद्धिमान हैं तो मैं आशा करता हूं कि हम जल्दी ही उन्नति कर जायेंगे। शासन करने के लिये विभाजन किया जाता है लेकिन हमें सारे प्रदेशों को अपना समझना चाहिये। अगर हम ईर्ष्या न करें तो हमारा कल्याण होगा। सारे देश की उन्नति किस प्रकार हो सकती है इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। एकता की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये। अन-एकता को दूर करना चाहिये। उत्तर प्रदेश के टुकड़े किये जायं, यह जनता की आवाज नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थवश ऐसा करना चाहते हैं। जनता तो यह चाहती है कि हमारे देश की उन्नति

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सभापति उपाध्याय]

हो, हमको अन्न और वस्त्र कैसे मिले, प्रदेश का तो सिर्फ नाम होता है, नाम मात्र से जनता सन्तुष्ट नहीं हो सकती है। जनता तो चाहती है कि उसकी उन्नति हो, इसलिये हमको उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमारा जो प्रदेश है उसमें सारे देश के लोग दर्शन करने आते हैं, इसलिये इस प्रदेश की उन्नति करने में बड़ा महत्व बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रदेश मिला दिये जायं। मैं भी इससे सहमत हूं। जहां तक कि उत्तर प्रदेश बढ़े, हमें उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह जो आशंका हो रही है कि बड़ा होने से शासन नहीं हो सकता है, यह गलत है। केन्द्र देश भर का शासन कर रहा है। एक मंत्री सारे भारतवर्ष का शासन कर सकता है। एक मंत्री सारे देश का सुचारु रूप से संचालन कर सकता है और उसकी उन्नति भी हो सकती है। इसलिये प्रदेश का विभाजन करना मैं देश के लिये अहितकर समझता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजे दिनांक २५ नवम्बर, सन् १९५५ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२४ नवम्बर, सन् १९५५ ई०।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४४ एल० सी० १९५६—७९९।

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

शुक्रवार, नवम्बर २५, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

## उपस्थित सदस्य (५४)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
वेणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेंद्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवकुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे--

श्री चन्द्र भानु गुप्त (नियोजन, उद्योग, स्वास्थ्य व रसद मंत्री)

श्री गिरधारी लाल (आबकारी, रजिस्ट्रेशन तथा स्टाम्स मंत्री)

श्री हर गोविंद सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)

श्री आचार्य जुगल किशोर (समाज कल्याण तथा श्रम मंत्री)

# प्रश्नोत्तर

१—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—[वर्तमान सत्र (१९५५) के पांचवें बुधवार के लिये संख्या १३ के रूप में रक्खा गया।]

## जिला बांदा में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ

२—श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि निम्नलिखित खनिज पदार्थों में से कौन-कौन से बांदा जिले में पाये जाते हैं?

(१) लोहा,
(२) कोयला,
(३) स्टैलेगमाइटिक डिपाजिट आफ लाइम स्टोन,
(४) सैन्ड स्टोन,
(५) बड़गढ़ सैन्ड फार ग्लास,
(६) माइकैसियस हैमाटाइट,
(७) पाइप क्ले,
(८) हीरा,
(९) सजरी पत्थर,
(१०) अबरख,
(११) गेरू या लाल खरिया,
(१२) रज या पीली खरिया,
(१३) खरिया,
(१४) संजरात।

2—SRI KUNWAR MAHABIR SINGH (*Legislative Assembly Constituency*)—Will the Government please state which of the following minerals are found in Banda District ?

(1) Iron ore,
(2) Coal,
(3) Stalagmitic deposit of lime-stone,
(4) Sand stone,
(5) Bargarh sand for glass,
(6) Micaceous haematite,
(7) Pipe clay,
(8) Diamond,
(9) Agates,
(10) Mica,
(11) Geru (गेरू) red kharia,
(12) Raj (रज) yellow kharia,
(13) Kharia,
(14) Sanjrat.

श्री चन्द्र भानु गुप्त (उद्योग, नियोजन, स्वास्थ्य, खाद्य व रसद मंत्री)--बांदा जिले में निम्नलिखित खनिज पदार्थों के पाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है :—

(१) लाइमस्टोन,

(२) सैन्डस्टोन,

(३) ग्लास सैन्डस,

(४) हीरा,

(५) सजरी पत्थर,

(६) अबरख ,

(७) ओक्रे (लाल तथा पीली खरिया)

(८) सोपस्टोन और

(९) लोहा।

कोयले के भी पाये जाने की संभावना है।

SRI CHANDRA BHANU GUPTA (Minister for Industries, Planning, Health, Food and Civil Supplies)—The following minerals are known to occur in the Banda District :

(1) Limestone,

(2) Sandstone,

(3) Glass sands,

(4) Diamond,

(5) Agate,

(6) Mica,

(7) Ochre (red and yellow),

(8) Soapstone, and

(9) Iron ores.

There is a possibility of coal also occuring.

३—श्री कुंवर महावीर सिंह--(क) क्या सरकार का विचार बांदा जिले का भूगर्भ अन्वेषण कराने का है जिससे कि वहां पर कुछ खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना हो सके?

(ख) यदि हां, तो कब?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

3. SRI KUNWAR MAHABIR SINGH—(*a*) Does the Government intend to get a Geological Survey made of the District of Banda to explore the possibility of finding some minerals there ?

(*b*) If so, when ?

(*c*) If not, why ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--(क) जी हां। बांदा जिले का प्रारम्भिक भूगर्भ अन्वेषण डाइरेक्टोरेट आफ ज्योलाजी तथा माइनिंग द्वारा कराया जायेगा।

(ख) शीघ्र ही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

SRI CHANDRA BHANU GUPTA—(*a*) Yes. The State Directorate of Geology and Mining, U. P., will undertake a preliminary mineral survey of the Banda District.

(*b*) Shortly.

(*c*) Does not arise.

## उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले नवीन उद्योग-धंधे

४—श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने नवीन उद्योग-धंधे खोले जाने वाले हैं ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है पर इस योजना के अन्तर्गत नये उद्योगों के खुलने की आशा की जाती है।

५—श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी—स्थगित।

६-८—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

## सरकारी नौकरियों में डाक्टरों और इंजीनियरों की आरम्भिक वेतन की दरों में असमानता

९—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरी में डाक्टरों और इंजीनियरों की आरम्भिक वेतन की दरों में असमानता को मिटाने का है ?

9—SRI BADRI PRASAD KACKER (*Legislative Assembly Constituency*)—Do the Government intend to remove the disparity of starting scales of pays of Doctors and Engineers in Government service?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी नहीं।

Sri Chandra Bhan Gupta—No.

आदि सं० २० तारीख १४-१०-५५

## जुलाई, १९५४ में चुने गये ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स की क्रमानुसार सूची

१०—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई १९५४ में कितने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स का चुनाव (selection) किया गया था ?

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची उनकी छांट के क्रम के अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) जुलाई, १९५४ में १०४ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स का चुनाव किया गया था।

आदि सं० २१ तारीख १४-१०-५५

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों की उनकी छांट के क्रम के अनुसार सूची* माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

११—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर बनाये गये ?

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसरों की सूची को भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) इनमें से २१ व्यक्ति असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर्स बनाये गये थे।

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची† माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—जो २१ व्यक्ति असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर बनाये गये हैं क्या वे मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाये गये हैं या इसके अलावा बनाये गये हैं ?

---

*देखिये नत्थी "क" पृष्ठ ९२-९३ पर।
†देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ ९४ पर।

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाये गये हैं ।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह ठीक है कि इस मैरिट लिस्ट में जो नम्बर ५ और ६ हैं, उनको ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स के लिये नहीं लिया गया और नम्बर ३९ और ४० को लिया गया?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—शायद सूची में उनके नाम तो मालूम नहीं होते हैं।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—उनके नाम इस प्रकार से हैं कि नम्बर ५ और ६ में श्री रामपाल सिंह और श्री डी० एस० गेहलोट तथा नम्बर ३९ में श्री राम कुमार सिंह और नम्बर ४० में श्री बलजोर सिंह हैं। इस प्रकार से मेरिट लिस्ट के हिसाब से ३९,४० को बी० डी० ओज० बनाया गया है?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—जो मेरिट लिस्ट में दिये गये हैं उनमें से जो अच्छे समझे गये हैं, इसमें भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसको जो व्यक्ति फुलफिल करता है, उसको ही छांटा जाता है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई भी लिस्ट मेरिट के आधार पर बनाई गयी है या नहीं?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—ए० डी० ओज० की लिस्ट अलग होती है और बी० डी० ओज० की लिस्ट अलग होती है और ए० डी० ओज० में से ही बी० डी० ओज० को छांटा जाता है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बी० डी० ओज० जो छांटे गये हैं वह किस आधार पर छांटे गये हैं, क्या उसकी लिस्ट पहले बनायी गयी थी या बाद को बनाई गयी या और कोई दूसरा आधार रखा गया?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—जो कमेटी इस काम के लिये नियुक्त थी जिसमें कि डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट के आफिसर्स बैठे थे, वह सारी योग्यताओं के ऊपर विचार करके, कि किस आधार पर कोई व्यक्ति छांटा जाता है, छांटने की सिफारिश करती है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस आधार पर नहीं आता है, वह नहीं छांटा जाता है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची उनकी छांट के क्रमानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी, यानी मेरिट के हिसाब से मैंने लिस्ट मांगी थी तो उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उपर्युक्त व्यक्तियों की उनकी छांट के क्रम के अनुसार सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है, लेकिन यह जो सूची है, उसमें रामपाल सिंह को मैरिट के हिसाब से नहीं लिया गया है?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—यह सूची जो बनाई गई है वह मेरिट के हिसाब से जरूर बनाई गयी है और उनमें से जो व्यक्ति योग्य समझे गये, उनको उसी आधार पर छांटा गया। जो नाम इसमें दिये गये हैं उसका मतलब यह है कि अधिकारी इन नामों में से योग्यता के हिसाब से छांटे और वही चीज उन्होंने की है जो कि बेजा नहीं है

## जून, १९५४ में नियोजन विभाग द्वारा पंजाब में ट्रेनिंग के लिये भेजे गये व्यक्तियों की संख्या

*सं० रांख १०—

१२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५४ में कितने व्यक्ति नियोजन विभाग द्वारा पंजाब में ट्रेनिंग के लिये भेजे गये?

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची योग्यता के क्रमानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त ट्रेनिंग करने वालों की ट्रेनिंग के बाद उनके gradation के अनुसार भी उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(घ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उपर्युक्त ट्रेनिंग में आये हुये कितने व्यक्तियों को ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर नियुक्त किया गया ?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—(क) जून, १९५४ में २५ व्यक्ति नियोजन विभाग द्वारा निलोखेड़ी में ट्रेनिंग के लिये भेजे गये।

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची* संलग्न है।

(ग) ट्रेनिंग सेंटर से उनकी कोई gradation list नहीं प्राप्त हुई। अतः इस प्रकार की सूची का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इनमें से ११ व्यक्तियों को अब तक नियुक्त किया जा चुका है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि निलोखेड़ी के लिये जो व्यक्ति भेजे गये वह किस आधार पर भेजे गये, इसका क्या कोई आधार था या जो व्यक्ति, यहां से जिसने भी चाहा, उसी को भेजा जाता था ?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—नहीं, जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं वह आवश्यकताओं के अनुसार और किन व्यक्तियों को किस समय वहां ट्रेनिंग के लिये भेजा जा सकता है, इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुये कुछ नामों की सिफारिश सरकार के समक्ष करते हैं और फिर सरकार उन्हीं को ट्रेनिंग इत्यादि के लिये भेजती है।

## प्रस्ताव कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सहमत है

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—कल के प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी।

**श्री बंशीधर शुक्ल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश है। इसके ऊपर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कल अपनी-अपनी राय प्रकट की थी। हमारे लायक दोस्त श्री गोविन्द सहाय जी ने भी अपने विचार सदन के सामने रखे थे। इस रिपोर्ट में शुरू से आखीर तक इस उसूल पर जोर दिया गया है कि किन बातों को मान्यता दी जाय और उसी आधार पर विभिन्न राज्यों का संगठन या पुनस्संगठन किया जाय। श्री पणिक्कर जी का एक डिसेंटिंग नोट भी इसमें दिया हुआ है उसको भी मैंने ध्यान से पढ़ा। लेकिन उसको पढ़ने से मुझे ऐसा आभास हुआ कि एक कुशल वकील अपने किसी केस को प्रमाणित करने के लिये कोशिश कर रहा है। पणिक्कर जी का कहना है कि अगर कोई स्टेट बहुत बड़ी होगी तो उसका प्रभाव भी अधिक होगा और उसकी राज्य सत्ता भी अधिक होगी, यू० पी० एक बड़ी स्टेट है, दूसरे राज्य उसको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। एक बात यह भी कही गयी है कि अगर कोई स्टेट बड़ी होगी तो उसमें जन-सम्पर्क बमुकाबिले छोटे राज्य के कम होगा। यह बात सही है कि अगर यूनिट छोटा होगा तो वहां पर लोगों में पारस्परिक सहयोग अधिक होगा। यहां पर एक बात यह कहना चाहता हूं कि पैरा २१४ में दिया हुआ है कि अगर कोई बड़ी प्रोजेक्ट का कार्य है जिससे जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सकती है तो वह छोटे राज्य में संभव नहीं।

जैसे बड़े-बड़े वैली प्रोजेक्ट्स या बड़े-बड़े इलेक्ट्रिकल या इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो छोटे राज्य कभी इस बात का स्वप्न नहीं देख सकते और वे हमेशा ऐसी अवस्था में रहेंगे कि उससे राज्य की हानि तथा ह्रास होगा। वहां जनता की हानि होगी औद्योगिक रूप से तथा दूसरे दृष्टिकोण से वे कभी उठ नहीं पायेंगे तथा उनकी आमदनी भी ज्यादा नहीं

*देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ ९५ पर।

होगी। हां, ऐसे लोगों को अवश्य लाभ होगा जो इस तरह से छोटे राज्य का लाभ नहीं देखते हैं, बल्कि मिनिस्टरी या बड़े-बड़े पदों के लिये विद्रोह पर उतारू हैं, इस तरह के जितने भी कार्यकर्त्ता हैं, उन्हें ऐसे बड़े राज्य के संबंध में अवश्य निराशा होती है, उनका कहना है कि नेहरू जी के साथ-साथ इस तरह के भी पाकेट एडीशन्स हैं, जिनसे वे डरते रहते हैं कि ऐसे पाकेट एडीशन के मौजूद रहते उनको कोई स्थान नहीं मिल सकता। इसलिये वे चाहते हैं कि राज्य का डिवीजन हो जिससे कि उनको इस छोटे राज्य में बड़े बड़े पद प्राप्त हो सकें। विभाजन की मांग का सिर्फ यही कारण है और कोई दूसरी बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि छोटी स्टेट में अत्याधिक जन-सहयोग मिल सकेगा। समुचित सहयोग अभी तक इसलिये प्राप्त नहीं होता क्योंकि यू० पी० का एरिया बड़ा है। मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट की उपयोगिता क्या है, जन-सहयोग इस पर निर्भर होता है। अगर बड़े प्रदेश में ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिससे हमें लाभ पहुंच सके, तो हमारा अनुभव यही बतलाता है कि वहां जनता ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी और वह धन तथा दूसरे साधनों से अपना सहयोग देगी। यह दलील कि छोटे एरिया होने के कारण ही जनता उस छोटी स्टेट में अधिक सहयोग देगी, गलत बात है और तथ्यहीन है। तीसरी बात जो पणिक्कर साहब ने उठाई है वह यह है कि सोशल सर्विसेज में बड़ी स्टेट में ज्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता। यहां रिपोर्ट के पैरा २१६ में कहा गया है कि आर्थिक रूप से जो स्टेट्स पिछड़े हुये हैं उन्हें उसी रूप से समुन्नत करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। वही चीज हमारी मूल है और जब तक उसकी उन्नति नहीं कर लेते तब तक किसी और बात को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। उसके बाद ही सांस्कृतिक और सामाजिक बातें आती हैं। इस दृष्टिकोण से यू० पी० ने उन्नति की है। आर्थिक रूप से जो उन्नति की है वह काफी है। सन् १९४७ में इसकी क्या दशा थी, इस समय इसको विवरण से बतलाने के लिये समय नहीं है।

इसके बाद यह कहा गया कि बड़ी स्टेट में ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी का ह्रास होगा यह बात हास्यास्पद मालूम होती है। पणिक्कर जी इस तरह से एफीशियेंसी आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात को आंकते हैं। स्टेट छोटी या बड़ी होने से या आबादी कम या ज्यादा होने से एफिशियन्सी खराब और अच्छी नहीं हुआ करती है और स्वयं पणिक्कर साहब की रिपोर्ट के शब्दों को यहां सारांश में इस संबंध में उद्धृत करना चाहता हूं :

"In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit. There are other factors, such as economic and social conditions within the different areas ; political consciousness, tempers and traditions of the people, and the political acumen and the sense of public service of the leaders in different areas which set the pace of progress and administrative efficiency."

तो जब एफीशियेंसी की बात कही गई कि स्टेट बड़ी होने के कारण उसका ह्रास होगा, तो उन्होंने दूसरी बातें छोड़ दीं। श्री पणिक्कर भी मुकाबिला करते हैं दूसरी बड़ी-बड़ी स्टेट्स से, इस संबंध में मेरा यह कहना है कि वे पहले से इन्डस्ट्रियलाइज्ड थीं, उनको बहुत सी सुविधायें प्राप्त थीं। हम यू० पी० के १० वर्ष के पहले के इतिहास को देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी, हम लोग शेडो आफ फ्यूडेलिज्म के अन्तर्गत सफर कर रहे थे, फ्यूडेलिज्म के भूत से छुटकारा नहीं था, ऐसी दशा में हम थे। उससे मेरा संकेत है जमींदारी प्रथा से। उसमें सारी जनता की क्या दशा थी। कुछ ऐसे रीति-रिवाज थे जो फ्यूडेलिज्म को कामयाब करने में सहायक सिद्ध होते थे, उन्होंने किस तरीके से जनता को कहां से कहां ले जाकर रखा था। लेकिन जब से यह प्रजातंत्र प्रणाली का शासन यहां पर कायम हुआ, हमने कितनी उन्नति की है यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो जब वह कहते हैं कि एजूकेशन में और सामाजिक विकास में हमने उन्नति नहीं की तो माननीय पणिक्कर जी इस बात को बिलकुल नहीं देखते कि इस राज्य की क्या दशा थी और उस दशा से हमने किस स्तर पर उसको लाकर रखा है। वह मुकाबिला करते हैं बम्बई से, आसाम से, मद्रास से। वहां पर सभी चीजें बिल्कुल दूसरे

[श्री बंशीधर शुक्ल]

स्तर पर थीं। वहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, शिक्षा का काफी प्रसार हो चुका था, इसका अगर उनसे मुकाबिला करते हुये हमसे कहा जाय कि आप पिछड़े हुये हैं तो बहुत तथ्यहीन मिथ्या बात है।

साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बिल्कुल भुला दिया कि इस वक्त जो हमने अपने राज्य का संगठन किया है वह यू० पी० को एक यूनिट मान कर किया है। बहुत सी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, यहां की जनता की क्या आमदनी है, उसका इन्डेक्स नम्बर क्या है, हमने इन बातों को इकाई का रूप मानते हुये नियोजन किया है। इन रिवरवैली प्रोजेक्ट्स की क्या दशा होगी, किस तरह से प्लानिंग होगी, जिसको कि वह मान्यता दे चुके हैं कि अगर प्लानिंग में असुविधा पड़ती है तो हमें विभाजन नहीं करना चाहिये। एक तरफ तो वह यह मानते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब वह नोट आफ डिसेंट लगाते हैं तो इन बातों को भूल जाते हैं। चैप्टर ६ में जो उन्होंने आमदनी के बारे में लिखा है कि किसी तबके की आमदनी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये, किसी की बहुत कम नहीं होनी चाहिये, नेशनल औसत इन्कम होना चाहिये। इसी तरह से रिवरवैली प्लानिंग के बारे में कहा है। दूसरी तरफ अपने नोट आफ डिसेंट में इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया यह मेरी समझ में नहीं आता। समय कम है इसलिये विस्तृत रूप में हर एक चीज यहां पर बताना असम्भव हो रहा है, लिहाजा मैं जो एक मुख्य बात है, उसे कहना चाहता हूं, वह यह है कि आप यू० पी० का डिवीजन कीजिये और सारी स्टेट्स का डिवीजन कीजिये मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात को सामने रखिये कि उससे सारे देश का इन्टरेस्ट सिद्ध होता है या नहीं।

मुझे यू० पी० से कोई विशेष प्रेम नहीं है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिये कि इससे सारे देश का कल्याण होता है या नहीं। महज चूंकि एक पर्टीकुलर एरिया के लोग चाहते हैं कि डिवीजन हो, इसी बात पर न जाइये। पूरी तरह से आपको इस बात को देखना है कि इससे देश का इन्टरेस्ट सर्व होता है या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि यू० पी० इज ऐन आइडियल स्टेट इन दि इंडियन कांस्टीट्यूशन ऐन्ड इंडियन इम्पायर। मैं कहता हूं कि आइडियल स्टेट होने के लिये यह आवश्यक है कि सेकुलर हो, एक कल्चर हो और डिस्पैरिटीज जहां तक हो सके कम हों। यू० पी० में हम पाते हैं कि सभी जातियों के लोग एक जगह इकट्ठा हैं। उनमें लैंग्वेज भी एक दूसरे की बोलते हैं और समझते हैं। दूसरे प्रांतों की अपेक्षा उनमें जेलेसीज नहीं हैं, प्राविन्शियलिज्म नहीं है। जब हम विधान में एक बार कहते हैं कि हमारा कांस्टीट्यूशन सोशलिस्टिक पैटर्न में होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोशलिस्टिक पैटर्न अगर पूरा हुआ है तो यू० पी० में ही हुआ है।

हमारे साथी जो कल बोल रहे थे वह चीन की तरफ इंगित करते हैं, रूस की तरफ इंगित करते हैं क्योंकि वहां जन-कल्याण की भावना सफल हुई है। तो क्या आज हम यू० पी० की तरफ इंगित नहीं कर सकते। वह चीन और रूस का यू० पी० को अक्षुण्ण क्यों नहीं चाहते। यह ऐसा प्रदेश है जहां पर समाजवाद को पूरा करने के लिये, जिसको कि हमारे पूज्य पंडित नेहरू बराबर दोहराते हैं, उसके करीब यू० पी० में बहुत-सी बुनियादी सीढ़ियां पार कर चुके हैं तो ऐसी आदर्श वाली यूनिट को हम खत्म करें यह कहां तक शोभा देता है।

मैं तो कहता हूं कि यू० पी० के सदृश्य दूसरी स्टेट्स भी आ जायं। उनके अन्दर भी यह भावना खत्म हो और यह राज्यों के बीच बीच में जो लकीरें हैं वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से ही रहे और जाति-पांति तथा प्रांतीयता की भावना दूर हो। यह कहना कि इस पर ज्यादा खर्च होता है, इस पर कम खर्च होता है यह समाजवादी पैटर्न नहीं है। आप तो यह उसूल मान बैठे हैं कि जहां जरूरत होगी वहां खर्च होगा। यह हमारे संविधान में माना जा चुका है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। हम तो देश को एक यूनिट मानते हैं और जब हम इस तरह से मानते हैं तो यू० पी० में हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे विभाजन का प्रश्न उपस्थित होता हो। यू० पी० वह प्रांत है जहां पर समाजवाद के बहुत से सिद्धांतों को अमल में लाया जा चुका है जैसे फ्यूजन आफ

कल्चर, फ्यूजन आफ रेसेज आदि । फ्यूजन आफ नेशनहुड के एकता के सिद्धांत को यहां अपनाया जा चुका है, जहां हमने यह चीज प्राप्त कर ली है उस स्थान को फिर से विघटित करें यह घृणास्पद बात होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे यहां पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जमींदारी का विनाश किया गया है। क्या यह चीजें हमको समाजवाद की ओर नहीं ले जाती हैं और सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा नहीं करती हैं। इन सब बातों को जिस क्षेत्र में हमने प्राप्त कर लिया है उसको विघटित करें यह कहां तक शोभा देता है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस बात की कभी भी मांग न करेंगे कि जिस सूबे को हमने समाजवाद के रास्ते पर पहुंचा दिया है उसका विघटन किया जाय ।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट, तथा उस पर जो हमारे नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, पर बहस जारी है। हम इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समिति के माननीय सदस्यों ने काफी मेहनत के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है और बड़े सुन्दर ढंग से हर सूबे का चित्रण किया है। मगर जहां हम अपने प्रदेश पर निगाह डालते हैं और देखते हैं तो वहां भी उन्होंने अच्छा खाका खींचा है । मगर हमारे पणिक्कर साहब ने जो काफी काबिल हैं और काफी ज्ञान भी रखते हैं उन्होंने जो खाका अपने नोट में खींचा है वह जरा जल्दी में खींचा है ऐसा मालूम होता है, कुछ सोच समझ कर उन्होंने नहीं खींचा है। मालूम होता है कि एक बड़े सूबे से उनको बहुत ही नफरत मालूम होती है । मगर जहां तक हमारे सूबे का सवाल है हमारा सूबा बड़ा ही नहीं है बल्कि इस सूबे के रहने वाले विशाल हृदय के भी हैं। आज दूसरे सूबों में जहां काफी गरमागरम बहस और द्वन्द्व युद्ध हो रहा है वहां हमारे सूबे में इतने विशाल हृदय से बहस हो रही है जिसका कहीं भी बाहर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है और न कहीं द्वन्द्व युद्ध ही हो रहा है। हम लोग विशाल हृदयता के साथ उसको देखते हैं। मगर जहां बटवारे का सवाल आता है और उसके लिये जो दलीलें दी जाती हैं वह बड़ी कमजोर सी दिखाई पड़ती हैं। कल भाई गोविन्द सहाय ने अपने संशोधन को पेश करते हुये जो कहा वह तो मालूम होता है कुछ उस पर जोर नहीं दे रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि वह संशोधन रखकर एक संशोधन रखने की रीति को पूरा कर रहे हों। उन्होंने जो दलीलें दीं उनमें वे गंभीरता से अपनी बातों को नहीं रख सके। आज हमारे यहां इस प्रदेश में जितने काम होते आ रहे हैं, अगर पणिक्कर साहब ने सन् ४७ के पहले के आंकड़े देखने का कष्ट किया होता और अब के आंकड़े देखने का कष्ट करते तो उनको पता लगता कि उत्तर प्रदेश कहां पर था और अब कहां पर है। मगर उन्होंने ५१-५२ और ५३-५४ के ही आंकड़े देखे हैं और उसी की रिपोर्ट देख कर ही अपने फिगर्स कोट किये हैं। लेकिन अगर उन्होंने पहले के फिगर्स देखे होते और अब के फिगर्स देखे होते तो पता चलता कि हमारे यहां क्या काम हुआ है ? मगर उन्होंने कुछ फिगर्स देख कर संतोष कर लिया।

उत्तर प्रदेश की श्रेणी के जितने राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जहां उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है वहां उसने एक विशाल हृदय भी पाया है। उसके पास विशाल नदियां भी हैं। जो हिमालय के पदस्थल से निकल कर सारे भारत-वर्ष को शुद्ध जल देती हैं और किसी भेदभाव को नहीं देखती हैं । यह विशाल हिमालय देश की बाहर जाती हुई वर्षा को रोक लेता है और सारी वर्षा हमारे ही देश में होती है। इससे हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश हरा-भरा रहता है। अगर यह हिमालय न होता तो देश की वर्षा यहां से चीन और रूस की तरफ निकल जाती और हमारा देश इतना हरा-भरा न रह पाता। बादल हिमालय से टकरा जाते हैं और सारी वर्षा हमारे ही देश में रह जाती है। हमारे प्रदेश की संस्कृति भी ऐसी है कि उसने किसी के साथ दुराव नहीं किया। हमारे प्रदेश में काश्मीरी भी आकर बस गये और महाराष्ट्री, बंगाली वगैरह भी बस गये। हमने किसी के साथ भी दुराव का बर्ताव नहीं किया है। इसी तरह से यहां पर मलाया के लोग भी आकर बस गये और वह मालवीय कहलाये। सारे भारतवर्ष के लोग बनारस में आकर बसते हैं। ताकि मरने

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

के पश्चात् उनकी मुक्ति हो जावे क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि जो काशी में मरता है उसका मोक्ष हो जाता है। हम सबको आश्रय देते हैं। हमारे यहां ऋषि मुनि हिमालय की खोहों में तपस्या करते हैं और वहां से नीचे उतर कर गंगा के तटों पर रह कर ज्ञान का देश में प्रचार करते हैं। वह जनता को ज्ञान देते हैं। आज उसका छोटा सा उदाहरण है कि यू० पी० ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्ती को पैदा किया है और उनको संसार में पूजा जाता है। आज तीसरा महायुद्ध बन्द कराने का और संसार में शांति स्थापित करने का श्रेय अगर है तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू को है जो भारतवर्ष के हैं और इसी उत्तर प्रदेश के हैं। आज यह बात करना कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिये इसका विभाजन हो जाना चाहिये यह समझ में नहीं आता है कि एक तरफ यू० पी० को बड़ा कहा जाता है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को इतना बड़ा बनाते हैं जिसका एरिया यू० पी० से कहीं ज्यादा है। ऐसा एरिया बना कर मेरी समझ में नहीं आता पणिक्कर साहब सर्व सम्मति से सहमत हो कर यू० पी० के लिये ऐसा क्यों कहते हैं? अगर हमारे क्षेत्रफल की तरफ निगाह डालते और आबादी को देखते और विन्ध्य प्रदेश से मिलाते तो हमारे पूर्वी जिलों के लोग जहां पर जमीन कम है और आबादी ज्यादा है वह लोग विन्ध्य प्रदेश में विकास करते। आज अगर यू० पी० की सीमा की रेखा हम देखें तो एक तरफ मिर्जापुर और फिर झांसी से रेखा नीचे तक जाती है। हमारे बुन्देलखंड के ४ जिले और बघेलखंड के ४ जिले यानी इन ८ जिलों की रेखा बराबर कर दी जाय तो हमारी सीधी रेखा झांसी के कोने ललितपुर के पास से होकर मिर्जापुर से मिल जाती है और सीधी रेखा होने से हम काफी विकास-कार्य कर सकते हैं। हमारा रेहिन्द डैम बन रहा है उससे हम उन जिलों में काफी पानी और बिजली देकर विकास कर सकते हैं।

आज पश्चिमी जिलों के हमारे कुछ भाई गुमराह हो गये हैं, हम लोगों को काफी संतोष के साथ उनकी बातें सुननी हैं। क्योंकि जब हमने उनके जिलों पर खर्चा किया था तो हमारे पूर्वी जिलों के लोग गम्भीरता के साथ बरदास्त करते रहे और यह सोचते रहे कि हमारे देश का विकास हो रहा है और आज अगर पूर्वी जिलों में विकास किया जा रहा है तो उनको डाह हो रही है यह कुदरतन बात है। जब सूरज पूरब से निकलता है और फिर चढ़ता है तो बराबर रोशनी देता रहता है और जब पश्चिम में जाता है तो अस्त हो जाता है और अस्त होने के बाद अंधेरा हो जाता है, तो वही हालत आज पश्चिम की है, उनको अंधेरा नजर आ रहा है, आज अगर पूर्वी जिलों की बात कही जाय तो उनकी हालत में और पश्चिमी जिलों की हालत में जमीन और आसमान का फर्क है। उसके बाद जब हम पहाड़ी इलाकों की ओर नजर डालते हैं तो कुमायूं डिवीजन में वहां मैंने देखा कि लोग भूखे और नंगे रहते हैं। मैं अल्मोड़ा गया था वहां मैंने सितम्बर और अक्तूबर के महीने में देखा कि लोग सिकुड़ रहे थे और नंगे घूम रहे थे। खाने को शायद साल भर में ४ महीने का पैदा होता हो उस ठंडक में वे लोग भूखे-नंगे रहते हैं फिर भी वे अपने को अहोभाग्य समझते हैं कि वे आज उत्तर प्रदेश में शामिल हैं और शामिल रहना चाहते हैं। आज कुमायूं की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं उठी कि हमको उत्तर प्रदेश से अलग करके किसी दूसरे प्रदेश में मिला दिया जाय। हमने जो कुमायूं की हालत देखी उससे मालूम हुआ कि वहां सब तरह के लोग हैं। वे अच्छी भावनाओं के साथ रहते हैं।

जब हम सरकारी कार्यों की ओर निगाह डालते हैं तो उससे पता चलता है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने आगे जा रहे हैं और कितना और आगे जाने वाले हैं। जितना बड़ा सूबा है उसके उतने ही बड़े काम हैं। एक आरोप लगाया गया कि यह सूबा केन्द्रीय सरकार पर अपनी धाक जमाये है। इतनी बड़ी पार्टी है जो चाहती है करती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारी सरकार ने कितना रुपया मांगा और उसको कितना दिया गया। इस बात से पता लग जायगा कि हमारी सरकार ने कितना प्रभुत्व कायम किया है। शायद अगर यू० पी० के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री न होते तो आज ज्यादा मिल जाता।

चूंकि हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम दब कर बैठ जाते हैं। सरकार भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है कि अगर थोड़ा-सा भी दबाव डाला तो लोग कहेंगे कि यू० पी० वाले प्रधान मंत्री हैं इसलिये रकम लिये जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाय तो दूसर सूबे काफी रुपया ले गये हैं और ले जाते हैं। म इन शब्दों के साथ हाफिज जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यू० पी० जैसा है वैसा रहे लेकिन इसमें बुन्देलखंड के चार जिले और बघेलखंड के चार जिले मिला दिये जायं; जिससे पूर्वी जिलों की भुखमरी और गरीबी दूर हो जाय।

**श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर इस सदन में आज बहस हो रही है। इस मौके पर चार प्रस्ताव इस सदन के सामने हैं। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने रखा है कि रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट जिस शक्ल में है उसी शक्ल में मान लिया जाय। अगर थोड़े बहुत बार्डर्स का ऐडजस्टमेंट करना हो तो उन बातों को ध्यान में रखा जाय। दूसरा प्रस्ताव उसी से मिलता-जुलता कुंवर साहब का है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर इम्फैसिस दिया है। तीसरा प्रस्ताव श्री गोविन्द सहाय जी का है जिसमें उन्होंने इस बात को रखा है कि उत्तर प्रदेश का पुनस्संगठन किया जाय और दूसरे प्रदेशों के कुछ इलाके और पश्चिमी जिलों को मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय। चौथा प्रस्ताव प्रताप चन्द्र जी का और श्री कन्हैया लाल जी का है जिसमें उन्होंने दूसरे सूबों के कुछ इलाके और विन्ध्य प्रदेश को हमारे सूबे में मिलाने के लिये कहा है।

इस मौके पर जब कि हम स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर आज विचार कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो स्टेट्स पहले बनी थीं या जो हमारे देश का नक्शा था, वह दो तरीके से हुआ था। एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने शासन को कायम रखने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से बना रखा था और दूसरा जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ छोटी-छोटी स्टेट्स को मर्ज करने से कुछ स्टेट्स बनी थीं। तो आज प्रश्न यह पैदा हुआ कि अब रिआर्गेनाइजेशन कैसे करें? हिन्दुस्तान की तमाम राजनैतिक पार्टियों ने भी चाहा कि स्टेट का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने-अपने मैनीफेस्टोज भी निकाले कि उनकी निगाह में स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन कैसे हो। हम देखते हैं कि सन् १९०५ ई० से बंगाल के पार्टीशन के समय से लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर राज्यों के पुनस्संगठन की बात की शुरुआत हुई। लिंग्विस्टिक आधार को सभी पार्टियां मानती हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो। सभी स्टेट रिआर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को लिंग्विस्टिक आधार पर देखती हैं। तो हम इस बात को मानते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद और अब जो फैसला होने वाला है उससे कुछ यह मसला अपनी जगह पर हल होता मालूम होता है। जो पोलिटिकल ट्रेन्ड है उससे मालूम होता है कि विशाल आंध्र का सूबा आज बन कर रहेगा। बम्बई भी महाराष्ट्र में जायेगा। इस सम्बन्ध में कांग्रेस कमेटी के अगर सब मेम्बर नहीं तो उनकी बहुत बड़ी संख्या ने इस बात को मान लिया है कि बम्बई को महाराष्ट्र में जाना चाहिये, ऐसी हालत में हम यह महसूस करते हैं कि बावजूद इसके कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला नहीं हो पाया है, पर दूसरी पार्टियों का फैसला हो पाया है कि बम्बई महाराष्ट्र को जाना चाहिये। पंजाब के सम्बन्ध में जैसी बात चल रही है, लिंग्विस्टिक बेसिस वहां भी है। यह करीब-करीब मानी हुई बात है कि भाषा के आधार पर प्राविन्सेज वहां और दूसरी जगहों पर बनेंगे।

जहां तक भाषा के आधार पर स्टेट्स के बनने का सवाल है उसमें यह तय बात है कि कुछ सूबे छोटे और कुछ बहुत बड़े बनेंगे। किसी की पापुलेशन कम होगी और किसी की बहुत अधिक होगी--यानी दो गुना और चार गुना होगी। जम्मू-काश्मीर का प्रश्न है, वहां केवल ४० लाख की आबादी पर ही एक प्रान्त बनेगा और इसे स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी माना है। जहां तक लिंग्विस्टिक आधार पर प्राविन्सेज बनने

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

वाले हैं, वहां हमें ऐसा ऐडजस्टमेंट करना चाहिये कि जिसमें बहुत बड़ा फर्क आबादी का न हो इसका खास ध्यान रखना चाहिये। सारे देश में सूबों के जो छोटे-बड़े नक्शे हैं उनमें ऐडजस्टमेंट होना चाहिये। जब हिन्दी स्पीकिंग एरिया को देखते हैं और जब हम मध्य प्रदेश, भूपाल, विन्ध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जिलों को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इतने एरिया में १५ करोड़ लोग बसते हैं और इसी आबादी के आधार पर हम रिआर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं। हम यह देखते हैं कि यह इतना बड़ा हिन्दी स्पीकिंग एरिया है तो इसका रिआर्गेनाइजेशन किस तरह से हो। जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है इसमें इस स्टेट्स को रखने की कोशिश की गयी है। रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जहां तक स्टेट्स को मौजूदा शक्ल में रखा जा सके वहां तक उसी शक्ल में रखने की कोशिश की है। हम इस रिपोर्ट में इस बात को देखते हैं कि लिग्विस्टिक आधार पर तब्दीली की गयी है। लेकिन जो हिन्दी बोलने वाले प्रान्त हैं उनका रिआर्गेनाइजेशन किस तरह से हो इसके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं है। जो सूबे के पश्चिमी जिलों के लोगों ने पश्चिमी जिले, पेप्सू और पंजाब के ५ जिले, ग्वालियर के कुछ जिले और विन्ध्य प्रदेश के कुछ जिले मिला कर एक सूबे की मांग की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आज यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि पापुलेशन के आधार पर इस हिन्दी स्पीकिंग एरिया का रिआर्गेनाइजेशन किस तरह से हो। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो पश्चिमी जिलों के लोगों की मांग है या जो पश्चिमी जिलों के लोग इस तरह से सोच रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह विचार इन्हीं लोगों में नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान में है।

पणिक्कर साहब की रिपोर्ट में इस मसले को डिसकस किया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है उन्होंने कहा है कि उन्हें यह हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा सूबा दिखाई देता है, इसलिये इस तरफ हमारा ध्यान जाना कि यह बड़ा सूबा है, एक सही बात है। उन्होंने कहा है कि इसके पक्ष में जो दलीलें दी गयी हैं, उसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डिसकस किया है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि दूसरे मुल्कों में भी तो इस तरह की बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं। यह जरूर है कि दूसरे मुल्कों में भी बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी स्टेट्स हैं लेकिन उन मुल्कों का जो विधान है उसमें स्टेट के रिप्रेजेन्टेशन सेन्टर में इक्वेलिटी बेसिस पर है। वहां की सिनेट इत्यादि में हर एक स्टेट का बराबर रिप्रेजेन्टेशन है, लेकिन जो हमारा फेडरल कान्स्टीट्यूशन है उसमें स्टेट्स का इक्वेलिटी के आधार पर रिप्रेजेन्टेशन नहीं माना गया है बल्कि पापुलेशन के आधार पर माना गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज चाहे हम इस वक्त सेन्टीमेन्टल होकर यह कह दें कि नहीं भारत के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ससपिसस नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि यह अपनी जगह पर उचित नहीं होगा। मुझे भी दक्षिण के इलाके में घूमने का मौका मिला है और उत्तर के लोगों के बारे में जो उनकी भावना है उसको भी सुना है, आज एक प्रकार की वहां चर्चा है कि उत्तर प्रदेश हर मामले में डौमिनेट करता है।

हमारे यहां की कांग्रेस पार्टी को एक पोलिटिकल पार्टी के रूप में काम करने का काफी मौका मिला है और जो हमारे मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी में इसको सुना होगा और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज में भी इस तरह का ससपिशन रहता है कि उत्तर प्रदेश के लोग हर मामले में डौमिनेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में बराबर दूसरे प्रदेशों को शिकायत रही है, ऐसे मौके पर जब कि हम रिआर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, हमको इस बात को भी याद रखना होगा कि नेशनल यूनिटी के नाम पर हम इस बात की यूनिटी करें कि हर एक लिंग्विस्टिक प्राविंस और वहां के रहने वालों को सारे राष्ट्र की तरक्की में हिस्सा लेने का पूरा मौका हो। हमें उस ससपिसन को भी दूर करना होगा जो कि पापुलेशन की बड़ी संख्या के संबंध में आज पैदा हो रहे हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश के

संबंध में हमें इस बात पर गौर करना चाहिये। आप देखेंगे कि बम्बई और विदर्भ को लेकर महाराष्ट्र जो बनने की आज बात है कुल पापुलेशन उसकी चार करोड़ की होगी। इसी तरह से मद्रास की पापुलेशन आंध्र के बन जाने के बाद कुल तीन करोड़ की रह गयी है। इसी तरह से बिहार की पापुलेशन हिन्दी स्पीकिंग एरिया में चार करोड़ की रह गयी है जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और उत्तर प्रदेश की पापुलेशन ६ करोड़ ३२ लाख की है।

हम देखते हैं कि पणिक्कर साहब ने अपने नोट में लिखा है कि लोगों की यह भी दलील है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होगा और उसकी पापुलेशन की आधारशिला इतनी बड़ी हो जायेगी जो कि अपनी जगह पर ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा होना उस मौके पर ठीक था जब कि बंगाल का पार्टिशन नहीं हुआ था, पंजाब का पार्टिशन नहीं हुआ था और जब कि आंध्र स्टेट नहीं बनी थी। उस समय सारे देश में कई बड़ी स्टेट्स थीं और ऐसी हालत में इसका रहना भी उस मौके पर ठीक ही कहा जा सकता था लेकिन आज जब कि रिआर्गे-नाइजशन स्टेट का होने वाला है तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिय कि जो लिंग्विस्टिक प्राविन्स बनें, उसमें लिंग्विस्टिक प्राविंस की मैक्सिमम पापुलेशन क्या हो। इसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक इनीशिएटिव की बात भी ध्यान में रहनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होते हुये भी इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी ठीक रही है। केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएन्सी का ही सवाल नहीं है बल्कि डेमोक्रटिक इनीशिएटिव को कायम रखना बहुत बड़ी बात है। इसको स्टेट रिआर्गेनाइजेशन के संबंध में देखना पड़ेगा जब आप डेमो-क्रेटिक इनीशिएटिव की बात देखेंगे, तो छोटी स्टेट के मुकाबिले में बड़ी स्टेट उतना नहीं कर सकती है। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख की पापुलेशन के आधार पर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं कि उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनीशियेटिव जो होनी चाहिये वह नहीं है लेकिन जहां तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक इनीशिएटिव का सवाल है, जहां तक लिविंग कन्टैक्ट का सवाल है, वह एक सीमा के अन्दर ही हो सकता है। ऐसी हालत में १५ करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भूपाल, विन्ध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान आदि प्रदेश हैं, इन इलाकों को लेकर हमें फिर से रिआर्गेनाइजेशन की बात सोचनी पड़ेगी, जिसमें जमीनों और जनसंख्या का सिलसिला ठीक तरह से व्यवस्थित किया जाये।

कुछ माननीय मित्रों की तरफ से यह बात कही जा सकती है कि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने फाइनल तरीके से आ गयी है, और उसके फाइनल तरीके से आ जाने के बाद हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के लिये कमीशन बैठाना उचित न होगा। मैं तो समझता हूं कि इस बहस को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले ही तोड़ दिया है। जो फैसला रिआर्गे-नाइजेशन कमीशन का है उसको अपनी लोकल लीडरशिप के जरिये से बदलने की कोशिश कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत पहले ही हो गयी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमको ऐसा फैसला करना चाहिये जिस पर आगे चल कर किसी किस्म की कोई बात पैदा न हो सके। विन्ध्य प्रदेश वाले भी हिन्दी स्पीकिंग एरिया का रिआर्गेनाइजेशन और इस सिलसिले में जो फैसला होगा उसको मानने के लिये तैयार हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान का इलाका भी बहुत ही बड़ा है और उसकी आबादी एक करोड़ ६५ लाख की होगी। मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसकी आबादी मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भूपाल को मिला कर दो करोड़ ६५ लाख की होगी। इसी तरह से बिहार की आबादी ४ करोड़ की है।

इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है जिसकी आबादी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख की है। यहां पर जो जमीन है वह मध्य भारत और राजस्थान से कम है। इसलिये हिन्दी स्पीकिंग एरिया के संबंध में मेरी स्पष्ट राय है कि इसका पुनस्संगठन किया जाय। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखा जाय कि उस एरिया की भविष्य में उन्नति होती रहे। हमको आज किसी आवाज को बहुमत के जरिये से बन्द नहीं कर देना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक बात में यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को प्लानिंग कमीशन की तरफ से बहुत ही कम रुपया मिला है, यह उत्तर प्रदेश के लिये बहुत बड़ा डिसएडवान्टेज है। इस बात को

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

भी सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश का बहुमत है इसलिये अगर वे लोग अपने प्रदेश के लिये अधिक मांग करते हैं तो दूसरे लोग इस बात की शिकायत करने लगते हैं। इसी कारण आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे दूसरे लोग उसको फील करें। आज जो यह पुनस्संगठन का प्रश्न हमारे सामने है इस पर काफी गौर से विचार करने के बाद फैसला करना चाहिये। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिय जो भविष्य में देश के लिये हानिकारक हो। हमको जनता की आकांक्षाओं का पूरा-पूरा ख्याल रखना है। मैं इस मौके पर इस बात को कहता हूं कि जहां तक सांस्कृतिक सवाल है या भाषा का प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश के लिये इस समय नहीं उठता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो दूसरा सवाल है कि किसी स्टेट का एरिया क्या हो और जनसंख्या क्या हो, उठता है। हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के संबंध में दूसरा रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठना चाहिये जो कि इन सूबों को लेकर साफ तौर से अपनी रिपोर्ट इस रिआर्गेना-इजेशन के संबंध में दे और तभी हम ठीक तरह से इस मसले पर हिन्दी स्पीकिंग एरिया के संबंध में अच्छी तरह से कुछ कर पायेंगे।

**श्री रुकुनुद्दीन खां** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला जेरे बहस है, वह इस वक्त मुल्क के और मुख्तलिफ सबों में भी जेरे बहस है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फितने दूसरे सूबों में उठे वह वहां के रहने वालों के लिये बायसे शर्म हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे सूबे में इस तरह के कोई फितने नहीं उठे। यह खुली हुई बात है कि कमीशन ने जितनी मेहनत और जाफसानी से रिपोर्ट तैयार की है, उसकी दाद नहीं दी जा सकती उन्होंने काफी वक्त दिया और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर फरमाया जिन वसूल के मुताबिक ये सूबे नई शक्ल में बनाये गये। इनमें पहला उसूल, जिस पर इस कमीशन ने ज्यादा जोर दिया है, वह लिंग्विस्टिक बेसिस का है। गालिबन इसकी वजह यह हुई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर सूबों की तश्कील का मतालबा अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में भी किया गया था, और यह मांग उस जिम्मेदार जमाअत की तरफ से की गयी थी जो मुल्क के बाहर की न थी और संख्या के लिहाज से मुल्क की नुमाइन्दा थी मेरा मतलब उस समय मुल्क की कांग्रेस जमात से है। उन्होंने खुद इस उसूल को कबूल किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर सूबाजात का तश्कील होना चाहिये। उस वक्त मौके का लिहाज करते हुये यह नहीं हो सका, मगर फिर उन्होंने अपने अमल में जाहिर कर दिया कि सूबे जात की तश्कील लिंग्विस्टिक बेसिस पर होगी। चुनांचे आंध्र की तश्कील का मतालबा करते हुये अंग्रेजी गवर्नमेंट के समय में ही, कांग्रेस ने आज ३०,४० वर्ष पहले ही यह बात कही थी और खुद आन्ध्र कांग्रेस कमेटी कायम की थी इसके बाद यह सूरत मुनायां हुई हमारा इंडियन यूनियन जहूर पजीर हुआ उसमें भी कुछ सूरतें ऐसी हो गईं कि जिस की वजह से मजबूरन रिआर्गेनाइजेशन का ख्याल पैदा हुआ। एक सबसे बड़ी बात जिसने रिआर्गेनाइजेशन की तरफ मुल्क को मुतवज्जह किया वह यह थी कि बड़ी-बड़ी रियासतें जिन की तादाद ५५० से ज्यादा थी वह इन्डियन यूनियन में शामिल हो गईं। रियासतों की जहां तक खुद मुख्तारी का ताल्लुक है वह यकीनन बजाहिर खुद मुख्तार थीं और ऐलान करती थीं कि हम खुद मुख्तार हैं और सावरेनटी क्लेम करती थीं, इसके मातहत और इस सावरेनटी के जज्बे को शायद कायम रखने के लिए या जो रियासतों पर हुक्मरां थे, उन का दिल बहलाने के लिये इन्डियन गवर्नमेंट को कुछ खास जगहें मुकर्रर करनी पड़ीं जिन के हुक्मरां कुछ असर रखते थे और जोर भी रखते थे, उन को प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी हो गया। चुनान्चे राज प्रमुख का ओहदा कायम किया गया। राज प्रमुख की रियासतें कायम की गई जो क्लास 'बी' की रियासतें कहलाती थीं, उनसे यह कह दिया गया कि वहां गवर्नर्स के बजाय राज प्रमुख रहेंगे। जब यह सूरत हुई तब सही है कि ५५० रियासतें तो नहीं रह सकती थीं, मगर उनकी तादाद बहुत कम भी की जा सकती थी। यही वजह है जिसकी वजह से रियासतों का इन्स्टीट्यूशन क्लास 'बी' कायम हुआ। मगर ऐसे मुल्क में जो आजाद हुआ हो, जो आबादी की लहर मुल्क के हर गोशे में फैलना चाहती हो, यह निहायत जरूरी था

कि उसका निजाम भी एक ही रहे। इस निजाम को एक रखने के लिए उसमें एक रंगाई पैदा करने के लिए यह जरूरत महसूस हुई कि वह रियासतें जिन में राज प्रमुख हैं, या वह रियासतें जो बराहरास्त सेंटर से गवर्न की जाती हैं उनमें कोई ऐसा निजाम कायम किया जाय जो दूसरी रियासतों से मुख्तलिफ न हो। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन मुकर्रर हुआ और उसने तफतीश शुरू की।

अब आप इसको मुलाहिजा फरमाइये कि जहां तक जनूबी हिन्द का ताल्लुक है, उस कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर फैसला किया और रियासतें ऐसी कायम कीं जिनकी जबान एक हो। मुझे उसके दोहराने की जरूरत नहीं है, माननीय मेम्बरान खूब अच्छी तरह से इस रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके सामने जो मुबाहिसा हुआ है उसको तो कम से कम सुना ही है। उससे उन्होंने यह अन्दाजा कर लिया होगा। इसमें जो बेसिस कमीशन का है वह लिंग्विस्टिक ही है। मगर यह सदर्न इंडिया तक के लिए कन्फाइन्ड है। इसके बाद और भी रियासतें हुईं। रिपोर्ट इस कदर मुफस्सल और वसीह है कि मैं समझता हूं कि मेरे लिए इतना मौका नहीं है कि मैं इस पर कोई मुफस्सल तबसरा करूं। जहां तक दूसरे प्राविन्सेज का ताल्लुक है मैं यह अर्ज करूंगा कि यों तो राय देने का हक हम को जरूर है, मगर पहली राय उन प्राविन्सेज की है और वहां के बसने वालों की है और वही मुकद्दम है कि आया उन सूबों की तकसीम की जाय या न की जाय। चुनांचे मेरा जहां तक ताल्लुक है मैं उन सूबेजात की तश्कील के ऊपर जो नये सिरे से इस वक्त कायम हुये, कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि नेशनल यूनिटी, भारतीय एकता, नेशनल हुकूमत का एक होना और उसकी मजबूती इस बात पर कायम है कि सब जमातें और सब सूबे इस तरह मुत्तहिद्दा और मुत्तफिक हों कि वह अपने को एक ही जिस्म का जुज समझें या यों कहिये कि एक दरख्त की शाखें समझें। उनका ताल्लुक सेन्टर होना निहायत जरूरी है, और सेन्टर के साथ अपनी वफादारी का इजहार भी जरूरीसेहै। अगर इस चीज में कोई फर्क आता है तो फिर रिआर्गेनाइजेशन बेकार है। अगर सेन्टर कमजोर हो गया तो फिर हुकूमत जरूर कमजोर हो जायगी। हमारी गवर्नमेंट का हमेशा से यही दस्तूर रहा है, और हमारा यही उसूल रहा है कि हम हिन्दुस्तान के हर जुज को एक जिस्म का जुज समझें। अगर खून की लहर इस जिस्म के किसी हिस्से पर नहीं पहुंचती है तो वह हिस्सा या तो खुश्क हो जायगा या उसमें सड़न पैदा हो जायगी और अगर सड़न पैदा हो गई तो इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता, उसका जिस्म बाकी नहीं रह सकता, उसको जान देनी ही पड़ेगी। जिस्म के एक जुज की सड़न से सारा जिस्म खत्म हो जायगा। इस से यह निहायत जरूरी मालूम होता है कि हर जुज का ताल्लुक सेंटर से हो और इस बात को देखते हुए हर सूबे को इस बात का लिहाज करना पड़ता है कि कोई बात ऐसी न हो जिससे फसाद हों। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो फितने दूसरे सूबों में नामूदार हुये और जो तजकिरा एवानआला में हुआ और यही नहीं बहुत से जिम्मेदार मिनिस्टरों ने यहां तक कहा कि कमीशन की रिपोर्ट बालायेताक रख दी जाय, तो मैं कहूंगा कि अब इसका जमाना नहीं है। त्यागी जी ने बयान में यह कैसे फरमा दिया यह समझ में नहीं आता है। वक्त जितना लगाया गया है, मुल्क का जितना भी पैसा खर्च किया गया है उस को जाया न करना चाहिये और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसको हमें समझना चाहिये और जहां तक बाजिबुल अमल हो उसको अमली जामा पहनाना चाहिये।

जहां तक हमारे सूबे का ताल्लुक है इसमें कोई शुबहा नहीं, कि उसका कोई जुज अलग नहीं किया गया है। यह खुशी की बात है। मगर नोट आफ डिसेन्ट जो पणिक्कर साहब ने दिया है और जो इस रिपोर्ट का जुज हो गया है, उसके बायस यह बहस हुई। उनका ख्याल है यू० पी० के दो टुकड़े कर दिये जायं और उसके १६ जिलों को अलग कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि यह मतालबा जिस वक्त पेश किया गया था क्या तजवीज के वक्त भी वही सूरत मौजूद थी। ९९ मेम्बरान ने एक मतालबा पेश किया था। मेम्बरान कौंसिल या मेम्बरान असेम्बली उसमें शामिल थे। उसके बाद मालूम यह हुआ कि अक्ले दुरुस्त हो गई और कम से कम ७० मेम्बरान ने अपने

[श्री रुकुनुद्दीन खां]

दस्तखत वापस लिये और कहा कि हमारा मतालबा यह नहीं था कि यू० पी० के टुकड़े किये जायं। अब २९ मेम्बरान बाकी रहते हैं जो यह कहते हैं कि १६ जिलों को अलग कर दिया जाय। क्या इसी मतालबे पर पणिक्कर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि यू० पी० के १६ जिलों के अन्दर डिस्सैटिस्फेकशन है इसलिये वे अलग कर दिये जावें। अजी डिस्सैटिस्फेकशन कैसा? मैं तो यह अर्ज करता हूं कि अगर उन १६ अजलों के सब रहने वालों की राय समझ कर यू० पी० से अलहदा कर दिया जाय तो फिर बाद को उन्हीं अजलों का यह मतालबा होगा कि हमको फिर यू० पी० में शामिल कर दिया जाये। यह मांग फिर पूर्वी अजलों से न उठेगी कि उन अजलों को यू० पी० में शामिल किया जाये। बल्कि उन्हीं अजलों से जरूर शुरू हो। जिनको अलहदा किया जा रहा है। आज सदियों से साथ साथ रहते हुये अब यह मतालबा नहीं किया जा सकता है कि वहां के रहने वालों को अलग किया जाये। लिहाजा वह डिस्सैटिस्फैक्शन जिसका पणिक्कर साहब ने तजकिरा किया है, वह ख्याली है, मुमकिन है कि ख्वाब में उन्होंने मनाजरा देखा हो मगर हकीकत में ऐसा कोई मनाजरा नहीं है। मुझे उधर के लोगों से बातचीत करने का इत्तिफाक हुआ है, वह कहते हैं कि यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है और न हम चाहते हैं कि हमको अलाहदा कर दिया जाये।

पणिक्कर साहब को यह भी ख्याल पैदा हुआ कि यू० पी० एक बहुत बड़ा सूबा होता जा रहा है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारा सूबा बढ़ा दिया जाये। हां, अगर कोई दूसरा सूबा चाहता है कि हमको यू० पी० में शामिल कर लिया जाये, हमको भी यू० पी० का जुज बना लिया जाये, तो हमको कोई एतराज नहीं हो सकता है। इसमें उन सूबेजात की विल है, हमारी विल नहीं है। तो जब यह कोई नहीं चाहता है कि हमको यू० पी० से अलहदा किया जाय और सिर्फ २९ आदमियों की अगर यह ख्वाहिश है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनमें डिस्सैटिस्फैक्शन है। उनका यह ख्याल है कि यू० पी० ने कोई तरक्की नहीं की है। मैं तो यह कहता हूं कि सन् ५१ की सेंसस रिपोर्ट को छोड़ कर सन् ५४ और सन् ५५ के कामों को देखें कि यू० पी० ने क्या तरक्की की है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यू० पी० ने जो कुछ किया है वह एक नमूना है, दुनिया के लिये कि हमारी तरह तुम भी काम करो और तरक्की करो। आज हमारे यहां पंचायती राज्य कायम हो गया है। गांव-गांव में आजादी की मिसाल पेश है। अगर हमारी बातों को लेकर कोई भी मुल्क चलेगा तो वह तरक्की करता जायेगा। हमने तो एक नमूना पेश किया है कि अगर कोई भी इन बातों को लेकर चलेगा तो वह तरक्की करता रहेगा। पणिक्कर साहब ने भी जो यह १६ अजला को अलग किया है, वह लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं किया है। यहां पर उन्होंने कहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपैसिटी और एकोनामिक प्वाइंट आफ व्यू को देखते हुये उन्होंने कहा है कि इन अजला को अलाहिदा किया जाये। यू० पी० एक ऐसा सूबा है कि वहां के रहने वालों में कोई माइनारटी में नहीं हैं। यहां हिन्दू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं रक्खा गया है। यहां पर मुसलमान भी माइनारटी में नहीं हैं। यहां पर मजहब को लेकर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब यह बात नहीं है तब हमको यह देखना चाहिये कि हमारा सूबा कैसा होना चाहिये। यहां पर लिंग्विस्टिक माइनारिटी का भी कोई सवाल नहीं है। कोई दो कौमों का सवाल नहीं है। जब कोई माइनारिटी का सवाल नहीं है तब फिर कौन सा सवाल रह जाता है, जिसकी बिना पर इसकी तशकील की जाये। यह भी नहीं है कि किसी लिंग्विस्टिक माइनारिटी को तहफ्फुज दिया जाये। मुझे माफ किया जाय और कोई गलतफहमी न होनी चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या उर्दू यू० पी० में लिंग्विस्टिक माइनारिटी की तारीफ में आयेगी। माइनारिटी की तारीफ में वह तब आयेगी जब उसके समझने और बोलने वाले कम हों। मैं तो समझता हूं कि यू० पी० के रहने वाले ९९ फीसदी

वह जबान जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते हैं और बोलते हैं। इसमें तफरीक हिन्दू मुसलमान को नहीं हैं।

इस जबान को चाहे आप हिन्दुस्तानी कह लीजिये, या आसान उर्दू। यह न उर्दू मोयल्ला कही जा सकती है, न हिन्दी संस्कृत वाली कही जा सकती है यह वह जबान है जो ९९ फीसदी समझी जाती है। ऐसी जबान को माइनारिटी की जबान कहना ठीक न होगा। अब मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि हमारे सूबे के अन्दर अगर माइनारिटी की जबान कोई मानी जाय तो वह कैसी होगी? हक पसन्द लोग कभी यह नहीं कहेंगे कि हिन्दी जबान हो और उर्दू जबान भी हक रखती है कि वह जिन्दा रहे। अगर जिन्दा रहने का हक है तो फिर क्या सूरत पैदा होगी, हमारी स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट होगी। हमारी स्टेट ऐसी है जो बाई लिंग्विस्टिक स्टेट होने की मुस्तहक है। जबान तनहा हिन्दी न होनी चाहिये बल्कि हिन्दी और उर्दू सरकारी लैंग्वेजेज होना चाहिये। इससे यह मतलब हर्गिज नहीं है कि हिन्दी को किसी तरह का कोई नुकसान होगा, हर्गिज न होगा इस वास्ते कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होने की वजह से पढ़ाई जायेगी और हर शख्स का फर्ज होगा कि वह खुद पढ़ेगा और पढ़ायेगा। साथ ही साथ ऐसे खानदान, जो उर्दू में अपने बच्चों को तालीम देते रहे वह क्या पढ़ाना खत्म कर देंगे, नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम उर्दू कुशी नहीं करना चाहते हैं। फिर क्या है, कौन सी बात ऐसी होगी जो उर्दू पढ़ने वालों के रास्ते में सबेराह होगी। अगर कोई चीज नहीं है तो खुली हुई बात है कि इस देश की जबान दोनों होंगी। अब सूरत ऐसी है कि हमारा सूबा बाई लिंग्विस्टिक होगा, यहां की जबान हिन्दी और उर्दू दोनों रहेंगी और एकता पैदा होगी और जो मामूली डिस्सैटिस्फैक्शन जो उर्दू नवाजों की ओर से है, वह भी दूर हो जायेगा और उनको तसल्ली हो जायेगी। जब यह पोजीशन है तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि जो कमीशन की रिपोर्ट है और जो माइनारिटी के मुताल्लिक उन्होंने लेंग्वेजेज के बाबत लिखा है उसके बाद इन्डोर्समेंट किया जाय और उसके लिये कोशिश राइट स्प्रिट में की जाय। तो यह चीज पैदा हो जायेगी और हमारी स्टेट नमूना स्टेट होगी और अगर ऐसा न होगा तो लोगों को यकीनन शिकायत का मौका होगा।

एक और गुजारिश कर दूं हमारे सूबे के मुताल्लिक इस बात का ख्याल पैदा हो गया हो कि जरूरत से ज्यादा बढ़ जायगा और फिर क्या होगा सूबों पर हावी हो जायेगा, यह गलत बात है, उनके दिल में जो ख्याल है वह बेबुनियाद है। मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुये यह जोरदार अल्फाज में कहता हूं कि यू० पी० घटाया नहीं जा सकता और हमेशा तरक्की करता रहेगा बाद अन्देशे चाहे कितना बुरा चाहें।

एक शेर है:—

उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते है,
कि यह टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जावे।

हमारा यू० पी० जिन्दाबाद, भारत पायन्दाबाद।

**श्रीमती सावित्री श्याम** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से हम आजाद हुये हैं, हमारे सामने अनेक समस्यायें आती रही हैं। देश को संकट काल से हो कर गुजरना पड़ा है। यह तो हमारे नेताओं की दूरदर्शिता थी कि इन समस्याओं का समाधान बड़ी कुशलता से किया। जब अंग्रेज यहां से गये तब भारत कई प्रकार के शासनों से शासित था। एक तरफ वे प्रांत थे जिनमें नाममात्र की प्राविंशियल एटानामी थी और दूसरी तरफ ६०० देशी रियासतें थीं जिनमें देशी राजाओं की निरंकुशता थी। इसका श्रेय सरदार पटेल को है जिन्होंने सबको एक सूत्र में बांध दिया। श्रीमन्, भारत में कुछ ऐसी प्रवृत्ति रही है कि प्रांत, भाषा के आधार पर बनाये जायं और आजादी के बाद यह प्रवृत्ति और भी तेजी से बढ़ी और उसी आधार पर ३ वर्ष हुये आंध्र का प्राविंस अलग बनाया गया। किन्तु श्रीमन्, अब यह उचित समझा गया कि अगले चुनाव से पहले प्रान्तों का रिआर्गेनाइजेशन किया जाय, जिससे देश में सिक्योरिटी, यूनिटी और इकानामिक प्रोसपैरिटी प्राप्त हो सके। लेकिन

[श्रीमती सावित्री श्याम]

हम देखते हैं कि जब देश को एकता की आवश्यकता है तब मुल्क प्राविंशियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। खुदगर्जी की भावना तेजी से बढ़ रही है। आज हम इस चीज को समझने में भी असमर्थ हैं कि देश का वास्तविक हित किस में है। जैसा कि कमीशन ने बताया कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में साथ-साथ भाग लिया और अपना खून बहाया वे बौर्डर वार फेयर में इतने संलग्न हैं कि एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्रीमन्, कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रश्न उठ सकता है। किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके विभाजन का भी प्रश्न उठाया जा रहा है। इस प्रश्न के उठाने वाले हमारे पश्चिमी जिलों के कुछ व्यक्ति हैं। मैं भी पश्चिमी जिले की रहने वाली हूं। मैं कह सकती हूं कि वहां की जनता नहीं चाहती कि उनका अलग प्रांत बनाया जाय। जिन लोगों ने यह मांग की है उन्होंने इसका आधार यह बना रखा है कि पश्चिमी जिले इग्नोर किये जाते हैं और उनका पैसा पूर्वी जिलों के हित में लगा दिया जाता है। कितना छोटा यह ख्याल है। इस ख्याल से किस की गर्दन शर्म से न झुक जायगी। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पश्चिमी जिले कुछ खुशहाल रहे हैं, उनको गर्व होना चाहिये कि उनका कुछ अंश दूसरे भाइयों के हित में भी लगा दिया जाय। हमको इतना तंगदिल नहीं होना चाहिये। हमारी तंगदिली इस हद तक न पहुंचनी चाहिये कि हम अपने ही प्रान्त के टुकड़े करने की मांग कर बैठें।

हां, यह कुछ ठीक हो सकता है जैसा कि कमीशन की रिपोर्ट के पढ़ने से पता चलता है और जिसका कि श्री पणिक्कर ने उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में प्रामिनेंस जमाये लेता है और उसको कम करने के लिये इसे छोटा करने की आवश्यकता है। श्रीमान जी, ऐसा सोचना दूसरे सूबे वालों के लिये स्वाभाविक हो सकता है। यदि हम भारतवर्ष के २० वर्ष पुराने नक्शे को देखें, उसके पुराने इतिहास को पढ़ें तो पता चलता है कि दूसरे प्रांतों में कितने परिवर्तन हुए हैं। १९३६–३७ में बम्बई से सिन्ध अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। पाकिस्तान बनने पर पंजाब और बंगाल के टुकड़े हुये, किन्तु उत्तर प्रदेश ज्यों का त्यों बना रहा और इसलिये यह दूसरे प्रान्त के लोगों की आंखों में खटक रहा है। इसके लिये कुछ कारण भी न थे, हां आज कुछ फर्जी कारण बना कर लिख दिये गये हैं, जो निराधार हैं। यह कहना गलत है कि यू० पी० कहीं भी डोमिनेट करता है और अगर करता है तो इसलिये नहीं कि उसका रिप्रेजेन्टेशन भारतीय पालिया-मेंट में सब से अधिक है। यह तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने से ठीक भी किया जा सकता है। फिर आप देखें कि कमीशन के दूसरे सदस्यों ने अपनी राय देते हुए श्री पणिक्कर की राय को निराधार भी साबित कर दिया है कि इसके विभाजन की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु यू० पी० के डामिनेट करने के कारण कुछ दूसरे हो सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सदैव से सभी प्रांतों से अग्रसर रहा है, इसने सब का पथ-प्रदर्शन किया है, स्वतंत्रता की लड़ाई में इसका विशेष हाथ रहा है, इसने महान् व्यक्ति और नेता पैदा किये हैं और सदैव ही दूसरों को शक्ति देता आया है। आजादी के बाद जो तूफान उत्तरी भारत में आया था, उत्तर प्रदेश ने उसका सामना किया था और उस आग को भड़कने नहीं दिया था। जिस पर हमारे प्रधान मंत्री, जवाहर लाल जी ने पंत जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर यह आग उत्तर प्रदेश में फैल जाती तो इसका प्रभाव सारे देश पर पड़ता और बहुत ही भयंकर परिणाम इसका होता। श्रीमन् जी, उत्तर प्रदेश का विभाजन होने का तात्पर्य यह है कि हमारी पुरानी मर्यादा नष्ट हो जायगी।

श्री पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट में विभाजन का जिक्र किया है, जिसके पढ़ने से यह पता चलता है कि श्री पणिक्कर जैसे विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का कितना कम ज्ञान है। उसको दूसरे व्यक्तियों ने बड़ी अच्छी तरह से काटा है। श्री पणिक्कर ने देहरादून को पूर्वी जिलों के साथ मिलाया है। इससे भलीभांति पता चलता है कि उनका अनुभव

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में बहुत कम है। जहां तक इसके अनवाइल्डली का प्रश्न है तो आप देखें कि हमारे जो दूसरे प्रान्त हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, वह बहुत विशाल हैं। बम्बई भी कमीशन की सिफ़ारिश के बाद एक बड़ा प्रदेश है और जहां तक मेरा अनुभव है यह सभी साइज़ के लिहाज से उत्तर प्रदेश से बड़े थे। बटवारे से पहले बंगाल भी उत्तर प्रदेश से कम न था। कभी मद्रास भी एक बहुत बड़ा प्रान्त रहा है। यदि हम यह कहें कि यू० पी० अनवाइल्डली है पापुलेशन के कारण तो यह भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की डेनसिटी आफ पापुलेशन का हिसाब लगायें तो भी यह भारतवर्ष में आबादी के हिसाब से चौथे नम्बर पर है, जैसा कि कल नेता सदन ने बताया था कि जन-संख्या या विस्तार में अधिक होने से ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमजोरी पैदा नहीं होती है, बल्कि ज्यों-ज्यों प्रान्त बड़ा होगा, उसकी आमदनी अधिक होगी, उसके साधन बड़े-बड़े होंगे और अधिक पैसा अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता है, शासन प्रबन्ध सुचारु रूप से चल सकेगा। श्रीमान्, आज का जमाना छोटी-छोटी स्टेट्स का नहीं है। जब हम छोटे-छोटे राज्यों में बंटे थे तो अपनी आजादी को भी खो बैठे थे। प्रोफेसर कूटलैन्ड जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के इतिहास व राजनीति का अध्ययन किया है, उन्होंने पूरे भारत को ६ हिस्सों में बांटा है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश को और भी बड़ा होना चाहिये। फिर किसी फेडरेशन की सब यूनिट जन-संख्या और धन-दौलत और विस्तार में बराबर नहीं होते। अमेरिका जैसे फेडरेशन की सभी यूनिटें बराबर नहीं हैं। जो वहां की स्टेट विस्तार में बड़ी है वह जनसंख्या में बड़ी नहीं है और जो जनसंख्या में बड़ी है तो वह विस्तार में बड़ी नहीं है। इसी तरह से आस्ट्रेलिया फेडरेशन की सभी यूनिटें बराबर नहीं हैं। रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी सभी यूनिटों को इस विचार से बराबर नहीं रक्खा है। श्रीमन्, अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी ऐसे आधारों से किया जाय तो वह गलत होगा। श्री पणिक्कर ने अपने नोट में इस बात पर जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश लिटरेसी में बहुत पिछड़ा हुआ है यह भारत के सभी प्रान्तों की लिटरेसी सेन्सस पेपर से लिया है और इससे १०.८% उत्तर प्रदेश की लिटरेसी आती है। अगर हम यह मान भी लें कि उत्तर प्रदेश लिटरेसी में बहुत पिछड़ा हुआ है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम उत्तर प्रदेश का विभाजन न करके, ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्च न करके शिक्षा पर वह धन खर्च करें। जहां से उन्होंने लिटरेसी के ये फीगर्स लिये थे तो वहां और उसी पेपर में पढ़ने का अगर श्री पणिक्कर कष्ट करते तो यह लिखा हुआ भी मिलता कि सन् १९२१ से आज तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा में कितनी प्रगति हुई है। मैं आपकी आज्ञा से उसको थोड़ा पढ़ देना चाहती हूं :--

"It will be seen that the progress of literacy since 1921 has been phenomenal. Taking the number of literates alone, the proportion of literates registered an increase of 34 per cent in 1921-31, and of 105 per cent in 1931-41, and of 44 per cent during 1941-51."

साथ ही साथ हमारी लिटरेसी नापने का जो पैमाना है, वह भी बड़ा गलत है और मिसलीडिंग है। क्योंकि प्रत्येक स्टेट में एक दिन से लेकर ६ साल तक के बच्चों की संख्या अधिक होती है। कोई भी स्टेट कितनी ही प्रोग्रेसिव क्यों न हो और कितनी ही कोशिश क्यों न करें, लेकिन इन नन्हें-नन्हें बच्चों को पूर्ण शिक्षित नहीं कर सकती है। जितनी बड़ी स्टेट हो उतने छोटे-छोटे बच्चे इसकी जनसंख्या में अधिक होंगे। यदि परसेन्टेज आफ लिटरेसी के बजाय इन्डेक्स आफ लिटरेसी देखा जाय और जिसमें से छोटे-छोटे बच्चों को जन-संख्या से निकाल दिया जाय, तो उत्तर प्रदेश का इन्डेक्स आफ लिटरेसी ५० प्रतिशत होगा। फिर श्री पणिक्कर का यह वाक्य हमारे लिये एक चैलेन्ज है तो हमें अपने प्रदेश की अशिक्षिता को दूर करना है। जब सन् १९३७ में कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे सूबे में आई तो लिटरेसी का मूवमेंट बड़ी तेजी से चला। सन् ३९ में एक "लिटरेसी डे" मनाया गया। उस समय मैं भी एक छात्रा थी। हमें यह प्लेज करना पड़ा था कि किसी एक को लिटरेट करेंगे। इसलिये हमें यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिटरेट करना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करती हूं।

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)**—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं उस रिजोल्यूशन की ताईद करूंगा जो ओरिजनल है और वह इस शक्ल में है :—

"This House agrees generally with the States Reorganization Commission in their recommendations and emphasises that the Stete of Uttar Pradesh should remain as it is, subject to such minor border adjustment as might be considered necessary."

मैंने अपनी भावनाओं और ख्यालों को मद्देनजर रख कर मजबूरन यह ख्याल किया कि हमारे सामने कोई और आसान रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे ख्यालात पार्टीशन या रिआर्गेनाइजेशन आफ़ प्राविन्सेज के विरुद्ध हैं, लिहाजा मेरे रास्ते में सिर्फ यही मुनासिब आया कि मैं सिर्फ उस रिजोल्यूशन की ताईद करूं।

जनाबेमन, मैंने पणिक्कर साहब की रिपोर्ट को देखा और स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को भी देखा, मेरे दिल में उनकी मेहनत, उनकी मुहब्बत और उनकी दिलचस्पी के लिये जगह है। मैंने कल यहां तकरीरें भी सुनीं, मेरे दिल में जनाब गोविन्द सहाय साहब की नाजुक ख्याली, सरलता, सादगी और सद्भावना का काफ़ी ख्याल है कि उन्होंने एजीटेशन करना मुनासिब नहीं समझा महज अपने ख्याल और विचार को पेशइवान रखना मुनासिब समझा। यह ऐन मेहरबानी है। हमारे भाई कन्हैया लाल जी ने अपनी सद्भावनाओं को लेकर अपने प्रेम का परिचय दिया। पश्चिमी जिलों की सच्ची हालत देख कर चैलेन्ज दिया। मुझे इस मौक़े पर नासिख का शेर ख्याल आया—

'जाहिर कि आग से न तमाशा करे कोई,
हो देखना तो दीदये दिलवा करे कोई।'

फिर एक चीज बहुत अच्छी है मगर यह भी ख्याल रहे:—

भड़क उठेगी यह आग एक दिन लगाई है जो दिल व जिगर में,
कि अन्दर अन्दर सुलग रही है, दबी हुई है, बुझी नहीं।

जनाबेमन्, मैंने अपने सूबे में देखा है और दूसरी जगहों में भी देखा है यह बात देखने में आई है। किसी फ़ासिद ख्याल को लीजिये, पब्लिक को भड़काना आज कोई मुश्किल नहीं लगता है, कोई देर नहीं लगती है, आग भड़क उठी है, शोले उभड़ उठते हैं, चमक उठते हैं। मैं उन सभी साहबान की बात को ख्याल करता हूं और उन दोनों को शुक्रिया अदा करता हूं और कदमबोसी के लिये भी तैयार हूं।

जनाबेमन्, मेरी तो राय यह है कि न कोई रिआर्गेनाइजेशन का मौका है, न रिडिस्ट्रिब्यूशन का मौका है और न पार्टिशन का मजा देखने का दिन है। मैं आपसे बड़ी सदाकत के साथ पूछूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखें और हर साहबान अपने दिल पर हाथ रखें और बतायें कि क्या यह मौका रिआर्गेनाइजेशन का या रिडिस्ट्रिब्यूशन का है, या नहीं? क्या आपके सामने सन् १९०५ में जो बंगाल का एजीटेशन हुआ, उसका नजारा नहीं है, क्या लाजपत राय, महात्मा गोखले और महात्मा तिलक के एजीटेशन का ख्याल नहीं है। क्या जो अभी हाल में पार्टीशन हुआ, उसका गमनाक और दर्दनाक, जिगरअन्दाज जो सीन है, उसका ख्याल नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में जमाने की आंखे पथरा गयी हैं, क्या आपसे पूछूं और अपने दिल से भी पूछूं, अभी आंख खुलते देर नहीं हुई कच आस्दोकय पीरशुदी even the pub opens its eyes after 20 days.

आज हमारे सामने महज आजादी पा जाने के बाद, चन्द वर्षों की मेहनत और मशक्कत और मुहब्बत की रेखा देखने के बाद, यह जोशो खरोश हुआ कि हम रिआर्गेनाइजेशन करें, रिडिस्ट्रिब्यूशन करें। इस मसले के मुताबिक आपके सामने बहुत सी मौजूदा मिसालें हैं—जैसे बम्बई की मिसाल और विन्ध्य प्रदेश की मिसाल है। आपको महज एक आवाज के ऊपर ही किसी बात

का फैसला नहीं करना चाहिये। आपको इस काम को सोच कर करना चाहिये, ताकि बाद में कोई मुश्किल पैदा न हो। आपको यह बात भी ख्याल में रखना चाहिये कि यह मसला बहुत आसान नहीं है, जिसको आप सिर्फ एक चश्म जदन में फैसला करें। मेरा तो ख्याल है कि अभी आप आजादी के सिर्फ पहले ही रास्ते में हैं और आप को अपने डोमेस्टिक कामों में कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है।

इसके साथ ही साथ में आपका ध्यान गोआ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो वहां पर दर्दनाक और शर्मनाक वाकया हुआ है, उसको सब लोग जानते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोब्लेम आप के सामने कश्मीर का है जिसको आप अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। आपका पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसके बारे में जो आपकी कठिनाइयां हैं वे भी अभी तक आप तय नहीं कर सके हैं। आज आपको फिर शान्त होकर इस बात की कोशिश करनी चाहिये, जंग और जद्दो जेहद को बताते हुये कि यह मसला शान्ति के साथ खत्म हो।

दूसरी चीज यह है कि मैं पूछूं कि क्या आपने महज एक साल जरा सा फूड प्रोब्लेम साल्व कर देने के बाद यह ख्याल कर लिया कि हमने फूड का प्रोब्लेम बिल्कुल हल कर लिया है। आपने तो पहली मंजिल की आधी मंजिल तय की है और फूड प्रोब्लेम का अभी काफी मामला है और अभी इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन तथा डिफेन्स का मामला बहुत काफ़ी है। ये चीजें आपके सामने है। इन चीजों को जब आप तय कर लें और तय करने के बाद लोगों में शान्ति, अमनो-अमान, चैन और प्रेम की लहर उमड़ती हो तब इस तरह का ख्याल पैदा हो तो इतना ग़ैर-मुनासिब न होगा। हां, मुझे अब ख्याल आया कि क्यों आपको यह ख्याल आया। उसका कारण माकूल है, लेकिन इलाज माकूल नहीं है। आपने स्वर्गीय पटेल जी की मेहनत, मशक्क़त और मोहब्बत का समरा देखा। ६०० रियासतें कम से कम उन्होंने अपने उस जोश और मोहब्बत के ख्याल से अपना लीं जो कि तलवारों से हल नहीं हो सकती थीं और जैसा अंग्रेज लोग ख्याल करते थे कि हम एक मसला छोड़ कर जाते हैं और हिन्दुस्तानी लड़ते-लड़ते जान दे देंगे और जान दे देने के बाद मुल्क के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे इस ख्वाब को माननीय पटेल जी ने बातिल साबित कर दिया। महज़ आपके सामने यह डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, रिआर्गेनाइज़ेशन का सवाल है और उन ६०० रियासतों की बात है। यह लिंग्विस्टिक, कल्चरल, पोलिटिकल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर तय हैं। उन चार मामलों पर आप तय कर सकते हैं, लेकिन देश के रहने वालों की जो भावना है, उसकी ताज़ीम आप को करनी पड़ेगी। अगर हम और आप मिल कर यह चाहते हैं कि हमारे मुल्क में शांति रहे, शान्ति का राज्य रहे, तो यह होना चाहिये। इस मसले को आप शान्ति के साथ, ऐडजेस्टमेंट के साथ, उनकी जरूरत के मुताबिक तय कर लेंगे तो निहायत मुनासिब होगा और लोगों को शान्ति होगी। मैं देख रहा हूं कि १ बज रहा है अगर आप कहें तो आगे कन्टीन्यू करूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—अगर आप जल्दी खत्म कर दें तो अपना भाषण जारी रखें, नहीं तो लन्च के बाद बोलियेगा।

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**—मैं कम से कम १०,१५ मिनट और बोलूंगा।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—तो आप लन्च के बाद बोलियेगा।

सदन की बैठक २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक १ बजे स्थगित हो गई और २ बज कर ५ मिनट पर श्री अधिष्ठाता (श्री ज्योति प्रसाद गुप्त) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले तजकिरा कर रहा था कि रिआर्गेनाइज़ेशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर करना है और जो लाजिमी है तो जो इंडियन स्टेट्स हमारे कब्जे में आई हैं उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन, लिंग्विस्टिक कल्चरल, ऐडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात का ख्याल करके, ऐडजस्ट-

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

मेन्ट उन इलाकों से कर देना चाहिए, जिनका उनसे ताल्लुक़ है और मैं यकीन के साथ अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि अगर ऐसा न किया गया तो मेरा ख्याल है it will be a Himaliyan blunder काश, मेरी दरखास्त न कबूल हुई, तो जैसा कि मैंने ओरीजिनल रिजोल्यूशन की ताईद करना मुनासिब समझा है, मैं अब अपने सूबे की तरफ मायल होता हूं। जनाब, पहला एतराज़ अपने सूबे के लिए यह होता है कि इट इज़ अनवील्डी, यह इन्तजाम और एहतमाम के अहाते से बाहर है तो मैं यह पेश करना चाहता हूं कि इसको टू स्माल बनाया जाय, तो क्या यह मुनासिब होगा कि स्माल प्राविन्सेज़ अपनी यूनियन में रन करें। आप ही खुद फरमाते हैं अपनी रिपोर्ट में कि स्माल यूनिट्स, स्माल प्राविन्सेज़ सक्सेज़फुल्ली चल नहीं सकते हैं, उनका इन्तजाम, उनका एहतमाम नहीं हो सकता। मैं यह अर्ज करता हूं कि यह बात याद कर लेना चाहिये और ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक बार्डर प्राविन्सेज़ है, चाहे यूनियन के जिस कोने में हों, they must be strong and big। अगर ऐसा नहीं होता तो जो जरूरतें हैं उनको आप पूरा नहीं करते। आप अपनी जिम्मेदारी से जो कि निहायत ज़रूरी और मुश्किल जिम्मेदारी है, उससे हट रहे हैं। यू० पी० अगर बड़ा है मुबारकबाद है, और यूनियन के लिये भी मुबारकबाद है और उसे इतना ही बड़ा होना चाहिये। It will be a tower of strength to the union अगर कोई प्राविन्स हमसे मिलना चाहता है और लोगों की ख्वाहिश हो, लोगों के जज़्बात हों और हममें मिलना चाहते हैं, तो मुबारकबाद है, वह हममें मिल सकते हैं। हमारे लिये यह भी कहा जाता है कि हम एजूकेशनली बैकवर्ड हैं। मैं जनाब को याद दिलाना चाहता हूं उस ज़माने की, जिस ज़माने में कांग्रेस बरसरे इक्तदार नहीं थी। मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में मैंने इस बात की जांच करने की कोशिश की कि आया यहां पर एजूकेशन की क्या हालत है। मैंने दौड़ो दबिस के बाद यह पता लगाया कि इस कलकत्ते में खाली १५० इन्टरमीडियेट कालेजेज़ हैं। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कब्ल इसके कि कांग्रेस हुकूमत में आये, पहले से एजूकेशनली बहुत एडवान्स थे। आज हम इन आठ वर्ष के अन्दर देखते हैं कि हमारा परसेन्टेज १० परसेन्ट हो गया है। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हुकूमत का यही नज़्म है, यही ख्याल है तो १० वर्ष के अन्दर people will take a lead from us और यह रहनुमा बन कर रहेगी।

तीसरी बात इन्डस्ट्री की आती है। जिस तरह से इन आठ वर्षों में इन्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ यू० पी० ने ध्यान दिया वह काबिले कद्र बात है। इसके लिये कहा गया कि डेफिसिट एरिया है। सवा तीन करोड़ से कम हैं। यह बजटिंग का एक स्ट्रांग प्रिंसिपल है कि डेफिसिट करार करके किसी सूबे का ऐडमिनिस्ट्रेशन किया जाय। जो सूबा डेफिसिट अपने बजट में नहीं है उस सूबे के पास योजना नहीं, ख्याल नहीं। अब मैं उन उसलों की तरफ आता हूं जिनको रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपने मद्देनजर रखा है। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें किस कदर कमजोरी पाई जाती है। मैं इस सिलसिले पर यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सूबा आज का नहीं है आज से १०० वर्ष या ९९ वर्ष से है। किसी हालत से इसको कमजोर नहीं कहा गया। मेरा ख्याल है कि जब आज से १५ वर्ष पहले, जब रेलवे में मैं सफर करता था तो मुझे मद्रास, कलकत्ता और पटना के एम० पीज़० मिले। दौरान गुफ्तगू में मुझ से पूछा कि मैं कहां का रहने वाला हूं। मालूम हुआ कि मैं यू० पी० का रहने वाला हूं। उन्होंने कहा कि you belong to the best administered province. आज इस बात का ख्याल करके और अपने यहां की हुकूमत को देख करके गर्व होता है। किसी हालत में हमारी ताकत में, पीस में, प्रिजरवेशन में और मुहब्बत में फर्क नहीं है। इस हालत में यह याद दिला देना बईद न होगा कि इंडिया का जिस वक्त पार्टीशन होने वाला था, हालांकि यू० पी० को कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन फारसी में मैंने पढ़ा था "शादियां रोज़ अज़ल हुस्न पर तुरदां दादंद। अक्लोदानिश हमें बादम अमावा मरदूमे इसां दादंद।" अगर उलट कर यहां कहें "अक्लोदानिश हमां बा नरदुमे यू० पी० दादंद" तो बेजा न होगा। आज यू० पी० जो अपना प्रभाव रखता है

इसका कारण यह है कि यहां की सरजमीन ने नेहरू, पन्त, टंडन, सम्पूर्णानन्द और नरेन्द्र देव जैसी काबिल हस्तियां पैदा की हैं। लोगों का यह ख्याल है कि इनकी वजह से यह इन्फलुयेन्स करता है।

The man who speaks well rises head and shoulders above.

आज अगर इनसे प्रभावित हो कर और तरक्की देखकर कोई खिचता है तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। दूसरी चीज जो उन्होंने फर्माई है वह है लिंग्विस्टिक कल्चरल होमेजिनटी। लिंग्विस्टिक के सफा १२, १३, १४ में यह है कि कांग्रेस ने सन् १६०५ में इस बात पर जोर दिया था कि लिंग्विस्टिक एरियाज होने चाहिये। उसने सन् १६०८ में भी यह किया और सन् १६१७ में भी इस्तदलाल किया जिस पर डाक्टर एनीबेसेंट ने इससे डिसऐग्री किया। आपने सन् १६२० और सन् १६२७ में इस चीज पर इस्तदलाल किया। सन् १६२८ में फिर इस्तदलाल किया गया कि लिंग्विस्टिक प्राविंसेज होने चाहिये। मैं एक पैरा उसमें पढ़े देता हूं :

"If a province has to educate itself and do its daily work through the medium of its own language, it must necessarily be a linguistic area."

सब से बड़ी चीज जो आप के ख्याल में और आप के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि १६०८ में जब जे० वी० पी० कमेटी बनी जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया थे, उसमें उन्हें ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज दिखाई पड़े।

(*a*) when the Congress had given the seal of its approval to the general principle of linguistic provinces it was not faced with the practical application of the principle and hence it had not considered all the implications and consequences that arose from this practical application,

(*b*) the primary consideration must be the security, unity and economic prosperity of India and every separatist and disruptive tendency should be rigorously discouraged,

(*c*) language was not only a binding force but also a separating one, and

(*d*) the old Congress policy of having linguistic provinces could only be applied after careful thought had been given to each separate case and without creating serious administrative dislocation or mutual conflicts which would jeopardise the political and economic stability of the country.

आज इस चीज को मद्देनजर रखते हुये और इन प्रिंसिपल्स की तरफ ख्याल करते हुये, मैं आपसे कहूंगा कि क्या इस देश की भाषा एक नहीं है? इसका कल्चर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक नहीं है? नहीं है तो १०० वर्ष तक निभाया कैसे? कहीं कोई भी आवाज इसके सिवाय और भी उठी? आपको मानना पड़ेगा कि नहीं उठी। यह सूबा बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर मजबूती के साथ है और इसमें कोई फर्क न डालना चाहिये। आखीर में फाइनेन्शियल एकानामी ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन का सहारा लिया गया। अब तक की सब चीजों को मद्देनजर रखते हुये, क्या कोई शख्स इस बात का दावा कर के बतला सकता है कि यह यू० पी० किस हालत में कमजोर है।

यू० पी० अपनी जगह पर माकूल है, इसमें किसी चेन्ज की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया अगर कोई हमसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, अगर विन्ध्य प्रदेश की यह ख्वाहिश है कि वह हमारी सभ्यता और अपनी सभ्यता एक समझ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, तो बाखुशी मिल सकते हैं।

**श्री अधिष्ठाता**--आप कितना समय और लेंगे?

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**---मैं एक मिनट और लूंगा। मैं हुक्म का बन्दा हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं और रिपोर्ट के सिलसिले में मैं सलाह देता हूं कि जो ख्याल रिडिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में है वह गलत है। आज जो जमाने की मांग है, उससे पिछड़े हुये

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

हैं। यू० पी० अपनी जगह पर ठीक साबित और सलामत रहे और आपके यकीन के लिये मैं कहूंगा कि—

"It will be a tower of strength." With these few words, Sir, I support the resolution.

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**—जनाब अधिष्ठाता महोदय, कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं। जिसे सदन के नेता ने विचारार्थ उपस्थित किया है, वह विषय भी ऐसा है कि हर एक ख्वाहिश रखता है कि अपने विचार प्रकट करे। जहां तक मेरा सम्बंध है, मैं कई मर्तबा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। इस समय मैं दो शब्द इस प्रस्ताव के सिलसिले में कहूंगा और दो शब्द उन बातों के उत्तर में भी कहूंगा जो माननीय सदस्यों ने इस विषय में कही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो रिपोर्ट स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन की साया हुई है, उसमें विचारों का संतुलन है। मैं उन विचारों के लिये उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और रिपोर्ट में जो यू० पी० से संबंधित सिपारिशें थीं उनका भी स्वागत करता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि इस रिपोर्ट में वे उसूल, जिन्हें स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन के सम्बन्ध में विभिन्न चैप्टर्स में, कमीशन के सदस्यों ने उपस्थित किया, जब वह यू० पी० पर लागू होने लगे तो इस कमीशन के माननीय सदस्य श्री पणिक्कर ने अपने विचार भिन्न प्रकार से व्यक्त किये।

इस आयोग के सदस्यों ने प्रदेशों के बटवारे के और प्रदेशों के निर्माण के विषय में बातें कहने से पूर्व कुछ आधारों पर विचार किया, जिनको सामने रख कर स्टेट्स का रिआर्गेनाइज़ेशन होना चाहिये। ये आधार पहले पांच, छः चैप्टर्स में दिये हुये हैं। अगर हम इस रिपोर्ट का अध्ययन शुरू से आख़िर तक करें, तो पता चलता है कि जो विचार माननीय पणिक्कर साहब ने, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, अपने मिनट आफ डिसेंट में व्यक्त किये हैं, उन मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न हैं, जिन्हें उन्होंने रियासतों के बटवारे के सिलसिले में आधार माना है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन चैप्टर्स की ओर आकर्षित करूंगा क्योंकि कल एक माननीय सदस्य ने जो बटवारे के विषय में अपने विचार रखे हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत जोर देते हुए उन्होंने माननीय पणिक्कर जी को दुहाई दी थी और उनके विचारों की ताईद की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय पणिक्कर देश के एक विद्वान व्यक्ति हैं। तवारीख के एक बड़े पंडित हैं, इतिहास वेत्ता हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। ऐसे व्यक्ति के विचारों में, यदि इस पुस्तिका के अध्ययन करने से कोई असंतुलन दिखाई पड़े तो बड़े दुःख की बात है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि उन चैप्टर्स में, जिनमें कि नई रियासतें या प्रदेशों की रचना की बातें लिखी गई हैं, कुछ सिद्धान्त बताये गये हैं। मैं उन सिद्धान्तों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। २५ और २६ सफों पर, जहां कास्ट आफ चेन्ज का चैप्टर दिया हुआ है यह बताया गया है कि पहला कन्सीडरेशन कौन-सा होना चाहिए और अन्य कन्सीडरेशन्स कौन से होने चाहिए, जिनकी बुनियाद पर राज्य विभाजित हों और प्रदेश स्थापित हों। हम अगर पेज २६ पर पैरा ९४ में दिये हुए शब्दों को देखने की चेष्टा करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जे० वी० पी० कमेटी के मत को दृढ़ करते हुए कहा है :

"Whatever the origin of the existing units, and however artificial they might have been, a century or so of political, administrative and, to some extent, economic unity in each of the existing States areas, has produced a certain stability and a certain tradition. Any change would naturally have an upsetting effect."

उत्तर प्रदेश कैसे बना और कब बना—अगर मैं इन बातों में जाऊं, तो प्रतीत होगा कि उत्तर प्रदेश करीब १०० सालों से, हमारे बीच में, एक रूप में स्थापित है। उसने अपनी कुछ परम्पराओं से, अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को बनाये रखा है। तो फिर क्या यह बुद्धि-

अच्छा होगी कि उन ट्रेडिशन्स और कनवेंशन्स को, जो इतनी मेहनत से बने हैं, तोड़ दें। अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, तो इससे क्या स्थिति पैदा होगी, यह भी हमें सोच लेना चाहिये, स्वयं पणिक्कर जी ने जो क्रायटेरियन स्टेट्स के विभाजन के विषय में, उनके तोड़ने के विषय में, रखा है उसे देखने से शुरू में ही यह पता चलता है कि उनका उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो मत है, उनके मूल नियमों से परे है, जो उन्होंने इस चैप्टर में दिये हैं। उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि अगर डिसइन्टीग्रेशन का प्रोसेस किया जाता है, तो बहुत सी दिक्कतें होंगी। उन्होंने व्यक्त किया है :—

"The process of disintegration and re-integration of the existing administrative units must also entail serious dislocation of the administration. It involves a difficult process of integrating the service personnel belonging to one State with the personnel of another State; retrenchment of surplus and unsuitable personnel if necessary; introduction of unified pay scales; refixation of cadres; re-determination of relative seniority in the different services, etc. It may also be necessary in consequence of reorganisation to devote attention in the initial years to the basic structure of the administration in some of the States, that is to say, the system of district administration, the number of districts and other administrative units and sub-units."

कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने स्वयं माना है कि नई यूनिट्स के बनाने में बाधायें होंगी, उनमें काफी दिक्कतें होंगी, इसलिये जहां तक हो सके इस प्रकार के डिसइन्टीग्रेशन की तरफ वह न जायं परन्तु जो नोट उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिये लिखा है, उसमें उधर ही ले जाने की कोशिश की है। मैं कहता हूं कि जो उन्होंने मूल सिद्धान्त रखा है, उत्तर प्रदेश के लिये, उसे भुला दिया। इसी तरह से उन्होंने दूसरे चैप्टर में एक आधार रखा है, जो यह है कि स्टेट्स इस प्रकार की बननी चाहिये कि देश की एकता को धक्का न पहुंचे, भारत की सिक्योरिटी खतरे में न आये। इसी की चर्चा करते हुये उन्होंने छोटी और बड़ी स्टेट्स की बातें की हैं। उन्होंने यह व्यक्त किया है, जो इस चैप्टर में ३४ सफ़े पर पैरा ११६ में है :—

"It seems clear to us that, when a border area is not under the direct control of the Centre, small units and multiplicity of jurisdictions would be an obvious handicap from the point of view of national security."

क्या हम सब नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश एक बार्डर एरिया है इस माने में कि आज का उत्तर प्रदेश तिब्बत और चीन से मिला हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी दूर नहीं यदि यह एक बार्डर स्टेट है, तो उन्हीं के कथनानुसार इसको एक बड़ी स्टेट होना जरूरी है। ऐसी स्टेट की आवश्यकता नहीं है जिनका स्वयं आपस में संघर्ष हो तथा जो हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दें। यदि उनकी यह धारणा और यह आधार स्टेट के बटवारे के सिलसिले में है, तो स्टेट के बटवारे का आधार उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं होता है। तो फिर उत्तर प्रदेश का बटवारा क्यों किया जाय ? यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी स्टेट है, लेकिन इससे एक बार्डर की रक्षा होती है जो कि विदेशों से मिला हुआ है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक ओर जो उन्होंने यह आधार बनाया पर जब उत्तर प्रदेश का प्रश्न उनके सामने आया, तो उन्होंने कह दिया कि उसे बंटना चाहिये।

इसी तरह उन्होंने लैंग्वेज और कल्चर का प्रश्न उठाया और उन्होंने आखिर में यह मत दिया कि ये दोनों प्रश्न ऐसे नहीं हैं, जिनकी बुनियाद पर जरूर ही कोई नई स्टेट निर्माण कर दी जाय। मैं स्वयं उन से इस विचार में सहमत हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, यहां लैंग्वेज का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न कल्चर का ही प्रश्न उठता है, यद्यपि कल और परसों उस सदन में मैंने कल्चर की बातें सुनी थीं और उसमें ऐसे विचार प्रकट किये गये कि उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की कल्चर कुछ है और दूसरे हिस्से की कुछ और है। कमीशन ने लैंग्वेज और

[ श्री चन्द्र भानु गुप्त ]

कल्चर के विषय में अपना जो निर्णय दिया है उसे भी आप के सामने व्यक्त करता हूं। पृष्ठ ४७ पर कमीशन ने इस विषय की चर्चा करते हुये कहा है :—

"Even when these conditions are fulfilled, claims based on the cultural needs of different groups of people should be considered in proper perspective. The first point to remember is that it is neither practicable nor desirable to impede social or cultural evolution which results from increasing opportunities for social and political intercourse or from impacts such as that of modern means of communication or educational activity on pre-existing modes of living. Secondly, cultural isolation or cultural conflict are inconsistent with the traditions of this country. Indian culture, as is well-known, itself represents the synthesis of different religions and diverse modes of thought; a healthy-interplay of regional cultures is, therefore, vital to the full growth of the composite Indian national culture no less than that of regional cultures themselves. Thirdly, the Constitution provides suitable safeguards for the protection of the cultural rights of the minorities of India."

इसके माने क्या हैं? इसके माने तो साफ-साफ यह हैं कि यदि इसको मान भी लिया जाय, यद्यपि में उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रदेश में दो तीन प्रकार की कल्चर हैं, तो भी जहां तक इस कमीशन का संबंध है वह कल्चर और लैंग्वेज मात्र को आधार मान कर किसी प्रदेश के निर्माण की बात को नहीं कहता है। फिर उन सदस्यों से जो पणिक्कर महोदय के सुझाव से सहमत होते हुये सदन में अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, क्या मैं उनसे यह निवेदन कर सकता हूं कि स्वतः यह कमीशन इन विचारों से सहमत नहीं है। फिर आज यह क्यों कहा जाय कि चूंकि दो कल्चर हैं, इसलिये उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये। फिर फाइनेन्शियल लाइबिलिटी के सवाल को भी, कमीशन के नये प्रदेश के निर्माण का आधार बना कर, विचार करने की बात उपस्थित की है। उसमें उन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि हमें नये प्रदेश बनाने में इस बात को भी देखना है कि जो नये प्रदेश हम बनायें, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और यदि अपने पैरों पर खड़े भी हो सकें तो अपने बीच में कोई ऐसा अधिक खर्चा बढ़ा लें, जो उनके विकास के कार्यों में रोड़ा बन जाए। यदि ऐसी बात है तो क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन कर के जो हमारा दूसरा प्रदेश बनेगा, उसके विकास कार्यों में यह बाधा सिद्ध नहीं पड़ेगी और विशेष कर आज के समय में, जब हम एक-एक पैसा विकास कार्यों के लिये बचाना चाहते हैं, प्लानिंग के तहत में उस चीज की पूर्ति अपने प्रदेश में करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों का स्तर ऊंचा उठे और लोगों की आमदनी बढ़े।

कमीशन ने एक और आधार नई स्टेट बनाने का प्रस्तुत किया और वह यह कि हम जो राष्ट्रीय योजनायें बना रहे हैं, इसके विषय में हमारे किसी प्रदेश का विभाजन दिक्कतें तो नहीं उपस्थित करता। उन्होंने इस विषय में ५४वें सफे पर, पैरा १८९ में यह कहा है:—

"It is also necessary that the direct extra cost of reorganisation should be as little as possible ; and some economy in existing expenditure may even be aimed at. The claims which have been made in the memoranda submitted to the Commission are so numerous and are of such variety that, if they were to be substantially met, the burden of extra non-development expenditure on Governors, Legislatures etc. is bound to be very heavy. It is obvious, however, that at a time when all the available resources are to be used for the purposes of the plan, and when attempts are being made to increase such resources through economy in non-development expenditure, a scheme of reorganization which significantly increases the load of non-development expenditure, would be prejudical to the national interests."

यानी यदि कोई नई स्टेट हमारे बीच में बनती है और उससे नान-डेवलपमेंट के ऐक्स-पेंडीचर बढ़ जाते हैं, जो कि अवश्यम्भावी हैं, क्योंकि जब नये गवर्नर की नियुक्ति होगी, नये-

नये लेजिस्लेचर बनेंगे और नये-नये लेजिस्लेचरों के लिये नये-नये भवन, विधान भवन बनेंगे, गवर्नरों के रहने के लिये निवास स्थान बनेंगे और नये-नये अधिकारियों के लिये नये-नये नगर स्थापित किये जायेंगे, तो करोड़ों रुपये का व्यय होगा। ऐसे समय में, जैसा कि मैंने अभी कहा, जब, हम एक-एक पैसा बचा कर उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिये, प्रदेश के साधनों को अधिक बढ़ाने के लिये उन्हें मुहैय्या करने में, हम अपना एक-एक मिनट व्यय कर रहे हैं, तो क्या यह राजनैतिक दूरदर्शिता होगी कि हम अपने को बांट कर अपनी धनराशि को ऐसे अविकास के कार्यों में व्यय करें विशेष कर जब कि आज विभाजन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बटवारे की, या नये राज्यों को निर्मित करने की आधारशील तो पणिक्कर महोदय ने इन शब्दों में दी हैं। जिनको मैंने आप के सामने अभी पढ़ कर सुनाया पर जब वह उन्हीं सिद्धान्तों को उत्तर प्रदेश पर लागू करने लगे, तो मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि पणिक्कर महोदय ने अपने मिनट आफ डिसेन्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत लम्बा-चौड़ा प्रदेश है, और उसका शासन, चूंकि बड़ा प्रदेश है, उतना एफीशिएन्ट नहीं हो सकता, जितना कदाचित् उसे दो टुकड़ों में विभाजित करके हो सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, माननीय पणिक्कर और उनके साथियों ने स्वयं अपने विचार पेज ६१ पर, पैरा २१८ में प्रकट किये हैं:—

"In actual practice, some of the larger States in India have proved to be the best administered. In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit. There are other factors such as economic and social conditions within the different areas: political consciousness, tempers and traditions of the people; and the political acumen and the sense of public service of the leaders in different areas, which set the pace of progress and administrative efficiency."

यह विचार उन विचारों से विभिन्न है जो उन्होंने अपने नोट में व्यक्त किए हैं। आप इसको स्वयं समझ सकते हैं कि यह बात क्या सिद्ध करती है? श्री पणिक्कर जी एक बहुत बड़े इतिहासवेत्ता हैं, इसके साथ ही साथ वे राजनीति के भी एक बहुत बड़े पंडित हैं। परन्तु माननीय पणिक्कर जी ने जो विचार उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए प्रकट किये हैं वे हमको किसी अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वे विचार हमको एक असंतुलन की ओर ले जा रहे हैं। अक्सर ऐसे अवसर आये हैं जब बड़े-बड़े इतिहास के लिखने वालों और उसके पंडितों ने भी अपने विचार प्रकट करते समय बड़ी भूलें की हैं। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि माननीय पणिक्कर जी ने भी अपने इन विचारों को प्रकट करके बहुत बड़ी भूल की है। मैं तो समझता हूं कि उनके यह विचार असैद्धान्तिक और आदर्श से परे हैं। मुझे बहुत ही दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय पणिक्कर जी ने जो विचार हम लोगों के सामने रखे हैं उनसे देश का भला नहीं हो सकता।

उन्होंने जो विचार इस नोट में व्यक्त किये हैं, उनसे उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। अब मैं आप लोगों का ध्यान पेज ६३ पर, पैरा २२१ की तरफ दिलाना चाहता हूं:—

"The wishes of the people, to the extent they are objectively ascertainable and do not come into conflict with larger national interests should be an important consideration in readjusting the territories of the States."

तो, श्रीमान्, मैं बहुत ही अदब के साथ आप लोगों से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या माननीय पणिक्कर जी ने अपने विचारों को प्रकट करते हुये इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों के रहने वालों की क्या ख्वाहिश और अभिलाषा है। जहां तक मुझे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जाने का अवसर मिला है, मैंने कहीं भी आम जनता को विभाजन के विषय में न तो बात करते हुये देखा है और न मैंने ऐसे किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि को ही वहां देख पाया है, जो इस बात की अभिलाषा रखते हों कि उनके क्षेत्र को इस बड़े उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाय, जो कि इस प्रदेश में रह कर भारत को गौरव प्रदान करता रहा है। हां, यह सत्य है कि थोड़े हमारे इस सदन के साथी और कुछ उस सदन के साथी अवश्य

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते हैं। यदि हम उनके विभाजन के विचारों और नक्शों का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, तो हम देख सकेंगे कि क्या वे जिन कारणों से विभाजन चाहते हैं, वे कारण अपनी वास्तविकता रखते हैं और क्या उनके पीछे असलियत है ?

(इस समय २ बज कर ५० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

जब कमीशन उत्तर प्रदेश में आया, तो बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार उनके समक्ष उपस्थित किये। एक योजना इन साथियों की तरफ से कमीशन के समक्ष उपस्थित कर दी गई, जो कि उत्तर प्रदेश का विभाजन यह कह कर चाहते थे कि पश्चिमी जिलों के साथ इस प्रकार से न्याय नहीं किया है और साथ ही जो यह भी कहना चाहते थे कि एफीसियेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन तभी चल सकता है जब कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाय। उस समय जो योजना उन्होंने आयोग के सामने उपस्थित की, उसमें ग्वालियर के कुछ हिस्सों को शामिल करने की बात थी, हां, उन्होंने उत्तर प्रदेश के १६ जिलों और दिल्ली के विषय में उस समय चर्चा की थी और उनके दिमाग में यह बात थी कि दिल्ली कदाचित् इस नये प्रदेश की राजधानी बन जाये।

माननीय पणिक्कर जी ने जो योजना उत्तर प्रदेश के विभाजन के सिलसिले में उपस्थित की, उसमें उन्होंने बुन्देलखंड, मध्य प्रदेश के ४ हिस्सों को और उत्तर प्रदेश के १६ जिलों को सम्मिलित करने की व्यवस्था करने की सलाह दी। कुछ दिनों से हम एक दूसरी योजना उन साथियों से सुन रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते हैं। कल उन साथियों में से कुछ ने इस सदन में भी अपनी योजना उपस्थित की और उसमें उन्होंने विन्ध्य प्रदेश, पंजाब के अम्बाला डिवीजन और पुरानी दिल्ली इत्यादि को रखने की व्यवस्था इस सदन के सामने रखी और इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। यदि पहली योजना इसलिये आयोग के विचारार्थ उपस्थित की गई थी कि उत्तर प्रदेश का इन्तजाम, चूंकि वह बड़ा स्टेट है, ठीक नहीं चलता तो फिर अब यह दूसरी योजना, जिसमें अन्य प्रदेशों के हिस्से सम्मिलित करने के लिये कहा जा रहा है, कहां तक इस बात को सिद्ध करती है कि अच्छे इन्तज़ाम के लिये ही छोटे इलाकों की एक नई स्टेट बनाने की बात कही जाती थी।

अगर हम इन योजनाओं का अध्ययन करेंगे तो सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है। हममें से चन्द साथी हैं, जो किसी न किसी प्रकार से विभाजन चाहते ही हैं। पहले उनके विभाजन के कुछ और रीज़न्स थे और अब उनके कुछ और रीज़न्स हैं। पणिक्कर महोदय के कुछ और ही रीज़न्स हैं। किसी व्यक्ति के विचार किस प्रकार के हैं, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी व्यक्ति अपने विचार रखता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वह ईमानदारी से अपने विचार प्रकट करता है। परन्तु यदि एक ही प्रकार के विचार किन्हीं खास व्यक्तियों के द्वारा व्यक्त किये जायें, तो अवश्य लोगों को कुछ अनुमान करने का और नतीजा निकालने का अवसर मिलता है। यदि हम इन विभिन्न योजनाओं का आद्योपान्त अध्ययन करें तो हमें एक ही प्रकार की बातें ऐसे व्यक्तियों से मिलती हैं, जो किन्हीं कारणों से आज जो इस प्रदेश की सरकार है, उससे असंतुष्ट हैं या किन्हीं कारणों से सार्वजनिक जीवन में अपना एक ऐसा स्थान बना चुके हैं, जो कदाचित् इस सदन के वातावरण में मिलता नहीं है, या उस सदन के वातावरण में मिलता नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति बाहर निकल कर कोई अपना घर बनाने की बात सोचते हों, तो मैं उनकी बात को समझ सकता हूं। परन्तु ऐसे व्यक्ति प्रदेश के नाम पर और प्रदेश की जनता के नाम पर, यदि बात करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे दुःख होता है और परेशानी भी होती है। दुःख इस बात से होता है कि वह जो बात कहते हैं, वह वास्तविकता से दूर होती है। आज यदि कहा जाय कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा चाहती है, यदि पश्चिम के इलाके में रहने वाले मजदूर किसान, मेहनत करने वाले लोग ऐसा चाहते हैं, तो मैं ऐसे माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आज घूमें और फिरें और अपनी जानकारी बढ़ाने

का प्रयत्न करें। यदि उत्तर प्रदेश को हम उन सिद्धान्तों और उसूलों की बुनियाद पर विभाजित करना चाहते थे, तो वह सिद्धान्त और उसूल प्रारम्भ में, जब हमने इन प्रश्नों को विचार करने के लिये बातें प्रारंभ की थीं, व्यक्त कर सकते थे। परन्तु हमें इस बटवारे में थोड़ा-बहुत इतिहास मालूम है। १५, २० साल पहले भी बटवारे की बातें अपने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उपस्थित की गई थीं और कदाचित कल ही एक माननीय सदस्य ने, जो बटवारे के हक़ में १५, २० साल पहले थे, उसके तमाम इतिहास को बताया था। मैं उस समय सदन में नहीं था जबकि उन माननीय सदस्य ने बटवारे के इतिहास के विषय में अपनी बातें व्यक्त की थीं। ता हम जो कुछ उनकी बातें सुनने को मिलीं, उनसे मुझे ऐसा पता चला कि स्वयं जो बटवारे के हक में २० साल पहले थे, उन्होंने कैसे अपना मत परिवर्तित किया और उन सभाओं और जलसों में जाना बन्द किया, जिनमें बटवारे की चर्चा की जा रही थी। मैं उस पुराने इतिहास में न जाते हुये यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तर्क पर माननीय पणिक्कर जी ने उत्तर प्रदेश के बटवारे के विषय में बातें कीं, वह उन तर्कों के विरोध में हैं, जो कि इस पुस्तिका में विभिन्न चैप्टरों में स्टेट की उन्नति के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये हैं।

माननीय पणिक्कर जी ने कहा है कि इस प्रदेश के प्रति भ्रम फैल गया है कि उत्तर प्रदेश अपना प्रभुत्व फैलाना चाहता है और इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते उन्होंने इस बात का संकेत किया कि यदि इस प्रिजुडिस को जो साउथ के आदमियों में फैली है, आज ही रफ़ा करने का प्रयत्न न किया जायगा, तो देश की एकता में बहुत सी बाधायें पड़ेंगी। यदि ऐसा मत उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे देश के किन्ही हिस्सों में फैला हुआ है तो यह हमारे लिये दुख की बात है, लेकिन यह एक गलतफहमी है और यदि इसे रफा करने का यह तरीका बताया जाय कि हम अपने को दो टुकड़ों में बांट लें, तो हम ऐसे साथियों से और सदस्यों से सहमत नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके पर किसी के लिये कोई राय बनाता है तो मेरा विश्वास है कि यदि वह गलत तरीके पर काम नहीं करता है और सेवा के कार्यों को करता रहता है और देश सेवा में लगा रहता है तो अवश्य ऐसा समय आयेगा जब सत्यता प्रकट होगी और असलियत सामने आयेगी। सत्य को प्रकट होने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश किसी अन्य प्रदेश पर प्रभुता नहीं चाहता है तो कोई कारण नहीं है कि वह अपना बंटवारा कर के ही अपनी सत्यता का परिचय दे। यदि कोई भूलवश अपनी गलत राय बनाता है तो यह कोई तरीका नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अपने को दो टुकड़ों में काट कर यह बतावे कि यह राय गलत है। मैं इस नीति को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर माननीय सदस्य इन भावनाओं को दूर करना चाहते हैं, अगर यहां के नागरिक इन भावनाओं को दूर करना चाहते हैं, तो वे उसे निर्माण और सेवा के कार्यों द्वारा दूर कर सकते हैं। क्यों न हम विभाजन के बजाय इस प्रकार से सोचने की चेष्टा करें। क्यों न हम ऐसे कार्य करने की चेष्टा करें जिससे सारे देश की आंखें हमारी तरफ खिचें और वे सारे दोस्त हमारे साथ मिल-जुल कर कार्य करें और वास्तव में आज यह प्रदेश सेवा के कार्यों को अपने उन नेताओं द्वारा, जिनको कि इस प्रदेश ने पैदा किया है, ऐसे कार्य कर रहा है। इस तरह से वह अन्य प्रदेशों के रहने वालों का ही ध्यान नहीं आकर्षित कर रहा है, बल्कि संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो हमारे विरोधी थे, आज वह हमारे निकट आने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी नीति और हमारे कार्यों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, अतः यदि हमारे देश के रहने वाले आज हमारे बारे में कोई गलत धारणा बना लेते हैं तो क्या हम अपनी सेवाओं द्वारा, अपने निर्माण के कार्यों द्वारा उनकी इस भावना को दूर नहीं करा सकते हैं। आज जब रूस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के निवासी अपने कार्यों, अपनी सेवाओं से इस देश के रहने वालों का ध्यान नहीं आकर्षित कर सकते हैं। जिनके साथ हम मिल जुल कर वर्षों रहे, जिनके साथ मिल कर हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, क्या हम अपने को बांट कर के ही अपनी सच्चाई का परिचय दे सकते हैं।

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

डाक्टर पणिक्कर ने फेडरेशन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुये कहा कि आज इस बात की शिकायत है कि कौंसिल आफ स्टेट में राज्यों का हक बराबर का होना चाहिये। मुझे इसे अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह भूल करते हैं जब वह यह कहते हैं कि हमारा फेडरेल कांस्टीट्यूशन और अमरीका का फेडरल कान्सटीट्यूशन एक ही तराजू में तौला जा सकता है। कौन नहीं जानता है कि अमेरिकन सिनेट वह अधिकार रखता है जो हमारी कौंसिल आफ स्टेट नहीं रखती। अमेरिकन सिनेट में रिप्रेजेंन्टेशन अपने तरीके पर है। वह लड़ाई की घोषणा कर सकता है ट्रीटी करने का अधिकार रखता है। क्या हमारी कौंसिल आफ स्टेट्स वह अधिकार रखती है? हमारी कौंसिल आफ स्टेट्स को लोकसभा से अधिक अधिकार तो हैं नहीं। यदि हमने अमेरिकन कांस्टीट्यूशन माना होता तो कौंसिल आफ स्टेट्स को न बनाया होता, जिसको कि वह अधिकार नहीं हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि कौंसिल आफ स्टेट्स को वह अधिकार नहीं है तो भी यदि आवश्यक हो तो राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी बेशी कांस्टीट्यूशन में संशोधन करके की जा सकती है न कि अपने सूबों को दो टुकड़ों में विभाजन करके।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने न तो दूसरे प्रदेशों पर कभी प्रभुता जमाने की कोशिश की है और न कर रहा है। इसका जो इतिहास रहा है, वह एक सेवा का इतिहास है। जहां तक डामिनेन्स या पोलिटिकल इनइक्वीलीनियम का विषय है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मौका तो केवल १० या १५ वर्ष से ही आया है कि उत्तर प्रदेश एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। क्या इससे पहिले ऐसे प्रदेश नहीं थे, जिनकी आबादी बहुत कम थी लेकिन पोलिटिकल डामिनेशन उनका बहुत ज्यादा था, उनकी इस विषय में वह प्रभुता थी जो हमारी नहीं थी। बंगाल की स्थिति सब से ऊंची थी। फिर गुजरात की स्थिति ऊंची हो गयी। एक समय में मद्रास की भी वही दशा थी। वह भी अपना बहुत ऊंचा स्थान रखता था। आज अगर इस प्रदेश ने राजनैतिक रंग-मंच में अपना स्थान बना लिया है या बना रहा है तो वह इसलिये नहीं कि वह राजनैतिक रंग-मंच पर अपना डामिनेशन चाहता है, या उसका यह डामिनेशन हमेशा बना रहेगा और देशों में भी समय-समय पर लोग पैदा होंगे और वह सब राज्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। वे भी अपना स्थान राजनैतिक रंग-मंच पर बनाते रहेंगे।

आज सौभाग्य से हमारे प्रदेश के एक नेता ने अपनी राजनैतिक कुशलता के कारण न केवल सारे देश का ही ध्यान अपनी ओर खींच रक्खा है बल्कि दुनियां के तमाम देशों का ध्यान उनकी ओर लगा हुआ है। यह प्रदेश १०,१५ वर्ष के बीच में ऐसे व्यक्ति भी पैदा करता रहा है जिन्होंने देश में अपना स्थान बनाया है। माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेन्द्रदेव, डाक्टर सम्पूर्णानन्द यह ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने देश के विचारों में अपना स्थान बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत तो ऐसे व्यक्तियों में हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में वह काम किये हैं जो कभी भुलाये नहीं जा सकते हैं। यदि अन्य प्रदेश के लोग इस नेतृत्व से वंचित होकर काम करते हैं तो वह एक ईर्षा का काम करते हैं या ईर्षा पैदा करते हैं। पर क्या हमको इस ईर्षा में पड़ कर देश की एकता को छोड़ देना चाहिये?

अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने त्याग से देश की एकता को बनाने का प्रयत्न किया है और अपने चारों ओर अधिक व्यक्तियों को खींचा है तो वह ऐसी बात नहीं है कि यू० पी० अन्य प्रदेशों पर राजनीति में डामिनेट कर रहा है। समय आयेगा जब अन्य प्रदेश भी महान् व्यक्ति पैदा करेंगे और जिस प्रकार आज पंडित नेहरू अन्य देशों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसी प्रकार वह भी करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विभाजन जैसा कि मेरे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कल बताने का कष्ट किया, कोई तरीका नहीं है, जिससे कि हम दूसरे लोगों की गलतफहमी को, जो यह समझते हैं कि यू० पी० डामीनेट करना चाहता है, दूर कर सकें। उसका एक ही तरीका है और वह यह कि जो तरीका हमारे नेता पंडित जवाहरलाल जी बरत रहे हैं तथा और दूसरे नेता जो निर्माण-कार्य में जुटे हुए हैं, बरत रहे हैं वह सब बरतें।

यदि गोविंदसहाय जी ऐसे व्यक्ति इस गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, तो वह दूसरी सरकार बना सकते हैं और चुन कर दूसरे व्यक्ति भेज सकते हैं। यदि उनकी नाराज़गी इस सरकार के निकम्मेपन से है और इसलिये वह इस प्रदेश को बांटना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि सरकार आयेंगी और बदलेंगी, परन्तु यू० पी० इसी प्रकार रहेगा। जो गंगा-यमुना यहां बह रहीं है, वह बहती रहेंगी, इसमें परिवर्तन करने का आप प्रयत्न क्यों करते हैं और विभाजन की बात क्यों करते हैं।

अभी जैसा कि मैंने बताया कमीशन ने स्वयं मंजूर किया है कि उन सिद्धांतों पर बटवारे का प्रश्न उठता नहीं है। अगर कमीशन अपनी योजना इस प्रकार बनाने का प्रयत्न करती है कि यू० पी० में इस चीज की कमी है, यू० पी० में परिवर्तन लाने के लिये इस चीज की जरूरत है, तब तो कमीशन की चर्चा ठीक थी लेकिन अब जो विचार पणिक्कर महोदय ने व्यक्त किये हैं उन पर मुझे अचम्भा होता है। जिन सिद्धांतों को उन्होंने चैप्टर्स में रखा है जिन्हें मैंने पढ़ कर सुनाया वे उनसे परे हैं जो उन्होंने अपने नोट में दिये हैं। इसलिए मैं इस नोट से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमें अपने प्रदेश को ऊंचा उठाना है। हमारा ध्यान उन बातों और उन कामों की ओर जाना चाहिये, जिससे हम लोगों के रहन-सहन को ऊंचा कर सकें। जो आम आदमियों की तकलीफें हैं, माफ कीजियेगा, नये-नये मिनिस्टर बनाने से, राज्यपाल के बंगले और लेजिस्लेटर्स के मकान बनाने से दूर नहीं होतीं। तकलीफ दूर होती है, विकास के कार्य करने से। आज प्रत्येक नागरिक का ध्यान इस ओर लगाना चाहिये, बजाय इसके कि प्रदेश को कितने हिस्से में बांटा जाय। हमें अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहिये कि हम प्रदेश की आमदनी कैसे बढ़ायें और कौन से साधन मुहैय्या करें, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० पी० के विभाजन का यह अवसर नहीं है। कभी वह अवसर आयेगा तो आगे आने वाले लोग महसूस करेंगे और वह अपने आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

हमारा समय तो उन बच्चों के लिये, जो आने वाले हैं, जिनके ऊपर हम बोझा छोड़ने वाले हैं, व्यतीत होना चाहिये ताकि उनके लिये वे सुविधायें प्राप्त हों जिससे देश की उन्नति हो। मैं अपने नेता सदन के विचारों से जो उन्होंने सदन के विचारार्थ उपस्थित किये हैं सहमत हूं और सहमत होते हुये आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बहुत बहस बंटवारे के सिलसिले में और रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में कर ली। अब तो हमारे लिए एक रास्ता है और वह रास्ता है आगे काम करने का और मेहनत करने का। यदि वह मेहनत उन व्यक्तियों से नहीं हो सकती है जो कार्यभार संभाल रहे हैं तो दूसरे व्यक्तियों को चुनिये। हम आपस में यदि ऐसी बातें करें, जिससे असंतुलित विचार पैदा हों, तो यह न इस प्रदेश के लिये ही उचित है और न इससे कोई लाभ होगा। यहां पर ऐसे महान व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने आरम्भ में राजनैतिक विचारधारा को फैलाया, जैसे पंडित मदन-मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू और डाक्टर अन्सारी। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने का मार्ग दिखाया। हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि जिस युग में हम रह रहे हैं, जिनके विचारों के तहत में हम पल रहे हैं उनका हम स्वागत करें। हमें उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाना है, जिससे दुर्भावनायें दूर हों और उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य प्रदेशों के लोग अनुभव करें कि यह वास्तविक ढंग से देश की सेवा कर रहा है और किसी पर प्रभुत्व नहीं स्थापित करना चाहता। यदि ऐसा वातावरण पैदा करेंगे तो चाहे जितनी भी इसकी जन संख्या हो वह तरक्की करते हुये, देश के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हुये देश को प्रगति की तरफ ले जा सकेगा।

मैं अधिक समय न लेते हुये उस विचारधारा, जो उत्तर प्रदेश को अविभाज्य रखना चाहती है, के पक्ष में अपना मत प्रकट करता हूं। मेरी उन विचारों से सहानुभूति है जो उस प्रस्ताव के तहत में हैं जिसमें कहा गया है कि प्रदेश की ठीक तरह से रचना के लिये यदि अन्य प्रदेशों के कुछ क्षेत्र जो हमारे बीच में आना चाहते हैं और हमारी सेवा को कबूल करना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत करें। मैं इन चन्द शब्दों के साथ माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री सरदार संतोष सिंह** (नाम निर्देशित)--माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, कल से कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और बहुत से सदस्यों ने अपने ख्यालात इस पर जाहिर किये हैं। मैं भी इसकी निस्बत कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है और इस नतीजे पर आया हूं कि वाकई यह रिपोर्ट कमीशन के मेम्बरों ने बहुत मेहनत से तैयार की है और उन्होंने बहुत ही थोड़े वक्त में इस रिपोर्ट को तैयार किया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की निस्बत अभी कुछ न कह कर मैं कुछ जनरल बातें कहना चाहता हूं। जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर कुछ बेढंगे तरीकों से काबू किया, उस वक्त मुल्क को कई हिस्सों में उन्होंने बांट दिया ताकि उनका मतलब सिद्ध हो, उन्होंने मेजारिटी और माइनारिटी का सवाल उठाया, क्योंकि उन्हें यहां हुकूमत करनी थी इसलिए कभी हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया और कभी मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ करते रहे, जिससे करीब-करीब उन्होंने १०० साल तक हमारे यहां हुकूमत की। मगर हमारे नेता महात्मा गांधी जी ने उनके जादू को भांप लिया और उस जादू को खत्म कर दिया और अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से जाना पड़ा। बदकिस्मती से जो अंग्रेज गये तो उन्होंने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिये एक हिन्दुस्तान और दूसरा पाकिस्तान बना। वह भाई जो पाकिस्तान चले गये वह हमको अलग समझने लगे जब कि हम सब एक जगह पैदा हुए, एक जगह रहे और हमारा एक ही कल्चर था। इस सब के होते हुये भी वह हमसे अलग कर दिये गये। इसके बाद हमारे देश का बोझ हमारे नेताओं पर पड़ा। हमारे नेताओं ने सोचा कि देश की किस तरह तरक्की की जाय। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि देश का एक यूनिट होना चाहिये और देश को एक यूनिट में किया गया। हमारे यहां बहुत सी रियासतें थीं, वह भी अंग्रेजों की ही वजह से थीं क्योंकि वह मुल्क को मिलने नहीं देना चाहते थे। इसलिये सबसे पहले हमारे नेताओं ने उन तमाम स्टेट्स को मर्ज किया ताकि मुल्क की तरक्की हो। जब यह स्टेट्स मर्ज हुई तो उस वक्त हमारे पंजाब के सिक्खों ने सवाल उठाया कि हम पंजाबी स्पीकिंग सूबा चाहते हैं। उस वक्त आंध्र सूबा भी मद्रास से अलग होना चाहता था। जब यह सवाल उठा तो उस वक्त हमारी गवर्नमेन्ट ने इसकी तरफ ज्यादा ख्याल नहीं किया। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेन्ट ने आंध्र का सूबा अलग कर दिया तो उस वक्त तमाम मुल्क में एक हलचल मच गई। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के लोगों की भी आवाजें आने लगीं कि हमारी भाषा के हिसाब से हमारा बार्डर बढ़ाया जाय। यानी उनका यही कहना था कि हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हमारा सूबा बढ़ाया जाय। ये बातें जब हो रही थीं तो उस वक्त सरकार ने एक अपना कमीशन बैठाने की कोशिश की जो कि इन बार्डर्स को देखें। जब बौन्डरी के लिये कमीशन बैठाया गया तो उस वक्त हमारे लेजिस्लेचर के चन्द सदस्यों ने भी कोशिश की कि हम भी आगे बढ़ें और शायद मुमकिन हो कि हमें भी कुछ मिल जाय। उन्होंने कमीशन के पास अपने-अपने ख्यालात जाहिर किये और कहा कि यह इतना बड़ा सूबा है कि इसका ठीक तरह से इन्तजाम यहां की सरकार से नहीं हो रहा है। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी जिलों का सवाल पैदा कर दिया और कहा कि ये पश्चिमी जिले अलाहिदा कर दिये जायं, क्योंकि यह सरकार इनका ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकती है। मैं उन दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन पश्चिमी जिले वालों को यह मालूम नहीं है कि उनके यहां जितनी तरक्की हुई है क्या उतनी पूर्वी जिलों में हुई है? पश्चिमी जिलों में १०० साल पहले से नहरें बनी हुई हैं। वहां पर गंगा और जमुना की नहरें बहुत पहले बन गयी थीं जिससे वहां पर अच्छा इरींगेशन होता है और इसी वजह से आज वहां के किसान खुशहाल हैं। आप कभी भी मेरठ डिवीजन के किसानों को मजदूरी करते हुये यू० पी० के किसी दूसरे जिलों में नहीं पायेंगे। लेकिन पूर्व के लोगों की यह हालत है कि इसी लखनऊ में उनको मजदूरी करते देख लीजिये। यहां पर जो रिक्शा चलाने वाले हैं वे पूर्व के जिलों से आते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि कहां के रहने वाले हैं

तो फौरन बतलायेंगे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा या फैजाबाद जिले के रहने वाले हैं। लेकिन आप कभी भी मेरठ डिवीजन का आदमी यहां रिक्शा चलाते नहीं पायेंगे। मैं एक फारमर और इन्जीनियर भी हूं। मैंने कभी भी अपने यहां गोरखपुर के अलावा कहीं का मजदूर नहीं पाया है। इसका कारण यह है कि वे बेचारे गरीब हैं और पहली सरकारों ने कभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो हर साल उनके यहां बाढ़ से तबाही होती है उसकी वजह से वे २५ और ३० रुपये माहवार पर नौकरी करते हैं। अब अगर सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया है तो पश्चिमी जिले वाले कहते हैं कि सरकार उनका ख्याल कर रही है।

अब जो अगली पंच वर्षीय योजना बन रही है उसमें जमुना हाईडिल प्रोजेक्ट बनने की योजना है और रामगंगा पर भी एक डाम बनाया जायेगा और उससे नहरें निकाल कर इर्रीगेशन का इन्तजाम किया जायेगा। ये दोनों चीजें पश्चिमी जिलों में हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस तरह का एक सवाल उठाया है। यह उनकी बड़ी गलती है कि अपना यह उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बटना चाहिए। अगर वह इस तरह से चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने हाथ पैर काटना चाहते हैं। उनको यह पता नहीं है कि मुल्क की यूनिटी से हम तरक्की करेंगे। आज जो भी तरक्की कर रहे हैं वह हमारी इस सरकार की वजह से है।

इर्रीगेशन, पावर, काटेज इन्डस्ट्री तथा दूसरी इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस वक्त हमारे इस सूबे में इन्डस्ट्री मिनिस्टर जो हैं उनके दिल में अमूमन मैंने यह ख्याल पाया है कि वह हमेशा यह चाहते रहते हैं कि यहां पर अनइम्प्लायमेंट खत्म हो, अनइम्प्लायमेंट सिवाय काटेज इन्डस्ट्रीज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बगैर नहीं हट सकता। खुशकिस्मती से ऐसे मिनिस्टर इस प्रदेश को मिले हैं जो कि हर वक्त इस बात को सोचते रहते हैं। मैं चूंकि इन्डस्ट्रीज कमेटी और इन्डस्ट्रीज बोर्ड में हूं इसलिये हर वक्त उनके ख्यालात मुझे सुनने को मिलते हैं; उनके ख्यालों से यह मालूम होता है कि वह दिन बहुत नजदीक आने वाला है जब हमारे यहां से अनइम्प्लायमेंट खत्म हो जायगा। मुझे इस बात का अफसोस है उन साहबान के बारे में जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की को नहीं सोचा, बल्कि अपने प्रदेश के टुकड़े करने की बात सोची है। श्री पणिक्कर साहब ने मौका पाकर मेम्बरों के कन्धों पर बन्दूक रख कर गोली चला दी मगर वह कामयाब नहीं हुये और दूसरे दो मेम्बरों ने उनके बरखिलाफ लिखा है इसलिये वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। पणिक्कर साहब ने जो व्यू रक्खे हैं उनको पहले ही कुछ मेम्बरों ने कह दिया है और श्री गुप्ता जी ने उसको बिल्कुल ही साफ कर दिया है, इसलिये अब मेरे लिये यह जरूरी नहीं है कि मैं अपनी ओर से कुछ और अल्फाज कहूं। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रदेश का इतना बड़ा एरिया है और उसमें रेवेन्यू में साढ़े ३ करोड़ रुपये से ४ करोड़ रुपये तक घाटा है और जब नया सूबा बन जायगा तो उसमें एक करोड़ से डेढ़ करोड़ तक रेवेन्यू सरप्लस हो जायगा तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब बड़े प्रदेश में घाटा रहा है तो वह बाद में छोटे प्रदेश में कैसे पूरा हो जायगा, पहले जो रुपया छोटे सूबे के ऐडमिनिस्ट्रेशन में लगाया जायेगा उस वक्त तक दूसरी पांच साला स्कीम भी निकल जायेगी और सूबा भी नहीं बन सकेगा। बात यह है कि लिखना, कह देना और एस्टीमेट बनाना दूसरी चीजें हैं और उनको करके दिखाना दूसरी चीज है इसलिये मैं इस विषय पर ज्यादा न कहते हुये उन भाइयों से अपील करूंगा, जो अपने उत्तर प्रदेश के टुकड़े करना चाहते हैं कि वे इत्मीनान रक्खें और ऐसी बातें यहां न कहें ताकि दूसरों को भी कुछ कहने का मौका न मिले। जो कुछ किया है वे अपने ही आदमियों ने किया है, मुल्क की तरक्की इत्तिफाक पर होती है। अगर यूनिटी नहीं होगी तो मुल्क की कभी तरक्की भी नहीं होगी इसलिये मैं इस रिज्योल्यूशन का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल न बांटा जाय।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इस रिज्योल्यूशन पर नेता सदन को मुबारकबाद देता हूं और खास कर इस चीज पर कि उन्होंने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

बहुत मोहब्बत और रवादारी की कोशिश की है। जो कुछ उन्होंने अपील की कि यू० पी० तकसीम न किया जाय और जितनी भी प्रोब्लेम यहां पर हैं वह साल्व हो जायेंगी, हल हो जायेंगी, इसलिये अलग जाने की जरूरत नहीं है। गुप्ता जी ने भी इस रिज्योल्यूशन को उसी अन्दाज से पेश किया। मैं इस वक्त तकसीम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और जो कुछ यहां पर कहा गया है उससे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वालों को तसकीन हो जाना चाहिये, वह अब यह न कह सकेंगे कि वह मजलूम हैं, वह भी उनका ख्याल दूर हो जायेगा। इस बहस के बाद उनको अब काफी हल मिल गया होगा और अब वह भी यूनिटी की तरफ खिचते आ रहे होंगे।

अब एक चीज इसमें रह गयी है, क्योंकि कमीशन की रिकमेन्डेशन से पूरी तरह से इत्तिफाक किया गया है, लेकिन बहस खास तरीके से हुयी और एक खास ढंग से होती रही इसलिये इधर जाने का किसी को मौका नहीं मिला। मैं जो अक्सर देखता हूं वह बयान कर दूं कि सारी बहस जो उठायी जा रही है, स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन की, उसमें सबसे बड़ी प्रोब्लेम उनकी लैंग्वेज की रहती है। वह लैंग्वेज नहीं जो अक्सीरियत की लैंग्वेज थी बल्कि वह लैंग्वेज जो माइनारिटी की थी। उसके लिये लोगों ने बहुत कुछ चिल्लाया, बहुत सी आवाजें उठीं, लेकिन उसका कोई भी अन्जाम नहीं हुआ। लैंग्वेज के ऊपर काफी बहस भी हुयी, लेकिन सब बेकार हो गयी। मैं इस बात को मानता हूं कि लैंग्वेज के आधार पर हम सूबे को बांट नहीं सकते हैं, उसका रिआर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से और भी बहुत से प्रोब्लेम हैं। जिस तरह से दूसरी स्टेट्स में लैंग्वेज का मसला बहुत ही इम्पार्टेन्ट है उसी तरह से हमारे यहां यू० पी० में भी यह मसला एक बहुत ही अहम मसला है। यह जो रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है इसकी मैं ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस हाउस में भी और दूसरे हाउस में भी उर्दू जबान को बहुत से लोगों ने पसन्द किया है और सब लोग इस बात को मानते हैं कि यह एक अच्छी जबान है। चूंकि मैं अन्जुमने तरक्कीए उर्दू का जनरल सेक्रेटरी हूं, इसलिये मैंने यह सोचा कि मैं भी कुछ बातें यहां पर कह दूं ताकि वे रिकार्ड हो जायं और वह पार्लियामेंट के सामने पेश हो जायें। जहां तक यहां की रिकार्डिंग का ताल्लुक है उसके लिये मैं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि जो मैंने बेसिक रीडर के मुताल्लिक यहां पर स्पीच दी थी तो अगर उस पर मेरा नाम न लिखा होता तो शायद मैं यह भी नहीं समझ सकता था कि यह स्पीच मेरी है। इस बारे में मैंने भी शिकायत की और भी कई मेम्बरों ने शिकायत की कि स्पीच ठीक से नहीं लिखी जाती है। तो यह मालूम हुआ कि पुलिस के आदमी आते हैं और ज्यादातर वही टाइप करते हैं। तो यह बात तो सब लोग जानते हैं कि पुलिस में किस तरह की रिकार्डिंग होती है, किस तरह के वहां के स्टेनोग्राफर्स होते हैं, वे लोग किस तरह से रखे जाते हैं और किस तरह से अपना काम करते हैं। किस तरह से वे लोग तरक्की करते हैं यह बात भी सब को मालूम है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इससे तो अच्छा यह है कि मेरी तकरीर की रिकार्डिंग न हो ताकि मैं बदनामी से तो बच जाऊं कि इस तरह की बेकार की तकरीर देता हूं। इस वक्त मैं इसलिये बोलना चाहता हूं कि बहुत नहीं तो कुछ थोड़े से अल्फाज तो मेरे रिकार्ड हो ही जायेंगे।

अब मैं लैंग्वेज के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत सी बहसें हुई कि लैंग्वेज की पोजीशन क्या होनी चाहिये? एक बात मैं यहां पर कह देना बहुत ही जरूरी समझता हूं और वह यह है कि जो जबान माइनारिटी की है उसको बढ़ने और आगे तरक्की करने का मौका दिया जाय। तो इसी तरह से उर्दू की बात हमारे सामने आती है। जिस वक्त हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ, तो मुल्क के अन्दर एक तरह का तूफान आया। लोगों के दिमाग हिल गये, बहुत से लोग बेघरबार हो गये। मैं इस वक्त उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वे बातें सभी लोग

जानते हैं। उस वक्त एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह आर्डर निकाला गया कि हिन्दी ही मीडियम आफ इन्सट्रक्शन हो। उस वक्त लोगों के दिमाग में उर्दू और हिन्दी का सवाल पैदा हो गया। सन् ४८ से लेकर सन् ५४ तक लखनऊ में एक भी स्कूल ऐसा नहीं था जहां पर उर्दू पढ़ाई जाती हो। मैंने उस वक्त बहुत ही दौड़धूप की और लोगों का ख्याल इस तरफ दिलाया। जिन लोगों ने उर्दू की हिमायत की वे गद्दार और पाकिस्तानी कहे जाने लगे। इस वक्त मैं एक बात कह देना जरूरी समझता हूं और वह यह है कि एक साहब ने यह कहा कि मैंने आज तक स्टेट की कोई खिदमत नहीं की है, लेकिन आज मैंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है और वह है उर्दू की मुखालिफत। तो इस तरह की बातें थी। सन् ४८ में एजूकेशन मिनिस्टर्स की देहली में एक कांफ्रेंस हुयी जिसमें यह तय हुआ कि बेसिक एजूकेशन में उर्दू हमारी मादरी जबान होनी चाहिये। मदरटंग वह है, जो पेरेन्ट्स बोलते हैं, तो बच्चों की मदर टंग उन्हीं की है। दूसरा यह है कि जिस स्कूल में ४० ऐसे बच्चे हैं, जिनकी दूसरी जबान है, सरकारी ज़बान के अलावा या जहां १० ऐसे हैं दूसरी ज़बान के, तो वहां उनके लिये कौन सा इन्तजाम करना पड़ेगा। इस बात को लेकर हमने बहुत कोशिश की और हमने १० हजार गार्जियन्स से दस्तखत कराये।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—आप की स्पीच कुछ इर्रेलैवेन्ट हो रही है।

**श्री हयातुल्ला अन्सारी**—मेरा ख्याल है कि यह बिलकुल भी इर्रेलैवेन्ट नहीं है। अगर मेरी तकरीर इर्रेलैवेन्ट है, तो यह सारी रिपोर्ट ही इर्रेलैवेन्ट है।

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन**—लेकिन उर्दू से इसका क्या मतलब है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—आप जो भी बात कहें, उसका कमीशन की रिपोर्ट से जरूर सम्बन्ध होना चाहिये और इतनी तफसील से इस बात को न कहिये।

**श्री हयातुल्ला अन्सारी**—लेकिन सारी चीज तो पहले सामने आनी चाहिये।

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन**—हिन्दी, उर्दू की चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिये।

**श्री प्रभु नारायण सिंह**— On a point of information, Sir, स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो बहस हो रही है और उसमें जो लिंग्विस्टिक सवाल है, उसका भी इससे सम्बन्ध है और जब माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में अर्ज कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में इर्रेलैवेन्सी कहां है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—इसके सम्बन्ध में जो बातें इस तरह से कही जा रही हैं, उनको मैं इर्रेलैवेन्ट समझता हूं और उनका कमीशन की रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री हयातुल्ला अन्सारी**—अगर यह इर्रेलैवेन्ट है तो मैं तकरीर नहीं करूंगा और बैठ जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट के हर चैप्टर में इसके अन्दर इसकी पूरी-पूरी सिफारिशें मौजूद हैं। जब तक पूरा केस नहीं रखा जायगा कि क्या उर्दू का केस है और उसकी क्या रिकमेंडेशन्स हैं, तब तक इस तरह से बात कहनी मुश्किल हो जायेगी। इसलिये जितना भी मुख्तसर हो सकेगा, मैं कहूंगा। प्रेसीडेंट साहब के पास भी हमारा एक डेपुटेशन गया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, तो सवाल उठा कि क्या किया जाय। बहुत से ऐसे लोग हैं कि बचपन से ही उर्दू में लिखते-पढ़ते हैं, और बात करते हैं और उनके लिये इसकी हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अंग्रेजी बोलते आये हैं, जो कि फारेन लैंग्वेज है और जैसे हम रेल या मोटर में सवार होते आये हैं लेकिन यह पता नहीं कि कहां से ये सब चीजें आयीं, यह सवाल बुनियादी तौर पर पैदा हुआ, ऐसे ही जैसे पंजाब, आंध्र, दिल्ली, बंगाल और बिहार में पैदा हुआ। ऐसा ही सवाल पैदा हुआ कि बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक माइनारिटी है और यह सवाल हमारे मुल्क का सवाल था। इसका मुकाबिला करने के लिये मैंने यह कहा था और संविधान की दफा ३४७ में अगर आप पढ़ें, तो लिंग्विस्टिक माइनारिटी के लिये इस तरह का सेफगार्ड मिलेगा, कैसे मैं इसको साबित करूं। हमने एक सिगनेचर कम्पेन चलाया।

श्री दीप चन्द्र (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)——Has reorganization of any State been recommended by the commission on the basis of Urdu ?

श्री हयातुल्ला अन्सारी——जहां तक कमीशन का ताल्लुक है, मैं इसकी रिपोर्ट के हिस्सों को पढ़ कर सुना दूं। कुछ लोगों को यह ख्याल है कि यह रिपोर्ट जो पूरी लिखी गयी है, इसमें जो लैंग्वेज का सवाल है, वह बात ३५ से ४८ सफे तक आती है और जो रिकमेंडेशन्स या सजेशन्स हैं, वे इसमें हैं। इसमें पेज २०५ से २१६ तक सेफगार्ड्स फार लिंग्विस्टिक ग्रुप्स दिये हुये हैं। दो चैप्टर्स हैं, उन रेकमेन्डेशन की मुझे ताईद करनी है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——किस सफे से किस सफे तक आपने बताया ?

श्री हयातुल्ला अन्सारी——इसमें एक तो है सफा ३५ से सफा ४८ तक और उसके बाद है सेफगार्ड्स फार लिंग्विस्टिक ग्रुप्स २०५ से २१६ तक और बीच में भी कई-कई जगह पर यह आया है। पंजाब में यह आया है, वेस्ट बंगाल में यह आया है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ उर्दू का प्रोब्लेम है। यह है पेज १७७, पैरा ६५३ में। हम लोगों ने उसके बाद एक सिगनेचर कम्पेन निकाली जिसमें यह टार्जेट रखा कि २० लाख एडल्ट्स के दस्तखत पेश करेंगे। मगर साढ़े बीस लाख से ज्यादा एडल्ट्स के सिगनेचर्स हो गये। उसको लेकर हम सदरे जम्हूरिया की खिदमत में गये, उनके सामने मेमोरेंडम पेश किया। अब मैं बतलाऊंगा कि मेमोरेंडम में डिमांड्स क्या थीं। हमने पहले यह आर्गूमेंट पेश किया——

"We, therefore, on behalf of the urdu speaking people of Uttar Pradesh, who form a substantial proportion of the population of the State, have amassed over 2 million signatures in support of this recommendation do hereby pray that you may be pleased to direct, under article 347 of the Constitution, that the Urdu language be recognized as one of the regional languages of Uttar Pradesh and be officially used throughout the State in such manner as to fulfil the following purpose:

(1) Urdu should be the medium of instruction at the primary stage of children whose mother-tongue is Urdu.

(2) and whereever there is a sufficient number of Urdu-speaking children, say 40 in a school or 10 in a class, arrangements for teaching through the medium of Urdu should be made. In localities where there is a considerable proportion of Urdu-speaking population, schools with Urdu as the medium of instruction should be established. The mother-tongue of a child should be determined according to the declaration of his parent or guardian."

यह हमारी डिमांड्स थीं, यह बिल्कुल वही चीज थी जो एजूकेशन मिनिस्टर्स कांफ्रेंस ने रिक्मेंड किया था। इसमें स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन से इस उसूल को ही सिर्फ नहीं माना बल्कि कहा कि इसे पार्ट आफ कांस्टीट्यूशन हो जाना चाहिये। जिस चीज के लिये हमने डिमांड्स किया था उसने रेकमेंड किया है। इस चीज को कि बच्चे की तालीम मदर टंग में हो, इसको पार्ट आफ कांस्टीट्यूशन हो जाना चाहिये। हमने डिमांड करके गलती नहीं की थी। अब इसकी दूसरी चीज लीजिये, यानी मैं ताईद कर रहा हूं जो चीज दी है——

"(2) Arrangements should be made for the training of an adequate number of teachers capable of teaching through the medium of Urdu at the primary stage."

यह इसका एक पार्ट हो जाता है । जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी ? तीसरे में यह है—

"(3) Arrangements should be made to secure adequate supply of text-books in Urdu."

चौथे में यह है :

"(4) Secondary schools which give instruction through the medium of Urdu should receive State recognition and State aid according to rules applicable to other secondary schools."

यह पहले मैं बता दूं कि रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या रिकमेन्ड किया है, इसने सिर्फ यही माना है, लेकिन उसने यह भी रिकमेन्ड किया है कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज में उर्दू में तालीम दी जाय । उसने आगे चल कर यह कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में एक फारमूला बना लेना चाहिये जिससे यह चीज बारबार न आवे । इसके बाद और चीजें आती हैं । मैं पढ़े देता हूं—

"(5) There should be at least one university in Uttar Pradesh where Urdu should gradually be made the medium of instruction."

यह चीज यूनीवर्सिटी रिकमेन्डेशन में मौजूद थी । इसके बाद आता है—

"Well-known institutions which cater for higher education and for the propagation of literature and science through Urdu should receive adequate financial help from the State."

यह चीज भी इसके अन्दर मान ली गई है । इसके बाद यह रहता है कि अदालतों में भी उर्दू में दरख्वास्तें दी जा सकें । इसके लिये पांच चीजें दी गई हैं । पहले तो उसने यह फारमूला माना है कि अगर ३० परसेन्ट पापुलेशन जहां हो वहां दो जबानें हो सकती हैं । वहां दो लैंग्वेजेज मानी जा सकती हैं लेकिन जहां ३० परसेन्ट से कम हैं वहां कुछ राइट्स कम होंगे । लेकिन जहां १५ परसेन्ट पापुलेशन होगी वहां के लोग दूसरी जबान में भी अदालतों में दरख्वास्त दे सकते हैं । तो वहां १५ परसेन्ट है वहां साइनबोर्ड वगैरा उर्दू में लिखे जायं और ऐलान वगैरा भी उर्दू में किये जायं और म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरियाज में भी उर्दू होगी । यह सब राइट मिल गये हैं । अब एक चीज और रह गई है जिसको कि मैं हाउस की तवज्जह के लिये रखना चाहता हूं । संविधान की दफा ३४७ में इसका रिफरेन्स है । हमारे कान्सटीट्युशन में एक चैप्टर है रीजनल लैंग्वेजेज का और उसमें दफा १, २, ३, ४ हैं । उसमें यह दिया हुआ है कि यह जबानें रीजनल लैंग्वेजेज कहलायेंगी, तो ३४७ यह है—

"On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognized by that State, direct that language shall also be officially recognized throughout that State or part thereof for such purpose as he may specify."

इसका मतलब यह है कि प्रेसीडेन्ट को यह राइट है कि वह इन-इन जबानों को रीजनल लैंग्वेज करार दे सकता है । फिर यह है कि प्रेसीडेन्ट बतायेगा कि यह-यह राइट्स हैं और इस इस में इस्तेमाल किया जायगा । इसमें यह भी हो सकता है कि सिर्फ दरख्वास्तें ही दी जायं और यह भी हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज मानी जाय और पढ़ाई भी उसमें शामिल हो सकती है । तो इस रिआर्गेनाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है करीब-करीब हमको सब मिल गया है । यूनीवर्सिटी बाकी है और वह पैसों की चीज है ।

इसमें सिर्फ एक चीज रखनी है कि उर्दू को रीजनल लैंग्वेज करार दी जाये । यहां गवर्नमेन्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हर एक शख्स तरक्की करे, हम किसी जबान को रोकना नहीं चाहते हैं । तो मैं यह कहता

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

हूं कि इसको रेकगनाइज भी कर लिया जाये। अभी पिछली बजट स्पीच में एक पूरा का पूरा पैरा इस उर्दू के बारे में था। मैं यह भी कहूंगा कि इधर एक डेढ़ साल गवर्नमेंट का रवैया बहुत हमदर्दी का रहा है। जहां-जहां पर हमने रिपोर्ट की कि इन-इन स्कूलों में उर्दू नहीं है वहां पर रक्खी जाये तो उसको सुना गया और वहां पर उर्दू जारी की गई। किताबें नहीं छपी थीं उसके लिये कहा तो वह भी फौरन छापी गईं। जो भी शिकायतें हमने कीं वह सुनी गई। लेकिन इसके लिये हमको एक-एक स्कूल में लड़ना पड़ा।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं बहुत देर से यह स्पीच सुन रहा हूं, लेकिन जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह बिलकुल इससे भिन्न है। यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि यहां पर उर्दू पढ़ाई जाये या नहीं और यू० पी० में उर्दू पढ़ाई जाती है या नहीं। अगर इसकी शिकायत करना है तो इसके लिये कोई दूसरा मौका हो सकता है। हां, अगर आपको यह कहना है कि एक ऐसा प्रान्त बनाया जावे, जिसमें उर्दू ही पढ़ाई जाय तो दूसरी बात है। लेकिन उर्दू पढ़ाई जाये या नहीं इसका यह आकेजन नहीं है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--माननीय सदस्य इन बातों को केवल अपने विचारों के पक्ष में कह सकते हैं, लेकिन आप उर्दू के बारे में यहां क्या-क्या किया गया है इसकी चर्चा नहीं कर सकते।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--अब मैं पढ़ कर ही सुनाता हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। पैरा ६५३ में दिया हुआ है--

"While making this recommendation, we have to take note of the fact that the eastern portion of the Kishanganj sub-division is predominantly inhabited by Muslims who would view with concern the transfer of this area to West Bengal on the ground that their linguaistic and cultural rights might suffer and that the possible settlement of displaced persons from East Bengal might dislocate their life. These fears are not without justification. It would, therefore, be necessary for the West Bengal Government to take effective steps such as the recognition of the special position of Urdu in this area for educational and official purposes."

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, क्या आपकी रूलिंग के बाद भी उस बहस को जारी रक्खा जा सकता है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--मैंने निर्णय दे दिया है कि आप फकत सरकार से कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मानने के बारे में कह सकते हैं, लेकिन उर्दू के लिए क्या आपने किया और क्या सरकार ने किया या नहीं किया यह इस समय नहीं कहा जा सकता।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--अब मैं इसी की ज़बान में कह रहा हूं:--

"It would, therefore, be necessary for the West Bengal Government to take effective steps such as the recognition of the special position of Urdu in this area for educational and official purposes."

**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या यह बंगाल का मसला यहां लाया जा रहा है ?

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उस पर बहस होनी चाहिये, क्या क्या हुआ है या क्या-क्या होना चाहिये, इस पर बहस न कीजिये।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--अब मैं तक़रीर नहीं करता हूं।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा और उस पर जो संशोधन रखे गये उनके

बारे में काफी चर्चा की जा चुकी है और सभी दृष्टिकोण से उस पर विचार प्रकट किये गये हैं। मैं भी २, ४ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम सामान्य रूप से रेकमेन्डेशंस मानते हैं और यू० पी० से संबंधित जो सुझाव रखा गया है कि उसका विभाजन किया जाय इसका जो केटागारिकल टर्म्स में डिनायल किया गया, इसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। आज यू० पी० जिस हालत में है उसमें कतई किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, यह मेरा अपना विचार है। उसके बाद जो प्रस्ताव कुंवर गुरु नारायण जी ने रखा है उसमें एक बात पर जोर दिया गया है कि भारत की एकता किसी भी हालत में छोड़ी न जाय। वह एकता सभी परिस्थितियों में कायम रहे। इन शब्दों का भी मैं हृदय से समर्थन करता हूं। भारत की एकता एक ऐसी चीज है जिसके सम्बन्ध में आपके सामने जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बातें हाल में हुई हैं और जिसके कारण उसकी और एकता टूटी है, जिसका प्रतिफल हम भोग चुके हैं उसके विषय में मैं कुछ बातें रखूंगा।

एक और संशोधन रखा गया है कि यू० पी० का ऐसा विभाजन किया जाय कि इसका एक हिस्सा दिल्ली और पंजाब के साथ मिला दिया जाय। फिर एक सज्जन ने एक ऐसा संशोधन रखा कि इसमें कुछ हिस्से और जोड़ दिये जायं, मैं यहां पर जो प्रस्ताव नेता सदन का है और जो कुंवर साहब का संशोधन है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो कुछ माननीय पणिक्कर साहब ने यू० पी० के विभाजन के बारे में कहा उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें और जो इस आयोग ने राज्य पुनस्संगठन के बारे में विचार प्रकट किये हैं वे कई बातों पर निर्भर करते हैं, उनमें ३, ४ मुख्य बातें हैं। पहली बात तो जोग्राफिकल यूनिटी की है, दूसरी बात कल्चरल यूनिटी की, तीसरी बात लिंगुएस्टिक बेसिस, चौथी बात एकानामिक डेवलपमेंट और पांचवीं बात ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी है। इनमें से २ बातों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे हैं भौगोलिक एकता और कल्चरल यूनिटी। यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमायें हैं वे बिल्कुल ठीक हैं। उत्तर में हम देखते हैं कि एक विशाल पर्वत है, दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत है और पश्चिम में जमुना नदी बहती है और उसके पश्चिम के जिले मथुरा और आगरा हैं। इसके बाद में राजस्थान का एक मरुस्थल क्षेत्र आ जाता है और उसकी आबहवा और वहां की जो प्राकृतिक बनावट है वह उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। इसलिये वहां से दूसरा क्षेत्र शुरू हो जाना स्वाभाविक है। पूर्व में बलिया और देवरिया मिलते हैं जो कुछ भिन्नता रखते हैं। उत्तर का जो पहाड़ी इलाका है उसको देखते हुये उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है उसमें किसी प्रकार से विभाजन करना नीति की दृष्टि से उपयुक्त न होगा। इस आयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वे शब्द इस प्रकार थे :—

"A Commission would be appointed to examine objectively and dispassionately the question of reorganization of States of the Indian Union so that the welfare of the people of each constituent unit as well as the nation as a whole is promoted."

"आब्जेक्टिवली" और "डिस्पैशनेटली" इन शब्दों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही वह यह कि यूनिटी और देश के कल्याण की दृष्टि से पुनःसंगठन किया जाय। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विभाजन भारत की यूनिटी के खिलाफ पड़ता है। जिन शब्दों से इस आयोग का आयोजन किया गया है उसकी स्प्रिट और भावना के खिलाफ पणिक्कर साहब का नोट आफ डिसेंट पड़ता है। अब जहां तक विभाजन का प्रश्न है अगर आप इतिहास को उठा कर देखें तो बीसवीं सदी के शुरू में जिस वक्त बंगाल के पार्टीशन का सवाल उठ रहा था कितने लोगों ने उसका विरोध किया था। उसके बाद में जब भारतवर्ष का पार्टीशन पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रूप में हुआ उसके क्या नतीजे हुए, वे सब हमारे सामने मौजूद हैं। इस सदन के अन्दर कहा गया कि बम्बई में और विन्ध्य प्रदेश में कुछ झगड़े

[श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी]

हाल में हुए। जिस बुनियाद पर ये झगड़े हुए हैं उस बुनियाद को हमें देखना चाहिये, विभाजन से वही बातें कहीं उत्तर प्रदेश में पेश न हो जायें। बम्बई कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र के सम्बन्ध में किया है वह भी कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया है। यदि इतिहास को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ा फर्क है। बम्बई शहर को गुजराती कल्चर का शहर कह सकते हैं। यदि हमें महाराष्ट्र के कल्चर को देखना है तो हम पूना को देखें। आप सन् १९०७ ई० के बाद की कांग्रेस की तवारीख को देखें तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई में काफी लीडरी का संघर्ष रहा है। महाराष्ट्र की लीडरी गुजराती लीडरी को बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। सन् १९०७ ई० का कांग्रेस सेशन इसका साफ उदाहरण है। सन् १९२० ई० के बाद में इसी कारण डाक्टर मुञ्जे, डाक्टर अम्बेडकर और डाक्टर जयकर, जो महाराष्ट्र के लीडर्स थे, वह लोग कांग्रेस से अलग हो गये। इसलिये बम्बई का हवाला देकर कि जो कुछ वहां हुआ है वहां उत्तर प्रदेश के लिये कुछ कहा जाय कि यहां भी वैसे ही कुछ आशंका फैल रही है तो यह बिल्कुल गलत है। वहां की और हमारे प्रदेश की स्थिति में काफी अन्तर है, उनका हमसे कोई मुकाबिला नहीं हो सकता है। आप देखें पश्चिमी जिलों से लेकर पूर्वी जिलों बलिया और देवरिया तक और उधर विन्ध्याचल की तरफ विन्ध्य प्रदेश तक एक ही रीति-रिवाज और रहन-सहन है, कोई अन्तर नहीं है। तो इस तरह से कल्चरल यूनिटी के लिहाज से भी हम सब एक हैं। कल्चरल यूनिटी का हवाला हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी दिया है कि उसके खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिये। लेकिन चूंकि पणिक्कर जी के सामने कुछ ऐसी बातें रखी गयीं, जिनसे मजबूर हो कर उन्होंने एक प्रकार के विभाजन का सजेशन अपनी रिपोर्ट में दे दिया।

अब मैं आपका ध्यान बंगाल की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी हाल में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बड़ा झगड़ा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में लोग अपने यहां बंगाली भाषा को ही रखना चाहते थे। वह इस बात के लिये तैयार नहीं थे कि वहां उर्दू भाषा चलाई जाय। तो मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बात का सबूत नहीं है कि कल्चरल यूनिटी के लिये वहां धार्मिक भेद होते हुये भी बंगाली भाषा वहां के लोग रखना चाहते थे। फिर क्या ऐसी बात हो गयी जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में यह कहना सत्य होगा कि यहां कल्चरल यूनिटी नहीं है जिसके कारण पणिक्कर जी ने या और दूसरे जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कमजोर हो, उन्होंने इस सजेशन को रिपोर्ट में रखा है। मेरी समझ में यह बिल्कुल गलत बात है। फिर यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लोग या दूसरे लोग जो इस प्रकार की बातें सोचते हैं, मन में द्वेषभाव हमारे तरफ से पैदा हो गया है। इसलिये हमारे प्रदेश का बटवारा हो यह मैं नहीं चाहता. यह बिल्कुल गलत बात है। मैं भी दक्षिण भारत घूमा हूं और भी लोग वहां गये हैं, मद्रास भी मैं घूमा हूं। हिन्दी प्रचार का कार्य वहां हो रहा है, मैंने वहां कहीं नहीं देखा कि लोग हिन्दी के विरुद्ध हैं। यह कहना कि हमारे प्रदेश के रहने वालों को केन्द्रीय विधान सभाओं में अधिक जगहें मिल जाती हैं, जिससे दूसरे प्रदेशों के लोग वञ्चित रखे जाते हैं तो यह बिलकुल गलत है, इसलिये कि वहां मेरिट्स पर लोग रखे जाते हैं। जहां तक हमारे राइट्स के कम करने की बात है मैं उसके भी विरुद्ध हूं। इस सम्बन्ध में यदि यह बात कही जाय कि केन्द्रीय सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में अधिकांश मद्रासी और बंगाली भरे हुये हैं इसलिये कुछ और प्रदेशों के आदमियों को विरोध है और जलन है तो यह कोई उचित बात नहीं मालूम पड़ती है। इसलिये पणिक्कर साहब ने जो यह बात कही कि यह बड़ा प्रदेश हो गया, अतः इसका बटवारा होना चाहिये, सही नहीं है। हममें से कुछ व्यक्ति भी ऐसा विचार रखते हैं कि हम अपने कब्जे में एक बड़ा भारी प्रदेश रख कर के कुछ ज्यादा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन यह एक निर्मूल सी बात मालूम होती है।

जहां तक पणिक्कर साहब का नोट आफ डिसेन्ट है, उन्होंने दो विचारधाराओं पर जो कि उनके सामने थीं कि विभाजन किया जाय या नहीं किया जाय, इनको सामने रखा और इससे पहले रिपोर्ट पर जो प्वाइन्ट था उसका विशेष ख्याल न रख कर उन्होंने अन्त में विभाजन पर अपना सुझाव दिया। जो दो तरह की विचारधारायें चलती रहीं उनका उन्होंने बयान किया। जो पणिक्कर साहब ने अपना सुझाव विभाजन के लिए रखा है उसके लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है और जो हमारे ऊपर इस प्रकार विचारधारा को लागू करने का प्रयत्न किया है वह ठीक नहीं मालूम पड़ती है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष अन्य बातें न कह कर इस बात को फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा इस वक्त है, न उसमें कोई बार्डर बढ़ाने की जरूरत है न कम करने की जरूरत है। अगर इसको कम करते हैं तो इसकी यूनिटी और इन्टरग्रीटी को एक धक्का देना होगा। यह लिग्विस्टिक कल्चरल और ज्योग्राफिकल बेसिस पर एक यूनिट है और यह आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले जमाने से चली आ रही है। मैं एक भूगोल के विद्यार्थी के नाते, जो पार्टिशन भारत का हो गया है, बावजूद इसके भी, हिन्दुस्तान को एक नेचुरल कल्चरल यूनिट मानता हूं। पोलिटिकली चाहे इसकी कितनी ही यूनिट्स हो जायं, लेकिन कल्चरली यह एक यूनिट है। फिर उत्तर प्रदेश तो एक उसका हृदय है, उसका आप विभाजन करना चाहते हैं। मैं इस बात को मानने के लिये कभी भी तैयार नहीं हूं कि कल्चरल, लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर इस का विभाजन किया जा सकता है। जिन लोगों ने ऐसी विचारधारायें चलायी हैं, उनका कोई छिपा हुआ अपना मन्तव्य हो सकता है और उसके बारे में वही जान सकते हैं। सम्भव है कि उनका कोई पोलिटिकल गेम हो और उस गेम को सिद्ध करने के लिये उन्होंने ऐसी विचारधारायें चला दी हों। लेकिन यह एक बड़ी सुसाइडिल पालिसी होगी, अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जायेगा। जो मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर के शब्दों को ऊपर रखा है उनकी भावना पर विभाजन करके एक प्रकार से पानी फेरना होगा। उन भावनाओं को सामने रख कर रिआर्गनाइजेशन कमीशन का संगठन हुआ है और उसने अपनी सिफारिशें यहां पेश की हैं। जो मूल बात है उसको हम भूल नहीं जायेंगे।

इसलिये मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि बहुत पुराने जमाने से इस प्रदेश की एक यूनिटी रही है। पुराने ग्रंथों में इसका आर्यवर्त के नाम से उल्लेख मिलता है जो कि गंगा और जमुना के बीच का प्रदेश है। उस जमाने में भी यह एक यूनिटी बाइ इट सेल्फ थी जहां पर भगवान कृष्ण और भगवान राम ने जन्म लिया है और जहां उनका क्रीड़ास्थल रहा है, उसका विभाजन करके, उसकी कल्चरल यूनिटी को टुकड़े करना ठीक नहीं होगा, इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर के अन्दर एक बड़ी भारी खंदक क्यों खोदना चाहते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टरूप में कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, वह अपनी जगह पर सही है और जो सुझाव माननीय पणिक्कर साहब ने रखा है वह गलत है। श्री पणिक्कर साहब एक बहुत बड़े विद्वान् हैं और इतिहास के ज्ञाता हैं, उन्होंने जो विचार रखे हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिये जो यहां पर कहा गया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे एक ऐसा वातावरण पैदा हो जायेगा जिससे कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जायेगा। एक ओर तो अपनी ही समस्याओं से हम परेशान हो रहे हैं, तो इस तरह से एक और परेशानी अपने सूबे में लाना होगा। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के बटवारे के बाद वहां कुछ ऐसे इम्पलीकेशन्स पैदा हो गये हैं जिनकी वजह से आज वह खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो क्या आप अपने सूबे में भी वही इतिहास प्रारम्भ करना चाहते हैं। यहां भी श्री पणिक्कर साहब ने कुछ बातें जरूर कह दी हैं लेकिन उनके प्रयोग में लाने के बाद एक ऐसी खुजली मोल लेना होगा जिससे कि खुजलाते खुजलाते हमारा अन्त हो जायेगा। इसलिये मैं इसके सम्बन्ध में यह चेतावनी देना चाहता हूं कि:—

Hands off, otherwise the consequences will be dire and disastrous you shall not be allowed to dismember one unit which has been for long and which will exist in future.

[श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी]

इसलिये मैं बड़े जोरदार शब्दों में, जो नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और इसके साथ ही कुंवर साहब ने जो एकता की बात कही है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। यह तो रही आयोग की बात।

इसके बाद मैं दो एक शब्द और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो पुनर्संगठन का सुझाव है, उससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां पर स्टेट का फंक्शन शिक्षा भी हो गया है, और वहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इस तरह की वहां कोई चीज नहीं है। जब वे भाग उनके बड़े राज्यों से मिला दिये जायेंगे जहां पर कि एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं या जहां पर प्राइवेट मैनेजमेंट हैं या वह ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल हैं ही नहीं और सब शिक्षा स्टेट की है, तो फिर उनका क्या होगा? मेरा मतलब कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव, विंध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला देने के सुझाव से है या पेप्सू को इस राज्य में संगठित करने से है। इन छोटी स्टेटों के हिस्सों का बड़ी स्टेटों में मिला देने से वहां की शिक्षा संस्थाओं को जो नेशनलाइज किया जायगा या बड़ी स्टेट के सब इन्स्टीट्यूशन्स नेशनलाइज किये जायेंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी बात, ऐसी स्टेटें हैं जहां पर कि टीचर्स की सैलरी और स्टेटों के मुकाबिले में अच्छी हैं। मेरा संकेत हैदराबाद स्टेट से है, जिसका विभाजन कर दिया गया है और जो कि कुछ अन्य स्टेटों से मिला दिया गया है, वहां पर जो ऊंचे स्तर पर अध्यापकों को वेतन मिलता है वह भी उसमें लिये जा सकेंगे, यह भी एक विचारणीय प्रश्न यहां पर हो गया है।

दूसरी बात मैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर कहना चाहता हूं। बंगाल का कुछ हिस्सा काट कर जो बिहार में मिलाया जायगा तो उससे लोगों को बहुत ही कठिनाई होगी। श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी प्रकार से भी यहां के रहने वालों के लिये हितकर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री दीप चन्द**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, इसके साथ ही साथ मैं यह भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन के मेम्बरों के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव प्रगट करूं। उन्होंने इस रिपोर्ट के अन्दर देश की एक बहुत जटिल समस्या का हल प्रस्तुत किया है। मैं उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं। मैं वहां के लोगों के बारे में यह कह सकता हूं कि वे लोग इस विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है। माननीय श्री पणिक्कर जी ने जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में कहा है, उन बातों का विश्लेषण श्री चन्द्रभानु गुप्त जी और श्री कन्हैया लाल जी ने काफी किया है। अब मैं समझता हूं कि इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय में एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं कि उन मूल सिद्धान्तों पर जिनको कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया है उसका एक ही प्रतिबन्ध है। वह पेज ६२ लाइन ३ पर है :

"This, however, does not mean that units should be so unwieldy as to be without any intrinsic life of their own or to defeat the very purpose for which larger units are suggested, i.e., administrative efficiency and co-ordination of economic development and welfare activity."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस कसौटी पर भी उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूरी है? क्या उत्तर प्रदेश एक एफीसियन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि जिसने एकोनामिक्स डेवलपमेंट की वेलफेयर एक्टीविटी के लिये उत्तर प्रदेश में कोआर्डिनेट नहीं किया है? क्या अन बैलेन्स की बेसिस पर उत्तर प्रदेश की प्रगति रोक दी जावे। मैं तो इस

विभाजन के पक्ष में नहीं हूं। यहां पर यह भी कहा गया कि लोक सभा में उत्तर-प्रदेश के ८६ मेम्बर हैं, वे लोग एक मत हो कर अपना प्रभाव डालते हैं, तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि यह बात कहां तक सही है।

"But if this be true, what is the guarantee that after the division the two units, thus divided will not act in unison and belie the hopes and fears of those who want to weaken the voice of U. P. in the counsels of the nation."

श्री गोविंद सहाय जी ने कल सदन में कहा था कि हम विभाजन नहीं चाहते हैं बल्कि हम तो रिआर्गेनाइजेशन चाहते हैं। तो मैं इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त वे यह कह रहे थे तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग व दिल में एक प्रकार का संघर्ष पैदा हो रहा था। उन्होंने दो, तीन बातें और कहीं, उनको मैं व्यौरेवार लूंगा। उन्होंने इसकी हिस्टोरिकल कन्टीन्युइटी को चेलेन्ज करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश का ब्रिटिश सत्ता के समय में ही वर्तमान रूप सामने आया है। मैं पूछता हूं कि क्या आदि काल में भारत खंड इस उत्तर प्रदेश का रूप नहीं था और क्या आज इसमें विभिन्नता आनी चाहिये? उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक स्ट्रांग बेस लाइन अपनी सेफ्टी के लिये बनाया जिससे कि वह दिल्ली के क्षेत्र को सुरक्षित रख सके, तो क्या आज भारत को इस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह गयी है? और क्या इस तरह से यू० पी० का विभाजन करने से भारत सुरक्षित हो सकेगा? क्या यू० पी० आज सीमा प्रदेश नहीं है? दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यू० पी० के टुकड़े करने से एकोनामिक गेन भी पश्चिमी जिलों को मिल सकेगा और मिनरल रिसोर्सेज में भी इस तरह से वह डेवलप कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज में आज उत्तर प्रदेश विशेष कर पर्वतीय क्षेत्र तथा बुन्देलखंड में क्या कमी है सिर्फ उनको डेवलप और टैप करने की आवश्यकता है। वह इस चीज को भूल गये और जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में कर दिया जायेगा तो जो मेडिकल कालेजेज, यूनिवर्सिटीज, हाईकोर्ट, लेजिस्लेचर और सेक्रेटेरियट बिल्डिंग पूर्व में सेन्ट्रलाइज हैं, तो क्या उनको दुबारा बनाने की बात होगी और क्या उसी तरह से इस प्रदेश के डेवलपमेंट की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी? इस तरह से कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करने से पश्चिमी जिलों को लाभ पहुंचेगा। यह कह कर मैं नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, कल से हम राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। उसके सम्बन्ध में हमारे सदन के नेता ने जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है उसमें साधारणतया आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट की गई है, और साथ ही इस बात पर बल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वह कायम रखी जाय और यदि सीमा के सम्बन्ध में कोई छोटा-मोटा परिवर्तन आवश्यक हो तो वह कर दिया जाये। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन दिये हैं और उन संशोधनों के संबंध में जो कि यहां प्रस्तुत किये गये, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो संशोधन श्री गोविन्द सहाय जी का है उसमें यह कहा गया है कि इस उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कर दिये जायं। उनके इस संशोधन का आधार श्री पणिक्कर जी के नोट आफ डिसेन्ट से है और उसके मूल को ही अपना आधार मान कर उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो सिफारिश अपने नोट आफ डिसेन्ट में पणिक्कर साहब ने की है वह सिफारिश तो हमारे भाई गोविन्द सहाय जी ने जो प्रपोजल रक्खा है, उससे सर्वथा भिन्न है। पणिक्कर साहब तो उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े करने के लिये कहते हैं अर्थात् कुछ पश्चिमी जिलों को वर्तमान उत्तर प्रदेश से निकाल कर दूसरा प्रदेश आगरा राज्य के नाम से बना दिया जावे। वह इसमें कोई और टुकड़ा दूसरे प्रदेश से लेकर जोड़ना नहीं चाहते। इधर जो संशोधन यहां प्रस्तुत हुआ है उस संशोधन में यह कहा गया है कि पुरानी दिल्ली जोड़

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

दी जाय, पंजाब का अम्बाला डिवीजन जोड़ दिया जाय, तथा विन्ध्य प्रदेश के भाग जोड़ दिये जायें। मैं तो इससे केवल यह समझता हूं कि वह एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं कि जिसमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों के टुकड़े जोड़ कर एक और नया प्रदेश खड़ा कर दिया जाय। पणिक्कर साहब की बात तो कुछ समझ में भी आ सकती है। वह प्रशासन के दृष्टिकोण से अर्थात् ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से कहें कि प्राविंस इतना बड़ा है कि वह अनवील्डी है, उसका अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, यह बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन यह बात तो बिलकुल समझ में नहीं आती कि एक डिवीजन पंजाब का लो, विन्ध्य प्रदेश का लो, पुरानी दिल्ली का लो और इधर मध्य भारत के और उत्तर प्रदेश के लो और उन सब को मिला कर एक प्रान्त अलग खड़ा कर दिया जाय। क्या पंजाब के अम्बाला डिवीजन का कल्चरल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की कल्चर से जुदागाना नहीं है? पुरानी दिल्ली का कभी कोई सम्बन्ध आज तक उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ है और न अब है।

जहां तक कल्चर और संस्कृति का सम्बन्ध है, मैं एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं जहां के विधायकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विभाजन का समर्थन करते हैं। जो चीज आज प्रस्तुत की गई है और जिस तरह से विभाजन का संशोधन यहां रखा गया है वह चीज हमारे लिये कोई नयी नहीं है। अब से कोई बीस साल पहले जब पंजाब में सर छोटूराम मिनिस्टर थे उस वक्त एक ऐसा ही प्रपोजल सामने आया था जिसमें यह चाहा गया था कि एक सूबा बना दिया जाय जिसमें पंजाब का हरियाना प्रान्त और यू० पी० के आगरा और मेरठ डिवीजनों को मिला दिया जाये। लेकिन उसका आधार कम्युनल था। कांग्रेस की तरफ से भी उसका विरोध किया गया था और आम जनता की तरफ से भी विरोध किया गया था। इसलिए वह तहरीक वहीं खत्म हो गई और आगे नहीं बढ़ सकी। उसके उपरान्त कुछ दिन बाद यह सवाल फिर उठा और वह दिल्ली से उठा। उसको देशबन्धु गुप्त और दूसरे कार्यकर्ताओं ने उठाया। उनका भी यही ख्याल था कि दिल्ली को एक बड़ा प्राविंस बना लिया जाय और उसके अन्दर उत्तर प्रदेश के आस-पास के जिले और पंजाब के हरियाना प्रान्त को मिला कर एक बड़ा प्रान्त बनाया जाय, जिस के अन्दर दिल्ली भी शामिल हो। परन्तु इस तहरीक की भी मुखालिफत हुई और वह भी खत्म हो गई। उसमें भी वही बात थी। देशबन्धु गुप्त वगैरह जो तहरीक के उठाने वाले थे उन लोगों का भी हरियाना प्रान्त से सम्बन्ध था क्योंकि वे रोहतक और हिसार के रहने वाले लोग थे इसलिये हरियाना प्रान्त और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को मिला कर और दिल्ली को मिला कर जो नया प्रान्त बनाने की तहरीक थी उसका समर्थन सिवाय चन्द लोगों के जो कम्युनल बेसिस पर इस तरह के प्रदेश को बनाना चाहते थे और किसी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों ने नहीं किया। अब एक तीसरा मौका आया है।

**श्री हर गोविन्द सिंह** (शिक्षा मंत्री)---बीच में अजगर आया था।

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**---मुझे ठाकुर हर गोविंद सिंह ने याद दिलाया है कि बीच में अजगर की भी तहरीक आयी थी। चन्द जातियों ने मिल कर एक मूवमेंट चलाया था कि इन सब जातियों का जो पहला अक्षर था उसको लेकर यह अजगर शब्द बना है। अजगर में अहीर, जाट, गूजर और रवा शामिल थे। लेकिन उस मूवमेंट का भी कोई खास असर नहीं हुआ। उसका भी समर्थन नहीं हुआ और वह तहरीक भी मर गयी। इलेक्शन्स में भी वह चीज चली और आखिर में बैठ गयी। ऐसी सूरत में मैं कहता हूं कि यह तहरीक कोई नयी तहरीक नहीं है और मेरी समझ में नहीं आता कि श्री पणिक्कर साहब के दिमाग में यह बात कहां से आ गयी? जिन-जिन उसूलों और मौलिक सिद्धान्तों को कमीशन ने राज्यों को पुनस्संगठन के लिये आवश्यक समझा है पणिक्कर साहब की दलील उन सब सिद्धान्तों के विपरीत है। मैं तो यह साफ कहना चाहता हूं कि अगर उस नोट के साथ श्री पणिक्कर का नाम लगा हुआ न होता तो मैं

बिला संकोच के कहता कि यह नोट लिखा गया है किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश से रुष्ट है अथवा उत्तर प्रदेश के नेताओं से असंतुष्ट है, कारण कुछ और भी हो परन्तु उस नोट के अक्षरों से यही टपकता है। औचित्य और न्याय का इसमें नितान्त अभाव है क्योंकि जो उसका आधार है वही निर्मूल है। पणिक्कर साहब फरमाते हैं कि उत्तर प्रदेश का दूसरे प्रदेशों पर जो प्रभुत्व है उसके कारण यह भय है कि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध और देश की एकता के विरुद्ध भावनायें पैदा हो जायेंगी। मैं ज़रा उन शब्दों को पढ़ दूं:--

"The consequence of the present imbalance caused by the denial of the federal principle of equality of units, has been to create feelings of distrust and resentment in all the States outside Uttar Pradesh. Not only in the southern states but also in the Punjab, Bengal and elsewhere the view was generally expressed before the Commission that the present structure of government led to the dominance of Uttar Pradesh in all-India matters."

मुझे तो ताज्जुब होता है कि कमीशन के सामने जो इवीडेन्स हुआ उससे तो श्री पणिक्कर साहब पर यह प्रभाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश का जो राजनैतिक प्रभुत्व है वह दूसरे प्रदेशों को खटकता है, मगर दूसरे दो मेम्बरों ने इसका थोड़ा सा भी तजकिरा कहीं नहीं किया। पणिक्कर साहब में न मालूम किस तरह से यह भाव जागृत हो गया कि उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों पर हावी होना चाहता है, या वह इस किस्म की नीति बरतना चाहता है कि दूसरे प्रदेश उसके मुतीय रहें। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत चीज है और इसमें कोई तथ्य नहीं है उत्तर-प्रदेश की न तो कभी यह नीति रही और न कभी उत्तर प्रदेश अपनी प्रभुता दूसरे प्रदेशों के ऊपर जमाना चाहता है। सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो पणिक्कर साहब ने अपने नोट में दिया है वह यह है कि हमारा प्रतिनिधित्व लोक सभा और राज्य सभा में इतना है कि हम अपनी बात अर्थात् उत्तर प्रदेश अपनी बात को मनवा लेता है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार लोक सभा के ५०० मेम्बरों में से ८६ मेम्बर यहां के हैं यानी वह एक बटा छः से भी कम पड़ते हैं। इसी तरह से राज्य सभा के अन्दर एक बटा सात पड़ते हैं। यानी १६, १७ प्रतिशत हमारा प्रतिनिधित्व वहां पड़ता है। १७ प्रतिशत ८३ प्रतिशत के ऊपर प्रिडामिनेट करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर यह १६ या १७ प्रतिशत जो लोक सभा या राज्य सभा में हैं कोई अपनी मनमानी करें और नाजायज फायदा उठाना चाहें तो बाकी ८३ फीसदी मिलकर उनको रसातल में पहुंचा सकते हैं। अब यह कि हमारा प्रतिनिधित्व लोक सभा में या राज्य सभा में अधिक है तो वह इसलिये कि हमारी जनसंख्या अधिक है। वह अनुपात तो जनसंख्या की वजह से है और संविधान के अनुसार है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि यह १७ फीसदी उससे कोई नाजायज फायदा उठा लें।

आगे चल कर वह खुद ही कहते हैं कि गवर्नमेंट तो वर्तमान प्रजातंत्र शासन तो सभी देशों में प्रायः पार्टी बेसिस पर ही चलता है। यदि यह ठीक है तब तो यह खतरा बिलकुल ही खत्म हो जाता है। पार्टी के अन्दर जो रूलिंग पार्टी होगी उसमें सब प्रदेशों के मेम्बर होंगे। वह तो इस चीज का ध्यान रक्खेंगे जिससे पार्टी में कोई झगड़ा पैदा न होने पावे, पार्टी खुद ही इस बात का ध्यान रक्खेगी कि किसी प्रदेश के लोग उससे नाखुश न हो जावें। आगे चल कर पणिक्कर साहब ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के मेमोरेन्डम की चर्चा की है और कुछ आंकड़ों के आधार पर यह कहा है कि यहां का प्रशासन कुशल नहीं है। उसका कारण यह बतलाते हैं कि सोशल सर्विसेज के अन्दर एजुकेशन के अन्दर रुपया कम खर्च हुआ है। इस लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एफीशियेन्सी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट में खुद ही यह तस्लीम किया गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी की जांच यह नहीं है कि शोसल सर्विसेज के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च हुआ है। उसके लिये तो यह देखना होगा कि जो विकास का काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, वह कितना हुआ है? उसके ऊपर ही ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी निर्भर करती है न कि इस पर कि शिक्षा तथा सोशल सर्विसेज पर कितना खर्च किया गया। हमने एजुकेशन के ऊपर उतना खर्च नहीं किया है जितना डेवलपमेंट के ऊपर किया है। जैसे कि हाफिज साहब ने बतलाया है कि हमने हजारों मील लम्बी सड़कें बनायी हैं, अनेक

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

पावर हाउसेज खोले हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। इरीगेशन को भी बहुत बढ़ाया है और सैकड़ों ट्यूबवेल्स लगवाये हैं जिससे देश की उपज बढ़ी है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा प्रदेश चार साल पहिले खाद्यान्न में डेफिसिट प्रदेश था अब सरप्लस राज्य बन गया। ऐसी स्थिति में श्री पणिक्कर साहब का यह कह देना कि सोशल सर्विस और एजुकेशन पर दूसरी स्टेट की अपेक्षा खर्च कम होने के कारण उत्तर प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी की कमी है, मैं समझता हूं कि यह उनका भ्रम है। मेरा ख्याल है कि उनको भ्रम में डाला गया है, तब ही उन्होंने ऐसा लिखा है। उस दिन हाफिज जी ने अपनी तकरीर में स्मालर और लार्जर स्टेट्स के सम्बन्ध में कमीशन की रिपोर्ट के चेप्टर ७ के २१८ पैरा को पढ़ कर सुनाया था, लेकिन मैं उसके साथ रिपोर्ट के पैरे २१६, २१७ की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि जिस बुनियादी उसूल को कमीशन ने माना है उसको पणिक्कर साहब ने इस नोट के लिखते समय बिलकुल भुला दिया है। पैरा २१६ में लिखा है—

"When it is remembered that too many small states necessarily add to the burden of unproductive expenditure, and that the view can be held that expenditure on social services cannot be regarded as more important than basic productive investment like river valley and power development schemes, which a large State will be in a much better position to undertake, the case for small states cannot be regarded as impressive."

परन्तु पणिक्कर साहब ने यह आर्गूमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट है इसलिये उसके टुकड़े कर देना चाहिये यद्यपि रिपोर्ट के पहले भाग में वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि बड़ी स्टेट डेवलपमेंट अर्थात् विकास का कार्य ज्यादा कर सकती है और अनुत्पादक खर्चा ऐडमिनिस्ट्रेशन का वहां कम होगा। नये राज्य के बनाने से निश्चय ही अनुत्पादक खर्चा बढ़ जायेगा। अगले पैरे से यह भी साफ हो जाता है कि एक बड़े राज्य में आर्थिक स्थिरता व संतुलन होने का साधारणतया अधिक अवसर है जो छोटे राज्यों को प्रायः प्राप्त नहीं हो सकता। कमीशन ने लिखा है :

"The case of sizeable administrative units is based partly on a rebuttal of the claim in favour of small States and partly on other independent grounds. A sizeable State should normally be financially more stable and more able to conform to the broad requirements of financial and economic policies."

परन्तु यदि पणिक्कर महोदय का विभाजन माना जाय तो पूर्वी प्रदेश तो एक घाटे का राज्य होगा जहां करीब ३, ४ करोड़ का घाटा रहेगा जिसकी पूर्ति श्री पणिक्कर नये करों द्वारा करने का सुझाव देते हैं। कमीशन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार तो नये प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होनी चाहिये और उन में यह क्षमता होनी चाहिये कि वह अपनी आर्थिक नीति की आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी हों। इस विभाजन के प्रस्ताव का यह परिणाम होगा कि पूर्वी प्रदेश की गरीब जनता नये करों के भार से लदेगी और उसके विकास के कार्य-क्रम में जो उसके जीवित रहने के लिये अत्यावश्यक है, ऐसी बाधायें पड़ेंगी जिनको हल करना उनके लिये कठिन होगा। यह दुखद परिणाम पणिक्कर महोदय की कृपा से वहां की जनता को मिलेगा। पश्चिमी भाग अवश्य सरप्लस प्रदेश होगा दूसरे भाग की आर्थिक स्थिरता नष्ट करके। क्या ऐसा विभाजन देश के हित में हो सकता है जिसके कारण एक प्रदेश आर्थिक स्थिरता को खो कर विकास के कार्यों को आगे चलाने में असमर्थ हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो दुख होता है जब मैं यह देखता हूं कि श्री पणिक्कर ने अपने नोट के पैरा ५ में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किये हैं जो बजाय इस के कि देश में एकता की भावना को दृढ़ करें, वे प्रदेशों के बीच वैमनस्य और अविश्वास जागृत करने के कारण बन सकते हैं। यदि देश में हम एकता पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिन एकतासे की भावना को ठेस लगने की तनिक भी आशंका हो। मेरी

की यह निश्चित धारणा है कि पणिक्कर साहब का नोट सर्वथा निर्मूल है और जिस आधार पर पणिक्कर साहब ने इस नोट को लिखा है, वह भी गलत है और दुर्भाग्यवश असावधानी से ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है जो देश की एकता की भावना को कमजोर करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। पणिक्कर साहब ने यह भी अपने नोट में फरमाया है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर लोगों की आम राय है कि विभाजन कर दिया जाय। मैं पणिक्कर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या मौका था उनके पास जिससे उन्हें पता चला कि वहां लोगों की इस तरह की राय है? प्रदेश में वह केवल तीन स्थानों पर गये। जहां तक लेजिस्चर के मेम्बर्स का ताल्लुक है, कुछ लेजिस्लेचर के मेम्बर्स उस डेपुटेशन में अवश्य शामिल थे जो विभाजन के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री तथा कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने गया था। लेकिन पश्चिमी भाग के निवासी, मंत्रियों उप मंत्रियों, सभा सचिवों सब ने विभाजन के विपक्ष में मत व्यक्त किया है। इस सदन में भी आप समझिये कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी मेम्बर हैं उनमें से एक भी विभाजन के पक्ष में नहीं है। विधान सभा में भी ऐसी कम संख्या मिलेगी जो इसके पक्ष में हों। पणिक्कर साहब ने कहा कि ९७ लेजिस्लेचर के मेम्बर्स ने एक मेमोरेन्डम दिया था, लेकिन उस मेमोरेन्डम से ७० आदमियों ने अपने दस्तखत वापिस ले लिये उन्होंने पहले एक चीज को ठीक समझा और उस पर दस्तखत किये, लेकिन दस्तखत करने के बाद यदि उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और अपनी राय में तब्दीली कर दी तो उसके माने कदापि यह नहीं होते कि ९७ लेजिस्लेचर के मेम्बर्स उसके पक्ष में हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत बात है कि लोगों की आम राय है कि इस उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाय। जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है वहां तक मैं समझता हूं कि सिवाय गोविन्द सहाय जी के इस सदन में आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बुलन्द शहर तथा अन्य पश्चिमी जिलों में से करीब-करीब सभी जिलों के मेम्बर यहां हैं लेकिन कोई भी सदन के अन्दर विभाजन करने के पक्ष में नहीं दिखलाई पड़ा।

एक आवाज—बनारस चाहता है।

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**—बनारस ऐसा नहीं चाहता है। यदि प्रभु नारायण सिंह जी चाहते हैं तो बनारस को बिहार में मिलाने का प्रस्ताव कर सकते हैं, लेकिन हम बनारस वालों को भी कभी इजाजत नहीं देंगे कि वे अलग जायं।

आज मद्रास का रहने वाला अपने आपको मद्रासी कहता है, पंजाब का रहने वाला पंजाबी कहता है, गुजरात का रहने वाला गुजराती कहता है, बंगाल का रहने वाला बंगाली कहता है, लेकिन हम क्या कहें, हमारा तो कोई प्रदेशीय नाम ही नहीं है।

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन**—हम अपने को हिन्दुस्तानी कह सकते हैं।

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**—हम अपने आपको हिन्दुस्तानी कहें लेकिन प्राविन्शियलिज्म का भाव इन पृथक-पृथक नामों से ज्यादा आता है। प्राविन्शियलिज्म की बात अपने को बंगाली और पंजाबी कहने में आती है, लेकिन हम अपने को सिवाय हिन्दुस्तानी कहने के और कुछ नहीं कह सकते। चाहे हम बाहर जायें या किसी प्रदेश में जायं, तो यही कहेंगे कि हम हिन्दुस्तानी हैं। इस हालत में यह भावना बिल्कुल गलत है और कोई भी इसके पक्ष में नहीं है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—अब पांच बज चुके हैं, आप कल बोलियेगा।

अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजे दूसरे दिन शनिवार, २६ नवम्बर, १९५५ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ;
२५ नवम्बर, १९५५।

**परमात्मा शरण पचौरी,**
सचिव,
**विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।**

## नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न १० का उत्तर पृष्ठ ४८ पर)

### सूची नं० १

| क्रम संख्या | नाम | क्रम संख्या | नाम |
|---|---|---|---|
| (१) | सर्वश्री धर्मपाल सिंह | (३७) | सर्वश्री मनोहर मान सिंह |
| (२) | राम शरन लाल | (३८) | बी० बी० एल० अग्रवाल |
| (३) | पारस नाथ पाठक | (३९) | राम कुमार सिंह |
| (४) | डी० वी० के० त्रिपाठी | (४०) | बलजोर सिंह |
| (५) | रामपाल सिंह | (४१) | बोधनाथ सिंह |
| (६) | डी० एस० गेहलोट | (४२) | हरिचरन साही |
| (७) | रवेंन्द्र नाथ | (४३) | राजवन्स सिंह |
| (८) | कुंवर बाबू रेम सिंह | (४४) | ब्रह्म प्रकाश |
| (९) | राम नरेश सिंह | (४५) | तेजप्रताप नारायन सिंह |
| (१०) | ताराचन्द | (४६) | प्रेम सिंह |
| (११) | माधव प्रसाद गेरोला | (४७) | बी० डी० शर्मा |
| (१२) | लालता प्रसाद तिवारी | (४८) | शिवनाथ सिंह |
| (१३) | हरि प्रताप सिंह | (४९) | आर० डी० नोतियाल |
| (१४) | राम सिंह पाल | (५०) | कन्हीं लाल |
| (१५) | सत्यपाल सिंह वर्मा | (५१) | श्री नारायन माल |
| (१६) | राम सेवक यादव | (५२) | ब्रजेंद्र सिंह |
| (१७) | एच० सी० एल० अग्रवाल | (५३) | मथुरा प्रसाद कुकशल |
| (१८) | चन्द्रावली सिंह | (५४) | जसवन्त सिंह त्यागी |
| (१९) | शिव सागर सिंह | (५५) | जसवन्त सिंह |
| (२०) | दलबीर सिंह | (५६) | जे० सी० बुधराजा |
| (२१) | शिव प्रसाद कौशिक | (५७) | प्रमोद कुमार |
| (२२) | बन्सरूपन सिंह | (५८) | एस० एस० तिवारी |
| (२३) | राम लखन सिंह | (५९) | इलम सिंह |
| (२४) | जगदीश चन्द्र पांडेय | (६०) | राम पारस सिंह |
| (२५) | शिवमूरत सिंह | (६१) | बी० के० चौबे |
| (२६) | सी० पी० सक्सेना | (६२) | मेवाराम चौरसिया |
| (२७) | आर० पी० गुप्ता | (६३) | डी० सी० सिंह |
| (२८) | बी० एन० सक्सेना | (६४) | रामजी लाल सिंह |
| (२९) | एम० एल० शुक्ला | (६५) | रवेंद्रनाथ श्रीवास्तव |
| (३०) | महाबीर सिंह | (६६) | हरिश्चन्द्र कुरेल |
| (३१) | रतनसिंह | (६७) | हरदेव नरारन शर्मा |
| (३२) | बख्त बहदुर सिंह | (६८) | इन्द्र नरायन राम पांडे |
| (३३) | एस० एस० चौहन | (६९) | एस० सी० शर्मा |
| (३४) | सुरेंद्र प्रताप सिंह | (७०) | डी० एस० उपाध्याय |
| (३५) | गिरधारी सिंह | (७१) | प्रेम नरायन मिश्रा |
| (३६) | लालजी सिंह | (७२) | श्यामलाल रोरे |

## सूची नं० १ (क्रमशः)

| क्रम संख्या | नाम | क्रम संख्या | नाम |
|---|---|---|---|
| (७३) | सर्वश्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह | (८९) | सर्वश्री गजेंन्द्रपाल सिंह |
| (७४) | शिवमूर्ति सिंह | (९०) | एच० पी० त्रिपाठी |
| (७५) | अमरनाथ सिंह | (९१) | रघुनाथ सिंह |
| (७६) | के० डी० श्रीवास्तव | (९२) | रामपाल सिंह |
| (७७) | प्रेमराज पिपेल | (९३) | फूल सिंह वर्मा |
| (७८) | साजाद हुसेन | (९४) | महाराज सिंह |
| (७९) | छिन्तामनी शर्मा | (९५) | रामपाल सिंह वर्मा |
| (८०) | एस० एन० शर्मा | (९६) | गुराहू प्रसाद सिंह |
| (८१) | केशव सिंह | (९७) | शिम्भू दयाल शुक्ला |
| (८२) | त्रिभुवन नाथ द्विवेदी | (९८) | जगदीश सरन दीक्षित |
| (८३) | उमेद सिंह रावत | (९९) | सलीम अहमद खान |
| (८४) | शक्ति प्रसाद पांडेय | (१००) | रामजी चौबे |
| (८५) | प्रकाश चन्द्र गुप्ता | (१०१) | रामपाल सिंह चौहान |
| (८६) | राम सिंह | (१०२) | चंद्रिका प्रसाद सिन्हा |
| (८७) | मुखराम | (१०३) | के० एम० गर्ग |
| (८८) | एस० एन० जोशी | (१०४) | राधे मोहन अग्निहोत्री |

## नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न २१ का उत्तर पृष्ठ ४८ पर)

### सूची नं० २

| क्रम संख्या | नाम | क्रम संख्या | नाम |
|---|---|---|---|
| (१) | सर्वश्री जगदीश सरन दीक्षित | (१२) | सर्वश्री गजेंद्र पाल सिंह |
| (२) | फूल सिंह वर्मा | (१३) | रामपाल सिंह चौहान |
| (३) | रामपाल सिंह वर्मा | (१४) | एस० डी० शुक्ला |
| (४) | महाराज सिंह | (१५) | राम जी चौबे |
| (५) | रघुनाथ सिंह | (१६) | एस० एन० जोशी |
| (६) | राम सिंह | (१७) | सी० पी० सिन्हा |
| (७) | रामपाल सिंह यादव | (१८) | सालाम अहमद खान |
| (८) | केशव सिंह | (१९) | के० डी० श्रीवास्तव |
| (९) | गुराही प्रसाद सिंह | (२०) | प्रकाश चन्द्र गुप्ता |
| (१०) | एस० पी० पांडे | (२१) | एच० पी० त्रिपाठी |
| (११) | त्रिभुवन नाथ द्विवेदी | | |

# नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न १२ का उत्तर पृष्ठ ५० पर ।)

## सूची

| क्रम संख्या | नाम | क्रम संख्या | नाम |
|---|---|---|---|
| (१) | श्री राम निवास | (१३) | श्री भूपाल सिंह तिलारा |
| (२) | श्री छत्तर सिंह सिरोही | (१४) | श्री गंगा राम यादव |
| (३) | श्री अरजुन राय | (१५) | श्री बी० एन० शुक्ला |
| (४) | श्री राम धनी सिंह | (१६) | श्री गोवर्धन लाल कनौजियान |
| (५) | श्री वामन देव चतुर्वेदी | (१७) | श्री मोहम्मद मसीह |
| (६) | श्री नरेंद्र राय | (१८) | श्री राजेश्वर सिंह |
| (७) | श्री ब्रजराज वर्मा | (१९) | श्री मोहम्मद शोयब |
| (८) | श्री राम शंकर सिंह | (२०) | श्री एस० सी० रायजादा |
| (९) | श्री के० के० मिश्रा | (२१) | श्री पी० सी० सिंह |
| (१०) | श्री पिताम्बर दत्त खंडूरी | (२२) | श्री हरदेव सिंह |
| (११) | श्री प्रताप बहादुर सक्सेना | (२३) | श्री जंग बहादुर सिंह |
| (१२) | श्री रूपेंद्र बहादुर | (२४) | श्री महेन्द्र पाल सिंह |
| | | (२५) | श्री राम रिछपाल सिंह यादव |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४५ एल० सी०—१९५५—७६६

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

शनिवार, २६ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

## उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरुप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, वन व सहकारी मंत्री)

श्री हर गोविन्द सिंह, (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)

श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मंत्री)

## प्रस्ताव कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सहमत है

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——(जारी) उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि श्री पणिक्कर साहब ने किस प्रकार उन मूल सिद्धान्तों की अवहेलना की है जिनको स्वयं उन्होंने अपने साथियों के साथ अपनी रिपोर्ट के पहले हिस्से में प्रतिपादित किया है। उन्होंने जो अपना पृथक नोट लिखा है वह उन सही सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं यह देखता हूं कि एक ऐसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और इतिहासकार ने कुछ ऐसी सम्मतियां निर्धारित की हैं और कुछ ऐसे नतीजे पर वे पहुंचे हैं जो किसी प्रकार भी हिन्दुस्तान की एकता और सुरक्षा के लिये हितकर नहीं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जहां उन्होंने ये बातें कही हैं वहां उन्होंने यह भी कहा है कि इस विभाजन से उत्तर प्रदेश को कोई कठिनाई नहीं होगी और इसका कारण सिर्फ वह यह बतलाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है तो नैनीताल, पीलीभीत तथा देहरादून पुराने उत्तर प्रदेश में रहने के कारण शारदा नहर के हेडवर्क्स उसी प्रदेश में रहेंगे। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि इन नदियों का पानी सिंचाई के लिये बदस्तूर दोनों प्रदेशों में जारी रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब दोनों प्रदेशों को उस शारदा कैनाल सिस्टम से फायदा पहुंचता है, तो फिर वे हेडवर्क्स चाहे वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग में रहें या चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में, उसका कोई असर किसी प्रकार से भी विभाजन सिद्ध करने के लिये नहीं हो सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश के विभाजन का सम्बन्ध है वहां तक यह तो एक साधारण सी कठिनाई है जिसको कि मैं कोई कठिनाई नहीं समझता। कठिनाई तो और हैं। कठिनाई तो यह है कि अगर एक दूसरा प्रदेश बना दिया जाता है तो उसमें अनुत्पादक व्यय बढ़ जायेगा। क्योंकि गवर्नर, हाई-कोर्ट और लेजिस्लेचर इत्यादि सब ही अलग होंगे। जो इस तरह से अनप्रोडक्टिव खर्चे बढ़ जायेंगे उनको कैसे रोकेंगे। यह तो ऐसा समय है जब कि हमको एक-एक पैसा विकास के कार्यों में लगाना है। अगर हम एक भी पैसा अनप्रोडक्टिव खर्चों पर लगाते हैं तो एक बड़ी भारी कठिनाई हो जायेगी और इस कठिनाई को पणिक्कर साहब ने बिल्कुल ही नजरअन्दाज कर दिया है।

आगे चल कर वह यह कहते हैं कि इस विभाजन से उत्तर प्रदेश का हित होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उनको केवल उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में जाने का मौका मिला है और वहां पर जितने लोगों से उन्होंने बातचीत की उसी के आधार पर उन्होंने यह राय निश्चित कर ली कि यह उत्तर प्रदेश के हित में होगा, अगर इसका विभाजन कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के लिये बहुत ही अहितकर होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज जो अहित की इस विभाजन के द्वारा होगी चाहे वह पणिक्कर साहब के प्रस्ताव के आधार पर विभाजन किया जाय या चाहे भाई गोविन्द सहाय जैसा कहते हैं उस आधार पर विभाजन किया जाय या चाहे जो हरियाना प्रान्त कमेटी बनी हुई है उसके आधार पर विभाजन किया जाय, उन सब से ही अनेक प्रकार से उत्तर प्रदेश का अहित होगा। उससे देश की एकता पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक संतुलन है, एक प्रकार का बैलेन्स है और यह बैलेन्स जाति-पांति का है। एक प्रकार से हमारे यहां संतुलित तरीके से व्यवस्था चल रही है। यदि विभाजन होगा तो अनेकों ऐसी समस्याएं पैदा हो जायेंगी जिनसे जाति-पांति के भेदों को पुष्टि मिलेगी और जिनसे परस्पर झगड़े और टेन्सन बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। मैं बतलाऊं कि जो नया प्रदेश हरियाना, भरतपुर, धौलपुर और जलंधर को मिलाकर बनाने का प्रस्ताव है उसके अन्दर जाति-पांति की एक अजीब समस्या

पैदा हो जायेगी, जिसका कि कल मैंने जिक्र किया था। वह अजगर की मनोवृत्ति फिर पुनर्जीवित हो जायेगी, वह इस वक्त शिथिल है, मन्द है और करीब-करीब मर-सी गयी है। लेकिन यदि इस प्रकार का विभाजन होगा और एक नये प्रान्त के अन्दर वह अलवर, भरतपुर, धौलपुर और हरियाना के प्रान्त इसमें शामिल हो गये तो बिला शुभा मैं कह सकता हूं कि वह जाति भेद की स्प्रिट, वह जाति भेद की भावना, फिर से पैदा हो जायेगी और वह मृतक अजगर की मनोवृत्ति पुनः जाग्रत हो जायेगी। इसके अतिरिक्त एक कम्युनल समस्या यहां पैदा हो जायेगी। आज तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो अल्प-संख्यक और बहु संख्यक का प्रश्न है, वह करीब-करीब हल हो गया है और कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिससे हमको किसी प्रकार की चिन्ता हो। लेकिन यदि दूसरा प्रदेश बना दिया जाता है तो जो कम्युनल अनुपात है, उसमें फर्क पड़ जायेगा और पूर्वी जिलों के अन्दर जो एक कम्युनिटी बिल्कुल अल्पसंख्या में है, वह करीब-करीब बिल्कुल नहीं के बराबर हो जायेगी, तथा दूसरे प्रदेशों में उसकी संख्या १३ प्रतिशत से बढ़ कर २८ प्रतिशत तक हो जायेगी, जिसके कारण कि एक नई समस्या और एक नयी उलझन पैदा हो सकती है और मुमकिन है कि ऐसे झगड़े पैदा हों जिनको हल करने के लिये हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ें। यह दो चीजें हैं, जो नये प्रदेश बनाने से हमारे देश और प्रदेश की एकता और सुरक्षा को हानि पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी और जिससे विशेष हानि पहुंचने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस नये प्रदेश का सम्बन्ध है, उसका निर्माण ऐसे हिट्रोजेनस ऐलीमेंटस् पर आधारित होगा जिनकी न संस्कृति मिलती है, न रहन-सहन का तरीका और न खानपान का तरीका ही मिलता है, उनके पहनाव वगैरह में भी विभिन्नता होगी। आप अलवर, भरतपुर, और धौलपुर में जायं वहां पर आपको आमतौर से सिर का वस्त्र दुपट्टा व पगड़ी मिलेगी जिसका हमारे प्रदेश के अन्दर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। अम्बाला डिवीजन में, हरियाना में जायं तो वहां का खान-पान का तरीका बिल्कुल जुदागाना है और अगर इस जिले को भी हम से मिला दिया जाय तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जायेगी। अगर दिल्ली शहर भी शामिल होता है तो उसकी आबादी इतनी अधिक है कि हमारे छोटे-छोटे शहरों की, जिनकी एक-एक, दो-दो लाख की आबादी है, वह बिल्कुल ढक लेगी और सब ही बातों में दिल्ली का विशेष प्रभुत्व और प्रभाव होगा। इस तरह से हमारे अरबन एरियाज की एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो जायगी जिसको हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक चीज और है जिसको, मैं समझता हूं कि हम भुला नहीं सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश पुराना आर्यवर्त कहलाता है और यह आर्यवर्त की भूमि है, यह राम और कृष्ण की भूमि कहलाती है। रामचन्द्र जी का जन्म-स्थान इसी प्रदेश में है, कृष्ण भगवान इसी प्रदेश में पैदा हुये, तो क्या हम विभाजन करके राम और कृष्ण की भूमि को अलग-अलग कर देंगे? क्या इस तरह से इसका विभाजन करना हम पसन्द करेंगे, क्या विभाजन के माने यह नहीं हुए कि राम की भूमि कृष्ण की भूमि से अलग हो जाय, इसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा। राम और कृष्ण दोनों ही हमारे लिये पूज्यनीय हैं। क्या यह सम्भव हो सकता है कि हम पश्चिमी जिलों के रहने वाले, जिसके अन्दर मथुरा और वृन्दावन आते हैं, इसको पसन्द करेंगे। अयोध्या, जो कि रामचन्द्र जी का जन्म-स्थान है, वह हमारे प्रदेश से निकल कर दूसरे प्रदेश में चला जाय, क्या हम इसको पसन्द कर सकते हैं? अपनी-अपनी भावना है, मैं तो समझता हूं कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वह कभी भी इस विभाजन का स्वागत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहां बहुत से तीर्थस्थान हैं। श्री प्रभु नारायण सिंह जी इस सम्बन्ध में कुछ भी कहें, लेकिन काशी हमारी है और हम काशी के हैं। काशी न हमसे अलग हो सकती है और न हम काशी से अलग हो

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]
सकते हैं। उसके लिये हमारे हृदय में बहुत ही मान है। इसी तरह से हमारे यहां का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान हरिद्वार है। वहां के रहने वाले कभी भी काशी से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग भी हरिद्वार से अलग नहीं हो सकते हैं। काशी, हरिद्वार, मथुरा और बृन्दावन हमारे तीर्थ स्थान हैं उनको हम कभी भी अलग अलग नहीं देख सकते।

मैं बहुत ही जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जो लोग विभाजन के पक्ष में हैं वे इस बात पर गम्भीरता से विचार कर लें कि विभाजन से सिवाय देश का अहित होने के किसी का कोई हित नहीं हो सकता है; ऐसा करने से देश का कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। श्री पणिक्कर साहब ने जो राय अपनी विभाजन के सम्बन्ध में रखी है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश को बांट कर राम और कृष्ण की भूमि को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही हमारे लिये पूज्य हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से यह विभाजन किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है। जो लोग विभाजन के पक्ष में हैं वे धार्मिक मनोवृत्ति को एक प्रकार की ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव श्री गोविन्द सहाय ने पेश किया है, उससे देश का भला नहीं हो सकता है, इसलिये मैं पणिक्कर साहब के नोट का घोर विरोध करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां की जनता भी इसके पक्ष में नहीं है। वह नहीं चाहती है कि उस के प्रदेश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय। श्री पणिक्कर साहब ने जो अपने विचार विभाजन के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं, उनको मैं ठीक नहीं समझता हूं और साथ ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि इससे देश का जरा सा भी लाभ नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो केंद्रीय सरकार ने किया और जिसके बिना पर यह एस० आर० सी० कमीशन बना, उसमें उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है कि यह कमीशन चाहे जो कुछ सोचे, मगर वह विद आउट वायस एन्ड डिसपेसनेटली सोचे। लेकिन जब से इस कमीशन की रिकमेंडेशन्स शाया हुई हैं और लोगों ने उसकी रिकमेंडेशन्स को जाना है, तो हम यह देखते हैं कि वायस और डिसपेसनेट की जगह पर पोलिटिकल वायस और एक्सट्रीम पोलिटिकल तथा नैरो प्राविंशियलिज्म बहुत जोरों के साथ हुआ है। कमीशन की उन रिकमेंडेशन्स ने वह काम किया है जो कि जुलाब का काम होता है कि जितना मैल पेट या बदन में था, उसको निकाल दिया, The report has acted as mental cathartic जितनी भी दिमागी बदगुमानियां थीं, जितनी भी बातें दबी हुई थीं और जितनी भी बातें कहने से लोग आज तक डरते थे, इन सिफारिशों के बाद वे सब बातें सामने आ गई हैं। हम देखते हैं कि अभी भी हमारे देश में ऐसा देश प्रेम नहीं है जैसी कि हमसे आशा की जाती है।

हम अभी भी जातीय तबका, प्रदेशीय तबका और भाषा के तबके की बातें करते हैं और इसी तरह की भावनायें लोगों में मिलती हैं, मगर देश के तबके का ख्याल हमारे सामने नहीं है। हमने जहां भी इस प्रकार से सोचा और जहां भी इस प्रकार की बातें देखीं, तो उससे यही मालूम होता है कि जो बात पहले थी, वही आज भी है और लालच से हमें जितना भी मिल सकता है, हम वह लेना चाहते हैं और पहले जो बात हममें थी, वही बातें आज भी मौजूद हैं। जब तक हम इन बातों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम देश के तबके का ख्याल नहीं कर सकते हैं और उसकी भलाई नहीं कर सकते हैं।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हां, इसमें बहुत से उसूल रखे गये हैं, और चार उसूल कल गुप्ता जी ने भी कहे जिनके ऊपर कि एस० आर० सी० ने अपनी रिकमेंडेशन्स की हैं। इसमें सबसे पहला उसूल सिक्योरिटी ऐन्ड यूनिटी का उसूल है। इसमें हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी एक संशोधन लाये हैं कि इसको अच्छी तरह से सरकार अपनी नजर में रखे। मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उनका ख्याल है कि हमारे प्रदेश की यूनिटी और सिक्योरिटी केन्द्र को जरूर रखनी चाहिये और जो यह रखी गई है, यह काफी नहीं है। यह जो आज एस० आर० सी० ने अपनी रिकमेंडेशन्स में लिखा है कि वह किस प्रकार से सब लोगों के इस्तेमाल में लाया जा सकता है इसको देखने की बड़ी जरूरत है और शायद इसी वजह से उन्होंने अपना संशोधन रखा है। मैं उनके संशोधन की ताईद करता हूं, लेकिन मैं इसको प्रेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं है और अभी केंद्रीय सरकार के ध्यान में तथा प्रदेशीय सरकारों के ध्यान में इस बात का ख्याल है कि जो कुछ हम करें या जो कुछ भी तब्दीलियां हम अपने देश में लायें, सबसे पहला उसूल उसका यह है कि हम उसको एकता तथा मजबूती के साथ करें और बिना एकता तथा मजबूती के मुल्क में किसी तरह का काम न हो। इस प्रकार के संशोधन से यहां पर भी हम चाहते थे कि केंद्रीय सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को रखें और उनसे यह कहें कि इस संबंध में जो कुछ भी किया जाय, वह देश की भलाई को ध्यान में रखते हुये किया जाय। इस वजह से सिक्योरिटी और यूनिटी की बात थी।

हम जब उत्तर प्रदेश का ख्याल करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह भी ख्याल करना चाहिये कि हमारे देश की भलाई किस तरह से हो सकती है और उसका ख्याल करके ही हम उत्तर प्रदेश की भलाई का ख्याल करें और उसके बारे में सोचें। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही भलाई सोचेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम आज उत्तर प्रदेश के बटवारे के विषय में लगे हुये हैं। अगर कोई भी हिस्सा उत्तर प्रदेश से निकल गया तो यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। दूसरा उसूल जो उन्होंने रखा है वह लिंग्विस्टिक बेसिस और कल्चर का रखा है। मेरा ख्याल है कि इसमें भी हमारी कमजोरी है। अगर हम सब लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर जोर देंगे और बटवारे की बात को सामने लायेंगे, तो इस तरह से ही, लिंग्विस्टिक बेसिस और टू कल्चरल थ्योरी में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अलग हुये हैं।

एक मिसाल हमारे सामने ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से हम को होशियार होना चाहिये। हमको ज्यादा जोर लिंग्विस्टिक बेसिस पर न देना चाहिये। कोई वक्त ऐसा न आ जाय कि महाराष्ट्रियन कहें कि यह हमारा देश है, पंजाबी कहें कि यह हमारा देश है, बंगाली कहें कि यह हमारा देश है और केंद्र की बिलकुल खराबी हो जाय। लिंग्विस्टिक बेसिस पर यह लामुहाला होता है कि जो लोग अपनी जबान को अलग मानते हैं, अपनी कल्चर को अलग मानते हैं तो उनकी दिलचस्पी उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की कल्चर में होती है, बजाय इसके कि वह पूरे देश का ख्याल करें वह अपने छोटे से रीजंस ( regions ) का ही ख्याल रखते हैं। अभी जैसा कि ज्योति प्रसाद जी ने इशारा किया कि आपस के संगठन में ऐसी मजबूती होनी चाहिये कि अगर कभी इन्टरनेशनल वारफेयर का मौका आ जाय तो हम उसका मुकाबला कर सकें। हमको चाहिये कि हम रायटिंग्स आन दि वाल ( writings on the wall ) देखें। ज्यादा तर हम जबान के इशारे पर अपने सूबों को तकसीम न करें। हमने तो अब तक इंडियन कल्चर का ही नाम सुना था। अब हम सुनते हैं रीजनल कल्चर। हमारी इंडियन कल्चर कहां चली गई। जब तक एक ही देश, एक ही मुल्क और एक ही कल्चर की भावना हमारे अन्दर न होगी तब तक हम उस एकता को नहीं सम्भाल सकेंगे जिसको सम्भालने की हम को इस वक्त विशेष आवश्यकता है। दूसरे उन्होंने एकानामिक, फायनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर किया है। अगर इसी उसूल पर खाली रखते तो इतने झगड़े जो हम देख रहे हैं वह हरगिज न होते। अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारी केन्द्र की कैबिनेट इस चीज को सोचे, हमारी केंद्र की सरकार इस बात पर गौर करे तो इस बात का ख्याल रखे कि ज्यादातर एकानामिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फायनेन्शियल बेसिस पर इन सब का बटवारा करे। इसमें हमारी सेफ्टी है।

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

चौथे प्लानिंग के बारे में कहा गया है। यह जरूरी है और इसी वजह से इन सब का बटवारा हुआ है कि जो कुछ प्लानिंग शुरू की है उस का जब खात्मा हो तो इस तरह से हो कि हम जानें कि कौन-कौन एरियाज में प्लानिंग हो गई, ताकि अगले इलेक्शन से जो कुछ लेजिस्लेशन बने वह प्लानिंग को ध्यान में रखते हुये काम करे। इसीलिये जरूरत पड़ी कि हमारे सामने एस० आर० सी० की रिपोर्ट आ जाये वरना एकानामी के लिहाज से खाने-पीने के लिहाज से यह मौका इसके लिये बहुत मौजूं नहीं था। इस वक्त जब कि हमारे सामने और तमाम बातें पूरी करने के लिये हों उस वक्त ऐसा सवाल उठाना मौजूं नहीं था जिससे कि हम इतने अहम मसले को छोड़ते और मुल्क में बेचैनी फैलाते, लेकिन यह जरूरत महसूस हुई कि प्लानिंग की वजह से हमको जानना चाहिये कि क्या-क्या बातें होनी हैं, क्या-क्या होगा और कहां-कहां होगा और किस तरह से होगा। इस वास्ते फिलहाल इसका फैसला करना जरूरी समझा गया।

पणिक्कर साहब ने हमारे सूबे के बारे में जो कुछ कहा उस पर यहां बहुत कुछ कहा गया है। वह उन उसूलों पर कायम रहे और उन्होंने जो बातें हमारे सूबे के बारे में कहीं उसमें कुछ गलतफहमी जरूर है और उस गलतफहमी की वजह से उन्होंने उन साहबान का साथ दिया जिन्होंने बंटवारे के लिये कहा था। बंटवारे के पीछे उन साहबान की क्या नियत थी क्या नहीं, इस पर मैं इस सदन में कुछ कहना ठीक नहीं समझता हूं। मैं बहुत नम्रता के साथ कहूंगा कि जो कुछ भी हम फैसला करें उसमें न सिर्फ अपने सूबे की एकता का ख्याल रखें बल्कि हमको देश की एकता का ख्याल रखना चाहिये। यहां पर चार और संशोधन रखे गये हैं, लेकिन उन सब में बंटवारे का सिर्फ एक ही था। मैं समझता हूं कि बंटवारे से न उनको फायदा होगा जो अलग होना चाहते हैं और न हमको ही फायदा होगा। दूसरे संशोधन ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि और दूसरे हिस्से हमारे सूबे में मिला दिये जायं, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि खुद नेहरू जी ने कहा है कि जब तक लोग खुद रजामन्द न हों तब तक किसी को किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिये। अगर वह लोग हम लोगों के साथ मिलने का प्रस्ताव पास करें तब हमारे लिये मौका होगा सोचने का कि हम मिलायें या न मिलायें। इस वक्त मिलाने के संशोधन वाजिब नहीं हैं और इस वक्त इनकी गुंजाइश भी नहीं है। इसलिये जो प्रस्ताव हमारे नेता सदन ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्री कुंवर महावीर सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों से इस मसले पर बहस हो रही है कि यू० पी० का वर्तमान रूप रहना चाहिये या नहीं और काफी बहस पक्ष में और कुछ थोड़ी विपक्ष में भी हो चुकी है, दोनों तरफ की बहस अगर हम गौर से देखें तो हमको दो स्पष्ट धारायें दिखाई देंगी। एक तो यह कि यू० पी० को ऐसे ही बने रहना देना चाहिये या यू० पी० की और अधिक सुन्दर शक्ल बनानी चाहिये। दूसरे यह कि बंटवारा होना चाहिये। मैं देखता हूं कि बंटवारे के सिद्धांत का प्रतिपादन केवल माननीय गोविन्द सहाय जी ने ही किया है और उसका समर्थन तो किसी ने नहीं किया है। इसी से स्पष्ट है कि लोग बाग इस प्रांत का बंटवारा नहीं चाहते हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी आज खुद भी नहीं आये हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि जो वह कह रहे थे उससे उनका मकसद केवल एक दृष्टिकोण को रखना था उस पर जोर देने का नहीं था। इसलिये मैं यह उचित ही समझता हूं कि उनके उठाये हुये मसले पर सदन का समय व्यर्थ नष्ट न करूं। मेरी समझ में नहीं आया कि आगरा, बरेली को तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन बलिया को वे क्यों भूल गये। आगरा की गर्मी के बाद गढ़वाल की ठंडी हवा की बड़ी आवश्यकता होती है। बरेली की नम हवा के बाद बुन्देलखंड की खुश्क हवा की भी आवश्यकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष या विरुद्ध की दलीलें देने में इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो उस क्षेत्र का हूं जिस क्षेत्र के लिये पणिक्कर साहब ने अलग प्रांत में ले जाने की बात कही है, इसलिये मैं अपना फर्ज समझता हूं कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी भावनायें जो हैं उनको उस स्थान तक पहुंचा दूं जहां उनको भेजा जाना है। मैं प्रांत को घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता हूं,

मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि हमारे प्रांत को और बढ़ना चाहिये और इसीलिये मैं अपने साथी सदस्य माननीय श्री कन्हैया लाल जी के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं। उनके प्रस्ताव को पढ़ने से मालूम होता है कि वह उत्तर प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के चार जिले भिन्ड, मोरेना, ग्वालियर तथा शिवपुरी को शामिल इसलिये करवाना चाहते हैं कि यह सब इलाका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा अन्य कारणों से यू० पी० के चार जिले बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, दक्षिणी इलाहाबाद व दक्षिणी मिर्जापुर से ऐक्य रखता है। मैं खुद भी महसूस करता हूं कि जिन प्रांतों का उन्होंने जिक्र किया है उनका उत्तर प्रदेश में मिलाना बहुत ही आवश्यक है। एस० आर० सी० की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि इन इलाकों का यानी विन्ध्य प्रदेश व मध्य भारत के चार जिलों का ऐतिहासक दृष्टि से कोई भी सामंजस्य उस भव्य प्रांत से नहीं है जिसमें वह मिलाना चाहते हैं। उन्होंने पृष्ठ संख्या १२६ में स्वीकार किया है कि "Historically, the area considered in this chapter has never been administered to-gether at any rate long enough for a tradition of common loyalties and sentiment to have come into existence. यदि उन दलीलों को जो उन्होंने विन्ध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से मिलाने के लिये दी हैं गौर से पढ़ा जाये तो यह प्रतीत होता है कि वह लचर, कमजोर और बेबुनियाद है और उनकी दलीलों में खुद ही कोई जोर नहीं है और वह दलीलें खुद उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध जाती हैं, जो उन्होंने रिआर्गेनाइजेशन के लिये दी हैं। एक कारण जो उन्होंने दिया है वह यह है कि इस मरजर से इस विन्ध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से मिलाने में रेकरिंग सेविंग होगी। उनका कहना है कि इससे एकानामिक सेविंग होगी। उन्हीं के शब्दों में वह ऐसा कह रहे हैं।"

"To compensate for the initial disadvantages such as the loss of revenue-grants-in-aid from Centre or the temporary settlement regarding Development Plans."

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस समय जो नर्मदा स्कीम चल रही है उससे वी० पी० को फायदा होगा। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। रेकरिंग सेविंग वी० पी० को मध्य प्रदेश से मिलाने से होगी या यू० पी० में मिलाने से होगी। यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम खर्च होता है और बी० पी० को मिलाने से और भी कम खर्च होगा। मध्य प्रदेश का खुद का ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐसे भी ज्यादा है; विन्ध्य प्रदेश ऐसे इलाके को लेकर वह तो बढ़ ही जायगा। कमी का क्या सवाल है वह तो उत्तर प्रदेश में ही शरीक होने पर कम हो सकता है, पता नहीं ऐसी लचर दलील कमीशन ने क्यों दी? विन्ध्य प्रदेश पिछड़ा इलाका है। अपने उत्थान के लिये उसे खुद ही केंद्र से सहायता लेनी पड़ती रही है। अतः मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि विन्ध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से मिलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सी० पी० के पास तो इतना रुपया रहता ही नहीं है, वह बी० पी० को कहां से दे देगा। विन्ध्य प्रदेश का खुद का बजट ३,४ करोड़ अन्दर का है; सेंटर की एड मिलाकर कुल ७,८ करोड़ का बजट बनता है। करीब ४ करोड़ हर साल सेंटर से मिलता है। इसलिये यह परेशानी हुई कि अगर सेंटर मदद न दे सका तो हो सकता है कि यह प्रांत अपना डेवलेपमेंट न कर सके। रह गया सी० पी०, वह अपना ही डेवलेपमेंट नहीं कर सकता है। उनको खुद ही अपने डेवलेपमेंट का सवाल है। तब वह कैसे बी० पी० का डेवलेपमेंट कर सकता है। उत्तर प्रदेश का करीब एक अरब का बजट बनता है। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश ही विन्ध्य प्रदेश की मदद कर सकता है और इस तरह से उस पिछड़े हुये इलाके को प्रगतिशील बना सकते हैं। जहां कमीशन ने यह कहा है कि नर्मदा नदी के प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है तो शायद उन्होंने नर्मदा नदी को देखा नहीं है। उसके किनारों को देखा नहीं है। बी० पी० का इलाका इतना ऊंचा है कि वहां पर नर्मदा नदी का पानी पहुंच ही नहीं सकता है। जहां से नर्मदा निकलती है उससे बहुत ऊंचा विन्ध्य प्रदेश का इलाका है। इसलिये यह आशा करना कि नर्मदा से बी० पी० को फायदा होगा यह हो नहीं सकता है। हां, रेहिन्द बांध और माताटीला से

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

फायदा हो सकता है। फायदा जिस इलाके से होगा है उस इलाके से मिलाना चाहिये या उससे जहां से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वी० पी० का मसला हल करना है तो वह मध्य प्रदेश में मिलाने से हल नहीं होगा, बल्कि यू० पी० से मिलाने से होगा।

यही नहीं, जब हम प्रस्तावित भूखंड का इतिहास देखते हैं, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक परम्परा और भाषा आदि और चीजें देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वी० पी० का सामंजस्य इन उत्तर प्रदेश के चार जिलों से होता है जो यू० पी० के हैं न कि मध्य प्रदेश से। अगर बुन्देलखंड की स्वाभाविक सीमा को देखें जो आज से नहीं सदैव से उसकी स्वाभाविक सीमा कही जा सकती है तो हम इस सब भूखंड को एक कहेंगे, एक समझेंगे, और उसकी एकता को मान्यता देंगे। क्षत्रसाल के समय के एक उच्च कवि के शब्दों में इसकी सीमा है 'इत जमुना उत नर्मदा इत चम्बल उत टोंस, क्षत्रसाल सो लड़न की काहीं न राखी हौंस'। यह एक नेचुरल बाउन्डरी है उसको हम भुला नहीं सकते हैं क्योंकि इस इलाके का इतिहास आज का नहीं है। जब कि भारत की सभ्यता का इतिहास बना तब उसका अपना एक इतिहास रहा है, उसकी एकता को भंग कर देना उसके साथ ज्यादती होगी। इसी इलाके को किसी समय में वज्र दशार्ण जेजाकभुक्ति जुझौती प्रदेश कहते थे, जुझार खंड भी इसे कहा जाता था और बाद में बुन्देलों के समय यह बुन्देलखंड नाम से प्रसिद्ध हुआ और अब विन्ध्य प्रदेश हो गया है। इतिहास के विद्यार्थी इसको जानते हैं कि जब मैगस्थनीज आया था तब भी यह इलाका अपनी इकाई में था और तब से अंग्रेजों के जमाने तक इस भूखंड ने अपनी इकाई कायम रक्खी, परन्तु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को बफर स्टेट बना दिया था, क्योंकि यहां के लोग वीर, बहादुर, स्वतंत्रता पर जान देने वाले थे, अपनी आन पर मिटने वाले थे। ऐसे व्यक्तियों को भला वह स्वतंत्र कैसे रहने देते और इसलिये मिर्जापुर का दक्षिणी हिस्सा और इलाहाबाद जिले का दक्षिणी हिस्सा, बांदा, जालौन, झांसी और हमीरपुर के जिलों को अलहदा कर दिया था। यह सब इलाका अभिन्न है। सब को साथ रहना ही चाहिये। यह उस इलाके के जीवन और मरण का प्रश्न है। इस तरह से विन्ध्य प्रदेश के ८ जिले चले जाते हैं। मैं वहां का खुद निवासी हूं, मैं महसूस करता हूं कि कितनी परेशानी होगी। वहां की हालत बड़ी भयानक होगी। वह इतने मिले-जुले हैं कि दो इलाकों का प्रश्न नहीं, उन इलाकों में हजारों, लाखों घरों का निर्माण इस तरह पर है कि वह उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश दोनों में है। एक औरत नहाती है तो उसकी बाल्टी वी० पी० में होगी और वह यू० पी० में होगी। एक घर में चूल्हा है जो वी० पी० में है और वह रोटी यू० पी० में बनाती है। पति-पत्नी एक ही घर के एक ही आंगन में एक-दूसरे के बगल में चारपाई डाले पड़े हैं। एक की खाट विन्ध्य प्रदेश में है और दूसरी की खाट उत्तर प्रदेश में। एक घर के कोने में जुर्म हुआ तो वह उत्तर प्रदेश में और दूसरे कोने में हुआ तो वह विन्ध्य प्रदेश में। एक घर में कत्ल हो गया तो उसके लिये एक आदमी भोपाल जायेगा, दूसरा लखनऊ आयेगा। एक कुयें के ३ घाट हैं २ मध्य प्रदेश में होंगे और एक यू० पी० में होगा। एक सीधी सड़क पर पूरब से पश्चिम चलें, आधे फर्लांग मध्य प्रदेश में, फिर आधे फर्लांग उत्तर प्रदेश में और फिर आधे फर्लांग एम० पी० में और फिर कुछ देर बाद यू० पी० में। कहां तक बताऊं श्रीमन् इससे बड़ा मखौल, इससे बड़ा तमाशा दूसरा न होगा। चित्रकूट के मंदिर तो यू० पी० में, और मूर्ति होगी एम० पी० में। श्रीमान्, कल्पना कीजिये इस रिआर्गनाइजेशन का नतीजा। लोगों की जिन्दगी दूभर हो जायेगी।

आप ऐसा करते ही क्यों हैं, क्यों नहीं उस इलाके को अपने में शामिल कर लेते हैं। आज सरकार में हिम्मत नहीं है, उसको डर हो रहा है कि यू० पी० बड़ा हो रहा है, उस हिस्से के लोग यू० पी० में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार हिम्मत नहीं करती है, हमारे मंत्री जी उस इलाके से वाकिफ हैं और वहां के लोग उनके भक्त भी हैं। आप उनकी समस्या को जानते हैं। उनको हमसे अलग कर देने से हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल हो जायेगा। वहां की सभी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, उनके बंधान वी० पी० में बने हुये हैं। आप बेतवा और केन नदियों को ले लीजिये बंधान वी० पी० में बने हुये हैं, इसलिये यू० पी० में मिलाना आर्थिक दृष्टि से भी उचित है और उन इलाकों को मध्य प्रदेश में मिलाना ज्यादती होगी।

मैं बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं । सिद्धांत के बल पर कह रहा हूं । मैं कहता हूं कि वहां के इलाके वालों की यह आवाज है । सन् ४८–४९ में एक कांफ्रेंस हुई जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह इलाका यू० पी० में मिला दिया जाय । मैं आपकी इजाजत से कुछ प्रस्ताव पढ़ दूंगा । कुछ थोड़े से हिस्से का जिक्र कर दूंगा ताकि हमारे साथी यह महसूस करें और जो लोग इस पर गौर करने वाले हैं वे जान लें कि यह उस इलाके की क्या आवाज है । यह वहां की जनता की आवाज है । मैं समग्र बुन्देलखंड सम्मेलन बांदा में तारीख १८/१९ सितम्बर, १९४८ को पास किये गये प्रस्ताव को पढ़ दूंगा जिससे कुछ स्पष्टीकरण हो जायगा ।

प्रस्ताव १–"समग्र बुन्देलखंड सम्मेलन यह निश्चित करता है कि चूंकि भारतीय विधान परिषद्, भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनःनिर्माण करने जा रही है, इसलिये युक्त प्रान्त के चार बुन्देलखंडी जिले झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा व मध्य भारत का समस्त हिन्दी भाषा भाषी प्रांत व समस्त बघेलखंड व समस्त बुन्देलखंड की रियासतें और मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिले जिनकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक हित समान हैं उन सबका एकीकरण करके जनता की राय को दृष्टि में रख कर एक पृथक बुन्देलखंड प्रांत बनाया जाय ।"

वे लोग चाहते हैं कि यदि ऐसा संभव नहीं है तो वे यू० पी० प्रान्त के साथ मिला दिये जायं । इसके बारे में उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पास किया जो इस प्रकार है :

प्रस्ताव २—"यह बुन्देलखंड सम्मेलन भारतीय सरकार से मांग करता है कि उस समय तक के लिये जब तक कि प्रस्ताव नं० १ के अनुसार बुन्देलखंड प्रांत नहीं बन जाता शीघ्र ही शासन की उत्तमता और स्थिरता के ख्याल से बुन्देलखंड की समस्त रियासतें वहां की जनता की मांग का ध्यान रखते हुए युक्त प्रांत नें मिला दी जायं ।"

इसमें विन्ध्य प्रदेश के मंत्री माननीय मानव जी भी उपस्थित थे ।

इसके बाद २९ दिसम्बर, १९४९ को फिर एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके अध्यक्ष श्री राम सहाय तिवारी, एम० पी० थे । जो इस प्रकार है:

"यह बुन्देलखंड सम्मेलन सर्व सम्मति से निश्चित करता है कि विन्ध्य प्रदेश के वर्तमान, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, जिले तथा आजयगढ़ तहसील व चौबियाना व चित्रकूट युक्त प्रान्त में ही मिलाये जावें क्योंकि इन प्रदेशों की जनता के यातायातिक, व्यापारिक, आर्थिक, राजनैतिक, शासनिक और भौगोलिक सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त से ही परम्परा से चले आ रहे हैं । यदि इन क्षेत्रों को संयुक्त प्रान्त से न मिलाया गया तो यहां की जनता को महान असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अतः यह सम्मेलन जो कि उक्त क्षेत्रों की जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, भारत सरकार से साग्रह अनुरोध करता है कि उक्त क्षेत्रों को कहीं अन्यत्र न मिलाया जाकर, संयुक्त प्रान्त में ही सम्मिलित किया जाय ।"

फिर इसके बाद ५ जुलाई, १९५५ को बुन्देलखंड राजनैतिक सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया । इस सम्मेलन का मैं ही सभापति था । १५० से अधिक सब इलाकों के व्यक्ति इसमें उपस्थित थे ।

"इस बुन्देलखंड राजनैतिक सम्मेलन का यह मत है कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड के चार जिलों झांसी, हमीरपुर, जालौन और बांदा और विन्ध्य प्रदेश के अन्तर्गत बुन्देलखंडी चार जिलों दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना की राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति एक समान है और इनका कल्याण एक साथ रहने में ही है ।"

विन्ध्य प्रदेश की जमीनें अपने अन्दर अपने गर्भ में लोहा, कोयला, मैंगनीज, तांबा, हीरा इत्यादि न जाने कितने खनिज पदार्थ छिपाये पड़ी हैं । लेकिन वह गरीब होने के कारण धन के अभाव में उन्हें निकाल कर अपने को और अपने देश को अमीर नहीं बना सकते, उसका पूरा उपभोग नहीं कर सकते । उत्तर प्रदेश के पास धन है, रुपया है । यदि दोनों का मिलन हो जाये

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

तो उन्हें धन मिल जायेगा हमें खानें मिल जायेंगी। विन्ध्य प्रदेश में लाखों बीघा कृषि योग्य भूमि परती पड़ी है, हमारे पास लाखों नव जवान बेकार पड़े हैं, यदि इन प्रदेशों का मिलन हो जाय तो वह धरती लाखों टन अन्न पैदा करने लगे, हमारे बेकार आदमी धंधा पा जायें। यह सौदा बराबरी का सौदा होगा। इससे भारत की समृद्धि, वैभव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मजबूत उत्तर प्रदेश भारत का गौरव बढ़ायेगा। उत्तर प्रदेश से मिली तिब्बत चीन की सीमायें हैं, जो असुरक्षित हैं। सम्पन्न यू०पी० के रहने से हमारा भारत हमेशा चीन से निर्भय सुख की नींद से सो सकेगा है। विशाल उत्तर प्रदेश भारत का प्रहरी रह कर सदैव उसकी रक्षा कर सकता है। साथ ही मैंने कहा है मध्य भारत के चार जिले ग्वालियर, भिण्ड, मोरेना, शिवपुरी उनको भी यू०पी० में मिला देना चाहिये। जैसा मैंने अभी विन्ध्य प्रदेश का जिक्र करते हुये वहां की सीमा का उल्लेख किया था। उसी सीमा में उसी बाउन्ड्री में यह प्रदेश भी आ जाता है। "इत यमुना, उत बेतवा, राप्ती, नर्मदा इत चम्बल उत टोंस" में यह चार जिले भी आ जाते हैं। डाक्टर हरिहर निवास द्विवेदी जी ने अपनी एक किताब में बुन्देल खंड का जिक्र करते हुये कहा है कि ग्वालियर तक इसमें शामिल है। उससे यह साफ हो जाता है कि सभी सदैव से यह मानते चले आये हैं कि यह बुन्देलखंड अभिन्न भाग है इन चार जिलों में हिन्दी बोली जाती है, यह मध्य प्रदेश में मिला दिये गये हैं। उनको निकाल कर यू० पी० में मिलाया जाये। नये मध्य प्रदेश की अजीब विहंगम सूरत शक्ल बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दानव है, उसकी एक मूंछ बरार तक है और दूसरी मूंछ दिल्ली तक पहुंच गई है। उस इलाके में मिलाना इन चार जिलों को कहां तक उचित होगा, इसे आप खुद सोचें। परन्तु एस० आर० सी० ने इन जिलों को भी उसी में मिला दिया है। इसका संबंध, इसका कारण, उन्होंने पैरा ४७४ से ४७७ तक में दिया है। उनकी जो दलीलें हैं कि यह चार जिले मध्य प्रदेश में जायं सच पूछा जावे तो वह उत्तर प्रदेश में मिलाने की दलीलें हैं। वह सारी दलीलें इस बात की द्योतक हैं कि इनको यू० पी० में मिलना चाहिये। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ––

"It has been suggested that the four northern districts of the existing State of Madhya Bharat viz. Bhind, Morena, Gird (Gwalior) and Shivpuri cannot appropriately be included in the proposed State i.e. Madhya Pradesh as they do not form part of Malwa ,"

केवल यही इतनी दलील नहीं देते हैं, ४७४ में उनकी दलील है कि ––

Rajasthan has not claimed these four districts, which are predominantly Hindi speaking, with ninety to ninety-nine per cent of the population in each district speaking this language.

इसलिए महा कौशल से मिला दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर राजस्थान न क्लेम करे तो वे यू० पी० में क्यों न मिला दिये जायं। महा कौशल में मिलाने की क्या आवश्यकता है वे तो वहां से ७०० मील की दूरी पर हैं। इसके साथ ही जिक्र करते हुए उन्होंने ४७५ पैरा में कहा है कि इस इलाके में कुछ बदअमनी रहती है। मान सिंह और दूसरे डाकू वहीं पनाह पाते रहे हैं। इससे एस० आर० सी० को परेशानी हुई और उन्होंने सोचा कि बजाय चार प्रान्तों के जो इस वक्त हैं उनकी जगह पर दो प्रान्त कर दिये जाय तो वहां बदअमनी कम हो जायगी। इसलिये अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कम किये जायं तो अच्छा होगा। मैं कहता हूं कि जब कम ही करना है तो एक ही क्यों न कर दे। दो के बजाय एक कर देने से ऐडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा रहेगा इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। दूसरी दलील कमीशन ने यह दी है कि क्योंकि माताटीला बांध से मध्य भारत के दो जिले ग्वालियर व भिण्ड व विन्ध्य प्रदेश के दो जिले दतिया व टीकमगढ़ व यू० पी० के दो जिले झांसी जालौन को फायदा पहुंचना है और इस इलाके के पानी के इन्तजाम में तीन प्रांतों में दौड़-धूप करना पड़ेगा, तवालत उठानी पड़ेगी इसलिये इस इलाके को मध्य प्रदेश में रक्खा जायें। इस वजह से कमीशन के अनुसार तब भी दो शासन रह ही जावेंगे क्योंकि जालौन और झांसी तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे ही, तो क्या अच्छा हो

यदि यह सब इलाके एक ही शासन में हों। यह तो तभी सम्भव है जब यू० पी० में यह सब जिले मिला दिये जायें। अब ये ६ जिले फायदा उठाने वाले हैं और जैसा मैंने यू० पी० का नक्शा खींचा है तो उसमें ये ६ जिले आ जाते हैं। इसमें कोई जूरिसडिक्शन का झगड़ा नहीं रहता है। फिर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यहां के और विन्ध्य प्रदेश के कानूनों को देखिये तो आप यह पायेंगे कि उन्होंने हमारे यहां से कानून लिये हैं। इसलिये विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला देने से कोई एजिटेशन नहीं होगा। जो सैकड़ों वर्षों से एक साथ मिले हुये आये हैं उनको मिलाने में कोई झगड़ा होने की गुन्जायश नहीं है। झगड़ा यहां पर होगा जहां कि आपस में मिलते ही नहीं हैं। फिर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले ये छोटी-छोटी रियासतें थीं और बाद में आज़ादी मिलने पर उनको एक ऐडमिनिस्ट्रेशन में कर दिया गया जिससे कि वे खुश भी नहीं हैं। इसलिये वे यहां आने के लिये तैयार हैं। मैं आपको बतलाऊं कि आज विन्ध्य प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन करने वाले आधे यू० पी० के रहने वाले हैं। मिलाने से किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर उनको कहीं दूसरी जगह मिलाया जाय, जैसा कि मिलाने का प्रस्ताव है, तो यहां के कानून उस जगह से अलग हैं इसलिये उनको वहाँ मिलने में डर है। इसलिये मैं अपनी सरकार से अर्ज करता हूं कि वह इस पर गौर करे। जो हमारी सरकार इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स से काम करती है, उसको निकाल देना चाहिए। हमारी सरकार को डर है कि यदि हम यू० पी० में इन इलाकों को शामिल करने की बात करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि यह भी न मिले और हम बट जायें। छब्बे बनने गये थे चौबे जी, दुबे ही रह गये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ उन्नति होने वाली है और अगर हम अपने देश की रक्षा में मदद देने वाले हैं तो हमारी सरकार को हिम्मत से कहना चाहिए कि यह इलाका हमारे यहां मिलाया जाय। हमारे कुछ भाइयों को डर है कि अगर हम इन इलाकों की मांग करेंगे तो हमारे प्रदेश का पार्टीशन हो जायेगा। यह भय उनका गलत है। हमें इसका बंटवारा नहीं करना है। हमें इस तरह से बंटवारा नहीं करना है, जिस तरह से आस्ट्रेलिया ने कर दिया कि एक रेखा खींच दी और इस तरह से मुल्क का बंटवारा कर दिया। हमें तो अपनी भाषा, इतिहास, सुरक्षा और परम्परा को देखना है और उसके बाद निर्णय करना है और वही सब चीजें यहां मौजूद हैं। मैं दस्तबस्ता श्रीमन् से अर्ज करूंगा और श्रीमन् के द्वारा अपने रहनुमाओं से अर्ज करूंगा कि इस इलाके को उत्तर प्रदेश में मिलना ही चाहिये।

*श्री शिवसुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)——श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, एस० आर० सी० रिपोर्ट पर हमारे इस सदन में परसों से बहस हो रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और करीब करीब हर स्टेट में इस पर आजकल डिस्कशन हो रहा है। यू० पी० के बारे में भी इस रिपोर्ट में कुछ कहा गया है। जहां तक एस० आर० सी० के अप्वाइन्टमेंट का वास्ता है तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं थी, उस वक्त एक प्रस्ताव पास किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रदेशों का निर्माण किया जाय। आज कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ काम नहीं किया है। यह इसलिये भी जरूरी था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कुछ पार्ट बी और सी स्टेट्स बना दी गयी थीं और उस वक्त यह मौका भी नहीं था कि गहराई के साथ इस प्रश्न पर विचार किया जाय। इसलिये जरूरी था कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाय, जो कि हालत को देख कर अपनी रिपोर्ट दे। जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव और लैंग्वेज के लिहाज से हमारी स्टेट्स बन सकती थीं उनके बारे में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में जहां तक यू० पी० का सम्बन्ध है तो इस वक्त यू० पी० के बारे में जो आवाज उठी है, उसमें कहां तक सच्चाई है, उस पर हमें विचार करना है। पणिक्कर साहब ने जो अपना नोट दिया है, वह कहां तक सही है और जो बातें उसके बारे में कही जाती हैं वे कहां तक सही हैं, उस पर विचार करना है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

जिस वक्त इस कमीशन का अप्वाइन्टमेंट हुआ और लोगों ने एक आवाज उठाई, तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, जिनके मातहत, उनसे प्रेरित होकर यह आवाज उठाई गयी लेकिन यह आम बात है कि एक सत्ता के ख्याल से कि अगर यू० पी० के दो हिस्से हो जायं तो लोगों को नये सूबे में एक नई सत्ता मिलेगी, नये चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर इत्यादि वहां पर बनेंगे, नई सर्विसेज का अप्वाइन्टमेंट होगा, नया हाई कोर्ट कायम होगा, एक नया सेक्रेटेरियट कायम होगा और उसमें बहुत से लोगों को नयी तरह की सत्ता मिलेगी। लेकिन इस ख्याल को एक सेन्टीमेंट रूप दिया गया है ताकि लोगों में उसके लिये एक आकर्षण पैदा हो और मैं समझता हूं कि दो तरह के सेन्टीमेंट इसमें रखे गये हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वालों ने यह ख्याल किया कि वहां ज्यादा पैदावर होता है, ज्यादा उसकी आमदनी है और उसका उसको कोई फायदा नहीं होता है बल्कि मेजर शेयर इसकी आमदनी का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ले जाता है, जिसमें कि उसका कोई हक नहीं है। दूसरा ख्याल यह कि एक पर्टिक्युलर सेक्शन इस प्रदेश का प्राविन्स में डामिनेट कर सके इन ख्यालातों को सामने रख कर के एक आन्दोलन किया गया और उसी से प्रभावित होकर के कमीशन के सामने भी एक मेमोरेन्डम पेश किया गया। पणिक्कर साहब ने इन सेन्टीमेंटल बातों को एक लाजिकल रूप देने की कोशिश की, लेकिन देखना यह है कि क्या लाजिकल बात पणिक्कर साहब ने सेन्टीमेंटल बातों के प्रभाव में आकर लिखी हैं और वह हमारे लिये कहां तक लाभदायक हो सकती है और हम उनसे कितना फायदा उठा सकते हैं।

एक बात मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब हमारे प्रदेश ने और हमारे देश ने अपना यह उद्देश्य अपना लिया है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी को कायम करना चाहते हैं और आज जब कि हर शख्स के दिमाग में यह चीज है, तब इस प्रकार की बात को सोचना कहां तक ठीक हो सकता है। इस तरह से सोचना कि चूंकि हमारी ज्यादा आमदनी होती है और हमने देश के विकास के लिये पूरे पूरे साधन जुटाये हैं, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, इन्डिया गवर्नमेंट की है। लेकिन इस तरह से सोचना तो इस तरह की बात हो गयी जैसे कि किसी फेमिली में चार भाई हैं और चारों के चारों पैदा करते हैं, कोई कम पैदा करता है, तो कोई ज्यादा पैदा करता है, अब उनमें कोई कहें कि मैं ज्यादा पैदा करता हूं और उसका कुछ हिस्सा दूसरे के ऊपर खर्च हो जाता है तो कहां तक ठीक है। लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न की बात जब हम करते हैं तब तो इसमें यह चीज नहीं सोची जाती है। फिर यह भी मुमकिन है कि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा, जब एक अलग सूबा बन जाता है, और भी खर्च होगा। इस तरह से उनके एखराजात बढ़ेंगे। नया सेक्रेटेरियट बनाने में, हाई कोर्ट कायम करने में उनकी आमदनी एफेक्ट होगी। पणिक्कर साहब ने एक मौलिक सिद्धान्त का जिक्र किया है और उन्होंने दूसरे मुल्क रूस, अमेरिका वग़ैरह का भी जिक्र किया। जहां स्टेट बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई स्टेट ऐसी न हो जो सेन्टर को डोमिनेट करे और अगर कोई स्टेट ऐसी है, जो कि सेन्टर को डोमिनेट करती है तो उसका रिप्रेजेन्टेशन कम कर दिया जाय यानी जिसकी पापुलेशन ज्यादा होगी उसका सेन्टर में रिप्रेजेन्टेशन कम कर दिया जाय तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से पापुलेशन और एरिया की बात हमारे देश में नहीं उठाई जा सकती है। हमने जब अपना कान्स्टीटयूशन बनाया, उस समय इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया गया था तो यह ठीक नहीं है कि हम हर एक बात में विदेशों का अनुकरण करें, उनकी हर एक बात हमको सूट नहीं कर सकती है। यदि यह बात कमीशन लिखता है तो वह हमारे ऊपर एक पाबन्दी लगाता है। बहरहाल, यह चीज हमारी कान्स्टीटयूयेंट असेम्बली में भी कभी नहीं उठाई गयी जब कि हमारी स्टेट सब से बड़ी और दूसरी स्टेट्स उस वक्त भी छोटी थी। अगर इस तरह की आवाज उठानी थी तो पहले से उसको कान्स्टीट्यूशन में प्रोवाइड होना

चाहिये था कि हमारे सूबे के ८६ मेम्बर पार्लियामेंट में नहीं लिये जायेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमको विदेशों की लाइन पर नहीं चलना है जिसके मातहत कि हम किसी बड़ी स्टेट का रिप्रेजेन्टेशन कम करें। यदि इस तरह से रिप्रेजेन्टेशन कम हो गया तो इसकी आवाज पहले कभी क्यों नहीं उठाई गयी। मैं समझता हूं कि पणिक्कर साहब ने जैसा कि अपने नोट में जिक्र किया है कि कमीशन से लोग मिले, तो हो सकता है कि लोगों का उस वक्त रिजेन्टमेंट रहा हो और रिजेन्टमेंट की बातें हमारे सामने आई हों। लेकिन इतना तो जरूरी है कि इसमें सेन्टीमेंट्स को लाजिकल रूप दे दिया गया है। एक बात यह भी हो सकती है कि जो बात वह सामने नहीं कह सके, उसको बैकडोर से, पीछे के रास्ते से ले करके हम पर पेवस्त करना चाहते हैं। अगर हमारे प्रदेश के लिए यह बात मानी जाती है कि यह सूबा सेन्टर पर डामिनेट करता है तो उसके लिये कांस्टीटयूशन को अमेन्ड किया जा सकता है। उसको अमेन्ड करने के लिये रिप्रेजेन्टेशन किया जा सकता है। लेकिन यह जो दलीलें श्री पणिक्कर साहब ने दी हैं उनको मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं उनकी इस बात को भी नहीं मानता हूं कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुश्किल होती है। यहां पर करीब-करीब दो लाख आदमी हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, तो उसके लिये श्री पणिक्कर साहब ने जो यह कहा है कि उनको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है तो मैं इस बात को भी कुछ ठीक नहीं समझता हूं। मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार की मशीनरी काफी अच्छी तरह से चल रही है और किसी किस्म की कोई दिक्कत भी पैदा नहीं हो रही है।

कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश इस तरह से दो सौ वर्षों से चल रहा है लेकिन श्री पणिक्कर साहब ने सौ वर्ष ही माना है, मैं भी उसी को माने लेता हूं। उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सौ वर्ष से ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐफ़ीसिएन्सी में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो आज उसके लिये क्यों समझा जाता है कि ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि आज भी उसमें कोई खराबी नहीं है और बहुत ही ठीक तरह से सरकार का काम चल रहा है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि श्री पणिक्कर साहब ने अपने चेम्बर में बैठ कर यह बात कैसे सोच ली कि उत्तर प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई है और इसका विभाजन हो जाना चाहिये। उनका यह ख्याल करना बहुत ही गलत है और इससे देश का भला नहीं हो सकता है। हमारे इस हाउस में जो दो दिन से बहस हो रही है उससे यही पता चलता है कि यू० पी० के रहने वाले यहां का विभाजन नहीं चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो शख्स उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहता है, वह पाकिस्तानी स्प्रिट का है। जिस वक्त हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ था तो पाकिस्तान वालों ने कहा था कि हमारा कल्चर अलग है इसलिये हम अलग रहना चाहते हैं। इसी तरह से आज पणिक्कर साहब ने जो दलील पेश की है वह ठीक नहीं है, यह देश में एक रिएक्शनरी और पाकिस्तानी स्प्रिट को फैलाना है।

इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि पूर्वी जिलों में कम पैदा होता है और पश्चिमी जिलों में ज्यादा पैदा होता है, इसलिये भी हम विभाजन चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं है कि जिसकी बिना पर उत्तर प्रदेश के दो हिस्से कर दिये जायं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और आज सौ वर्ष से इस तरह का है, इसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होनी चाहिये। यहां पर बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यहां पर सब लोग हिन्दी बोलने वाले हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही भाषा बोली जाती है। सब का रहन-सहन और बोलने का ढंग भी एक ही है। सब लोग आपस में मिल जुलकर रहते हैं। हमारा कल्चर एक ही है। जब हम एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक-सा ही हैं तो फिर हम अपने आप के दो टुकड़े क्यों कर दें। मैं समझता हूं कि विभाजन का ख्याल करना ही गलत है। कल आपने देखा होगा कि असेम्बली ने भी एक मत होकर

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि विभाजन नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही साथ यहां पर भी दो दिन से जो तकरीरें हुई हैं, उनसे पता चलता है कि अधिकांश लोग इसी के पक्ष में हैं कि विभाजन न किया जाय। मैं भी इसी बात को ठीक समझता हूं और पणिक्कर साहब ने जो विभाजन के लिये लिखा है, उसका विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, एस० आर० सी० रिपोर्ट पर आज तीन रोज से यह विवाद चल रहा है और इसके विवाद में पहले हमारे माननीय नेता सदन श्री हाफिज जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ इसके सम्बन्ध में जो बहुत से आक्षेप किये गये हैं उनमें से एक यह है कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा यू० पी० पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरा कहना है कि यू० पी० कई बातों में सदा से आगे भी रहा है। सबसे बड़ा जो महान क्रान्तिकारी परिवर्तन यू० पी० में हुआ, वह जमींदारी एबालिशन का हुआ। आज मेडिकल और एजुकेशन में हम कुछ पिछड़े हुये हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यू० पी० के सामने सबसे पहले खाद्य की समस्या थी। एक प्राचीन श्लोक है "विभुक्षितम् किम् न करोति पापम्" अर्थात् भूखा क्या पाप नहीं करता है? खाद्य की समस्या किसी तरह से खत्म कर दी गई। जब खाद्य की समस्या हल हो गई, तभी दूसरी बातों की तरफ हमारा ध्यान गया और माननीय मुख्य मंत्री जी तथा दूसरे मंत्री, उन सब बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिनमें हम पिछड़े हुये हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन सब बातों की व्यवस्था भी रखी गई है जिससे कि वे सब हल हो जायं।

दूसरा, जो बड़ा आक्षेप किया गया और जिसका कि श्री गोविन्द सहाय जी ने भी समर्थन किया है वह यह है कि यू० पी० से दूसरी स्टेट्स के लोग डर रहे हैं और डाह करते हैं कि यू० पी० इतनी बड़ी स्टेट है। मैं कहता हूं कि आप पौराणिक इतिहास को देखिये तो आपको पता चलेगा कि यू० पी० का अनुकरण सदा ही भारत के दूसरे लोगों ने किया है और उसकी सभी बातों को दूसरी जगह के लोगों ने ग्रहण किया है। भाई गोविन्द सहाय जी को कदाचित् यह नहीं मालूम है कि नेता बनाने से नहीं बनते हैं, वे तो स्वयं ही बनते हैं और नेता तो ऐसा होना चाहिये जिसमें त्याग और तपस्या की भावना हो। प्राचीन समय में दुष्यन्त एक राजा था। प्राचीन युग में भारत में दो प्रधान राजवंश थे। एक इक्ष्वाकु और दूसरा ऐलवंश। इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर, आधुनिक झूंसी (इलाहाबाद) थी। यहीं के राजा दुष्यन्त थे। दुष्यन्त इस उत्तर प्रदेश के शासक थे। वे मायापुरी (हरिद्वार) आखेट खेलने जाते थे। वहीं पर उनका गन्धर्व विवाह शकुन्तला के साथ हुआ था। इन्हीं के पुत्र राजा भरत हुये। उन्हीं क नाम पर आज इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उस समय यहां के लोग त्याग और तपस्या की मूर्ति समझे जाते थे। राजा भरत का आदर्श ऊंचा था, इसी से लोग उनका अनुकरण करते थे। उनसे डाह या द्वेश किसी ने नहीं किया और न देश का नाम ही भारतवर्ष से बदल कर दूसरा रखा। उनमें सेवा की भावना थी, तो उस समय भी दक्षिण के लोग यहां से डाह करते थे। आसुरी और सात्विक दोनों प्रवृत्तियों के लोग होते हैं। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण के स्थानों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और शंकराचार्य जी ने इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर में आकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और काशी में उनका शास्त्रार्थ भी हुआ। हम उत्तर प्रदेश वालों ने उनसे कभी डाह अथवा द्वेष नहीं किया बल्कि उनको अपना आदिगुरु माना [इसीलिए आज भी भारत में राम राज्य आदर्श माना जाता है। इसी प्रदेश में अयोध्या है। भगवान राम यहीं के राजा थे। यह सारा प्रदेश उनका एक प्रान्त था। राम का आदर्श बड़ा ऊंचा था आज भी हम अपने देश में कहते हैं कि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रामराज्य के लिये पहले भी कहा गया है और आज भी सभी जगह कहा जाता है कि--

"दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य काहू नहिं व्यापा।"

इसी तरह से यू० पी० में पहले से ही नेता स्वयं बने हैं और उनका काम भी ऐसा था कि दूसरे लोगों ने उनकी बातों का सदा अनुसरण किया। भगवान बुद्ध भी यहां के रहने वाले थे और उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सभी ने एक स्वर से उनकी विद्वता को माना है। इसलिये आज उत्तर प्रदेश के लिये यह प्रश्न नहीं उठना चाहिये क्योंकि प्राचीन काल से ही इस की संस्कृति सर्व श्रेष्ठ रही है और वह सभी बातों में अग्रसर रहा है। आज इस तरह से जो प्रान्तीयता की भावना है, वह भावना हम लोगों में नहीं होनी चाहिये। यदि हम इस प्रदेश को बांट दें, तो कहीं से भी हम उसका कल्याण नहीं कर सकेंगे। पहले हमारे यहां पूर्व और पश्चिम का भी प्रश्न नहीं आता था। अवध की संस्कृति के सम्बन्ध में मुझे एक कथा याद पड़ती है। तुलसीदास जी अवध के निवासी थे, वह राम के भक्त थे और संयोग से व्रज भूमि में गये। वहां उन्होंने कृष्ण मूर्ति देखी। उन्होंने कहा कि---

"क्या बरनौं छबि आप की भले बिराजे नाथ,
तुलसी मस्तक जब नवै धनुष बाण लेउ हाथ।।"

यानी कृष्ण का दर्शन वह राम के रूप में करना चाहते थे। इसका क्या मतलब? वह चाहते थे कि श्री कृष्ण मंदिर के पुजारी कृष्ण का शृंगार राम के रूप में करें। वहां के पुजारियों ने ऐसा ही किया। यह बात बताती है कि अवध और व्रज में किसी प्रकार का भी आपस में वैमनस्य नहीं था। तुलसीदास जी ने राम के दर्शन किए और उन्होंने कहा---

"अपने दास के कारणे व्रज नाथ भये रघुनाथ।"

इसके पहले भी प्राचीन काल में काशी हमारा एक राज खंड था। जहां तक ज्ञात है वाकटक राज था और उस की राजधानी काशी थी। वहां के राजा की शंकर की तरह त्याग की मनोवृत्ति थी यानी त्याग और तपस्या की मनोवृत्ति उसमें थी। दशाश्वमेघ घाट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय समूचे उत्तर प्रदेश में बद्रिकाश्रम तक उनका राज्य था। फिर हर्षवर्द्धन का समय आता है। हर्षवर्द्धन के समय में मौखेरियों का राज्य था। उनकी कन्नौज राजधानी थी। समूचा सूबा कनौज के राज में था। जयचन्द के समय तक वही चला आया। जयचन्द का संघर्ष पृथ्वीराज के साथ होता है। जयचन्द का पूरा प्रान्त माना जाता था। जयचन्द के बाद उत्तर प्रदेश में सरकी डाइनेस्टी का राज आता है। उसकी राजधानी जौनपुर थी उस समय आगरे का कोई अस्तित्व नहीं था। आगरे का अस्तित्व तो मुगलकाल से आता है। इस तरह से यू० पी० का एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है। अंग्रेजों के समय में भी १५० वर्ष या १०० वर्ष जो भी माना जाय, हम यही बात पाते हैं। जैसे आज शासन है वैसे प्राचीन युग में नहीं था। ज्यों-ज्यों युग आगे बढ़ता जा रहा है शासन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, शासन का रूप भी बदल रहा है। परन्तु उत्तर प्रदेश अनादिकाल से इसी तरह से रहा है और इससे और प्रांतों को सदैव प्रेरणा मिली है। इस लिए उत्तर-प्रदेश के बटवारे से कल्याण नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश बंटता नहीं है तो हो सकता है कि अपने अधिक जनमत से सेंटर पर प्रभाव डाले। किन्तु हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सेंटर से कभी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं किया। उसने जो कुछ किया है वह दूसरे के उपकार के लिए ही किया है। पंचवर्षीय योजना में हमारे अनुपात से हमको कम रकम दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी सेंटर से नहीं कहा कि हमको ज्यादा चाहिए। उत्तर प्रदेश की मांग बराबर यह रही है कि पिछड़े हुए प्रांतों को अधिक रकम दी जाय। अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जायगा तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की मनो-वृत्ति भी संकुचित हो जाय। इससे भारत की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। इस लिए आवश्यक है कि ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न न होने दीजिये। हर हालत में यू० पी० का बंटवारा नहीं होना चाहिए।

अब रहा आंकड़े का प्रश्न। इस पर माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहिम साहब ने और माननीय गुप्ता जी ने कल विषद वर्णन कर दिया है, इसलिए इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक नेतृत्व का विषय है हमने महात्मा गांधी को नेता माना, लोकमान्य तिलक को नेता माना। वह यू० पी० के निवासी नहीं थे। आज पंडित जवाहर

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

लाल नेहरू नेता हैं उनको किसी ने नेता बनाया नहीं है। वह अपने त्याग और तपस्या के कारण उच्च स्तर के नेता माने जाते हैं। आज उनको सारा संसार नेता मान रहा है। दूसरे प्रांत के लोग या दूसरे लोग जब तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होंगे उनका तब जीवन बदल जायेगा और लोग स्वतः उनको नेता मान लेंगे। हमारा तो विचार कभी संकुचित नहीं रहा है और न रहेगा। यहां न मुस्लिम संस्कृति है, न हिन्दू संस्कृति है बल्कि यहां की संस्कृतियों का एक समन्वय हुआ है। यू० पी० सब संस्कृतियों की एक त्रिवेणी रही है। इसलिये इस भूमि को ऐसे ही रहना चाहिए। इससे भारत का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का कल्याण होगा। अगर इसका बंटवारा होता है तो न देश को ही हानि होती है बल्कि संसार को हानि होती है। इसलिये मैं माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अजय कुमार बसु (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन पिछले दो दिनों से उस प्रस्ताव पर, जो माननीय नेता सदन ने एस० आर० सी० रिपोर्ट पर रखा है बहस कर चुका है। मैं तो सिर्फ डाक्टर पणिक्कर की रिपोर्ट और जिन पहलुओं पर उन्होंने विभाजन कराना चाहा है उन्हीं दलीलों के एक पहलू पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पणिक्कर साहब ने संविधान में कुछ खामियां देखी हैं। उनको यह महसूस हुआ कि यू० पी० के ८६ मेम्बर होने के कारण हिन्दोस्तान की पार्लियामेंट में नाजायज फायदा उठाते हैं या न भी उठाते हों, लेकिन लोगों को शिकायत है और आगे चल कर मुमकिन है यह और भी बढ़ जाय और इस तरह से हिन्दोस्तान को नुकसान हो सकता है। पणिक्कर साहब बड़े विद्वान् हैं। उन्होंने इस बात को लिखते हुये अमेरिकन कान्स्टीट्यूशन सामने रखा। उन्होंने एक चीज पर गौर नहीं किया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब अमेरिकन कान्स्टीट्यूशन में इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स ने अपने अख्तियारात फैडरेशन को दिये तो उन्होंने अपने अधिकारों को बारगेनिंग किया और चाहा कि उनके अख्तियारात बराबरी के तौर पर रहें, लेकिन हम तो एक राष्ट्र हैं। महज ऐडमिनिस्ट्रेशन के कारण हम अलग-अलग हैं, वैसे तो हम सब एक हैं। हम में बारगेनिंग नहीं है। इसलिये हमारी सेन्टर को बैलेन्स करने की मनोवृत्ति नहीं थी।

The argument of Sri Panikkar that this province will dominate over the rest of the country is greatly fallacious. The Constitution of India is not as rigid as the American Constitution. If one province tries to dominate the rest of the country, we can amend the Constitution much more easily than the American Constitution provides. If 86 Members of Parliamentry to dominate the country, the rest of the Members of Parliament by two third majority can change the Constitution. So the fear of Sri Panikkar that the big province of U. P. will dominate the country and thereby disintegrate the national unity of India is without foundation. The Constitution of India provides that if any province tries to dominate the rest of the country, the Constitution of India can be changed and suitably amended and national outlook broadened. So the main point of Sri Panikkar in his note of dissent that this province be divided to maintain the democratic aspect of the Constitution, is fallacious and therefore, the main argument of Sri Panikkar who is the only member who has demanded the division of the Province fails.

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नम्रता पूर्वक कई बार पणिक्कर साहब के नोट को पढ़ा। मैंने दूसरी, तीसरी बार भी जब उसको पढ़ा तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ दलीलों की ही बात नहीं है बल्कि कोई

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बात श्री पणिक्कर जी के मस्तिष्क में ऐसी बैठी हुई है कि बिना उत्तर प्रदेश के बंटवारा किये हुये बहुत से लोगों को चैन नहीं मिलेगा। श्री पणिक्कर जी का दर्शन मुझे पहिली बार जब हुआ था जब कि वह आल इंडिया फेडरल एजुकेशन कान्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिये पधारे थे। मुझ में खुद पणिक्कर जी की बड़ी इज्जत है। वह इतिहास और पालिटिक्स के अच्छे जानकार हैं। इस सबके होते हुये भी जब उन्होंने नोट लिखा है उसको जैसे-जैसे मैंने पढ़ा तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी राय इसी बिना पर कायम हुई जो ९७ मेम्बरों ने दस्तखत करके स्मृति-पत्र दिया था।

माननीय ज्योति प्रसाद जी ने उस मूवमेंट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। पहले ९७ मेम्बरों ने जो इन १६ जिलों के थे उन्होंने दस्तखत करके दिया था। उनमें से ७० मेम्बरों ने तो अपने दस्तखत वापस ले लिये। उनमें से २७ मेम्बर बचे रहे जिन्होंने अपने दस्तखत छोड़ दिये। आज की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि दूसरे सदन में ६५ मेम्बरों ने इस विषय पर भाषण दिया है। उनको देखते हुये यह मालूम होता है कि उन मेम्बरों की संख्या जो पहले चाहते थे कि बंटवारा हो अब उनकी संख्या बिल्कुल कम थी। अब चूंकि पणिक्कर साहब इतिहास और पालिटिक्स के ज्ञाता हैं, इसलिये उन्होंने इतिहास का भी हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि पहिले यू० पी० इतना बड़ा नहीं था। १७७५ से यह यू० पी० बनना शुरू हुआ। सन् १७७५ में नवाब आसफुद्दौला ने कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दिया था। १८०८ में कुछ और हिस्सा यू० पी० का अंग्रेजों के हाथ लगा। सन् १८८६ में डलहौजी ने बाकी हिस्सा अवध का भी इसमें शामिल कर लिया। इस तरह से यह आजकल का यू० पी० बना था। उनका कहना है कि यहां का इतिहास १०० वर्ष से पुराना नहीं है। तो यह दलील कि इसका इतिहास १०० वर्ष से पुराना नहीं है इसलिये बंटना चाहिये ठीक नहीं मालूम होती है। जब अंग्रेजों के जमाने में भी इसका बंटवारा नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज तो बंटवारे के बहुत पक्ष में थे, उन्होंने यह देख कर कि यहां की भाषा, यहां के रहन-सहन का तरीका, यहां की जमीन एकही तरीके की है इसलिये उन्होंने इस सब को एक में मिला दिया था और १८८५ में इसकी यह शकल हो गई। अब यह कहना कि हम १९५५ में फिर से इसका बंटवारा कर दें तो कोई ठीक नहीं होगा, मुझे तो इसमें कुछ वजन नहीं मालूम होता है; अब मैं, जैसा कि आचार्य जी ने बतलाया, पुराने इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं। पुराने इतिहास को देखने से मालूम होगा कि यू० पी० जहां आज है पहिले उससे कई गुना बड़ा था। उस समय उसकी राजधानी पटना थी। उस समय इसमें बिहार और पंजाब का भी हिस्सा शामिल था। यह हिस्सा सबका सब मिलकर एक प्राविंस था। उस समय जो राज्य करने का ढंग था वह आज से बुरा नहीं था और आज भी बुरा नहीं है। आज भी वह किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुये यह दलील समझ में नहीं आती है कि चूंकि यू० पी० एक बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिये इसका बंटवारा होना ही चाहिये। आगे चलकर वह खुद ही कहते हैं कि संसार में एक जमीन के ऊपर जितने भी प्रदेश हैं वह बहुत बड़े हैं और उनमें वेरियस लोग ऐक्जिस्ट करते हैं। वहां के लोग वेरियस होते हुये भी एक प्राविंस में रहते हैं। यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई खराबी नहीं बतलाई सिवाय इसके कि यहां पर २ लाख ६० हजार आफिशियल्स हैं। यह नहीं बतलाया गया कि इससे किसी प्रकार का नुकसान होता है।

एक बात सदन के सामने नहीं आई। उसको मैं विशेष रूप में रखना चाहता हूं। जितनी दलीलें यू० पी० के बंटवारे के पक्ष में मिलीं उनको बिला वजन दिये हुये रख दिया गया है। जैसा रिपोर्ट में लिखा है कि :

"I have no desire to go into the merits of the complaints made by them and the arguments they have advanced in favour of the separation of the western districts."

उनका आर्गूमेंट्स और मेरिट्स से मतलब नहीं—यह काफी है कि शिकायत आगई, इसलिये यह समझा कि बंटवारा होना चाहिये। इतने कानट्रेडिक्शंस हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने

[ श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल ]

एक जगह लिखा है रिपोर्ट के बीच में, कि सारा का सारा मध्य भारत सिवाय एक जिले को छोड़कर मध्य प्रदेश से मिला दिया जाय। यह पेज १३२ और पेज २५१ में लिखा है कि मध्य प्रदेश के चार जिले यू०पी० में मिला दिये जायं। यह क्लियर कान्ट्रैडिक्शन है, यह कैसे हो सकता है। इसी तरह से बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं और जैसा कि मैं उनको एक विद्वान मानता हूं, विद्वान होते हुये भी ऐसा नोट उन्होंने लिखा जिसको दबी जबान में कहा गया कि उनकी नजर पहले ऐसी नहीं थी बीच में आ गई है इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुये हैं, मैंने उनको नोट किया था, उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द सुनाने से सदन को लाभ होगा। इमबैलेंस, डिसपैरिटी इस्तेमाल किये गये, इसमें कुछ गुस्सा और ताना मालूम होता है। उन्होंने इस्तेमाल किया है इनफ्लुऐन्स, सुजेरेन्टी, पैरामाऊन्सी, अथारिटी जैसे मालूम होता है कि यू० पी० की बादशाहत हर जगह है। इससे साफ मालूम होता है कि कलर्ड रिपोर्ट है। यू० पी० के खिलाफ जो दलील दी गई वह यहां रखी गई और उन दलीलों में कोई सार न होते हुये भी इसका बंटवारा रिकमेंड कर दिया गया। इसका जिक्र पूरी रिपोर्ट में आ गया है। यू० पी० बड़ा है, यह हो सकता है कि लोगों को नाराजगी हो, दूसरे लोग इससे सबक ले सकते हैं। उन्होंने खास तौर से जमींदारी अबालिशन का जिक्र किया है कि यू० पी० सबसे आगे जाने वाला है।

भूदान ऐक्ट और सूबों में पास नहीं हुआ है। इसी तरह से यूनीवर्सिटीज के अमेंडमेंट्स हमने जितने तेजी के साथ किये दूसरी जगह नहीं हुये। पणिक्कर जी को शायद इसी से ऐसा लगा है कि यू० पी० आगे बढ़ता रहा तो यू० पी० आगे चलता रहेगा और दूसरे जो प्रदेश हैं, वे पीछे रह जायेंगे। मैं उनके लिये हंसी का शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने बंगाल का जिक्र कर दिया कि बंगाल का पार्टीशन किया गया और यह भी कहा कि पार्टीशन आफ बंगाल एक गलती थी। गलती इसलिये थी क्योंकि वह एक हिस्टोरिक यूनिटी था। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यू० पी० की हिस्टोरिक यूनिटी वे नहीं रखना चाहते हैं। बंगाल का पार्टीशन गलती से हुआ तो यू० पी० का पार्टीशन कैसे सही हो सकता है। कोई दलील ऐसी नहीं है कि यू० पी० का बंटवारा हो।

पणिक्कर महाशय ने यह भी लिखा है कि यू० पी० का अगर बंटवारा होगा तो एकोनामिक डिस्लोकेशन तो हो ही जायगा। आखिर में कहते हैं कि डिस्लोकेशन जो होगा उसके लिये जो फाइनेंस कमीशन है उसको ठीक कर दे। २५२ पेज पर लिखा है:

"The size of the revenue budget has increased, for various reasons, in the case of both the units since March, 1953. But there is no reason to anticipate that western Uttar Pradesh will have to face financial embarrassment. Equally eastern Uttar Pradesh will be able to make up its initial deficit by reviewing some of its taxation measures. The new Finance Commission will, no doubt take all factors into account and try to minimise the deficit of residuary Uttar Pradesh."

जब वही खुद महसूस कर रहे हैं कि यू० पी० को दो हिस्सों में बांटने से एकोनामिक डिस्लोकेशन हो जायगा तब कोई दलील ऐसी नहीं होती कि यू० पी० का बंटवारा किया जाय। मैं इन शब्दों के साथ नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री श्याम सुन्दर लाल** (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में जो माननीय पणिक्कर साहब का यू० पी० के संबंध में नोट आफ डिसेंट है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। नोट में जिस मेमो का जिक्र है और जिसे पश्चिमी जिलों के एम०एल०एज० ने उपस्थित किया था उसमें जो ग्राउन्ड उत्तर-प्रदेश के विभाजन के थे उसमें यह कम्प्लेंट है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को इग्नोर किया गया है और डेवलपमेंट के मामले में भी वे इग्नोर होते रहे हैं। इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि जो दो मेन कैनाल सिस्टम पश्चिमी जिलों में है और तीन पावर स्टेशन हैं वे उन्हीं जिलों में बने हैं। इनके अतिरिक्त काफी संख्या में ट्यूबवेल्स वहां बनाये गये जिनसे सुगर केन की

इतनी ज्यादा आबपाशी हुई थी कि सुगरकेन का ओवर प्रोडक्शन हो गया था और उसके कार्टेज का प्रबन्ध भी कठिन हो गया था। यमुना हाइडिल प्रोजेक्ट देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लोकेट होने जा रहा है। रामगंगा कैनाल भी मुख्यतः इन्हीं जिलों के लिये बनने को है। लेकिन पूर्वी जिले आज तक नेगलेक्टेड रहे हैं। अब कुछ वहां हो रहा है यह हर्ष की बात होनी चाहिये। एक बड़ा प्रोजेक्ट रेहिन्द डैम वहां बनने जा रहा है जो मल्टी परपज और इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट होगा और जो दूसरे सूबों को भी लाभ पहुंचायेगा। जो पार्ट्स अनडेवलप्ड थे और उनकी ओर कोई तवज्जह अभी तक नहीं दी गई थी उनका डेवलप होना उचित ही है। जहां तक खर्च की बात रही तो वह खर्च किसी एक हिस्से पर तो नहीं पड़ेगा और न एक हिस्से का खर्च दूसरे में होगा। जो रुपया खर्च होता है वह तो सारा सूबा रिपे करता है, कोई खास हिस्सा उसे रिपे नहीं करता है।

एक बात वादविवाद के अन्तर्गत कही गई है काशी के घाटों के मुतालिक कि काशी के घाट जो बहुत खराब हालत में हो गये थे उन्हें फिर से बनवाने के लिये काफी रुपया दिया गया है। काशी पूर्वी जिले की ही सम्पत्ति नहीं है। काशी तो आल इंडिया महत्व की जगह है और प्राचीन समय से संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा है और फारेन कंट्रीज से टूरिस्ट भी वहां आया करते हैं। इसलिये वहां पर जो खर्च किया गया है वह आवश्यक ही था। यदि अन्य स्थानों जैसे मथुरा आदि में कोई ऐसी आवश्यकता हो तो वहां भी पैसा खर्च किया जा सकता है।

पणिक्कर साहब के नोट में एक चीज यह है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिये उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीसेंसी खराब हो सकती है इसलिये उसको छोटा करना चाहिये। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर अन्य प्रदेशों से अच्छा नहीं है तो कहीं से खराब भी नहीं रहा है। एक और बात जो उनके नोट में आई है वह यह है कि यहां के सदस्यों की संख्या केंद्र के दोनों सदनों में काफी बनी हुई है। इसके लिये उन्होंने दूसरे देशों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां ऐसा है कि फेडरेटिंग यूनिट, चाहे छोटी यूनिट हो या बड़ी हो, लेकिन उनके रेप्रिजेंटेशन का कोटा बराबर है। वह विद्वान हैं और इतिहास के विशेषज्ञ हैं। लेकिन उन्होंने जो दूसरे देशों का हवाला दिया है तो उन्हें यह भी देखना चाहिये कि उन मुल्कों का संविधान और हमारा संविधान सिमिलर नहीं है। अगर कोटा बढ़ाने या घटाने की बात की जाय तो हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके ही हो सकता है। न कि, यह कि इसके लिये उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि इस वक्त यू० पी० बड़ा होने के कारण डोमिनेट कर रहा है और इस तरह के आल इंडिया मैटर्स को प्रभावित करता है। जो यह डोमिनेशन की बात है कि यू० पी० आल इंडिया बातों को प्रभावित करता है, तो एक जमाना था जब कि बंगाल पूरे इंडिया को डोमिनेट करता था। उस समय बंगाल को ट्रिब्यूट देते हुये श्री गोखले ने श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कहा था कि "व्हाट बंगाल थिन्क्स टुडे दी रेस्ट आफ इंडिया थिन्क्स टु मारो"। इस तरह से कभी मद्रास भी डोमिनेट करता था। इसी तरह से गुजरात में महात्मा गांधी हुये हैं और हमारे यहां इस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। आज वे कहीं भी जाते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा होती है। वे केवल यहां के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के रत्न हैं। वे केवल यहां के लोगों को ही प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि दुनिया के बड़े-बड़े नीति विशारद उनकी बात को मानते हैं और इस तरह से वे हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्हें किसी प्रांत विशेष की सम्पत्ति कहना श्रेयस्कर नहीं है। महान व्यक्ति समय-समय पर विविध क्षेत्र में होते हैं और अपने त्याग तथा सेवा से सारे देश को प्रभावित करते हैं।

पणिक्कर साहब के विभाजन संबंधी नोट की बाबत बहुत कुछ कहा जा चुका है, इस कारण मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कारण दिये हैं वह न सिर्फ सेल्फ कन्ट्रेडेक्टरी है किन्तु बिल्कुल अन कनीविन्सिंग हैं। लिंग्विस्टिक, एकानामिक और कल्चरल आधार पर उत्तर प्रदेश हमेशा एक रहा है और रहेगा। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में बोर्ड्स के ऐडजस्टमेंट के विषय में कुछ थोड़ा सा कहा गया। इसका कारण यह है कि जो रेहिन्द डैम बन रहा है उसका थोड़ा हिस्सा करीब ४० वर्गमील का बघेलखंड में आयेगा तो यह उचित ही है कि वह एरिया हमारे प्रदेश में आ जाय। इस तरह से एक एरिया होने की वजह से कोई

[श्री श्याम सुन्दर लाल]

इन्टर स्टेट डिस्प्यूट की संभावना नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--उपाध्यक्ष जी, सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव राज्य के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में प्रस्तुत है, आज उस पर दो-दिन से बहस हो रही है। इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करूं, मैं यह उचित समझता हूं कि इस अवसर पर जब कि पूरी रिपोर्ट हमारे सामने है, जो सिद्धान्त पहले, भाषावार आधार पर राज्यों के पुनस्संगठन के लिये, कांग्रेस ने अपनाये थे या दूसरी पार्टियों ने अपनाये थे, उस सिद्धान्त में परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में भी, ब्रिटिश काल में भी यह आन्दोलन रहा कि भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनस्संगठन किया जाय और उस आन्दोलन ने जोर भी पकड़ा। कांग्रेस ने इस भाषावार के सिद्धान्त को अपना कर, जहां तक उसके संगठन का सम्बन्ध था, कुछ सूबे भी ऐसे ही बने थे। उदाहरण के लिये कर्नाटक का सूबा था, बम्बई शहर का अलग सूबा था और महा कौशल का अलग सूबा था। यह भाषा के आधार पर सूबों के बनाने की जो नीति है वह सन् १९२८ से लेकर १९४७ तक देश में अपनायी गयी और उस वक्त कांग्रेस और दूसरी पार्टी ने भी इसको माना। लेकिन १९४७ के बाद जब देश को आजादी मिली, तो यह जो भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने का प्रिन्सिपल था, उस सम्बन्ध में काफी गौर किया गया और जैसा कि कान्सीट्यूएन्ट असेम्बली ने और इससे पहले हर केन्द्रीय असेम्बली ने इस भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण के लिये एक कमीशन नियुक्त किया था जो कि दर कमीशन के नाम से प्रसिद्ध था। उस दर कमीशन ने सबसे पहले यह बात सामने रखी कि अभी इस सिद्धान्त को हमको विचारना है कि हम सिर्फ भाषा ही के आधार पर प्रान्तों का पुनस्संगठन करें। उनकी जो राय है उसको मैं यहां पर पढ़ कर सुना देना चाहता हूं:

"The formation of Provinces exclusively or even mainly on linguistic consideration would be inadvisable."

कमीशन ने आगे चल कर यह भी राय प्रकट की --

"The Commission felt that in forming Provinces the emphasis should be primarily on administrative convenience."

मैंने उसका हवाला इसलिये दिया कि इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव कनविनियेन्स पर इम्फेसिज दिया है। इसके साथ ही साथ उस मौके पर जब दर कमीशन की यह रिपोर्ट शाया हुई और असेम्बली में पढ़ी गयी तो जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भी एक सब-कमेटी बनाई थी और वह सब-कमेटी इस मसले को हल करने के लिये बनाई गयी थी। उस सब-कमेटी के सदस्य हमारे नेता पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया थे। इस कमेटी का नाम जे० वी० पी० कमेटी है। इससे जो नतीजा निकाला जा सकता है, उसको मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं:

"We feel that the conditions that emerged in India since the achievement of independence are such as to make us view the problem of linguistic provinces in a new light. The first consideration must be the security, unity and economic prosperity of India, every separatist and disruptive tendency should be rigorously discouraged. Therefore, the old Congress policy of having linguistic provinces can only be applied after careful thought being given to each separate case and without creating administrative dislocation or mutual conflicts which would jeopardize the political and economic stability of the country.

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तो हमारा जो एस० आर० कमीशन है, उसने जे० वी० पी० कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके सिद्धान्त को माना है । इन सिद्धान्तों का विवेचन यहां पर कई माननीय सदस्यों ने किया है, इसलिये मैं उनको बार-बार कहना कुछ ठीक नहीं समझता हूं । उन सिद्धान्तों को मानते हुये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी प्रकार से ठीक नहीं है ।

एक बात मैं यहां पर यह भी कह देना जरूरी समझता हूं कि एस० आर० कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस में सूबे के नव-निर्माण के आधार पर जो सिपारिशें की गई हैं, उसी के कारण बम्बई में उपद्रव हुआ, जो हमको इस बात के लिये सूचित करता है कि भाषा के आधार पर जो हमारी नीति है, वह ठीक नहीं है । जे० वी० पी० कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना है :

"While language is the binding force it is also a separating one."

महाराष्ट्र प्रान्त को बम्बई में मिलाने के लिये जो आन्दोलन किया जा रहा है, वह राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है और मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं समझता हूं। अगर हमने इस बात को मान लिया तो इस देश का भला नहीं हो सकता है। यहां के रहने वालों का यह कहना है कि हमारा एक अलग कल्चर है और इसलिये हमारा एक अलग प्रांत होना चाहिये, गलत है । हमारा सारा भारतवर्ष एक है । उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्या कुमारी तक और पूरब में आसाम से लेकर पच्छिम में गुजरात तक हमारा भारत एक है । हमारे सामने जो उत्तर प्रदेश के विभाजन का मसला है, यह हमारे लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है । अगर आप इसको ऐतिहासिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ही है । हम अपने सूबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं । आज उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे एस० आर० सी० की रिपोर्ट का बहुमत है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उसकी ताईद में जो हमारे सदन के नेता ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । लेकिन यहां पर यह निवेदन करना मैं आवश्यक समझता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की विशाल जनता है, वहां अगर दक्षिण का जो प्रदेश है, उसका इतिहास देखा जाय, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया कि झांसी जिला और चार जिले विन्ध्य प्रदेश के रख करके, तो ये इसकी एकता को बढ़ाते हैं, जो चार जिले इस सूबे में रखे गये हैं और अंग्रेजों ने उनको रखा, उसका मुख्य कारण यह था कि ये जिले ऐसे थे जिन्होंने कि हमेशा आजादी का झंडा लहराया और यह टीकमगढ़, छतरपुर और रीवां के रियासतों के रूप में रहीं । झांसी की रानी ने सन् १८५७ में, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रह कर, चाहे वह रियासत गुलाम ही थी, लेकिन फिर भी उनके बहुत कुछ अधिकार थे, उसने उसके लिये लड़ाई लड़ी । उस वक्त हुकूमत के लिये इसमें समस्या पैदा हो गयी । जिन्होंने बुन्देल-खंड का इतिहास पढ़ा है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टीकमगढ़ से झांसी तक जो इलाका मिला हुआ है उसके बीच में कोई नदी भी नहीं है। इसी तरह से छतरपुर, दतिया और रीवां के हिस्से सब मिले हुये हैं इस क्षेत्र में रेहिन्द डैम और माता टीला का डैम पड़ता है , यह एरिया भी उसी में पड़ता है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि ये सब जिले उत्तर प्रदेश के ही हिस्से रहें । हां, यह बात सही है कि उन जिलों की हम उतनी वृद्धि नहीं कर सकते हैं जितनी कि और जिलों की, लेकिन फिर भी दूसरी स्टेट्स में उन जिलों को मिलाने से हमें उत्तर प्रदेश में ही उनको मिलाना चाहिये । इसलिये मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं जो कि मेरे भाई कन्हैया लाल जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है ।

एक बात और रह जाती है .......

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—एक बज चुका है, कितनी देर आप और बोलेंगे ?

**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—मैं दस मिनट और लूंगा ।

श्री डिप्टी चेयरमैन—तो फिर आप बाद में बोलियेगा। अब यह सदन दो बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

[सदन की बैठक १ बजे स्थगित हो गयी और २ बजे, श्री अधिष्ठाता (श्री ज्योति प्रसाद गुप्त) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री लल्लू राम द्विवेदी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के विभाजन की जो मांग कमीशन के सामने रखी गई, उस सिलसिले में कई माननीय सदस्यों ने व्योरे से और कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें सिद्धान्ततः मानी गई हैं उनका हवाला देते हुए यह राय प्रकट की कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का कोई केस बनता नहीं है और कमीशन के बहुमत की जो राय है वह इस प्रकार है :

"There is no case for dividing the State of Uttar Pradesh and the State should continue in its existing form."

इन दलीलों को अगर मैं दोहराऊंगा तो समय का ज्यादा उपयोग न कहा जा सकेगा। इस लिए जो दलीलें पणिक्कर महोदय ने विभाजन के सिलसिले में दी हैं उनके सम्बन्ध में मैं केवल दो तीन बातें प्रस्तुत करता हूं। विभाजन के सिलसिले में पहली दलील दी गई कि यू० पी० बहुत बड़ा है, अनवील्डी है और उसका नतीजा यह निकाला गया कि चूंकि यू० पी० अनवील्डी है इसलिए यहां का शासन अच्छा नहीं है, एफीशियेंट नहीं है। मगर जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट में पढ़ता हूं और उसके पैरा २१८ में मैं यह पाता हूं कि इस राय में हमारे पणिक्कर साहब की भी सम्मति है। वह राय इस प्रकार से है:

"Experience of the working of different administrations in this country does not lend support to the view that, in large States, standards of administration deteriorate. In actual practice, some of the larger States in India have proved to be best-administered."

तो जहां पणिक्कर साहब ने कमीशन के सदस्यों के साथ यह मत प्रकट किया है, जब वह स्मालर वर्सेज लार्जर स्टेट्स पर विचार कर रहे थे और उन्होंने यह सिद्धान्त मान लिया तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपना अलग नोट दिया तो उन्होंने इस सिद्धान्त को भुला दिया। यह उनका सेल्फ कन्ट्राडिक्शन है। जहां तक उत्तर प्रदेश के शासन की बात है, यह बात निर्विवाद है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन की एफीशियेंसी है, जो शासन की कुशलता है उस पर गर्व किया जा सकता है और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में अगर उत्तर प्रदेश का शासन अच्छा नहीं है तो किसी तरह से बुरा भी नहीं है और इस तर्क पर उत्तर प्रदेश के विभाजन की कोई बात खड़ी नहीं की जा सकती है।

दूसरी बात जो विभाजन के बारे में बड़ी से बड़ी कही गई वह पश्चिम के जिलों के नुमाइन्दों ने रखी कि पश्चिम के जिलों की जो आमदनी है स्टेट बजट में उसका इस्तेमाल पूर्वी जिलों पर होता है। मगर जो फैक्ट्स और आंकड़े बजट में हैं और जो इसी एस० आर० सी० की रिपोर्ट में हैं उससे यह बात सिद्ध है कि यह उनका उत्तर प्रदेश की सरकार पर लांछन करना है कि पश्चिम को भुलाया गया है। यह वाकयात के विरुद्ध बात है और इसकी कहीं ताईद नहीं होती।

तीसरी बात जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट में पणिक्कर साहब ने रखी है वह यह कि यू० पी० का आल इंडिया पर डामिनेन्स है, इस पर अपनी राय का इज़हार करते हुये मैं यह कहूंगा कि यू० पी० के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। इस मामले में मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि उनके नोट से उस सेपरेट ग्रुप को इनकरेजमेंट मिलता है जो इस प्रदेश का बंटवारा चाहता है। आज अगर उत्तर प्रदेश देश के लिये कुछ कर रहा है तो इस वजह से नहीं कि उसके ८६ नुमाइन्दे पार्लियामेंट में मौजूद हैं बल्कि उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी के युग में पार्टी की हुकूमत होती है और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो देश को उन्नति की ओर ले जा रही है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो देश ही को नहीं वरन् सारे संसार को शान्ति का पथ-प्रदर्शन करा रही है और इसके कर्णधार पंडित नेहरू हैं जो हमारे ही रत्न नहीं हैं बल्कि संसार के रत्न हैं।

आज नेहरू और पन्त जी की वजह से यह बात रखी जाय कि यू० पी० का प्रभुत्व देश के दूसरे प्रान्तों पर होता जा रहा है, यह एक बड़ी दुःख की बात है। आज जो डामिनेन्स की बात कही जाती है, वह इस कारण नहीं और न उसका यह इलाज है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाय तो यह प्रभुता खत्म हो जायेगी।

अगर भारतवर्ष के पुराने इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालिये तो आप देखेंगे कि यू० पी० ने भारतीय संस्कृति को सींचा है और वह यहीं पनपी है। जब मैं यह कहता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। अगर भारत की एकता की किसी ने रक्षा की है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। यहां हरिद्वार और इलाहाबाद दो स्थान ऐसे हैं जहां पर दो बड़े कुम्भ के मेले होते हैं। यहां पर भारतवर्ष के सभी स्थानों के लोग आते हैं और एक में मिल-जुल जाते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष की जो डाइवर्सिटी है उन सबका उत्तर प्रदेश में सामञ्जस्य होता है। यह उत्तर प्रदेश जहां पर कि राम, कृष्ण की भूमि है, जहां सूरदास, तुलसीदास हुये हैं, जहां गंगा-यमुना हैं, जहां दो धार्मिक बड़े-बड़े केन्द्र हैं और जिन स्थानों पर लोग अपनी आत्मा को सन्तोष देने के लिये भारत के अन्य स्थानों से यू० पी० में आते हैं, उस उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कही जाय तो यह बात न समझ में आने वाली है और इसका यही नतीजा निकलना पड़ता है कि विभाजन करने के जो सिद्धान्त होते हैं, वह लागू नहीं होते हैं बल्कि इसके पीछे कोई दूसरी भावना है जिसके कारण विभाजन की बात इस मौके पर लायी गयी है।

उत्तर प्रदेश ने देश की कितनी सेवा की है यह तवारीख बतायेगी। आज जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक क्रान्ति करने जा रहे हैं, एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और दूसरी हम बनाने जा रहे हैं। जमींदारी को आज जब हमने खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जिन्दगी में जहां हम हिल-मिल कर चले हैं, जहां हम सदा एक से रहे हैं और जहां आज राजनीतिक जिन्दगी एक सी रही है, वहां उसके टुकड़े करने के लिये पूर्व-पश्चिम का सवाल पैदा किया जाय, यह बहुत ही दुखदायी है। पणिक्कर साहब ने ऐसा कह कर के उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं की। उत्तर प्रदेश आज देश की रहनुमाई करता है, समाज सुधार के काम करने में व्यस्त है, नया समाज बना रहा है, जिस उत्तर प्रदेश में पुराने काल में जैसी पंचायतें थीं और न्याय करती थीं, उन्हीं को इसने फिर से कायम किया है और जो विधान ने हमको अधिकार दिये हैं उनको उत्तर प्रदेश में ही अच्छी तरह से वर्ता जा रहा है। एक विद्वान के द्वारा यह कहना ऐसा मालूम होता है कि इसमें कहीं मुग़ालता है, कहीं ग़लत फ़हमी है, जिसकी वजह से यह बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने ऐतिहासिक उदाहरण दिया है, यह उत्तर प्रदेश एक रहा है और एक रहेगा। उत्तर प्रदेश में सेवा की भावना रहेगी और देश की एकता बनाये रखने की भावना रहेगी। मालवीय जी की बनारस यूनिवर्सिटी यहां है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित पन्त ऐसे नेता का यहां जन्म हुआ है। यह उत्तर प्रदेश बंट नहीं सकता है, वह एक ही रहेगा। जैसा कि मैंने पहिले निवेदन किया है कि इसके बंटने का सवाल तो उठना ही नहीं चाहिये, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने विंध्य प्रदेश के मामले को न उठाने के लिये कहा है इसलिये विंध्य प्रदेश को शामिल करने के लिये नहीं कहूंगा। सरकार से इस बात के लिये समर्थन नहीं मिला है। वर्ना विंध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहिये था। पहले विन्ध्य प्रदेश वालों की भावना वह जरूर थी कि एक वृहद् विंध्य प्रदेश बनाया जाये लेकिन बाद को वहां के लोगों की यही भावना थी कि इसके कुछ जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायें। इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो माननीय नेता सदन ने इस हाउस के सामने रक्खा है।

**श्री अधिष्ठाता**—अभी ८ सदस्य बोलने के लिये और हैं इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य स्वयं ही समय निर्धारित कर लें और बजाय इसके कि मैं उनको

[श्री अधिष्ठाता]

बोलने से रोकूं, वह स्वयं ही अधिक न बोलें। मेरे विचार से १५ मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं लेना चाहिये और ४ बजे तक उनको खत्म कर देना है। इसके बाद गवर्नमेंट का जवाब होगा। इसलिये १५ मिनट से ज्यादा समय प्रत्येक सदस्य को नहीं लेना चाहिये।

*श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् जो हमने एक बहुत बड़ा काम किया वह था अपना संविधान बनाना। संविधान बनने के पश्चात् यह आवश्यक था कि राज्यों की सीमा ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स और दूसरे मुख्य कारणों को ध्यान में रखकर बनायी जाती और उनमें सुधार किया जाता इसलिये आवश्यक हो गया था कि राज्य पुनस्संगठन आयोग बनाया जाय और वह आयोग बनाया गया। उस आयोग ने जो सुझाव रखे हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और ऐसी हालत में जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने रखा है उसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। यह सब लोगों का मत है कि गठन राज्यों का अच्छा नहीं है इसलिये पुनः गठित किया जाय। परन्तु सवाल यह उठता है कि इस कार्य को इतनी जल्द क्यों अपने हाथ में ले लिया गया? इसमें अगर देर की जाती तो सम्भव था कि आगे चल कर इस काम में काफी अड़चनें पैदा होतीं।

पहला कारण यह था कि आन्ध्र राज्य का निर्माण हुआ, उस समय यह आवाज आने लगी कि संस्कृति, भाषा और एकता के आधार पर एक प्रदेश बनाया जाय। दूसरा कारण यह भी था कि लोग समझने लगे कि जिन राज्यों के बारे में निश्चित धारणा नहीं बनी है कि वह किस प्रदेश में जायेंगे और फाईव इयर्स प्लान में कैपिटल लगाने में उनको हिचकिचाहट थी इसलिये यह आवश्यक था कि निश्चित कर दिया जाय कि कौन-सा स्थान किस राज्य में रहेगा, जिससे विकास कार्य अच्छा हो। तीसरा कारण मैं यह समझता हूं कि जब तक केन्द्र मजबूत रहता है उस वक्त तक अगर यह काम हो जाय तो अच्छा है और जो प्रभुत्व केन्द्र को आज है संभव है आगे चल कर वह प्रबल प्रभुत्व न रहे, तो फिर रिआर्गेनाइज करने में कठिनाई होगी और जो काम डिस्ट्रीब्यूशन सीमा का इस समय है वह दूर हो जाय तो अच्छा है। इस कारण जो आयोग की सिफारिशें हमारे सामने आईं वह अच्छी रहीं और सीमा को जो खिलाफ समझते हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता।

मैं कमीशन को धन्यवाद जरूर दूंगा क्योंकि उन्होंने काफी समय लगा कर और मत संग्रह करके अपनी सिफारिशें लोगों के सामने रखीं और ऐसा मालूम होता है कि अधिकतर सिफारिशें स्वीकार की जायंगी। कहीं-कहीं मतभेद हैं, यह मतभेद आगे चलकर शान्त हो जायेंगे, इसका हमको पूरा विश्वास है। यह पुनः गठन के जो कारण होते हैं उन सबको ध्यान में रख कर अपनी सिफारिश आयोग ने दी है। उनमें जो प्रधान कारण मैं समझता हूं वह प्रथम यह कि सारा भारत एक हो जाय, दूसरा जेनरल मेजर आफ एग्रीमेंट का ख्याल रखा है और जहां-जहां लोगों का यह मत था कि इस स्थान पर एक राज्य होना चाहिये वहां पर राज्य बनाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने जो आज दो दर्जन से ज्यादा स्टेट्स फैली हैं उनको कम करने के लिये कहा है। केवल १६ स्टेट्स के लिये रिकमेंड किया है। इससे एक ठोस एकता का भाव उत्पन्न होगा। खर्च कम होगा और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐफीशिऐंसी बढ़ेगी। थोड़े दिन पहले मुझे एक हाई गवर्नमेंट आफिशियल मिले थे, वे कह रहे थे कि कुछ राज्य ऐसे थे कि जब वहां की गवर्नमेंट ने अपना शासन

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चलाना शुरू किया तब जो वहां कमांडर इन चीफ था उसको वहां के पब्लिक सर्विस कमीशन ने कान्सटेबिल बनाना तो स्वीकार किया लेकिन कोई ऊंची जगह पर रखना उचित नहीं समझा। जो सिपारिशें कमीशन की हैं वे सर्वथा अच्छी हैं, उनसे देश का लाभ होगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में सेल्फ डिवीजन की प्रवृत्ति रही है। जब से भारतवर्ष का इतिहास प्रारम्भ होता है तभी से यह चीज मिलती है।

एक किस्सा है--जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजी सेना के पास रसद की कमी थी। उस समय जो हिन्दुस्तानी सिपाही थे उन्होंने कहा कि जो चावल के दाने हैं आप खा लीजिये और हम उसके मांड़ से गुजर कर लेंगे। हम आपस में बहुत अधिक विभाजित रहना चाहते हैं। हमें इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह बहुत पहले की नहीं है। जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि बुद्ध के समय ४ राज्य थे--काशी, कौशल, पांचाल और सेन। फिर गुप्त के समय में प्रयाग, साकेत और अन्तर्वेदी हुए और फिर कुशन साम्राज्य में ८ राजधानियां थीं। अकबर के समय में इलाहाबाद, आगरा और अवध तीन सूबे थे। शेरशाह के समय में भी तीन सूबे थे अवध, जोधपुर और सम्भल। यह कहना कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वह परम्परा से चला आ रहा है यह गलत है। इतिहास इसका समर्थन नहीं करता है। जब-जब केन्द्र प्रबल था, शासन जिस शक्ति के द्वारा होता था वह प्रबल थी, जब तक सेना प्रबल थी तब तक सूबों की संख्या कम थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब केन्द्र प्रबल होता है तो उस समय बहुत अधिक सूबे नहीं बनने चाहिये। मैं इस पक्ष में हूं कि अधिक सूबे नहीं होने चाहियें।

यू० पी० के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं जिनको मैं किसी प्रकार भी उचित नहीं समझता। यू० पी० का जहां तक सवाल है एक बने रहने का तो वह तो जनरल ऐग्रीमेन्ट है। कुछ लोग भले ही कुछ चाहते हैं मगर हमारे प्रान्त की सारी जनता, चाहे वह पूरब में बसी हुई है या पश्चिम में, उनकी यह मांग नहीं है कि इसका बंटवारा होना चाहिये। हमारे यू० पी० की जो संस्कृति है वह सारे देश की संस्कृति की प्रतिनिधि है, केवल काशी ही नहीं प्रतिनिधित्व करती है बल्कि काशी, अयोध्या और मथुरा करते हैं। जब तीनों स्थान मिलते हैं तब हमारे सारे प्रान्त का चरित्र स्पष्ट होता है। यह कहना कि पश्चिम का जो भाग है उसको अलग कर दिया जाय, अनुचित है। अलग कर देने से हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र नष्ट हो जायगा। प्रान्त के बंटवारा कर देने से जो भाग हमारे देश का प्रतिनिधित्व आज कर रहा है वह खत्म हो जायगा और हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमजोरी आ जायगी। आज देखें कि जब औद्योगिक विकास का जिक्र आता है तो हम केवल कानपुर और मुरादाबाद का ही जिक्र नहीं करते, उसमें बनारस का भी नाम आता है, इसलिए इसमें सम्पूर्णता लाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि इतने बड़े देश में किसी प्रान्त के लिए इसकी भी आवश्यकता है कि वह बैलेन्सिंग रोल अदा करे। इस दृष्टि से भी यू० पी० जैसा सुन्दर प्ले अदा कर सकता है वैसा दूसरा प्रान्त नहीं कर सकता, क्योंकि यू० पी० में कोई रेसियल प्राइड नहीं है कि हम महाराष्ट्रीय हैं या बंगाली हैं। यह बात हमारे प्रान्त में नहीं है। यहां जो लोग रहते हैं वह सभी अपने को भारतीय कहते हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि यू० पी० बैलेन्सिंग रोल बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकता है। इसलिये इसको एक बनाये रखना बहुत आवश्यक है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस दृष्टि से भी यू० पी० जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार से बनाये रहने देना बहुत आवश्यक है। आप देखें लखनऊ, मथुरा, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बनारस के आसपास की जो बोली है, वह सभी भाषायें हिन्दी भाषा को पुष्ट बनाती है तो उनका एक

[श्री हृदय नारायण सिंह]

साथ रहना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसकी भाषा पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि इसको एक रहना हमारे प्रान्त और देश के लिए बहुत हितकर होगा। सारनाथ में पहले पहल बुद्ध भगवान् ने अपने धर्म का प्रचार किया था। कबीर जब पैदा हुये तो उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया था। इसी तरह से बहराइच में मुसलमानों का एक तीर्थस्थान है। तो कहने का मतलब यह है कि धार्मिक दृष्टि से भी हमारा प्रदेश प्रसिद्ध है। इस दृष्टि से जरूरी हो जाता है कि यू० पी० का विभाजन न हो और वह एक रहे। अगर यू० पी० बांटा गया तो इस वक्त जो कानून बने हुए हैं उनको बदलना पड़ेगा और जो कान्स्टीट्यूशन बन गया है उसको भी बदलना पड़ेगा। जितने भी अच्छे कानून हमने अब तक बनाये हैं उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कि एक या दूसरी स्टेट उनको लागू करे या नहीं। मैं समझता हूं कि पणिक्कर साहब ने एक बड़ा विष का बीज बोया है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की अपील होनी चाहिए कि जो उन्होंने यू० पी० के बारे में लिखा है वह रिसाइन्ड कर दिया जाय। क्योंकि वह इस वक्त का झगड़ा तो नहीं है लेकिन भविष्य में इस तरह का झगड़ा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब लोग उसको पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि यू० पी० का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसलिये हमारे इस सदन की और दूसरे सदन की यह सिफारिश होनी चाहिए कि वह अंश रिपोर्ट से निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि यू० पी० बढ़ना चाहिए तो यह ठीक है लेकिन इसका दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर यू० पी० बढ़ भी जाय तो इससे कोई हानि नहीं होगी।

शिक्षा के बारे में जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं, मुझे आश्चर्य है कि वे सही नहीं हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। अभी थोड़े दिन हुये जब कि बम्बई के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री खेर यहां मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड देखने आये थे, तो उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की थी। यहां पर एक रूरल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो यह सब से पहली स्टेट है जहां कि एक रूरल यूनिवर्सिटी बन रही है । कहने का तात्पर्य यह है कि यू० पी० शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। पणिक्कर साहब ने जो अपना नोट आफ डिसेन्ट दिया है, सही नहीं है। सोशल सर्विसेज के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेटिक्स से मालूम होता है कि यहां खर्चा कम है, तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा मत नहीं है। जो हम इस प्रदेश में रहते हैं, जानते हैं कि सरकार क्या सोशल सर्विसेज कर रही है और कितनी सुविधायें हमें प्राप्त हैं। इन सब दृष्टियों से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश इस समय जिस रूप में है उसको वैसा ही बना रहना चाहिए। इस वक्त पूर्व और पश्चिम दोनों का विकास हो रहा है। यदि कभी पश्चिम का विकास हुआ है तो इस वक्त पूर्व को अवसर मिला है और पश्चिम को भी जरूर मौका मिलेगा। एक श्लोक है :

"तत्र को मोहः कः शोकः
एक त्वम नु पश्यतः।"

तो हम इस स्थान पर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एकता में विश्वास रखता है, वह मोह और शोक में विश्वास नहीं करता है। इसलिये यू० पी० एक रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सदन के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप** (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सब से पहले उस बधाई में शरीक होना चाहता हूं जो कि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन को इस भवन

में दी गई है। वाकई स्टेट रिम्रार्गेनाइजेशन कमीशन ने जो एमाउन्ट आफ लेबर और केयर ऐसे अहम मामले पर सर्फ किया है वह काबिले तारीफ है।

अब मैं श्री पणिक्कर के नोट आफ डिसेंट के बारे में कहना चाहता हूं। उसको पढ़ने से मुझे यह मालूम हुआ कि वह अनरियलिस्टिक और सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है। सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी इसलिये कहता हूं कि इस में हमारी स्टेट के डिवीजन की सिफारिश इस बिना पर की गयी है कि इस का बहुत बड़ा साइज है। मगर इसके साथ ही मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश और राज्यस्थान का जो साइज है, वह उत्तर प्रदेश से किसी भी हालत में कम नहीं है। ऐसी हालत में जो दूसरा प्वाइन्ट उन्होंने दिया है वह निहायत अनरियलिस्टिक है जो कि उन्होंने यह कहा कि साइज बड़े होने की वजह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिटेरियोरेशन हो रहा है। इसकी निस्बत मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट के सातवें चैप्टर में जो कुछ लिखा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रदेश की साइज पर डिपेंड नहीं करता है, मैं समझता हूं कि यह बात सही है। ऐडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर डिपेन्ड करता है कि जो लोग शासन करते हैं वे कैसे हैं। जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सेंटर पर डामिनेटिंग इनफ्ल्यूएन्स रखता है यह भी सही नहीं है और मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है और न कोई तैयार हो सकता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जो कि हाउस के लीडर हैं उन्होंने तकरीर में साफ तौर से यह कहा है कि यह अनरियलिस्टिक और अनवारेंटेड है, जो यह समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश इनफ्लूएन्स का अनड्यू ऐडवांटेज उठा रहा है। उन्होंने यह दिखलाया कि जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, वहां पर अनड्यू एडवांटेज अपनी उन्नति के लिये लेना दरकिनार रहा, बल्कि अपने सेल्फ इन्टरेस्ट को छोड़कर उसने दूसरे प्रदेशों की ओर अधिक ध्यान दिया है। जहां तक अनवारेंटेड का सवाल है तो उसकी चर्चा इस सदन के अन्दर बहुत हो चुकी है और मेजारिटी आफ मेम्बर्स ने इस बात को साबित कर दिया है इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां तक अनडिजाइरेबुल का ताल्लुक है, उसको मैं इसलिये समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का प्लैबीसाइट लिया जाय वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया में तो ५ फीसदी से ज्यादा ऐसे न होंगे जो इस डिवीजन के हक में राय देंगे और ९५ फीसदी इसके खिलाफ होंगे, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की सिफारिश क्यों की गयी है। अगर यह डिवीजन होता है तो इससे बहुत सी नई समस्यायें पैदा हो जायेंगी जिनका हल करना दुश्वार होगा। इसके अलावा फाईनेन्शियल डिफिकल्टीज पैदा हो जायेंगी क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की एकोनामी इस तरह की है कि उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों एरिया इन्टर डिपेंडेंट हैं और ऐसी हालत में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। अगर डिवीजन किया जाता है तो इससे दोनों की एकोनामी इन्टीग्रेटेड नहीं रह सकती है, उसमें तरह तरह के डिस्टरबेंसेज पैदा हो जायेंगे, जिसका दूर करना मुश्किल हो जायेगा। दूसरे अगर डिवीजन होगा तो It will impair and impede the development of the state which is going on at present. इसलिये मैं समझता हूं कि डिवीजन ठीक नहीं है।

अब रहा जो कुंवर गुरु नारायण जी का संशोधन है, मैं उसकी भी ताईद करना चाहता हूं क्योंकि इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यूनिटी आफ इंडिया कायम रहे। उसके जवाब में यह कहा गया है कि जो तहरीक लीडर आफ दी हाउस ने पेश की है उसमें यह जुज भी आ जाता है। यह कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि इस तहरीक में बहुत सी और बातें शामिल हैं जिनका तहरीक में अलहिदा भी जिक्र है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो बात कुंवर साहब ने रखी है, उस पर जोर दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं जो नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, उसकी ताईद करता हूं और उसके साथ ही कुंवर साहब की तरमीम की भी ताईद करता हूं।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, इस रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं उन चीजों को जो सदन में तीन दिन से कही जा रही हैं, दोहराना नहीं चाहता हूं और सदन का अधिक समय भी नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु एक चीज जो इस कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में आई है, और जिसका यहां पर जिक्र भी किया गया है कुछ बातें कह देना जरूरी समझता हूं। यहां पर यह कहा गया कि पश्चिमी जिलों की तरफ से यह मांग की गयी है कि हमारे प्रदेश का विभाजन किया जाय। श्रीमन्, मैं स्वयं पश्चिम जिले का रहने वाला हूं और वहीं से मैं कौंसिल के लिये चुन कर आया हूं, इसलिये मैं इस बात का खंडन करता हूं।

**(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)**

पश्चिमी जिले के लिये कहा गया कि उन लोगों की यह मांग है, तो मैं इसके लिये यह कह देना चाहता हूं कि वहां की जनता की मांग नहीं है। वहां की जनता इस बात को नहीं चाहती है। मैं तो इसको साफ अल्फाज में इस तरह से कहना चाहता हूं कि यह जनता की मांग नहीं है बल्कि यह वहां के कुछ राजनैतिक व्यक्तियों का स्टन्ट है। मैंने यह शब्द इसलिये इस्तेमाल किया है क्योंकि यह वहां की जनता की इच्छा नहीं है और न यह उसकी मांग ही है। जे० वी० पी० रिपोर्ट में भी भाषा और कल्चर का कंसीडरेशन किया गया है। जो लोग पश्चिमी जिलों के लिये इस प्रकार की मांग करते हैं उनको मैं चैलेन्ज देता हूं कि वे मेरे साथ चलें और वहां के गांव में जाकर लोगों से पूछें कि वे क्या चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हजार पीछे ५ व्यक्ति ही इसका समर्थन करते हुये मिलेंगे। मैं पश्चिमी जिले का लेजिस्लेटर होने के नाते इस बात का खंडन करता हूं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दो लाइन पढ़ कर सुना देना चाहता हूं:

"The case for division was presented to this Commission by an *ad-hoc* body described as the Western U. P., M. L. A.'s Central Committee for the Reorganization of the Uttar Pradesh. A memorandum urging the divisions was originally singned by 97 members of the Local legislative Assembly representing 16 western districts. But about 70 members subsequently disassociated themselves from this memorandum."

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से लगभग एक वर्ष पूर्व एक मेमोरेन्डम पश्चिमी ज़िले से गया था जिसमें यहां के लेजिस्लेचर के मेम्बरों के हस्ताक्षर भी थे, मैं यहां पर यह बात कह देना जरूरी समझता हूं कि उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। जिस वक्त उन लोगों से इस मेमोरेन्डम पर हस्ताक्षर कराये गये थे तो उनसे यह कहा गया था कि डेवलेपमेंट के कार्यों के लिये एक मेमोरेन्डम पन्त जी के पास भेजा जा रहा है इसलिये इस पर हस्ताक्षर कराये गये हैं। लेकिन जब बाद को यह मालूम हुआ कि यह तो एस० आर० सी० के पास जायेगा तो बहुत से लोगों ने अपने हस्ताक्षरों को वापस ले लिया। मैं आज इस मौके पर इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई मांग पश्चिमी जिलों की तरफ से नहीं है। हां, जहां तक भाषा के बेसिस पर प्रांत बनाने का सवाल है, यह सही है कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भाषाओं के मामले में इस बात का समर्थन किया है और इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है कि हम भाषा के आधार पर प्रान्तों को निर्माण करें। लेकिन कभी भी इस मौके पर उत्तर प्रदेश को बांटने की बात नहीं सोची गई है और न इस प्रदेश में कहीं दो भाषाओं का प्रश्न है। इस प्रदेश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक ही भाषा बोली जाती है, हां लिपियों में अन्तर अवश्य हो सकता है। कल एक महानुभाव उर्दू की बात कह रहे थे लेकिन जिस तरह से यहां हिन्दी बोली जाती है उसी तरह से उर्दू बोली जाती है और इसमें भाषा का फर्क नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेता है और जब तक एक व्यक्ति दूसरे की भाषा न समझ सके हम उसे दूसरी भाषा नहीं कह सकते हैं। इस प्रदेश में दो, चार और छः लिपियां हो सकती हैं लेकिन बोल-चाल की भाषा तो सिर्फ एक ही हो सकती

है और वह यहां एक सिरे से दूसरे सिरे तक बोली जाती है। कुछ यह भी कहा गया कि संस्कृति के आधार पर इस तरह की मांग की जाती है, तो मेरा कहना है कि यहां की संस्कृति और कल्चर दो नहीं है। हम आज यहां के सम्बन्ध में दो कल्चर बतला कर राम और कृष्ण की इकाई को अलग करना चाहते हैं तथा मथुरा और काशी को अलग करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की संस्कृति एक ही रही है और आगे भी एक ही रहेगी। इस लिये संस्कृति के आधार पर मांग करना मैं समझता हूं कि किसी तरह से उचित नहीं है। यह भी कहा गया कि चूंकि इस स्टेट का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिये यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुये, इसे काट देना चाहिये। मैं इन बातों को आपके सामने पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कमीशन ने स्वयं कहा है कि कोई स्टेट बड़ी है इस आधार पर उसके विभाजन का ख्याल नहीं हो सकता है। बल्कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की बड़ी स्टेट देश के निर्माण में एसेट हो सकती हैं और ये बड़ी-बड़ी स्टेट देश को आगे बढ़ाने में सहायता दे सकती हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, लेकिन इसने कई मसलों में और प्रदेशों से अच्छा काम किया है और देश को लीड किया है। हमारे यहां पंचायत-राज रिफार्म हुआ है, चकबन्दी हुई है और भी कई काम होने जा रहे हैं और इस तरह से प्रदेश ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किये हैं। यह कहना कि ऊंट की गर्दन बड़ी है, इसलिये काट दी जाय, यह ठीक नहीं है। चूंकि यू० पी० का एरिया बड़ा है, इसलिये इसका विभाजन कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। एक बात यह भी कही गई कि यू० पी० का प्रभाव देश में छाया हुआ है, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आज तक किसी ने भी यह बात नहीं कही और आज ही लोगों के अन्दर इस तरह की भावना पैदा की जा रही है और आज ही यह बात हम लोगों के सुनने में आई है कि देश पर यू० पी० का इस तरह से प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह भावना जनता में नहीं है बल्कि जनता के कथित नेताओं ने आज इस तरह की भावना लोगों में पैदा करने की कोशिश की है।

यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें कही जाती हैं क्योंकि यू० पी० के लोग सेंटर में ज्यादा हैं, इसलिये यह बात है। मगर मैं कहता हूं कि वे तो अपनी योग्यता के आधार पर ही वहां ज्यादा हैं और उन्होंने बहुत त्याग और सेवायें की हैं तो यह बहुमत के आधार पर नहीं है। वहां लोक सभा में ४९९ में से यहां के ८६ सदस्य हैं और राज्य सभा में २१६ में से ३१ उत्तर प्रदेश के हैं, तो यह संख्या कोई ज्यादा नहीं है। आज हम वह चीज करना चाहते हैं जो कि इस प्रदेश के रहने वाले नहीं चाहते हैं। वैसे अगर देश के लोग किसी बात पर उतारू हों, तो वे उसे अवश्य कर लेंगे और फिर उसमें यहां के ८६ सदस्यों का सवाल नहीं आयेगा। इस तरह की बात करना मेरी समझ में गलत है। यह भी कहा जाता है कि इस प्रदेश के रहने वाले पन्त जी व नेहरू जी हैं। कुछ लोगों ने स्वीकार किया है कि नेहरू जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यह बात ठीक भी है लेकिन मैं उनको सिर्फ इस प्रदेश का ही मानने के लिये तैयार नहीं हूं। नेहरू न इस प्रदेश के हैं, न इस देश के हैं बल्कि वह समस्त विश्व के हैं, वह मानवता के प्रतीक हैं। उनको एक प्रदेश में बांध लेना बड़ी गलत सी चीज है। हम ही क्या आज सारा संसार उनको विश्व का नेता मानता है। इतनी बड़ी महान आत्मा को एक प्रदेश में बन्द करके हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। उनकी आवाज के पीछे उत्तर प्रदेश में जितने आदमी दौड़ते हैं उतने ही मद्रास में भी दौड़ते हैं। नेहरू जी जो बात उत्तर प्रदेश में कहते हैं वही बात मद्रास में कहें तो वहां भी लाखों आदमी उसको मानने के लिये तैयार रहते हैं। ऐसी सूरत में उनको सिर्फ एक प्रदेश का कहना गलत चीज है। यह सही है कि हमारे प्रदेश ने काम किया है, यहां के नेता मेहनत करते हैं, हम इस देश को सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी में लाना चाहते हैं। विगत पंचवर्षीय योजना में जो काम हमारे प्रदेश ने किया है, मैं समझता हूं कि उन कामों को दृष्टि में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के सब सूबों से आगे है। ऐसी सूरत में अगर कोई वर्ग जैलसी करता है तो मैं समझता हूं कि बजाय जैलसी करने के उनको अपने अन्दर क्षमता पैदा करना चाहिए कि वह अगुवाई का कार्य कर सकें।

[ श्री प्रेम चन्द्र शर्मा ]

जहां तक उत्तर प्रदेश को बांटने का दूसरा सवाल है मैं उस मनोवृत्ति को अपने विचार से बड़ी गलत समझता हूं। हमने बंटवारे का बड़ा कड़ुवा अनुभव किया है। हमने देखा है कि बंटवारे से पहले जो भाई एक घर में रहते थे, एक जगह खाते-पीते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, बंटवारे के बाद उनकी वह सब भावनायें चली गयीं और प्रतिद्वन्दी के रूप में वह एक दूसरे को खाने के लिये तैयार हो गये और इसके लिये जो खमियाजा इस देश को उठाना पड़ा उसको हम भूल नहीं सकते। बंटवारे के नाम पर कितनी खून खराबी हुई जिसको हम भूल नहीं सकते। हमारी मेमोरी इतनी छोटी है कि वह सब भूल गये और इस प्रदेश में भी बंटवारा कराना चाहते हैं। आज हमको दिखलाई पड़ता है कि एक दूसरे का ऐडमिनिस्ट्रेशन अलाहिदा हो जायगा लेकिन मैं कहता हूं कि बंटवारे के बाद आप देखेंगे कि एक दूसरे से लड़ने की बात सोचेंगे। एक दूसरे से आगे बढ़ कर अपने-अपने क्लेम्स करेंगे। इसकी तरफ इन माननीय नेताओं ने ध्यान नहीं दिया जो बंटवारे की बात कहते हैं। अतः बंटवारे की मेंटेलिटी को मैं पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के बंटवारे की मेंटेलिटी से मिलाता हूं। अपना प्रदेश एक शक्तिशाली प्रदेश है और कोई भी शक्तिशाली प्रदेश केंद्र के लिये बड़ी देन है।

हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े काम हुये हैं। अभी थोड़े दिन हुये हमें रेहिन्द डैम देखने का मौका मिला। मैं सोचने लगा कि अगर विरोधी लोग यहां पर लाकर खड़े कर दिये जायें तो वह समझ सकेंगे कि हमारा प्रदेश शक्तिशाली है उसी के परिणामस्वरूप इतने बड़े काम कर सकना संभव हो रहा है। अगर वह चुर्क सीमेंट फैक्ट्री को देखें तो मैं समझता हूं कि वह अपनी राय बदल देंगे। वह समझ सकेंगे कि भारतवर्ष के अपने प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। बात करते-करते मालूम हुआ कि रेहिन्द डैम में जितनी कंक्रीट और सीमेंट लगने वाली है अगर यहां से लेकर इंगलैन्ड तक एक सड़क बनाई जाय तो उसमें जितनी कंक्रीट और सीमेंट लगेगी उतनी रेहिन्द डैम में भी लगेगी। आज जो सबसे बड़ी मुख्य चीज है वह सिक्योरिटी आफ नेशन की है। वह भी इस प्रदेश से संबंधित है क्योंकि हमारा प्रदेश चीन की सीमा से मिलता है, तिब्बत की सीमा से मिलता है और नैपाल की सीमा से मिलता है। बार्डर को सुरक्षित रखने के लिये हमेशा यही जरूरी नहीं है कि फौजें ही रखी जायं बल्कि जो यहां के रहने वाले हैं उनको वह सुविधायें दी जानी चाहिये, उनको पेट भर खाना देना चाहिये जिससे कि वह बार्डर की रक्षा कर सकें। अगर उनको यह चीजें नहीं दी जाती हैं, अगर उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है तो बार्डर की रक्षा होना बड़ा कठिन हो जायगा। अगर हम इस प्रदेश का बंटवारा कर दें तो हो सकता है कि यह प्रदेश उतना सम्पन्न न रह जाय और हम बार्डर के रहने वालों को खुशहाल न रख सकें और इस तरह से हमारा बार्डर सुरक्षित न रह सके।

अब मैं दो एक शब्द और कह कर समाप्त करूंगा। प्रांतीयता और जातीयता हमेशा छोटे यूनिट्स में पाई जाती हैं। जहां-जहां छोटे यूनिट्स होते हैं वहां प्रांतीयता और जातीयता होती है। यदि कोई यूनिट छोटा है तो वहां प्रांतीयता मिलेगी और अगर उससे भी छोटा है तो वहां और अधिक जातीयता मिलेगी। हम म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव के समय जातीयता पाते हैं लेकिन जब पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो वहां जातीयता नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरीके से छोटे यूनिट्स में प्रांतीयता और जातीयता बहुत पनपती है। हमारे उत्तर प्रदेश की यह परम्परा रही है कि कोई भी यहां आ जाय, हम उनको स्वीकार करते हैं और उनको बराबरी का दरजा देते हैं। हमारे यहां प्रांतीयता या जातीयता का कोई सवाल कभी नहीं रहा है। हमारे इसी सदन में बंगाली भी हैं, मद्रासी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं और पंजाबी भी हैं लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचते कि वे किसी दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। हममें इतना बड़ा माद्दा है कि हम दूसरे प्रदेशों के रहने वालों को अपने में मिला लेते हैं। इस तरह से बंटवारे की बात अगर की जाती है और यू० पी० का बंटवारा होता है तो यह एक छोटा यूनिट हो जायगा और इसमें प्रांतीयता और जातीयता बढ़ सकती हैं। इस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि एक बिगर यूनिट स्मालर यूनिट से अच्छा होता है।

इसके बाद हम देखते हैं कि आज पूर्व और पच्छिम का विवाद खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत छोटी चीज है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं मैं समझता हूं कि वह अपने अन्दर एक विषैले कीटाणुओं को जन्म देते हैं जो बड़ी हानि कर सकते हैं। जो पूर्वी जिलों के रहने वाले व्यक्ति हैं वह ब्रिटिश काल में बिल्कुल नेगलेक्टेड रहे हैं। उनकी तरफ ब्रिटिश हुकूमत ने देखा ही नहीं। वहां यातायात के साधन नहीं, वहां सिंचाई के साधन नहीं। तो आज अगर यह प्रजातंत्र सरकार जो यहां कायम हुई है अगर वह उनको कोई सुविधा देती है, अगर वह उनके जीवनयापन के लिये साधन जुटाती है तो कोई बेजा बात नहीं है। अगर हम उनको वह साधन नहीं देते हैं जो हमें प्राप्त हैं तो फिर यह पूंजीवाद होगा। आज हम हरिजनों को उठाने की बात करते हैं, छोटे लोगों का स्तर उठाने की बात करते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम इन चीजों को न करें। क्या हम इन अपने प्रदेश के रहने वालों को यों ही पड़ा रहने दें। इसलिये मेरे विचार में पूर्व-पच्छिम की जो बात करते हैं वह मानवता के स्तर से अपने को गिराते हैं।

अब मैं कहना चाहता हूं कि तीन पक्ष यहां हैं। एक तो माननीय नेता सदन का प्रस्ताव है कि हम एस० आर० सी० रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। दूसरे यह चाहते हैं कि विभाजन हो, तीसरे यह चाहते हैं कि कुछ और भी जिले दूसरे प्रदेशों के हमारे प्रदेश में मिलाये जायं। दूसरे प्रदेशों के जिले उत्तर प्रदेश में मिलाये जायं, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं यह इच्छा न करें कि हम अपनी तरक्की के लिये यू० पी० में मिलना चाहते हैं। आज अगर हम दूसरे प्रदेशों के कुछ हिस्से लेना चाहते हैं तो कल यह भी हो सकता है कि दूसरे प्रदेश हमारे सूबे के कुछ हिस्सा हड़पने की कोशिश करेंगे। जहां तक बटवारे की बात है वह तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रदेश से मुहब्बत है वह कभी इसका समर्थन न करेगा। अब एक ही चीज बाकी रह जाती है वह यह कि जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने यहां पर प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन इसका समर्थन करेगा।

**श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी** (नामनिर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है उसके ऊपर विचार करने के लिये हमें जिन दृष्टियों की आवश्यकता है उनमें सबसे प्रथम यह है कि यह देश के भविष्य से सम्बन्ध रखता है। अभी तक हमारे देश में २७ राज्य थे। परन्तु अब नयी व्यवस्था से १६ रह गये हैं। देश के लिये यह बहुत ही हितकर है। आज कल डेमोक्रेसी के जमाने में शासन का व्यय बहुत बढ़ता रहता है और वह जहां तक कम किया जा सके कम करना चाहिये। छोटे-छोटे राज्य उठा दिये गये हैं। वह बहुत अच्छा हुआ है। कारण यह है कि जितने भी छोटे राज्य हैं वह चाहते हैं कि वहां भी कौंसिल हो, असेम्बली हो और हाई कोर्ट होना चाहिये। इससे जो खर्च बढ़ता है, इसको न बढ़ने देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि 'बी' स्टेट्स को 'ए' स्टेट्स के बराबर कर दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद 'ए' स्टेट्स में और कुछ 'बी' स्टेट्स में शिक्षा के कारण कुछ ऐसे नेता निकले जो शिक्षित होने के कारण राज्य का संचालन अच्छी तरह से करते थे, यद्यपि उनको शासन का कुछ भी अनुभव न था। परन्तु 'सी' स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें शिक्षा की कमी के कारण अच्छे नेता नहीं निकल सके जो पुराने शासक बी राज्यों में थे एक किनारे जाकर बैठ गये और बाकी को शासन का कुछ ज्ञान नहीं था और न शिक्षा ही उनमें थी सामने आ गये इसलिये वह उतने सफल सिद्ध नहीं हो पाये, इससे शासन-व्यवस्था ठीक-ठीक नहीं चली। इसलिये यह 'सी' स्टेट्स का उठा देना बहुत ही उत्तम हुआ। अब एक ही ऐसी स्टेट बाकी रह गई है, वह दिल्ली स्टेट है। मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि यह दिल्ली स्टेट भी क्यों रहने दी जाय। लार्ड हार्डिंग्स के समय में सन् १९१० में जब कलकत्ते में हिन्दू-मुसलमानों का

[ श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ]

दंगा हुआ था तब वहां लगातार ७ रोज तक बाजार बन्द रहा उस समय वहां वाइसराय मौजूद थे, लेफ्टोनेन्ट गवर्नर मौजूद थे और कमांडर इन चीफ भी मौजूद थे इनके रहते हुये भी वहां दंगा हुआ और सात रोज तक बाजार बन्द रहा। सरकार ने यह तय किया कि यहां से राजधानी हटा दी जाये और वाशिंगटन की तरह राजधानी कर दी जाय। परन्तु बाद को दिल्ली भी एक स्टेट बना दी प्रादेशिक सरकारों के क्षेत्र से बाहर, पर दिल्ली स्टेट को कोई काम अपने मन से करने का अधिकार नहीं दिया गया, वह बिना सेंट्रल की राय लिये कुछ काम नहीं कर सकती। उसको बहुत सी बातों के लिये सेंटर से राय लेनी पड़ती है। इसका फल यह हुआ कि दिल्ली स्टेट के जो संचालक थे उनको सन्तोष नहीं हुआ और जनता को भी संतोष नहीं हुआ। मैंने दिल्ली के बारे में पढा कि वहां की जनता दिल्ली राज्य नहीं चाहती परन्तु जो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं वह चाहते हैं कि दिल्ली स्टेट रहे। तो जहां तक आन्दोलन की बात है स्टेट के सम्बन्ध में हो या मर्जर के संबंध में हो उन सब आन्दोलनों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अपने को भी कुछ मिलना चाहिये। अगर अपने को नहीं मिला तो अच्छा नहीं है। इसलिये स्टेट वाले आन्दोलन करते हैं। अभी जैसे हिमांचल प्रदेश का आन्दोलन है उसके भीतर से पता चलता है कि कुछ निहित स्वार्थ हैं ऐसा ही दिल्ली में है और दूसरी जगहों में भी है। फल यह होता है कि जनता की हानि होती है और देश की भी हानि होती है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अपना लाभ सिद्ध होना चाहिये चाहे देश जहन्नुम में जाय। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उससे देश की हानि हो रही है। इस दृष्टि से जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमको प्रसन्नता होती है।

कहां तक कहें कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां होम मिनिस्टर दर्जा २ तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि पार्टी के आदमी हैं इसलिये होम मिनिस्टर हो गये। इसलिये शासन को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि "सी" स्टेट्स उठा दी जायं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो मर्जर का प्रस्ताव हुआ है वह अच्छा है। आज भोपाल, विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत इन सबके मर्जर की आवश्यकता है, क्योंकि वहां नेतृत्व ऐसा नहीं है जो कि शासन की बागडोर संभाल सके। जो योग्य हैं वह हैं। पार्टी सरकार है जो आगे बढ़ जायेगा वह बढ़ जायेगा। इस दृष्टि से तो "सी" स्टेट्स का उठाया जाना ठीक है। "बी" स्टेट्स को जब तक "ए" स्टेट्स की समानता नहीं मिलेगी तब तक लाभ न होगा और इस रिपोर्ट में यह बात है, इसलिये हमको इसे स्वीकार करना चाहिये। आन्दोलन की सब बातें ठीक नहीं होती हैं। जहां अपने प्रतिकूल बात होती है जैसे तैलंगाना और आन्ध्र इन दोनों का मिलना चाहिये परन्तु कहा गया है कि ५ साल तक अलग रहना चाहिये। यह सम्भव है कि आगे चलकर तैलंगाना वाले भी अपना वेस्टेड इन्स्ट्रेस्ट (निहित स्वार्थ) बना लें। इसलिये अभी मर्जर हो जाता है तो अच्छा है। अगर ऐसा छोड़ दिया जायेगा तो अच्छा न होगा। बाद में आन्दोलन जोर पकड़ जायेगा तो संभालना मुश्किल हो जायेगा।

तीसरी बात बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र की है। विदर्भ राज्य बनाया है उसको महाराष्ट्र में मिलना चाहिये परन्तु इसमें भी स्वार्थ है। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है उसे अलग चाहते हैं जो महाराष्ट्री नहीं है स्वार्थी हैं देश की रक्षा होनी चाहिये, नहीं तो भारतीयता की रक्षा नहीं हो सकती। गुजरात का अलग प्रदेश बनना चाहिये महाराष्ट्र का अलग प्रदेश बनना चाहिए, परन्तु बम्बई जो है वह महाराष्ट्र का अंग है उसको अलग करना ठीक नहीं है। बम्बई में कुछ गुजरातियों की मिलें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो महंती चाहते हैं। उन महंतों को मैं जानता हूं लेकिन नाम लेना आवश्यक नहीं है। जो महंती चाहते हैं उनसे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। उनकी महंती नहीं होनी चाहिए। देश को जितना दृढ़ होना चाहिये उतना किया जाय तभी हमारी भलाई है।

दूसरे राज्यों की बात तो हो गई। अपने प्रान्त के बारे में कहा गया है कि विभाजन होना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ मिल जाय। इस तरह की बातें पोलिटिक्स में देखी जाती हैं। वास्तव में देश की एकता के लिये जो आदमी देश के लिये मरते थे वे अब मरते नहीं हैं। अब वे लोग स्वार्थ के लिये जीते हैं चाहते हैं कि देश से जितना लाभ हो सके उठा लें। इस कारण की भावना से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जब लोग अपने स्वार्थ को देश पर न छोड़ देंगे और जब तक देश में स्वार्थ की भावना न होगी तब देश में दृढ़ता आयेगी। देश का बड़प्पन इसमें है कि सब लोग अपने को भारतवासी कहें। यह नहीं कि बंगाल का रहने वाला अपने को बंगाली कहे और पंजाब का रहने वाला पंजाबी कहे। इस भावना को मिटाना चाहिए। एक पुराना उदाहरण है—हालांकि उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब अजातशत्रु ने वज्जियों पर हमला किया उसके पहले वज्जी लोग बड़े मेल से रहते थे पर उनके राज्य पर अधिकार करने के लिये अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार ने उनमें फूट डाल दी। लोगों में भेद उत्पन्न हो गया। जब अजातशत्रु की सेना गंगा पार करने लगी और देश रक्षा के लिये बिगुल बजाया गया तब किसी ने अजातशत्रु की सेना का सामना नहीं किया और वज्जियों पर मगध की सत्ता स्थापित हो गयी। हमें ऐसी फूटसे सावधान रहना चाहिये, उसका दमन कर्तव्य है। वास्तव में यह जो १६ जिलों के स्वतन्त्र प्रदेश का आन्दोलन है उसके मूल में क्या है, कुछ भी नहीं है। वहां की जनता कहती है कि हमारे यहां कोई आन्दोलन नहीं है। केवल एसेम्बली के लोग ऐसा कहते हैं। उनके जो चुनावकर्ता हैं वे क्या कहते हैं हमें यह देखना है। यहां जो कौंसिल और एसेम्वली में आये हैं वे जनता के रिप्रेजेन्टेटिव प्रतिनिधि बन कर आये हैं। उनके जो चुनाव करने वाले हैं यह चीज वे स्वीकार करते हैं या नहीं यह हमें देखना है। यदि चुनाव करने वाले कहें कि विभाजन होना चाहिये तो ठीक है। पर वे नहीं कहते फिर विभाजन क्यों किया जाय। अपने मन से सब मालिक बन गये हैं, इसलिए जब तक देश उसे नहीं मानता, देश की जनता नहीं मानती, तब तक उनका कोई अधिकार नहीं है कि वे बंटवारे की बात करें और न हम उसे सुनने को तैयार ही हैं। हां, जब वे जनता से मैनडेट लावें तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। इसलिए विभाजन की बात में कोई तत्व नहीं है। केवल स्वार्थ की चीज है। अगर हम उस भावना को नहीं मिटा देते हैं तो वह आगे चल कर बढ़ेगी और देश को नष्ट करेगी। इसलिए उसको नष्ट करना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि अगर विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश हममें मिलना चाहते हैं तो हमें मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। वह मिलना चाहते हैं तो वह मिलें। मैं नहीं चाहता और न कोई व्यक्ति ही इसको चाहेगा कि बिना किसी की इच्छा के हम उसे मिला लें। जहां मैं इस बात को कहता हूं कि हम बिना किसी की इच्छा के किसी को मिलाना नहीं चाहते वहां मैं इस बात को भी कहता हूं कि हम किसी को जबर्दस्ती लाने के लिये तैयार नहीं हैं। कोई आना चाहता है तो यहां कोई रोक नहीं है खुशी से आवे। इसके साथ ही साथ जो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश कट जाय और कट कर दूसरे प्रदेश के साथ चला जाय तो उनके लिए भी मेरा यह कहना है कि ऐसे विचार वाले लोगों से हमारे देश का हित होने वाला नहीं है इसलिए उनसे हमें होशियार रहना चाहिये। जहां तक पणिक्कर साहब के नोट का सवाल है जो उन्होंने अपने नोट में उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये लिखा है उसका कारण आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं जानता हूं कि पणिक्कर साहब के कान बंगाल और तामीलनाद में यू० पी० के खिलाफ काफी भरे गये इसलिए कि वह हिन्दी के विरोधी हैं। वह चाहते हैं कि अगर यू० पी० का विभाजन हो गया, क्योंकि यह हिन्दी का प्रदेश है, तो हिन्दी की शक्ति घट जायगी।

एक कहावत है, एक गांव में दो लड़के थे, एक नटखट और दूसरा सीधा था। उस गांव में एक काली माई का स्थान था। एक दिन नटखट लड़का काली माई के यहां पेशाब कर आया तो काली माई ने लड़के की मां को स्वप्न में बताया कि अगर अपने बदमाश लड़के को ठीक नहीं करती हैं तो मैं तुम्हारे सीधे लड़के को खा जाऊंगी। तो उसी तरह से यह लोग हैं जो बिहार से चिढ़कर हिन्दी के भी विरोधी हो गये हैं और इसीलिए

[श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी]

वह हमारे प्रदेश का विभाजन चाहते हैं। यह एक सीधी बात है कि हम विभाजन नहीं चाहते हैं। जो लोग विभाजन चाहते हों सबूत दें कि १६ जिलों की जनता विभाजन चाहती है जब सबूत मिल जायेगा तभी विभाजन हो सकेगा अन्यथा नहीं। इससे अधिक और मैं नहीं कहना चाहता।

* श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यू० पी० के डिवीजन के बारे में रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद से लेकर अभी तक यहां के सभी जिम्मेदार लीडरान, पब्लिक के लोग, पोलिटिकल पार्टियों और प्रेस ने अपने अपने कमेंट्स किये हैं। अब उसके बाद न कोई बड़ी भारी गुंजाइश रह गयी है कि कुछ अर्ज किया जाय। लेकिन हमारे कांस्टीट्यूशन में एक चीज प्रोवाइड की गयी है कि इस तरह के जो हेरफेर हों उसके लिये प्राविंशियल हुकूमतों की भी राय लेनी जरूरी हैं। इसलिये मैं उसको अर्ज कर रहा हूं, जरूरी समझकर नहीं बल्कि एक फारमेलिटी के तौर पर। यह एक सीधा सादा और साफ सवाल है लेकिन इसको जानबूझ कर उलझाने की कोशिश की गयी है। वाकया यह है कि कमीशन के सामने दरअसल पहले ९७ मेम्बरों ने याददाश्त पेश किया था। लेकिन बाद में ७० मेम्बरों ने उसको वापस ले लिया। उसमें जो तर्क दिये गये हैं और सरदार पणिक्कर साहब ने जिन आर्गूमेंट्स को पेश किया है, उनका नेचर यह है :--

१--चूंकि यू० पी० एक बड़ा सूबा है इसलिये उसका इन्तजाम अच्छा नहीं हो सकता है।

२--पूर्वी जिलों के नुमाइन्दों का सरकार पर काफी असर है इसलिये पश्चिम वाले उनके मुकाबिले में ज्यादा फायदा नहीं उठाते हैं।

३--पश्चिमी यू० पी० और पूर्वी यू० पी० के कल्चर में काफी फर्क है।

४--एक बात तरमीम के तौर पर इस हाउस में लायी गयी है कि चूंकि अंग्रेजों ने अपने खास मकसद के लिये मौजूदा उत्तर प्रदेश को ऐसी शक्ल दी थी, जो कि हमारे सामने है। लेकिन इस वक्त हालत का तकाजा यह है कि नया सूबा कायम किया जाय।

जहां तक यह आर्गूमेंट है कि पूर्वी जिले के नुमाइन्दों का काफी असर है तो उस पर काफी बहस की गयी है और उस पर अब वक्त जाया करना नहीं चाहता। इसके बाद जो कल्चरल नुक्तेनिगाह की बात कही गयी है तो इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसके विषय में भी ख्यालात जाहिर किये जा चुके हैं लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। हकीकत तो यह है कि कल्चर और संस्कृति कोई ऐसी मुस्तकिल चीज नहीं है जैसा कि इस हाउस में सिटिंग का बन्दोबस्त एक मुस्तकिल चीज नहीं है। इसमें वाक्यात और हालात का भी असर पड़ता है और जमाना नयी जरूरतों को पेश करता है, उनका भी असर पड़ता है। अगर कल्चर का ही तकाजा है तो आज से १०० वर्ष पहले की इमारतों को देखा जाय और जो आजकल की इमारतें हैं, उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि कितना फर्क है। जो हमारे इस सेक्रेटेरियेट की इमारत है और जो इतनी ही बड़ी पुराने जमाने की इमारतें हैं उनमें कितना फर्क है। कहने का मतलब यह है कि कल्चर एक स्थायी चीज नहीं है। इसलिये जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि छोटी-छोटी बातों को कल्चर की बात कह कर इस तरह के नतीजे निकालना ठीक नहीं है। हो सकता है कि पूर्व और पश्चिम के जिलों के रहने वालों में थोड़ा बहुत फर्क तहजीब और कल्चर से हो लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम इस प्रदेश का बंटवारा कर दें। हमने टू नेशन थ्योरी की मुखालिफत किस बेसिस पर की थी, वह इसी बेसिस पर की थी। इसलिये मेरा कहना यह है कि कल्चरल बेसिस पर यू० पी० का बंटवारा नहीं होना चाहिये।

जहां तक इस दलील का ताल्लुक है कि चूंकि अंग्रेजों ने अपने खास मकसद की पूर्ति के लिये इस सूबे को ऐसे रूप में ढाल दिया था, जिसका कि नक्शा हमारे सामने है, इसलिये साइंटिफिक

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तकाजा है कि इसका बंटवारा होना चाहिये, तो मैं हुजूरवाला के जरिये से इस हाउस के मेम्बरान का ध्यान उस जमाने की ओर ले जाना चाहता हूं, जब कि हम लोग नारा लगाते थे कि हिन्दुस्तान आजाद होना चाहिये तो उस समय अंग्रेज यही कहा करते थे कि चूंकि यहां की जबानें अजीब हैं और दूसरे से नहीं मिलती हैं और इनका कल्चर भी एक दूसरे से नहीं मिलता है इसलिये ये अभी आजादी के काबिल नहीं हैं। वे कहा करते थे और बाहर के देशों में प्रोपेगंडा करते थे कि यहां के लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझते हैं और न मालूम कहां के बासिन्दे आ करके इस देश में बस गये हैं और यहां के रहने वाले तो एक दूसरे की गरदन काटने वाले हैं।

मजहबी तौर पर तकाजा यह नहीं है कि यहां के रहने वालों को एक दूसरे की गरदन को काटना जरूरी है और दूसरे देशों में देखिये, उनमें इतना मतभेद है, जितना कि योरोप के और देशों में नहीं है। हिन्दुस्तान के बारे में अक्सर ऐसी बात नहीं कही जा सकती है लेकिन फिर भी इस तरह हिन्दुस्तान के बारे में बातें कही जाती हैं कि जैसे हिन्दुस्तान बीसों देशों का मजमुआ है। मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि जरा वह लोग जो ऐसे तरीकों से यहां के लोगों को बहका रहे हैं और अंग्रेजी हुकूमत का प्रचार कर रहे हैं और जो यह कहते हैं कि यह चीज कल्चर के खिलाफ है, तो आज से दस साल पहले जिस चीज की वह मुखालिफत किया करते थे आज उसी को वह एख्तिलाफ की नजर से देख रहे हैं। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की बात का ख्याल करते हैं वे जरा ठंडे दिमाग के साथ सोचें। उनको शांति के साथ किसी बात का कहना चाहिये। उनको यह सोचना चाहिये कि यहां के लोगों के सोचने और समझने के जो तरीके हैं, जो ढंग हैं, उनको किस सांचे में ढालना चाहिये और तब उनको कोई बात कहनी चाहिये।

इसके बाद ऐसे मौके पर मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस हाउस की तरफ से वाकया यह है कि हमें कमीशन के चेयरमैन फजल अली साहब और श्री हृदय नाथ कुंजरू को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने कम से कम अपने सूबे के लोगों के दिलों की आवाज को पहचाना और उनकी आवाज को अपने दिलों में जगह दी। वरना अगर खुदा न खास्ता यह सूबा बंट हो गया होता या इसका आपरेशन हो जाता तो इस पूरे सूबे का हार्टफेल हो जाता और फिर उसकी लाश के ऊपर लोगों का झगड़ा होता, ठीक उसी तरह से जैसे उड़ीसा में हुआ है या बम्बई में हुआ है। इस तरह से यह सूबा एक आनारकिस्ट हो जाता, जो कि आज किसी सूबे में नहीं है। वैसे तो हम पणिक्कर साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद अपना ख्याल लोगों के सामने रखा और इस तरह से अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार किया लेकिन जो उन्होंने ख्याल जाहिर किया है, उससे अब एक खतरा पैदा हो गया है, जिसकी ओर कि हाउस को ध्यान देना चाहिये कि अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा आज नहीं हुआ और चाहे आज हो या न हो लेकिन नियर फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त आ सकता है तो अगर लोगों के जहन से इस बात को बिल्कुल ही दूर नहीं किया गया तो यह सूबा महफूज नहीं रह सकता है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, वैसे तो मैं दूसरे मुल्कों का बयान नहीं करना चाहता था लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर ध्यान दिये बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं। मसलन पाकिस्तान के अन्दर दो यूनिटें बन गयीं, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। उनके दिमागों में भी इस बात को भर दिया गया था और बुनियादी तौर पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का यह मसला पेश हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान अपना पुरजोर असर रखता है और यह पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी हुकूमत करना चाहता है और उन लोगों का यह ख्याल बना कि इलेक्शन के जरिये से, जबान के जरिये से, सरकारी मशीनरी में यह लोग घुसे हुये हैं और उनके जरिये से यह हुकूमत करना चाहते हैं जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर दो यूनिटें बन गयीं। इसी तरह से अगर आज यू० पी० का बंटवारा नहीं होता है, तो कल यह बात हो सकती है। क्योंकि पणिक्कर साहब ने अपने नोट में जिस बात का जिक्र किया है और जो जुबानों का तजकिरा उन्होंने किया है वह अपनी बुनियाद बना चुकी है और अगर आज ही लोगों के जेहन को साफ नहीं किया गया तो यहां पर भी इस तरह की दो यूनिटें हो जायेंगी।

[ श्री अब्दुल शकूर नजमी ]

इसके बाद जो दूसरी बात कमीशन ने लिंग्विस्टिक की कही है, उसमें माइनारिटीज़ की तरफ भी ध्यान दिलाया है, मैं समझता हूं कि यह जरूरी हो जाता है कि उन लोगों की जो स्टेट के अन्दर १५ या १६ फीसदी की तादाद में हैं, भी आवाज हो, उनको भी इलेक्शन की स्वतंत्रता हो और कोर्ट तथा अदालतों में अपील करने या दरख्वास्त करने के लिये उनको इस बात की सुविधा होनी चाहिये कि उनको अपनी जुबान में काम करने का पूरा-पूरा अख्तियार हो और उनको इस बात के लिये मौका देना चाहिये, इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर हमें हालात को देखना चाहिये।

इसके बाद जो मेरी गुजारिश की मंशा है, वह यह है कि इसके लिये दुनिया का तकाजा है कि जो बाकी काम पड़ा हुआ है--जैसे इलेक्ट्रिक के लिये पावर हाउस बना लिये हैं, गंगा नहर या शारदा नहर कायम कर दी गई हैं, तो क्या उन सब बातों को देखते हुये आज यह बात ठीक है कि प्रांत का विभाजन किया जाय? मेरा तो ख्याल है कि यह सूबा हमेशा एक ही रहेगा। वैसे तो आज यह समय नहीं है कि यहां पर बड़ी-बड़ी लेक्चरबाजी की जाय, पोलिटिकल स्टन्ट इसको बना देना कहां तक ठीक है। मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन हुये आगरे में एक कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें सब पोलिटिकल पार्टी के लोग बुलाये गये थे और काफी जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर आये थे। मुझे भी वहां से बुलावा आया था। मैं भी वहां पर गया था, मुझसे वहां पर दूसरी पार्टी के लोगों से बातचीत हुई। उन से बातचीत के दौरान में यह मालूम हुआ कि उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि अब हमारे लिये तो कुछ नहीं बाकी रह गया है, जितने नारे थे वह तो जवाहरलाल जी ने ले लिये हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा रह गया था, वह भी कांग्रेस ने अपना लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमको लोगों के दिलो दिमाग को बदलने की जरूरत है। उनके दिल में प्रेम और मुहब्बत का जज्बा पैदा करना है ताकि वे एक दूसरे के साथ हमदर्दी कर सकें, एक दूसरे की मुसीबत के वक्त काम आ सकें, एक दूसरे का दुख दर्द सुन सकें और उसे दूर कर सकें। आज इस बात की जरूरत है कि इन्सान के दिल में इन्सानियत का जज्बा पैदा किया जाय, उनके दिमाग में ऐसे ख्यालातों को पैदा किया जाय, जिस से वे वतन परस्त बन सकें और अपने देशवासियों के साथ हमदर्दी कर सकें।

श्री गोविन्द सहाय जी ने जिस नुक्तेनजर से अपने प्रस्ताव को पेश किया है, उसको मैं ठीक नहीं समझता हूं, इसलिये मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। आज इस साइन्टिफिक दौर में, बिजली के जरिये से अंधेरी रातों को उजाले में बदल दिया गया है लेकिन यह मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के जमाने में लोगों के दिलों में जो उजाला था, वह अंधेरे में बदल गया है। आज इस बात की जरूरत है कि लोगों के दिलो-दिमाग में उजाला पैदा किया जाय, आज की इस मसनुई दुनिया में लोगों को चाय पीने के लिये मेज चाहिये, रहने के लिये एक अच्छा मकान चाहिये और अगर हो सके तो एक कार भी चाहिये। लेकिन इस बात की तरफ कोई नहीं देखता है कि हमको एक इंसानी जज्बा भी चाहिये। उसकी भी हमको सख्त जरूरत है। अगर हम एक झोपड़ी में रहते हैं और हमारे दिल में एक इंसानी जज्बा है तो वह ज्यादा बेहतर चीज है। मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि श्री पणिक्कर साहब ने जो उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये लिखा है, वह ठीक नहीं है और मैं इसकी बहुत ही सख्त मुखालिफत करता हूं। साथ ही साथ माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, उसकी ताईद करता हूं।

*श्री हर गोविन्द मिश्र (नामनिर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नेता सदन ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। एस०आर०सी० ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और बहुत ही परिश्रम के साथ इस कार्य को किया है। मैं उसके सब मेम्बरों को इस परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं। उसके तीनों मेम्बर बहुत ही महान हैं, तीनों ही

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

समुद्र के समान गम्भीर हैं, तीनों ही पर्वत के समान पूज्य हैं और तीनों ही बहुत बड़े विद्वान् व्यक्ति हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि महान व्यक्ति भी भूल कर जाया करते हैं, जैसा कि हमारे श्री पणिक्कर साहब ने की है। महान लोग जब भूल किया करते हैं तो वह भूल भी महान हुआ करती है। श्री पणिक्कर जी एक सैद्धान्तिक भूल कर गये हैं। जिस प्रकार से शरीर में हृदय और मस्तिष्क हुआ करते हैं, उसी प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश भारत का हृदय और मस्तिष्क है। इसी उत्तर प्रदेश में हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गये हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हमारे अवतारों ने जन्म लिया है, इसी उत्तर प्रदेश में गंगा-जमुना पनपी हैं, और यहां हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही कल्चर स्थापित हुये हैं। फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और संस्कृत का भी सबसे बड़ा केन्द्र, इस उत्तर प्रदेश की ही देन है। जो भी इस गये-गुजरे जमाने में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के रत्न उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका भारतवर्ष में पहले ही नहीं, आज भी नाम हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिये हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी हैं।

दूसरी सैद्धान्तिक भूल जो उन्होंने की, वह यह है कि उन्होंने इस सिद्धान्त पर विचार नहीं किया कि एकता हो और उन्होंने एकता में अन-एकता पैदा करके प्रपंचता को उत्पन्न करने की मांग की है। सवाल रचना का जो सबसे बड़ा है, वह भी उसकी एकता का है। वेद में भी कहा गया है: "हम एक हैं और अनेक न हो जायें। अन-एकता से एकता की तरफ जाना उन्नति का मार्ग है। एकता से अन-एकता की तरफ जाना अवनति का मार्ग है और अवनति का कारण है"। इस सिद्धान्त को ले कर आज कई समितियों के भी सिद्धान्त बदल रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, जिसको दूसरे की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दृष्टिकोण में भी बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। अभी चार-छः दिन हुये, अमेरिका का एक बड़ा भारी ट्रेड डेलीगेशन कानपुर आया और वे मेरे मेहमान थे। उन लोगों की बातें मैंने सुनीं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लोग भी कहते हैं कि अनेक से एक होना चाहिये, विभिन्न संस्थाओं को एक रूप दिया जाय और जैसे कि आज लीग आफ नेशन्स और यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाइजेशन हैं, तो इन सब का एक रूप होना चाहिये। संसार के दूसरे देशों में जब आज इस तरह की बातें हो रही हैं, तो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में, जब पणिक्कर साहब को मालूम था कि यह एक मुकम्मल प्रदेश रहा है और जब वे एक मुकम्मल प्रदेश के विभाजन करने की योजना रखते हैं, तो उनको बड़ा भारी भ्रम है और यदि उनको समझाया जाये तो शायद वे इसको मान लेंगे। इसके और दूसरे विभिन्न पहलुओं पर कई व्यक्तियों ने यहां प्रकाश डाला है। तो इसके संबंध में मैं अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। परन्तु मैं जोरदार शब्दों में यह अवश्य कहूंगा कि वे हमें इस प्रपंच की ओर न ले जायें और हमारा हृदय न तोड़ें। हृदय टूटने से हमारा सारा शरीर भी टूट जायेगा और हृदय टूटने से हमारा जीवन नहीं रह सकता है। यदि हाथ, पांव न रह जायेंगे, तो आदमी जीवित तो रह सकता है, मगर हृदय या आत्मा न रहने से वह जीवित भी नहीं रह सकता है। यह उत्तर प्रदेश सदा एक रहा है और भविष्य में भी एक ही रहेगा और इसे एक ही रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का मसला एक बड़ा मसला है क्योंकि वह इन्टरनल मामलों के बारे में कहता है। इस मसले पर जो रिपोर्ट लिखी गई है, उसमें जहां तक यू० पी० के बारे में कहा गया है, वह सिर्फ पणिक्कर साहब ने अपने नोट आफ डिसेन्ट में लिखा है, जो बहुत सी गलत फीगर्स पर बेस करता है और वह ऐसे जज्बात पैदा करता है जो कि हिन्दुस्तान में तफर्का पैदा कर सकते हैं। स्टेट रिआर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम ख्याल करें तो यह बात हमको जरूर ध्यान में

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद सिन्हा]

रखनी चाहिये कि हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और यूनिटी खतरे में न पड़े। अगर किसी प्रदेश का विभाजन करने से हमको कोई फायदा होता है तो जरूर करें। मगर रिपोर्ट में ही एक जगह यह लिखा हुआ है कि कोई भी इससे फायदा नहीं है। जनाब लीडर आफ दि हाउस ने उसे पढ़ कर भी बताया था। रह गया यह कि आज कल जो मसला हम साल्व कर रहे हैं अपनी स्टेट को तरक्की देने के लिए, यह ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने इन जज्बात को पैदा करके आपस में वैमनस्य के भाव पैदा कर दिए। ईस्टर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बजाय मोहब्बत के दुश्मनी और झगड़े पैदा हो गये। मैं समझता हूं कि इस वक्त देश के किसी भी हिस्से के लिए यह जरूरी नहीं है। इस वक्त जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, इस वक्त जब कि :—

(i) India was burdened with problems more urgent than the problem of the redistribution of provinces, such as those of defence, food, refugees, inflation and production ;

(ii) It could not afford to add to its anxieties, the heat controversy and bitterness which the demarcation of boundaries are likely to create.

मुमकिन है कुछ छोटे प्रांतों के लिये जो कि आजादी हासिल करने के बाद क्रिएट किए गए हैं उनके लिए यह जरूरी हो। मगर जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है यहां कभी भी यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि हम अपने प्रान्त के दो टुकड़े करें या रिआर्गेनाइजेशन करें। कभी किसी भी हिस्से में जनता के सामने यह प्रश्न था ही नहीं। अब यह प्रोब्लेम पैदा हुई है। यह प्रोब्लेम जो साल भर से हम सुन रहे हैं, महज कुछ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपनी परसनल तरक्की के लिये न की प्रान्त की तरक्की के लिए उठाया और पणिक्कर साहब ने इसको इन्डोर्स किया और जहां तक कि एक महाशय जी ने कहा कि मुमकिन है तामिलनाड और बंगाल ने भी उन बातों को कहा कि हिन्दी स्पीकिंग प्राविन्स है। हिन्दी स्पीकिंग प्राविंस बिहार भी है इसलिए इसका डिवीजन होना लाजमी नहीं है। डिवीजन जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रांत से देश का फायदा है तो जरूर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहां की मेजारिटी की यह ख्वाहिश नहीं है कि प्रान्त का डिवीजन किया जाय। यह बहुत मुजिर बातें हैं और स्क्रैप करने लायक हैं। पणिक्कर साहब ने चार रीजन्स दिए हैं जिसकी बेसिस पर यह डिवीजन होना चाहिए। कुछ रीजन्स रिपोर्ट के १६२ सफे पर हैं :—

"The arguments in favour of dividing the State are mainly three or four It is claimed that physically and geographically, the hill and plateau regions of the Uttar Pradesh have little in common with the Gangetic valley. The present size of the State is also unwieldy. The inevitable result is that the administration is, generally speaking, not too efficient. It has also been urged by those representatives of the western districts, who continue to press their claim, that their areas have been neglected, and that the financial surplus which accrues to the State from its western half is now mostly being spent on the development of the eastern areas."

जहां तक जुगराफियाई संबंध है वह तो बात समझ में नहीं आती है क्योंकि सहारनपुर और बलिया के लोग करीब-करीब एक ही लैन्ग्वेज बोलते हैं, उसमें कोई डिफरेन्स नहीं है। वास्टनेस के लिये भी इसी में कहा है कि यह बहुत वास्ट स्टेट है। जब चैप्टर सात को देखते हैं तो यह रीजनिंग गलत हो जाती है और यह कहना कि यह बैडली एडमिनिस्टर्ड है यह बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। हमारे यहां डैम्स बनाये गये, पावर स्टेशन्स बनाये गये और भी

बहुत से निर्माण के कार्य हुये। तो यह कहना कि बैडली एडमिनिस्टर्ड एरिया है यह कुछ समझ में नहीं आता है।

"In actual practice, some of the larger States in India have proved to be the best-administered. In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit."

एजुकेशन के बारे में अगर कहा जाय तो इस प्राविन्स ने पहले पावर्टी को लिया फिर एजुकेशन को लिया जब कि दूसरे प्राविन्सेज ने पहले एजुकेशन को लिया फिर पावर्टी को लिया तो यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि एजुकेशन रिटार्ड ( retard ) हुई है। इन चार रीजन्स के अलावा यह कहा गया है कि हाईकोर्ट बहुत दूर है। अगर आप देखें तो हाईकोर्ट करीब-करीब सभी देशों में दूरी पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट मद्रास से दूर नहीं ह ? तो अपीलेट कोर्ट स अगर दूर हैं तो वह कोई रीजन नहीं है। अपीलेट कोर्ट में तो ओरिजिनल केसेज नहीं होते, वहां तो केवल पेपर्स ही जाते हैं। इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां हाई कोर्ट दूर है। इसके अलावा पणिक्कर साहब ने इन्डोर्स करते वक्त कुछ और रीजन्स दिये हैं अपने नोट आफ डिसेन्ट में। यह रीजन्स जो उन्होंने दिये हैं वह चैप्टर सात के बिल्कुल खिलाफ हैं। यह कहना कि उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेन्टेटिव ज्यादा हैं, मेरी समझ में यह बड़ी एन्टीनेशनल चीज है। इससे देश की एकता में बाधा पड़ती है। अगर किसी का बड़प्पन है तो यह उसकी वरचू है। यू० पी० के लोगों ने दूसरे प्रदेशों पर प्रभुत्व नहीं जमाया है। यहां के रिप्रेजेन्टेटिव दूसरों की सेवा ही करते रहे हैं। सेन्टर से भी इसको अपनी प्लानिंग के लिये रुपया कम ही मिला है। अब अगर प्राविन्स का विभाजन करना है और जिन चीजों के लिये विभाजन किया जाना है तो विभाजन के बाद उन चीजों को दूसरे प्राविन्स में बनाना होगा। हाईकोर्ट बनाना होगा, एसेम्बली बनानी होगी। इससे फाइनेन्शियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जायगा। इसके लिये इस प्राविंस में भी एक इंप्रूवमेंट बोर्ड बनेगा।

**श्री हरगोविंद सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)**--हमको परेशानी है कि एक इंटरमीडियेट बोर्ड भी बनाना पड़ेगा।

**श्री शिव प्रसाद सिन्हा**--वह तो बन सकता है। इस सम्बन्ध में यह कह देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि यह सोचना कि बंटवारे से कुछ फायदा होगा, यह बिल्कुल गलत बात है। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री कृष्ण चन्द्र जोशी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, जो रेज्योल्यूशन पुनस्संगठन आयोग रिपोर्ट के सम्बन्ध में भवन के सम्मुख पेश है उस पर आज तीन रोज से बहस हो रही है। जहां तक लोगों ने इस सिलसिले में अपने बयान दिये हैं मैं अब उनको दोहरा कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। यह जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि प्रदेश का जहां तक प्रश्न है यह एक निश्चित बात है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। परन्तु इसमें पणिक्कर महोदय ने जो अपना नोट दिया है, उसके कारण यह सदन के सम्मुख विचार करने के लिये आया है। अब यह विचार करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा जैसा कि पणिक्कर महोदय ने कहा है वैसा होना चाहिये या जैसा वह इस समय है वैसा ही रहने देना चाहिये और उसको अविभाज्य छोड़ दिया जाये। पणिक्कर साहब की रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

कोई कुशल वकील यह तो समझता है कि उसका केस बहुत कमजोर है और वह हार जायेगा, लेकिन वह अपनी बात को सत्य करने के लिये कुछ न कुछ दलीलें दे दिया करता है। वरना एक ऐसे विद्वान के लिये ऐसी दलीलें देना कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी रिपोर्ट के पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि यू० पी० ने कोई खराब काम किया है या कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो पणिक्कर साहब ने जो सब से बड़ा लांछन यू० पी० के ऊपर लगाया है वह यह है कि यू० पी० सेंटर के ऊपर डामिनेट कर रहा है। जब डामिनेट करने का शब्द आया है, तो उसके माने तो ऐसे लगते हैं जैसे कहीं पर कोई बेजा दबाव डाल कर ऐसे ढंग पर कोई काम करा लिया गया है जो नाजायज हो। ऐसा मालूम होता है कि यू० पी० कोई नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि पणिक्कर महोदय ने कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं रखा कि यू० पी० के नेताओं ने जो राज्य के कर्णधार हैं, कहां पर यू० पी० का हित करना चाहा। यू० पी० ने इस विचार से हमेशा कार्य किया, जिससे कि उस पर पार्शियलिटी का आरोप न लगे और हमने प्लानिंग के सम्बन्ध में देखा कि जितना हमको जन-संख्या के हिसाब से मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला। वह शायद इसको भूल गये। इसके बावजूद उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह भी है, जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है अगर इस चीज को देख कर हम टुकड़े करते हैं तो यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि कहीं का भी ऐसा स्टेबिल ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जैसा यहां का है। इस स्टेबिल ऐड-मिनिस्ट्रेशन को देखने की उन्होंने कोशिश नहीं की, इसके अलावा जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के बारे में, उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि कहां-कहां सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है। पहली मिनिस्ट्री यहां ही बनी, इसका उनको ध्यान नहीं रहा। जो मूल आधार की जड़ें हैं, वह गलत हैं। मुझे तो यह ताज्जुब रहा कि पश्चिमी जिलों की मांगों का जो मेमोरेंडम था, उसमें हिली ट्रैक्ट और प्लेन ट्रैक्ट की बात थी। उसके लिये उन्होंने क्या प्राविजन किया। जहां तक हिली ट्रैक्ट का सम्बन्ध यू० पी० से है, मैं समझता हूं सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि पहाड़ का हिस्सा अलग हिस्सा है और वह हिस्से छोटे-छोटे हैं तो उनके टुकड़े किये जायं। उन्होंने देश की तवारीख को भुला दिया। हमने टुकड़ेबाजी में अपने देश की स्वतन्त्रता को नष्ट किया। आज आयोग के बिठलाने का कारण यह था कि हम देखें कि देश की एकता किस प्रकार स्थिर रहे। पहले जब कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की बात कही थी और रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात थी वह समय अब नहीं है, अब तो नेशनल सिक्योरिटी का ऊंचा स्थान है और जब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल सामने है तो लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज को प्रोडामीनेशन नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो क्या यू० पी० का विभाजन ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो पर्वतीय प्रदेश की भावना है उसको व्यक्त करना ठीक समझता हूं। इस प्रदेश का विभा-जन करने से जो शक्ति हमने फ्रन्टीयर को गार्ड करने में लगाई है उसमें कमी हो जायगी। आज अगर प्रान्त का विभाजन किया जाता है तो हमारी सिक्योरिटी ठीक न होगी। आयोग में इस बात को माना गया है कि जहां पर सिक्योरिटी का सवाल आता है वहां ऐसी स्टेट होनी चाहिए, जो स्ट्रांग हो, तब विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें यह ख्याल ही नहीं रहा कि यह भी फ्रन्टीयर स्टेट है आप देखें कि क्या विभाजन से प्रदेश का कोई फायदा हो रहा है। विभाजन का सवाल वहां उठेगा जहां ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी होगी, फाइनेंशियल डिफीकल्टी होगी।

कोई आर्गूमेंट ऐसा कमीशन की रिपोर्ट में नहीं दिया है जिसमें कह सकें कि यू० पी० की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशिएंसी कम हो गई है। अगर इस बात को देखा जाय कि पश्चिम का पैसा पूर्वी जिलों में खर्च हो रहा है तो इसके लिये पश्चिमी जिलों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उनके हिस्से से किसी दूसरे की भलाई हो रही है। उनको समझना चाहिए कि वे बदला चुका रहे हैं, जो उन्होंने फायदा पहले उठाया है। क्योंकि लाल रोशनी दिखाई गई है इसलिये सदन का मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस प्रस्ताव का, जो माननीय नेता सदन ने उपस्थित किया है, समर्थन करता हूं। साथ ही मैं उस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं करता, लेकिन उचित नहीं समझता जो कि श्री कन्हैया लाल जी ने रखा है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसको आयोग के सामने नहीं रखा गया। यह सवाल जब आयोग के सामने नहीं रखा गया तो आज सदन के सामने इसका प्रश्न नहीं उठता, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मूल प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र)--मैं माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करने और माननीय गोविन्द सहाय जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सदन में किसी ने माननीय गोविन्द सहाय जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। सभी लोगों ने इस बात की भावना व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिये। मैं इस बात का आभारी हूं कि माननीय गोविन्द-सहाय जी ने उधर से इस तरह का प्रस्ताव लाकर हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग अपने अपने विचार प्रकट कर सकें। इसके अलावा चूंकि उनके प्रस्ताव का किसी ने समर्थन नहीं किया है तो इसका यह मतलब भी साफ मालूम होता है कि वह भी नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का विभाजन हो, वरना वह किसी न किसी को उस ओर से अपने प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा कर ही सकते थे। यहां से पहले भी उस सदन में और बाहर कुछ लोगों द्वारा काफी चर्चा इस बात की सुनने में आई कि हमारे प्रान्त का विभाजन होना चाहिये लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि वह एक फर्जी तौर पर ही कही गई। उस आवाज में सर्वसाधारण का कोई जोर न था। अपने अतीत के इतिहास को देखें तो ज्ञात होगा कि बड़े-बड़े दार्शनिक नेता जो यहां हुए हैं उन्होंने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। तुलसी, सूरदास, कबीर और रैदास जैसे सन्त-महात्मा कवि हमारे यहां जन्म ले चुके हैं। क्या यह उचित होगा कि आज हम उन्हें भूल जायं? यह जो एकता का सन्देश हमें दे गये हैं, कदापि नहीं, उन भावनाओं के होते हुए हम यह नहीं चाहेंगे कि प्रदेश का विभाजन करके उसे छोड़ दें? इन सब बातों पर हम सबको विचार करना चाहिये। मैं आपसे बताऊं कि जब जनमत में ९९ प्रतिशत व्यक्ति न चाहते हों कि हमारे प्रान्त को बांटा जाय तो हमारे लिए क्या यह उचित होगा कि हम इस प्रकार की बातों को मन में लायें। मैं तो इसका सोचना तक बहुत बड़ा पाप समझता हूं। हां, यह सही है कि हमारे यहां का पुराना मध्य काल का इतिहास हमें बताता है कि पहले लोग सामन्तशाही विचार के होते थे जिसके कारण हमारा देश विभिन्न प्रकार से विभाजित होता रहा, लेकिन जब हम स्वतन्त्र हो गये और हमारा देश समाजवाद की तरफ जा रहा है तो ऐसी भावना पैदा करना उचित नहीं है। साथ ही हमारा पुराना इतिहास यह भी हमें बताता है कि पहले हमारे यहां संस्कृत भाषा थी, जो सारे भारतवर्ष में बोली जाती थी। लेकिन चूंकि हमारी उदारता ने विभिन्न भाषा-भाषिओं को जो बाहर से आये अपना लिया जिसके फलस्वरूप भी हमारे यहां भारत के टुकड़े होते रहे। लेकिन अब हमें ऐसी भावनाओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये और न भाषा को लेकर हमारे प्रदेश का विभाजन ही होना चाहिये।

दूसरी बात जो विभाजन के पक्ष में कही गयी है वह यह कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनतंत्र के युग में जो हमारे नेता लोग हमें सन्देश देते हैं कि तमाम विश्व हमारा है और हम सारे विश्व के हित के लिए हैं तो

[श्री रामनन्दन सिंह]

इससे ही हमारे देश और प्रान्त की तरक्की होगी। हमारा प्रान्त तो सदियों से मिसाल रहा है, इसमें पूरब और पश्चिम का कभी प्रश्न नहीं रहा है और न रहना चाहिये, यह बहुत ही तुच्छ भावना है। जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ मनचले लोगों ने पद के लोभ में ऐसा बंटवारे का प्रश्न पैदा कर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस जनतंत्र के युग में हमारे बीच में कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जो अब भी तख्त व ताज का ख्वाब देख रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि उनके ऐसे विचार आज के युग में बहुत खराब हैं और ऐसी चीज ५ वर्ष क्या, २ वर्ष क्या, दस दिन भी नहीं चलाई जा सकती। इस युग में संकीर्ण विचारों से सोचना बिल्कुल गलत है। फिर किसी तरीके से भी यह बात नहीं आती है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो।

इसमें सन्देह नहीं कि इस आयोग में हमारे देश के धुरन्धर विद्वान् और महान् व्यक्ति रखे गये थे और उन्होंने काफी सोच समझ कर यह रिपोर्ट पेश की है लेकिन जब मैं इसे देखता हूं और जब अपने इतिहास की तरफ देखता हूं तो यह पाता हूं कि जैसे कभी-कभी भगवान को भी अपने भक्तों के बस में होकर भूल करनी पड़ी है। उसी तरह से पणिक्कर साहब ने अपने भक्तों की भावना से विचलित होकर रिपोर्ट में कुछ दूसरी ही बात लिख दी है तो कोई बात नहीं है। हमारा इतिहास बतलाता है कि हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने समय-समय पर ऐसी गलतियां की हैं। यह जनतंत्र का तकाजा है कि अगर किसी वजह से पणिक्कर साहब ने यह नोट लिख दिया है तो उसको न माना जाय और जो बहुमत की बाकी रिपोर्ट है वह सर्वमान्य है। इन सब कसौटियों पर कसते हुये मैं उचित समझता हूं कि जो हमारे सदन के नेता का प्रस्ताव है, वह हर पहलू से उचित है और उसका समर्थन होना चाहिये। हमारे इस सदन की तरफ से केंद्रीय सरकार के पास यह संदेश जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश हर प्रकार से इस रिपोर्ट से सहमत है और उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार से विभाजन नहीं होना चाहिये।

जैसा दूसरे महानुभावों ने अपने प्रस्तावों में रखा है कि जो छोटे-छोटे भूखंड हमारी सीमा से मिले हुये हैं और जिनका हर प्रकार से हमसे संबंध है, तो जैसा और स्टेटों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और यदि इस जनतंत्र के युग में वहां के लोग चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिये तैयार हैं। क्योंकि हमको हमारे पश्चिमी जिलों के भाई उलाहना देते हैं कि ये पूर्व वाले बने जा रहे हैं तो मन ही मन उनकी कद्र करते रहे हैं और चाहते हैं कि ये हमारे भाई हमारे साथ रहें। यह तो हमने कभी भी सोचा नहीं कि पूर्व और पश्चिम का सवाल खड़ा हो जायेगा। हम तो कभी भी इस तरह से सोचने के लिये तैयार नहीं हैं। किन्तु कुछ विरोधियों की तरफ से जो यह कहा गया है कि यह प्रदेश खंडित किया जाय तो सचमुच यह जिम्मेदार लोगों की बात नहीं है बल्कि यह कुछ मनचले लोगों की बात है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन के नेता ने पेश किया है वह सर्वसम्मति से पास होना चाहिये।

श्री तेलूराम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस कमीशन की रिपोर्ट पर सभी पहलुओं पर बड़ी दलायल की तजवीजात आईं और यह हाउस एक मत नजर आता है तथा सदन के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता है। मैं भी सदन के नेता के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

जहां तक विरोधी पक्ष का ताल्लुक है और उनके द्वारा कही हुई विभाजन की बात है, पता नहीं मैं इसको अपील की बात कहूं या क्या कहूं, करीब इस हाउस में और उस हाउस में १४ या १५ आदमी ऐसे हैं जो विरोध करते दिखते हैं लेकिन बदकिस्मती यह है कि उनकी एक दूसरे से राय नहीं मिलती है और इस तरह से १४ या १५ आदमियों की १६ या १७

रायें हैं। एक कोई बात कहता है तो उसका दूसरा साथ नहीं देता, समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह से उनकी राय में फर्क है। अगर कहीं यह स्वीकार कर लिया जाय तो मैं यह कहूंगा कि उनकी राय में कोई तथ्य नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस गम्भीर विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाय। जहां तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों का सवाल है तो यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज उनमें इस प्रकार का मतभेद हो। कुछ साथियों ने इसको एक विकटरूप दिया है और बदकिस्मती तो यह है कि पश्चिम वाले लोग कहते हैं कि वह पूर्वी जिलों को अपना हिस्सा देते हैं और खासकर ऐसे समय में जब कि दोनों सदनों में उनके नुमाइन्दे अधिक हैं। कुछ ही लोगों की यह धारणा है क्योंकि इस भावना के साथ वह लोगों की मनोवृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अगर एक तरह से पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात को देखा जाय तो "Haves और Haves नाट" की बात कही जा सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर उनके पास अधिक साधन है तो वह कुदरत के कारण हैं और जिसकी वजह से उनको और भी इस ओर ध्यान देना चाहिये था कि इस प्रकार के डिस्पेरिटी को खत्म कर दिया जाता। आज जो हमारी संस्कृति रही है उसमें इस तरह की विचारधारा को लाना सारे समाज के लिये घातक है इसलिये उन लोगों को इस भावना को भुलाकर अपनी धारणा प्रस्तुत करनी चाहिये। मैं यदि यह बात कहूं कि उसमें जो बात कही गई है उसमें पश्चिमी जिलों के लोगों की भावना का लेशमात्र भी सहारा नहीं है, कुछ लोगों की अपनी दलील है और इस तरह से उनका कहना इस बात का द्योतक है कि इस भावना को रख कर के वह कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिये उन लोगों ने यह सबूत पेश कर दिया। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहना उनका भ्रम है, यदि कुदरत ने उनको साधन दिये हैं तो उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कम से कम तब तक अपने पड़ोसियों को सहारा देते रहें जब तक कि वह उनके बराबर न हो जायं और उसके बाद वह उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये यदि छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं है। पणिक्कर साहब की बात के बारे में जो यह कहा गया कि उससे देश का बड़ा अहित होता है तो मैं यदि इसको दूसरे रूप में और दूसरे दृष्टिकोण से देखूं तो कह सकता हूं कि इससे देश को लाभ भी हुआ है क्योंकि उन्होंने इन तजवीजों को और दलीलों को पेश करके यह साबित करने का मौका हमको दिया है कि दोनों हाउस के नुमाइन्दे पणिक्कर साहब की बात को नहीं मानते हैं और इस तरह से अपनी एकता की भावना का प्रमाण देते हैं कि इस के बावजूद भी वह यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिये। कल उधर से जिन लोगों ने इसके संबंध में प्रस्ताव रक्खे हैं तो स्पष्ट सी बात है कि प्रस्ताव लाने वाले लोग भी इसका विरोध नहीं कर सके। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि हमारे सूबे में कितनी एकता है। मैं आशा करता हूं कि आइन्दा इस तरह की छिछोरी बातें नहीं उठायी जायेंगी और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो परम्परा है, जो संस्कृति और योग्यता है, वह सारे हिन्दुस्तान की रहनुमाई करती आयी है। बहरहाल, हम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इस तरह की दलील दे करके हमने इस बात का निश्चय कर लिया है कि हम किसी मसले को बड़ी योग्यता और समझदारी के साथ सोचते हैं। मुझे इस बात का अवश्य दुख हुआ है कि इसमें पूर्वी और पश्चिमी इलाकों की बात कही गई है। इसमें इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिये। पश्चिम के रहने वालों की जो भावनायें हैं वह इस प्रस्ताव के द्वारा इस बात का प्रमाण होंगी कि उन्होंने अपनी भावनाओं को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्त किया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश आइन्दा भी हिन्दुस्तान का रहनुमा होगा। चूंकि समय बहुत कम है और ३ दिन से बहस चल रही है मैं इस पर अधिक न कहता हुआ नेता सदन का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत, वन व सहकारी मंत्री)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी तबियत की खराबी की वजह से, जो तकरीरें यहां

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

पर हुई हैं उन सबको नहीं सुन सका । लेकिन मुझे उन सब तकरीरों का इल्म अखबारों से थोड़ा बहुत हो गया है जो इस हाउस में दी गयी हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रस्ताव मैंने इस सदन में पेश किया था, उसका सिवाय एक साहब के बाकी सब मेम्बरों ने समर्थन किया है । जो संशोधन इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिये गये थे वह यू० पी० को बांटने या उसको तकसीम करने के सिलसिले में नहीं थे, बल्कि वे संशोधन इस प्रस्ताव की ताईद करते हैं । जो तकरीर यहां पर उत्तर प्रदेश को बाँटने के लिये की है उसको मैंने पूरा सुना है । उसको सुनने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह मैं इस हाउस के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि कमीशन ने बहुत ही तहकीकात और बहुत ही मालूमात और बहुत ही वक्त गुजारने के बाद एक सिद्धान्त और एक उसूल को कायम किया है और यह बात करार दी है कि इंडिया का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये । हर शख्स ने उस उसूल की ताईद की है, किसी ने पूरे तौर पर उसकी मुखालिफत नहीं की है । श्री पणिक्कर ने जो अपना नोट आफ डिसेन्ट दिया है उसमें भी उन्होंने इस उसूल की मुखालिफत नहीं की है और इस बात को तस्लीम किया है कि जो उसूल इस कमीशन ने बनाया है वह हिन्दुस्तान के लिये ठीक है । मैं एक बात याद दिलाने के लिये हाउस के सामने इस रिपोर्ट का थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं । इस से इस बात का पता चलेगा कि जो बातें कही गयी हैं या कही जा रही हैं, वह इस उसूल के मुताबिक हैं या नहीं । इस रिपोर्ट के २५वें सफे पर उन्होंने जिक्र किया है "फैक्टर्स बियरिंग आन रिआर्गेनाइजेशन" तो उसमें यह कहा गया है कि :—

"93. The principles that emerge may be enumerated as follows :

(i) preservation and strengthening of the unity and security of India."

This is the first principle. The second is :

"(ii) linguistic and cultural homogeneity ;

(iii) financial, economic and administrative considerations ; and.

(iv) successful working of the national plan."

इसके आगे एक जगह पर उन्होंने थोड़ी सी बात उसूल के मुताबिक भी कह दी है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि :—

"If the States of the Union are to enjoy a uniform status, it is necessary that each State should be inherently capable of survival as a viable administrative unit. It should have the resources, financial, administrative and technical, to maintain itself as a modern State. It should normally be able to establish and maintain institutions, to educate, train and equip its people for its administrative, technical and professional requirements ; and, finally it should be able not only to meet the day-to-day needs of the administration but also to expand its social services and other developmental activities."

ये चार बातें हैं, जो कि बेसिक उसूल की हैं और जो कमीशन ने कायम करके बतलाई है कि स्टेट्स का जो रिआर्गेनाइजेशन किया जाय वह इसी बेसिस पर किया जाय और इन बातों को सामने रखा जाय । अब मैं समझता हूं कि अगर हम इन उसूलों को मानते हैं कि ये सही हैं, तो ठीक है और अगर मैं अपनी तरफ से कोई नई तजवीज करूं कि यह बदल कर यह शेप की जाय जो रिपोर्ट में लिखी गई है तो उसको भी इन उसूलों को कन्फर्म करना चाहिये और उन उसूलों पर वे पूरे उतरने चाहिये । अगर वे उन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते हैं, तो मैं समझता हूं कि कान्ट्रेडिक्शन में इस तजवीज को, जो तजवीज रिआर्गेनाइजेशन के लिये बनाई गई है, रखी जायें । लिहाजा एक तजवीज, जो हमारे सामने है और जिसको मेरे एक दोस्त ने, बल्कि दोस्त ही क्यों, वे मेरे बिजनौर के भाई हैं, जिन्होंने कि एक तजवीज दी है और जिस तजवीज में यह कहा गया है कि अम्बाला डिवीजन और १६ जिले पश्चिमी यू० पी० के और पुरानी

दिल्ली को शामिल करके इन सबको ले करके स्टेट कायम की जाय। यह ठीक है कि स्टेट वह कायम हो, लेकिन मेम्बरान की याद में होगा, जो तकरीर परसों हुई थी, उसे बहुत से मेम्बर भूले नहीं होंगे, अगर इसके मुताल्लिक उसकी याद दिलाऊं तो जरूर याद आयेगा कि उन्होंने जो बात शुरू की वह इससे शुरू नहीं की कि जो प्रिंसिपिल्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने कायम किये हैं, उनके बिना पर मैं समझता हूं कि वे उसूल पूरे नहीं उतरते हैं, इस वक्त जो कि मौजूद है, बल्कि उनको पूरे उतरने के लिये इस बात की जरूरत है कि फलां-फलां तरमीम करके, एक नया स्टेट कायम किया जाय, यह उन्होंने नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने यह कहा कि यू० पी० को यू० पी० की नजर से नहीं देखता हूं बल्कि आल इंडिया की नजर से देखता हूं, रिपोर्ट के पूरे रिआर्गेनाइजेशन की नजर से देखता हूं, तो इस लिहाज से देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यू० पी० तकसीम होगा किस तरह से।

अब पहले तो मैं यह अर्ज करूं कि हिन्दुस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हिन्दुस्तान की बाबत जो उसूल कमीशन ने बयान किया है, मैंने सुनाया था। उसमें पहला उसूल जो उन्होंने करार दिया है वह यह है कि हिन्दुस्तान का खुद का जहां तक ताल्लुक है, उसकी यूनिटी और उसकी बेहतरी जहां तक भी है, उस पर उसको कायम रखना हमारे लिये बहुत जरूरी है। उनकी नजर में शायद ऐसा हो कि हिन्दुस्तान की बेहतरी और हिन्दुस्तान की यूनिटी कायम नहीं रह सकती है अगर यू० पी० अपनी इस हालत में कायम रहता है। इसलिये उसको इस हालत में बदल जाना है। एक बात से इंकार न हो सकेगा। गालिबन, जो मैं समझ सकता हूं और वह यह है कि हिन्दुस्तान की बेहतरी का तकाजा यह होगा और किसी रिआर्गेनाइजेशन करने से कोई फायदा तब हो सकता है, जब हम जो स्टेट आर्गेनाइज करें अजसरेनौ कायम करें, उनके अन्दर जैसा कि आज चाहते हैं कुछ बेहतरी पैदा नहीं होती है तो उसके लिये रद्दोबदल करने के कोई माने नहीं हो सकते। यह एक बिल्कुल गलत बात हो सकती है, अगर उस स्टेट की हालत में उससे ज्यादा बेहतरी पैदा नहीं होती है। उस रिआर्गेनाइजेशन से, तब तो वह बिल्कुल कंडम कर देने के काबिल है और किसी तरह से मानी नहीं जा सकती। मैंने जो तकरीर सुनी उसमें कोई बात ऐसी नहीं सुनी जिसका मैं यह नतीजा निकाल सकता कि उस अमेंडमेंट पेश करने वाले साहब की राय यह है कि अगर यह स्टेट उस तरीके से जिस तरीके से कि वह बनाना चाहते हैं बन जाती है, तो तमाम टुकड़ों की जो वह स्टेट बनेगी, जितने आदमी उसमें रहते हैं और जो उसकी जमीन है उन सबकी हालत आज की हालत से बेहतर हो जायगी। यह मैंने नहीं सुना और दूसरे मैंने यह भी नहीं सुना कि हिन्दुस्तान की बेहतरी उस तब्दीली के साथ किस तरह से वाबस्ता है और आज हिन्दुस्तान में जो यू० पी० मौजूद है उससे क्या नुक्सान हिन्दुस्तान को है? उनकी तकरीर से ऐसी कोई बात नहीं निकलती सिवाय एक बात के अगर उसको वह अपने दिमाग में ज्यादा जगह देते हैं। उन्होंने इरशाद यह फरमाया कि यू०पी० के खिलाफ दूसरी स्टेट्स में, साउथ में और कहां-कहां यह फीलिंग है और इस लिये यू० पी० के हक में यह है कि वह अपना गला और पैर काट डाले और अपना धड़ थोड़ा सा रख ले इससे वह फीलिंग जाती रहेगी। उस फीलिंग का असर कुल हिन्दुस्तान जो है उसके ऊपर क्या होने वाला है, किस बिना पर वह फीलिंग पैदा हुई? इन बातों का जिक्र किसी ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि साहब अगर वह फीलिंग गलत भी है, लेकिन चूंकि फीलिंग है लिहाजा उसका हमको लिहाज करने की जरूरत है। मैं उसका इस तरीके से मुकाबिला करता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के अन्दर यू० पी० को इस हालत में बाकी रहना हिन्दुस्तान के लिये नुक्सानदेह साबित होता है तो मैं समझता हूं कि मैं क्या सारा हाउस एक इत्तिफाक के साथ इस आवाज को उठायेगा और कहेगा कि अगर यू० पी० के पचास हजार टुकड़े करने की जरूरत हो तो कर दिये जायं और हिन्दुस्तान का किसी किस्म का नुक्सान न किया जाय। हां, अब जहां तक यू० पी० का ताल्लुक है अगर जैसा कहा जा रहा है पंजाब का अम्बाला डिवीजन, १६ जिले यू० पी० के और दिल्ली को मिलाकर एक स्टेट कायम की जाय, तो उसकी एकोनामिक हालत आज से बदतर हो जायगी और जो उनके लिये होना चाहिये, उसे होने चाहिये के अन्दर अगर यह नहीं है, न होगा, तो मैं अर्ज करूंगा आइन्दा मुद्दतों तक नहीं होगा।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक प्रिंसिपल कमीशन ने कायम किया है कि प्लानिंग के काम जो होने हैं या जो हो रहे हैं हिन्दोस्तान में उनका भी लिहाज जरूरी है। वह पच्छिम के जिले उस डेवलपमेंट से फायदा उठाने वाले हैं और उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जायेंगे तो उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह मैं नहीं जानता हूं। एक अच्छी हालत में इस वक्त हैं और कल को ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर कोई काट कर उनको ले जाना चाहता है तो उसको इस्टेबिलिश करना पड़ेगा कि उनकी हालत उधर मिल जाने से आज की हालत से बेहतर हो जायेगी। मैं तो अपने नजदीक यह समझता हूं कि वह जो पंजाब के जिले हैं जिसका नाम अम्बाला डिवीजन है, वहां के दो, चार, दस, बीस आदमियों की तो मैं कहता नहीं लेकिन तमाम पंजाब जो है उसका मतालबा तो दूसरा ही है। वहां तो चर्चा यह है ही नहीं कि हमको पंजाब से काट कर यू० पी० में मिला कर एक नया सूबा बनाया जाय। मुझको कोई जस्टीफिकेशन मिला ही नहीं जिससे मैं समझूं कि वह तकसीम, जिस तकसीम की तजवीज दी गई है, उसका होना जरूरी है और उसके होने से हिन्दोस्तान की हालत ज्यादा बेहतर होने वाली है। मेरे नजदीक तो कोई बेहतरी होने वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई समझता है कि बेहतरी होने वाली है तो उसको साबित करे। हिन्दोस्तान की बेहतरी की बात और फीलिंग्स की बात जो कही गई हैं उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जिसका असर तकसीम व गैर तकसीम पर पड़ता हो। यू० पी० के अन्दर कोई ओपीनियन काबिल लिहाज ऐसी नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता हो कि यू० पी० में कोई नई तब्दीली की जाय। इसकी निस्बत यह कहा गया कि यू०पी० की राय तो है लेकिन सप्रेस किया गया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी बात का इजहार एक माकूल तरीके से किया और एक माकूल हद के अन्दर रहे लेकिन यह कि जैसा कहा गया कि किसी राय को सप्रेस करके, लोगों को दबा करके और उनको मजबूर करके राय का इजहार करवाया गया है तो उसकी निस्बत में अर्ज करूंगा कि मेरे नजदीक यू० पी० में कहीं ऐसी बात नहीं हुई। मेमोरेंडम गया था, पहले कुछ लोगों ने राय का इजहार किया था। मैं इस वक्त अगर कोई अपनी राय इजहार करूं और उससे पहले ही यह हाउस अपनी राय बना चुका हो और मेरे बतलाने पर कि यह गलत है अपनी राय वापस ले ले तो क्या यह सप्रेस करना है। क्या इसके माने यह हैं कि किसी पर दबाव डाला गया है। क्या हाउस के मेम्बरान मेरी राय इसलिये मानेंगे कि वह मुझसे डरते हैं। वह दबाव, वह सप्रेशन और वह लोगों को मजबूर करना जिसका तजकिरा आज तक चला आ रहा है उसका जमाना अब गुजर चुका है और आज कोई शख्स इतना डरता नहीं है कि वह डर और दबाव की वजह से कोई बात करे। वह यहां तशरीफ नहीं लाये हैं। वह भी बिजनौर के रहने वाले हैं, मैं भी बिजनौर का रहने वाला हूं। क्या वह यह कह सकते हैं कि मैंने बिजनौर में किसी को बुलाकर यह कहा है कि तुम ऐसा न कह कर ऐसा कह दो। कुछ लोगों ने कहा भी मुझ से कि वह ऐसा कह रहे हैं तो मैंने कह दिया है कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं लिहाज के काबिल समझता हूं। मैंने कहा कि अगर वह कहते हैं तो कहने दो। तो उनकी दलील तो वैसे ही लगी कि ओपीनियन तो है और यू० पी० के लोग मैजारिटी में चाहते हैं कि बंटवारा हो जावे, लेकिन चूंकि मैंने मना कर दिया है इसलिये वह वैसा नहीं कहते हैं और न ही एजीटेशन करते हैं। इसीलिये वह कहने से मजबूर हैं और कुछ करते भी नहीं। मैं समझता हूं कि वह जानते हैं कि उनका कोई साथ तो देता नहीं इसीलिये वह सबसे बाहर रहते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उसको वह समझते होंगे। मालूम ऐसा होता था कि लोगों की राय तो थी मगर उनको जब्र से रोका जा रहा है। मैं यह अर्ज करता हूं कि यह सही नहीं है। ओपीनियन तो है लेकिन वह ऐसी नहीं है जिसको यह समझा जाये कि यह लिहाज करने के काबिल है और जिसकी बिना पर यह समझा जाये कि यू० पी० के टुकड़े कर दिये जायं और दूसरी जगहों से मिला दिया जाये। एक अमेंडमेंट भी उन्होंने पेश किया था। मैं समझता हूं कि वह मंजूर करने के काबिल नहीं है। उसको किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया है। हाउस में उसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिला है। उन्होंने भी कहीं यह नहीं सुना होगा कि कमबख्त लीडर आफ दि हाउस ने किसी को बुला कर यह कहा हो कि तुम यह कह देना। जो उनकी तरमीम है वह मेरे नजदीक इस काबिल नहीं है कि मैं उसको कोई अहमियत दूं।

इसके अलावा और भी तरमीमें हैं। उसमें एक यह है कि जनरली निकाल कर उसमें कुछ और कर दिया जाये। उसको मैं समझता हूं कि जिस कदर यह लिखा हुआ है उसमें हर एक चीज से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। जहां तक हमसे ताल्लुक़ था उतना हमने निकाल कर रख दिया है। उसी के ऊपर हमें मशविरा देना है और जगहों के लिये हमने कह दिया है कि हम उससे इत्तिफाक करते हैं। मुमकिन है कि और जगहों के लोग इससे एख्तिलाफ करते हों। इसलिये हमको सारी की सारी रिपोर्ट पर बहस नहीं करनी है। हमने यह कह दिया है कि हम जनरली बाक़ी से ऐग्री करते हैं। और जगहों पर हो सकता है कि दूसरी तरह से लोग इख्तिलाफ करें। एक और इसमें तरमीम है वह यह है कि--

"and the House also endorses the view of the States Reorganization Commission that in any future set-up the unity of India should be the paramount consideration and recommends to the Government to implement as far as possible the recommendations"

यह एक अमेंडमेंट इसमें और है। इसके मुताल्लिक मैंने यह अर्ज किया जिसको मैंने अभी पढ़कर सुनाया है कि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। न इससे कोई खास फायदा है। इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई इजाफ़ा करने की जरूरत नहीं है। यहां जो हमने प्रस्ताव रक्खा है, वह वही है जो हमने एसेम्बली में रक्खा था और वहां पर पास हुआ है। हमको उसी के ऊपर अपने को महदूद करना चाहिये। जहां तक राय देने का ताल्लुक है तो वह सब उनके पास जा रहा है और वह गौर करेंगे, उनको मालूम हो जायेगा कि हमारे यहां का एक मोअज्जिज मेम्बर लीडर आफ दी हाउस ने इस किस्म का एक प्रस्ताव पेश किया है उस पर किसी का एख्तिलाफ नहीं है बल्कि यूनानीमिटी के साथ पास हुआ है। लेकिन अगर कोई इसको समझ ले कि रेडेन्डेन्सी है तो इसको इस नजर से देखने की जरूरत नहीं है। कहना नहीं चाहिये, शायद यह मुमकिन है, एक चीज़ को फिर से निकाल कर रखा जा रहा है इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस अमेंडमेंट को भी नहीं होना चाहिये। एक अमेंडमेंट और है जिसमें कुछ जिलों के बढ़ाने की बात है। मैंने अर्ज कर दिया कि हमारा उसूल जो होना चाहिये वह यह कि हम अपने से न कहें कि फलां को मिला दिया जाय जब तक वह न कहे.......

श्री कन्हैयालाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--वह कह रहे हैं कि मिला दो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कल गुजारिश की थी कि हमारा उसूल यह है कि जैसा यू० पी० हमारा है वैसा रहे। अगर कोई आना चाहता है और देना चाहता है तो वेलकम। हम उसे अपने में मिलाकर रखने के लिये तैयार हैं। इस बात से पूरी बात हल हो जाती है और दूसरी जगहों पर भी जहां मुझे मौका था वहां मैंने साफ कहा कि अगर कोई हम से मिलना चाहता है और आप मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिये। लेकिन मैं किसी पर किसी किस्म का असर डालना मुनासिब नहीं समझता। वहां भी एक राय नहीं है एख्तिलाफ है इसलिये हमारे लिये मुनासिब नहीं है कि हम अपनी तरफ से कहें कि तुम फलां चीज हम को दे दो, इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को भी मुनासिब नहीं समझता हूं। जहां तक इज़हारे राय का ताल्लुक है, वह आ गई है।

श्री कन्हैयालाल गुप्त--अगर दोनों के फायदे की चीज है तो कहने में क्या एतराज है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं कहता हूं कि मुत्तिफक़ा नहीं है। हमें फैसला करने वालों पर कोई असर नहीं डालना चाहिये। हमारे मामले में अगर कोई बाहर

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से असर डालने लगे तो उसको अच्छा नहीं समझेंगे। हम उसको और नजर से देखेंगे। अगर कोई आता है तो आये इस बारे में और अधिक नहीं कहूंगा। इस अमेंडमेंट को इस रिजोल्यूशन का जुज होकर नहीं जाना चाहिए। जहां यह रिजोल्यूशन जा रहा है यह अमेंडमेंट भी जा रहा है। जो इसके बारे में राय है वह भी जा रही है। इसके सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही जा रही है। उन्होंने पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। किसने क्या कहा, क्या तकरीरें हुईं, जितने अमेंडमेंट हैं वे सब जायेंगे। इससे मुतमैयन रहना चाहिये। जो अमेंडमेंट दिया गया है उसको अलग कर दिया जाय और जो रिजोल्यूशन है उसको सर्वसम्मति के साथ पास करना चाहिए।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं पहले उन पर सदन का मत उसी क्रम में लिया जायगा, जिसमें वे प्रस्तुत किये गये थे। बाद में मूल प्रस्ताव पर मत लिया जायेगा।

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--Sir, I want to raise a question before you. If any amendment has been moved in the House and it has not been supported by any Member, would you like to put it before the House for voting ?

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--There is no rule which bars an amendment, which has been moved and discussed, being put to the vote of the House. In this case, however, the mover of the amendment is not in his seat and in view of his absence from his seat I rule that his amendment need not be put to the vote of the House.

मैं अब श्री कुंवर गुरु नारायण जी के संशोधन को उपस्थित करूंगा।

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--Sir, before you put that question, I want to know when any amendment is put before the House and it has got to be supported by a seconder, would you like to put it to the House?

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--Certainly. If the mover had been here, I would have put it.

प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"और यह सदन राज्य पुनर्संगठन आयोग के इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है कि भारत की सभी भविष्य परिस्थितियों में भारत की एकता का सर्वोच्च विचार रखा जाय और सरकार से सिफारिश करता है कि तत्सम्बन्धी सिफारिशों को यथासम्भव कार्यान्वित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में (५)

१--श्री कुंवर गुरु नारायण
२--श्री नरोत्तम दास टंडन
३--श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी
४--श्री शिव प्रसाद सिनहा
५--श्री हृदय नारायण सिंह

विपक्ष में (३८)

१--श्री अब्दुल शकूर नजमी
२--श्री इन्द्र सिंह नयाल
३--श्री एम० जे० मुकर्जी
४--श्री कन्हैयालाल गुप्त
५--श्री कुंवर महावीर सिंह
६--श्री केदार नाथ खेतान
७--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
८--श्री जगन्नाथ आचार्य

९—श्री जमीलुर्रहमान किदवाई
१०—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
११—श्रीमती तारा अग्रवाल
१२—श्री तेलू राम
१३—श्री दीप चन्द्र
१४—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद
१५—श्री प्रसिद्ध नारायण अनद
१६—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
१७—श्री पन्ना लाल गुप्त
१८—श्री परमात्मा नन्द सिंह
१९—श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
२०—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
२१—श्री महफूज अहमद किदवाई
२२—श्री बेणी प्रसाद टंडन
२३—श्री (हकीम) व्रज लाल वर्मन
२४—श्री महमूद असलम खां
२५—श्री राम नन्दन सिंह
२६—श्री राम लखन
२७—श्री रामलगन सिंह
२८—श्री लल्लू राम द्विवेदी
२९—श्री लालता प्रसाद सोनकर
३०—श्रीमती शान्ति देवी
३१—श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल
३२—श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
३३—श्रीमती सावित्री श्याम
३४—श्री श्याम सुन्दर लाल
३५—श्री अजय कुमार बसु
३६—श्री सभापति उपाध्याय
३७—श्री सरदार सन्तोष सिंह
३८—श्री हयातुल्ला अन्सारी

श्री गोविन्द सहाय जी का संशोधन आउट आफ आर्डर डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वे इस समय हाउस में मौजूद नहीं हैं।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—क्या सदन की इजाजत है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

**श्री (हकीम) व्रज लाल वर्मन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—मैंने अपना संशोधन इसलिये मूव किया था कि यह सरकार को और मजबूत करता है। लेकिन जो दिक्कतें बतलायी गयी हैं उनको देखते हुये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—लीडर आफ दि हाउस ने जो अश्योरेंस दिया है उसके बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—अब जो मूल प्रस्ताव है, मैं उसको सदन के सामने उपस्थित करता हूं :—

प्रश्न यह है कि "यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे संधान (adjustments) को छोड़ कर, जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

## सदन का कार्यक्रम

**श्री डिप्टी चेयरमैन**—अब परसों उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज कन्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार करने के सम्बन्ध में सदन की क्या राय है।

**श्री कुंवर गुरुनारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मालूम नहीं कि मेम्बरों की क्या राय है मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है। २९ तारीख को नहान है और २८ को यह होगा।

श्री कुंवर गुरुनारायण—यह जो आप का कन्ट्रोल वाला बिल है उसकी तारीख आखिरी २५ जनवरी है और मैं समझता हूं कि १९ दिसम्बर से फिर कौंसिल दोबारा मीट करेगी, इसलिये दो दिन के लिये एक बिल को रखना उचित नहीं होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—असल में पोजीशन यह है कि यह जो कन्ट्रोल वाला बिल जारी है शायद इसके मातहत दो चीजों का कन्ट्रोल है और उसकी मियाद खत्म होती है २५ जनवरी को जिससे पहले इसको ला बन जाना जरूरी है। यह यहां इन्ट्रोड्यूस भी हो गया है लिहाजा इसे पहले यहीं पास होना है। अब जैसे मेम्बरों की राय हो, यह परसों भी लिया जा सकता है और १९ को भी कौंसिल होगी और उसके बाद मैं समझता हूं कि असेम्बली से बिजिनेस आयेगा उसके साथ भी यह लिया जा सकता है, अगर मेम्बरान की राय है कि परसों लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—उस बिल की मियाद तो २५ जनवरी को खत्म होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर उस बिल की मियाद २५ जनवरी को खत्म होगी तो जब हम १९ दिसम्बर को यहां पर बैठेंगे तो उस सेशन में हम इसको पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई इत्तिला आई है कि इसको अभी कर लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो यहां तक करने के लिये तैयार हूं कि उसको इसी वक्त पास कर लिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण—एक तो यह बिल ऐजेन्डा पर भी नहीं है और दूसरे मैं यह समझता हूं कि हाउस इस वक्त इसे लेने के लिये तैयार नहीं होगा।

श्री कुंवर महाबीर सिंह—इसको सोमवार को ही लिया जाय तो ठीक है ताकि हम को अपनी स्पीचेज भी करेक्ट करने का मौका मिल जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर हाउस यह चाहता है कि इस बिल को सोमवार को लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—हाउस की यह राय है कि बिल सोमवार को लिया जाय इसलिये यह बिल सोमवार को ही लिया जायेगा।

**सदन की बैठक सोमवार को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।**

**(सदन की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, २८ नवम्बर, सन् १९५५ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)**

लखनऊ,
२६ नवम्बर, सन् १९५५ ई०।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४६ एल० सी०—१९५६—७९६।

# त्तर प्रदेश लजिस्लेटिव कौंसिल

२८ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

## उपस्थित सदस्य (४२)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण, अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत वन व सहकारी मन्त्री)

श्री चन्द्र भानु गुप्त (उद्योग, नियोजन, स्वास्थ्य व रसद मंत्री)।

श्री कमलापति त्रिपाठी (सूचना व सिंचाई मंत्री)

## प्रश्नोत्तर

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—(वित्त मंत्री के इच्छानुसार स्थगित किया गया।)

२—श्री कुंवर महाबीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—(वित्त मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित किया गया।)

३—७—श्री कुंवर महाबीर सिंह—(स्थगित)।

### ओहेन और प्राइसूरी नदियों पर सिंचाई के लिए बांध बनाने की योजना

८—श्री कुंवर महाबीर सिंह—क्या यह ठीक है कि सरकार ने ओहेन और प्राइसूरी नदियों पर सिंचाई के लिये बांध बनाने की योजना को शुरू कर दिया है?

8. **Sri Kunwar Mahabir Singh** (*Assembly Constituency*)—Is it a fact that the Government has taken up the scheme of cons- truction of dams for irrigation on the Ohan and Paisuri rivers?

**श्री कमलापति त्रिपाठी** (सूचना व सिंचाई मंत्री)—ओहेन और प्राइसूरी नदियों पर सिंचाई के लिये बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

**Sri Kamlapati Tripathi** (*Minister for Information and Irrigation*)—The schemes pertaining to the construction of Dams on the Ohan and Paisuri rivers are under the consideration of Government.

**श्री कुंवर महाबीर सिंह**—क्या इस योजना को सेकेन्ड फाइब इयर प्लान में ले लिया गया है?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—सेकेन्ड फाइव इयर प्लान का अन्तिम रूप अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन हमने इसकी सिफारिश जरूर की है कि इनको ले लिया जाय।

९—श्री कुंवर महाबीर सिंह—यदि हां, तो कब?

**Sri Kunwar Mahabir Singh**—If so, when?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—प्रश्न इस समय नहीं उठता।

9. **Sri Kamlapathi Tripathi**—The question does not arise at this stage.

१०—श्री कुंवर महाबीर सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त बांधों पर सरकार का अनुमानतः कितना व्यय होगा?

10. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Will the Government state the estimated expenditure to be incurred by the Government on these dams?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—प्रश्न इस समय नहीं उठता।

**Sri Kamlapati Tripathi**—The question does not arise at this stage.

११—१५—श्री कुंवर महाबीर सिंह—(स्थगित)।

१६–१७—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—(वित्त मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित)

१८—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—(इस प्रश्न का उत्तर २५-११-१९५५ को प्रश्न संख्या ९ के रूप में दिया जा चुका है)

१९—२४—श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र)—(वित्त मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित किये गये)

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

*श्री चन्द्र भानु गुप्त (उद्योग, नियोजन, स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर यह सदन विचार करे।

इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है, इसका वर्णन इसके उद्देश्य और कारण, जो कि इस विधेयक के साथ छपे हुये हैं, उसमें बतला दिया गया है। यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुर्नविहित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा जारी रखा गया था कि अवधि २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो जायगी। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि जो ऐक्ट अब तक जारी रहा है, वह और समय तक के लिये हमारे बीच में जारी रहे। सदन को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि अब प्रदेश में काफी विकास के कार्य हो रहे हैं और विकास के कार्यों के लिये इन वस्तुओं की आवश्यकता है, जो कि विकास के कार्यों में लगती हैं। ईंट और लकड़ी ये दोनों ऐसी चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल विकास के कार्यों में काफी मात्रा में होता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि कहीं ईंटों का भाव जो कभी-कभी अधिक बढ़ जाता है, वह बढ़ने न पाये और इस पर नियंत्रण रखा जाय। लकड़ी भी एक ऐसी चीज है, जिसका संरक्षण आवश्यक है। हमारे जो जंगलात हैं, वे धीरे-धीरे कटते चले जा रहे हैं और उनके कारण काफी दिक्कतें हमें अनुभव करनी पड़ती हैं। इसलिये जो जंगलों की प्रोड्यूस की हुई लकड़ी है, जिसकी आवश्यकता किन्हीं-किन्हीं ऐसे शहरों में होती रहती है, जहां कि कम मात्रा में लकड़ी पहुंच पाती है, तो ऐसे स्थान पर लकड़ी पहुंचाने के लिये आवश्यक है कि इस लकड़ी पर भी नियंत्रण रखा जाय। इन कारणों से यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ उप-स्थित है। विधेयक में सिर्फ इस बात की मांग की गयी है कि जो अधिनियम अब तक जारी रहा था और जिसकी अवधि २५ जनवरी, १९५६ को खत्म हो जायेगी, वह दो वर्ष तक और जारी रखा जाय। मैं अधिक इस पर न कहते हुये, सदन से आशा करता हूं कि वह इस विधेयक पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा और अपनी अनुमति इसको पास करने के लिये प्रदान करेगा। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस विधेयक को सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज विधेयक अभी माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख रखा है, उसमें दो वर्ष की मियाद बढ़ाने की मांग की गयी है। जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है, यह सभी चाहते हैं और मैं समझता हूं कि कंट्रोलों का हटाना जल्द से जल्द हो, तो अच्छा ही है। लेकिन जब हम अपनी पंच वर्षीय योजना की ओर देखते हैं और हम यह देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी चालू होने वाली है, तो हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम उस समय तक, जब तक हम इन योजनाओं के मातहत अपने प्रदेश का विकास नहीं कर लेते और अपने प्लान और पंचवर्षीय योजना को सफल नहीं कर लेते, तो हमें जिन बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, उन पर कंट्रोल रखें

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

और खासतौर से ऐसे कच्चे माल पर जिनसे आग चल कर के इस प्रदेश की योजना को बहुत ही लाभ होने वाला है, जैसे ईंट, लकड़ी, कोयला इत्यादि जो चीजें हैं, उनको अगर हम कंट्रोल के जरिये से नहीं रोकते, तो हो सकता है कि उसमें तमाम मुनाफेबाजी होने लगें और हमको बहुत भारी धक्का लगे। आज हमारी योजना के अन्तर्गत बहुत से मकानात बनने हैं, तमाम विकास का कार्य होना है और उसमें यह सभी चीजें लगानी हैं, तो उसको धक्का लग सकता है। इस अवसर पर जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, उसका तो मैं स्वागत करता ही हूं, लेकिन मैं इस बात की ओर भी सरकार का ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं कि केवल कंट्रोल ही से कार्य नहीं चलेगा। हमको इस बात की भी कोशिश करनी चाहिये कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में, जिन चीजों को योजनाओं में लगाना है, उन चीजों का प्रावीजन भी करना चाहिये। आज जो मांग हमारी बढ़ रही है इन चीजों की तो उसके लिये भी सरकार को एक प्लान्ड तरीके से इसका अनुमान करना चाहिये कि पंचवर्षीय योजना में कितने विकास के कार्य हो रहे हैं और उसमें हमारा कितना खर्चा होगा, उसमें कितनी ईंटें खर्च होंगी, कितनी लकड़ी खर्च होगी, अगर प्लान्ड तरीके से हम इसका पहिले से ही प्रबंध कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ यह योजना सफल बनाई जा सकती है। जैसे कोयला है, तो कोयला तो ऐसा भी है कि कभी-कभी इसकी कमी भी महसूस होने लगती है, जैसे लखनऊ शहर में कभी-कभी कोयले की बहुत कमी पड़ जाती है, हालांकि यह जरूरी है कि जो सोर्सेज (sources) है, उनमें कोयला वगैरह काफी मात्रा में मौजूद हो, तो एक प्रश्न हमारे सामने यह भी है और मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन चीजों को लाने के लिये यातायात की सुविधा भी होनी चाहिये और इसके लिये प्रबंध होना नितान्त आवश्यक है। अगर हमारे पास कोयला है या और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यदि हमारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी नहीं है, तो इससे काफी दिक्कत पहुंचेगी और इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, यह जरूरी है कि हम जब कि अपनी योजनाओं को बना रहे हैं, तो हमें यह अवधि देनी ही है और मैं आशा यह करता हूं कि जो रा-मेटिरियल या दूसरी चीजें जो कि योजना के लिये जरूरी हैं, वह केवल अधिक से अधिक मात्रा में ही न मौजूद रहें, केवल कंट्रोल ही न रहे बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कम्पीटीटिव रेट्स पर भी मिल सकें, जब कि खासतौर से प्राइवेट सेक्टर के लिये हमने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रोत्साहन देने का प्रबन्ध किया है। तो यदि हम प्राइवेट सेक्टर को किसी प्रकार से भी पनपाना चाहते हैं या पनपा सकते हैं, तो इसके लिये बहुत ही आवश्यक है कि कम्पीटीटिव रेट्स पर अधिक से अधिक मात्रा में यह चीजें हमको प्राप्त हो सकें। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि आज कल जो दिक्कतें हैं, वे दूर हो जायेंगी और सरकार अपना इस प्रकार से प्रोग्राम बनायेगी जिससे जनता की तमाम जरूरियात पूरी हो जायेंगी। मुझे सिर्फ इसके संबंध में इतना ही कहना है।

***श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें कोई दो राय का सवाल नहीं है कि इस विधेयक की मियाद और बढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस संबंध में किसी भी माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा कि इस विधेयक की मियाद एक साल या दो साल के लिये और बढ़ा दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के संबंध में एक दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां कोयले से बनी हुई ईंटों पर कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट क्लास ईंटें होती हैं, उनकी कीमत २२ रुपये हैं और जो सेकेंड क्लास ईंटें होती हैं, उनकी कीमत २० रुपया है। लेकिन आप ने अक्सर यह भी देखा

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

होगा कि जो यह भाव है उससे भी कम कीमत पर ईंटें बिक गयी हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कंट्रोल ऐसी कीमत पर हो, जिससे न तो भट्टे वालों को नुकसान हो और न उससे कन्ज्यूमर्स को ही किसी प्रकार का नुकसान हो। इस वक्त जहां तक ईंटों की सप्लाई का संबंद्ध है वह तो काफी संख्या में बन रही हैं। इसके साथ ही साथ एक बात मैं यहां पर कह देना बहुत ही जरूरी समझता हूं और वह यह है कि भट्टे के लिये लाइसेंस देने की जो सरकार की नीति है, उसमें ढिलाई कर देनी चाहिये और इसमें मैं समझता हूं कि कोई हर्ज भी नहीं है। लोगों को भट्टे का लाइसेंस मांगने पर आसानी से मिल जाना चाहिये। मुझे एक बात लकड़ी के द्वारा बनाई गई ईंटों के संबंध में और अर्ज कर देनी है कि इस विधेयक के जरिये से उन्हीं ईंटों पर कंट्रोल होगा, जो कोयले से बनी हुई होंगी और जो लकड़ी से ईंटें बनी हुई होती हैं, उन पर इस विधेयक के जरिये से किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होगा और न इस विधेयक में आइंदा के लिये उसमें कोई प्रावीजन किया गया है। जो ईंटें लकड़ी की बनी हुई होती हैं, वे कोयले से बनी हुई ईंटों के मुकाबिले में अच्छी नहीं होती हैं, इसलिये लोग लकड़ी की बनी हुई ईंटों को ज्यादा लेना पसन्द नहीं करते हैं। भट्टे वाले भी ज्यादा तर कोयले की ही ईंटें बनाते हैं और उसका कुछ स्टाक रिजर्व कर लेते हैं। जब ईंटों की ज्यादा जरूरत होती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है तो यह लोग इन्हीं ईंटों को ज्यादा कीमत पर लकड़ी से बनी हुई ईंट बतला कर बेच देते हैं, क्योंकि लकड़ी से बनी हुई ईंटों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो ईंटें कोयले से बनती हैं, उनमें और जो ईंटें लकड़ी से बनती हैं उनके दोनों के खर्च में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। लकड़ी की ईंटों पर न पहिले ही कोई कंट्रोल था और न आज ही किसी प्रकार का कंट्रोल है। ये लकड़ी और ईंटें जिन दामों पर चाहें, यह बेच दें, पर आज यह कंडीशन नहीं है कि लकड़ी की बनी हुई ईंटों को ऊंचे दामों पर बेचें। लेकिन जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है और जैसा कि विधेयक के उद्देश्य में बतलाया गया है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, तो उसमें इस बात की संभावना हो सकती है कि लकड़ी की ईंटों के दाम अधिक हों और सप्लाई कम हो जाय। ऐसी सूरत में ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है और कोयले की बनी हुई ईंटों को लकड़ी की बनी हुई ईंट कह देंगे और उसके दाम मनमाने ले लेंगे। तो इस तरह से कन्ज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं होगा और कन्डीशन ठीक नहीं रहेगी।

एक बात मैं लकड़ी और बांस के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि लकड़ी और बांस जिस तरह से होता है और जिससे कि रस्सी भी बनाई जा सकती है, तो हमारे यहां भाबर में लकड़ी और बैब घास अधिक होती है। इसके उद्देश्य में कहा गया है कि बास और बैब घास पर जो जलाने वाली लकड़ी हैं उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, जलाने वाली लकड़ी पर कंट्रोल रहना भी चाहिये, हालांकि उसकी कंडीशन्स भी आज बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि कंट्रोल इसलिये होता है कि उसके दाम ठीक रहें और वह सहूलियत से मिल सकें। लेकिन जहां तक बांस और बैब घास का संबंध है, वह हल्द्वानी के जंगलों में होती है और यह मार्केट में भी ज्यादा आ सकती है। तो जहां तक बैब घास और बांस का संबंध है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि बैब घास पर फिर से कंट्रोल क्यों किया गया है, बाकी जहां तक इस कंट्रोल का संबंध है कि दो साल तक इस विधेयक की मियाद बढ़ा दी जाय, मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि जो बातें मैंने अभी माननीय मंत्री जी के सामने रक्खी हैं, उन पर वे जरूर विचार करेंगे और जिन चीजों की कमी है, उस पर तो वे कंट्रोल करें, लेकिन जो चीजें ऐसी हैं कि जिन पर कंट्रोल नहीं होना चाहिये तो उन पर वे कंट्रोल न लगावें।

**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार** (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल ईंटों, कोयलों तथा अन्य जंगली उत्पादनों के कंट्रोल के सिलसिले में आया है। मैं

---

सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

कंट्रोल के विरोध में रहा हूं और अब भी हूं, किन्तु अगर आपकी अगली पंचवर्षीय योजना को इससे बल मिलता है, तो सरकार के हाथ में इसको करने में मुझे प्रसन्नता है। किन्तु जिस प्रकार अभी तक कंट्रोल चल रहा है उसका जो मुझे अनुभव है, उसके आधार पर मैं एक सुझाव माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं। हर जिले में कुछ व्यक्ति हैं जोकि बहुत अर्से से जब कि कंट्रोल नहीं था तब से ईंटें बनाने का व्यवसाय करते हैं। आप जो कोयला प्लानिंग और कोआपरेटिव को देते हैं, वह लगभग ८० या ९० प्रतिशत होता है। मगर और भट्टेवालों को साल में ७ वैगन्स मिलते हैं, जब कि प्लानिंग और कोआपरेटिव वालों को ३५ या ४० वैगन्स तक भी मिल सकता है। अब आप तय कर लीजिए कि एक भट्टी के लिये, उसको साल भर तक चलाने के लिये, कितने कोयले की जरूरत है। अगर आप एक कोआपरेटिव के भट्टे को चलाने के लिये समझते हैं कि ३५ या ४० वैगन्स कोयले की जरूरत है, तो व्यक्तिगत भट्टा चलाने के लिये ७ वैगन्स से किस प्रकार काम चल सकता है। परिणाम यह होता है कि वह भट्टा दो आदमी मिल कर चलाते हैं या ब्लैक मार्केटिंग होता है और एक यह भी बात देखने की है कि जिन लोगों ने जब कंट्रोल नहीं था, यह व्यवसाय चला कर लोगों की जरूरतें पूरी कीं, अब हमको उन लोगों को किसी प्रकार से भूखों तो मारना नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि कोई न कोई इस प्रकार से व्यवस्था कर दी जाय कि उतने निजी भट्टे और उतने कोआपरेटिव या प्लानिंग से चलेंगे और इन दोनों भट्टे वालों के कोयले में बहुत अन्तर नहीं होगा कि एक को सात और एक को ३५। आप कुछ अन्तर कर सकते हैं और इसलिये कर सकते हैं कि निजी भट्टे वाले एक्सपर्ट होते हैं, वह कम कोयले में अपना काम चला सकते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटी के जो भट्ठे हैं या प्लानिंग के जो भट्टे हैं, उसमें श्रीमन् आपके द्वारा मैं सब से कहूंगा कि कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर भट्टा चलाता हो, ऐसी बात नहीं है। ईंट पाथने वालों की कोई सोसाइटी नहीं है। किन्तु टेंडर देकर भट्टा दिया जाता है, ठेके पर और उन ठेके वालों को यह खतरा नहीं होता है कि उनको नुकसान हो सके। उसका परिणाम यह भी होता है कि जिस स्थान पर भट्टे की जरूरत है और वहां भट्टा चलाने में कुछ दिक्कतें हैं, तो प्लानिंग विभाग के भट्टे वाले वहां पर जाते ही नहीं और जो पुराने आदमी हैं जो खतरा लेकर अपने व्यवसाय को चलाते हैं, जिन्होंने खतरा उठाया है, उनको आप प्रोत्साहित करते नहीं हैं, इसलिये वह जगहें खाली रह जाती हैं। सहारनपुर में अभी बाढ़ आई, कच्चे मकान और झोपड़ियां बह गईं, वहां पर भट्टा बनाने की समस्या है। बाढ़ के इलाके में मैं अभी गया था, उनका कहना है कि यदि हमारे यहां भट्टा चला दिया जाय, तो हम अकेले पक्के मकान बना सकते हैं। उसमें हमारा फायदा भी है। परन्तु वहां पर भट्टा बनाने वाला कौन है। पुराने वालों को आपने उत्साहित नहीं किया, नये आदमी आज कल जो भी व्यवसाई हैं, वह खतरे को अपने सर ले रहे हैं। इसलिये मेरी यह सम्मति है कि आप निजी भट्टे वालों को कोयला दें और उनसे यह तय कर लें कि जब हम चाहेंगे इस रेट से ईंट ले सकते हैं। सहारनपुर का मुझे अनुभव है। जितना कोयला वहां जाता है, वह उनके दफ्तर के आगे पड़ा रहता है, बरसात में वह खराब होता है। एक बरसात में दो परसेंट तो खराब हो ही जाता है। जब उसको कोई उठाता नहीं है, तो वह ढूंढते हैं कि हमारा कोयला कोई ले ले। दूसरे भट्टे वाले परेशान रहते हैं, वह उसको अधिक रेट पर लेते हैं और यदि दिखाने के लिये रेट्स वैसे ही रखते हैं, तो पैमाना कम कर देते हैं और उसको ले जाने में, रखने में जो खर्च होता है, वह दुबारा रना पड़ता है। तो इस प्रकार कोयले का कंट्रोल जो अब तक बरता गया है, वह संतोषजनक नहीं है। इसलिये यदि आपको अधिकार लेना ही है, तो मेरी यह प्रार्थना है कि जिन्होंने अब तक व्यवसाय को चला कर लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, उनकी जरूरतों का भी ध्यान हमें रखना है और ऐसा उपाय भी करना चाहिये कि कोयले के बिना ऐसी ईंटें बन सकें। कच्ची ईंटें इस प्रकार से रुड़की में बनाई जा रही हैं कि उनको किसी मशीन से प्रेस कर देते हैं

और पकाये बिना ही काम में ले आते हैं। तो इस तरह से कोयले की बचत होगी और मकान भी कम पायेदार नहीं होता है। देहातों में भी इस व्यवस्था को करने से काम चलाया जा सकता है।

अगर जो बात मैंने कही है, वह गलत है, तो मान लीजिए कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के भट्टे हैं और भट्टों की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो मैं पूछूंगा कि पिछले तीन साल में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिन्होंने कोयले से ईंटें पकाने का काम किया और वहां के रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनके खर्च की जांच की या नहीं जैसा कि नियम के अनुसार जरूरी है। भट्टे के नाम पर जो कोपरेटिव सोसाइटीज चल रही है, वह एक धोखा है और यदि कोई व्यवस्था कोयले के लिये आप कर सकते हैं, तो कीजिए जिससे कि कोयले का ठीक उपयोग हो और जहां जरूरत हो, वहां कोयला पहुंचे और जो व्यक्तिगत भट्टे चलाते हैं उनके स्वार्थ भी पूरे हों। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि यह बिल स्वीकार हो।

***श्री जगन्नाथ आचार्य** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, अत्यन्त आवश्यक है। इसके बारे में जो कुछ दिक्कतें हमारे यहां हुई, उनको आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे वहां पूर्वी जिलों में काफी बाढ़ आई और काफी तबाही हुई। लकड़ी का रेट ३ रुपया तक पहुंच गया। कंट्रोल तो एक रुपया पौने छः आने का था। जो लोग परमिट ले कर जाते थे, उनको एक रुपया पौने छः आने मन लकड़ी मिलती थी और वही लकड़ी दूसरों को एक रुपया बारह आने में मिलती थी। तो कंट्रोल के प्रश्न पर जरा सख्ती होना चाहिये, नहीं तो कंट्रोल का करना न करना बिल्कुल बेकार है। हमको भी इसका इत्तिफाक हुआ कि मैं जब लकड़ी लेने के लिये गया, तो मुझको एक रुपया पौने छः आने में एक मन मिली, लेकिन जब मेरा नौकर गया तो वही लकड़ी उसको एक रुपया बारह आने में मिली। हमारे यहां गोरखपुर में रेलवे का काफी काम चल रहा है। ईंटों की इतनी कमी हो गयी है कि वह आसानी से मिल नहीं रही हैं और जो मिलती हैं वह ४० रुपया हजार मिलती हैं। कंट्रोल से २४ रुपया हजार हैं।

हम मटहट की कोआपरेटिव सोसाइटी का एक उदाहरण देना चाहते हैं। वहां पर नहर का काम हो रहा है। नहर डिपार्टमेंट की तरफ से मटहट से काफी ईंटें ली गयीं हैं। उसके लिये एक स्टीमेट बनाया गया और उससे पता लगा कि जितनी उनके एस्टीमेट में थीं और जो एस्टीमेट के अनुसार खरीदी गई थीं, उनमें कई हजार ईंटें घट गईं। तो इसकी वजह यह है कि साइज में काफी घट रही हैं। जब कंट्रोल रखा जाता है, तो इस बात का भी देखना जरूरी हो जाता है कि साइज के अनुसार ईंटें पाथी भी जाती हैं या नहीं। आजकल साइज से छोटी ईंटें पाथी जा रही हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि साइज को मेन्टेन किया जाय। अगर साइज को मेनटेन नहीं करते हैं, तो कंट्रोल का रखना न रखना बेकार है। इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये कि गोरखपुर में जो भट्टे चल रहे हैं, उनके स्वयं आदमी हों, न कि ठेकेदार को दिया जाय। ठेकेदार को देने से काफी अव्यवस्था होती है और घाटे पर चलता है। इस तरह से वहां गोरखपुर के अन्दर देखा जाय तो काफी इधर उधर हुआ है। इन सुझावों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री कुंवर महाबीर सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं भाई पूर्णचन्द्र जी के विचारों से सहमत नहीं हूं। वह कंट्रोल को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं सदैव ही कंट्रोल की मुआफिकत में रहा हूं और रहूंगा। हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि हम सप्लाई को रेगुलेट करें और उन वस्तुओं को जिनकी कमी है या जिन वस्तुओं की

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कुंवर महाबीर सिंह]

अधिकता है, उन पर कंट्रोल रक्खें। अभी हाल में आपने देखा कि अन्न की कीमतों में बहुत कमी हो गई थी और आवश्यकता इस बात की पड़ी कि सरकार कोई न कोई इस तरह का नियंत्रण करे कि एक खास मिनिमम प्राइज से नीचे अन्न की कीमतें न जायें। सरकार ने ऐसा किया। उसे करना पड़ा और इस तरह किसान की रीढ़ टूटने से बची। कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोशलिस्ट फार्म आफ स्टेट में जाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम कंट्रोल किसी न किसी रूप में रक्खें। जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है, कंट्रोल खुद बुरी चीज नहीं है। जिन साधनों और जिस मेशनरी से कंट्रोल किया जाता है उनमें बुराई हो सकती है। जो आदमी उसको चलाता है उसमें खामियां हो सकती हैं और इसीलिये कंट्रोल में बदनामी हो सकती है। लेकिन जहां तक कंट्रोल के नियंत्रण का प्रश्न है, वह बड़ी अच्छी चीज है उसके बिना समाजवादी ढांचा तो चल ही नहीं सकता। मैं अपने साथी कुंवर गुरु नारायण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित किया है कि कंट्रोल की सफलता के लिये इस बात की आवश्यकता है कि उस चीज की सप्लाई बढ़ाई जाये और उस मकसद को हमको भुलाना नहीं चाहिये कि हम उन चीजों को जिनकी कमी है अधिक से अधिक मुहैया करने की कोशिश करें।

मैं नमूने के तौर पर अपने जिले की एक मिसाल यहां पर रखता हूं, हमारे यहां लकड़ी और बांस बहुत होता है और वह बाहर भी भेजा जाता है। काफी प्रचुरमात्रा में स्टेशनों पर ढेर के ढेर लगे रहते हैं। अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया कि जलाने वाली लकड़ी की बहुत कमी है। यह कमी इसलिये नहीं है कि पैदावार कम है। पैदावार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यह ठीक तरह से दूसरी जगहों पर पहुंचाई नहीं जा सकती है, इसलिये कमी पड़ जाती है। हमें ठीक तरह से उचित मात्रा में वैगन्स नहीं मिल पाते हैं और इसीलिये तकलीफ होती है। सामान स्टेशनों पर पड़ा सड़ता है। बहुत होने पर भी लोगों को मिल नहीं पाता। मैं इस बात को मानता हूं कि वैगन्स का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि हमारे सप्लाई विभाग वाले और जो कंट्रोल को चलाने वाले हैं, वह उस चीज के ऊपर गौर करें और ध्यान रक्खें कि कहां पर कौन सी चीज की ज्यादती है और कहां पर कमी है? मानिकपुर के इलाके में बांदा जिले के पाठे इलाके में लाखों मन लकड़ी जलाने वाली पैदा होती है। लाखों मन बांस चार कोल पैदा होता है। वहां स्टेशनों पर ढेर के ढेर लगे रहते हैं, परन्तु वैगन्स न मिलने के कारण सारा सामान पड़ा रहता है, सड़ता है, बरबाद होता है। एक जमाना था कि वहां पर जंगलात के नीलाम बड़े ऊंचे दामों पर हुआ करते थे। लेकिन अब वहां पर नीलामी के वक्त में कोई जाता भी नहीं है। वह इसलिये नहीं जाते हैं कि वैगन्स तो मिलते ही नहीं और उनकी लकड़ी स्टेशनों में ही पड़े-पड़े सड़ जाती हैं। जलाने वाली लकड़ी का तो यह हाल होता है कि अगर वह एक बरसात भी पड़ी रह जाती है, तो सड़ जाती है। वैगन्स न मिलने के कारण सैकड़ों मन लकड़ी सड़ जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर लकड़ी पड़ी हुई है, वहां पर वैगन्स अगर मुहैया कर दिये जायं तो बड़ी सहूलियत पैदा हो जायेगी। यातायात के साधन ठीक होने से समान की अधिकता होगी। जब अधिकता होगी तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं रह जायेगी।

साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि अभी हमारे भाई पूर्ण चन्द्र जी ने कोल का जिक्र किया है कि उसकी कमी रहती है। तो वह कौन सा कोल है जिसका वह जिक्र कर रहे थे? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको भी क्लियर करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ में इस बिल की सपोर्ट करता हूं।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूऐंस आफ पावर्स) (सेकन्ड

अमेन्डमेंट) बिल, १९५५ के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं और उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें उद्देश्य पत्र को मैंने पढ़ा, उससे ज्ञात हुआ कि प्रदेश की सप्लाईज में काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी यह आवश्यक समझा गया कि सरकार के हाथ में यह अधिकार रहे कि वह उस मौके पर जब कभी कोई शारटेज आये और सप्लाईज आदि में जनता को दिक्कत महसूस हो, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि साल दो साल के लिये सरकार के हाथ में यह अधिकार रहे कि वह इन चीजों को अपने नियंत्रण में कर सके। उद्देश्य में तीन चार चीजों के नाम दिये गए हैं, उनको देखने से यह साफ नहीं मालूम होता है कि इनके अलावा और किसी चीज पर कंट्रोल की आवश्यकता है या नहीं। जो स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट ऐण्ड रीजन्स हैं, उसमें लिखा है:--

"Bricks" other then firebricks and (ii) "Forest Produce" including firewood, charcoal, bamboo, baib-grass and resin..

इन चीजों के अलावा अगर किसी चीज की शारटेज पड़ जाती है, तो क्या सरकार को अधिकार होगा कि वह उन चीजों पर कंट्रोल रख सके। सीमेंट और आयरन पर सरकार का कंट्रोल रहेगा या नहीं अथवा भविष्य में किसी चीज का शारटेज होने पर सरकार का नियंत्रण होगा या नहीं। इसमें लिखा है कि इन्हीं चीजों के लिये यह आवश्यक है कि मियाद बढ़ाई जाय, तो मैं सिर्फ इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरी राय में सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार के रहने की जरूरत है।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जो बिल ऐवान में है, उसका मुद्दा सिर्फ यह है कि वह दो साल की बसात चाहता है। हमको देखना चाहिये कि सन् ४७ से इस खामी को पूरा करने के लिये जो प्लानिंग की जा रही है, उसमें क्या खामी आई और यह जरूरत आन पड़ी कि फिर इसको किया जाय। मैं यह मानता हूं और जानता हूं कि किसी रियासत, हुकूमत का कंट्रोल आयद करना कोई बाइस मसर्रत नहीं।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--पार्टी का कंट्रोल बढ़ा हुआ है।

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--अभी आप बांधे तो।

लेकिन वह कंट्रोल जिससे कंट्रोल न हो अर्थात् जिस कंट्रोल से मर्ज का इलाज न हो तो वह कंट्रोल नहीं है।

मैं आपसे सदाकत के साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब से यह कंट्रोल आया है आपका करेप्शन निहायत तजाउज कर गया It has become a motive and incentive to corruption. अभी हमारे विद्यालंकार जी ने निहायत खूबी, निहायत फसाहत और सदाकत के साथ जैसा कि एक मेम्बर का फर्ज है, गवर्नमेंट को बताया है कि आपकी रियासत में जुल्म हो रहा है इस गरज से। मैं तो समझता था कि फतेहपुर बहुत बैकवर्ड है, मगर मालूम हुआ हर जगह यह बला जारी है। भाई पन्ना लाल साहब ने बहुत कोशिश की और बहुत वजाहत के साथ तकरीर की या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन गवर्नमेंट के कान तक इस बात को लाने की कोशिश की कि इस प्लानिंग डिपार्टमेंट को जो ब्रक्स वगैरह सप्लाई करने का काम सुपुर्द कर दिया गया है, उसमें करप्शन इस कदर ज्यादा है कि साहब मैं आप से क्या अर्ज करूं। कान दबा कर रह जाना पड़ता है। एक साल के अंदर या छै महीने के अन्दर ३ डी० सी० ओज० का तबादला हुआ। यह बात कहने में बुरी मालूम होती है। जबान में लकूनत आती है कि मैं कहूं। एक जगह तो दूसरे ने दूसरे की गलती को पूरा करने के लिये निहायत कोशिश की। अब जैसा कि विद्यालंकार जी ने बताया कि ठेके से भट्टे खोलते हैं। उन ईंटों की कीमत नहीं होती, वे जरूरत की नहीं होती न वैसी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

उम्दा होती हैं, जैसी ठेकेदार बनाते हैं। वे ईंटें बेकार पड़ी हैं। वे किसी मशरफ की नहीं होतीं। आप इंस्टीट्यूशंस को भी मदद नहीं करते हैं। उन ईंटों का कोई खरीदार नहीं है। मैं बहुत कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि इस तरह जबान खोलूं और जोरों से कहूं कि किस कदर यह करप्शन बढ़ गया है। मुझे एक शेर याद आ गया।

अभी फितरत से होना है नुमाया शान इंसानी,
अभी हर चीज में महसूस होती है कमी अपनी।

आप का फर्ज है कि आप इस बात की जांच करायें कि जिस चीज पर आपने कंट्रोल कर रखा है, उसकी सूबे में किस तरह तकसीम हो रही है और जिस वक्त कोई मेम्बर उसके मुताल्लिक आपके कान में. किसी तरह की कोई आवाज डाले आप उसकी तहकीकात कीजिए। साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि बहुत सी चीजें आपके कान तक पहुंचाई नहीं जातीं, इसको भी मैं बुरा समझता हूं।

You have been taught just to ditto the thing and take any action against the person against whom you have been called.

जिस जगह पर वह कमी थी, उन्होंने कहा कि आज वह नौबत है कि मैं अर्ज नहीं कर सकता। लेकिन ईमानदारी से हमारा फर्ज है कि हम आपके कानों तक हर चीज को डालें। अगर आपको उसका ख्याल हो कि विद्यालंकार जी ने बताया है, अगर उस चीज पर मुसतैद रहेंगे तो आपका मकसद बहुत जल्द ही पूरा हो जायगा। मैं और ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिये कि अगर अब कुछ और कहूंगा तो वह इस ऐवानकी शान के खिलाफ होगा। इन चन्द अल्फाज के साथ में मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम सदस्यों का स्वागत करता हूं और उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार के नियंत्रण के विषय में यहां अपने सुझाव उपस्थित किये हैं। परन्तु कुछ ऐसी बातें अपने विचार प्रकट करते समय उन्होंने उपस्थित कर दी हैं, जिनके संबंध में स्वयं सरकार जागरुक है और ऐसी कोशिश कर रही है कि जितनी चीजों की कमी हमारे बीच में है, वह धीरे-धीरे हमारे बीच से उठ जाय और हमारे बीच में अधिक से अधिक ऐसी चीजें पैदा होने लगें, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है, उस पर सदन का मुख्यतया विचार ऐसा है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे यहां अधिक मात्रा में हैं, उनकी उत्पत्ति बढ़ाई जाय। तो मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ओर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिन चीजों की मांगें बढ़ रही हैं, यदि वह अधिक मात्रा में नहीं रही हैं तो हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि उन चीजों की कमी अधिक न पड़े। प्रथम पंच वर्षीय योजना में भी हमने इस बात की ओर अपना पूरा ध्यान रखा है।

दूसरी पंच वर्षीय योजना की जो रुप रेखा रखी गयी है, उसमें लिखा गया है कि जिन जगहों पर जिन चीजों की जरूरतें हैं, वह अधिक से अधिक मात्रा में वहां बनाई जाना चाहिये। जहां तक ईंटों का संबंध है या उसके बनाने का संबंध है, तो उसका संबंध तो कुछ इससे है, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया बांटती है, जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट आफ इंडिया का रहता है। कोल जो है, वह वहीं के कंट्रोल आर्डर के तहेत में बंटता है। उस पर अधिकार हमारा नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और केन्द्रीय सरकार इस बात की कोशिश करती है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये और डेवलपमेंट के कार्यों को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक कोल हमें दे और उससे ज्यादा से ज्यादा ईंटें हम बनवायें, जो डेवलपमेंट के कार्यों में अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल किये जायं। लेकिन आज कोल के मिल जाने के बावजूद भी कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं कि समय

पर कोल प्रान्त में नहीं पहुंच पाता है और जिन जरियों से कोयला प्रान्त में लाया जाता है उसके साधन में अभी बहुत कमी है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सरकार के पास इतने वैगन्स नहीं हैं, इतनी ढोने के लिये रेलें नहीं हैं, जितनी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सके। इसलिये जैसा कि सदन के मेम्बरों को इस बात का ज्ञान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अगली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा रुपया वैगन्स के निर्माण और रेलों के निर्माण पर व्यय होने वाला है और उसे ऐसा करना भी चाहिये, अगर वह चाहती है कि जितनी मात्रा में सामग्री अपने प्रदेश में पैदा होती जा रही है, वह सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक समय में पहुंचाई जा सके। तो माननीय गुरु नारायण जी ने जो सुझाव सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है कि प्रदेशीय सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि वह अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण कराये और उनके वितरण के लिये उनको एक जगह से दूसरी तक ले जाने का उचित प्रबन्ध करे, तो मैं उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार का ध्यान इस प्रश्न को हल करने की तरफ है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को उस प्रकार से हल करना चाहती है जिसका वर्णन मैंने अभी आपके सामने किया है। माननीय सदस्यों ने यह भी बात सदन के सामने कहीं है कि जो नियंत्रण ईंटों का है तो अब सस्ते दाम पर ईंटें मिल जाती हैं। हो सकता है कि किन्हीं स्थानों में ईंटें अधिक इस्तेमाल न होती हों और वहां कभी-कभी सस्ते दाम पर मिल जाती हों लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि प्रत्येक स्थान पर ऐसी ही हालत है। अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि ऐसा समय भी आता है जब कि ईंटें ४० रुपये हजार पर बिकती हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ईंटों की मांग है। तो यह विधेयक उसी हालत में नियंत्रण करने के लिये लाया गया है। एक ऐसा विधेयक जिस को सरकार अपनी अलमारी में वक्त मौके पर इस्तेमाल करने के लिये रखना चाहती है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और न कोई ऐसी आलोचना होनी चाहिये जिसके संबंध में यह कहा जा सके कि सरकार ख्वामख्वाह इस चीज को अपनी अलमारी में रखना चाहती है।

कोल का जहां तक संबंध है जिससे ईंटें पकती हैं, तो वह जो केंद्रीय सरकार का कोल कंट्रोल आर्डर है, उसकी तहत में वितरण किया जाता है और उसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। विद्यालंकार जी ने इस कोल आर्डर के संबंध में चर्चा की है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रदेशीय सरकार का ताल्लुक है, उसका इस कोल आर्डर से कोई संबंध नहीं है। श्रीमन्, इस माने में केंद्रीय सरकार जो आदेश प्रदान करती है, उसका प्रदेशीय सरकार पालन करने की कोशिश करती है। उन्होंने कोल वितरण के संबंध में बात कही है और सहकारी समितियों के कार्य संचालन के संबंध में आलोचना की है। हो सकता है कि कहीं-कहीं कोआपरेटिव सोसाइटीज का इंतजाम उस ढंग का हो, जिसकी उन्होंने आलोचना की है। वास्तव में बात यह है कि अपने प्रदेश में अभी सहकारी आन्दोलन उस प्रकार की जगह नहीं कर पाया है, उस ढंग से नहीं चल पाया है, जिस ढंग से उसे चलना चाहिये। अभी सहकारी आन्दोलन ठीक तरह से चलाना है। जब हमने इस बात का ध्येय घोषित कर दिया है कि हम अपने बीच में एक समाजवादी व्यवस्था रचेंगे जिसमें जन-कल्याण की सभी बातों को देखा जाय और पूरा किया जाय तो जन-कल्याण-कारी वातावरण पैदा करने के लिये सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है, जिससे जन-कल्याण की बात शुद्ध समाज की रचना के लिये हमारे बीच में पैदा की जा सकती है।

तो आज सहकारिता से हम दूर नहीं भाग सकते और सहकारी संस्थाओं को अधिक संख्या में अपने बीच बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसी आशा से हम काम करना चाहते हैं, भले ही सहकारी आन्दोलन में कुछ त्रुटियां हों, भले ही उसमें खराबियां हों, दोष हों, उनको हटाने का हमें प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों के

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

उन सारे सुझावों के विषय में धन्यवाद देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि यह जो विधेयक एक खास कमी के लिये आपके विचारार्थ उपस्थित किया गया है, मैं आशा करता हूं कि आप उस सुझाव से स्वयं सहमत होंगे, जैसा कि आपने अपने भाषणों में इस बात का परिचय दे दिया है कि सरकार ख्वामख्वाह किसी चीज पर नियंत्रण नहीं करना चाहती है। आप भलीभांति जानते हैं कि बहुत से नियंत्रण आज हमारे बीच से सरकार ने हटा दिए और जहां तक लोहा, सीमेंट वगैरह के नियंत्रण का संबंध है, उसका प्रदेश की सरकार से कोई संबंध नहीं है। अभी तक लोहा और इस्पात का नियंत्रण नहीं हटा था, लेकिन इस नियंत्रण में काफी ढीलापन आ चुका था और बहुत से लोहा और इस्पात का सामान जो पहिले नियंत्रित रूप में मिलता था, उनसे नियंत्रण हटा लिया गया था। लेकिन अभी चार, पांच रोज हुए लोहे की कमी के कारण केंद्रीय सरकार ने फिर से इस्पात से बनी हुई बहुत सी चीजों पर नियंत्रण जारी कर दिया और उसका ऐसा करना इसलिये जरूरी है कि अब स्टील बहुत से कामों में इस्तेमाल होने लगा है। सरकार का प्लानिंग का और डेलपमेंट का काम बढ़ता जा रहा है, इसलिये उसका अधिकांश हिस्सा सरकार को ही प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने इस बात का विचार किया कि स्टील के ऊपर और उनसे बनी हुई तमाम वस्तुओं पर फिर से नियंत्रण रखा जाय। यह जो नियंत्रण है उसका ६० या ६५ फीसदी इस्पात से बनी हुई वस्तुओं पर नियंत्रण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ कंट्रोल ऐसे हैं, जिनको केंद्रीय सरकार देश की हालत और व्यवस्था को देख कर और सामान की कमी को देख कर, लागू करती है। यह सभी सदस्य जानते हैं कि प्रान्तीय सरकार केंद्रीय सरकार की आज्ञा का पालन करती है और उनकी तहत में हमें काम करना पड़ता है। मैं अब अधिक और इस विधेयक के विषय में नहीं कहूंगा और आप से यही निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को, जो कि आपके समक्ष उपस्थित किया गया है, मंजूरी प्रदान करेंगे और उसके साथ ही इस बात की मंजूरी प्रदान करेंगे कि जिन चीजों पर नियंत्रण करने की व्यवस्था विधेयक में रखी गयी है, उन पर नियंत्रण करने के लिये इजाजत प्रदान करेंगी।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**---प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, को पारित किया जाय।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**---प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक * को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सदन का कार्यक्रम

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त मंत्री)---जनाबवाला, यह तो मैने पहले ही इत्तिला के लिये अर्ज कर दिया था कि अगली बैठक गालिबन १९ तारीख से होगी। लेकिन इस समय इसको अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय क्योंकि मुमकिन है कि दो एक रोज का फर्क हो जाये।

---

* विधेयक के लिए देखिए नत्थी "क" पृष्ठ १६० पर

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--हम यह चाहते हैं कि जो अगला सेशन हो उसमें हमको ५ नान-आफिशियल डे दिये जायं।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हम लोगों के चार नान आफिशियल डे निकल चुके हैं, जिसमें सरकार का काम हुआ है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--यह गलत मिसाल तो कायम नहीं करनी चाहिये। जिन नान-आफिशियल डे पर सरकार का काम हुआ है, उसके लिये तो सरकार जिम्मेदार है, बाकी तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यह कोई खास बात नहीं है। मगर जिस दिन सरकार का काम हुआ है वह दिन तो जरूर दिया जायगा, इसमें कोई एतराज नहीं है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**-- आपने उस वक्त कहा था कि जितने नान-आफिशियल डेज पर सरकारी काम होगा उससे बढ़ा कर दिन दिये जायंगे।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--Generosity should come of its own accord and not at the request of the people.

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--The House is adjourned *sine die.*

(सदन की बैठक १२ बज कर ५ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ:
२८ नवम्बर, सन् १९५५ ई० ।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

## उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७।

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का

### विधेयक

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७। यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३। यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

यू० पी० कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित (re-enact) हुआ था तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा जारी रखा गया था, २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो जायगा।

और उक्त ऐक्ट को जारी रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है:

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३ को जारी रखना। यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

२—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा २ में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" कर दी जाय।

## उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० कन्टोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७), जो (१) फायर ब्रिक्स से भिन्न ईंटों तथा (२) बन में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं (forest produce) जिसके अन्तर्गत ईंधन लकड़ी (fire wood), कोयला (char coal), बांस (bamboo), बैब घास (baib grass) और चपड़ा (resin) भी हैं, के नियंत्रण के लिये आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था करने के हेतु उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५३) द्वारा पुर्नविहित किया गया था, तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५५) द्वारा जारी रखा गया था, की अवधि २५ जनवरी- १९५६ को समाप्त हो जायगी।

राज्य के अनेक विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तथा निजी निर्माण-कार्यों में वृद्धि होने के कारण ईंटों की मांग बढ़ती जा रही है, अतएव उचित मूल्यों पर ईंटों की पूर्ति को विनियमित करना आवश्यक है।

बड़े नगरों में ईंधनी लकड़ी के लिय जनता की आवश्यक जरूरतें पूरी करने के लिये, तथा बृहत्तर सार्वजनिक हित में वनों के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राज्य में ईंधनी लकड़ी के लाने-ले जाने तथा वितरण की भी, जहां कहीं उसकी आवश्यकता हो, विनियमित करना आवश्यक है।

अतएव इस उद्देश्य से कि इन वस्तुओं की उपलब्धपूर्ति (supplies available) में से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, इन बस्तुओं पर और दो वष तक वर्तमान नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्ल) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ तदनुसार प्रस्तुत किा जा रहा है।

चन्द्र भानु गुप्त,
पूर्ति मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—१३२ एल० सी०—१९५६—७९६ (प्रो०)

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१९ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई

## उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद असलम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे--

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, बन तथा सहकारी मंत्री)

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)।

श्री कमला पति त्रिपाठी (सूचना तथा सिंचाई मंत्री)।

## प्रश्नोत्तर

१--९--श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(स्थगित)।

१०--१३--श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(स्थगित)

### डिप्टी कलेक्टरों की एक जिले में तीन वर्ष से अधिक तैनाती

१४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर्स को एक जिले में ही तीन वर्ष से अधिक क्यों तैनात रखा जाता है?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत्, वन तथा सहकारी मंत्री)--आम तौर पर डिप्टी कलेक्टर एक जिले में ही तीन वर्ष तक तैनात रखे जाते हैं, पर परिस्थिति के अनुसार तथा जन-हित की दृष्टि से यह समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इनका समय बढ़ाने में जन हित की क्या भावनायें हैं?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वे इतने हैं कि शायद मैं उनको इस वक्त गिना भी न सकूं। इसलिये कि वक्तन-फौक्तन ऐसी बातें भी पैदा हो सकती हैं जिन की वजह से किसी शख्स को ज्यादा जमाने तक ठहराना जरूरी हो जाता है। उन सब बातों को एक जवाब में कवर कर देना मुश्किल है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कोई मैक्जीमम टाइम है कि कितने समय तक एक डिप्टी कलेक्टर एक जगह पर रह सकता है?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--रूल्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है और जो ३ साल का टाइम है वह भी आर्डिनरली लिखा हुआ है। रूल्स में तो इतना ही लिखा हुआ है। यह तो हमेशा इस बात पर मुनहसिर है कि माकूल बात की जाय और उस माकूल बात के हो जाने तक उस को वहां ठहराया जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इस से ज्यादा नहीं ठहराया जा सकता।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बहुत से डिप्टी कलेक्टर्स ८, ८ साल से भी ज्यादा एक ही स्थान पर हैं?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--मसलन आज यह होता है कि जो प्लानिंग आफिसर होता है वह डिप्टी कलेक्टर भी होता है, और प्लानिंग आफिसर को ऐसी जगह है कि जिसके लिए कोई ऐसी तरफदारी नहीं करेगा कि उसको तीन साल काम करने के बाद हटा दिया जाय। यह भी देखना है कि किस काम में कितने डिप्टी कलेक्टर्स लगे हुये हैं। डिप्टी कलेक्टर का ओहदा ऐसा है जो मुख्तलिफ कामों पर लगाया जाता है और वे खाली एक्जीक्यूटिव का ही काम नहीं करते हैं। इसलिये जब तक कोई डेफिनेट सवाल मेरे सामने नहीं आये, मैं नहीं कह सकता कि क्यों वह इतने दिन से वहां ठहरा हुआ है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बहुत से डिप्टी कलेक्टर्स, जो सिर्फ एस० डी० ओज हैं और प्लानिंग आफिसर नहीं हैं, वे भी ८-८ साल से एक ही जगह पर हैं?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**। इसके लिये मैंने कह दिया था कि नोटिस की जरूरत है क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन कहां पर है।

## बांदा जिले में प्रयोगात्मक रूप में चार नलकूप लगाये जाने की योजना

१५--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या यह ठीक है कि सरकार की कोई योजना बांदा जिले में प्रयोगात्मक रूप से ४ नलकूप लगाने की थी ?

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब कार्यान्वित होगी ?

15. **Sri Kunwar Mahabir Singh** (Legislative Assembly Constituency)—(*a*) Is it a fact that the Government had some plans for construction of four tube-wells in Banda District as an experimental measure ?

(b) If so, when will the plan be carried out ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी** (सूचना व सिंचाई मंत्री)--(क) बांदा जिले में तीन एक्सप्लोरेटरी ( Exploratory ) नलकूप बनवाने का प्रस्ताव है।

(ख) इन एक्सप्लोरेटरी ( Exploratory ) नलकूपों का निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायगा। उन्होंने सूचित किया है कि उक्त नलकूपों के निर्माण का कार्य इस प्रदेश में सम्भवतः १९५७ में आरम्भ किया जायगा।

**Sri Kamalapati Tripathi** (Minister for Information and Irrigation)—(*a*) It is proposed to construct three exploratory tube-wells in Banda District.

(*b* The construction of these tube-wells will be carried out by the Government of India who have informed the State Government that the work is likely to be taken up in this State sometime during 1957.

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या यह सत्य है कि सरकार ने तीन वर्ष पहले इसी भवन में इस बात का आश्वासन दिलाया था कि तीन नलकूप सरकार बनायेगी ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--मेरा ख्याल है कि एक्सप्लोरेटरी नलकूप के बारे में कहा गया था। उस के लिये जवाब में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार बना रही है ?

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--मेरा सवाल यह है कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने तीन वर्ष पूर्व यह कहा था कि वह तीन नलकूप बनाने की व्यवस्था कर रही है ?

**श्री कुंवर गुरु नारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जो कुछ कहा गया था उसको आप प्रोसिडिंग्स में देख लीजिये।

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--मुमकिन है कि कहा हो, मैं इस बात से इनकार तो नहीं करता हूं।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या सरकार ने इन तीन वर्षों में उन एक्सप्लोरेटरी नलकूपों को बनाने का कोई उपाय किया है ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--एक्सप्लोरेटरी नलकूप की यह योजना है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया उत्तर प्रदेश में भी नलकूप बनाना चाहती है और इसके लिये उसने अपनी एक स्कीम चलायी है और उसने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को चुन लिया है। बांदा जिले में भी ऐसे ही तीन नलकूप बनाये जायेंगे। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने एक्सप्लोरेटरी नल कूप के लिये एक कमेटी बनाई है और जो नल कूपों के बनाने के लिये उसने शिड्यूल्ड टाइम बनाया है, उसी के अनुसार वह नलकूप बनायेगी और सारे भारत में जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई

और उत्तर प्रदेश में नलकूप बनेंगे। इस टाइम शिड्यूल के अनुसार १९५६ के अन्त में और १९५७ के शुरू में उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है। प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में दर्जनों पत्र लिखे हैं कि आप इसमें बहुत देर कर रहे हैं, इसलिये यदि आप हमें ही नल कूप बनाने की इजाजत दे दें तो अच्छा है। हमारे पास एजेन्सी और मशीनरी मौजूद हैं। हमने अपने यहां हजारों नल-कूप बना लिये हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से अभी तक पत्रों का उत्तर नहीं आया है, इसलिये हम इन नल-कूपों को नहीं बना सके। जो इत्तिला हमारे पास आई है। उससे मालूम हुआ है कि अन्वेषण दल उसे बनाने जा रहा है।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या प्रान्तीय सरकार को कोई अड़चन है कि वह इन नल-कूपों को बनाने के लिये खुद कोई प्रयोग नहीं कर सकती है ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--नलकूपों को बनाने में रुपये लगते हैं और वह रुपया गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से मिलता है। नलकूपों को बनाने के लिये कर्ज के रूप में हमें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से रुपया मिलता है। जितनी संख्या में और जिस स्थान के लिये रुपया मंजूर होता है, उसी हिसाब से नलकूप बनाये जाते हैं।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--जो लोग प्राइवे नल-कूप बनाते हैं, क्या उसमें सरकार की मदद देने की कोई योजना है ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--निजी नल-कूप बनाने के लिये १५ हजार रुपये तक तकावी दी जाती है। अगर कोई साहब प्राइवेट तरीके से नल-कूप बनाना चाहते हैं, तो वे कलेक्टर के यहां पत्र भेज दें, तो उनको १५ हजार रुपया तकावी के रूप में मिल जायेगा।

१६--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या यह ठीक है कि एक नलकूप दो वर्ष से जारी, जिला बांदा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है ?

16. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Is it a fact that one tube-well has been working successfully at Jari in Banda District for the last two years ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--बांदा जिले के जारी स्थान का नलकूप निजी (प्राइवेट) नल-कूप है, उसके विषय में पूर्ण विवरण सरकार को उपलब्ध नहीं है ?

**Sri Kamalapati Tripathi**—The tube-well at Jari in the Banda District is a private tube-well, the details of which are not available with Government.

१७--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि जारी, जिला बांदा में एक नलकूप लगाने पर उसका क्या व्यय हुआ ?

17. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Will the Government state the expenses incurred by it in the construction of a tube-well at Jari in district Banda ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--इस नलकूप के निर्माण में सरकार का कुछ व्यय नहीं हुआ।

**Sri Kamalapati Tripathi**—Government did not incur any expenditure on the construction of this tube-well.

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या सरकार को पता है कि इन नलकूपों के निर्माण के लिये प्लानिंग डिपार्टमेंट से सहायता ली है ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--उत्तर में हमने यह कहा है कि सरकार ने कोई रुपया नहीं लिया है, अगर आप इसकी तफसील जानना चाहें तो मैं पता लगा कर बतला दूंगा।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--कब तक यह सूचना मिल जायेगी ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--या तो आप नोटिस दे दें, तो मंगा दी जायेगी और या आप हमारे कार्यालय में पधारें, तो मैं वहां इसकी खोज-खबर लेकर आपको बतला दूंगा।

१८--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि जैसी मिट्टी की रचना और परतें गांव जारी में पाई जाती हैं वैसी ही मिट्टी बांदा जिले में दूसरे भागों में भी पाई जाती है ?

18. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Is the Government aware that the soil structure and strata similar to that in Jari village exist in other areas of Banda District also ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

**Sri Kamalapati Tripathi**—Government have no information on this point.

१९--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या यह ठीक है कि सरकार भविष्य में बांदा जिले में दूसरे नल कूप भी लगाने जा रही है ?

19. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Is it a fact that the Government is going to construct other tube-wells also in the district of Banda in future ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Sri Kamalapati Tripathi**—Government have no such proposal at present.

## सन् १९४६ से बांदा जिले तथा हमीरपुर जिले में बनायी गई बंधियों की संख्या तथा व्यय

२०--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--(क) क्या सरकार बतायेगी कि इसने सन् १९४६ से बांदा जिले में कितने बांध बनवाये हैं ?

(ख) उनमें से प्रत्येक के बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

20. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—(a) Will the Government state the number of Bandhas that have been constructed by the Government in Banda district since 1946 ?

(*b*) What has been the cost of construction of each of them ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--(क) बांदा जिले में १९४६ में ८ बन्धियां बनाई गई हैं।

(ख) उनके बनवाने में निम्नलिखित खर्चा हुआ है--

| बन्धी का नाम | | | खर्च रुपयों में |
|---|---|---|---|
| (१) कनवारा बन्धी | ... | ... | १७,००० |
| (२) लामा बन्धी | ... | ... | १४,००० |
| (३) पपरेंदा बन्धी | ... | ... | ४७,००० |
| (४) अतरहट बन्धी | ... | ... | ५६,००० |
| (५) देवरथा बन्धी | ... | ... | २०,००० |
| (६) वेरेहटा बन्धी | ... | ... | १०,००० |
| (७) बरगढ़ बन्धी | ... | ... | ८,५०० |
| (८) मुर्का बन्धी | ... | ... | ११,००० |

**Sri Kamalapati Tripathi**—(a) Eight *Bundhies* have been constructed in Banda District since 1946.

(*b*) Their cost of construction is as follows :

| *Name of bundhi* | | | | *Expenditure* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rs. |
| 1. Kunwara Bundhi | .. | .. | .. | 17,000 |
| 2. Laman Bundhi | .. | .. | .. | 14,000 |
| 3. Paprenda Bundhi | . | .. | .. | 47,000 |
| 4. Atarhat Bundhi | .. | .. | .. | 56,000 |
| 5. Dewartha Bundhi | .. | .. | .. | 20,000 |
| 6. Bagehta Bundhi | .. | .. | .. | 10,000 |
| 7. Bargarh Bundhi | .. | .. | .. | 8,500 |
| 8. Murka Bundhi | .. | .. | .. | 11,000 |

२१—**श्री कुंवर महावीर सिंह**—(क) क्या सरकार बतायेगी कि उसने सन् १९४६ से हमीरपुर जिले में कितने बंधे बनवाये हैं ?

(ख) उनमें से प्रत्येक के बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

21. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—(a) Will the Government state the number of Bundhas that have been constructed by the Government in Hamirpur district since 1946 ?

(*b*) What has been cost of construction of each of them?

श्री कमला पति त्रिपाठी--(क) १९४६ से हमीरपुर जिले में सरकार द्वारा १६२ बन्धियां बनाई जा चुकी हैं ?

(ख) प्रत्येक बंधी पर हुये व्यय की एक सूची* संलग्न है। कुल बन्धियों की लागत २१,४९,५११ रुपये हैं।

**Sri Kamalapati Tripathi**—(a) The number of *bundhies* constructed in Hamirpur district by the Government since 1946 is 162.

(b) A *list of *Bundhies* showing the cost of each is attached. The total cost of the *Bundhies* works out to Rs. 21,49,511.

२२--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले में भूमि का ऐसा अधिक क्षेत्र है जिसमें कि सरकार द्वारा बंधियां बनवाने की आवश्यकता है ?

22. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Is the Government aware that there is a large tract of land in Banda district which needs the construction of State Bandhas by the Government ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--बांदा जिले की कर्वी तहसील में बघायन नदी के पूर्व कुछ भागों में सिंचाई-साधनों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का अधिकतर भाग ओहेन और पैस्वनी जलाशयों द्वारा सिंचित होगा। इस जलाशय के बन जाने पर दूर-दूर फैले हुए कुछ ही क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रह जायेगी जिनमें से कुछ ही में बंधियां बनाना संभव है। इन क्षेत्रों की जांच की जा रही है और जहां भी संभव होगा बन्धियां बनाने का प्रस्ताव है।

**Sri Kamalapati Tripathi**—There are still some tracts east of the Baghain river in Karwi tahsil of Banda district which need irrigation. Major parts of these areas are proposed to be irrigated by the proposed Paisuni and Ohen Reservoir Projects. Only stray areas far apart will then remain in need of irrigation facilities. It is feasible to construct *Bundhies* only in a few of them. Such areas are being investigated and it is proposed to construct *bundhies* whereever possible.

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या यह सत्य है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, बांदा ने सरकार के पास बांदा जिले में बंधियां ठीक तरीके से व लाभदायक तरीके से बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा था ?

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया, मुमकिन है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास आया हो।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने प्लानिंग डिपार्टमेंट से इस प्रस्ताव को मांगने की कोशिश की, जब कि इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था।

**श्री कमला पति त्रिपाठी**--ऐसा होता नहीं है कि आप ने एक विभाग से कहा और हमने उसका उत्तर दे दिया।

२३--**श्री कुंवर महावीर सिंह**--क्या यह ठीक है कि बांदा जिले की जनता की अधिक मांग है कि सरकार द्वारा बंधे बनवाये जावें ?

23. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—Is it a fact that there is a large demand on behalf of the public of Banda district for the construction of Bandhas by Government ?

---

*देखिये नत्थी "क" पृष्ठ २१८ पर।

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी नहीं, अधिक मांग नहीं है।

Sri Kamala pati Tripathi—No, there is no large demand.

२४--श्री कुंवर महाबीर सिंह--यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

24. Sri Kunwar Mahabir Singh—If so, what steps Government is going to take to meet the demand ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी, जैसा कि प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में कहा गया है कि नई बंधियों के लिये छानबीन हो रही है।

Sri Kamala pati Tripathi—The question does not arise. However as stated in reply to question no. 22, sites for new *bundhies* in Banda district are being investigated.

## सरकारी खजानों में १९२८--४१ और १९४१--५४ के बीच में गबन की संख्या

२५--श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी खजानों में १९२८--४१ और १९४१--१९५४ के बीच में कितने गबन हुए ?

25. Sri Badri Prasad Kacker—(Legislative Assembly Constituency) (*absent*). Will the Government state the number of embezzlements committed in the Government treasuries of U. P. between 1928 to 1941 and 1941 to 1954 ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पूरी कोशिश करने पर भी प्रश्न के संबंध में अभी तक पूरी सूचना नहीं प्राप्त की जा सकी है। सूचना इकट्ठा करने में अभी कुछ और समय लगेगा और प्रश्न का उत्तर तभी संभव होगा जबकि पूरी सूचना प्राप्त हो जायगी।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim (Minister for Finance, Power, Forest and Co-operation)—Complete information in respect of the question could not be collected so far inspite of best efforts. The collection of the information is likely to take some more time and it will be possible to give a reply to the question when complete information is available.

२६--श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकारी खजांचियों और उनके कर्मचारियों के स्थान पेंशनेबिल हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

26. Sri Badri Prasad Kacker—(*absent*) (a) Are the posts of Government Treasurers and their staff pensionable ?

(*b*) If not, why ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--केवल उन्हीं सरकारी खजांचियों के स्थान पेंशनेबिल हैं जिनकी नियुक्ति तारीख १० जुलाई सन् १९४१ ई० के पहले हुई थी और जो खजानों

---

प्रश्न संख्या २५--२६ श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गए।

में स्वयं काम करते हैं। वे सरकारी खजान्ची जिनकी नियुक्ति १० जुलाई, १९४१ ई० के पहले हुई थी, पर जो एजेंटों द्वारा कार्य करते हैं तथा वे एक सरकारी खजान्ची जिनकी नियुक्ति तारीख १० जुलाई, १९४१ ई० को या उसके बाद हुई है नान-पेंशनेबिल सरकारी पदों पर कार्य करते हैं क्योंकि उनकी नियुक्तियां अंशकालिक तथा अस्थायी हैं। सरकारी खजांचियों के कर्मचारी, जैसे कि तहवीलदार, स्टैम्प वेंडर तथा मनी-टेस्टर, आदि, सरकारी पदों पर काम नहीं करते। वे सरकारी खजांचियों के निजी नौकर होते हैं। अतः उनके स्थान नान-पेंशनेबिल हैं।

**Sri Hafiz Mohammad Ibrahim**—Only those Government Treasurers who were appointed before July 10, 1941 and who perform their duty in the treasuries personally, hold pensionable posts under the Government. Those Government Treasurers who were appointed before July 10, 1941, but who perform their duty through agents and all those appointed on or after July 10, 1941, hold non-pensionable posts under the Government as their services are part-time and temporary. The staff of the Government Treasurers, viz. Tahbildars, stamp vendors and money testers, etc., do not hold Government posts. They are private employees of the Government Treasurers. Their appointments are, therefore, non-pensionable.

## झांसी में प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध षडयंत्र के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

२७—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या यह ठीक है कि हाल ही में झांसी में कुछ व्यक्ति प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के विरुद्ध षडयंत्र के संबंध में गिरफ्तार किये गए थे?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह षडयंत्र क्या था?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की जेलों से दंडित तथा अदंडित कैदियों का भागना तथा उनकी गिरफ्तारी

२८—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के जेलों से कितने कैदी (दंडित तथा अदंडित) भाग गए और उनमें से कितने फिर गिरफ्तार कर लिये गए?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—पिछले तीन साल में जेलों से ८३ दंडित और अदंडित कैदी भागे थे। इनमें से ५० फिर पकड़ लिये गए।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—जो कैदी भाग गये थे, वे किन परिस्थितियों में भाग गये थ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—उनका जी चाहा था।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**—जी तो सभी का चाहता है।

२९—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—इन कैदियों के भागने के संबंध में जेल विभाग के कितने कर्मचारी जिम्मेदार थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—इस संबंध में १२८ जेल कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये और उनको अपराध के अनुसार जुरमाना, तरक्की रोक देने तथा बरखास्त किये जाने तक की सजायें दी गयी हैं।

## सन् १९५१,५२,५३,५४और ५५ में मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के लिये खरीदी गई कारों की संख्या

३०—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५१, ५२, ५३, ५४ और ५५ में मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये कितनी कारें खरीदी गईं ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—वित्तीय वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में अब तक मंत्रियों के लिये कुल १९ मोटरें खरीदी गईं। उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों के लिये मोटरें नहीं खरीदी जातीं।

३१—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—इन कारों की मरम्मत तथा पेट्रोल पर १९५१ से ३० सितम्बर, १९५५ तक कितनी रकम खर्च की गई ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—इन मोटरों की मरम्मत तथा पेट्रोल पर जब तक ये मंत्रियों के पास रहीं, १ अप्रैल, १९५१ से ३० सितम्बर, १९५५ तक १,५२,११९ रु० १० आ० ६ पा० खर्च हुआ।

३२—**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**—इनमें से कितनी कारें काम न देने के कारण १५ सितम्बर, १९५५ तक बेच दी गईं और उनसे क्या रकम वसूल हुई ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—इन मोटरों में से कोई भी मोटर १५ सितम्बर, १९५५ तक बेची नहीं गई है ?

## राज्य के रिहन्द बांध योजना के लिये भारत सरकार की सहायता

३३—**श्री कुंवर महावीर सिंह**—(क) क्या यह ठीक है कि इस राज्य की रिहंद बांध योजना को भारत सरकार से सहायता मिलती रही है ?

(ख) क्या यह भी ठीक है कि भारत सरकार उपर्युक्त आर्थिक सहायता एक भारत और अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत देती थी ?

33. **Sri Kunwar Mahabir Singh**—(*a*) Is it a fact that Rihand Dam Project of this State had been receiving financial aid from the Government of India ?

(*b*) Is it also a fact that the Government of India was giving the said financial aid under an Indo- U. S. A. Aid programme ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—(क) जी हां।
(ख) जी हां, इस साधन से तथा अपने निजी साधनों से भी।

**Sri Hafiz Mohammad Ibrahim :** (a) Yes.
(b) Yes, from this source and out of their own reso

**श्री कुंवर महावीर सिंह**——क्या यह सत्य है कि अभी हाल में कुछ चेन्जेज इन्डो यू० एस० ए० एड प्रोग्राम में आये हैं ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**——मैंने जो पोजीशन जवाब में अर्ज की है, उसमें कोई तब्दीली होने के मुताल्लिक कुछ नहीं आया है।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**——मेरा क्वेश्चन यह था कि क्या रीसेन्टली यूनियन गवर्नमेंट ने यू० एस० ए० गवर्नमेंट से इस बांध के संबंध में अपना पुराना जो एग्रीमेंट था उस पर कुछ नये चेंजेज किये हैं और उसका एफेक्ट रेहन्द डाम पर क्या होने जा रहा है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**——आधा खर्च उनको देना है और आधा गवर्नमेंट आफ इंडिया को अपने पास से देना है। इस पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं हुई है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)——कितनी रकम भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिये अब तक दे चुकी है और कितनी अमेरिका से मिल चुकी है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**——अमेरिका से जो रकम मिलने की सूरत है वह तो ज्यादातर यह है कि जितनी मशीनरी रेहन्द डाम बनाने के वास्ते चाहिये वह सब वहां से आयेगी। अगर आप का मतलब है कि टोटल कितना होगा तो वह साढ़े सत्रह करोड़ रुपया है, उसके ४५ करोड़ रुपया खर्च में से है बाकी रुपया हमारा है, और जो वहां काम होना जरूरी है वह इस वक्त हो रहा है और जब मशीनरी आ जायगी उस वक्त कान्स्ट्रक्शन शुरू हो जायगा।

## सन् १९५५ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

**सचिव, विधान परिषद्**——मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ८ नवम्बर सन् १९५५ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५५ का २२वां अधिनियम बना।

## उत्तर प्रदेश विधान सभा का संदेश कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय

**सचिव, विधान परिषद्**——मैं आपकी आज्ञा से सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संदेश को पढ़ कर सुनाता हूं——

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १०७ (१) के अन्तर्गत मुझे यह संदेश भेजने का आदेश हुआ है कि ६ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, सन् १९५५ एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ४५ दिन के भीतर पेश करे। अतः इस प्रस्ताव को विधान परिषद् की सहमति प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है और यदि परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उक्त नियमावली के नियम १०८ (ग) के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये परिषद् द्वारा निर्वाचित ८ सदस्यों के नामों से मुझे का कष्ट करें।"

## यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति

**श्री परमात्मा नन्द सिंह** (सभा सचिव, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री)--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट सन् १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३१८ टी-(एम०) /३०--४४५२-टी-५५, दिनांक २० सितम्बर, १९५५, जिन से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में संशोधन किए गए हैं, को मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के पुनरीक्षित रूल्स

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ८५ की उपधारा (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुनरीक्षित रूल्स ८३-ए, ८३-बी, तथा ८५ जो पंचों के नाम निर्देशन तथा सरपंचों के चुनाव से सम्बन्धित हैं, को मेज पर रखता हूं।

## सन् १९५५ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--श्रीमान्, मैं सन् १९५५ ई० के इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश को मेज पर रखता हूं।

## सन् १९५५ई० का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--श्रीमान, मैं सन १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

## प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण बोर्ड के लिये दो सदस्यों का चुनाव किया जाय

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद जिस प्रकार और जिस तारीख को श्री चेयरमैन आदेश दें, उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण बोर्ड (Soil Conservation Board) के लिये २ सदस्य चुन लें।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--The question is that the U. P. Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, two members to serve on the Soil Conservation Board.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--२३ तारीख को १२ बजे तक उक्त चुनाव के लिए नामजदगियां सेक्रेटरी साहब के पास आ जाना चाहिये।

## प्रस्ताव कि हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट,कानपुर की परामर्श-दात्री समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाय

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् जिस प्रकार और जिस तारीख को श्री चेयरमैन आदेश दें, हार कोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य चुन लें।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--The question is that the U. P. Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, one member to serve on the Advisory Committee of the H.B.T.I., Kanpur.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--२३ तारीख को १२ बजे तक उक्त चुनाव के लिये नामजदगियां सेक्रेटरी साहब के पास आ जाना चाहिये।

## प्रस्ताव कि परिषद् की नियम परीक्षण समिति के प्रतिवेदन के उपस्थित किये जाने की तिथि को ३१ जनवरी, १९५६ तक बढ़ाया जाय।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिषद् की नियम परीक्षण समिति के प्रतिवेदन के उपस्थित किये जाने की तिथि बढ़ा कर ३१ जनवरी, १९५६ कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सदन का कार्य-क्रम

*__श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम__--मैं कुछ बिजनेस की बाबत अर्ज करना चाहता था। कुछ तो हाउस के पास नानआफिशल बिजनेस हैं जिसको अब शुरू किया जायगा। इसके अलावा २० तारीख के लिये वहां असेम्बली में सेल्स टैक्स का रिफरेन्स हुआ। सेल्स टैक्स का एक अमेन्डमेन्ट है उसका रिफरेन्स ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को हुआ। उसमें एक मोशन है उसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सन् १९५३-५४ ई० पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, वह होना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नोटीफिकेशन्स २६ तारीख को टेबुल पर रखे गये थे, उन पर कोई साहब डिस्कशन करना चाहते हों तो कर लें। इसके अलावा तीन बिल और हैं जिसमें से दो तो यहां मेज पर रखे जा चुके हैं और जो तीसरा इंडियन फारेस्ट बिल है वह अभी यहां नहीं आया है लेकिन आज कल में वह यहां आ जायगा। दूसरे हाउस की तजवीज यह है कि वह २२ तारीख तक बैठेगा। तो यह हाउस अगर २२ तारीख के बाद भी बैठना चाहे तो और बिजनेस पैदा किये जायं। वरना २२ तारीख को हम भी खत्म कर दें। अब दूसरी सिटिंग तो नेक्स्ट इयर ही होगी और गालिबन वह नया सेशन होगा क्योंकि इसके बाद जनवरी से नया साल शुरू हो जायगा। उससे पहले अब दूसरी बैठक करने का मौका नहीं है। यही सारे बिजनेस इस वक्त हैं और जो कल परसों तक वहां से तैयार हो कर बिल आजायंगे तो अगर मौका हुआ तो उन को भी खत्म कर लेंगे।

†__श्री हयातुल्ला अन्सारी__ (नाम निर्देशित)--एक सजेशन मेरा है कि जैसा दिल्ली का तरीका है कि अक्सर अपर हाउस में बिलों को डिस्कस कर लेते हैं फिर पार्लियामेन्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं तो अगर वही चीज यहां भी लागू रखी जाय कि पहले हम कौन्सिल में डिस्कस कर लें और फिर बाद में लोअर हाउस में जाय तो इसमें तो मुझे कोई हर्ज नहीं मालूम होता। मेरी समझ में यह अच्छा रहेगा।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--यह यहां भी तो होता है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैंने कई बार इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है कि सेशन के आरम्भ होने से पहले ही अगर सेक्रेटरी कौन्सिल हाउस के जरिये से जो बिल्स यहां आने वाले हों उनकी सूचना हम मेम्बर्स के पास भेज दिया करें तो अच्छा रहे ताकि हम सभी लोग उन बिलों का अध्यन करके यहां आयें और साथ ही यह जान कर आयें कि हम कितने दिनों के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं। अभी तक हमारी

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

†*सदस्यों ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

हालत यह रही है कि जिस दिन यहां पर हमें मीट करना होता है उसी दिन दस, पंदरह मिनट पहले हमें यहां का एजेन्डा हमारे मकान पर मिल जाता है, जब मकान से हम चलने को होते हैं, तो आप देखें कि एक तो हमको पता नहीं रहता है कि हम कितने दिनों के लिये जाते हैं और दूसरे यह कि बिजनेस का ट्रानजैक्शन में भी असुविधा रहती है वह ठीक से हम नहीं कर पाते हैं। मैं इस बारे में कई बार लिख और कह चुका हूं और मुझे कई बार अश्योरेन्सेज भी दिये जा चुके हैं, लेकिन अमल इस पर नहीं होता है। इस बार भी मैंने सेक्रेटरी को लिखा था, पहले भी लिख चुका हूं। इसलिए इस के मुतालिल्क मेरी दरख्वास्त है कि यह पोजीशन साफ होना चाहिये।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--मेरे ख्याल में तो जो लेटर्स जारी हुये हैं उनमें इस बात का हवाला दे दिया गया है। हमारे सामने यह दिक्कत होती है कि कौन सा बिजनेस असेम्बली में कब खत्म हो कर यहां पर आयेगा। वह असेम्बली से कब तक यहां आयेगा यह हम नहीं बतला सकते। जब असेम्बली से कोई काम तैयार होता है तब वह यहां पर आता है। अब अगर हमको कोई बिल यहां पर इंट्रोड्यूस करना है तो उसको लिख दिया जायेगा। लेकिन यह तै करना कि कौन सा बिल कब असेम्बली से तैयार होकर यहां आजायेगा नामुमकिन है। यह तो असेम्बली के ऊपर मुनहसिर है कि कब वह काम यहां तैयार करके भेजती है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा वह तो ठीक है। अब जैसे कंसालिडेशन आफ होल्डिंग बिल्स असेम्बली में पेश है तो यह तो नहीं कहा जा सकता है कि वह कब तक वहां से पास होकर यहां आ जायेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का संकेत हमको मिल जाये कि यह प्रस्ताव कौंसिल के सामने आयेगा तो हम लोग इसके लिये तैयार हो कर आयें। अब यहां आकर हमको एक दम से मालूम होता है कि यह बिल्स इस सेशन में लिये जायेंगे तो उसके ऊपर ठीक से लोग बोल नहीं पाते हैं। उस पर विचार करने के लिये हमको समय नहीं मिलता है। यदि हमको यह भी पता चल जाये कि कौन कौन से बिल्स आने वाले हैं तो हम लोगों को उन पर बोलने में बड़ी सुविधा होगी।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--मैंने तो यह अर्ज किया था कि जो खत भेजा जाये उसमें यह लिख दिया जाये कि कौन कौन से बिल्स आने वाले हैं। वह लिखा जा रहा है। बिल्स की कापीज भी भेज दी जाती हैं।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--वह भी नहीं होता है। जब मैंने बिल्स की कापीज मांगी तो यह कहा गया कि दो चार बिल्स की कापीज तैयार हैं वह तो भेजी जा रही हैं और बाकी नहीं भेजी जा सकती हैं। एक बार पहिले एक लम्बी लिस्ट बिल्स की मिली थी कि यह आयेंगे, लेकिन न तो उनकी कापीज ही मिली और न यह मालूम हुआ कि वह कब तक आयेंगे। उनके ड्राफ्टस भी नहीं मिले। अब जैसे हयातुल्ला साहब का जो बिल है हम उसकी बाबत नहीं जानते थे कि यह यहां पर आने वाला है या नहीं। अभी एकाएक आ गया तो हम से कैसे आशा की जा सकती है कि हम विचार विनमय उस पर कर सकते हैं। मैं २-३ साल से बराबर इस बारे में लिखा पढ़ी कर रहा हूं।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह जो लिस्ट आप कह रहे हैं वह एडवान्स इसलिये दी जा रही है कि Such and such Bills are under the consideration of the Government and that they are intended to be introduced into the Legislature. उनमें से कुछ तो वहां भी नहीं बटे।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--तो फिर हम लोगों को क्यों बांटी गई।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--मैं कह रहा था कि लिस्ट देने का इन्टेन्शन यह है कि यह लेजिस्लेशन बनने हैं, असल में तो वे असम्बली में भी नहीं पेश हुये हैं वह छपे भी नहीं हैं। इसलिये शिकायत का मोका नहीं होना चाहिये।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--हम को नहीं दिया जाना चाहिये था।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--यह बहुत अच्छी बात है। हमने तो एडवान्स इनफारमेशन दी है। उनके नाम दे दिये थे। उसमें क्या नुकसान हुआ। कोई एतराज का मौका नहीं होना चाहिये था। यह रिज्यूलूशन जो एजेन्डा पर है उसके बारे में खबर नहीं थी और आज आ गया। मैं नहीं कह सकता कि यह रिज्यूलूशन्स पहले से थे और बैलेट में हो कर आये या नहीं।

**श्री हर गोविन्द सिंह** (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)--मेरा ख्याल है कि कुछ गलतफहमी हो रही है। यह नानआफिशल रिज्यूलूशन पहले से चल रहा है और उस दिन कौंसिल की बैठक स्थगित हो रही थी तो उस दिन कहा गया था कि जब कौंसिल की बैठक होगी तो उसी दिन ले लिया जायेगा।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--इनफारमेशन जो थी उसमें यह था कि नानआफिशल जो होगा वह बृहस्पति को होगा आज के लिये कोई जिक्र नहीं था।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--आज जो नानआफिशल होगा उसके खिलाफ इनफारमेशन है। आज जो रिज्यूलूशन लिया जा रहा है उसकी कोई इनफारमेशन नहीं थी।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--पहले कोई इत्तला नहीं थी लेकिन कल मालूम हुआ कि यह रिज्यूलूशन लिया जा रहा है। इसलिये मैं भी तैयार नहीं हो सका।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--बेहतर यह है कि यह रिज्यूलूशन न लिया जाय और जो रिज्यूलूशन है उनको भी न लिया जाय।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--तो और देर हो जायेगी।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय नेता जी ने कहा है वह सवाल नहीं है, कि इस वक्त न लेकर दूसरे दिन लिया जाय। मैं कह रहा हूं कि हाउस का काम इस तरह से बिना रूल्स आफ प्रोसीजर के हो तो यह सदन की प्रेस्टिज के खिलाफ है। यह उसूल की बात है। एक रिज्यूलूशन आ जाता है इस तरह से अगर चीजें आने लगीं तो यह प्रोसीजर के खिलाफ है।

*__श्री हृदय नारायण सिंह__ (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, यहां का जो कार्यक्रम है वह हमको भेजा नहीं जाता है। मैंने २ बार सेक्रेटरी साहब से कहा कि मैं ४९ नं० में रहता हूं, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम नहीं जाता है। अगर प्रोग्राम मिल जाय तो हम तैयार हो कर आ सकते हैं।

## संकल्प कि बेसिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली वर्तमान बेसिक रीडरों के स्थान पर बेहतर रीडरें रखीं जायं

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--श्री हयातुल्ला अंसारी साहब के संकल्प पर विचार जारी रहेगा।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने थोड़ा सा पिछले मौके पर इस प्रस्ताव के बारे में कहा था। यहां पर मैं एक चीज अर्ज कर देना चाहता हूं कि कार्यवाई में जो कुछ आया था उससे मेरा कोई मतलब नहीं था। यहां जो रिपोर्टिंग की गई थी वह बिलकुल गलत रिपोर्टिंग थी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह रिकार्ड में आ जाय। जो बातें मैंने कही थी उसका करेक्शन इसलिये नहीं किया कि करेक्शन तो उस वक्त होता है जब मैंने पूरी स्पीच अपनी रेकार्ड कराई हो। वह तो बिलकुल ही गलत है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं क्या ऐसी बात भविष्य में रोकने का सरकार प्रबन्ध करेगी।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--मैंने कहा था कि जो रिपोर्टिंग हुई थी वह इतनी गलत थी कि उसका करेक्शन नहीं किया जा सकता था। अगर ऊपर मेरा नाम न होता तो मैं यह नहीं समझता कि यह मेरी स्पीच है ।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--मैं कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी बातें भविष्य में रोकने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--मैंने बेसिक रीडर पहले हिस्से के बारे में पिछली तकरीर में कहा था, उर्दू रीडर और हिन्दी रीडर दोनों के बारे में वह था उस वक्त इन्ट्रोडक्शन इसलिये किया था कि मेरा हक बाकी रहे। हिन्दी रीडर के मुताल्लिक कहा था, गलत शब्द उसमें रखे गये हैं। उर्दू के बारे में भी यही बात थी। जब वह रीडर रखी जाय तो उसके लफ्ज जो हों और जो उनके माने होते हैं वही रखे जायं। लेकिन इसमें अल्फाज ऐसे रखे गये हैं जिनके माने कुछ हैं और सिखाये कुछ जाते हैं। मसलन् एक छोटी सी नजम है : "सीखो" जो उर्दू रीडर में इस तरह से है :

सब से हंस कर मिलना सीखो, सच्ची बात का कहना सीखो।

यह जो दूसरा मिसरा है उसका मतलब यह निकलता है कि सच किस तौर तरीके से कहा जाय और जिन अल्फाज में लिखा है, हालांकि कहने वाले का मतलब यह नहीं है, बल्कि यह है कि सच बोला करो और सच कहा करो। हिन्दी में यह मिसरा इस तरह से है:

सब के साथ सच्चाई सीखो,

यह जुमला बिलकुल उलझा हुआ है और इससे यह मतलब बिलकुल नहीं निकलता है कि जिससे जो कहो वह सच कहो। एक और नज्म है, "मेरी गुड़िया" इसका पहला मिसरा इस तरह से है :

मैं झूले में उसे झुलाती, मध्यम स्वर में गाती जाती।
थपकी देकर उसे सुलाती, चैन से सो जाती गुड़िया।

रीडर में जिस तरह से यह शेर इस्तेमाल होता है उसके माने यह कि काश मैं एक ऐसी गुड़िया होती कि गाती। हालांकि यहां यह मतलब बिलकुल ही नहीं है, बल्कि मैं गुड़िया को झूला झुलाती हूं और वह सो जाती है। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है इस का यह इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। अब एक और पहलू है। रदीफ और काफिया। जहां तक उर्दू की नजम का ताल्लुक है रदीफ व काफिया का मखसूस "पाबन्दियां" है मसलन् यह एक शेर है :

इलाही मुझे हो खिदमत वतन की, मेरे दिल को तू दे मुहब्बत वतन की।

इसमें (वतन) की रदीफ है और (मुहब्बत) खिदमत काफिया है। इसका मतलब यह कि अगर इन पाबन्दियों पर गजल कहो जाय तो हर दूसरे शेर के आखिर में वतन की न हो। मसलन् एक छोटी सी नजम है--

"सूरज निकला चिड़ियां बोली, कलियों ने भी आंखें खोलीं।" इस के बाद एक तीसरा मिसरा भी आता है कि

"आसमान में भी छाई लाली।"

यह ना मौजूं हो गया और अगर ऊपर के दो मिसरों के साथ पढ़िये तो कैसा मालूम होता है। लेकिन जरा उस को भी पढ़िये कि छाई है आकाश पर लाली, तो यह ऊपर के दो मिसरों में खप जायेगा। उस के बाद की नज्म है "सब से हंस कर मिलना सीखो, सच्ची बात का कहना सीखो। हिन्दू, मुसलिम, ईसाई सब से मिलजुल कर रहना सीखो।" इस में रदीफ है 'सीखो' और काफिया है "रहना" "लिखना" और 'सहना'। लेकिन लिखना के साथ मिलना गलत होगा।

अब इस के बाद नज़्म की बनावट है। इसके लिये कुछ मुकर्रर चीजें होती हैं। उन में से कुछ को थोड़ा बहुत हटा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मिसरा कहीं जा रहा है और दूसरा मिसरा कहीं और जा रहा है।

मसलन, सूरज निकला चिड़ियां बोली, कलियों ने भी आंखें खोली।

'लेकिन जो इसके बाद आया है कि "आसमान में भी छाई लाली" तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको लिखने वाला इतना नावाकिफ है कि वह इस जरा सी बात को बदल सकता था। यह तो नज़्मों के बारे में रहा जिसका कि मैंने अभी तज़किरा किया। इसी तरह की बहुत सी खराबियां ढपली वाली बिल्ली नज़्म में भी हैं। अब इसके आगे देखिये लिखा है—

"हाथी रहा ऊंचा गुनगुन और दुम को बड़े पेड़ से जकड़ा।"

अब मैं सरसरी तौर पर और मजमुई तौर पर जो इस रीडर के सबकों में खामियां हैं उनको बतलाना चाहता हूं। वह यह है कि किस तरह से लेसन्स को रखा गया है इस में चार सबक हैं बच्चों के माहौल के। राधा की गाय, हमारी चिड़ियां, गोविन्द, हवा और पानी। दो सबक कहानियों के हैं। सच बोलो और ढपली वाली नज़्म। चार हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं जैसे रामचन्द्र जी, श्री कृष्ण, भरत और बापू। तीन मालूमाती है, दिन, महीने, और मौसम। पांच इमेजिनरी हैं जिन में नज़्में हैं जो कि मसालों के लिहाज से बच्चों के जहन से दूर नहीं हैं। अगर ये सबक अच्छी तरह से लिखे जाते तो यह रीडर यकीनन अच्छी रीडर होती, लेकिन हाल यह है कि बच्चों के माहौल के मुताबिक भी उनका मुशाहिदा बहुत नाकिस है और बच्चों से बहुत सबक्को की गयी है। मसलन् राधा की गाय है। इसके बारे में ४ टूटी-फूटी बातें बतलाई गयी हैं। इसके बाद फौरन ही दूसरा सबक हमारे जानवर और चिड़ियां या मेंहन्दी में हमारे पशु पंछी दिया गया है और कहा है कि नीचे की तस्वीर देखो, पहिचानो और बताओ कि इन जानवरों और चिड़ियों के बारे में क्या जानते हो।" अगर राधा की गाय का सबक अच्छा होता और मुशाहिदा काफी होता तो भी इन सवालों का कुछ तुक हो सकता था। इस सबक में गाय का मुशाहिदा सिर्फ इतना है कि गाय के दो सींग हैं और उसके चार थन हैं। यह दूध देती है। गाय के सींग और आदतों का कोई तज़किरा नहीं है। इसके बाद का जो तज़किरा है वह गाय के फायदामंद का है और उन फायदों को भी इस तरह से बतलाया गया कि वह बच्चों से जितने करीब होते उतने करीब नहीं हैं। अच्छा यह होता कि इसमें बच्चों के इन्टरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता और उन्हें बतलाया जाता कि दूध से खोया बनता है और खोया से मिठाई बनती है और घी में तलने वाली चीजों का भी जिक्र कर दिया होता तो अच्छा था। यह बात बच्चों की समझ में जल्दी आ जाती बजाय उसके जो कि इस रीडर में लिखा गया है। अगर इस इबारत का बेतुकापन देखना हो तो यह जुमला देखिये कि राधा की गाय बछड़े देती है और यह बछड़े बड़े हो कर बैल बन जाते हैं।

तवारीख के जो कैरेक्टर हैं वे बहुत बड़े हैं। रामचन्द्र जी और श्रीकृष्ण जी बहुत बड़ी हस्तियां थीं और उनके कारनामें भी बहुत बड़े हैं। लेकिन बच्चों के लिये कारनामों की जरूरत नहीं है, बल्कि कैरेक्टर की जरूरत है ताकि वे इस को अपने सामने रख सकें। श्रीकृष्ण जी हमारे हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हीरो थे, उनके कारनामों का यहां पर कोई जिक्र नहीं है। यहां पर बापू के बारे में भी कहा गया है, लेकिन सिर्फ एक जुमला ही कहा गया है कि वे बच्चों से मुहब्बत करते थे। मैं तो समझता हूं कि इसके अलावा भी उनके कारनामों पर रोशनी डाली जा सकती थी जो बच्चों के लिये काफी मुफीद हो सकता है। अब एक सिम्तों के बारे में सबक है, उसको मैं यहां पर पढ़ देना चाहता हूं।

सुबह सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो, दायें और बायें तरफ अपने दायें और बायें हाथ फैलाओ। तुम्हारे सामने पूरब की सिम्मत है, तुम्हारे पीछे पश्चिम की सिम्मत है, तुम्हारे बायें तरफ उत्तर की सिम्त है और दाहने हाथ की तरफ दाक्खिन है। सिम्तें चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

इस वक्त हमारे पेशनजर एक पुरानी उर्दू रीडर है, उसमें इन बातों को इस तरह से बताया गया है। अख्तर के अब्बा ने कहा, हां, बेटा यह पूरब से निकलता है। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर को हमारे सिर पर आ जाता है, फिर शाम को पश्चिम में जा कर डूब जाता है। तुम्हें मालूम है कि पूरब और पश्चिम को मशरिक और मगरिब भी करते हैं। नजमा भी सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी थी। अख्तर के अब्बा ने कहा, बताओ तुम्हारी बहन का मुंह किस तरफ है, अख्तर बोल उठा, पूरब की तरफ, और पीठ पश्चिम की तरफ, और उसका दाहिना हाथ, यह हमें नहीं मालूम अख्तर के अब्बा ने बतलाया कि उसका दाहिना हाथ दक्खिन की तरफ है और बायां हाथ उत्तर की तरफ है। दक्खिन और उत्तर को जनूब और शुमाल भी कहते हैं। यही चार सिम्तें होती हैं।

इसके बाद अब मैं नजमों के बारे में कहना चाहता हूं। दो नजमें मैं सुनाता हूं जो उर्दू की हैं।

यह देखो यह मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी मेरी गुड़िया।
मैं झूले में उसे सुलाती, मध्यम सुर में गाती जाती।
थपकी दे कर उसे सुलाती, चैन से फिर सो जाती गुड़िया।
यह देख मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी मेरी गुड़िया।
मैं भी साथ उसके सो जाती, मीठे सपनों में खो जाती।
चन्दा मामू तक हो आती, साथ में जाती मेरी गुड़िया।
यह देख मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया।

अब उर्दू की एक दूसरी सीधी सादी नज्म सुनिये :—

कोयल तेरी कूक निराली, तेरी रंगत काली काली।
तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली।
बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली।
लड़के तेरी कूक को सुन कर, नकल तेरी करते हैं अक्सर।
तू गाती है इनसे बेहतर, इनकी कूक है निराली।
कोयल तेरी कूक है निराली।

अब मैं आप के सामने एक दूसरी और नजम पढ़ना चाहता हूं :—

चन्दा मामू दूर के, साथ लिये आये हैं तारे, चमक रहे हैं मिल कर सारे।
राजमहल में जैसे दीपक, जलते हैं काफूर के, चन्दा मामू दूर के।
दूर दूर ही बिखरे तारे, लगते हैं यह कितने प्यारे, गिर कर फैल गये हों जैसे, लड्डू मोती चूर के, चन्दा मामू दूर के।

आपस में कुछ मिले मिले, एक साथ अन गिनत खिलें, जैसे लटक रहे हों बेलों पर, गुच्छे हों अंगूर के, चन्दा मामू दूर के।

इसके बाद एक नजम और उर्दू की है जो मोर के बारे में है :—

आ जा प्यारे मोर हमारे, सारे पक्षी तुझ पर वारे,
पर भी तेरे रंग रंगीले, हरे, सुनहरे नीले पीले।
नीलों में हैं पीले ऐसे, तारे हों आकाश पे जैसे।
चाल निराली आंख रसीली, सिर पर कलगी है चमकीली।
कोयल, तोते, लाल, पपीहा, सभी हैं प्रजा, तू है राजा।
सूरत है तेरी भोली भाली, मीठी मीठी तेरी बोली।
रस की भरी हैं तेरी आखें, आखें हैं या आम की फाकें।

अब दूसरा हिस्सा लीजिये। इस पर ज्यादा तफसील से अब रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बहुत नुमायां गलतियों की तरफ इशारा करूंगा। नज्म इस तरह से है :—

चिड़ियों को चहकाने वाले, सूरज को चमकाने वाले,
फूलों के महकाने वाले, प्यारा चांद हंसाने वाले,
सर सर हवा चलाने वाले, तारों के दमकाने वाले,
बिजली के चमकाने वाले, पानी के बरसाने वाले,
धरती गगन बनाने वाले, सारे जगत बनाने वाले।
हे ईश्वर, हम बालक तेरे, शीश नवाते, शीश झुकाते।

किन्तु हिन्दी के जो दोहे में कहा गया है, उसके अन्दर यह जरूर आ गया है और वह शीश हो कर आया है, लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत मुहम्मद साहब के बारे में भी नजम लिखी गई है, लेकिन कम से कम रीडर बनाने के लिये इस तरह की कोशिश बेकार है। बच्चों की नजर से तो नजम में कोई जान नहीं है और ये नज्म खूबसूरती दिल में पैदा नहीं करती हैं और उसकी बात का एहसास नहीं होता है। बच्चों को ऐसी नजम की जरूरत नहीं है। आप को तो उसे खूबसूरती के ढंग से पैदा करना है और वह बात उसमें जरूर आनी चाहिये। इसमें खुदा की तारीफ भी बेअसर है। मैं इसमें फिर एक उर्दू की मिसाल दूंगा। खुदा के उसमें यह है:

फूलों के महकाने वाले, प्यारा चांद बनाने वाले,
सरसर हवा चलाने वाले, तारों को दमकाने वाले,
बिजली के चमकाने वाले, पानी के बरसाने वाले,
धरती गगन बनाने वाले, सारा जगत बनाने वाले।
हे ईश्वर हम बालक तुमको, शीश नवाते शीश झुकाते।

यह बच्चों के एटमोशफियर से ताल्लुक रखता है और यह अच्छी बात भी है। "मेरा देश" नजम इस तरह से है:—

मेरा देश, मेरा देश, बाग बगीचों वाला देश,
हंसते फूलों वाला देश, तितली भौरों वाला देश,
मेरा देश, मेरा देश, चांदी सोने वाला देश,
मोती माणिक वाला देश, हीरे पन्नों वाला देश,
मेरा देश, मेरा देश।

तो लफ्ज ऐसे होने चाहिये कि वे सेन्स पैदा कर सकें, और उनमें ब्यूटी का सेंस भी हो। हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं लेकिन सुनने वाले उसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें रिडि-कुलश बात पैदा हो जाती है। यही हिमालय वाला देश, और गंगा यमुना वाला देश। फिर यह है कि इसका एक लफ्ज गलत और बेअसर है।

उर्दू की एक नजम है जिसमें है कि "मोती हीरों वाला देश" सबसे अच्छा हमारा देश लाल जवाहर वाला देश, हीरे पन्नों वाला देश। हमारा देश, हमारा देश, गंगा यमुना वाला देश, ऊंचे पर्वत वाला देश, हमारा देश, हमरा देश।

सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, सबसे बढ़िया देश हमारा।

ऐसी नजमों की बात नहीं है। लेकिन इसमें गंगा जमुना वाली बात रक्खी जाती है और जिस तरह से यह रक्खी जाती है उसमें कोई जान नहीं है। बच्चों को उसकी जरूरत नहीं है। बच्चों के लिये तो ब्यूटी क्रियेट करनी पड़ती है और उसमें एक सेन्स आफ ब्यूटी क्रियेट करना होता है। इसमें तो कोई जान नहीं है, और यह रेडिकुलश नज्में हैं।

एक नज्म है "बादल":—

काले बादल, गोरे बादल, नीले बादल, भूरे बादल,
मैं उड़ कर ऊपर छूं लू रे, तू धरती को छू रे बादल।

पहली बात तो यह है कि गोरे किसी जमाने में यहां राज करते थे लेकिन गोरे बादल कभी किसी ने तसव्वर नहीं किये थे, और नीले बादल अगर होंगे तो वह तो आसमान में छिप जायेंगे दिखलाई ही नहीं देंगे। फिर—

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

"मैं ऊपर उड़ कर छू लूं रे, तू धरती को छू ले रे"

"यह छुआ छुअव्वल भी समझ में नहीं आई। इसके आगे का शेर है:--

"झूम रही है डाली डाली कब झूमेगा तू रे बादल",

यह बादल के झूमने की फरमाइश तो अजीब चीज है, बच्चे को बहुत देर तक समझाना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया कि बादल के झूमने को समझूं, तसव्वर करूं लेकिन समझ में नहीं आया। फिर आगे एक और तमाशे की चीज है कहते हैं:--

"बरसे बरसे इन गलियों में लहरों में लहरा कर बादल"।

पता नहीं कौन सी गलियों में बरसने की तमन्ना है, कैसी लहरें होंगी, किस अन्दाज से लहरायेगा। आगे लिखा जाता है।

मैं गलियों में नाव चलाऊं, अम्मा घर में बरसे बादल

शायद ख्याल यह किया गया हो कि गलियों में अगर बादल बरसेगा तो मैं भीग जाऊंगा। इसलिए गलियों में न बरस कर अम्मा के घर में बरसे।

**श्री गोविन्द सहाय** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--मंत्री महोदय सो रहे हैं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--सोने वाली स्पीच है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--जरा आप वक्त का भी ख्याल रखें।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--क्या वक्त की कोई पाबन्दी है। अब मैं कितनी देर और बोल सकता हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं कितनी देर बोल चुका।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--४-५ मिनट आप और बोल लीजिए।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--एक नज्म है "फूल" वह भी उतनी ही खूबसूरत है जो मैंने बताई।

"भौंरे गुन गुन कर आते तुमको ही गीत सुनाते"

एक तो मुझ को ज्यादा आब्जेक्शन है "सिर्फ तुम को ही सुनाते" पर। यानी सिर्फ फूल को ही सुनाते हैं। इसके माने हैं और किसी से ताल्लुक नहीं है। "गुन गुन कर आते हैं," इसके क्या माने हैं। गुनगुनाते हैं या गुन गुन आवाज पैदा करते हैं। यह भी मेरी समझ में नहीं आया।

एक और नज्म है "प्यारे प्यारे तारे चमको" एक ही तारे से कहा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कौन से तारे से कहा गया है।

प्यारे प्यारे तारे चमको आसमान पर ऐसे चमको,<br>
वन के फूलों ऐसे चमको।<br>
चमको चमक लिए तुम ऐसे हीरे ऐसे मोती ऐसे,<br>
चमको ऐसे नील गगन में जैसे फूल खिले हों वन में।<br>
दिखलाओ बच्चों को सपना प्यारा देश हमें हो अपना,<br>
तुम जैसे बच्चे बन जायें जगमग जगमग ज्योति जगायें।<br>
जी भर प्यार करें हम तुम को प्यारे प्यारे तारे चमको।

यानी इसमें यह सपना दिखलाना है कि हमारा देश प्यारा हो जाय पता नहीं कौन सा सपना है।

दूसरी चीज यह आ जाती है कि कहने वाला कौन है। अगर कहने वाला बच्चा है तो फिर सपना के क्या माने और फिर इसके क्या माने कि प्यारा देश हमें हो अपना। किस तरह से प्यारा हो देश हमें अपना। यह न समझ में आने वाली बात है। यह समझ में नहीं आता कि जी भर कर प्यार करें हम तुमको, प्यारे प्यारे चमको, तो यह तमन्ना कैसे होती है। पसन्द करते हो तो कर लो, फरमायश बेकार की। एक नज्म और है "खट्टे अंगूरों" की। यही वही नज्म है जिसमें एक लोमड़ी को अंगूर जब नहीं मिले तो उसने कहा कि यह खट्टे हैं।

इसको नज़्म या कविता में लिखा गया है। बड़ी मेहनत शायद इसके लिखने में की गई है। पांचवें मिसरे में यह है "देखो उसने एक लता"। फिर नवें में यह है "पहुंच लता के निकट लोमड़ी", और ११ वें मिसरे में यह है कि "और लता पर उछल पड़ी"। तो ११ वें मिसरे तक तो यही समझ में नहीं आता है कि बात क्या थी। फिर समझ में आया कि अंगूर ऊंचे थे इसलिये उछल कूद थी।

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेई**--दूसरा सब्जेक्ट लीजिये।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी लूंगा। इसमें तमाशे की चीज यह है कि १० वें मिसरे तक यह नहीं समझ में आता कि यह उछल कूद क्यों थी। ११ वें मिसरे से पता चलता है कि अंगूर बुलन्दी पर थे। अब एक और नजम देखिये। हम बालक भोले भाले, ओले बरसें परवाह नहीं, शोले बरसें परवाह नहीं, गोले बरसें परवाह नहीं, हम बालक भोले भाले हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। अगर यही कहना था तो बहादुर कहा होता। फिर उर्दू में कोई लफ्ज परवाह नहीं है। ठीक लफ्ज परवा है। अगर यही रखा जाता है नज्म का ढंग तो फिर कहना होगा कि--

मौजूं का कुछ झगड़ा नहीं है।
हम शायर हैं भोले भाले।

अब मैं नस्र को लेता हूं। इसमें एक सबक सात भाइयों का है।

मुझे यह कहना है कि वक्त और दिया जाय। जब म १० मिनट बोल चुका हूं तब मुझे बताया गया इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझे और वक्त दिया जाय।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--और वक्त नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा भाषण आधे घन्टे के अन्दर ही खत्म किया जाता है।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--मैंने तो यह देखा है कि सरकारी बिलों पर डेढ़ डेढ़ घन्टा तक लोग बोलते हैं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--यह बिल नहीं है, यह संकल्प है।

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेई**--कोई और बोलने वाला भी नहीं है इसलिये वक्त दे दिया जाय।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो नियमों के विरुद्ध वक्त दिया जाय। अब आप दो मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते हैं।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--दो मिनट में यह खत्म नहीं हो सकता है। अभी कम से कम २० मिनट मैं और लूंगा। खैर, जब आप कहेंगे, मैं खत्म कर दूंगा।

मैं अभी बता रहा था एक किताब के मुताल्लिक कि उसमें एक कहानी है सात बेटों वाली और लकड़ियों वाली। लकड़ियां तोड़ डालने के बाद बाप ने बेटों से कहा कि पहले यह सात पतली-पतली लकड़ियां एक दूसरे से बंधी थीं, तो मैं आपसे बता दूं कि इसके दो जरिये हो सकते हैं, एक तो रेलगाड़ी जैसे कि जिसमें एक डिब्बा दूसरे से बंधा होता है या जैसे चिक में तमाम तीलियां सी लगी रहती हैं। तो चाहे रेलगाड़ी की तरह से या तीलियों की तरह से बंधी हुई तो हो सकतीं हैं लेकिन कट्ठे की तरह बंधी हुई थीं यह नहीं इसका मतलब हो सकता है। वक्त कम है, मैं सभी कुछ नहीं कह सकता। हां, एक जरूरी बात आपके सामने जरूर कहूंगा कि गलत अंदाज से रिलीजस हीरोज को न लिखना चाहिये, उनके कैरेक्टर को सामने जरूर रखना चाहिये। गणेश जी की कहानी है कि उनकी सबसे पहले पूजा क्यों की जाती है। किताब में लिखा गया है कि गणेश जी की चूहा सवारी थी। उनको दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाना था, दूसरे लोग तो दुनिया का चक्कर लगाने चले गये लेकिन चूंकि गणेश जी की सवारी चूहा थी और वह इतनी जल्दी चक्कर नहीं लगा सकते थे इसलिए उस किताब में लिखा हुआ है कि उन्हें

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

एक तरकीब सूझी कि मां-बाप की पूजा सबसे बड़ी होती है इसलिए उन्होंने अपने मां-बाप के चारों ओर चक्कर लगा लिया बजाय दुनिया के चक्कर लगाने के। तो आप देखें कि गणेश जी के लिए यह कहना कि चूंकि उनकी सवारी चूहा थी और वह इतनी जल्दी दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकते थे इसलिए उन्हें यह तरकीब सूझी और उन्होंने मां बाप के चारों तरफ चक्कर लगा लिया। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि लिखने का तरीका सही होना चाहिये और रेलीजस हीरोज के कैरेक्टर को खराब कर के लिखना ठीक नहीं होता। इसे बन्द होना चाहिये। अब सूरत यह है कि बहुत सी रीडिंग बुक्स मैंने देख डाली हैं, यूं तो वह सब इनाम देने के लायक हैं लेकिन मैं जहां तक उन्हें देख सका हूं मैं यह कह सकता हूं कि वह बहुत ही बेतुकी और खराब हैं जो सारे जहान में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगी। जहां तक हिन्दी रीडर्स का ताल्लुक है तो हिन्दी और उर्दू का मैटर कामन है लेकिन बाज चीजें ऐसी भी लिखी गई हैं कि जिन्हें पढ़ कर बाज हिन्दी रीडर्स ने तो ऐसा कहा है कि यह रीडर्स केवल हिन्दुओं के लिए हैं। अब हिन्दी की वह पोजीशन नहीं रही है जो आज से १५ साल पहले थी। अब हिन्दी किसी फिर्के की जबान नहीं रही है। अब तो वह इस देश की सारी जनता की जबान है अब जैसे एक राइटर यह लिखते हैं कि रामचन्द्र जी को इस देश की जनता अवतार मानती है कई जगह पर ऐसी बातें आई हैं। तो इस देश की जनता में हिन्दी पढ़ने वाले किसी एक तबके के ही नहीं हैं। अब हिन्दी की पोजीशन बदलती जा रही है। वह सबकी जबान बनती जा रही है। हिन्दी राइटर्स सबके लिये लिखते हैं और उनको जब कोई लेसन्स लिखने हों तो वह इस बात का ख्याल करके लिखें कि यह सबके लिये लिखा जा रहा है। अब मैं लिखावट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शुरू के दो-तीन दर्जे तक तो लिखावट वह है जो अब नई चलाई गई है और बाकी में दूसरी है। मैं इसकी गलतियां बयान करता लेकिन इस वक्त मुझको वक्त नहीं है। मेरा तो ख्याल यह है कि हिन्दी की किताबें ऐसी हैं जिनको रिवाइज करना चाहिये और उर्दू की रीडर्स ऐसी हैं कि उनको बन्द करके म्युजियम में रख देना चाहिये।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव अभी हमारे मित्र हयातुल्ला अन्सारी साहब ने रक्खा है, मेरा कोई विचार पहिले उस पर बोलने का नहीं था क्योंकि मैं अपनी जगह पर समझे हुये था कि जहां तक बेसिक रीडर्स का ताल्लुक है कि फलां रीडर नहीं होना चाहिये और यह होना चाहिये, यह चीज ऐसी है कि अगर इसको डिपार्ट-मेंटली डिसकस किया जाता तो बहुत हद तक खराबी दूर हो सकती थी, ऐसे विषय कौंसिल में लाने से कोई खास फायदा नहीं होता है। लेकिन अभी जो बहस हुई, और उस दिन भी जो उन्होंने अपनी तकरीर की थी, उसमें भी जो कुछ कहा था तो हो सकता है कि जो दृष्टिकोण आपने रक्खा है वह ठीक हो। मैं तो यह समझता हूं कि यह बातें शिक्षा विशेषज्ञों के पास जानी चाहिये। वही यह समझ सकते हैं कि क्या चीज रीडरों में होनी चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये। हां, जहां तक भाव का सम्बन्ध है वह ऐसे होना चाहिये जिसको लड़के आसानी से समझ सकें। इसका तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं। फिर मैं यह समझता हूं कि अन्सारी साहब ने तफसील के साथ जो त्रुटियां रक्खी हैं, बहरहाल अगर कौंसिल में इस प्रकार का प्रस्ताव रक्खा गया है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करेगी। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय बजाय इसके कि वह अन्सारी साहब की दलीलों का जवाब दें, बेहतर यह होगा कि जो आपके सुझाव हैं या और जो सजेशन्स आयें और एजूकेशनिस्ट की तरफ से उनको लेकर रिवीजन के लिये गवर्नमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के पास जो कि ऐसी किताबों को सेलेक्ट करती है, भेज दें। यह भी हो सकता है कि एजूकेशनिस्ट्स की कमेटी बैठा कर इन बेसिक रीडरों को रिवाइज कराया जाये, और ऐसी बातें जो नहीं लिखनी चाहिये अगर कोई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। बहरहाल जहां तक इस प्रस्ताव के उद्देश्य का ताल्लुक है मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार निजी तौर पर कोई कमेटी एजूकेशनिस्ट की बिठायेगी और वह कमेटी बेसिक रीडर्स का रिवीजन करे।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय हयातुल्ला अन्सारी साहब ने पेश किया था वह प्रस्ताव निहायत सादा और मासूम सा था लेकिन जो भाषण मैंने सुना उसके सुनने के बाद और जो बातें बेसिक रीडर्स के मुताल्लिक और उसकी छपाई के मुताल्लिक और जो शायरी है, जुमले हैं, या जो अल्फाज हिन्दी और उर्दू रीडर्स में लिखे गये हैं उनके मुताल्लिक जो भाषण मैंने उनका सुना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी साहित्य की किताब पर समालोचना कर रहा है। समालोचना का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ा आथर बेसिक रीडर लिखने वाला शायद इतना ज्यादा काबिल नहीं है, उर्दू और हिन्दी का बड़े से बड़ा शायर जैसे डाक्टर इकबाल थे। डाक्टर इकबाल बड़ा मुफक्किर और काबिल शायर था। उसके बारे में कहा गया है कि जिस जबान में उसने शायरी की है वह न लखनऊ की जबान है और न दिल्ली की जबान है तो जहां तक समालोचना का सम्बन्ध है बड़े से बड़े आथर की शायरी में समालोचना की जा सकती है जहां तक बेसिक रीडर का सम्बन्ध है जिसका हवाला अन्सारी साहब ने किया अगर आज की रीडर्स की तुलना इब्तदाई पुरानी रीडर्स से की जाय जो हमको और आपको पढ़ायी जाती थीं यह सही है कि इन बेसिक रीडर्स में छपाई में प्रेस की गल्ती हो सकती है लेकिन जहां तक मुकाबिले की बात है आज की बेसिक रीडर्स बदर्जहा बेहतर है क्योंकि पुरानी इब्तदाई रीडर्स, अंसारी साहब जानते हैं जो हिन्दी और उर्दू की बेसिक रीडर्स थीं उनके अन्दर इस प्रकार के कहानी और किस्से थे जिनका हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था जैसे अली बाबा और चालीस चोर, हमारी मलिका जिसका इशारा मलिका विक्टोरिया से था, जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था तो इनके अन्दर बहुत कम हिन्दुस्तानियत थी और पुरानी इब्तदाई रीडर्स खास तौर से उर्दू में जो शायरी और नज्म थी या गजलें थीं उनमें हिन्दुस्तानियत नहीं थीं। अंसारी साहब ने इन बेसिक रीडर्स पर जो भाषण दिया उसमें इस बात पर जोर दिया कि जो उर्दू की बेसिक रीडर्स हैं उनमें हिन्दी की नकल कर दी हैं और जिनमें हिन्दी की नकल नहीं की गई है उनमें ऐसे फिक्रे हैं जिनका मफहूम ठीक नहीं होता है, और कहीं-कहीं पर आपने इस बातपर भी एतराज किया कि ऐसे मफहूम हैं जो हिन्दी में ठीक हैं मगर उर्दू में वह मफहूम किसी प्रकार से ठीक नहीं उतरत हैं। बहुत जमाने से यह कहा जाता है कि उर्दू के जो शायर हैं उर्दू के जो मुसन्निफ हैं उनकी कुछ ऐसी रुझान थी कि उन्होंने अपनी किताबों के अन्दर हिन्दुस्तान के जो नेचुरल मनाजिर थे उनको उन किताबों के अन्दर नज्मों के अन्दर नहीं रखा। ईरान, अफगानिस्तान और अरब के कुदरती मनाजिर का उनमें बयान किया है। इसी प्रकार से किस्से कहानियां जो थे उनमें भी ईरान का जिक्र आया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा और अन्सारी साहब को भी शायद याद होगा कि जोश मलीहाबाद ने इसका बड़े जोरों से ऐतराज किया था। १९४७ म उन्होंने एक मजमून में लिखा था कि उर्दू के जो शायर हैं उनको अपनी जेहनियत तब्दील करनी होगी। वह जो हिन्दुस्तान के कुदरती मनाजिर को छोड़ कर ईरान और अरब की बातें करते हैं उन्हें वह मफहूम बदलना चाहिये। उपमायें उन्हें हिन्दुस्तान की चीजों से देना चाहिये। इस तरह से उर्दू शायरी और तसनीफात में तब्दीलियां की जायं। जहां तक बेसिक रीडर का सवाल है जिसे अन्सारी साहब ने यहां पढ़कर सुनाया उसमें इस बात की इन्तहाई कोशिश की गई है कि पुरानी दकियानूसी बातों को छोड़ कर हिन्दुस्तानी बातें उसके अन्दर लाई जायं; हिन्दुस्तान के कुदरती मनाजिर का उसके अन्दर जिक्र हो और हिन्दुस्तान का जो कल्चर है, उसको उसके अन्दर लाया जाय। हां, एक बात जरूर है जो मैं मानता हूं, कहीं-कहीं इस बात का ख्याल नहीं किया गया है कि जो अशआर बेसिक रीडर के अन्दर रदीफ और काफिये पर हैं वह मुनासिब नहीं हैं जो मिसरे हैं और वह वजन के नहीं हैं। आज इस प्रकार की जद्दोजहद हिन्दी के अन्दर है। वह उर्दू जबान ही में नहीं बल्कि सब जबानों में है और खास करक शायरों की जो बन्दिशें हैं उनमें उर्दू क्या, हिन्दी के भी शायर ठीक तरह से नहीं चल पाते।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

इन बन्दिशों को खत्म किया जाना चाहिये। उर्दू में भी ऐसे शुअरा हैं जिन्हें इसमें तब्दीली करना होगा और नये माहौल के मुताल्लिक अपनी शायरी में तब्दीली करनी होगी। असल में शायरी के सफहस्त को देखा जाय तो जब से इब्तदा हुई तब से ही यह बातें आती रहीं। शायरी के माने यह कि नेचुरल ढंग से की जाय। रदीफ, काफिया और वजन जमाने के बढ़ने के साथ साथ वह चीजें भी बढ़ती गईं। इसको बनाया इसलिये गया है कि इसके अन्दर अच्छापन हो। लेकिन नतीजा यह हुआ कि जितने उसके नेचुरल एसपेक्ट्स थे वे सब के सब खत्म हो गये और शायरी रदीफ और काफिया में कैद हो कर रह गयी। मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है या यह सही ख्याल है लेकिन खुद उर्दू शायरों ने यह कोशिश की है कि उसको रदीफ और काफिये की बन्दिश से निकाल कर एक ऐसे ढंग पर ले जायं जो कि आम फहम है। मैं यह समझता हूं कि यह काफी हद तक अच्छा नहीं है क्योंकि शायरी और नज्म में कोई फर्क नहीं रह जायेगा। लेकिन उसको बिल्कुल रदीफ और काफिया की कैद में रखना ठीक नहीं है। वह इतना जकड़ा हुआ है कि उससे निकालना चाहिये। जहां तक अन्सारी साहब ने उन जुमलों का जिक्र किया और शायरी का जिक्र किया जो कि उसके अन्दर है और जिसको उन्होंने मिसालें भी दी कि 'चन्दा मामा दूर के' और तेरी रंगत काली' तो हो सकता है कि रदीफ और काफिये के ख्याल से यह ठीक न हों, लेकिन मैं समझता हूं कि छोटे बच्चों को इससे ज्यादा आसानी शायरी समझने के लिये नहीं हो सकती है।

**श्री हयातुल्ला अन्सारी**—जिसकी तारीफ माननीय सदस्य कर रहे हैं उसका मैंने मुकाबिला पेश किया था।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—तो बेहतरीन मिसालें इसमें मौजूद हैं। छोटे बच्चों के जहन में लाने के लिये ऐसी शायरी इसके अन्दर हैं जो आसानी से समझी जा सकती है और जो आम फहम है। मुझे मालूम है कि पुराने जमाने में उर्दू की इब्तदाई रीडरें थीं, उनमें कुछ ऐसे शोअरा थे जिन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि जो मुश्किल चीजें थीं और जिन को बच्चे आसानी से नहीं समझ सकते थे, उनको आसान करने की कोशिश की थी। जब मैं पढ़ता था तो उस समय इस किस्म की कितनी ही शायरियां थीं जिनको आसान करने की कोशिश की गयी थी। इसी तरह से मुझे मालूम है कि एक ऐसी शायरी थी कि बरसात का मौसम है और फिर जाड़ा और उसके बाद बसन्त की बाहर आती है। उस वक्त भी नेचुरल वे से शायरी लाने की कोशिश की गयी थी। जहां तक मैं समझता हूं कि कभी-कभी तो ऐसी चीजों को आसान करना पड़ता है कि हिन्दी लफ्जों को उर्दू में और उर्दू लफ्जों को हिन्दी में लाना पड़ता है और ऐसा करने में बड़े-बड़े शायर गलती कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल भी देता हूं। एक बार डाक्टर इकबाल ने लिखा कि शक्ति शान्ति भक्तों की पीत में असल में हिन्दी का जो लफ्ज है वह प्रीति है न कि "पीत" लेकिन उर्दू में प्रीति नहीं हो सकता है इसलिये उन्होंने "पीत" लिख दिया। वह इसको उस मिसरे में नहीं फंसा सके और अगर फंसाने की कोशिश करते तो वह रदीफ और काफिये की नजर से गलत हो जाता। आज भी ब्राह्मण शब्द की जगह पर ब्राहमन लिखा जाता है। अगर उसको सही लिखा जाता है तो वह मिसरा ही गलत हो सकता है। जो मिसाल आपने दी कि यह लफ्ज ठीक नहीं आया तो मैं समझता हूं कि चूंकि कोशिश इस बात की की गयी है कि जो हिन्दी के सादे लफ्ज हैं वे उर्दू में पैवस्त हो जायं, इसलिये ऐसी गलती हो सकती है।

लेकिन मैं समझता हूं कि आम तौर पर अच्छे ढंग से उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तरह से उर्दू की तरफ एक बड़ी भारी खरिश पैदा हो जाती है। एक क्लिष्ट हिन्दी और एक मुशकिल उर्दू शुरू हो जाती है। मैं समझता हूं कि इन नई बेसिक रीडरों में शुरू से ही आसान जबान बनाई गई है। जहां तक आपने गणेश जी और राम चन्द्र जी के बारे में कहा है तो उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में रामचन्द्र जी को अवतार मानते हैं। यह हमारे यहां की एक रवायात है। इसी तरह से अरब, बिलोचिस्तान

में भी रवायात पाई जाती हैं। रवायात का किताब में लिखने का केवल यही मतलब होता है कि उनसे बच्चों को जानकारी हो। आज हमारे हिन्दुस्तान में बहुत सी जनता ऐसी है जो रामचन्द्र जी को ईश्वर मानती है, लेकिन बहुत सी जनता ऐसी भी है जो इनको मानने के लिये तैयार नहीं है। उर्दू में भी इसी तरह से बहुत सी हिकायतें हैं जैसे अली बाबा ४० चोर, अलाउद्दीन का चिराग वगैरह। इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इन बेसिक रीडरों की छपाई का सम्बन्ध है तो उसके लिये मैं यह जरूर कहूंगा कि छपाई के वक्त प्रूफ रीडिंग की तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस बेसिक रीडर की कीमत भी ज्यादा है। जो पुरानी बेसिक रीडर गीता प्रेस, गोरखपुर से छपी थी उसकी कीमत शायद तीन आना थी। लेकिन अब जो नई बेसिक रीडर है, उसकी कीमत शायद ९, १० आने है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ जरूर दिलाऊंगा कि बेसिक रीडर का प्रूफ रीडिंग ठीक से होना चाहिये। यह जो हमारी नई बेसिक रीडर है, इसका बाइंडिंग अच्छा है लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार का ध्यान इस ओर जरूर दिलाऊंगा कि इसमें जो अर्थमेटिक का हिस्सा है वह कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक बेसिक रीडर की भाषा का सम्बन्ध है उसमें सुधार जरूर हुआ है और उस पर काफी ध्यान भी दिया गया है। कुंवर साहब ने एक कमेटी बनाने के लिये सुझाव दिया है। मैं तो सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि इस बेसिक रीडर को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है और इस पर काफी लोगों ने गौर भी किया है। हमारे जो पुराने एजूकेशन डायरेक्टर थे जिन्होंने इस पर काफी सोच विचार किया था। उसके बाद यह बेसिक रीडर तैयार हुई है। अब रह गई आलोचना करने की बात तो वह तो हर एक किताब पर हो सकती है। अगर आप पुरानी बेसिक रीडरों को देखें और नई बेसिक रीडरों को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि दोनों में कितना अन्तर है। जहां तक मेरा ख्याल है अब नई बेसिक रीडरों में काफी सुधार हुआ है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि पुरानी बेसिक रीडर के मुकाबिले में जो नई बेसिक रीडर हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—जमीन और आसमान का फर्क तो वह भी बतलाते हैं।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—जो नये बेसिक रीडर्स हैं, वे बदर्जहा पुराने बेसिक रीडरों से अच्छी हैं और उसमें जो बातें लिखी गयी हैं, तो उसमें बच्चों को हर चीज समझाने की बहुत कोशिश की गई है। देश के अन्दर जो बातें पहले से हैं, जो रिवायात हैं, जो हिकायतें हैं और जो हिन्दुस्तान की तवारीख है, वह भी सब उनमें हैं। कहने का मतलब यह है कि हर चीज पर थोड़ी-थोड़ी बात लिखी गई है।

***श्री गोविंद सहाय**—डिप्टी चेयरमैन महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि किसी के लिये भी इसकी मुखालिफत करना मुश्किल है और उसी माने में इसमें कहा गया है कि "इस सदन का यह मत है कि बेसिक स्कूलों में पढ़ायी जाने वाली वर्तमान बेसिक रीडरों के स्थान पर बेहतर रीडरें रखी जायें।" तो बेहतर का जहां तक ताल्लुक है, उससे किसी को एखतलाफ नहीं है। इसलिये जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक है, उसके लिये जब तक किसी के दिमाग में ही मुखालिफत करने की बात न हो, उसके लिये इसकी मुखालिफत करना बहुत मुश्किल बात है। अब सवाल यह आता है कि इस समय जो हमारे यहां रीडरें पढ़ायी जाती हैं, उसकी कितनी अहमियत है और इस हाउस को उसमें कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये। मैंने आजाद साहब की स्पीच बड़े गौर से सुनी और यह समझने की कोशिश की कि वे इस प्रस्ताव के हक में बोल रहे थे या मुखालिफत में। उन्होंने कहा कि आज जो बेसिक रीडरें हैं, वे अंग्रेजों के जमाने के मुकाबले में कहीं अच्छी हैं। लेकिन आज जो हमारा स्टैन्डर्ड हो गया है, यह उससे अच्छा है या नहीं, हमें इस बात को देखना है। अंग्रेजों के जमाने में जो

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]
चीजें थीं, तो उसके मुकाबिले में आज जो हमारी चीजों को नापने का आला है, वह काफी बदल गया है।

श्री हर गोविंद सिंह—माननीय सदस्य तो जरूर बदल गया है।

श्री गोविंद सहाय—डिप्टी चेयरमैन महोदय, मिनिस्टर महोदय ठीक कह रहे हैं, सिर्फ थोड़े से लोगों का स्टैन्डर्ड नहीं बदलता है क्योंकि उनके ऊपर काबिलियत हुकूमत की होती है और उनका दिमाग अच्छा होता है, लेकिन जो भी प्रोग्रेसिव दिमाग वाले हैं या प्रोग्रेसिव आइडियाज वाले हैं, वे जरूर बदल गये हैं, और वैसे भी आपके सामने बड़ी-बड़ी बातें हैं, आप इन छोटी बातों पर कहां ध्यान देते हैं।

जहां तक बेसिक रीडर का ताल्लुक है, तो हमें उसे दूसरे नजरिये से देखना है। अभी अन्सारी साहब ने जबान में और उनके फिकरों में गलतियां निकालीं और वैसे तो किसी भी किताब में गलतियां निकाली जा सकती हैं, आजाद साहब ने इस बात को कहा और यह ठीक भी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अन्सारी साहब ने इस नजरिये से अपने रेज्यूल्यूशन को रखा है। उन्होंने उसमें जो कमियां थीं, उनको बतलाने की कोशिश की है। इसमें इस बात को गुन्जायश हो सकती है कि हम बेसिक रीडरों को दूसरे नजरिये से देखें और हमें यह बात देखनी चाहिये कि नये बेसिक रीडरें ही लड़कों के दिल और दिमाग को शुरू में तैयार करती हैं। इसलिये हमें पहली बात यह देखनी चाहिये कि ये बच्चों के दिल और दिमाग को कैसा बनाती हैं। तो इसमें पहली बात फारमेशन आफ सेन्टेन्सेज् आती हैं। डिप्टी चेयरमैन महोदय, बाहर की मिसालें सुनने में हमारे दोस्तों को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन क्या किया जाय, उसके लिये हम भी मजबूर हो जाते हैं।

श्री हर गोविंद सिंह—माननीय सदस्य भी मजबूर हैं।

श्री गोविंद सहाय—जब तक जनाब की आदतें नहीं बदलेंगी, हमारी मजबूरी भी नहीं बदलेगी। बहरहाल, एजूकेशन का जहां तक ताल्लुक है, तो उसमें सोशल आब्जेक्टिव होना चाहिये और समाज की नजरों से ही बच्चों की तालीम पर हमें ख्याल करना चाहिये क्योंकि सोशल आब्जेक्टिव का और बच्चों की तालीम का गहरा रिश्ता है। मैं मिसाल के लिये बतलाना चाहता हूं। सोवियत रूस में एजूकेशन और प्लानिंग दोनों का गहरा रिश्ता है और एक बार उनके मोन्टेसरी स्कूल में, जहां बच्चे पढ़ते हैं, स्टालिन साहब और उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चों ने, वहां जो छोटी ईंटें रखी हुई थीं, उनको उठा कर अपने अपने लिये मकान बनाये थे, और जब स्टालिन साहब उनके पास पहुंचे, तो एक बच्चे ने कहा कि "दिस इज माई हाउस" जब स्टालिन साहब वापस गये, तो दूसरे ही दिन सारे रसा के अन्दर एक आर्डर निकल गया कि वहां के स्कूलों स छोटी छोटी ईंटें हटा दी जायं और उसकी जगह पर बड़ी ईंटें रखी दी जायं जिससे कि कोई भी एक बच्चा उनको न उठा सके और उनको तीन, चार बच्चे ही मिल कर उठा सकें।

तो जहां तक बच्चों के बेसिक रीडर्स का ताल्लुक है, तो उनके लिये हमें दूसरे ही नजरिये से देखना है और जहां से जड़ शुरू होती है, उसी को हमें मजबूत बनाना है। इसमें हमें दिलचस्पी लेनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि किसी आब्जेक्ट के लिये हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं या नहीं। मुझे अगर गलतफहमी नहीं है, तो इन बेसिक रीडरों से मिनिस्टर महोदय को कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि जब आदमी हवा में उड़ता है, तब वह नीचे की चीजों को नहीं देखता है। उनको तो बड़े-बड़े काम हैं, तालीम बढ़ाना है, वायस चान्सलर की नियुक्ति करना और दूसरे बड़े-बड़े कामों में वे लगे रहते हैं, तो उनको इन छोटी बातों के लिये समय कहां। लेकिन मुझे एक बात जान कर ताज्जुब हुआ कि गवर्नमेंट का ही पब्लिकेशन हो और गवर्नमेंट ही उस चीज को करे और यदि उसमें गलतियां हों तो वे उसकी ओर

भी ध्यान न दें। उन्हें तो बच्चों की तालीम में दिलचस्पी नहीं है। जब वह बेसिक रीडर के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो जनाब को नींद आ रही थी। उन्हें इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि किस तरह से बच्चों की भलाई हो सके। इसमें एक बात आजाद साहब ने यह कही कि ये बेसिक रीडरें अंग्रेजों के जमाने के मुकाबले में अच्छी हैं, मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक करता हूं। लेकिन एक बच्चे के अन्दर जो सोशल आब्जेक्टिव हमें पैदा करना है और उसकी जिस तरह से उसे जानकारी करानी है, उस स्टैंडर्ड की रीडरें होनी चाहिये। एक बच्चे के लिये हम इस तरह की बात रख सकते हैं कि मुल्क कैसे बनाना चाहिये, गांव कैसे बनाना चाहिये, अपने को कैसे बनाना चाहिये। ऐसी किताबें होनी चाहिये जिसमें वह अपने मुल्क की बातों को ठीक तरह से समझ सकें और उसमें दिलचस्पी ले सके।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद——क्या ६ वर्ष के बच्चे को यह बतलाना चाहिये ?

**श्री गोविंद सहाय**——६ साल के बच्चों को ये बातें भी बतलाई जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आजकल की किताबों का तो अच्छा नजरिया भी नहीं है। दिलचस्पी कोई बचों से हो नहीं होती है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि बेसिक रीडरों को आप ठीक तरह से बनायें जिससे कि बुनियादी चीज हो। डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं जो कि मैं जानता हूं कि एजूकेशन मिनिस्टर बड़े सोशल हैं, लेकिन उन्हें इसमें भी दिलचस्पी लेनी चाहिये। जहां वे बड़ी-बड़ी बातों में लगे हुये हैं, वहां उन्हें इन छोटी-छोटी बातों से भी आंखें ओझल नहीं करनी चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने भी अभी कुछ कहा। इसमें भी आप को दखल है। चीज यह है कि हमारे मुल्क में ख्याल हो गया है कि एजूकेशन खास आदमियों की वरासत है। मुझे कोई शक नहीं कि मौजूदा एजूकेशनिस्ट्स निहायत रिऐक्शनरी हैं। अंग्रेजी जमाने में उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। वह किताबें वेलफेयर और सोशलिस्टिक स्टेट बनाने के लिए नहीं बनी थीं। मैं एजूकेशन को, मेडिसिन को, साइन्स को जुडिशरी को सब को जुड़ा हुआ मानता हूं। इकनामिक्स, फिलासफी पालिटिक्स सभी एक दूसरे से इन्टर रिलेटेड हैं। मैं यह समझता हूं कि एजूकेशन का यह मकसद है कि एक मामूली आदमी के अन्दर भी अपने मुल्क के पेचीदा सवालों को समझने और हल करने की तबियत पैदा हो, इन्सान के अन्दर जो छिपी हुई खूबियां हैं उन्हें सतह पर लाये। मैं चाहता हूं कि जो लोग शोशल साइन्स में यकीन रखते हैं उनका रुजहान इस तरफ जाना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन महोदय मैं आप के जरिए से मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बेसिक रीडर्स के अन्दर जो लेसन्स हैं वह किसी पर्पज से होने चाहिए। जो हमारी मौजूदा किताबें हैं, बगैर उनकी ग्रामेटिकल और वैसी मिस्टेक्स में जाये हुए, मैं समझता हूं कि ऐसी होनी चाहिये जो लड़कों के दिलोदिमाग में परिवर्तन कर सकें। रवायात से बड़ा मकसद भी आपके सामने होना चाहिए। इसलिये मैं समझता हूं कि बड़ी-बड़ी बातों पर विचार करने के साथ ही एजूकेशन मिनिस्टर साहब को उन छोटी २ बातों पर भी तवज्जह देना चाहिये जो बातें यहां बताई गई हैं और जो बातें अन्सारी साहब ने पढ़ कर सुनाई हैं। जो गलतियां उन्होंने बताई हैं अगर वह वाकई हैं तो मैं समझता हूं कि वह आदमी जो उन गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए मिनिमम सजा यह होना चाहिए कि आप उनसे कहें कि महाशय जी आप जायें आपके लिए यहां जगह नहीं है। सरकार ने एजूकेशन को अपने हाथ में इसलिये लिया कि जो मौजूदा हालत है वह सुधरेगी। अगर कोई आदमी जिम्मेदारी से काम नहीं करता, और फिक्रे और वाकयात तक गलत है तो क्या आप यह नहीं समझते कि उसकी कोई मिनिमम सजा भी होनी चाहिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को इस नजर से देखता हूं कि मैं इस प्रस्ताव के जरिए से मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बुनियादी मसले की तरफ जुटा सकूं जिससे वह इस तरफ ज्यादा दिलचस्पी लें। उन्होंने खुद एक रोज सुनाया था कि उनका लड़का न जाने क्या पढ़ रहा था जिसको सुन कर उनको खुद हैरत हुई। मैं यह नहीं कहता कि जिन दोस्तों ने यह किताबें लिखी हैं अभी उनके दिमाग का मेयार नहीं बदला। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैं

[श्री गोविन्द सहाय]

जो आगे बढ़ने के बजाय पीछे लौटना चाहते हैं। सोशलिज्म का मेयार, प्लानिंग का मेयार जो हमने मुल्क के सामने रखा है, तो सारे इकनामिक डेवलपमेन्ट को एक खास तरीके से रखने का स्टैन्डर्ड भी हमको रखना पड़ेगा। हमें सोशलिज्म की तरफ जाना है,। डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिए से फिर मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि जो कुछ हमने कहा है उस तरफ अगर वह कदम उठायेंगे तो जिस मकसद के लिए वह यहां पर बैठे हुए हैं उसको वह अवश्य पूरा कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि बेसिक एजूकेशन में उनको ज्यादा इन्टरेस्ट हो और मैं आखिर में अंसारी साहब को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रस्ताव लाकर उन्होंने बेसिक सवाल उठाने के लिये मुझे मौका दिया।

## सदन का कार्यक्रम

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--आज तो नान-आफिशल रिजोल्यूशन्स हो रहे हैं और अगर हाउस की राय हो तो कल को नान-आफिशल्स बिल हो जायं। तो कल को अपनी स्टेज के एतबार से जो बिल आ सकते हैं वह यह हैं--

यू० पी० भूदान यज्ञ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५५ ई०, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेन्ट) बिल, यू० पी० प्रिवेन्शन आफ बेगरी बिल और यू० पी० प्रिवेन्शन आफ पब्लिक हंगर स्ट्राइक बिल।

इनमें से किसी का कन्सीडरेशन का मोशन है किसी का सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का मोशन है। उनके बारे में मेम्बरान को अलग-अलग मालूम है। तो अगर हाउस की राय होगी तो कल को यह बिल्स होंगे।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मुझे कोई एतराज नहीं है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--कल के लिये जो कार्यक्रम अभी घोषित किया गया है वही कल सदन में लिया जायगा। अब दो बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजे स्थगित हो गई और २ बजे से श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन), विधेयक

**सचिव विधान परिषद्**--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं।

## संकल्प कि बेसिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली वर्तमान बेसिक रीडरों के स्थान पर बेहतर रीडरें रखी जायं

**श्री हृदय नारायण सिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है वह ऐसा नहीं है कि जिसको अस्वीकार किया जा सके। इसमें यह बात कही गई है कि जो इस समय बेसिक रीडर्स हैं उनसे और अच्छी बेसिक रीडर्स तैयार की जायं। आज जो बेसिक रीडर्स तैयार की गई हैं उन्हें और अच्छी बना कर पढ़ने के लिए दी जायं। मैं यह भी नहीं समझता कि जो बेसिक रीडर्स चल रही हैं उनसे अच्छी अब तैयार नहीं की जा सकती हैं। श्री हयातुल्ला अंसारी ने बहुत सी बातें कही हैं, जिनसे हमारे बहुत से साथी सहमत नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह जरूर शोचनीय है। मैं उस प्रश्न के संबंध में दो-चार बातें यहां निवेदन करना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि जो टीचर्स ट्रेनिंग का कार्य हमारे यहां चल रहा है, वह बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा है और उसमें हवा बाहर से आई है, या तो वह यू० एस० ए० से आई है या ब्रिटेन से या और किसी जगह से आई है। डा० जुइस का बेसिक सिस्टम था वह तो जरूर अच्छा था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने भी कहा है कि संसार में जो चीज है वह बेसिक सिस्टम ही है और उसको हम ने सारे जगत के लिए दिया

है। यह बात तो कही जाती है कि बुनियादी तालीम संसार में विशेष स्थान रखती है लेकिन हमें विचार करना है कि आया बेसिक सिस्टम की पढ़ाई को हम कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम नहीं कर रहे हैं और न उसके आधार पर हमारी किताबें ही लिखी गई हैं।

अभी हाल में डिप्टी डायरेक्टर्स की एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि बेसिक सिस्टम हम को नहीं मालूम है कि क्या है। मैं भी समझता हूं कि बेसिक सिस्टम के ऊपर किताबें जैसी आनी चाहिये थीं वैसी नहीं आई हैं। बेसिक सिस्टम का एक बुनियादी उसूल जो है वह को-रिलेशन का है। बेसिक सिस्टम के अन्दर किस क्रेफ्ट की तालीम है, चाहे ऐग्रीकल्चर की हो, वुड क्रेफ्ट की या वीविंग की हो, उसी को हम उसमें रखें, लेकिन हम देखते हैं कि बेसिक सिस्टम पर जो किताबें हैं वह इनमें से किसी पर नहीं निर्धारित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। लेकिन जो बात पुस्तकों में है चाहे आप भाषा की पुस्तक को ही लीजिये उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मालूम होती है जिसमें को-रिलेशन का संबंध मालूम पड़े। हम बेसिक एजूकेशन की बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन जो उसके सिद्धांत हैं उनको हम नहीं ला पाये हैं। जिस तरह से पुस्तकें लिखी जानी चाहिये वह नहीं लिखी जा रही हैं। कुछ उसूल की बातें हैं। एक तो जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनको किसी न किसी शिक्षा प्रणाली से संबंधित होना चाहिये। जैसे एक डाइरेक्ट मेथड आफ एजूकेशन होता है। तो अगर पुस्तक लिखनी है तो उससे संबंधित पाठ्य लिखना चाहिये। सारी किताबें उससे संबंधित लिखी जानी चाहिये। लेकिन यह जो बुनियादी उसूल है वह न तो पुस्तकों में है और न पाठों में है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि सरकारी विभाग पर ही इन पुस्तकों के छापने की जिम्मेदारी है।

मुदालियर कमीशन ने हायर एजूकेशन के ऊपर अपनी सिफारिश की थी। लेकिन जो सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया है वह बेसिक एजूकेशन पर भी लागू होना चाहिये। मुदालियर कमीशन ने कहा है --

The question of producing proper text-books for schools is one which should receive the earnest consideration of both the State and the Central Governments."

जबकि पुस्तकें बनाई जाती हैं तो पहिला सवाल सेलेक्शन आफ दि मैटीरियल का होता है। पाठ्य वस्तु कौन सी चुनी जाये और कैसे चुनी जाये। कठिन-कठिन पाठ्य किस क्रम से बढ़ाये जाने चाहिये। इस पर भी विचार करना चाहिये। अब-जैसे यह न होना चाहिये कि तीसरे क्लास की जो पुस्तक है उसमें कोई पाठ्य ऐसा हो जोकि चौथी क्लास की पुस्तक के पाठ्यों से भी अधिक कठिन हो। अभी ऐसा होता है कि तीसरे क्लास के पाठ्य चौथे क्लास के पाठ्य से भी अधिक कठिन होते हैं। फिर उसमें चित्र कैसे होने चाहिये। ग्रेडिंग कैसे होना चाहिये। मैप्स पर भी गौर करना चाहिये। इन सब बातों पर विचार करके पाठ्य तैयार किये जाने चाहिये। मुदालियर कमीशन की राय है कि जो इलस्ट्रेशन्स हैं वह इतने खराब हैं कि उनको बदल देना चाहिये। सरकार को एक लाइब्रेरी ब्लाक्स, के लिये रखना चाहिये। इलस्ट्रेशन्स पर सरकार को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिये। इलस्ट्रेशन्स का प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। बचपन में जो लड़के पढ़ते हैं या देखते हैं उनका प्रभाव बच्चों के भावी जीवन में बहुत पड़ता है, और उसका सारे जीवन पर असर पड़ता है। "Child is the father of man" जैसी शिक्षा बचपन में देंगे वह सारे जीवन पर असर डालेगी। हमें इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इलस्ट्रेशंस इम्प्रूव हों। मुदालियर कमीशन का सुझाव था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिये कि एक विभाग खोले जो सुझाव दे कि इलस्ट्रेशंस कैसे बनाये जायं। इस सुझाव पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। ब्लाक्स लाइब्रेरी के लिये भी सुझाव दिया है। फिजिकल मेक अप है, साइज, स्पेसिंग, मारजियन, इन बातों पर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता

[श्री हृदय नारायण सिंह]

है। पच्छिम पब्लीकेशन की कोई भी किताब देखें, वह देखने में कितनी आकर्षक होती है। हमारा जो आउट वार्ड मेक अप है, ऐसा मालूम होता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यह भी सवाल आता है कि विद्यार्थियों को एक पुस्तक के अतिरिक्त और पुस्तक पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसके बारे में एक बड़े शिक्षा शास्त्री का मत उल्लेख करना चाहता हूं।

"The children have a right to many books in each subject." प्रत्येक विषय में केवल एक पुस्तक न हो बल्कि एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें हों। यह तीन शिक्षा शास्त्री हैं, वार्कब्रारेन और बुर्कनर उनका मतहै और एक पुस्तक लिख कर उन्होंने यह मत प्रगट किया है कि जिस तरह से सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता होती है, इसी तरह से विद्यार्थी का यह बर्थ राइट है कि एक से अधिक विषयों में कई पुस्तकें पढ़े। उसको एक से अधिक पुस्तक पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इस तरह से उसका एक उसूली अधिकार छिनता है। मुदालियर कमीशन ने भी यह मत प्रगट किया है और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी यह मत प्रगट किया है कि एक विषय पर कई पुस्तकों के पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, और ऐसा होने से बहुत सी खामियां दूर हो जायेंगी। फिर सवाल उठता है कि सरकार की जो मनोपली है या शिक्षा विभाग की मनोपली है उसके लिये भी नरेन्द्र देव कमेटी ने कहा है कि यह अच्छा नहीं है कि सरकार अपने हाथ में एकाधिपत्य रखे और पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार अपने हाथ में रखे, इससे पुस्तकों का स्तर नीचे गिरता है। यह दलील मैं समझता हूं कि काफी प्रबल है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम प्रकाशन की स्वतंत्रता देते हैं, तो हम देखते हैं कि दिन पर दिन पुस्तकें अच्छी निकलती हैं और शिक्षा जगत में स्तर ऊंचा होता है। यह थोड़ी सी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पुस्तकों के निर्माण का सवाल है, हम समझते हैं कि बड़ा आसान है। यदि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या कोई उच्च कोटि का विद्वान हो, तो वह पुस्तक लिखने में सर्वदा समर्थ हो सकता है, मैं समझता हूं कि यह एक भ्रान्त धारणा है। केवल विद्वान होने से अच्छी पुस्तक नहीं लिखी जा सकती, बल्कि उसके लिये अनुभव होना चाहिये कि शिक्षा की क्या प्रणाली है, जो नये ट्रेन्ड्स एजुकेशनल फील्ड्स में हो, उनका उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी की जो शिक्षा है, उसमें लोगों ने सारी भाषाओं का अनुशीलन कर डाला है। कितने तरह के वाक्य होते हैं और कौन से वाक्य किस समय विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिये, इसका एक ज्ञान परम आवश्यक है। जब अंग्रेजी पढ़ाई शुरू होती है तो एक पैसिव वाक्य होता है जिसके लिये कहा है कि आठवें क्लास से पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिये। उनका विद्यार्थियों से क्या सम्बन्ध है, किस अवस्था के विद्यार्थी कौन सा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, इसका ध्यान रख कर सिक्स से नाइन्थ तक का स्ट्रक्चर निर्धारित किया है और तब पुस्तक लिखी है। इसी तरह से गणित और दूसरे विषयों पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी का कहना है कि उनको विश्वास है कि कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक तीन और पांच साल के बीच में ही लिखी जा सकती है। आजकल तो सीजर मेथड चलता है। कैंची लेकर कुछ एक किताब में से काटा और कुछ दूसरी किताबों से काटा और इस प्रकार से लेकर पुस्तक तैयार कर दी। मैं तो समझता हूं कि कुछ आदमी काम करें और चार-पांच साल काम करने पर फिर निश्चय करें कि कौन सी बात पहले, दूसरे दर्जे में पढ़ाई जाय और कौन सी बात ऊपर चल कर पढ़ाई जाय। उनके मनोज्ञान के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यह काम ट्रेनिंग कालेजेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि उनको यह काम सौंप दिया जाय तो चार-छः आदमी विभिन्न विभाग के मिल कर काम करें, फिर चार छः साल में निश्चय करें कि किस टेक्स्ट बुक को रखना चाहिये और कैसे शिक्षा में सुधार किया जा सकता है।

यू० एस० ए० में एक रिआर्गेनाइजशन कमेटी का निर्माण हुआ था सेकेन्डरी एजुकेशन के ऊपर, उसने जो टेक्स्ट बुक के बारे में अपनी राय प्रकट की वह यह है कि अनेक प्रश्न टेक्स्ट बुक

के लिखने में होते हैं। पहले कन्टेन्ट का जो सबजेक्ट मैटर होता है उसके ऊपर काफी छानबीन की आवश्यकता होती है। दूसरा उन्होंने बतलाया कि वाह्य आवरण के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। तीसरे अध्यापन के लिये सहायक प्रश्न। प्रश्न, अध्यापक विद्यार्थी से हल कराता है। विद्यार्थी स्वतः उन प्रश्नों को हल करके यह देखता है कि हमें पुस्तक का ज्ञान कहां तक है और हमने जो कुछ पढ़ा है उसका अभ्यास कर लिया है या नहीं। इसके ऊपर भी ध्यान देने की काफी आवश्यकता है। अभी मैंने बेसिक रीडर को देखा तो ख्याल आया कि कोआर्डिनेशन एक चीज का दूसरे से होना कितना आवश्यक है। तो मैं देख रहा था कि जो भाषा पुस्तकों की है, उसका भूगोल, इतिहास और जो अर्थिमेटिक है उनसे कहां तक सम्बन्ध स्थापित किया गया है, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया कि भाषा का दूसरे विषयों से भी सम्बन्ध स्थापित किया गया हो। इसके बाद जो प्रणाली है, जिससे शिक्षा दी जाती है, उसको भी जानने की जरूरत है। फिर यह देखना कि आज हम किस प्रणाली से पढ़ायें और उस प्रणाली को देख कर कैसी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। फिर जो पुस्तक बनेगी उसमें जो शिक्षा का व्यापक सिद्धान्त है वह कहां तक प्राप्त होता है। यह भी एक बुनियादी बात है। मैं नहीं समझता कि इन बुनियादी बातों का ध्यान बेसिक रीडरों के निर्माण में सदा हुआ है या नहीं। जो मैटर है उसका अरेन्जमेंट किया जाता है और उसको आर्गेनाइजेशन या संगठन कहते हैं, तो यह देखना है कि सामग्री और संगठन कैसा है। यह एक तरीका है, अगर किसी पाठ्य पुस्तक को देखना है। फिर आथर होता है। हमारी बेसिक रीडरों में किसी आथर का नाम ही नहीं है। हम आथर के नाम से पता लगा सकते हैं कि वह कितना अनुभवी है और उसने कितना शोध किया है। लेकिन इन बेसिक रीडरों का आथर स्वयं शिक्षा विभाग है, इसलिये पता नहीं चलता है। और भी कई बातें हैं जिनका इतना महत्व तो नहीं होता है, लेकिन वे भी जरूरी हैं। आलोचना तो किसी भी पुस्तक की हो सकती है, लेकिन मैं केवल समालोचना के लिये यह बात नहीं कह रहा हूं। जो कुछ अन्सारी साहब ने कहा है, मैं उनका सर्वथा समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हमारी पुस्तकों के निर्माण का जो दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहिए। इसमें शोध होने की आवश्यता है और अन्य काम होने की आवश्यकता है और ये काम जब हम लगातार कुछ सालों तक करते रहेंगे तो हम कुछ अच्छी पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को दे सकेंगे। आज जो पुस्तकें हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। उनमें परिवर्तन की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है, उसका समर्थन करता हूं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस प्रस्ताव पर अधिक बोलने की नहीं थी, परन्तु दो कारणों से मुझे बोलना पड़ा—एक तो कारण यह है कि इन बेसिक रीडरों के साथ कुछ मेरा भी सम्बन्ध था और दूसरा कारण यह है कि गोविन्द सहाय जी ने जो बातें कहीं, उनमें उन्होंने कुछ उत्तेजना उत्पन्न की। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि गोविन्द सहाय जी में यह अलौकिक शक्ति है कि वह ऐसा भाषण देते हैं जिससे न देश का कल्याण हो और न हमारे समाज का कल्याण हो तथा न शिक्षा का ही कल्याण हो। यह उनकी अलौकिक बात है। मैंने उनके भाषण बराबर दो-तीन सालों से सुने हैं और जब वे कोई बात कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जिससे किसी को भी लाभ न हो। बहुत दिनों तक तो उनका यह कहना था कि भारतवर्ष की लीडरशिप फेल हो गयी है। इसके माने यह हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू और पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को कोई ज्ञान नहीं है कि देश के लिये क्या होना चाहिए। आज उन्होंने यह कह दिया कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, वे एजुकेशन के बारे में खाक भी नहीं जानते।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर जरा गौर करें, यह जो स्टेटमेंट श्री गोविन्द सहाय जी ने दिया है कि एजुकेशनिस्टों ने जो कुछ किया है, वह खाक किया है। सदन खुद ही समझ सकता है कि उनका कहना कहां तक सही है।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

अब मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को दो कारणों से लाया गया है। अन्सारी साहब ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि बेसिक रीडरों के स्थान पर बेहतर रीडर होनी चाहिये। उनके प्रस्ताव के जो शब्द हैं उनसे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु अन्सारी साहब ने जो आलोचना की है, उससे मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह रीडरें किस प्रकार से लिखी गयी हैं, सरकार ने इसके समीक्षा के कार्य को किस प्रकार से किया है। उसके ऊपर इस सदन को निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा। इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने बहुत सी गलतियों को सुना है, इसलिये अब निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा कि यहां पर अन्सारी साहब ने जो कुछ कहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है या नहीं है। सरकार ने इन किताबों को अपने डिपार्टमेंट के अनुभवी अध्यापकों से लिखाया है। उनके नाम यह हैं, श्री रघुनन्दन शर्मा, श्री महेश्वर दयाल शर्मा और श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। उर्दू के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन हिन्दी की पुस्तक इन्हीं तीन व्यक्तियों ने लिखी हैं। यह लोग अध्यापक हैं और काफी अनुभव रखते हैं। एक क्रायटेरिया बनाया गया और उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि इनमें भूगोल, इतिहास और थोड़ी बहुत साइंस भी होनी चाहिये। जो समीक्षा कमेटी बनायी गयी थी, उसमें डिपार्टमेंट के आदमी थे और दो लेजिस्लेचर्स के भी मेम्बर थे। मैं और एक असेम्बली के सदस्य थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने उसमें बहुत ही मेहनत से काम किया। मेरे कमरे में बैठ कर सब लोगों ने सुबह ९ बजे से लेकर रात के ११ बजे तक काम किया है। इसकी मीटिंग १०–१२ दिन तक होती रही और हम लोगों ने सुबह ९ बजे से लेकर रात के ११ बजे तक, एक घंटे के लिये भी आराम नहीं किया। मैंने इन रीडरों के एक–एक शब्द को अपने कानों से सुना है और मेरी जितनी योग्यता है उसी के अनुसार मैंने काम भी किया है। हो सकता है कि श्री गोविन्द सहाय जी की योग्यता मुझ से अधिक हो, लेकिन मैंने तो अपनी ओर से यथाशक्ति काम किया है। जहां तक हम लोगों से हो सका हमने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की है। अन्सारी साहब ने जो आलोचना की है, तो उसके लिये मैं यही कहूंगा कि आलोचना करना तो आसान काम होता है। यह बात भी मैं नहीं कहता हूं कि इनमें त्रुटियां नहीं हैं, त्रुटियां अवश्य होंगी, लेकिन जो कुछ अन्सारी साहब ने कहा है, उसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं––एक तो प्रशासकीय और दूसरा साहित्यिक। इन दोनों दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिये। प्रशासकीय तो यह कि इन किताबों का प्रबन्ध इस तरह से होना चाहिये, उनकी छपाई इस तरह से होनी चाहिये, उनका गेट–अप कैसा होना चाहिये। कौन उनको देखेगा? यह सब तो प्रशासकीय दृष्टिकोण है। दूसरा है उपाध्यक्ष महोदय, साहित्यक दृष्टिकोण, उसकी भाषा कैसी है, पाठ सुन्दर हैं या नहीं हैं, जिन बालकों के लिये लिखी गयी हैं उनके लिये उपयुक्त है या नहीं। अन्सारी साहब ने पहिले को तो छोड़ दिया, उसकी ओर हमारा ध्यानाकृष्ट नहीं किया। दूसरी बात को लिया है। सदन के सामने भाषा के बारे में और साहित्य के बारे में आलोचना करना व्यर्थ है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े सदन में ऐसे प्रश्नों पर विचार नहीं हो सकता। अगर त्रुटियां दिखाई जायं तो उनको सदन देख सकता है। कोई पुस्तक में लिखे कि सूरज पश्चिम में निकलता है, तो सदन समझ सकता है कि बड़ी खराब किताब है। लेकिन भाषा की गलतियां और साहित्य संबंधी बातें ऐसी हैं, जिन पर विशेषज्ञों की सम्मति हमें माननी चाहिये। अधिकार तो सभी का है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनको ज्यादा अधिकार है। वैसे तो बड़े–बड़े कवियों की भी आलोचना होती है। एक छोटी सी

मिसाल आपके सामने रखता हूं। आपने बी० ए० में शायद पढ़ा हो Lycidas मिल्टन की एक कविता है, बड़ी सुन्दर है। जब डाक्टर जांसटन ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि बड़ी वाहियात है, इसमें है क्या? काउपर ने जब उसकी आलोचना को पढ़ा तो कहा——

"I wish I could thrash the pockets of the old Doctor until I made his pension jingle in his pockets."

आलोचना कई तरह से हो सकती है। आवश्यक भी हो सकती है और अनावश्यक भी हो सकती है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस मामले में गवर्नमेंट की प्रशासकीय नीति कैसी भी रही हो, लेकिन लिखाने में तो गवर्नमेंट ने कोई बदनियती या बेईमानी नहीं दिखाई। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा मंत्री जब इस बात को देखेंगे तो इस पर विचार न करेंगे कि क्या त्रुटियां रह गई हैं। अन्सारी साहब ने उर्दू की रीडरों का जिक्र किया है, हिन्दी की रीडरों का जिक्र कम किया है। इस बात की यथाशक्ति कोशिश की गई है कि कोई पाठ ऐसा न हो जो विद्यार्थियों के लिये अनुपयुक्त हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हिन्दी भाषा में लिंग में ही कितना भेद हो जाता है। पूरब में हाथी को स्त्रीलिंग माना जाता है जब कि हम पुल्लिंग मानते हैं। पूर्व में कहते हैं, कोट खूंटी पर लटक रही है। हमारे यहां इस प्रकार के लिंग विभेद बहुत हैं। लेकिन यह सब गलतियां नहीं कही जा सकतीं। यह सब महावरों के भेद हैं जो अभी हमारे बीच में प्रचलित हैं। कालान्तर में मैं समझता हूं दूर हो जायेंगे; जब कि हमारी भाषा का ऐसा रूप हो जायगा जो कि सर्वग्राह्य होगा। अन्सारी साहब ने जनता का नाम लिया। उसमें एकाध जगह ऐसा है कि जनता राम को अवतार मानती है। इस बात का ख्याल कभी हम लोगों ने नहीं रखा कि यह किताब हिन्दुओं के लिये है या मुसलमानों के लिये। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें कोई बात ऐसी न हो जो किसी समुदाय को आघात पहुंचाये। जब यह कहा गया कि जनता राम को अवतार मानती है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कम से कम २९ करोड़ जनता ऐसी है जो रामचन्द्र जी को ईश्वर का अवतार मानती है। यदि हम लोग ऐसी धारणा रखते हैं तो मुसलमान भाइयों को इसमें आपत्ति करने की कोई बात नहीं। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर मुसलमान रसूल को खुदा का पैगम्बर मानते हैं। हम इसको स्वीकार करते हैं। पैगम्बर साहब का आदर करते हैं, उनके उपदेशों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। पुस्तकों में कोई ऐसी बात नहीं लिखते हैं जिससे किसी की भावनाओं को चोट पहुंचे, किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसको दूर किया जायगा। श्री गोविन्द सहाय जी ने जो आज बात कही वह बड़े मार्के की कही और मैं उनके भाषण को सुन कर आश्चर्यान्वित हुआ। मैंने कोई भाषण भी उस समय तक नहीं दिया था, मैंने तो केवल इतना कहा था कि इसमें भी आपको दखल है। इसी से उत्तेजित होकर उन्होंने एक अजीब तरह का भाषण दे दिया। उससे न कुछ शिक्षा मंत्री को सहायता मिल सकती है, न विभाग को मिल सकती है और हम लोगों को जो कभी-कभी मिल जाती थी, वह भी दुर्भाग्य से आज नहीं मिली।

**श्री हर गोविंद सिंह**——हमको तो कभी भी मिलती ही नहीं है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**——आप का भाषण ऐसा है जो अनबैलेन्स्ड है, जिसमें संतुलन नहीं है, विषय की जानकारी नहीं है और दूसरे वह अशिष्ट भी रहा है। आपने कहा कि हमारे एजूकेशनिस्ट खाक भी नहीं जानते हैं।

**श्री हृदय नारायण सिंह**——माननीय मंत्री के लिये नहीं कहा गया है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**——पहले तो यह कहना कि एजूकेशनिस्ट एजूकेशन के बारे में खाक नहीं जानते हैं। गलत है और ऐसा कहना भी सर्वथा अनुचित है। एजूकेशनिस्ट बहुत शोरगुल नहीं करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत बोलते हैं, परन्तु उन्हें जानना चाहिये कि बुद्धिमत्ता पर उनका एकाधिकार नहीं है। मैं आपको बर्क को

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

एक बात सुनाऊंगा और उसने इन लोगों के बारे में लिखा है, जो पालिटिक्स में बहुत शोर शरर मचाने वाले हैं--

"The grasshoppers who by their unfortunate chink disturb the field are not the only inhabitants of the earth. They are also the great cattle who silently chew the cud beneath the shadow of the British Oak."

एजूकशनिस्ट ऐसी बातें नहीं कह सकते जैसी आपने कही हैं। इस सदन का सदस्य इसे नहीं मान सकता। आप ऐसा कह सकते थे कि बिजनौर या किसी दूसरी जगह ऐसे एजूकेशनिस्ट हैं, जो कुछ नहीं जानते, लेकिन यह कह देना कि एजूकेशनिस्ट खाक भी नहीं जानते, न्यायसंगत नहीं है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--अब जाने दीजिए।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--फिर आपने कहा कि इन पुस्तकों में मुल्क की समस्याओं का जिक्र नहीं है। मुझे यह कहना है कि मुल्क के प्रश्न बड़े गंभीर हैं। उनका समावेश इन बच्चों की पुस्तकों में नहीं हो सकता। मुल्क की समस्याओं का निरूपण बड़ी-बड़ी पुस्तकों में होता है। इतिहास में होगा, पालिटिक्स में होगा, नागरिक शास्त्र में होगा, अर्थ शास्त्र में होगा। जब कोई अवसर आवेगा तो मैं सुनाऊंगा कि उन पर आपकी क्या राय है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--अब माफ कर दीजिए।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--आपने कहा कि किताबों का सम्बन्ध सोशलिस्ट पैटर्न से नहीं बना है। आपने कहा कि हमारे देश का सोशलिस्ट पैटर्न है, इसलिये किताबों में सोशलिज्म होना चाहिये। इसके माने यह हैं कि अगर किसी का कम्यूनिस्ट पैटर्न है, तो कम्यूनिस्ट पैटर्न की किताबें होनी चाहिये। यह सब बातें निरर्थक हैं। इससे शिक्षा को लाभ नहीं होगा।

श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा है कि इन किताबों का कोई मकसद नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक। क्या उनका मन्तव्य साम्यवाद से है? क्या इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की पुस्तकों में कम्युनिज्म का जिक्र आना चाहिये?

क्या कोई गवर्नमेंट ऐसी है कि जो अपनी शिक्षा की किताबों को ऐसा लिखवा कर खराब करेगी। आप हिस्ट्री को ले लीजिए। इस पर बड़े २ विद्वानों ने कहा है कि नेशनल हिस्ट्री को बिगाड़ कर लिखना ठीक नहीं होता, अगर हिस्ट्री के लिखने या किसी चीज के लिखने में नेशनल प्वाइंट आफ व्यू होगा, तो वह ठीक न होगा इतिहास में सत्य प्रधान है। आप देखें कि जर्मन में नेशनल हिस्ट्री लिखी गयी थी। वहां एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ है, जिसका भाषण सुनने हजारों विद्यार्थी दूर-दूर से आते थे। उसका एक विषय था इंगलैन्ड के विरुद्ध देश की भावना को उत्तेजित करना। वह ऐसे जोरदार शब्दों में बार-बार यही बताता था कि जो कुछ है, वह जर्मन है। आखिर उससे शिक्षा पढ़ने का नतीजा यह हुआ कि वहां हिटलर पैदा हुआ जिसने जर्मन की राजनीति, कला, विज्ञान और सभी को खत्म कर दिया, तो क्या आप वैसी शिक्षा यहां चलाना चाहते हैं। असल में किताबों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिये कि जिससे लोगों का चरित्र सुधरे, लोग अपनी उन्नति कर सकें। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी किताबें छापी जायं कि जिनमें लिखा जाय कि श्री हाफिज जी या श्री हर गोविन्द सिंह जी ईश्वर के अवतार हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर सरकार ऐसी किताबें बनाने के लिये कहती भी है, तो हम लिखने के लिये तैयार नहीं हैं। हमको इस उद्देश्य से किताबें

लिखनी चाहिये जिससे विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सकें। इसलिये हमें उनके सामने कर्त्तव्य और धर्म को पालन करने वाली किताबें रखनी होंगी क्योंकि इसी प्रकार से हम देश के नागरिकों को अच्छा बना सकेंगे। आप कम्युनिस्ट देशों की बात को छोड़ दें क्योंकि वहां पुस्तक लिखने की जितनी स्वतंत्रता होनी चाहिये वह नहीं होती। आपने फरमाया कि परपजेज से उसका संबंध होना चाहिये, तो यह नहीं हो सकता है। आपने तो यहां तक कह दिया कि हिस्ट्री, इकोनामिक्स और पोयटरी के अन्दर तक पोलिटिकल परपज होना चाहिये, तो मैं आपसे साफ बता दूं कि वह चीज किताबों में नहीं लाई जा सकती क्योंकि किताबें या देश एक दल का नहीं हुआ करता है और फिर इस तरह का दृष्टिकोण किसी प्रकार से न्यायसंगत न होगा।

अब एक बात मैं और कहूंगा। अंसारी साहब ने इस प्रश्न को ले कर जनता की बड़ी सेवा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि किताबें अच्छी तरह से लिखी जायें और किताबें लिखने में ऐसे लोगों से काम लिया जाये जो कि विद्वान हों। दूसरी बात यह है कि वह अच्छी प्रकार से छापी जायें। आजकल बहुत से प्रकाशक ऐसे हैं जिनके पास प्रेस नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि न तो पाठ अच्छे होते हैं, न उनका गेट अप अच्छा होता है। यह किताबें किसी प्रकार से अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। यह किन कारणों से होता है, उसको मैं नहीं कहूंगा। इसके लिये तरह–तरह के जिक्र होते हैं। स्थिति इस समय यह है कि जैसा श्री हृदय नारायण जी ने कहा है कि इसमें सरकार को कुछ करना चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को अवश्य समझते हैं कि किताबों का सारा प्रबंध बदलना चाहिये। किताबें लिखने के लिये काफी समय मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड ने हाल ही में एक सैलिबस छापा है। वह सैलिबस २३ जुलाई को छापा गया था। अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर यह चार महीने दिये गए थे, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की किताबें लिखने के लिये। तब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंटर–मीडिएट की किताब तीन या चार महीने के अन्दर लिखी जा सकती हैं। अगर लिखी भी गईं तो वह कितनी उपयोगी हो सकती हैं। मैंने इसके संबंध में गवर्नमेंट का ध्यान भी आक–र्षित किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया है। अगर किताबें इसी प्रकार से लिखी जाती रहीं तो दिन पर दिन शिक्षा की दशा खराब होती जायगी। आज यही हो रहा है कि किताबें दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। आज लेखक और प्रकाशक ऐसी पुस्तकें बच्चों के सामने ला रहे हैं जिनसे बजाय लाभ के हानि हो रही है। इसका प्रबंध करना सरकार का कर्त्तव्य है।

जैसा अभी कहा गया कि मुदालियर कमीशन ने कई सुझाव रक्खे हैं। मैंने एक बार पहिले भी इस कमीशन की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रणाली को बदलने के लिये प्रयत्न करेगी। आजकल जो प्रणाली है उससे किताबें अच्छी नहीं आ सकती हैं। आज-कल आपकी प्रणाली एक आदमी के द्वारा चलाई जा रही है। आप विचार करके एक ऐसी कमेटी बनाइये जिसमें प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति हों। वह तै करेगी कि किस प्रकार की किताबें विद्यार्थियों के लिये ठीक होंगी। अगर यह हो जाय तो हयातुल्ला अंसारी साहब ने जो बातें कही हैं वह दूर हो जायेंगी, और किताबें अच्छी आने लगेंगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को आपत्ति हो। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की आवश्यकता को महसूस करेंगे कि किताबों को बदला जाना चाहिये। आजकल हमारी किताबें ठीक नहीं हैं। आज शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कहीं विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है, कहीं शिक्षकों में असंतोष है। बहुत खराबियां इस प्रकार की किताबों के ही कारण पैदा हो रही हैं। उनको हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। सबसे मुख्य बात यह है कि किताबों के लेखकों और प्रकाशकों पर सरकार को गौर करना

[ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ]

चाहिये। सरकार को शीघ्र ही एक ऐसी कमेटी बननी चाहिये, जो इन दोषों को दूर करने का उपाय करे।

मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि पुस्तकों को सुन्दर बनाने का प्रयास होना चाहिये। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो श्री अंसारी साहब ने प्रस्ताव रखा उस पर जितने विचार प्रगट किए गए उन सबको सुनने के बाद में यह बात निर्विवाद है कि ये बेसिक रीडरें जो दूसरे दर्जे के लिये लिखी गईं, वे कुछ ठीक नहीं। डाक्टर साहब ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में विचार रखे। उसकी प्रस्तावना में ३ सज्जनों के नाम दिये हुए हैं, जो शिक्षा विभाग के धुरन्धर विद्वान और ट्रेन्ड टीचर्स थे और उनमें डाइरेक्टर महोदय, का जिनका संबंध शिक्षा से निकट का है, भी नाम दिया है। डाक्टर साहब के निरीक्षण में लिखी गयी, इस बात को प्रस्तावना में पढ़ कर और जो बातें जिस पहलू से और जिस दृष्टि से अंसारी साहब ने सदन के सामने रखी दोनों को देख कर समझ में नहीं आता कि अन्सारी साहब की ऐसी बातें हो कैसे गईं। डाक्टर साहब ने अपने भाषण में जरा इस पर हिन्ट जरूर किया। यद्यपि शिक्षा विशारद और शिक्षा विभाग के गणमान्य व्यक्तियों ने इनके लिखने में मदद दी, फिर भी उन्होंने कहा कि जो सरकार की नीति इन पुस्तकों के लिखने के संबंध में है और जो बागडोर उनके लिखने के काम में चलती है, वह एक व्यक्ति से सम्बन्धित मालूम पड़ती है और उसके अनुसार संभवतः उनके लिखने की नीति निर्धारित करके कार्य किया जाता है। मैं सब बातों से जो अंसारी साहब ने इस सदन के सामने रखीं सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात तो इसमें स्पष्ट है कि शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार तर्कशास्त्र को यद्यपि प्रथम स्थान प्राप्त होता है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार "Psychology many times precedes logic" इसलिये जिनके लिये यह पुस्तकें लिखी गयी हैं, उन बातों को जिसके वातावरण में वह रहते हैं, जिन बातों से उनका रोजमर्रा का सम्पर्क पड़ता है उन बातों को हम भूला नहीं सकते हैं। जब पुस्तकें लिखी जाती हैं, भाषा आदि के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सब्स्टेन्स के बारे में मेरा ख्याल है और केवल इतना कहना है कि यहां पर बहुत से स्थानों पर मनो-विज्ञान के विचारों का ठीक पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि यह पुस्तकें उन बच्चों के लिये जो पहली सीढ़ी में हैं ठीक नहीं, उनके सामने अगर गलत चीजें रखी जाती हैं तो उसका प्रतिफल संभवतः आगे चल कर गलत होगा, इसलिये पुस्तकों में कुछ गल्तियां हैं ही, जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि हर एक अच्छी से अच्छी पुस्तक में कुछ न कुछ खराबी आ ही जाती हैं लेकिन जिस वातावरण या जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार पुस्तक लिखी गई है, यदि उनमें जरा सा इधर-उधर हो जाय तो उसका बहुत ही खराब फल निकलता है। इसलिये इस बात को दृष्टिकोण में रखना चाहिये। मुझे बड़ा आश्चर्य है जिन सज्जनों के नाम इस भूमिका में दिए हुए हैं वह उन सिद्धांतों के अनुसार ट्रेन्ड टीचर्स हैं और फिर भी उनमें बहुत सी बातें रह गयीं, तो इस दृष्टकोण से प्रस्ताव ने कुछ बातों की ओर ध्यान खींचा है। जो पुस्तकें लिखी जायं संभव है कि उनमें भी गल-तियां पाई जायं लेकिन केवल ध्यान इस बात पर रखना चाहिये कि ऐसी छोटी अवस्था में मनोविज्ञान की बात को ही हमें सामने रखना पड़ेगा, उसके ही दृष्टिकोण से बहुत सी बातें लिखनी पड़ेंगी। इस संबंध में कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाजिक को भी दबाना पड़ेगा मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि फैक्चुअल मिस्टेक हो। कहीं-कहीं इस साइकालोजिकल सिद्धान्त को मानते हुए आवरण को भी बदलना पड़ता है और इन पुस्तकों के संबंध में वही बात है। जो श्री हृदय नारायण सिंह जी ने ड्यूवी को उदाहरण दिया मेरा ख्याल है कि यह जो पुस्तकें लिखी गई हैं वह एक तरह से ड्यूबी साहब के प्रोजेक्ट के विकास पर ही है, फिर भी वह हमारे नये वातावरण से संबंधित हैं। ड्यूबी साहब का प्रोजेक्ट एक मेथड है।

पुस्तकों में जहां कोरिलेशन की बात कही गई है, मैं समझता हूं वह कोरिलेशन का भी दृष्टिकोण इनमें नहीं है। कोरिलेशन के बेसिक शिक्षा में यह सिद्धान्त रहा है कि किसी क्रैफ्ट के जरिये उन्हें पढ़ाया जाय, फिर उन्हीं के अनुसार पुस्तकें लिखी जायें। जो भी मुख्य पेशा किसी देश का हो उसी के ऊपर निर्धारित करके पुस्तकों को लिखने का सिद्धांत रखना चाहिये। हमारा देश एक खेतिहर देश है इसलिये ज्यादातर उसी से संबंधित या खेती के जो मुख्य साधन हों उसको सामने रखते हुए हमारी बेसिक एजुकेशन इस देश में रखी गयी। यह पुस्तकें जो लिखी गयी उस क्रैफ्ट के आइडिया को रखते हुए लिखी गई हैं और साथ ही साथ कोरिलेशन का आइडिया भी रखते हुए लिखी गयीं। पाश्चात्य सिद्धांतों के अनुसार और उसी के साथ-साथ हमारे देश का जो सिद्धान्त है, उसे उसमें मोल्ड करना बड़ी ही दिक्कत की बात थी। संभव है किसी कारणवश कहीं-कहीं पर उसमें मौलिक गलतियां रह गई हों। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी रूप में यह गलतियां जमने दी जायेंगी तो हमारे बच्चे जो बहुत छोटी अवस्था में हैं, इन पुस्तकों को उनके हाथ में देकर मेरा विश्वास है कि बड़ी गलती होगी। "It will be poisoning the child's mind at the very root." इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, विशेष बात न कह कर मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जब आप पढ़ते थे तो क्या साइकालोजी का सबजेक्ट था।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--जी हां, साइकालोजी जरूर पढ़ाई जाती थी। अब मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सिद्धांत को सामने रखने पर और थोड़ा बहुत फैक्चुअल तब्दीली भी करना पड़ेगा। मैं केवल इतना ही इस संबंध में कहना चाहता था और जिस रूप में अन्सारी साहब ने अपनी बातें कहीं और जो उनको मालूम है उसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं। वैसे इस पर कहने का हर एक सदस्य को हक है। लेकिन जैसा उन्होंने इन पुस्तकों के संबंध में चित्र खींचा है, उसका प्रत्येक व्यक्ति पर यह असर पड़ा है कि ये पुस्तकें बिल्कुल खराब हैं और ठीक नहीं हैं। मैं, केवल उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बतलाना चाहता था कि इस बेसिक एजूकेशन के मौलिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए जिस दृष्टि-कोण से ये पुस्तकें लिखी हैं, उसमें साइकोलाजिकल दृष्टिकोण भी ध्यान में रखा जाय तो ठीक होगा।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--श्रीमान्, मैं डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से भवन के सामने रख दी हैं और स्वयं बतला दिया जो कि मुझे बतलाना था। मैं यह तो जरूर स्वीकार करना चाहता हूं, मेरा अपना स्वतः इसमें विचार नहीं है और गोविन्द सहाय जी की तरह से यह भी मेरे लिये कहना, कि एजुकेशनिस्ट कुछ काम नहीं जानते हैं शिक्षा के बारे में, असम्भव सी बात है। हो सकता है कि इसमें गलतियां हों और यह भी अपने स्थान पर ठीक ही मालूम होता है, क्योंकि किसी चीज को दुनियां में यह नहीं कहा जा सकता कि यही उसकी अन्तिम सीमा है। जहां तक प्रस्ताव का संबंध है कि जो पुस्तकें लिखी गयी हैं उनसे अच्छी पुस्तकें प्रवेश होनी चाहिये, उसकी मुखालिफत भी समझ में नहीं आती कि क्या किया जाय, लेकिन एक बात इससे स्पष्ट भी है कि यह प्रस्ताव ऐसा है कि हर समय यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, बिला इसके कि इसकी कोई मुखालिफत हो। आज एक पुस्तक लिखिए और कल यह प्रस्ताव आ सकता है कि इस पुस्तक से अच्छी पुस्तक प्रवेश होनी चाहिये, इसलिये दूसरी पुस्तक लिखी जाय। परसों फिर ऐसा प्रस्ताव आ सकता है कि इससे अच्छी पुस्तक प्रवेश होनी चाहिये। बेसिक पुस्तकों की पृष्ठभूमि में केवल मुझे यह अर्ज करना था कि बहुत दिनों से एक पुस्तक चल रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह सोचा गया कि इन पुस्तकों

[श्री हर गोविन्द सिंह]

को बदलना चाहिये, क्योंकि जिन बच्चों के लिये ये पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जो चीजें हैं उनको पढ़ना ठीक नहीं है, उनको निकाल देना चाहिये और जिन चीजों का हमारी स्वतंत्रता से संबंध है वैसी बातों का प्रवेश उनके मस्तिष्क में कराना चाहिये, इसलिये इन पुस्तकों में परिवर्तन होना चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि क्रायटेरियन बनाया गया। यह बात ठीक है। श्री बाजपेयी जी ने साइकालोजी के बारे में कहा, मैं नहीं जानता हूं कि उनको साइकालोजी के बारे में कहां तक ज्ञान है। हमारे यहां एक साइकालोजी ब्यूरो बना है, जो हिन्दुस्तान में अपना एक स्थान रखता है। एक टेकनालाजिकल ब्यूरो भी हमारे यहां है, जिसकी प्रशंसा हमारे देश के रहने वालों ने ही नहीं की है, बल्कि जो बाहर से लोग आये हैं उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। किस प्रकार से शिक्षा दी जाय और किस स्टेज पर शिक्षा दी जाय, यह एक वैज्ञानिक प्रश्न है। यह जो क्रायटेरियन बनाया गया था, इसने इस बात पर काफी अच्छी तरह से विचार किया कि किस अवस्था में बच्चे को पढ़ाना चाहिये और उसको क्या सिखाना चाहिये। समीक्षा के बारे में डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने बताया, उससे सदन के सामने बहुत सी बातें स्पष्ट हो गयी होंगी। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि इन पुस्तकों में उतने ही दोष हैं जितने की इस अवस्था के बच्चों की पुस्तकों में होने चाहिये। सरकार से जितना संभव हो सकता था, उतना उसने किया है।

श्री आजाद साहब ने एक बात कही कि इन पुस्तकों के दाम पहले से बढ़ गये हैं। मैं तो कहता हूं कि उनका यह कहना गलत है, क्योंकि पहले हर एक दर्जे में हर विषय की एक अलग-अलग पुस्तक हुआ करती थी, लेकिन अब कई विषयों की एक ही पुस्तक बना दी गयी है, तो इस तरह से अगर आप उन सब विषयों की पुस्तकों के दाम जोड़ें, तो इससे ज्यादा आते हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पुस्तक के दाम ज्यादा हैं। अब इस बात को ठीक समझा गया कि बच्चों को हर विषय को अलग-अलग नहीं समझना चाहिये, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि हर एक विषय एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं। इसी वजह से सब विषयों को एक साथ कर दिया गया है। दर्जा एक में दो पुस्तकें कर दी गयी हैं और दर्जा चार में तीन पुस्तकें कर दी गयी हैं। इसी प्रकार से हर दर्जे में कर दिया गया है। इसलिये अब मैं समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पुस्तकों के दाम पहले से अधिक हो गये हैं। इसके अलावा पहले जो बहुत सी सप्लीमेंटरी पुस्तकें हुआ करती थीं उनको कम कर दिया गया है। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि अब बच्चे को एक ही पुस्तक पढ़ने से कई विषयों का ज्ञान हो सकता है। यहां पर श्री गोविन्द सहाय जी ने स्टालिन का नाम लिया था। हां, यह बात सही है कि एक स्कूल में स्टालिन गये और पता नहीं लड़कों ने कहा कि यह हमारा घर है या मेरा घर है। हमारे और मेरे का फर्क भी वे समझते थे या नहीं और या स्टालिन ही बड़े भारी शिक्षा के वैज्ञानिक थे। जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने शिक्षा के लिये इस तरह से नहीं कहा है, लेकिन आजकल गोविन्द सहाय जी उसे ज्यादा पढ़ते हैं।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---बेपढ़े ही जानते हैं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**---लेकिन मेरे और हमारे का फर्क समझते थे। अगर यह वास्तव में ठीक भी है, तो यह उसके कुछ खिलाफ बात भी है, क्योंकि वहां आज भी आप कह सकते हैं कि प्रापर्टी दो हिस्सों में डिवाइड है। मकान उसकी पर्सनल प्रापर्टी में आज भी है। रूस में एक घर के सामने एक छोटा सा फार्म और एक अपना मकान हो, यह वहां एक्सेप्टेड है कि ये चीजें प्राइवेट रहेंगी और इसका सोशलिज्म नहीं

होगा। अगर उस लड़के ने कहा भी कि मकान मेरा है, तो इसमें सोशलिज्म की बात नहीं है। अब जहां स्टालिन ने उस बात को कहा, तो उसमें इंडीविजुवल प्रापर्टी की बात आ जाती है, जहां तक उसके मकान का संबंध है। जब वह यह बात मानते हैं कि उसका मकान अलग रहेगा, तो वह उसकी इंडीविजुवल प्रापर्टी रहेगी। जहां सब चीजों में इन्डीविजुवली उसे ज्ञान हो, तो उसके साथ ही साथ इंडीविजुवल प्रापर्टी किसे कहते हैं, इस बात का ज्ञान होने की भी उसे आवश्यकता है। एज्यूकेशन की थ्योरी से वह चीज विपरीत नहीं थी। अब प्रश्न यह आता है कि गोविन्द सहाय जी उसे अपना अधिकार समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूं। आखिर एक छोटे से बच्चे को क्या क्या सिखलाना चाहिये। सोशल थ्योरी, एकोनामिक थ्योरी और पोलीटिकल थ्योरी का ज्ञान भी उन्हीं से कराना चाहिये? मैं जानता हूं कि गोविन्द सहाय जी की पोलिटिकल थ्योरी बड़े होने पर शुरू हुई थी, लेकिन अब उसमें जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है और वे चाहते हैं कि बच्चों को भी यह सिखलाया जाय।

**श्री गोविन्द सहाय**--आप १९४२ की, अपनी थ्योरी याद कर लीजिए?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--वह थ्योरी तो आज भी वही है। आपने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिये थ्योरी का बदलाव है। तो उस बच्चे को कितना सिखलाया जाय, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर लोगों का मतभेद हो सकता है। इसलिये इन पुस्तकों में यह रखा जाय, यह न रखा जाय, तो इसके लिये जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, वे ही इसको बतला सकते हैं। जैसा मैंने कहा इसमें इस बात का प्रबन्ध तो किया ही गया है कि उन्हीं लोगों की राय से वह किताबें लिखी जायं। जहां तक छपने की बात है, किताबों का आवरण कैसा हो, यह भी एक विषय है और इस पर ध्यान देना ही चाहिये। स्वतंत्रता की बात भी ठीक है। लेकिन अब उसमें भी ऐसी बात है, जो कि मैं समझता हूं कि इस के संबंध में उसका कोई प्रसंग नहीं आता, लेकिन स्वतंत्रता से इसके सब दोष कैसे मिट जायेंगे, यह भी मैं नहीं जानता। क्योंकि आज तो मैं देखता हूं कि हाई स्कूल के टीचर्स जो हैं, अगर किसी ने ज्योग्रैफी की एक किताब लिख दी तो उसके स्कूल में वही किताब पढ़ाई जायगी चाहे साल में २०० किताबें ही छपें, लेकिन अगर वहां का प्रिंसिपल चाहता है, तो वही किताब पढ़ाई जायगी। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने इसकी ओर भी ध्यान दिया है, लेकिन सब बातों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि इसके लिये कोई प्रिसक्रिप्शन नहीं होना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि किताबों के छापने के लिये जितनी प्रणालियां हैं, सब में दोष और अच्छाइयां दोनों ही हैं। सवाल डिपेन्ड करता है स्कूलों के वातावरण पर रहा इन किताबों के बदलने के संबंध में, तो एक वर्ष के अन्दर यह तो मेरे लिये जरा ठीक नहीं होगा। किताबों के जल्द जल्द के बदलाव से हमारे यहां के लोग बड़े घबराये हुए हैं और जिसके भी दो तीन बच्चे पढ़ते हैं, उसको किताबों पर काफी खर्च करना पड़ता है और एक छोटे से लड़के को इतनी किताबें लेकर सड़क पर चलते देख कर मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं मालूम देता। अभी एक वर्ष ही हुआ इन किताबों को आये हुए, तो इतनी जल्दी हम इन किताबों को बदल दें, यह तो मैं समझता हूं कि ठीक न होगा और किताबों को बदल देने पर भी अगर यह विश्वास हो जाय कि अब किताबें ऊंचे स्तर की भविष्य में निकलने लगेंगी और कोई बात उनके खिलाफ नहीं कही जा सकेगी, तो भी एक बात थी, लेकिन ऐसी आशा भी नहीं है। इसलिये बदलने का सवाल नहीं पैदा होता। जहां तक गलतियों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह भवन इस विषय पर विचार करने के लिये एक बड़ी अनुपयुक्त जगह है। इस विषय पर मैं समझता हूं विद्वान विशेषज्ञों को ही अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन उन थोड़े से लोगों के विचार चाहे इस तरफ हों या उस तरफ हों, उनके कहने से एक किताब हटाकर दूसरी रख दी जाय, तो शिक्षा के बेसिक उसूलों की अवहेलना होगी। इसलिये मैं किताबों को बदल देने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं। लेकिन हां, दूसरी दफा जब

[श्री हर गोविन्द सिंह]

छापी जायेंगी और उस समय तक अगर हमारे पास कुछ सजेशन्स आ जायेंगे कि यह-यह परिवर्तन होने चाहिये, यह-यह संशोधन होने चाहिये, तो उस दूसरे संस्करण में उचित कार्यवाही करने के बाद, शिक्षा विशेषज्ञों के परामर्श के बाद अगर उचित होगा, आवश्यक होगा, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। यह कहना कि हमारी किताबों में कोई त्रुटियां नहीं हैं, गलत है। तो मैं प्रस्तावक महोदय से यह चाहूंगा कि वह अपने सजेशन्स या और जो लोग इंटरेस्टेड हों, वह लोग भी अपने सजेशन्स भेज दें, तो उस पर हम उचित कार्यवाही करके और जो कुछ संभव हो सकेगा वह करेंगे। यह तो हो नहीं सकता है कि हम इनको हटा कर फिर से छपवावें। यह चीज तो संभव नहीं है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--सारे प्रश्न पर ही आप विचार कर लें।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैं आपकी बात समझा नहीं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--किताबों के एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लीकेशन इत्यादि के सवालों पर विचार आप करवा लें।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात है, उसके लिये तो विभाग के राइट्स रिजर्व्ड हैं। अब छपवाने की बात है। चूंकि गवर्नमेंट प्रेस इतना काम नहीं कर सकता है इसलिये हमको किताबें दूसरे लोगों को छापने के लिये देनी पड़ती हैं। हम गवर्नमेंट प्रेस से कवर छपवाते हैं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--कवर में भी चोरी हुई है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--कवर की भी चोरी हुई, लेकिन इस साल हमको इसकी इत्तिला नहीं मिली। अब से पहले जरूर मिली थी। तो यह चीज हो सकती है। जो चोरी से कवर छपता है, वह तो मालूम हो ही जाता है।

**श्री गोविन्द सहाय**--तो आप चोरी सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--वह तो आप कर रहे हैं। आप समझ ही रहे थे कि मैं इस बात को कहूंगा। इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। कवर तो गवर्नमेंट प्रेस में छपते हैं, लेकिन किताबें हमको दूसरे प्रेसों को देनी पड़ती हैं। उनके कागज को गवर्नमेंट निर्धारित करती है और जो उसकी अवहेलना करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। मैंने देखा है और दूसरे लोगों ने भी देखा है कि इस साल छपाई का स्टैन्डर्ड जरूर ऊंचा रहा है। छपाई का पूरा काम गवर्नमेंट प्रेस में नहीं हो सकता है, इसलिये बड़े बड़े प्रेसों को छापने का काम देना पड़ता है, छोटे प्रेसों को जो इस काम को करते हैं, उनको भी दिया जाता है। तो जहां तक हो सकता है इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि सब को थोड़ा थोड़ा काम दूं, इसलिये कि उनकी रोटी का भी प्रश्न आ जाता है और बहुत दिनों से वह यह काम करते आ रहे हैं। तो जितना इंप्रूवमेंट होता है, उसको मैं करता ही हूं। इसके बाद मैं समझता हूं कि हयातुल्ला साहब अपने प्रस्ताव को वापस ले लेने में कोई ताम्मुल न करेंगे क्योंकि उनका यही मकसद था और उसका मैं वादा करता हूं।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसके बाद ऐसा ही लगता है कि कोई जरूरत नहीं है कि कोई और दूसरा आदमी वक्त ले, लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं जो मैं समझता हूं कि यहां पर कही जानी चाहिये और इसी वजह से मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने एक प्रस्ताव में इसी प्रकार की बातें जो आज अंसारी साहब ने बताई हैं, उपस्थित करके सरकार से यह प्रार्थना की थी कि एक कमेटी शिक्षा विशेषज्ञों की स्थापित की जाय जो सारी

शिक्षा प्रणाली पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने उपस्थित करे कि किस तरह से शिक्षा सम्बन्धी खराबियों को दूर किया जा सकता है। आज उसी तरह का प्रस्ताव अंसारी साहब की ओर से प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में रखा गया है। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि क्या-क्या खराबी हमारी पुस्तकों में देखने में आती हैं, लेकिन जब माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो उसको सुनने से ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि वह कहना चाहते थे कि पुस्तकों में जो खरा-बियां हैं उनके बारे में दो रायें हैं। एक शख्स कह सकता है कि वह ठीक हैं और दूसरा उसके खिलाफ कह सकता है कि वे ठीक नहीं हैं। तो ऐसी दो रायों के रहते हुए उन किताबों को बदल दिया जाय, यह ठीक नहीं है। एक माने में मैं मंत्री जी से सहमत हूं, लेकिन यहां तक सहमत नहीं हूं कि जो कुछ खराबियां हैं, वह दूसरी वजह से हैं जिनकी तरफ माननीय मंत्री जी ने कुछ इशारा किया है। इसलिए अभी मौका है कि मैं उन्हें कह दूं। कुछ टेक्स्ट बुक्स को मैंने देखा है जो सरकार द्वारा छपाई जाती हैं और सरकार का जिन पर पूरा नियन्त्रण है। उन किताबों में गलतियों की इतनी भरमार है जो न होना चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में अर्ज कर दूं कि अगर इस किस्म की गलतियां मेथमेटिक्स की किताबों में मिलें कि उनका सवाल और जवाब दोनों गलत दिया हुआ है, या जिस जगह जो सवाल होना चाहिये उस जगह दूसरे सवाल रखे हुए हैं, तो उसका नतीजा यह होता है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--यह आप किस क्लास की बात कर रहे हैं?

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--इस समय तो यहां जिक्र फोर्थ क्लास तक का ही है, लेकिन हमारी सरकार का सम्बन्ध एट्थ क्लास तक है। मैं इस समय सिक्स्थ क्लास की बात कर रहा हूं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैं आपकी इन्फार्मेशन के लिए बता दूं कि अब जुलाई से जो किताबें एट्थ क्लास तक इंट्रोडयूस होंगी उनमें शायद आपको गलतियां अब न मिलेंगी। हमने कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दिया है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है वह बहुत ठीक है। अगर आइन्दा किताबों में गलतियां न होंगी तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अगर दरअसल ऐसी बात होने जा रही है कि अब हमें सारी गलतियां देखने को न मिलेंगी, तो मुझे कुछ कहना नहीं रह जाता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेन्ट को अब तक अपनी किताबों के बारे में कुछ गलतफहमियां रही हैं और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि ओ० एस० डी० क कार्य करने का जो ढंग रहा है वह ऐसा नहीं रहा है जितना सरकार समझती है या जितना रहना चाहिये था। मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि क्या क्या खराबियां इसके अन्दर रही हैं। लेकिन यह बात अवश्य है कि जब यह डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था तब सरकार का यह उद्देश्य था कि उस पर सरकार अपना कंट्रोल करेगी और जो बहुत सी खराबियां थीं वह नहीं रहने पायेंगी। कुछ मानों में वह उद्देश्य पूरा भी हुआ है, लेकिन जिस हद तक होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मसलन एक शिकायत यह है कि जब किताबों की छपाई का काम दिया जाता है तो उसमें बहुत सी ऐसी अथारिटीज होती हैं जिनके पास प्रेस भी नहीं हैं।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--वह तो ठीक है। पब्लिशर्स के लिये यह जरूरी नहीं है कि उनके पास प्रेस हो।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--जब छपाई के लिये नोटिफिकेशन दिया जाता है तब अगर उसमें १२५ आदमी अप्लाई करते हैं, तो १० आदमियों को काम दिया जाता है। अब इसके लिये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि किस प्रिंसिपल के मुताबिक उन दस आदमियों को काम दिया जाता है, जिनके पास प्रेस भी नहीं हैं और जिनके पास प्रेस हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है। मैं ओ० एस० डी० के अथारिटी से इसके लिये मिला था। मेरे पास कुछ आदमी आये थे कि हम कई सालों से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको काम नहीं दिया जाता है। मैंने ओ० एस०

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
डी० से पूछा कि इसका क्या कारण है तो उन्होंने मुझको गोल मटोल जवाब दे दिया था। कोई प्रिंसिपल नहीं बतलाया था।

**श्री हर गोविंद सिंह**--यह बात ठीक है। इसके लिये कोई प्रिंसिपल अभी नहीं बना है। यह वाकया है कि कोई प्रिंसिपल नहीं है। आपने भी तो कोई प्रिंसिपल नहीं बतलाया है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--मेरे कहने का मतलब यह है कि होना चाहिये। मैं यह बात माननीय मंत्री जी की मान लेता हूं कि अभी तक कोई प्रिंसिपल सजेस्ट भी नहीं किया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि होना चाहिये।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--आपने कोई प्रिंसिपल बनाकर नहीं दिया है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--मैं मंत्री जी की बात को एप्रीशियेट करता हूं। हमको कोई प्रिंसिपल बतलाना चाहिये।

एक दूसरी बात यह है कि टेक्सट बुक्स के बारे में जो यह कहा गया कि अब आइन्दा से इस तरह की खराबियां नहीं रहेंगी, वह ठीक है। लेकिन जैसा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में अभी विचार हो रहा है कि हमारे यहां जो किताबों का स्टैंडर्ड है वह दर असल उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिये। इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि जितनी जल्दी वह अच्छी बनाई जा सकें बनाई जायें। शिक्षा के अन्दर इन टेक्स्ट बुक्स का एक प्रमुख स्थान है। अब सेंट्रल गवर्नमेन्ट इस बात पर राजी हो गई है कि हमारे देश के नागरिकों को ठीक ठीक मैटीरियल मिलना चाहिये। हमको सही सही और अच्छे आदमी मिल सकें इसके लिये वह एक बड़े पैमाने पर बोर्ड बनाने का प्रयत्न कर रही है। ऐसी सूरत में क्या हमारी प्रान्तीय सरकार के लिये विचारणीय बात नहीं है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स के मुताल्लिक इतनी शिकायत है, तो हम भी एक कमेटी बिठाल कर के इस प्रश्न की जांच करा लें कि आया हम अपनी पाठ्य-पुस्तकों में जो भी बुनियादी गलतियां हैं, उनको दूर कर लें। मैंने माननीय मंत्री जी के दिमाग के साथ अपने को लगा कर उनकी बात को समझने की कोशिश की। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आया सरकार का इसमें क्या नुकसान होगा। एक एजुकेशनिस्ट्स की कमेटी बिठालने में, जो टेक्स्ट बुक्स की शुरू से आखिर तक जांच कर के एक रिपोर्ट दे कि स्कूलों में प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की टेक्स्ट बुक्स पर किस प्रकार से कन्ट्रोल होना चाहिये। मेरा अपना ख्याल है कि सरकार यदि इस पर विचार करे, तो कुछ खोयेगी नहीं। इसके जरिये से कुछ सुझाव अवश्य निकलेंगे जिससे एजूकेशन सिस्टम के अन्दर फर्क पड़ जायेगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि ब्यूरो आफ साईकालोजी अच्छा काम कर रहा है और उससे अच्छी चीजें निकल कर आई हैं। मैं भी कहता हूं कि ब्यूरो आफ साईकालोजी अच्छी चीज है। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि जो अंसारी साहब का प्रस्ताव है और जिन बातों की ओर इशारा किया गया है, वह अपने क्षेत्र में ठीक नहीं रहेगा।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैंने भी कहा है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--तो हमारी और आप की बात में अन्तर नहीं है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैंने कहा कि क्राईटेरियन फिक्स कराया गया है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--वह अच्छा है, वह अलग काम है और वह यही काम कर सकता है। उसका यह काम नहीं हो सकता है कि वह हर किताब के डिटेल में जाय और बताये कि यह ठीक है या नहीं ठीक है। इसलिये इस काम की भी जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि कोई सुझाव दे, तो उनको लेकर हम किताब का सुधार करेंगे, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह किसी एक व्यक्ति के लिये मुमकिन नहीं है कि वह ५ सौ किताबों को देखे और जो देखते हैं, वह सरकार तक खराबियों को पहुंचाते भी नहीं हैं और

न कोई दिलचस्पी ही लेता है, जब तक कि आप इस कार्य के लिये एक कमेटी नहीं मुकर्रर करें।

**श्री हर गोविन्द सिंह**—प्रस्ताव में ४, ५ ही किताबें हैं, ५ सौ नहीं हैं।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—मैंने अर्ज किया कि मैं ओ० एस० डी० के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था, वह काम आसानी के साथ नहीं हो सकता, इसलिये मेहरबानी करके आप कमेटी की बात को मंजूर कर लें। इन शब्दों के साथ मैं अंसारी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति उपाध्याय** (नाम निर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे अंसारी साहब ने उपस्थित किया है यह देखने में अच्छा मालूम होता है, परन्तु यदि ठीक तरह से देखा जाय तो उसमें कोई सार नहीं मालूम पड़ता है। तात्पर्य यह है कि यदि छोटी पुस्तक के ऊपर बड़ा विद्वान आलोचना करने लग जाय तो बहुत सी त्रुटियां निकाल सकता है। मालूम पड़ता है कि अंसारी साहब बहुत बड़े विद्वान हैं इसलिये त्रुटियां उनकी समझ में आईं। परन्तु मैं कहूंगा कि बड़ी बड़ी किताबों में त्रुटियां होती हैं और हम लोगों ने निकाली हुई हैं। आपने जो समालोचना की है, वह पूरी की पूरी है। पुस्तक में बुराइयों को ही दिखलाया है, गुण कुछ भी नहीं। समालोचना की भी सीमा होती है। मैं कहूंगा कि एक अध्यापक ने एक बार कुछ लकड़ियां बंधी हुई लड़कों को तोड़ने के लिये दीं। लड़के तोड़ने लगे, मगर वह लकड़ियां नहीं टूटीं। आखिर में अलग अलग करके लड़कों को दीं कि वे तोड़ डालें। आखिर में लड़कों को शिक्षा दी कि मिल कर रहना चाहिये और मिल कर रहेंगे तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इत्यादि इसमें गुण भी हैं। ठीक उसी प्रकार से शब्दों की अलग अलग श्रृंखला लगाना गलत है। विदेशियों का राज्य होने के कारण प्राचीन पुस्तकों में विदेशियों का महत्व वर्णन था। अब जो हमारी पुस्तकें आ रही हैं वह बिल्कुल अच्छे ढंग की आ रही हैं। उनमें हमारे ही नेताओं के वर्णन हैं। अगर रामचन्द्र जी की चर्चा आती है तो वह सभी को मान्य है इसलिये कि सारी जनता के दृष्टिकोण में वह अवतार माने जाते हैं। रहीम के दोहों में उनका वर्णन है और ईश्वर मान कर वर्णन किया है।

दूसरी बात यह है कि बच्चों के लिये पुस्तकों में ऐसी बात न होनी चाहिये कि वह विज्ञान की हो और जो बड़े बड़े लड़कों को पढ़ाई जाती हों। बच्चों को तो ऐसे शब्दों में शिक्षा देनी चाहिये कि वह समझ सकें। बेसिक रीडर के नाम से तो, मैं भी कहूंगा कि सुन्दरता नहीं आती है। उसका नाम बदलना चाहिये और बेसिक रीडर के बजाय मौलिक पुस्तक या और कोई ऐसा नाम रखना चाहिये जो भारतीय सूत्र के शब्द हों।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है जैसा कि मैंने पहिले भी लिखा था कि पुस्तक देखने में भी सुन्दर हो, ऐसा बच्चों के किताबों का आवरण होना चाहिये। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा भी था कि ऊपर का आवरण मनोहर होना चाहिये। जैसा कहा गया कि इसमें शब्द बेहतर रखे जायं, तो बेहतर रीडर तो एक से एक हो सकती हैं। जो मैंने लिखा उससे आप बेहतर लिख सकते हैं और आपसे बेहतर और दूसरा लिख सकता है, तो यह बेहतर रीडर उपयुक्त नहीं है। अगर दोष देखने लगें तो दोष ही दोष हो सकता है। अगर आप गुण की दृष्टि से देखें तो गुण ही गुण मिलेंगे। इसलिये बेहतर रीडर नाम ठीक नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने वाली बातें उसमें होनी चाहिये।

**श्री हयातुल्ला अन्सारी**--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने यह रेजोल्यूशन पेश किया था कि बेहतर बेसिक रीडर्स रायज की जायें, लेकिन बीच में गोविन्द सहाय जी का एक रेजोल्यूशन आ गया और आधी बहस उसी में हो गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस रेजोल्यूशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जो कुछ मैं कहूंगा कि वह अपने रेजोल्यूशन के बारे में ही कहूंगा। इसमें चन्द बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना जरूरी है इसलिये मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। एक तो आजाद साहब ने कहा था कि पहले उर्दू में हिन्दुस्तानी शायरी नहीं होती थी बल्कि बाहरी देशों की शायरी होती थी। लेकिन बाद में खुद ही उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया और एक नज्म पढ़ कर भी सुनाई। उसमें जितने भी अल्फाज थे वे सब हिन्दुस्तानी थे। तो खैर उन्होंने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है उसके बारे में मैंने तीन चार नज्में पढ़ कर सुनाई हैं। एक में कोयल शब्द है, तो वह यहां की हीं चीज है। इसी तरह की कितनी ही चीजें हैं जो कि हिन्दुस्तानी हैं। पहले जो इस्माइल साहब ने उर्दू की किताबें लिखी हैं उनके शुरू में ही यहां हिन्दुस्तान की बातें हैं। कोई भी नहीं कह सकता है कि उनमें हिन्दुस्तानी बात नहीं है। जहां तक उर्दू रीडरों का ताल्लुक है वे १५, २० वर्षों से जामियो मिल्लिया से तैयार होती हैं और उनमें कहीं भी आप को किंग जार्ज आदि का नाम नहीं मिलेगा। वे सब जगह रायज हैं। इस वक्त जो रीडरें यहां पर रायज हैं उनमें से पहिली दो तो करीब करीब ठीक हैं, कुछ तब्दीली जरूर होनी चाहिये लेकिन तीसरी में धार्मिक सबक ज्यादा हो गये हैं। यह ऐसी चीज हैं जो इसमें से दूर होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि इसमें दो तीन लेशन्स ऐसे हैं जिनमें कोलम्बस आदि का नाम आया है, तो मेरा कहना यह है कि यहां पर अगर हजरत पैगम्बर और निजामुद्दीन औलिया का जिक्र भी आ जाता तो अच्छा था। लेशन्स ऐसे होने चाहिये जिसमें सेक्युलर बातें ही हों। लेकिन इन गलतियों के रहते हुए भी उनको लिखना नहीं आया कि किस तरह से इनको लिखा जाय। यह गलती जरूर है लेकिन नियत खराब नहीं है। यह कहा गया है कि लिटरेचर में गल्तियां हमेशा होती रही हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि इम्तहान की कापियों में भी गल्ती होती है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि उनको पास ही किया जाय। गलतियों का भी एक स्टैन्डर्ड होता है। अगर किसी रीडर ने कोर्ट में गलत जजमेंट लिख दिया तो उसको ही उसकी उल्टी सजा मिल जायगी कि उसने गलत जजमेंट क्यों लिखा। अगर इन बेसिक रीडर का स्टैन्डर्ड कम न हो गया होता तो मैं हर्गिज यह बात नहीं कहता। यह खुशी की बात है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने मेरे सजेशन्स माने हैं और कहा है कि मैं उनको उनके पास भेज दूं।

एक चीज मैं प्वाइंट आउट कर दूं और वह यह है कि उर्दू रीडरों का हिन्दी रीडरों से तर्जुमा किया गया है और वह तर्जुमा भला है या बुरा यह दूसरी बात है। लेकिन आगे चल कर उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ १० या १२ शब्द हीं बदल जाते हैं। इससे बच्चों का ज्ञान नहीं बढ़ता है और न उसमें कोई नया जजबा ही पैदा होता है। जो चीज उन्होंने हिन्दी में पढ़ी थी वही दो तीन साल के बाद उर्दू में भी पढ़ी, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता है। इससे मैं समझता हूं कि हमारी तालीम का जो मकसद है वह पूरा नहीं होता है, बल्कि एक तरह से हमारे यहां से एजूकेशन का नाम ही मिटता जाता है। यह चीज ऐसी है जिसकी तरफ मैं माननीय मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे यहां की तालीम में कम से कम ऐसा हो जाना चाहिये जिससे तालीम का जो मकसद है वह कुछ हासिल हो सके। आजाद साहब ने आजाद शायरी के बारे में कहा। तो उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर नज्म में कहीं पर काफिया या रदीफ में कुछ गलती हो जाती है, तो नज्म के पढ़ने में वह रवानी नहीं रहती है जो होनी चाहिये। नज्म का जो कैरेक्टर होता है वह खत्म हो जाता है। नज्म बनाते वक्त हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहां पर इस प्रस्ताव का बहुत से माननीय सदस्यों ने समर्थन किया

है और माननीय मिनिस्टर साहब ने भी इसको सपोर्ट किया है । इसके साथ ही साथ मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि इन रीडरों पर गौर करने के लिये इस भवन के मेम्बरों को भी मौका देना चाहिये । मैं तो समझता हूं कि इसके लिये बहुत बड़े एजूकेशनिस्ट होने की ही जरूरत नहीं है । मैं तो समझता हूं कि इस हाउस के मेम्बर भी इस काम को कर सकते हैं । चूंकि मिनिस्टर साहब ने मुझसे सजेशन्स देने के लिये कहा है जिस पर वे गौर करेंगे, इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--क्या सदन की अनुमति है कि यह संकल्प वापस लिया जाय ।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया । )

## संकल्प कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश के पश्चात् न तो उनकी नौकरी की अवधि बढ़ाई जाय और न उनको पुनः नियुक्त किया जाय

**श्रीमती सावित्री श्याम** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे नाम है उसको मैं सदन के सामने पेश करती हूं । वह इस प्रकार है ।--"इस परिषद् का मत है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात न तो उनकी नौकरी की अवधि बढ़ाई जाय और न उनको फिर से नियुक्त किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि प्रशासन में एक एफीसियेंसी को किस प्रकार से कायम किया जाय और साथ ही साथ जो दिन प्रतिदिन बेकारी बढ़ती जा रही है उसको किस प्रकार से दूर किया जाय । यह एक मौलिक प्रश्न है और इस समस्या को हल करने के लिये अनेक प्रकार के सुझाव आ रहे हैं । और जब तक यह समस्या हल नहीं होगी, तब तक इस प्रकार के सुझाव निरन्तर आते रहेंगे । इस बात को सभी मानते हैं कि राज्य में शासन को सुचारुरूप से चलाने के लिये यह अति आवश्यक है कि सर्विसेज में एफीसियेन्सी और इंटीग्रेटी का स्टैन्डर्ड ऊंचा होना चाहिये । यह तो हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां पर सर्विसेज का स्टैन्डर्ड ऊंचा रहा है । मेरा इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की यही मंशा है और इसमें उन लोगों की यह भावना छिपी है कि जो अपने खून और पसीने को बहाकर के काम करते हैं, तो अवसर प्राप्त होने पर वे इस प्रदेश के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं । मुबारक है वे लोग जिनको गवर्नमेंट में सर्विस करने का अवसर प्राप्त होता है । हजारों की तादाद में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस बात का अवसर नहीं मिलता है कि किस तरह से वे अपने प्रदेश की सेवा करें । सरकार की तरफ से सर्विसेज के लिये एक अवधि नियुक्त होती है और सर्विसेज में सिक्योरिटी है, प्रोमोशन है, और पेंशन है । इसका मुकाबिला हम उन पोलीटिकल आफिसेज के व्यक्तियों से नहीं कर सकते हैं जिनकी कि जिन्दगी उस उमर से शुरू होती है , जहां पर कि सरकारी नौकरों की अवधि समाप्त होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, संसार में कोई भी व्यक्ति इनडिसपेंसेबुल नहीं होता और प्रत्येक आदमी को अपने व्यक्तित्व से, अपने तरीके से सेवा करने का अवसर प्रदान होना चाहिये । लेकिन हम देखते हैं, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, हमारी यह भावना तेजी से चल रही है कि रिटायरमेंट की अवधि आने पर एक्सटेंशन या रिएम्प्लायमेंट हो और सर्विसेज की अवधि बढ़ा दी जाय और कहा जाता है कि ये पब्लिक इन्टेरेस्ट के लिये किया जाता है यह सब समझते हैं कि इससे कहां तक पब्लिक का इन्टरेस्ट या पब्लिक का उद्देश्य पूरा होता है । वास्तव में जो भी एक्सटेंशन या रिएम्प्लायमेंट किया जाता है, वह अपने इन्टेरेस्ट में होता है । उनके सामने यह प्रश्न उठता है कि हमें अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिये और जहां तक

[श्रीमती सावित्री श्याम]

संभव हो सके हमें एक्सटेंशन के लिये प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु हमें यह भी सोचना चाहिये कि इस एक्सटेंशन की क्या प्रक्रिया होती है। जिन लोगों का रिटायरमेंट का समय आता है, तो वे लोग ६ महीने या साल भर पहिले से अपने एक्सटेंशन के लिये लालच में पड़ कर, कोशिश में लग जाते हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका उद्देश्य पूरा हो जाय और इस तरह से एक्सटेंशन मिलने पर उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारी में भी ढील आती है और वे अपने काम को सुचारुरूप से भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको यदि आप एक्सटेंशन दे भी देते हैं तो वह ६ महीने या साल भर के लिये मिलता है और इस बात की यह प्रक्रिया होती है कि वे सोचने लगते हैं कि ६ महीने के लिये क्यों उस डिपार्टमेंट में अपना ज्यादा वक्त दिया जाय और क्यों ज्यादा परिश्रम किया जाय। इससे दोनों ही प्रकार के नुकसान हैं, एक तो सरकारी काम ही ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और साथ ही साथ उन लोगों में जो कि वास्तव में उस पद के अधिकारी हैं, फ्रसट्रेशन की भावना पैदा होती है। चूंकि उनको अपनी योग्यता दिखलाने का अवसर नहीं मिलता और वे सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिये उनके अन्दर जो भी भावना पैदा होती है, वह बड़ी घातक है। इसके साथ ही साथ हर साल जो हजारों यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी निकलते हैं, उनके अन्दर भी इस तरह की भावना घर कर गयी है कि चूंकि लोग समय पर रिटायर नहीं किए जाते हैं, इसलिये उनको भी कोई अवसर नहीं मिलता है कि वे अपनी जीविका को योग्यता के साथ निभा सकें और इस प्रदेश की सरकार की कोई सेवा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेज यहां थे तो सभी जिम्मेदारी के स्थान उन्हीं के हाथ में थे और भारतियों को कोई अवसर नहीं था कि वह अपनी विद्वता का परिचय दे सकें, परन्तु उनके चले जाने के बाद जिम्मेदारी के स्थान उन भारतियों के हाथ में आये, उन नौजवानों के हाथ में आये जिनको अधिक अनुभव नहीं था और उनकी अवस्था भी इतनी नहीं थी। किन्तु यह सभी को विदित है कि किस कुशलता से उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। और यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति संसार में इंडिस्पेंसे-बिल नहीं है और जिम्मेदारी प्राप्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा से ऊंचा उठ सकता है और देश की सेवा कर सकता है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार की नीति है कि इक्सटेंशन्स न दिये जायं। सितम्बर सन् १९५४ में विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया था कि सिद्धान्ततः इक्सटेंशन्स नहीं दिये जाते किन्तु कुछ महीने हुए अभी एक प्रश्न के उत्तर से प्रतीत होता है कि आज इक्सटेंशन्स और रि-इम्प्लायमेंट्स की तादाद पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक है, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि एक्सपर्ट्स तथा टेकनिशियन्स को एक्सटेंशन देने चाहिये क्योंकि उनसे काफी सहायता मिलेगी, किन्तु इस विचार में भी कोई लाजिक नहीं है। नेसिसिटी इज दि मदर आफ इनवेन्शन। यह हम सभी को मालूम है। जब व्यक्ति रिटायर होने वाले होते हैं तो हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि उनका स्थान ग्रहण करने के लिये अन्य व्यक्ति पूर्ण रूप से तैयार हो जायें। आज हमारी प्रान्तीय सरकारें तथा केंद्रीय सरकार इस बात में संलग्न हैं कि वह साहित्यिक पैदा करें, इक्सपर्टस पैदा करें, अतः यह सोचना कि रिक्त स्थान पूरे नहीं किये जा सकते कोई माने नहीं रखता। मैं सन् ३७-३८ के उस जमाने की याद दिलाना चाहती हूं जब माननीय नेता सदन कम्यूनि-केशन मिनिस्टर थे उस समय के इर्रीगेशन के चीफ इंजीनियर सर विलियम स्टैंप थे उन्होंने इस सूबे की कितनी सेवा की है। जब वह रिटायर होने लगे तो उनके एक्सटेंशन का सवाल पैदा हुआ। उस समय के गवर्नर ने माननीय मंत्री से यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि स्टैम्प साहब को इक्सटेंशन दिया जाय, किन्तु यह उसूल का प्रश्न था। माननीय मंत्री ने उनकी इस दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया था। उस समय ऐसा कदम उठाना एक बड़े साहस का काम था। जब हम गुलाम थे, अगर तब हम ऐसे प्रिसिडेंट

कायम कर सकते थे तो आज तो हम स्वतंत्र हैं, हमको पूरी तरह से उसे निभाने का प्रयत्न करना चाहिये। आज एजूकेटेड क्लास में कितनी बेकारी है। जब हम दूसरी पंच-वर्षीय योजना में इसको पूरा करना चाहते हैं, किसी न किसी हद तक सुलझाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीसियेंसी के लिये नये ब्लड और नये जोश के लोगों को रक्खें, जो देश का शासन और देश की सर्विस पूरे तौर से कर सकें।

कुछ दिन हुए हैदराबाद के मुख्य मंत्री जी ने यह मत व्यक्त किया है कि एक्सटेंशन न देने से हम अनइम्प्लायमेंट की समस्या को किसी हद तक दूर कर सकेंगे और इसमें काफी बचत भी होती है। मैं भी इनके इस मत से सहमत हूं। हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ी हुई है और हमें सोचना है कि इसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। सन् १९३५ ई० में अनइम्प्लायमेंट कमेटी सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कायम हुई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में अनइम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये कुछ रिक-मेंडेशन्स दिये थे। उनमें से कुछ मैं आपकी आज्ञा से यहां पढ़ना चाहती हूं :

"We are strongly of the opinion that the rules regarding the age of retirement should also be rigorously enforced and that in the larger interest of the country, and in view of the necessity of giving a fair chance to young men, no extension should be granted to any public servant after he has completed the 55th year of age."

"Another cause of unemployment in the case of our young men who retire upon the completion of their service seek employment in local bodies such as municipalities and district boards and Court of Wards, etc. We are strongly of the opinion that such men should not be employed as against those who are young and qualified to enter Government service. A man who has retired on pension has, at least, something to fall back upon, whereas a young man who has qualified himself for Government service and does not get employment and ultimately becomes unemployable is a dead loss to his family and society and ultimately becomes embittered and discontented."

इस कमेटी की सिफारिश के साथ-साथ हमें इस कमेटी की इस भावना को याद रखना चाहिये कि हम किस तरह से यंग जनेरेशन में से इस समस्या को दूर करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरी इस भावना का ख्याल करते हुए मेरे मत का समर्थन यह हाउस करेगा।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--इस संकल्प के संबंध में एक अमेंडमेंट आया है और वह श्री प्रताप चन्द्र आजाद का है। वह साढ़े दस बजे आया है और वह सदस्यों के सामने रखा है। अगर सदन की राय हो तो यह लिया जाय वरना यह नियमों के ख़िलाफ है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमारा अमेंडमेंट आया था तो नामंजूर किया गया था।

**श्रीमती सावित्री श्याम**--मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इससे डिसऐग्री जरूर करती हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--क्या हाउस की अनुमति है कि यह लिया जाय ?

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मेरी तो राय नहीं है कि यह लिया जाय।

**श्री पन्ना लाल गुप्त**--हम चाहते हैं कि लिया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मेरे संशोधन पहले नहीं लिये गए थे, इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के मेम्बरों का भी संशोधन न लिया जाय।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जब मेरे अमेंडमेंट के बारे में मूवर प्रस्ताव, मूवर अमेंडमेंट और हाउस को एतराज नहीं है, तो वह क्यों नहीं लिया जा सकता है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--क्योंकि रूल्स में ऐसी चीज है या अगर नहीं है तो यह कनवेंशन रहा है। अगर आप यह वादा करें कि मेरे अमेंडमेंट पर आयन्दा एतराज न करेंगे तो मैं उसे मूव करने दे सकता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--इस संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति की गई है, क्योंकि इसकी सूचना समय पर नहीं दी गई, इसलिये मैं इसके प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी श्रीमती सावित्री श्याम जी ने इस भवन के सामने रखा है, उस प्रस्ताव के उद्देश्य का जहां तक संबंध है, मैं समझता हूं कि उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव के जो शब्द हैं वह बहुत डेफिनिट हैं कि किसी का भी कोई एक्सटेंशन या रिएम्प्लायमेंट नहीं हो सकता है। जहां तक रिटायरमेंट का संबंध है वह ५५ वर्ष पर होता है और जजेज के लिये ६० वर्ष का प्राविजन रखा गया है, वह शायद इसलिये कि उनकी प्रैक्टिस न करने की वजह से जो नुकसान होता है यह कम्पेनशेट हो जाय। यह तो सही है कि हम इस बात की कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम इस चीज की कोशिश करें कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम रिइम्प्लाय करें और रिटायरमेंट की एज पर हमारे अफसरान रिटायर कर दिये जायं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे रिटायर्ड आफीसर्स हैं जिनका अनुभव ऐसा होता है कि हमारे लिये आवश्यक है कि हम उनसे लाभ उठायें। हां, यह मैं भी मानने को तैयार हूं कि रिटायर्ड हैंड्स का मिसयूज न होना चाहिये। लेकिन एक हार्ड ऐंड फास्ट रूल बना देना भी उचित न होगा कि हम किसी को किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि यह नामुमकिन भी होगा, अनप्रैक्टिकेबुल होगा क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों से, जिनके अनुभव से बहुत कुछ फायदा हम उठा सकते हैं, नहीं उठा पायेंगे।

मान लीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें बहुत से हमारे रिटायर्ड अफसर हैं और उनके अनुभव से हम फायदा उठाते हैं। मैं यह तो जरूर कहूंगा कि जब हमारे कुछ रूल्स बन गये हैं तब हमको उनको सही तरीके से मानना चाहिये। जो रूल्स बन गये हैं उनका दुरुपयोग न होना चाहिये। मैं इस संबंध में यह समझता हूं कि जो श्रीमती सावित्री श्याम ने प्रस्ताव रक्खा है वह उचित नहीं है। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे अनानिमस लेटर्स आते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब के डिपार्टमेंट में और माननीय नेता सदन के डिपार्टमेंट में भी एक आदमी के लिये आया था कि वह सिर्फ हाई स्कूल पास है, वह अभी बराबर चल रहे हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन में कठिनाइयां होती हैं। मैं तो समझता हूं कि ऐसी बातें पैदा होती हैं कि हमको किसी न किसी को रिटायरमेंट के बाद भी रिइम्प्लाय करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इससे स्टेट का किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। आजकल कुछ ऐसा रिवाज चल रहा है जैसे कि अभी एक प्रस्ताव आने वाला है कि विधायकों को भी उसी प्रकार निःशुल्क मेडिकल सुविधायें मिलनी चाहियें, जिस प्रकार से कि फर्स्ट क्लास अफसर को मिलती हैं। जो भी सुविधायें फर्स्ट क्लास अफसरों को मिलती हैं वह सब लेजिस्लेचर्स को मिलनी चाहिये। अगर यह चीज है तो वही रूल्स लेजिस्लेचर्स के लिये भी लागू होनी चाहिये।

यह भी मान लेना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति जो ६० वर्ष का हो जायेगा वह अगर लेजिस्लेचर का मेम्बर होगा तो उसको रिटायर होना पड़ेगा। मंत्री लोग तो इस रूल में पहिले आ जायेंगे। जब आप लेजिस्लेचर के मेम्बर होने की हैसियत से यह चाहते हैं कि हर वह सुविधा आपको मिलनी चाहिये जो कि एक फर्स्ट क्लास आफिसर को मिलती है, तब आपको ६० साल के बाद रिटायर भी होना पड़ेगा। हां, यह जरूर होना चाहिये कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रैक्टिकली अप्लाई करना संभव नहीं होगा। इसमें सरकार के सामने बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो जायेंगी।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीया श्रीमती सावित्री श्याम ने इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि वह ऐसा प्रस्ताव है कि उस पर विचार होना चाहिये। इस प्रस्ताव द्वारा उन्होंने सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है, वैसे सरकार का ध्यान समय-समय पर इस ओर जाता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें सामने आती रहीं जिससे यह प्रस्ताव सदन के सामने इस शक्ल में प्रस्तुत करना पड़ा। इसी के साथ-साथ जो माननीय प्रताप चन्द्र आजाद ने संशोधन रक्खा था और जिसे इस सदन में माननीय कुंवर गुरु नारायण के कारण उन्हें मूव करने की इजाजत नहीं मिली, उस संशोधन को भी इस प्रस्ताव के साथ जुड़ा रहना आवश्यक था। एक ओर जहां हम प्रस्ताव को मानते हैं तो हम देखते हैं कि जो यंग जेनरेशन काम कर रही है, उसके दिल में हाट बर्निंग है। वह समझता है कि अगर ऐसा प्रस्ताव मान लिया जाता है तो उसको तरक्की करने का मौका मिलेगा। इस ख्याल से वह मेहनत से काम करेगा।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये और इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस समय पंच वर्षीय योजना सरकार की तरफ से चल रही हो उस समय टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनकी कमी है, उनके लिये भी रिटायरमेन्ट की बन्दिश रखना, जैसे और सरकारी अफसरों के साथ बन्दिश रखने की बात है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव अपनी जगह पर बहुत ही दुरुस्त होता यदि श्री प्रताप चन्द्र जी का अमेन्डमेन्ट इसमें जोड़ दिया जाता। मैं माननीय कुंवर गुरु नारायण जी की इस राय से इत्तिफाक नहीं करता कि सरकार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी छोड़ दी जाय कि किसका रिटायरमेन्ट हो और किसका न हो। जहां तक इस बात का प्रश्न है, सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार के पास रहते हुये भी ऐसी बातें आती हैं जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि उनके पास कई डिपार्टमेन्ट्स के लोगों के पास से लेटर्स आये, इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बारे में एक डिफनिट बात हो जाय जिससे सर्विसेज के अन्दर एफिशियन्सी कायम रहे। इसलिये जो प्रस्ताव माननीया श्रीमती सावित्री श्याम जी ने रखा है, उसमें आजाद साहब का संशोधन नहीं है, लेकिन हमारे सामने २ सुझाव हैं, उनको ध्यान में रखते हुये सरकार कोई नियम ऐसा बनायेगी जो इस तरह की सर्विसेज पर भी लागू हो सके।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सावित्री श्याम ने जो प्रस्ताव रखा है वह मेरी नजर में बड़ा आवश्यक प्रस्ताव है और इसे अवश्य स्वीकार होना चाहिये। इसलिये मैंने इसमें एक छोटा सा संशोधन रखा था, इसलिये कि सरकार यह न समझे कि एक हार्ड ऐन्ड फास्ट रूल बना दिया जाय। शायद सरकार की तरफ से यह बात आये कि टेक्निशियन्स नहीं मिलते हैं और देश के अन्दर अभाव है, इसलिये मैंने टेक्निशियन क्लास को रखा था, लेकिन फिर भी अपना यह विचार है कि सरकार इस संबंध में कोई नियम बनायेगी।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

हमारे प्रदेश में एक ओर तो बेकारी इस हद दर्जे तक बढ़ी हुई है और २ हजार आदमियों को हम पंचवर्षीय योजना से राहत दिलाते हैं और दूसरी ओर एक्सटेन्शन देने की पालिसी है, इससे हम और एक हजार बेकार कर देते हैं और इसके साथ-साथ एक नुकसान यह भी होता है कि और जुनियर के जूनियर रह जाते हैं और जो लोग आशा में रहते हैं कि हमारा आफिसर रिटायर होगा, तो हमको पदोन्नति मिलेगी, उससे भी वञ्चित रह जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि बड़े अफसर एक्सटेन्शन पर चलते रहते हैं और उनके असिस्टेन्ट रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। मेरा अपना विचार यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस एक्सटेन्शन की पालिसी से जनता में कोई संतोष नहीं है और सरकारी मुलाजिमों में भी संतोष नहीं है और बेकार लोगों में तो संतोष है ही नहीं। हां, सरकार के सामने एक दिक्कत जरूर है, वह यह कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां सरकार को आसानी से आदमी नहीं मिलते हैं, जैसे कोई खास इन्डस्ट्री है, टेक्निकल विभाग है, जिसके लिये कोई आदमी विदेश से काम सीख कर आया है, अगर इन आदमियों के लिये यह बन्दिश लगाई गई तो सरकार के सामने अवश्य दिक्कत हो जायेगी। मेरा अपना विचार यह है कि टेक्निकल विभागों को छोड़ कर सरकार एक्सटेन्शन की नीति को न बरते और उनको एक्सटेन्शन न दिया जाय।

आज हमारे देश और प्रदेश में सब जगह राय बहादुरी और खान बहादुरी की जितनी उपाधियां थीं खतम हो गईं। सिर्फ इस वजह से कि बेजा खुशामद का मौका किसी को न मिले। लेकिन दूसरे शक्ल में यह खिताब जारी हैं और मैं समझता हूं कि ज्यादातर यह जो एक्सटेन्शन मिलते हैं वह इस बिना पर कि सबसे बड़ा अफसर जो होता है, उसकी खुशामद दूसरा अफसर करता है। इसलिये वह बड़ा अफसर खुश होकर गवर्नमेंट को रिकेमेन्ड उसके एक्सटेन्शन के लिये करता है और गवर्नमेंट में वह फिर मंजूर हो जाता है।

**श्री प्रभू नारायण सिंह**---बड़े अफसरों को कैसे मिलता है?

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**---बड़े अफसरों को भी ऐसे ही मिलता है। हमारे प्रदेश की समस्याओं को देखते हुये यह एक्सटेन्शन वाली पालिसी ठीक और मुनासिब नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को बहुत जल्द कदम उठाना चाहिये। यह प्रस्ताव बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि जनता की ओर से प्रेरणा मिली है और उस प्रेरणा को मद्देनजर रख कर यह प्रस्ताव यहां लाया गया। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि सरकार इस संबंध में, मैं यह नहीं कहूंगा कि जिस शक्ल में यह प्रस्ताव है वैसे ही स्वीकार कर ले, लेकिन मेरी दरख्वास्त है चाहे यह प्रस्ताव स्वीकार हो या न हो, सरकार की ऐसी पालिसी जरूर होनी चाहिये। आज जब हमारे यहां हजारों और लाखों की तादाद में यंग मैन बड़े बड़े इम्तहान पास करने के बाद निकल रहे हैं तो कोई बात ऐसी नहीं मालूम होती कि किसी सरकारी कर्मचारी को एक्सटेंशन दिया जाय। मेरा अपना विचार है कि इस प्रस्ताव के बाद सरकार जरूर अपनी नीति बनायेगी जिससे भविष्य में किसी को एक्सटेन्शन नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री श्याम सुन्दर लाल** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के रिटायर होने का रूल्स है कि कम्पलसरी रिटायरमेंट ५५ वर्ष की उम्र हो जाने पर होता है और उसी रूल्स के मुताबिक रिटायरमेंट होता है। परन्तु उसमें एक्सेप्शन है, पब्लिक वर्क के इन्टेरेस्ट में एक्सटेन्शन हो सकता है और गवर्नमेंट रिइम्पलायमेंट कर सकती है। लेकिन वह सीमा ६० वर्ष की उम्र तक है। अभी वाद विवाद के दौरान में कहा गया कि कुछ समय से रिइम्पलायमेंट पहले से अधिक दिया जाने लगा है, इसका कारण यह है कि हमारे सामने पहले पंच-वर्षीय योजना आई, फिर दूसरी पंच-वर्षीय योजना जिसमें, बड़ी-बड़ी योजनाओं का रेपिड एक्सटेन्शन हो रहा है, नये-नये डिपार्टमेंट्स खोलने की बातें हुई हैं, तो

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

सिर्फ-नये नये आदमियों से चाहे वह कितने ही क्वालीफाइड हों, नये डिपार्टमेंट्स रन नहीं किये जा सकते हैं। इसमें अनुभवी और एक्सपीरिएन्स एलीमेंट की अवश्य जरूरत है। अगर इस तरह के रैपिड एक्सपेन्शन में यह रूल इन्फोर्स कर दिया जाय, तो फिर अनुभवी परसनेल बहुत कम हो जायेंगे और एफीशियन्सी बढ़ने के बजाय न्यू इन्टरेन्स के कारण गिर जायेगी।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि जैसे फ्लड कन्ट्रोल के सम्बन्ध में योजना बन रही है और उसमें हमें टेक्निकल परसनल जैसे ड्राफ्टसमेन, कम्प्यूटर्स और ओवरसियर्स की काफी जरूरत है और जितनी जरूरत है, उतने मिलते भी नहीं हैं। रुड़की इन्जीनियरिंग कालेज से जितने निकलते हैं वह सब नहीं मिलते हैं, लिहाजा इरीगेशन डिपार्टमेंट में जो ओवरसियर्स, ड्राफ्टसमैन और कम्प्यूटर्स रिटायर हुये हैं, उनको फिर से रिइम्प्लाय किया गया है। फ्लड कन्ट्रोल में जितने ओवरसियर्स की जरूरत है, उतने मौजूद नहीं हैं, इसलिये रिटायर्ड परसनल को इसमें लिया जा रहा है। यह सब होते हुये जिस भाव से श्रीमती सावित्री श्याम ने यह प्रस्ताव रखा है कि बेकारी कम हो, तो टेक्निकल मामलों में यह होना मुश्किल है। हां, एक बात बेकारी के बारे में और कहना चाहता हूं कि अब जो नये विभाग बन रहे हैं, अगर किसी में ५० जगहें हुई, तो उसमें जितने आदमी नये लगाये जाते हैं, उनमें से ४, ६ पुराने रिइम्प्लाय कर के रखे जाते हैं। यह बहुत आवश्यक है, नहीं तो एफीशियन्सी गिर जायेगी। इन बातों के होते हुए जैसे रूल्स हैं और जो ताकत सरकार के हाथ में है, वह सही है। अगर उस को स्ट्रिक्टली फालो किया जाय और ५५ वर्ष में हर एक को कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाय और कोई एक्सेप्शन न हो, तो इससे एफीशियन्सी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिस तरह के रूल्स इस वक्त हैं वे मुनासिब हैं।

**श्री पन्ना लाल गुप्त**—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, बहिन श्रीमती सावित्री श्याम ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही सुन्दर है और उन्होंने जिस भावना से प्रेरित हो कर इस हाउस का ध्यान आकर्षित कराया है, उसके लिये उनको जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना ही थोड़ा है। आजकल जहां तक टेक्निकल आदमियों का सवाल है, वहां तो छोड़िये, लेकिन मैं आज कल यह देख रहा हूं कि इसी सेक्रेटेरियेट में लोगों को एक्सटेन्शन दिया गया है जब कि वे टेक्निकल आदमी नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि जो लोग कल तक पी० ए० थे, आज उनका एक विशेषाधिकारी का साइन बोर्ड लगा दिया गया है और साथ ही उनको एक साल का एक्स-टेन्शन दिया गया है। आज जब हमारे पास बहुत से बेकार आदमी हैं और ग्रेजुएट बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं और ४७ रुपये में कांस्टेबिल की नौकरी खोजने के लिये जा रहे हैं, तो आज उनको नौकरी न देकर इस तरह से एक्सटेन्शन देना कहां तक ठीक है? फिर उनके पास कोई काम नहीं है। उनका काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना है और दिन भर में एक दो फाइलों को इधर उधर करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसी बातें कहने के लिये आप से मुआफी जरूर चाहता हूं, लेकिन इस तरह से एक्सटेन्शन देना गलत है। उन लोगों को महेज इसलिये एक्सटेन्शन दिया जाता है कि वे लोग खुशामद कर लेते हैं और अच्छी खुशामद कर लेते हैं। इससे हमारे नौजवानों पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। आप अपने यहां सेक्रेटेरियेट में ही देख लें कि लोगों को एक्सटेन्शन देने से कितनी खराब फिजा हो रही है। आम जनता इस को बहुत ही खराब निगाह से देख रही है। हमारी सरकार का यह राइट है कि वह एक्स-टेन्शन दे, लेकिन इसके लिय मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं लोगों को एक्सटेन्शन दिया जाय जिनके बिना सरकार का काम नहीं चल सकता है। आजकल हम यह देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसको फिर दूसरी जगह पर रख दिया जाता है। इस तरह से जो नीचे वाले होते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आज आप देखें तो डिपार्टमेन्ट में लोगों की यह हालत है कि जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और किसी की खुशामद नहीं करते हैं, उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग नम्बरी होते हैं, पार्लियामेन्टरी भाषा में मैं उनको भले आदमी ही कहूंगा, वे लोग तरक्की कर जाते हैं और काफी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

आज कल काम हो रहा है, वह ठीक नहीं है। मैं सरकार से इस बात को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्य को बन्द करना चाहिये। इस बात को मैं मानता हूं कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, उसके पास इतना काम है कि नीचे से जो फाइल आती है उसको अच्छी तरह से देखने का उसके पास मौका नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि जो कुछ भी नीचे से लिख कर आता है, उसी पर उसको दस्तखत कर देने पड़ते हैं। फिर भी मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक्सटेंशन का रिवाज चल गया है, यह बहुत खराब बात है और हमारे यहां के नौजवानों पर इसका काफी खराब असर पड़ रहा है। आज इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट में जो आफिसरों की नियुक्ति हो रही है, उसके बारे में हर आदमी कहता है कि यह तरीका ठीक नहीं है। आज आप हर तरफ यही कहते हुये लोगों को सुनियेगा कि बिना सिफारिश के किसी को जगह नहीं मिलती है। मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि रिटायरमेन्ट के बाद लोगों को फिर से जगह न दी जाय। इसलिये जो प्रस्ताव बहन सावित्री श्याम ने रखा है, वह बहुत ही सुन्दर है और मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर कड़ायी के साथ अमल करना चाहिये।

श्रीमती सावित्री श्याम ने श्री सप्रू की अध्यक्षता में हुई कमेटी की सिफारिशों को पढ़ कर सुनाया है। श्री सप्रू सरकारी कर्मचारियों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं और उनके खान्दान के बहुत से लोग अच्छी-अच्छी जगह पर काम करते हैं, इस लिये उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर इस रिपोर्ट को सरकार के सामने रखा है। सरकार जो कमेटी बनाती है, उस पर उसका काफी रुपया खर्च होता है और उस कमेटी के मेम्बर काफी छानबीन के बाद उसकी सिफारिशों को सरकार के सामने पेश करते हैं, इसलिये अगर सरकार ने कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं किया, तो जो उसका बहुत सा रुपया बेकार खर्च होता है और जिसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, उसके लिये तो सरकार को अवश्य सोचना चाहिये। मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक्सटेन्शन नहीं देना चाहिये, क्योंकि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो नीचे के लोग उसकी जगह पर आते हैं और नीचे के स्थान पर नई नियुक्ति होती है। इस तरह से लोगों को नौकरी मिल जाती है।

हमारे प्रदेश में आज बेकारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिये यह प्रस्ताव एक औषधि का काम करेगा। सरकार को यह नीति अपनानी चाहिये कि किसी भी रिटायर कर्मचारी को रि-इम्प्लाय न किया जाय। यह एक बहुत ही जरूरी कदम है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

यदि सरकार थोड़ा सा और सख्ती से कदम उठा ले, तो यह रि-इम्प्लायमेंट का मसला बहुत जल्दी और आसानी से हल हो जायेगा और कई नौजवानों को इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे लोग आसानी से काम में लगा दिये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति उपाध्याय**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सावित्री देवी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और जहां तक इस प्रस्ताव का भाव है, तो मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया है, उसको मैं उचित नहीं समझता हूं। इसका कारण यह है कि अभी रूस के प्रधान मन्त्री यहां आये थे, तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में हर एक चीजें हैं, लेकिन यहां अनुभव की कमी है। इसका कारण भी यह है कि आज शिक्षा विभाग में शिक्षा ठीक तरह से नहीं दी जाती है क्योंकि जिन लोगों को नियुक्त करके रखा जाता है, उनको अनुभव नहीं होता। जो अनुभवी टीचर एक घंटे में पढ़ा सकता है, वह अनुभवहीन टीचर दिन भर में भी नहीं पढ़ा सकता है। इसलिये हमारे यहां अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। जो लोग विशेषज्ञ हैं, उनको यदि सरकार अपने यहां ज्यादा समय तक रख लेती है, तो यह उत्तम ही है। हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी ने जो बात कही थी, मैं उसका समर्थन करता हूं।

आज बहुत सी बातें देखी जाती हैं। पहले एक क्लर्क जो काम करता था, वह काम आज १० क्लर्क भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं है और उनकी इतनी शिक्षा नहीं है। क्वीन्स कालेज की जो लाईब्रेरी है, मैं वहां जाता रहता हूं, और यदि किसी पुस्तक की आवश्यकता हुई तो वहां के क्लर्क को पता नहीं रहता कि वह पुस्तक कहां रखी है, लेकिन जो नौकर है, वह कहता है कि मैं आपको बतलाऊंगा कि वह पुस्तक कहां रखी है। अनुभवी आदमियों से अच्छा काम होता है, इसीलिये गवर्नमेंट ने इसको रखा है। यह बात उत्तम है और इस सम्बन्ध में नियम बन जाने पर उस व्यक्ति के लिये रहना फिर असंभव हो जाता है।

**श्री नरोत्तम दास टण्डन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री मती सावित्री श्याम ने जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है वह बहुत सुन्दर है और मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि ५५ वर्ष के बाद किसी को भी एक्सटेन्शन न दिया जाय। इसमें शक नहीं है कि जब समय निश्चित हो जायगा और हर मनुष्य यह सोचने लगेगा कि उसे ५५ वर्ष में रिटायर होना है, तो जो लोग बहुत सा समय बचाकर अपने अफसरों की चापलूसी में लगाते हैं, तो वह काम में लगायेंगे। आज तो उन्हें यह बात मालूम ही रहती है कि यदि हम थोड़ा सा समय बचाकर अपने अफसरों की चापलूसी में लगा देंगे, तो हमें एक्सटेन्शन मिल जायेगा।

इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि इधर हाई कोर्ट के जज जो रिटायर हुये उन्हें फिर से जगह दी गई, तो इससे जनता में असन्तोष हुआ। अब कान्स्टीट्यूशन में यह बात कर दी गई है कि अब से हाई कोर्ट के जजेज रिटायर होने के बाद, दूसरी स्टेट्स में जाकर कार्य कर सकते हैं। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि उन लोगों में भी डिग्रेडेशन आने लगा है, जो चीज कि पहले जजों में नहीं थी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक्सटेन्शन देने से नुकसान भी होता है क्योंकि वे हायर स्केल में पहुंच जाते हैं। इनके बदले यदि जूनियर स्केल वाले रखे जायें, तो इससे गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा। अनुभव की वजह से उनको हटाया नहीं जा सकता है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि हर एक जगह पर जो काम करने के लिये बैठा दिये जाते हैं, तो वह कुर्सी उन से वह काम करा लेती है। किसी को कोई तजुर्बा नहीं रहता, मगर जब वह कुर्सी पर बैठ जाता है, तो वह अपना काम चला ही लेता है। इसके अलावा एक्सटेन्शन से, पेंशन में भी, मैं समझता हूं कि बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिये अगर एक समय निश्चित रहे रिटायरमेंट का, तो प्रावीडेन्ट फंड और पेंशन में भी काफी बचत होगी। हमारे नवयुवक जो विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, उनको यह देखकर कि जब तक सिफारिश नहीं होगी तब तक जगह नहीं मिलेगी, बड़ी चिन्ता होती है। कई लोग तो मेरे पास आये कि साहब पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरी सिफारिश कर दीजिये।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--सिफारिश वगैरह का जिक्र यहां नहीं करना चाहिये।

**श्री नरोत्तम दास टण्डन**--एक्सटेन्शन के लिये भी कोई न कोई बहाना निकल ही आता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि हमारे नवयुवक यह अनुभव करें कि जो कुछ सरकार कर रही है, वह उचित है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती सावित्री श्याम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर रेजोल्यूशन इस हाउस के अन्दर रखा।

**श्री सरदार सन्तोष सिंह** (नाम निर्देशित)--माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, श्रीमती सावित्री श्याम ने जो रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा है कि आफिसर्स को एक्सटेन्शन न दिया जाय, मेरी समझ में यह कुछ हद तक सही है। मगर मेरे ख्याल से इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिये। हमारी गवर्नमेंट जो फर्स्ट फाइव इयर प्लान के बाद सेकिन्ड फाइव इयर प्लान बनाना चाहती है, उसमें खास कर टेक्नीशियन्स की बहुत जरूरत है। हमारे देश के अन्दर इस वक्त इतने टेक्नीशियन्स नहीं हैं, इतने इन्जीनियर्स नहीं हैं, इतने इन्डस्ट्रियल मैन नहीं

[श्री सरदार संतोष सिंह]

हैं, जो फौरन काम को सम्हाल सकें। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के वास्ते गवर्नमेंट ने कुछ आदमी तैयार करने का इरादा किया है, वह कुछ दिन के बाद तैयार होंगे। अभी हमारे पास काफी तादाद में टेक्नीशियन्स नहीं हैं। लड़के जो स्कूल और कालेजेज में पढ़ते हैं, उनकी टेकनिकल एजूकेशन एक या दो वर्ष में नहीं हो सकती। इसके लिये कम से कम ५ या १० साल जरूर मिलने चाहिये। मैंने लड़कों को अक्सर देखा है, जो लड़के स्कूल कालेज से निकल कर आते हैं, उनको इन्डस्ट्री की ए० बी० सी० तक मालूम नहीं होती। स्कूल कालेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ायी जाती है, मगर उससे तजुर्बा नहीं होता। इससे ऐसे चान्सेज हैं कि गवर्नमेंट के रुपये का नुकसान हो। अगर वह गलत एस्टीमेट लगाते जावें तो लाजिमी तौर से गवर्नमेंट का नुकसान होगा और जिस काम को हम तरक्की देना चाहते हैं, उसमें कामयाबी न होगी। इसलिये मेरे ख्याल से टेक्नीशियन्स को एक्सटेन्शन मिलने की जरूरत है। इसे गवर्नमेंट के हाथ में ही छोड़ देना चाहिये। इसके लिये गवर्नमेंट पर बन्दिश न लगाना चाहिये। जब गवर्नमेंट यह समझे कि इन आदमियों की जरूरत है, तो उनको जरूर रखना चाहिये इसलिये मैं कहूंगा कि अपने मुल्क की तरक्की को मद्देनजर रख कर हमें यह ख्याल करना चाहिये कि किन किन डिपार्टमेंट्स में एक्सटेन्शन देने की जरूरत है। जिनमें एक्सटेन्शन देने की जरूरत है उनमें जरूर दिया जाय और जिन में जरूरत न हो, उनमें बिलकुल न दिया जाय। इसलिये मैं कहूंगा कि इस रिजोल्यूशन के मूवर ने इस बात को नहीं सोचा कि इस तरह का प्रस्ताव पास करने से हमारे मुल्क की तरक्की रुक जायगी। आजकल टेकनिकल लाईन की ओर इन्डस्ट्रियल लाइन में तरक्की करने की बड़ी जरूरत है, इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको यह रिजोल्यूशन वापस लेना चाहिये ताकि गवर्नमेंट के रास्ते में कोई रुकावट न हो।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि मैं श्रीमती सावित्री श्याम के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता। कई व्यक्तियों के भाषण सदन के सामने हुये और उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गुरु नारायण जी ने समर्थन किया, पन्ना लाल जी ने समर्थन किया और कहा कि खुशामद से एक्सटेन्शन मिलता है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देश का शासन एक प्रैक्टिकल चीज है, उस दृष्टि से विचार करना चाहिये। श्रीमती सावित्री श्याम ने जैसा कहा है ठीक है कि एक्सटेन्शन नहीं होना चाहिये। एक्सटेन्शन की सीमा कानून द्वारा नियत की गई है, परन्तु यह भी विचार करने की बात है कि ऐसे प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है। प्रस्ताव के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह कि सरकार इसको स्वीकार कर ले। ऐसा होता है कि सरकार ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह समझती है कि व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं होगा। दूसरा यह कि सदन के सदस्य सरकार का ध्यान उस खराबी की ओर आकर्षित करते हैं, जिसको वह समझते हैं कि शासन में मौजूद है। यह ठीक ही कहा गया कि एक्सटेन्शन केवल योग्यता के आधार पर नहीं मिलता। कभी-कभी तो ऐसे लोगों को एक्सटन्शन मिल जाता है- जो इसके योग्य नहीं होते, लेकिन वह खुशामद से ले लिये जाते हैं या और किसी तरह से पा जाते हैं। किसी अनुचित साधन से ले लिये जाते हैं जैसे यदि वे किसी अधिकारी के कृपा पात्र हुये तो उनको एक्सटेन्शन मिल जाता है। परन्तु एक ऐसी कठिन लकीर खींच देना कि एक्सटेन्शन किसी को मिलेगा ही नहीं, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है इससे शासन के लिये बड़ी कठिनाई भी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब से हम स्वतन्त्र हुये हमारे देश के बहुत से टेकनिकल पर्सनल कम हो गये और आज इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि जो आदमी मेहनत से काम कर चुका है उनको कुछ समय के लिये और रखा जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी स्थिति में उन्हीं लोगों को रखा जाय जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों। क्लेरिकल लाइन या दूसरे जो सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरा को एक्सटेन्शन दिया जाता है वह न दिया जाय। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनको एक्सटेन्शन न दिया जाय, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनके लिये केवल ५५ वर्ष के कारण

एक्सटेन्शन न देना यह अनुचित होगा। एक्सटेन्शन ऐसा न हो कि बिल्कुल ही न मिले परन्तु उसकी एक सीमा निर्धारित करनी चाहिये। एक्सटेन्शन ऐसे स्थानों पर मिले जहां बिल्कुल ही आवश्यक हो और वह भी योग्य आदमियों को ही दिया जाय। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में तो असमर्थ हूं क्योंकि इसके शब्द ऐसे हैं, जिनको स्वीकार करना कठिन है, परन्तु मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि श्रीमती जी ने शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। इसके और भी साधन हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, और सदन के मत की अवहेलना करती है और अयोग्य आदमियों को एक्सटेन्शन देती है, तो उसका उपाय आपके पास है। पहला साधन तो यह है कि हम कड़ी आलोचना कर सकते हैं और दूसरा यह है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं और भी ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा आप कह सकते हैं कि ऐसा करना देश के लिये हितकर न होगा। परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव करना अव्यवहारिक होगा। इससे किसी प्रकार का हित न होगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके कार्यान्वित करने में सरकार के लिये कठिनाई होगी। तो मैं यह समझता हूं कि श्रीमती सावित्री श्याम ने अपना कार्य कर दिया और अब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है और अब सरकार भी इस बात का ध्यान रखेगी कि जो खुशामद से या और किसी तरह से एक्सटेन्शन पा जाते थे, वह अब नहीं होगा।

**श्री बंशीधर शुक्ल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल ३ मिनट बाकी हैं और इसमें मैं अपना भाषण खत्म न कर पाऊंगा।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--जब इस संकल्प पर विवाद जारी हो तब आप अपना भाषण दीजियेगा।

कल नान आफिशियल बिल्स लिये जायेंगे और यह प्रस्ताव किसी दूसरे दिन लिया जायगा।

कौंसिल अब कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ५८ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक २० दिसम्बर, १९५५ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
१९ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

**परमात्मा शरण पचौरी,**
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

[देखिये प्रश्न २१ का उत्तर]

*List of Bundhies constructed by Irrigation Division, Mahoba since* 1946

## District Hamirpur

| Serial no. | Name of *bundhies* | | Total cost |
|---|---|---|---|
| | | | Rs. |
| | **Tehsil Hamirpur** | | |
| 1 | Bharwa Sumerpur | No. 1 | 29,729 |
| 2 | Ditto | 2 | 29,069 |
| 3 | Ditto | 3 | 29,960 |
| 4 | Ditto | 4 | 93,082 |
| 5 | Ditto | 5 | 6,000 |
| 6 | Ditto | 6 | 7,070 |
| 7 | Pachkhura Buzurg | | 82,927 |
| 8 | Tehra Bindhi | No. 1 | 47,064 |
| 9 | Ditto | 2 | 28,827 |
| 10 | Pandhri Bundhi | | 46,966 |
| 11 | Mehuna Bundhi | | 54,698 |
| 12 | Bhawania Bundhi | | 45,352 |
| 13 | Chandpura | No. 1 | 27,085 |
| 14 | Do. | 2 | 3,660 |
| 15 | Artara | | 91,144 |
| 16 | Ingotha | No. 1 | 76,379 |
| 17 | Do. | 2 | 17,000 |
| 18 | Bank | No. 1 | 6,632 |
| 19 | Do. | 2 | 13,300 |
| 20 | Belhari | | 37,977 |
| 21 | Nadhera | | 31,582 |
| | **Tehsil Mahoba** | | |
| 22 | Surha Bundhi | No. 2 | 50,000 |
| 23 | Gehra Bundhi | 2 | 10,000 |
| 24 | Ditto | 4 | 67,000 |
| 25 | Sichora | | 20,053 |

| Serial No. | Name of *bundhies* | | Total cost |
|---|---|---|---|
| | | | Rs. |
| 26 | Pura | No. 1 | 13,500 |
| 27 | Do. | 2 | 11,250 |
| 28 | Do. | 3 | 27,563 |
| 29 | Untia Bundhi | No. 1 | 8,242 |
| 30 | Ditto | 2 | 4,021 |
| 31 | Bari Bundhi | | 4,896 |
| 32 | Gohari Bundhi | No. 1 | 14,010 |
| 33 | Ditto | 2 | 3,502 |
| 34 | Baghwa Bundhi | No. 1 | 9,552 |
| 35 | Ditto | 2 | 3,059 |
| 36 | Ditto | 3 | 4,300 |
| 37 | Ditto | 4 | 5,220 |
| 38 | Ditto | 5 | 2,175 |
| 39 | Ditto | 6 | 5,000 |
| 40 | Ditto | 7 | 5,000 |
| 41 | Mochipura Bundhi | | 3,515 |
| 42 | Pehra Bundhi | No. 1 | 7,085 |
| 43 | Ditto | 2 | 6,000 |
| 44 | Ditto | 3 | 3,610 |
| 45 | Makarbai Bundhi | No. 1 | 9,368 |
| 46 | Ditto | 2 | 8,350 |
| 47 | Ditto | 3 | 9,826 |
| 48 | Tika Mau Bundhi | No. 1 | 7,771 |
| 49 | Ditto | 2 | 3,818 |
| 50 | Thana Bundhi | | 2,677 |
| 51 | Paswara Bundhi | No. 1 | 5,000 |
| 52 | Ditto | 2 | 2,846 |
| 53 | Damora Bundhi | No. 1 | 5,080 |
| 54 | Ditto | 2 | 3,645 |
| 55 | Chikhera Bundhi | No. 1 | 10,853 |
| 56 | Ditto | 2 | 10,854 |

| Serial no. | Name of *bundhies* | | Total cost |
|---|---|---|---|
| | | | Rs. |
| 57 | Chikhera Bundhi | .. .. 3 .. .. | 2,580 |
| 58 | Fatehpur Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 8,000 |
| 59 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 9,000 |
| 60 | Ditto | .. .. 3 .. .. | 5,522 |
| 61 | Chandu Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 3,600 |
| 62 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 8,400 |
| 63 | Ditto | .. .. 3 .. .. | 7,488 |
| 64 | Rihalia Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 2,218 |
| 65 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 3,400 |
| 66 | Mirtala Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 2,165 |
| 67 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 2,000 |
| 68 | Sijehari Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 2,594 |
| 69 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 4,200 |
| 70 | Tontia Bara Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 13,750 |
| 71 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 6,250 |
| 72 | Shri Nagar Bundhi | .. .. .. | 3,786 |
| 73 | Bilrahi Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 9,000 |
| 74 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 5,000 |
| 75 | Keimaha Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 5,750 |
| 76 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 9,200 |
| 77 | Ditto | .. .. 3 .. .. | 6,054 |
| 78 | Atrar Mauf Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 8,400 |
| 79 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 5,250 |
| 80 | Ditto | .. .. 3 .. .. | 3,506 |
| 81 | Atra Mauf | .. .. 4 .. .. | 3,506 |
| 82 | Ditto | .. .. 5 .. .. | 5,500 |
| 83 | Lewa Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 2,000 |
| 84 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 2,300 |
| 85 | Pipra Mauf Bundhi | .. .. No. 1 .. .. | 13,600 |
| 86 | Ditto | .. .. 2 .. .. | 10,500 |

| Serial no. | Name of *bundhies* | | Total cost |
|---|---|---|---|
| | | | Rs. |
| 87 | Pipra Mauf Bundhi | 3 | 9,000 |
| 88 | Ditto | 4 | 12,000 |
| 89 | Ditto | 5 | 15,000 |
| 90 | Ditto | 6 | 15,000 |
| 91 | Ditto | 7 | 9,000 |
| 92 | Ditto | 8 | 16,500 |
| 93 | Karra Bundhi | | 8,738 |
| 94 | Salyia Mauf Bundhi | | 6,320 |
| 95 | Nagara Dang Bundhi | No. 1 | 6,500 |
| 96 | Ditto | 2 | 5,000 |
| 97 | Indertha | | 7,806 |
| 98 | Chamura Bundhi | No. 1 | 4,735 |
| 99 | Ditto | 2 | 3,264 |
| 100 | Nirwara Bundhi | No. 1 | 8,150 |
| 101 | Ditto | | 10,000 |
| 102 | Khana Bundhi | No. 1 | 10,125 |
| 103 | Ditto | 2(*a*) | 2,840 |
| 104 | Ditto | 2 | 11,250 |
| 105 | Ditto | 3 | 11,700 |
| 106 | Ditto | 4 | 10,125 |
| 107 | Ditto | 5 | 5,880 |
| 108 | Jagatpur Ga | | 3,316 |
| 109 | Ghisahni | | 4,289 |
| 110 | Dhora | | 5,952 |
| 111 | Rawatpur Khalsa | | 8,881 |
| 112 | Ganj | | 3,750 |
| | **Tehsil Charkhari** | | |
| 113 | Bagron Bundhi | No. 1 | 10,000 |
| 114 | Ditto | 2 | 22,000 |
| 115 | Ditto | 3 | 9,000 |

| Serial no. | Name of *bundhies* | Total cost |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 116 | Bagron Bundhi .. .. 4 .. .. | 7,000 |
| 117 | Ditto .. .. 5 .. .. | 3,725 |
| 118 | Imalia Bundhi .. .. No. 1 .. .. | 25,000 |
| 119 | Ditto .. .. 2 .. .. | 7,522 |
| 120 | Ditto .. .. 3 .. .. | 10,000 |
| 121 | Karora .. .. .. .. .. | 6,751 |
| 122 | Jardin Ganj .. .. .. .. .. | 4,500 |
| 123 | Bhiloni .. .. .. .. .. | 3,422 |
| 124 | Bhado Dhoor Bundhi .. .. No. 1 .. .. | 3,878 |
| 125 | Ditto .. .. 2 .. .. | 1,930 |
| 126 | Kulpahar .. .. .. .. .. | 15,420 |
| 127 | Budi Pathari .. .. .. .. .. | 5,700 |
| 128 | Baura Bundhi .. .. .. No. 1 .. .. | 13,742 |
| 129 | Ditto .. .. .. 2 .. .. | 9,520 |
| 130 | Banwari Bundhi .. .. No. 1 .. .. | 24,000 |
| 131 | Ditto .. .. 2 .. .. | 24,000 |
| 132 | Ditto .. .. 3 .. .. | 12,600 |
| 133 | Konia .. .. .. .. .. | 10,248 |
| 134 | Chhatesar .. .. .. .. .. | 5,148 |
| 135 | Paharia Bundhi .. .. No. 1 .. .. | 12,000 |
| 136 | Ditto .. .. 2 .. .. | 5,000 |
| 137 | Ditto .. .. 3 .. .. | 10,000 |
| 138 | Rikhwaho .. .. .. .. .. | 9,488 |
| 139 | Tikaria .. .. .. .. .. | 3,583 |
| | **Tehsil Maudaha** | |
| 140 | Sirsi Khurd Bundhi .. .. .. .. | 75,251 |
| 141 | Chachehra .. .. .. .. .. | 49,565 |
| | **N. E. S. Block Maudaha Funds** | |
| 142 | Siloli Bundhi .. .. .. No. 1 .. .. | 22,000 |
| 143 | Ditto .. .. 2 .. .. | 8,782 |

| Serial no. | Name of *bundhies* | | | Total cost |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rs. |
| 144 | Chakchadha Bundhi .. | .. No. 1 .. | .. | 30,000 |
| 145 | Ditto .. | .. 2 .. | .. | 2,656 |
| 146 | Bighena .. .. | .. .. | .. | 25,000 |
| 147 | Naraich .. .. | .. .. | .. | 9,066 |
| 148 | Khandeh .. .. | .. .. | .. | 10,562 |
| 149 | Bhamai .. .. | .. .. | .. | 6,000 |
| 150 | Maudaha .. .. | .. .. | .. | 35,000 |
| | | Total Carried Over | .. | 20,13,173 |

*List of Bundhies constructed by Ken Canal Division, Band since* 1946

**DISTRICT HAMIRPUR**

**Tehsil Hamirpur**

| Serial no. | Name of *bundhies* | | | Total cost |
|---|---|---|---|---|
| | | Brought forward | .. | 20,13,173 |
| 1 | Banki Bundhi .. .. | .. .. | .. | 14,955 |
| 2 | Bakaul .. .. | .. .. | .. | 20,401 |
| 3 | Sumerpur Bundhi .. | .. No. 2 .. | .. | 12,956 |
| 4 | Pateora .. .. | .. .. | .. | 7,204 |
| 5 | Rigaura .. .. | .. .. | .. | 17,111 |
| 6 | Ingota .. .. | .. .. | .. | 3,475 |
| 7 | Artara .. .. | .. .. | .. | 3,653 |
| 8 | Sijwahi Bundhi .. | .. No. 1 .. | .. | 15,020 |
| 9 | Ditto .. | .. 2 .. | .. | 5,692 |
| 10 | Karahiya Bundhi .. | .. No. 1 .. | .. | 10,363 |
| 11 | Ditto .. | .. 2 .. | .. | 9,312 |
| 12 | Lilwahi .. .. | .. .. | .. | 16,152 |
| | | TOTAL | .. | 21,49,511 |

पी० एस० यू० पी०—१५३ एल० सी०—१९५६—७९५ (प्रो)

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२० दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई ।

## उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविंद सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डेय, श्री
राम लखन, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, बन व सहकारी मन्त्री)
श्री चरण सिंह (माल व परिवहन मन्त्री)

# प्रश्नोत्तर

## राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि की पुनर्प्राप्ति और अधिक अन्न उपजाने के लिये दी गई धनराशि।

१--श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि की पुनर्प्राप्ति और अधिक अन्न उपजाने के लिये कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

1. **Sri M. J. Mukerjea** (Legislative Assembly Constituency)--Will the Government be pleased to state the amount received by the Government of the State from the Government of India in connection with the First Five Year Plan for land reclamation and increase in the food production?

**श्री चरण सिंह** (माल तथा परिवहन मन्त्री)--राज्य सरकार को भूमि के उद्धार और अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से अब तक ९५०.२३१ लाख रुपये की धनराशि मिली है।

Sri. **Charan Singh** (Minister for Revenue and Transport)--State Government received a total sum of Rs. 950.231 lakhs so far from the Government of India in connexion with the First Five-Year Plan for land reclamation and increase in the food production.

**श्री एम० जे० मुकर्जी**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो केन्द्रीय सरकार से ९५०.२३१ लाख रुपये मिले हैं उसमें से कितना रुपया तराई के हिस्से में खर्च किया गया ?

**श्री चरण सिंह**--उसके अलग-अलग ब्रेकअप के लिये नोटिस की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपकी इजाजत से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इन जवाबों का उत्तर देने के लिये ठीक तरह से तैयार नहीं हो सका, क्योंकि मेरी तबियत कुछ खराब है। अगर माननीय मेम्बर ज्यादा तफसील में जवाब चाहें तो वे मेरे दफ्तर में आ सकते हैं।

**श्री एम० जे० मुकर्जी**--जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि उनकी तबियत खराब है तो मैं थोड़े से ही सवाल यहां पर पूछूंगा जिनका जवाब वे आसानी से दे सकें। अगर आप कहें तो मैं आपके आफिस में हाजिर हो जाऊंगा।

२--**श्री एम० जे० मुकर्जी**--राज्य सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि की पुनर्प्राप्ति के लिये उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में क्या कार्यवाही की ?

2. **Sri M. J. Mukerjea**--What action did the State Government take for land reclamation in different parts of Uttar Pradesh in connection with the First Five-Year Plan?

**श्री चरण सिंह**--उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में ट्रैक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि के उद्धार का कार्य किया गया और कुल २,८९,६८२.८९ एकड़ क्षेत्र का उद्धार किया गया है और ८,४५६ परिवारों को बसाया गया।

**Sri Charan Singh**--In different parts of U. P. land reclamation work was carried on large scale by tractors and a total area of 289,682.89 acres of land has been reclaimed and 8,456 families have been settled.

३—श्री एम० जे० मुकर्जी—क्या यह ठीक है कि भूमि-उपनिवेशन के लिये प्राप्त किये गये क्षेत्रों में एक क्षेत्र नैनीताल जिले का तराई का भाग भी है ?

3. **Sri M. J. Mukerjea**—Is it a fact that one the regions taken up for land colonization was the Tarai Area of Naini Tal District ?

**श्री चरण सिंह**—जी हां।

**Sri Charan Singh**—Yes.

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—कितने ऐसे रीजन्स हैं और किन-किन जिलों में बनाये गये हैं ?

**श्री चरण सिंह**—एक मेरठ में गंगा खादर की हस्तिनापुर कालोनाइजेशन स्कीम, दूसरी जिला अल्मोड़ा में दूनागिरि और तीसरी अफजलगढ़ की जिला बिजनौर में चल रही हैं।

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—इन सब जगहों पर क्या डिप्टी कालोनाइजेशन आफिसर और असिस्टेन्ट कालोनाइजेशन आफिसर मुकर्रर किये गये हैं ?

**श्री चरण सिंह**—बात यह है कि इसका सेटअप कई बार बदला है और यह कहना मुश्किल है कि पहले इस तरह के कालोनाइजेशन आफिसर्स थे या नहीं। इस वक्त गंगा खादर और अफजलगढ़ के लिये एक-एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हैं। नैनीताल जिले में जो कालोनाइजेशन का इलाका है उसका इन्चार्ज वहां का ए० डी० एम०. है और दूनागिरि चूंकि एक छोटी सी स्कीम है इसलिये हमने उसको अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया है।

४—श्री एम० जे० मुकर्जी—(क) क्या यह ठीक है कि राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त तराई क्षेत्र में भूमि-उपनिवेशन के कार्य की देख-रेख के लिये कोई पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इस पदाधिकारी के पद का क्या नाम था ?

4. **Sri M. J. Mukerjea**—(*a*) Is it a fact that some officer was appointed by the State Government to look after the colonization work in the above Tarai Area ?

(*b*) If so, what was the designation of that officer ?

**श्री चरण सिंह**—(क) जी हां।

(ख) तराई उपनिवेशन योजना के उप-संचालक के अवधान में यह योजना आरम्भ से लेकर नवम्बर, १९५३ तक चलती रही और उसके बाद से नैनीताल के अतिरिक्त जिलाधीश इस योजना का काम देख रहे हैं।

**Sri Charan Singh**—(*a*) Yes.

(*b*) Deputy Director of Colonization Tarai was in charge of this scheme since its inception till November, 1953, and thereafter the Additional District Magistrate, Naini Tal is looking after the scheme.

५—श्री एम० जे० मुकर्जी—(क) क्या सरकार एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें कि असिस्टेंट कालोनाइजेशन आफिसर, तराई एरिया, जिला नैनीताल द्वारा १ जनवरी, १९५१ से ३१ मार्च, १९५२ तक वितरित भूमि का विवरण हो और जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम और उसको दी गई भूमि का क्षेत्रफल भी हो ?

(ख) क्या यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति जिनको उपर्युक्त भूमि वितरण की गई वह इस पदाधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं जिसने कि भूमि वितरण की ?

5. **Sri M. J. Mukerjea**—(*a*) Will the Government be pleased to lay on the table a statement of land allotted by the Assistant Colonization Officer, Tarai Area, district Naini Tal, from January 1, 1951 to March 31, 1952 showing the names of the allottees and the area allotted to each of them?

(*b*) Is it a fact that some of the allottees of the above land are near relations of the officer who allotted the land?

**श्री चरण सिंह**—(क) सहायक उपनिवेशन, अधिकारी तराई क्षेत्र को भूमि प्रदिष्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया था और इसलिये उनके द्वारा कोई भूमि प्रदिष्ट नहीं की गई। इसलिये उनके द्वारा दी गई भूमि का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**Sri Charan Singh**—(*a*) The Assistant Colonization Officer, Tarai Area was not authorised to make any allotments and as such no allotments were made by him. The question of submitting a statement of land alloted by him does not therefore arise.

(*b*) The question does not arise.

६—**श्री एम० जे० मुकर्जी**—क्या यह ठीक है कि जिन व्यक्तियों को भूमि-वितरण की गई उनमें से एक श्री चुन्नी लाल धावन जिनको गंगापुर चमारन, तहसील किच्छा में ५० एकड़ भूमि १३ जनवरी, १९५१ को दी गई थी, जिनके विषय में कहा जाता है कि उनका देहान्त २० वर्ष पहिले हो गया था?

6. **Sri M. J. Mukerjea**—Is it a fact that one of these allottees Sri Chunni Lal Dhavan, who was allotted 50 acres in Gangapur Chamaran, Tehsil Kichcha on January 13, 1951 is said to have died 20 years ago?

**श्री चरण सिंह**—तराई उपनिवेशन क्षेत्र, जिला नैनीताल में इस नाम का कोई गांव नहीं है।

**Sri Charan Singh**—There is no such village in Tarai Colonization Area in Naini Tal district.

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ में कौन वहां पर डिप्टी कालोनाइजेशन आफिसर और असिस्टेन्ट कालोनाईजेशन आफिसर मुकर्रर थे?

**श्री चरण सिंह**—इसकी तफसील तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता हूं, लेकिन जिस आफिसर की ओर मेरे दोस्त का संकेत है और जिसकी कुछ चर्चा अखबारों में भी हुई थी, उसके सिलसिले में तहकीकात हो रही है।

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सवाल ६ में जिन साहब का नाम है, उनके नाम कोई एलाटमेंट हुआ है या नहीं?

**श्री चरण सिंह**—जवाब में यह दिया हुआ है कि वहां पर इस नाम की कोई जगह नहीं है।

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि श्री चुन्नी लाल धावन के नाम कोई एलाटमेंट हुआ है या नहीं?

**श्री चरण सिंह**—आपने सवाल नं० ६ में स्थान और उस व्यक्ति का नाम दिया है। तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि तराई के इलाके में तहकीकात करने पर यह मालूम हुआ कि इस नाम का कोई स्थान नहीं है, जब स्थान नहीं है तो एलाटी का पता भी नहीं मालूम हो सकता है। एलाटमेंट की सारी लिस्ट को नहीं देखा गया है। अगर आप चाहें तो वह भी देख लिया जायगा।

**श्री एम० जे० मुकर्जी**—मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे इसके बारे में अच्छी तरह से जांच कर लें?

**श्री चरण सिंह**—अगर मेरे दोस्त चाहते हैं तो जरूर जांच कर ली जायगी। लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जो आपको जगह बतायी गयी है वह गलत है, इसलिये हो सकता है कि उस व्यक्ति का नाम भी गलत हो।

७—**श्री एम० जे० मुकर्जी**—यदि प्रश्न संख्या ६ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जो कि ऐसे वितरण के जिम्मेदार थे?

7. **Sri M. J. Mukerjea**—If the answer to question no. 6 is in the affirmative, will the Government please state what action has been taken against the officer responsible for such allotments?

**श्री चरण सिंह**—यह प्रश्न नहीं उठता।

**Sri Charan Singh**—The question does not arise.

## चरु भूमि और घास के मैदानों का गांव के कागजातों में दर्ज न होना

*८—**श्री कुंवर महाबीर सिंह**—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि चरु भूमि और घास के मैदान गांव के कागजात में दर्ज नहीं होते हैं।

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे इन्दराज क्यों नहीं होते?

*8. **Sri Kunwar Mahabir Singh** (Legislative Assembly Constituency) [*Absent*] (*a*)—Is it a fact that the pasture lands and meadows are not entered in the village records?

(*b*) If not,why is it not so recorded?

**श्री चरण सिंह**—(क) जी नहीं। चरू भूमि और घास के मैदान के इन्दराजात खसरा और खतौनी दोनों में ही किये जाते हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**Sri Charan Singh**(*a*)—No. Entries of pasture lands and meadows are made both in the *khasra* and the *khatauni*.

(*b*)—This part of the question does not arise.

९—**श्री कुंवर महाबीर सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार उनको गांव के कागजात में दर्ज कराने के लिये कार्यवाही करने का है?

9. **Sir Kunwar Mahabir Singh**—Do the Government intend to take steps to get them entered in the village papers?

---

* प्रश्न सं० ८–९ श्री पूर्णा चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

श्री चरण सिंह--प्रश्न संख्या ८ (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता है ।

**Sri Charan Singh**--In view of the reply to question no. 8 (a) this question does not arise.

## निजी लारियां चलाने के लिये तीन माह तक का अस्थायी परिमिट दिया जाना

१०----श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार को ज्ञात है कि निजी लारियों को चलाने के लिये तीन महीने के लिये अस्थायी परमिट दिये जाते हैं और इस अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे फिर उसी अवधि के लिये नये सिरे से जारी कर दिये जाते हैं और यह प्रथा वर्षों पर्यन्त चलती रहती है ?

**10. Sri Badri Prasad Kacker** (Legislative Assembly Constituency) --Is the Government aware that temporary permits are issued for plying private lorries for a period of three months and on the expiry of the term they are again renewed for the same period and the procedure continues for years?

श्री चरण सिंह--जी हां, पर प्रादेशिक यातायात अधिकारियों को कुछ अस्थायी परमिट अधिक अवधि के लिये देने पड़े, क्योंकि स्थाई परमिट देने के सम्बन्ध में वे शीघ्र ही निर्णय नहीं कर सके ।

**Sri Charan Singh**--Yes, but renewal for longer periods have been given by the Regional Transport Authorities only in some cases where they could not come to a decision with regard to the grant of regular permits.

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--Is it a fact that permanent licence holders of lorries, when they fail to deposit licence fee on a certain date are turned into temporary licence-holders. ?

**श्री चरण सिंह**--I am not very sure. I would require notice for giving a definite and precise reply.

**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--Sir, what is the number of persons who have been given temporary licences this year?

**श्री चरण सिंह**--Sir, I do not think the Hon'ble Member expects me to be posted with such details as he would expect a clerk in the R. T. O.'s office at Allahabad.

११----श्री बद्री प्रसाद कक्कड़----क्या यह ठीक है कि इस प्रथा से लारियों के मालिकों को बहुत तकलीफ और अनावश्यक व्यय करना पड़ता है ?

**11. Sri Badri Prasad Kacker**--Is it a fact that this practice causes great hardship and unnecessary expenditure to the owners of the lorries?

श्री चरण सिंह----तकलीफ तो कुछ भी नहीं होती पर खर्चा कुछ अधिक पड़ जाता है । अगर अस्थायी परमिट न दिये जायं तो उनकी गाड़ियां बन्द हो जायं और उनको नुकसान उठाना पड़े ।

**Sri Chara Singh**--No hardship is caused but it does involve some extra expenditure which is made up by the fact that the vehicle

of the permit-holder does not become idle and continues to ply even in cases where the Regional Transport Authorities take sometime in taking decision regarding the grant of regular permit.

१२-१४ श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(प्रश्न संख्या १२-१४ का उत्तर १९-१२-५५ को प्रश्न संख्या ३०-३२ के रूप में दिया जा चुका है।)

## सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा लिये जाने वाले नये रास्ते

१५--श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--(क) क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज इस वर्ष नये रास्ते अपनाने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कौन से रास्ते ?

15. **Sri Badri Prasad Kacker** (*a*) Is it a fact that the U. P. Government Roadways is going to take up new routes this year ?

(*b*) If so, when and which routes ?

**श्री चरण सिंह**--(क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्य-वाही पूरी हो जाने पर नत्थी की हुई *सूची के अनुसार रास्ते लिये जायेंगे।

**Sri Charan Singh**—(*a*) Yes.

(*b*) As soon as the proceedings under the U. P. Road Transport Service (Development) Act are completed.

A list‡ of the routes to be taken over by the Roadways during the current year has been placed on the table.

१६--श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

१७--श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(अनुपस्थित) (स्थगित)।

१८-१९--श्री राम नारायण पान्डे (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(कृषि मन्त्री की इच्छानुसार दूसरे मंगलवार के लिये स्थगित)।

## जौनपुर में नये बस स्टेशन के लिये स्थान का चुनाव

†२०--श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में नया बस स्टेशन बनाने के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कहां ?

**श्री चरण सिंह**--(क) जी हां।

(ख) ग्राम शेखपुरा परगना हवेली में जेल के निकट रोडवेज का नया बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है।

†२१--श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्थित)--क्या उक्त स्थान के पास कोई शिक्षा संस्थायें स्थित हैं ?

---

*सूची के लिये देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ २६७ पर

‡See Appendix 'A' on page 263

† प्रश्न संख्या २०-२२ तक श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

**श्री चरण सिंह**--जी हां, उक्त स्थान के पास बी० आर० पी० कालेज, टी० डी० डिग्री कालेज तथा मांटेसरी महिला विद्यालय स्थित हैं।

†२२--**श्री हृदय नारायण सिंह** (अनुपस्थित)--(क) क्या उक्त स्थान पर बस स्टेशन बनाये जाने के विरोध में कुछ आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुये थे ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री चरण सिंह**--(क) जी हां।

(ख) उन आवेदन-पत्रों को सरकार ने विचार करने के पश्चात् नामंजूर कर दिया।

२३-२६--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--(स्थगित।)

२७-३०--**श्री कुंवर गुरु नारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(कृषि मंत्री की इच्छानुसार दूसरे मंगलवार के लिये स्थगित।)

## गांव सभा सकलडीहा, जिला बनारस के पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

**श्री चेयरमैन**--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने दी है। यह प्रस्ताव लम्बा बहुत है, लेकिन मैं इसे पढ़ देता हूं :--

"प्रदेश में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में गांव सभाओं के बहुतेरे रिटर्निंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसरों, पंचायत के इन्सपेक्टरों, पंचायत के मंत्रियों तथा प्रिसाइडिंग आफिसरों ने इतनी अनियमिततायें बरती हैं जिससे ऐसा अनुभव होता है कि शायद पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी नियम व कानून नहीं रह गया है।

१९ दिसम्बर, सन् १९५५ को बनारस जिले के सकलडीहा गांव सभा का चुनाव था जिसमें श्री मुन्नी लाल हरिजन तथा हरि प्रसाद गांव सभा के प्रधान पद के लिये उम्मीदवार थे। हरी प्रसाद के कुछ ऐसे समर्थक जो कि गांव सभा के सदस्य नहीं थे और दूसरी गांव सभाओं के सदस्य थे वे भी बैठक में शामिल हो गये। मुन्नी लाल हरिजन तथा उनके इलेक्शन एजेन्ट ने इस पर आपत्ति की और नियम के अनुसार उपरोक्त गांव सभा के भाग दो वाले सदस्य रजिस्टर से उपस्थित सदस्यों के मिलाने की मांग की। प्रिसाईडिंग आफिसर ने यह नहीं किया। साथ ही मुन्नी लाल के समर्थकों पर पुलिस द्वारा लाठी चलायी गई और सम्बन्धित बलुआ थाने के दरोगा जी घोड़े पर सवार थे, उन्होंने लोगों पर घोड़ा दौड़ाया जिससे कई लोग जख्मी हुये हैं। वहां का चुनाव भी अवैधानिक तौर से घोषित कर दिया गया।

वहां की परिस्थिति गम्भीर है। यह सार्वजनिक महत्व का तात्कालिक प्रश्न है। इस पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

एक तो यह प्रस्ताव बहुत लम्बा है, दूसरा यह निश्चयात्मक नहीं है और तीसरे इसका विषय स्थानीय है। अगर पुलिस की ज्यादती है, तो इसके लिये कानूनी मदद ली जा सकती है और इसके लिये कानूनी कार्यवाही इस विषय पर अधिनियम के अनुसार की जा सकती है। इस सदन को इस किस्म के मामलों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार है, यह मैं नहीं समझता। इसके लिये यदि माननीय सदस्य को इसकी ग्राह्यता के विषय में कोई विशेष बात कहनी हो, तो वह आप कह सकते हैं।

**श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--------माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसे सदन में लिये जाने का प्रश्न है, तो यदि कोई मैटर पब्लिक इम्पारटेन्स का हो, रिसेन्ट आकरेन्स का हो, तो इन बातों को ठीक समझ कर ही, उसी के सम्बन्ध में इस सदन में डिसकशन हो सकता है और उसमें यह भी देखना होता है कि उस मामले से सरकार का सम्बन्ध

है, तो केवल यह समझ कर कि इस मामले के लिये यह बहुत लम्बा एडजार्नमेंट मोशन है, मैंने उसके लिये डेफिनिट तारीख यानी १९ दिसम्बर देकर उसी दिन की घटना का जिक्र किया है। पुलिस की जिस तरह से ज्यादतियां हुई हैं और उस सम्बन्ध में जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या हम उसके लिये सदन में डिसकशन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि वहां घोड़े दौड़ाए गए, लाठी चार्ज हुआ इसलिए वहां शांति भंग होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में वहां की जनता में जो बेचैनी है उस पर विचार करने के लिए और मैं समझता हूं कि एक रीसेंट पब्लिक इम्पार्टेंस के मैटर पर विचार करने के लिए सदन को निश्चय ही तैयार होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण है जिससे इसे रिजेक्ट किया जा सके।

**श्री चेयरमैन**—मुझे अफसोस है कि इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ५२ जिलों में सैकड़ों थाने हैं कहीं भी मार-पीट हो सकती है, घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। ऐसी घटनाओं की जांच-पड़ताल यहां नहीं हो सकती। माननीय सदस्य यदि कोई अल्प सूचित प्रश्नों की सूचना दे दें और गवर्नमेंट पता लगा कर इस विषय पर सूचना दे देगी। उसके बाद वे जो कार्यवाही करना चाहें करें।

**श्री प्रभु नारायण सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट सवाल है और ऐसे इम्पार्टेन्ट सवाल पर यदि सदन में डिसकशन का मौका नहीं मिलता तो मैं इस प्रोटेस्ट में सदन की आज की कार्यवाही में भाग नहीं लेता।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश हिन्दू दत्तक व्यवस्था सुधार विधेयक

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Sir, I move for leave to introduce the U. P. Hindu Practice of Adoption Reform Bill, 1955.

**Sri Chairman**—The question is that leave be granted to introduce the U. P. Hindu Practice of Adoption Reforms Bill, 1955.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—Sir I beg to introduce the U. P. Hindu Practice of Adoption Reforms Bill, 1955.

## सन् १९५५ ई० का राष्ट्रीय झंडे के अनादर के निवारण का विधेयक

**श्री कुंवर गुरु नारायण**—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के राष्ट्रीय झंडे के अनादर के निवारण के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के राष्ट्रीय झंडे के अनादर के निवारण करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री कुंवर गुरु नारायण**—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं सन् १९५५ ई० के राष्ट्रीय झंडे के अनादर के निवारण करन के विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक

***श्री कुंवर गुरु नारायण**—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय।

---

*सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

श्रीमन्, मेरा विधेयक, भूदान यज्ञ का जो ऐक्ट है उसमें एक बहुत ही मामूली संशोधन चाहता है। लेकिन वह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, माननीय विनोबा भावे जी ने सबसे प्रथम इस देश में भूदान यज्ञ का विचार रखा।

(इस समय ११ बज कर २० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

यह विचार उनके हृदय में कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया और उन्होंने किन परिस्थितियों को हटाने के लिये यह भूदान का प्रचार करना शुरू किया, उसका भी एक मुख्य कारण है। सब से प्रथम जब कि हमारे देश में कम्युनिस्ट विशेषकर तेलंगाना में जब उनका एक बहुत भारी आन्दोलन चल रहा था तो उस समय विनोबा जी ने यह विचार किया कि यह जमीन की मांग और जमीन की जो भूख है अगर इसको किसी तरीके से अपने देश में रोकना है और इन कम्युनिस्टों को ऐसे कामों से बाहर करना है जिससे हमारे देश की हानि हो रही है तो उसका केवल एक ही उपाय हो सकता है और उस समय उन्होंने इस भूदान के विचार को देश के सामने रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि बिनोबा जी का यह भूदान का आन्दोलन बहुत काफी तेजी के साथ बढ़ा और उन्होंने काफी हद तक उन तमाम कम्युनिस्टों को जो एक आतंक पैदा कर देना चाहते थे रोका और उसका अच्छा असर फैला। लेकिन उसके बाद यह भी असर हुआ कि और भी इसका प्रचार बढ़ा और तमाम देश में भूदान के सम्बन्ध में चर्चा होने लगी और इसके फलस्वरूप हमने देखा कि बहुत कामयाबी भी इस सम्बन्ध में हुई। इसके बाद जमीन लोगों को देने में कुछ अड़चनें पड़ती थीं। बहुत से मौरूसी काश्तकार थे वह नहीं दे सकते थे इसलिये हर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस बात को मुनासिब समझा कि वह अपने प्रदेश में इस प्रकार के कानून बनावें, जिनके द्वारा जमीन आसानी से दी जा सके और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है हमारे इस भारतवर्ष में जिसने सब से पहले अपना कानून बनाया।

अब रहा यह प्रश्न कि भूदान किस हद तक रोक सकता है इस कम्युनिस्ट मिनेस को इसका अन्दाजा लगाना अभी से मुश्किल है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भूदान का जो आन्दोलन चल रहा है इससे कम्युनिस्ट मिनेस रुक जायगा क्योंकि अलावा उन तमाम मजदूरों के जिनके पास जमीन नहीं है हमारे इन्डस्ट्रियल लेबर के जो लोग हैं उनको भी जमीन चाहिये लेकिन जमीन का पूरा पूरा मिलना असम्भव सी बात है और दूसरे हमारे पास इतनी जमीन है ही नहीं जिससे हम आसानी से इसका वितरण कर सकें। अभी से यह निश्चित रूप से कह देना कि वह भूदान आन्दोलन कामयाब होगा या आगे चलकर वह पूरी तौर से सफल होगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। दूसरे मुल्कों में भी जमीन का वितरण किया गया, रूस वगैरह में जमीन का वितरण हुआ लेकिन वहां और भी सुविधायें लोगों को हासिल थीं जिनसे वह अपने रहन सहन का जीवन अच्छी प्रकार बिता सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी यह सब सुविधायें नहीं हैं। इसके साथ ही साथ यह भी है कि जो कुछ अभी कामयाबी हुई वह तो हम देख ही रहे हैं लेकिन बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जिनकी राय पर शक नहीं किया जा सकता है उनका ख्याल है कि भूदान यज्ञ से बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है।

**श्री चरण सिंह**--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, कुंवर गुरु नारायण केवल एक धारा में संशोधन चाहते हैं, सारे बिल में नहीं। इसलिये बिल के मेरिट्स डिमेरिट्स को डिसकस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय कुंवर गुरु नारायण अलिफ बे पे से क्यों शुरू कर रहे हैं। इस तरह से तो हाउस का वक्त खराब होगा।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--यह वक्त खराब करना नहीं है बल्कि यह एक जरूरी संशोधन है और इसलिये जो कुछ मैं कह रहा हूं वह रेलिवेन्ट है और अगर मैं इस तरह से न कहूं तो फिर यह होगा कि मैं कह दूं कि यह संशोधन हो और आप कह देंगे कि इसकी जरूरत

नहीं। इस तरह से तो डिबेट की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन इस संबंध में यह कहना कि रेलिवेन्ट नहीं है यह मुनासिब नहीं मालूम होता।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--आप अपने प्वाइंट पर आ जाइये।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--रेलिवेन्ट चीज पर वह क्यों रोकना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। हां, मैं यह जानता हूं कि आज मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन वह तो बैठे हैं, सुनने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं खुद ही अपने रेलिवेन्ट प्वाइंट पर आ रहा हूं।

जहां तक इस भूदान बिल के संबंध में बात है कि हमें अपनी क्या नीति अपनानी पड़ेगी तो आप देखें कि विनोबा जी ने कहा है कि भूदान द्वारा हम ५ एकड़ जमीन देंगे, लेकिन आप देखें कि जिनको जमीन न मिलेगी उनके दिल में रिवोलूशनरी विचार पैदा होंगे। बहुत से जंगल और चरागाह वगैरह की जमीनें इसमें चली जायंगी जिससे हमको नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही एक बिल हमारे सदन में आने वाला है जंगलों और चरागाहों की रक्षा के लिए। भूदान के सिलसिले में कानून जरूर था। लेकिन सवाल यह था कि उसे असिस्ट कर सकते हैं या नहीं, हमको उससे फायदा होगा या नुकसान। इस समय जो हमने विधेयक रखा है उसे खास तौर से इसलिए रखा है कि जो जमीन दी जाय पहले उसकी जांच होनी चाहिये कि वह जमीन ऐसी है कि जिससे काश्तकार लोग फायदा उठा सकते हैं या नहीं। इस संबंध में मैं तो यहां तक कहता हूं कि खुद माननीय चरण सिंह जी ने एडमिट किया है कि भूदान में जो जमीन आई है उसमें ७५ फीसदी जमीन ऐसी है जिस पर किसी तरह से काश्त नहीं की जा सकती है और फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास ऐसे आंकड़े हैं कि उस पर काश्त नहीं की जा सकती है और फिर आप देखें कि उन तमाम काश्तकारों को, जिनको जमीन दी जायंगी उनको वह तमाम सुविधाएं नहीं दी जायंगी कि जो जमीन को उपजाऊ बना सके, तो फिर इस तरह से केवल जमीन ही दे देने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। गवर्नमेन्ट लेवल पर हम उन्हें जमीन डेवलप कर के तो दे सकते थे, जमीन सुधार कर हम दे सकते थे, लेकिन वह भी नहीं किया जा रहा है। फिर काश्तकार उन जमीनों को किस प्रकार कल्टीवेशन के लायक बना पायेगा। इसलिए मैंने जो संशोधन रखा है उसका तात्पर्य यह है कि नया क्लाज "ए" उसमें जोड़ दिया जाय।

"*Clause* (a)—As soon as the Bhoodan declaration is filed with the Tahsildar, the Tahsildar shall order an expert enquiry into the nature of the land donated for Bhoodan and if he is satisfied as a result of the investigation that the land donated is totally unfit for agricultural cultivation, the Tahsildar shall straightaway reject the declaration."

और उसके बाद यह रहा।

And if as a result of the investigation under section 8-A Tahsildar is satisfied that the land donated is fit for agricultural cultivation...."

तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक अमेंडमेंट है इस ऐक्ट के लिये बहुत से लोग ऐसी जमीन दान में दे देते हैं जो किसी काम की ही नहीं होती है। उसको किसी उपयोग में लाया ही नहीं जा सकता है। बहुत से लोगों ने अपना नाम कमाने के लिये और अपनी कीर्ति पैदा करने के लिये ऐसी जमीन को भूदान यज्ञ में दे दिया क्योंकि वह किसी काम की तो थी ही नहीं और उनका नाम भी हो गया। ऐसी जमीन से न तो गवर्नमेंट का कोई फायदा होता है और न उसी व्यक्ति का फायदा होता है जिसको यह जमीन दी जाती है बिला वजह गवर्नमेंट को परेशानी उठानी पड़ती है और जिनको दी जाती है उनके भी किसी काम में नहीं आती है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि यह जो संशोधन मैंने रखा है वह बहुत ही आवश्यक हो गया है ऐसी हालत में जब कि

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

गवर्नमेंट और माननीय मंत्री जी का स्वयं कहना है कि अधिकांश जमीन जो भूदान में आई है वह इस काबिल नहीं है कि उसमें किसी किस्म की उपज की जा सके। यही बातें समझते हुए मैं यह संशोधन लाया हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

**श्री चरण सिंह**--श्रीमान् जी, अगर माननीय मित्र इस संशोधन के लाने के पहिले मुझसे मिल लेते तो उनको यह बिल लाने की आवश्यकता न पड़ती। यह बिल बिल्कुल गैर जरूरी है। ऐसी जमीन जो कि पाश्चर लैंड है या दूसरे सार्वजनिक कामों में आती है जैसे रास्ते वगैरह वह अगर किसी जमींदार के कब्जे में है, जमींदार तो अब रहे नहीं, अगर किसी भूमिधर के कब्जे में है या सीरदार के कब्जे में है तो उसको वह डोनेट नहीं कर सकता है। यह जो मैंने कहा था कि ७५ फीसदी जमीन नाकाबिल काश्त है जो कि भूदान में आई है। यह बात जुलाई सन् १९५२ से पहिले की है उस वक्त जमींदार ऐसी जमीनों के मालिक थे और उन्होंने धर्म कमाने के लिये, जैसा कि हमारे मित्र ने अभी कहा है, उन्होंने उसको दे दिया। अखबारों में उनका नाम भी निकल गया कि इतनी जमीन दे दी। लिहाजा अब जब कि जमींदारी अबालीशन हो गया तो ऐसी अनकल्टीवेटेड लैन्ड गवर्नमेंट में आ गई और गवर्नमेंट ने उसको गांव पंचायतों को दे दी। आज कोई शख्स ऐसी जमीन दे ही नहीं सकता है। यह बात तो पहिले हुई है। अब तो कोई दे ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की अनकल्टीवेटेड जमीन किसी आदमी के होल्डिंग में शामिल है और वह उसको देना चाहे तो ऐक्ट की दफा १२ में यह लिखा हुआ है कि ऐसी अनकल्टीवेटेड जमीन जो कि सार्वजनिक कामों के लिये हो अगर किसी के पास फर्जी तरीके से ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद आ गई हो और किसी ने गलत तरीके से पट्टा लिखा लिया हो तो गांव पंचायत उस जमीन को उस काश्तकार से सार्वजनिक कामों के लिये ले सकती है।

दफा १२ यह है--

"12. Notwithstanding anything contained in any law an owner shall not, for purposes of this Act, be entitled to donate the land falling in any of the following classes, namely :

(a) Lands which on the date of donation are recorded or by usage treated as common pasture land, cremation or burial grounds, tanks, pathway of threshing floor."

और भी सूरत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से दोहराना चाहता हूं कि इस तरह की जमीन, जिसकी आशंका है, वह १ जुलाई सन् १९५२ से पहले की है। आज कोई अपनी होल्डिंग्स की जमीन दे सकता है और होल्डिंग्स कल्टीवेटेड होती है। लेकिन अगर अनकल्टीवेटेड शामिल है और इन ५ अगराज में इस्तेमाल हो रही है तो वह डोनेट हो नहीं सकती है। इसलिये सवाल रह नहीं जाता है। यह पुरानी जमीन के मुताल्लिक आशंका थी और इस बिल का वास्ता उस जमीन से है नहीं। मैंने यह रख दिया है कि अगर कोई जमीन दे देता है तो भूदान डिक्लेरेशन कैंसिल हो जायेगा। अगर ऐसी जमीन को अपने खाते में कर लेता है या किसी को दे देता है तो गांव पंचायत को अख्तियार है कि वह उस जमीन को वापस करा ले।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--कौनसा सेक्शन है।

**श्री चरण सिंह**--११, १२ हैं और रूल्स आप देखें। मैं तो आगे के लिये कह रहा हूं वैसे अनकल्टीवेटेड लैन्ड हैं नहीं, अनकल्टीवेटेड वह जमीन है जो पहले दी जा चुकी है और इन ५ अगराज की जमीन को अगर भूदान में दे देता है तो

डिक्लेरेशन कैंसिल हो जायेगा। इसलिये डोनेट नहीं कर सकता। अगर माननीय मित्र मुझे एक चिट्ठी लिख देते तो मैं बता देता खामख्वाह किसी से बनवाया होगा और छपवाया होगा।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--ऐसा न कहिये।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--कोई हर्ज नहीं आप भी तो बनवाते हैं।

**श्री चरण सिंह**--मुझे तो बहस करनी पड़ती है। माननीय दोस्त ने किसी वकील से मशविरा लिया होगा। मैं तो ड्राफ्टमैन नहीं हूं। तीसरी बात, फर्ज कर लीजिए जरूरत है तो आप कहते हैं कि एक्सपर्ट इंक्वायरी हो। अब जमीनें काबिले काश्त हैं या नहीं इस बात की इनक्वायरी कौन करे। तहसीलदार या नायब तहसीलदार को तो एक्सपर्ट स कहा नहीं जा सकता है। इसके लिये तो स्वायल कैमिस्ट आयेगा वह कानपुर में रहता है और हर तहसील में एक या दो ऐसी जमीन आयेगी। वह टी० ए० लेगा और वक्त खराब करेगा फजूल खर्च की बात आप करना चाहते हैं। इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--आप ने फरमाया कि बहुत सी जमीन है उसका क्या इंतजाम किया गया। कौन सेक्शन है।

**श्री चरण सिंह**--रूल्स बने हुए हैं उसमें यह है कि गांव पंचायत को दरख्वास्त दी जाय और अगर भू-दान में है तो वह कैन्सिल हो जायेगी।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--कहां कहां ऐसा हुआ है?

**श्री चरण सिंह**--मैंने इनक्वायरी नहीं कराई है। चौथी बात यह है कोई डिक्लेरेशन करता है और फर्ज कीजिए कि होल्डिंग अनकल्टीवेटेड है तो उसकी नोटिस गांव सभा को जाती है।

इसी सेक्शन ८, ९ में हैं। ग्राम समाज का प्रधान आकर कह देगा कि यह जमीन तो हमारे तालाब की है, रास्ता है, या खलिहान है। इसलिये उसमें डर नहीं है। माननीय कुंवर साहब ने एक चौड़े मैदान में दौड़ लगाई थी। कहते हैं कि कम्युनिस्ट मीनेस को भूदान रोक नहीं सकेगा। रोकने का कोई सवाल नहीं। जहां तक भूदान का ताल्लुक है बहुत अच्छी चीज है। अब रहा किसी की जायदाद लेने का तो उसके तीन तरीके हैं--एक कलम से, दूसरे तलवार से और तीसरे दिल पर हाथ रख कर। जहां तक कलम का सवाल रहा वह तो हमारे मित्र कुंवर साहब बिल से ही कर लेना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि इसमें कोई अंदेशा नहीं होना चाहिये। मुझे दूसरे सूबों के मुताल्लिक नहीं मालूम है, अगर वहां कम्युनिज्म आया भी, जो किसी हालत में नहीं आ सकता, तो भी वह गंगा पार ही रह जायेगा। हमारे यू० पी० के देहातों में आज कम्युनिस्टों के पास कोई काम नहीं रह गया है सिवाय थोड़े से मजदूरों के और थोड़े से बच्चों के जो स्कूल के हैं, उनको थोड़ा सा गुमराह कर लें। मैंने पहले कहा था कि कम्युनिस्ट अगर दूसरे सूबे में आ जाय तो गंगा के पार ही खड़ा रहेगा। इसलिये कुंवर साहब को डर नहीं होना चाहिये। हम कुंवर साहब के ऐसे दोस्त हैं जो उनकी मरजी के खिलाफ उनकी भलाई के लिये कानून बनाते हैं। इसलिये कुंवर साहब जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट की छत्रछाया में हैं तब तक उनको डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुंवर साहब विचार करें तो देखेंगे कि इस बिल की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर गुरु नारायण जी ने जो बिल रखा है उसको देखने से मालूम होता है कि कि कुंवर साहब को कम्युनिस्ट लोगों से बड़ा अंदेशा है। वह देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। कुंवर साहब भूल में हैं। किसी विचारधारा को कानून के जरिये रोक नहीं सकते। कुंवर साहब कहते हैं कि नयी सूझ निकलती है बिनोवा जी के इस भूदान से, लेकिन एसी बात नहीं है। यह भूमि हमारी माता है और माता सबको समान समझती है और माता सबकी रक्षा करती है, कोई एक व्यक्ति माता को चाहे तो अपना नहीं सकता। कम्युनिस्ट विचारधारा को हम रोकें तो कैसे रोकें। महाभारत में लिखा है कि ध्यान करना, जप करना बुरा नहीं है। उसी तरह से दूसरे का धन हरण करना बुरा नहीं है। लेकिन उस धन के हरण करने में हमारा उद्देश्य अच्छा हो। जो दान देता है या दान करता है वह एक प्रेरणा से करता है, जबरदस्ती उससे दान नहीं कराया जाता। बिनोवा जी का आगे उद्देश्य क्या है? यह समझने की बात है। वह तो हृदय के परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि भाई हमें हृदय का परिवर्तन करना है। हृदय का परिवर्तन तभी होता है जब कि मनुष्य के हृदय में कोई प्रेरणा स्वतः पैदा होती है। यह प्रेरणा किसी की सहायता से प्राप्त नहीं होती है बलिक स्वतः ही मनुष्य के हृदय में पैदा होती है। यह आन्दोलन भी उसी तरह का है जैसा कि एक समय में असुरों ने यहां के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य कर लिया था तो उसी तरह से बिनोवा ने एक आन्दोलन चलाया जिस तरह से उन असुरों के आधिपत्य से राज्यों को छुड़ाने के लिये चलाया गया था। बिनोवा जी ने भी दान मांग कर अपना आन्दोलन चलाया। इसका कारण भी यह है कि यह पृथ्वी तो किसी एक की नहीं है बलिक सब की माता है तो इसमें किसी एक का आधिपत्य हो नहीं सकता और जब कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्रान्ति होती है और इस तरह की क्रान्तियां यहां हुई हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब का जो संशोधन है वह अनावश्यक है। आज जिनके पास अधिक भूमि है उनको स्वतः ही नहीं छोड़ देनी चाहिये बलिक उनके पास जो अच्छी भूमि है उसको दान में दे देना चाहिये।

*श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--डिप्टी चेयरमैन महोदय, जहां तक कुंवर साहब के बिल का ताल्लुक है मैं खुद ही यह समझता हूं कि इसको लाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इस माने में जो पहिले का बिल है उसमें इसकी सभी मौलिक बातें आ जाती हैं। लेकिन इस सदन में इस बिल के बारे में जो बहस का रूप हुआ है वह मेरा ख्याल है कि उसका शायद ही इस बिल से कोई ताल्लुक हो। कम्युनिज्म को रोका जाय या न रोका जाय, वह अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसके बारे में काफी किस्म की रायें यहां पर जाहिर की गयी हैं। मेरा ख्याल है कि इस सवाल को इस नजरिये से पेश करना है कि बिनोवा जी जो कुछ कर रहे हैं वह कम्युनिज्म को रोकने के लिये कर रहे हैं ठीक नहीं हैं। मैं खुद बिनोवा जी और कम्युनिज्म के मूल सिद्धांत में कोई ज्यादा फर्क नहीं पाता हूं। अभी जो कुछ आनरेबिल मिनिस्टर महोदय ने कहा है उससे यह पता चलता है कि उनको कम्युनिज्म रोकने की बड़ी भारी फिक्र है। मैं आपके जरिये उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जहां तक इन विचारों का प्रभाव है तो आज हर एक मुल्क में इसके बारे में ख्यालात बदल रहे हैं और जहां तक कम्युनिज्म का ताल्लुक है वह भी जमाने को देखते हुए बदल रहा है। चूंकि इन मुल्कों के साथ आज हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अन्दर भी ख्वाहिश है कि इनके साथ अच्छी दोस्ती रहे तो यह नजरिया पेश करना मुझे माकूल नहीं मालूम पड़ता है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध किया नहीं।

जो इस बिल के अन्दर बातें हैं वह मौलिक तरीके से आप के दूसरे बिल के अन्दर मौजूद हैं। चूंकि यहां पर जो बातें कही गयीं हैं उनके लिये मुझे इन नजरिये से कहना पड़ा, वरना जो कुंवर साहब का अमेंडमेंट इस बिल में है वह जरूरी नहीं है। मैं कुंवर साहब से यह भी दरख्वास्त करूंगा, वैसे इसको कहने की जरूरत नहीं है, कि बिनोवा जी को जो जमीन मिली है वह दान में मिली है और किसी से जबरदस्ती नहीं ली गयी है। यह भी सही है कि जमीन तीन तरह से मिल सकती है और सरकार इन तीनों को इस्तेमाल कर रही है। एक तो हृदय का परिवर्तन करके, दूसरा कलम के जोर से और तीसरा कलम के पीछे जो फोर्स है उससे भी ली जा सकती है। वैसे अकेले कलम की ताकत काफी बड़ी होती है।

लखनऊ में जो आंकड़े बताये गये हैं उनसे मालूम होता है कि कितने हजार एकड़ जमीन आयी है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के ऊपर जो बहस का रूप यहां पर कायम हो रहा है वह ठीक नहीं है और जो भाषण हो रहे हैं उनको मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। यह कोई कम्युनिज्म का ग्रीफ नहीं है, कम्युनिज्म तो एक इन्टरनेशनल फोर्स है। हिन्दुस्तान में सोशलिज्म लाने का जो तरीका है वह अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि यह किया जाय कि कम्युनिज्म से किसी प्रकार से लड़ाई की जाती, अगर ऐसा किया जाता तो मुल्क की फिजा खराब हो जाती है।

**श्री चरण सिंह**--बिलकुल भी खराब नहीं होती। आप तो छुई मुई बनाये हुए हैं।

**श्री गोविंद सहाय**--मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि आपके कहने से फिजा नहीं खराब होती। खैर मुझे इसके बारे में कोई मुगालता नहीं है। इस बात को आप खुद मानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही इसको काफी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वह अपरोच ज्यादा मुनासिब नहीं है। यहां पर मेरा कोई प्रोवोक करने का ख्याल नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि श्री बिनोवा जी की जमीन लेने की जो पालिसी है वह अच्छी है और उससे काफी अच्छा वातावरण पैदा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि इसके बारे में कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और इस बहस को यहीं पर छोड़ दिया जाय तो अच्छा है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की सब से बड़ी बदकिस्मती यह है कि इसको मैंने मूव किया है, सरकार की तरफ से यह नहीं आया है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि पास्चर लैंड या ऐसे लैंड जिन पर तहसीलदार के जरिये कोई रोक लगायी जा सकती है, नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो परती जमीन है उसका क्या होगा। खैर अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। यह एक मासूम सी बात है कि अगर आप इस बिल को पास कर देते हैं तो जो आफिसर वगैरह हैं वे इस कार्य को करने के लिये अधिक सतर्क हो जायेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर जमीन की जांच कर ली जाय तो उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जो आप का तरीका है या जो आपकी पालिसी है उसके यह विपरित नहीं है। इससे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई उसूली बहस छेड़ दी जाय। चूंकि यह सीधा मामला मैंने देखा, इसलिये यहां रख दिया और हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच पड़ताल करा लीजिए। आपके जो एक्सपर्टस होंगे, वे ऐसे नहीं बुलाये जा सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि एक्सपर्टस की जांच इस तरह से हो सकती है, कि तहसीलदार और गांव के जो सभापति हैं या जो लोग वहां पर इस संबंध में खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनकी जांच करके आप पता लगाइये और तब इसे नामंजूर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी बात नहीं है कि जिस मसले पर आपत्ति उठाई जाये। यह मेरा अमेंडमेंट है, इसे माननीय मंत्री जी मान लें।

**श्री चरण सिंह**--श्रीमन, माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो कुछ कहा है, तो उनको कुछ गलतफहमी है और एक ही नहीं दो गलतफहमियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक गलतफहमी तो यह है कि मैंने यह बहस छेड़ी, लेकिन मैंने नहीं छेड़ी बल्कि कुंवर गुरु नारायण साहब ने छेड़ी। उस समय मैंने कहा था कि क्यों आप दौड़ लगा रहे हैं, तो इसमें उसूली बात नहीं है। जब हम ऐक्ट बना चुके हैं, तो ऐक्ट की पालिसी जो कुछ भी है, हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट मीनेस भू-दान के लिये किया गया था, तो वह उसे कर सके या नहीं, इसमें संदेह है। उन्होंने उस वक्त उठ कर प्वाइंट आफ आर्डर उठाया कि ऐक्ट में जो इस तरह से बात हो गई है, वे उसे दूर करें। जब मैंने यह एतराज किया तो माननीय गोविन्द सहाय जी ने यह बात कही।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र).--उस समय ये थे नहीं।

**श्री चरण सिंह**--दूसरी गलतफहमी यह है कि मैं कम्युनिज्म के खिलाफ हूं, तो श्रीमन् सभी को यह कहने का अधिकार है कि वह किसी चीज के खिलाफ में है या फेवर में और माननीय प्रधान मंत्री जी की जो राय हैं, तो उन पर उनकी राय की पाबन्दियां बतौर प्रधान मंत्री के हैं। पोलिटिकल में या इसी तरह के मामलों में किसी की भी कुछ राय हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के मामले में जरूर उनकी राय का हम सभी से संबंध हो सकता है। फारेन रिलेशन की कोई बात मैंने नहीं कही। माननीय प्रधान मन्त्री जी की रूस, चीन और अमेरिका के साथ जो विदेशी पालिसी है या उनके जो फारेन रिलेशन्स हैं तो उसका संबंध यहां नहीं है, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की और प्रधान मंत्री की बात है। इसके साथ ही दूसरी बात यह भी है कि रूस और चीन के साथ हमारे कैसे ही विदेशी रिलेशन क्यों न हों, लेकिन उनकी जो पोलिटिकल आइडियोलोजी है, हमने इसको स्वीकार कर लिया है कि उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद चीन जाकर कहा कि उनकी राजनीति अलग है, वह उनको मुबारक हो और हमारी राजनीति अलग है, वह हमें मुबारक है। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के जो अपने विचार हैं, मैंने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। वह तो इन्डीविजुवल लिबर्टी की बात है। एक बात यह भी है कि जहां तक इन्टरनेशनल फोर्स का सवाल है, हमें उस सम्बन्ध में आंख मूंदकर नहीं चलना है, बल्कि उनके जो गुण हैं, वे हम को ले लेने हैं। जितनी आज खराबियां हैं और जहां तक कुंवर गुरु नारायण जी के वर्ग का सवाल है और दूसरी बातें है तो उस सम्बन्ध में हमें ठीक से कार्य करना है। श्रीमन्, मुझे कम्युनिज्म में दो एतराज हैं, एक तो यह कि वह तलवार की बात करते हैं अर्थात् वाइलेन्स की बातें वे करते हैं और दूसरा कन्सेन्ट्रेशन आफ यूनिट्स की बात वे करते हैं। बड़े फार्म हों, बड़ी फैक्टरीज हों, यही वे चाहते हैं और मैं इसको उचित नहीं समझता हूं, इसलिये खिलाफ हूं। जहांतक छोटे यूनिट्स का सवाल है, उनमें हमारा अपना मतभेद है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--यह अपना मतभेद नहीं है।

**श्री चरण सिंह**--जो उसे उस तरह से नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दूसरी तरह से रेवोल्यूशन किया। अब रही मेरिट्स की बात, श्रीमन्, पता नहीं आप को याद है या नहीं, माननीय गोविन्द सहाय जी तो उस वक्त नहीं थे इस लिए उन्होंने मुझ पर आक्षेप किया कि तुम ने यह सवाल क्यों उठाया? लेकिन बात यह है कि सवाल तो कुंवर साहब ने उठाया और मैंने जवाब दिया। अभी, श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि जो जमीन पहले इस तरह की दी जा चुकी है उसके कैंसिल करने का भी अधिकार इस ऐक्ट में है और वह दफा १३ मौजूद है। जो जमीन बन्जर, पशुचर, श्मशान, कब्रिस्तान, रास्ता या खलिहान के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो उसके लिए दफा १३ में मौजूद है कि उसकी लिस्ट तहसीलदार नहीं बनायेगा क्योंकि यह जमीन गांव सभा में जानी चाहिए थी और आगे के लिए जो जमीन किसी की होल्डिंग में है वही वह दे सकता है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि इसको कैसे होना चाहिए। लेकिन बात तो यह है कि

उनका कहना है कि बकरी के तीन टांग तो होनी ही चाहिये। इसलिए मैं इसको अपोज करता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

## प्रस्ताव कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूख-हड़ताल निवारण विधेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूख-हड़ताल निवारण विधेयक को एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय जिसके निम्नलिखित ९ सदस्य हों--

१--डाक्टर ईश्वरी प्रसाद।
२--श्री हृदय नारायण सिंह।
३--श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी।
४--डाक्टर बीर भान भाटिया।
५--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद।
६--श्री परमात्मा नन्द सिंह।
७--श्री ज्योति प्रसाद गुप्त।
८--श्रीमती सावित्री श्याम।
९--श्री कन्हैया लाल गुप्त।

श्रीमन्, जो यह भूख-हड़ताल को रोकने के लिए मेरा विधेयक है वह इस सदन के लिए कम से कम कोई नई चीज नहीं है। सन् १९५४ ई० की शायद तीसरी अप्रैल को इस सदन ने एक इसी आशय का प्रस्ताव पास किया है जिस में यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थान हैं उन स्थानों पर भूख हड़ताल रोकी जाय और इसके साथ ही साथ रिलीजस या उससे सम्बन्धित जो उपवास हैं उन्हें एग्जम्प्शन दिया गया है। यह जो मेरा विधेयक है इस को मैंने इसी लिए रखा है कि चूंकि यह सदन इस से पूर्व इसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर चुका है, लिहाजा यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में भी एक विधेयक लाऊं। मैं समझता हूं कि एक बहुत इम्पर्टोनेन्ट क्वैश्चन किया जा सकता है कि यह हमारे फन्डामेन्टल राइट्स का इनफ्रिन्जमेन्ट तो नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर हम एक और भी प्रश्न इसी तरीके से करें कि आज जब कि भूख हड़ताल हमारे देश में और इस प्रदेश में एक न्यूसेन्स वैल्यू होगई है तो कोई शक नहीं है कि आज जब कि हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है तो हम इस पर फिर से विचार करें। जहां तक फास्ट करने का सम्बन्ध है वह बिल्कुल ठीक है कि कोई शख्स किसी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर या सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिये फास्ट कर सकता है लेकिन आज हम देखते हैं कि यह हंगर स्ट्राइक एक ऐसा अस्त्र हो गया है जिसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और खास तौर से महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग इस तरह से फास्ट करना शुरू करते हैं कि सारा वातावरण क्षुब्ध हो जाता है। मैं इस सदन के मेम्बरान से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस विधेयक पर विचार करते हुये उनकी कोई सेन्टीमेन्टल एप्रोच न हो बल्कि आज की परिस्थिति देखनी चाहिये और उस समय की परिस्थिति क्या थी इस पर भी विचार करना चाहिये। महात्मा गांधी जब फास्ट किया करते थे तो उस समय जो फास्ट करने का हक था वह केवल उन्हीं तक सीमित था और किसी दूसरे को बिना आज्ञा के फास्ट करने की इजाजत नहीं थी। बिना आज्ञा के कोई हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकता था।

यह कहा जाता है कि फास्ट करने का अधिकार जो है वह डेमोक्रेसी में एक सही बात है, जिसको हमें अपनाना चाहिये लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग पाते हैं और जब यह देखते हैं कि वह लोग गांधियन फास्ट पर तो विश्वास करते हैं लेकिन गांधी आइडियालाजी पर विश्वास नहीं करते हैं तो उनको यह हक नहीं है कि वह इसे इस्तेमाल कर सकें। महात्मा गांधी की कभी भी इस तरह की भूख हड़ताल नहीं थी। उनका ध्येय हृदय को परिवर्तन के लिये होता

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

था। गांधी जी जब फास्ट करते थे तो लोग मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में उनके जीवन के लिये प्रार्थना करते थे, लेकिन आज जब हंगर स्ट्राइक होती है तो वह अखबारों में छप जाती है, फिर हेल्थ बुलेटिन्स निकलना शुरू हो जाते हैं और तमाम नारमल लाइफ पैरालाइज हो जाती है। आज होता क्या है? अगर कोई लड़का पढ़ता नहीं है और उसका रेस्टीकेशन हुआ तो वह फास्ट शुरू कर देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यह भी मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे भी फास्ट हैं जिन पर कुछ नहीं कहा जा सकता है जैसे आन्ध्र में हुआ था और जैसे बंगाल में ११४ दिन का फास्ट हुआ था। लेकिन इस फास्ट का दुरुपयोग इतना हो रहा है कि एक स्टेज आती है, जब गवर्नमेन्ट के लिये यह जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कार्यों की रोकथाम करे। गांधी जी ने जब एक बार फास्ट किया था, तो उन्होंने लार्ड लिनलिथगो को लिखा था कि हम यह फास्ट अपने तक ही रिजर्व रखते हैं और किसी दूसरे को नहीं देते हैं। तो वह समय दूसरा था। आज हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है और हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम क्या करें कि जिससे हमारे प्रदेश में जो न्यूसेन्स फैला हुआ है, उसको रोक सकें।

हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर छोटे-छोटे आफिसर्स जो हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हर शख्स इसकी निन्दा करता है लेकिन कोई ठोस कदम इसको रोकने का नहीं उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है और एक स्टेज वह जरूर आती है कि जिस स्टेज पर सत्याग्रह को जरूर रोका जाय। इसलिए मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करूंगा कि इसे जरूर रोके और जब फास्ट का दुरुपयोग होने लगे तो उसे अवश्य रोके। आज गांधी जी के नाम पर ज्यादातर लोग फास्ट का दुरुपयोग करते हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था तो हमारे समाजवादी मेम्बर लोग और राजा राम शास्त्री जी ने कहा था कि हमने अपने जीवन में एक अस्त्र फास्ट का पाया है उसे हम कैसे छोड़ दें। हां, मैं भी समझता हूं कि फास्ट में पोटेनशियलिटी है, बहुत बल है, उससे हृदय शुद्ध होता है। लेकिन आज आप देखें कि उसका आब्जेक्ट ही बदल गया है। आज हमें वरचूज नहीं मिलती हैं, जो महात्मा जी में थी। विदेशी सरकार के सामने फास्ट करना एक दूसरी चीज थी। लेकिन आज देश आजाद हो गया है। अगर हम गवर्न-मेन्ट को हटाना चाहते हैं तो हम अपने वोट से हटा सकते हैं। वोट हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जिसके सामने कोई भी सरकार नहीं रुक सकती है, हम उसे हटा सकते हैं। तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि फास्ट आज अपनाया जाय।

आप २१ अप्रैल, १९४६ का महात्मा जी का लेख देख लीजिये जिसको उन्होंने हरिजन अखबार में निकाला था, एक क्रटिक ने उनसे कहा कि यह जो फास्ट आप करते हैं उससे वायलेन्ट मेथड्स इस्तेमाल होने लगते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर पड़ती है। यह जरूर है कि महात्मा जी ने उसे अपने ऊपर लिया। यह प्रश्न स्वयं महात्मा जी ने किया और फिर उसके ऊपर उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा कि

" I have had the temerity to claim that fasting is an infallible weapon in the armoury of satyagraha. I have used it myself, being the author of satyagraha. Anyone whose fast is related to satya-graha should seek my permission and obtain it in writing before embarking on it. If this advice is followed, there is no need for framing any rules at any day in my life-time."

(From the 'Harijan' dated 20-4-1946)

तो इससे इस बात का संकेत बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलता है कि भूख-हड़ताल हृदय परि-वर्तन के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में यह जरूरी है कि हम इसको रोकें। महात्मा जी का यह कहना था कि फास्ट का लास्ट मेजर होना चाहिये लेकिन आज हम उसको उल्टा देखते हैं कि फास्ट -- पहले शुरू किया जाता है। यह मैंने

पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अनशन करना रेलीजियस मामले में या अपने प्योरिफिकेशन में बहुत जरूरी चीज है। लेकिन जिस प्रकार आज सत्याग्रह होती रहती है उसे अगर रोका न गया तो देश को बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि इससे जो दूषित नीति फैलेगी, उससे कुछ अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। मैं तो यह चाहूंगा कि यह जो विधेयक मैंने इस समय रखा है, उसके ऊपर गवर्नमेन्ट विचार करे। इसमें अगर कोई रिलीजस परपजेज के लिये या सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिये फास्ट करता है या प्राइवेट जगह में करता है तो उसके लिये यह कानून नहीं होगा। यह तो उसके लिये होगा कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों में अपना मोटिव हासिल करने के लिये फास्ट करता है तो वह गलत चीज है और उसे हमको रोकना चाहिये। चूंकि इस भवन में इसी आशय का एक प्रस्ताव पास हो चुका है इसलिये मैंने यह समझा कि इसके लिये एक विधेयक लाया जाये और इसको कानूनी बना दिया जाये। मैंने जो विधेयक रक्खा है तो मैं यह नहीं कहता हूं कि यह हर तरह से पूरा है। मैंने तो यह प्रस्ताव किया है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये और वह उसकी जांच करे और जांच करने के बाद जो तब्दीली करना चाहे वह कर सकती है। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और हुकूमत इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चीज को उचित समझते हैं तो इसके लिये हिम्मत से काम लीजिये नहीं तो मैं यही समझता हूं कि आप में हिम्मत नहीं है काम करने की।

अगर सरकार किसी चीज को दिल से महसूस करती है तो उसको साफ-साफ रूप में करना चाहिये। गांधी जी ने भी फास्ट किया था। उन्होंने विदेशी सत्ता को हटाने के लिये फास्ट किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं उसी के खिलाफ फास्ट करता हूं जिसको कि मैं समझता हूं कि मैं उसका हृदय परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन आज जो तरीका निकला है वह बिल्कुल ही दूसरा तरीका है। पहिले ऊंचे उद्देशों को लेकर के फास्ट किये जाते थे। आजकल बिल्कुल मामूली बातों को लेकर फास्ट किया जाता है। आज जब कि हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें देश में रहने देना उचित नहीं मालूम पड़ता है। हमारे यहां का नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये। वह नैतिक स्तर अभी ऊंचा नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए देश में एक हेल्दी ऐटमासफियर क्रियेट करने के लिये यह जरूरी है कि इस तरह की कोई चीज लाई जाये। गवर्नमेन्ट को इसको स्वीकार करना चाहिये। जेल में फास्ट करने पर दफा ३०९ लागू किया जा सकता है। इसी तरह से कलकत्ते में एक मैजिस्ट्रेट ने एक आदमी को कनविक्ट किया था, जो कि फास्ट अन टु डेथ कर रहा था। इस तरह के फास्ट करने के माने तो साफ तौर पर सूसाईड करना है। आज जब कि हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं ऊपर पहुंचने के लिये अगर हमारे खिलाफ किसी किस्म की ज्यादती होती है तो फिर फास्ट करने के क्या माने होते हैं। इसको खतम करने के लिये हमको मजबूत कदम उठाना चाहिये और जो विधेयक मैंने रक्खा है, उसके लिये एक प्रवर समिति बैठाली जानी चाहिये और इस तरह के फास्ट बन्द कराये जाने चाहिये।

*श्री पन्ना लाल गुप्त——माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बिल भाई कुंवर गुरु नारायण जी ने रक्खा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह तो एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को स्वतः प्राप्त है। जो यह समझे कि यह गलत चीज की गई है वह उसका प्रतिकार करे और इसके लिये एक रास्ता गांधी जी ने अपनाया था। वह एक बहुत बड़े आदमी थे और इसीलिये बड़ी चीज के लिये फास्ट भी किया करते थे। अब अगर आज उसी फास्ट को लड़के अपने मकसद के लिये करते हैं, जब कि उनको किसी चीज से वंचित किया जाता है या उनको किसी प्रकार का धक्का लगता है तब वह इसको करते हैं। उनके इस राइट को भी कानून के द्वारा छीन लेना तो उचित नहीं मालूम होता है। क्योंकि जिस आदमी की आत्मा में धक्का लगता है तो उसको राईट मिल जाता है। कानूनी तौर से यह भी है कि अगर कोई आमरण अनशन करता है तो सरकार उसको जेल

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

भेज देती है और उसको बाई फोर्स खाना दिया जाता है, हमने भी अनशन किया था और हमको भी पनिश किया गया था और बाई फोर्स खाना खिलाया गया था। राईट उसका है जब उसकी आत्मा को धक्का लगता है तब वह अनशन के लिये अपने को तैयार कर पाता है। अगर एक टाईम का खाना छोड़ देते हैं तो मुसीबत हो जाती है। फिर खाना छोड़ना मामूली बात नहीं है।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**---आपने हमारे पहले प्रस्ताव का समर्थन किया था अब क्यों विरोध करते हैं मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

**श्री पन्ना लाल गुप्त**---वह दूसरा मौका था और अब दूसरी बात है। किसी के राईट को इस तरह से क्रश करना मैं उचित नहीं समझता और न मेरी समझ में आता है। आप गांधी जी का नाम लेते हैं उनके नजरिये तक न आप पहुंच सकते हैं और न हम पहुंच सकते हैं। वह पहले लिखा पढ़ी करते थे उसके बाद प्रार्थना करते थे और सब कुछ करने के बाद जब कोई चीज बाकी नहीं रह जाती थी और समझते थे कि मुल्क का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है तब अनशन करते थे और आज कल लड़के भी सब कुछ करते हैं वह भी प्रार्थना करते हैं जलूस निकालते हैं और फिर आखिरी हथियार काम में लाते हैं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**---स्त्रियां भी रूठ जाती हैं और घर में अनशन करती हैं।

**श्री पन्ना लाल गुप्त**---अगर होटल और हलवाई न हों तो मियां को खाना नहीं मिल सकता। यह जो कुंवर साहब का सवाल है मैंने लखनऊ यूनीवर्सिटी में देखा, लड़कों ने अनशन किया और बाद में उनको मालूम हुआ कि वह गलती पर हैं उन्होंने उसको छोड़ दिया। यही इलाहाबाद में हुआ वह जब महसूस करते हैं कि गलती पर हैं तो गलती को मान लेते हैं। अगर अनशन पर कानूनी बंदिश लगा दी जाय तो मैं कुंवर साहब से पूछूंगा कि जमीन्दारी अबालिशन जब हुई थी तो उनको हिम्मत क्यों न हुई कि वह अनशन करते। वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों गये?

**श्री कुंवर गुरु नारायण**---आप का जब घर छिनता है तो आप भी मुकदमेबाजी करते हैं।

**श्री पन्ना लाल गुप्त**---जब आप मुकदमेबाजी से डरते हैं तो दूसरों पर मुकदमा चलाते क्यों हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का बिल लाकर उनकी भावना पर बंदिश लगाना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। लड़के या औरतें जो अनशन करते हैं वह अपनी डिमान्ड के लिये करते हैं। उनकी आत्मा में जब विश्वास होता है तब वह अनशन के लिये तैयार होते हैं मामूली बात पर कोई भी अनशन के लिये तैयार नहीं होता है। १०, १५ दिन का अनशन मामूली बात नहीं है। जब तक आत्मा में ठेस न लगे तब तक अनशन के लिये कोई तैयार नहीं हो सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर गुरू नारायण जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसके सिलसिले में जो उद्देश्य उन्होंने अभी-अभी बतलाया कि मैं नहीं समझता कि कोई भी सदन का सदस्य बहुत बड़ा उससे मतभेद रखेगा जहां तक उनके मकसद का इससे ताल्लुक है। लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद और इसके सिलसिले में जो समर्थन के संबंध में यहां बातें कही गईं मैं आपकी इजाजत से इस सदन के सामने उनसे अपने इख्तलाफों का इजहार करना चाहता हूं। गांधी जी ने इस हथियार को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्होंने पहली दफा इस हथियार का ईजाद किया, लेकिन उन्होंने एक

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

व्यापक तरीके से इसको अपनाया और लोगों की नजर में लाये कि यह भी इंसान के पास एक ऐसी चीज हो सकती है जो काफी कारगार हो सकती है किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिये। इसको उन्होंने जब समझ पाया तो अपने जीवन के अन्दर कई जगह इसका इस्तेमाल किया।

अगर गांधी जी के पूरे जीवन पर नजर डालें तो मालूम होगा कि दक्षिण अफरीका के समय से अपने जीवन के दिन पूरे करने तक नाना प्रकार से इस हथियार का इस्तेमाल किया और करीब-करीब हमेशा कामयाब हुए। शायद इसको जब उन्होंने राजकोट में इस्तेमाल किया, तो उसमें भी कामयाबी हुई। लेकिन जहां तक बाहर के लोगों का संबंध है, उसूलन जो उन्होंने विश्वास किया था वहां पर वह गलती खा गये। यह सब होते हुए, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं अपने जीवन में जो कुछ कर रहा हूं वह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई यूनीवर्सिटी या लेबोरेटरी के अन्दर कोई रिसर्च करता हो। उनके हर फास्ट के अन्दर कोई न कोई चीज नयी मालूम होती है। यह प्रश्न कि किसी को फास्ट करने दें या न करने दें, अहम है। यद्यपि यह एक छोटे से बिल के रूप में इस सदन के सामने आ गया है लेकिन इस प्रश्न के ऊपर विचार करते समय हमें ख्याल रखना चाहिये कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का यह प्रश्न है न कि उतने ही क्षेत्र का जिसकी ओर कुंवर साहब ने इशारा किया है।

आज तक हमारा देश बराबर उस भविष्य की कल्पना करता रहा जिसके अन्दर हमारे नागरिकों की विचारधारा पूरी तरह से ओतप्रोत होगी। हमारे फकीर के दिए हुए सिद्धांतों से जिसको हम राष्ट्र पिता कहते हैं, उसकी जीवन शैली को हम देखें, उसने हमें यही बतलाया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य चाहे सामाजिक रूप में हो या राजनैतिक अथवा किसी भी क्षेत्र में हो, वह पूरा हो सकता है तो इसी प्रकार से पूरा हो सकता है जब हम आत्मदर्शन कर सकें, हम अपने को पहिचान सकें और असलियत को जान सकें। उस असलियत को जानने में सारी बातें आ जाती हैं ज्यादातर वह आध्यात्मिक बातें आ जाती हैं, जिनकी तरफ अभी तक हम ध्यान नहीं देते हैं।

मनुष्य अपने जीवन का अभी तक आत्म उत्थान करता आया है बाहरी बातों से प्रभावित होकर। अभी तक वह इन बातों को सीख नहीं पाया है कि आन्तरिक तरफ भी देखें। पहले वह अन्दर की तरफ देखे फिर अपने जीवन का निर्माण करे। आज हमारे अन्दर यह विचार धारा नहीं आई है। जब हम महात्मा गांधी की बातें सोचते हैं तो यह सोचते हैं कि उन्होंने हमको आजाद किया और उन्होंने हमें जीवन को ऊंचा करना सिखाया है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि गांधी जी की ये बातें बहुत उच्च हैं बजाय उस नयी शैली के जो कि हमारे रोज के जीवन में आने वाली हैं। वह यह है कि हमारे जीवन में हर चीज आन्तरिक आवाज पर होनी चाहिये।

गांधी जी के किसी भी फास्ट को ले लीजिए, उन के पूना वाले फास्ट को ले लीजिए, या उनके मुहम्मद अली साहब के घर पर किए गए हिन्दू-मुस्लिम एकता के फास्ट या राजकोट वाले फास्ट को ले लीजिए अथवा जो उन्होंने सन् १९४२ में अहमदनगर फोर्ट में किया था, उसको ही ले लीजिए। अगर शुरू से लेकर आखिर तक उनके वृतान्त को डिटेल में पढ़ें तो हमें साफ नजर आयेगा कि वे सभी फास्ट आन्तरिक आवाज की वजह से थे। उनका उद्देश्य हमेशा यही था कि वे नहीं चाहते थे कि फास्ट के जरिये से कोई काम करा लेंगे या सरकार से कोई काम करा लेंगे अथवा उनके चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनसे ही कोई काम करा लेंगे बलिक वे तो अपनी आत्म शुद्धि के लिये फास्ट करना चाहते थे जिससे कि लोग उनकी बातों को मानें। हमने हर एक बार देखा कि ऐसा ही हुआ भी है। उनकी आत्म शुद्धि हुई है और उन की आवाज में वह बल आया, जो पहले नहीं था।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आखिरी अनशन उन्होंने दिल्ली में किया और जिसकी वजह यह थी कि हिन्दू लोग मुसलमान भाइयों के प्रति वे अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे थे, जो कि उनको नहीं करना चाहिये था और जिनकी वजह से गांधी जी को दुख हुआ। उन्होंने हजारों बार कहा, वे नोआखाली गये और अपने संध्या सभाओं में भी कहा कि हिन्दुओं को ऐसा नहीं करना चाहिये और चूंकि मैं हिन्दू हूं इसलिये मैं उनसे पहले कहता हूं। इसके बाद भी दिल्ली में फिर मुसलमानों की लाशें दिखाई पड़ने लगीं और फिर मजबूर हो कर गांधी जी ने अनशन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो दिल्ली आग की भट्टी बनी हुई थी वह चन्द दिनों में शान्त हो गयी। वह इस लिये नहीं कि उनका प्रभाव था और जबरदस्ती लोगों ने उसको माना बल्कि हमें मानना चाहिये कि जो लोग मारने वाले थे वे अपने हथियार छुरे और तलवारें लेकर गांधी जी के सामने आ गये और उन के सामने पटक दिया। मैं इसको पोलिटिकल आबजेक्टिव के लिए फास्ट नहीं कहूंगा बल्कि मैं यही कहूंगा कि वह फास्ट तो आत्म शुद्धि के लिये था। वह आत्म शुद्धि इसलिये करते थे जब कि वे यह देखते थे कि मेरी आवाज में अब कोई जोर नहीं है इसलिये वह फास्ट करते थे ताकि वह ताकत मिल जाय और लोग मेरी बातें मानें। समय की कमी है और मैं इस पर काफी बोलना चाहता था। इसमें ऐसे पहलू हैं जिन पर घंटों विचार किया जाय तो भी कम है। मेरा इतना समय नहीं है।

यह बात ठीक है कि जो फास्ट का तरीका आजकल इस्तेमाल हो रहा है वह गलत तरीका है और वह ज्यादा भी बढ़ गया है इसलिये हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। कुंवर साहब का जो उद्देश्य है उसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। हमें उसको जरूर बन्द करना चाहिये लेकिन बुनियादी तौर पर मैं उनसे एख्तलाफ रखता हूं कि हम इस बिल के जरिये से इसको बन्द करें। मेरा ख्याल है कि हर इंसान चाहे वह बड़ा हो या छोटा लेकिन ईश्वर की ताकत हर एक को बराबर सुनाई पड़ सकती है। ईश्वर ने जो चीज सब को बराबर की दी है वह आन्तरिक आवाज है और वह राजा के पास भी है, विद्वान के पास भी है, गरीब और बत्तर से बत्तर इंसान के पास भी है तथा हर एक के पास बराबर है। हर शख्स के लिये ऐसे मौके आ सकते हैं जब वह महसूस करे कि आज जो कुछ हो रहा है, उसके आस-पास, उसके समाज के प्रति या उसके देश के प्रति तो उसके निराकरण करने का उस का भी एक कर्त्तव्य है, चाहे उसकी ताकत कम हो लेकिन वह निराकरण कर सकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश का यह आदर्श होना चाहिये कि हर शख्स और हर नागरिक यह अनुभव करे कि किसी भी चीज का निराकरण करने का एक महान तरीका आत्म शुद्धि है। आत्म शुद्धि एक बहुत ही बड़ा और अच्छा उपाय है, इसको अपनाने से देश एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है।

महात्मा गांधी एक बहुत ही प्रगतिशील विचार धारा के व्यक्ति थे। जिस समय वे हजारों गोरों के बीच में थे और उनको एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में से लात मार कर निकाल दिया गया था, तो उन्होंने फुटपाथ पर सत्याग्रह किया और जब वहां से भी उनको निकाला गया, तब भी उन्होंने सत्याग्रह करना नहीं छोड़ा। ऐसे मौके सभी इंसानों के जीवन में आ सकते हैं, जब इस बात की जरूरत हो सकती है कि वह निराकरण करे और किसी बाहरी चीज से अपनी आत्म शक्ति का आवाहन करे और आत्म शक्ति का उस मिकदार में आवाहन करे जिस मिकदार से उसकी आत्म शुद्धि हो। आत्म शुद्धि का एक मात्र उपाय यहीं है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस उपाय को छोड़ नहीं सकते हैं।

जिस तरह मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह हवा में सांस ले और पानी पिये, उसी तरह से वह इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस बात को

मानता हूं कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिये। यही एक ऐसा उपाय है जिससे हम मनुष्य की विचार धारा को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। यह एक मौलिक बात है लेकिन हम इसकी वास्तविकता को भूल जाते हैं और इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। हम महात्मा गांधी के इस उद्देश्य को मानकर देश को काफी ऊंचे स्तर पर उठा सकते हैं। आज हमारे जवाहर लाल जी इस दिशा में देश को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बिल के जरिये इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। आज आप यह भी देख रहे हैं कि जहां पर यह चीज गलत तरीके से इस्तेमाल होती है वहां पर लोगों को उन हड़ताल करने वालों के साथ सहानुभूति बहुत ही कम होती है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़कों की हड़ताल के बारे में देखा होगा कि आम जनता को उसके प्रति बहुत ही कम सहानुभूति थी। जिस प्रकार से पहिले जनता की सहानुभूति हुआ करती थी, उस हद तक अब नहीं होती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पहले हमारे यहां देश में यह एक तरह की रीति थी वह अब खत्म हो गयी है। जिस तरह से हमारा कैरेक्टर ठीक-ठीक होता जायेगा और उससे हम ठीक तरह से बंध जायेंगे, तो उस जाने में यह गलत बात भी उचित तरीके से जा सकती है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि हर हालत में हंगर स्ट्राइक गलत है।

आज स्वराज्य हो जाने पर भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हो सकती है। अब तो हमें हंगर स्ट्राइक की तादाद ज्यादा करने की आवश्यकता है और इस ज्यादा तादाद करने में फर्क इतना ही है कि आज जिस प्रकार से किया जा रहा है, वह गलत है। वह उसी तरह से किया जाना चाहिये, जिस तरह से गांधी जी करते थे। उन्होंने उसके कुछ सिद्धान्त भी बतलाये हैं, "एज ए लास्ट रिसोर्स" हंगर स्ट्राइक होना चाहिये और उसमें अन्तरात्मा की आवाज होनी चाहिये। यदि ईश्वर कहे कि तुम इसे करो, तभी उसे हंगर स्ट्राइक करना चाहिये। वह किसी और चीज के लिये न किया जाना चाहिये बल्कि आत्मशुद्धि के लिये किया जाना चाहिये। यदि इस तरह से हंगर स्ट्राइक किया जायेगा, तो इससे हमारे समाज की दशा सुधरेगी और इस तरह से हमें बहुत सी पुलिस और फौज की या कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारा बहुत सा खर्चा भी बच जायेगा। हंगर स्ट्राइक बन्द करने के बजाय, मैं तो इसका प्रचार चाहता हूं और वह ईश्वर द्वारा दी हुई आवाज की शक्ल में ही हो। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह बिल जो लाया गया है, मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि जिस कमेटी का निर्देश कुंवर साहब ने किया है, उस कमेटी के जरिये से भी यह किसी शक्ल में लागू किया जा सकेगा, जिससे कि यह हंगर स्ट्राइक दूर किया जा सके।

जहां तक ला के प्राविजन का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह इस वक्त भी है। ला के अन्दर प्राविजन इस समय भी है और मैं वैसे कोई वकील नहीं हूं और ला के प्राविजन को उतना नहीं जानता हूं। लेकिन इस तरह के कई इंस्टान्सेज हैं और मेरे जिले में ही पुलिस होने के बावजूद भी वहां व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी, जब कि मेरे एक दोस्त ने हंगर स्ट्राइक किया था। जब मैं वहां के जिले के अधिकारियों से बात करने गया, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि हम इस तरह से इस आदमी को, इस ला के मातहत गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल भेज सकते हैं, इससे मेरा केवल मतलब इतना ही है कि जो प्राविजन हम चाहते हैं, वह तो पहले से ही है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हंगर स्ट्राइक जो कोई भी करता है, उससे हर एक को कुछ सिम्पथी सी हो जाती है और पुलिस को यह डर होता है कि यदि उनके खिलाफ इसे गिरफ्तार किया गया या जेल भेजा गया, तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके प्रति लोगों की सिम्पैथी बढ़ने से, फिजा खराब होने का डर लगा रहता है। इसलिये पहले से, प्राविजन होते हुए भी, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि कुंवर साहब का प्राविजन कर दिया जायेगा, तो

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

भी यही बात रहेगी। जब तक समाज के अन्दर प्रापर एजुकेशन और अन्डरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक ऐसे प्राविजन के होते हुए भी उसको आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिये मेरा ख्याल है कि हमें इससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा।

एक बात यह भी सोचने की है कि हंगर स्ट्राइक पोलिटिकल मोटिव के लिये भी की जाती है। मैं कहता हूं कि हंगर स्ट्राइक के लिये मोटिव अच्छा होना चाहिये और जैसा गांधी जी ने सिद्धान्त बतलाये हैं, उन्हीं के अनुसार वह किया जाना चाहिये। इसके लिये मनुष्य का उद्देश्य ऊंचा से ऊंचा होना चाहिये और छोटी-छोटी बातों में या इस तरह के उद्देश्य में हंगर स्ट्राइक नहीं किया जाना चाहिये। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो आत्म-शुद्धि है और इससे बड़ा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम पूर्णतया निराकरण करें, मैं नहीं समझता कि यह उचित होगा।

**श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर गुरु नारायण जी ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है, वास्तव में वह एक गंभीर विधेयक है और गंभीर विषय को लिये हुए है। इसमें भी कोई संशय नहीं कि कुंवर साहब ने जो उदगार इस विषय में प्रकट किये हैं वह भी सराहनीय है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने भी कहा, सदन का कोई सदस्य भी ऐसा नहीं जो कुंवर साहब के इन उदगारों की सराहना न करें और उनके उद्देश्यों से भी सहमत न हों। परन्तु देखना यह है कि वह उद्देश्य जो कुंवर साहब पूर्ण करना चाहते हैं वह इस विधेयक से पूरा भी होता है या नहीं। इस विधेयक के संबंध में व्याख्यान करते हुए कुंवर साहब ने महात्मा गांधी के शब्दों को पढ़ा तब मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। शायद कुंवर साहब ने उन पर ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया। वह हर काम बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं, पता नहीं इस पर उन्होंने उतनी गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया। जो कुछ वह पढ़ रहे थे, उसकी अन्तिम लाइन यह थी कि "नाट एनी रूल्स एन्ड स्पेशली विधइन माई लाइफ" उनके रूल्स कोई भी हो सकते क्योंकि वह इस चीज को मानते थे कि इस चीज को कराने के लिये कोई साक्षात गुरु उपस्थित होना चाहिये। भूख हड़ताल इतना सरल हथियार नहीं है जिसको प्रत्येक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर बैठे। जैसे आज भी बहुत सी ऐसी विद्यायें मौजूद हैं जो बिना उपयुक्त गुरु के नहीं सीखी जा सकतीं। मैं और विद्याओं का क्या जिक्र करूं जितनी भी क्रियात्मक विद्यायें हैं वह कभी भी दफ्तर में बैठ कर या क्लास रूम के जरिये से नहीं सीखी जा सकतीं। मैं छोटी सी चीज का नाम लेता हूं, सायकिल का कितना ही अच्छे से अच्छा चलाने वाला अगर लेक्चर के जरिये से सायकिल सिखाना चाहे तो नहीं सिखा सकता। तो फिर इतने गंभीर प्रश्न पर हम इतनी सरलता से कैसे काबू पा सकते हैं। जो इतना गंभीर प्रश्न है कि शरीर से ही नहीं आत्मा से संबंध रखता है उसको हम इतनी सरलता से कैसे हल कर सकते हैं।

जिस समय मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर गुरु नारायण जी का व्याख्यान सुन रहा था, उस समय महात्मा जी का वह अनशन मुझे याद आया जो उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिये जेल में किया था। मैं किसी कारण से उस समय इलाहाबाद में था। व्यक्तिगत घटना थी, उसको मैं छोड़े देता हूं। यह वह दिन था जब महात्मा गांधी के और प्रकार के जीवन की तैयारी की खबर प्रति दिन अखबार में छपती थी और जब वायरलेस से इंगलैन्ड को यह खबर भेजी गयी थी कि महात्मा गांधी अब किसी हालत में भी नहीं बच सकते तो जो विशेषज्ञ अंग्रेज डाक्टर था जब उसने यह डिक्लेयर कर दिया कि यूर्रानयन शरीर में उपस्थित हो जाने के पश्चात् आज तक एक व्यक्ति भी संसार में ऐसा नहीं हुआ जो बच रहा हो। इसलिये यह असंभव है कि महात्मा गांधी बच सकें। इस लिये इंगलैन्ड से इंस्ट्रक्शन्स जारी हुई कि महात्मा गांधी की चिता जलाने के लिये चन्दन की लकड़ी और बाकी सब सामान तैयार किया जाय।

तो लगभग चिता तैयार कर दी गयी थी। जब चारों तरफ यह वातावरण उत्पन्न हुआ तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि महात्मा जी स्वस्थ होने लगे और डाक्टरों ने खुद कहा कि यह कोई मिरेकिल हुआ। महात्मा गांधी जी के अन्दर से अब यूरेनियां खत्म हो रहा है और बिना दवा के खत्म हो रहा है। मैं चूंकि उसमें दिलचस्पी रखता था इसलिये विस्तार से मैंने उसको पढ़ा था। आत्म शुद्धि सरकार के विधेयकों द्वारा नहीं हो सकती है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर अच्छी तरह से विचार करें और आत्म शुद्धि के क्षेत्र में ऐसे इस विधेयक न लावें। आज जो अनशन का क्षेत्र है वह मिल के मजदूरों का है, हमारे स्कूल और यूनीवर्सिटीज का भी है।

आज ही इस सदन के सदस्यों ने पढ़ा होगा, कल से अखबारों में आ रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन विद्यार्थियों ने भूख-हड़ताल की थी और जिन्होंने हमारे राज्य के गवर्नर महोदय का पिछले कान्वोकेशन में अपमान किया था तथा वाइस चांसलर का पिछले अक्तूबर में अपमान किया था उन्होंने ही यह प्रस्ताव पास किया है कि हमारी यह भूल थी कि हमने गवर्नर महोदय का अपमान किया और हम यह प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने गल्ती की थी उनको क्षमा कर दिया जाय और उनको इम्तिहान देने को इजाजत दी जाय। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपमान करने में प्रमुख भाग लिया था। यह वह तरीका है जिस तरीके से इस तरह के अनशन रोके जा सकते हैं। अगर विधान होता तो शायद इतने सरल तरीके से न रोक सकते। कोई यूनीवर्सिटी या कोई स्कूल या कोई समाज चोरी नहीं सिखाता, कोई बुरी बात नहीं सिखाता परन्तु यह बन्द नहीं होती है और इसका कारण यह है कि यह इसलिये बन्द नहीं होती है कि हम उन्हें कानून के द्वारा सजा के जरिये से बन्द करना चाहते हैं। अगर बन्द करने के लिये ऐसे तरीके अपनायें जावें जो महात्मा गांधी ने अपनाये थे तो मेरा विचार है कि बहुत कुछ सफलता मिल सकती है।

भूख-हड़ताल जिसका जिक्र कुंवर साहब ने किया है, जिसको हम सब बन्द करना चाहते हैं, वह शरीर भूख से ही नहीं, मन से ही नहीं, आत्मा से भी संबंध रखती है। भूख-हड़ताल करने वालों का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह खुद तकलीफ पावें। वह तकलीफ पाने को तैयार नहीं होते और न उनको यह अन्दाजा होता है कि हम कितने दिन भूखे रह सकते हैं, फिर भूख हड़ताल के साथ-साथ और भी तरीके अपनाये जाते हैं जो नहीं होने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी का नाम तो दूर रहा हम सब जो मामूली आदमी हैं हमारी समझ में यह आता है कि ऐसी चीजें कानून के द्वारा बन्द नहीं हो सकती हैं बल्कि उनका असर बढ़ सकता है। इसलिये मैं उनके उद्देश्य से सहमत होते हुए भी उनसे निवेदन करूंगा कि इस चीज के लिये कानून न बनवावें और एक बात और भी मानते हुए कि पिछले अवसर पर यह प्रस्ताव पास हो चुका, उस समय यह बात आई थी कि इस संबंध में सरकार कोई इक्जीक्यूटिव आर्डर जारी कर दे यह सरकार के लिये उचित न होगा, इसके मानते हुए भी कि भूख-हड़ताल किसी प्रकार बन्द हो जायें ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिये यह जरूरी नहीं कि हम उसके लिये कानून ही बनावें। इसकी ओर नजर रख कर हम दूसरे तरीके से जैसे कि इलाहाबाद में काम में लाये गए वैसे तरीकों को अपनायें तो उनमें हम अवश्य सफल होंगे।

**श्री सभापति उपाध्याय** (नाम निर्देशित)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव इस अभिप्राय से उपस्थित किया गया है कि जो अन्य प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनके रोकने के उपाय इसके द्वारा किये जायं। पहले भी जब यह प्रस्ताव किसी रूप में यहां आया था उस समय भी मैंने कहा था कि अनशन करना क्या अभिप्राय रखता है। महात्मा जी जो किया करते थे तो वह एक महात्मा और महान् पुरुष थे। महा पुरुष जो करते हैं

[श्री सभापति उपाध्याय]

उसको हम नहीं कर सकते या अगर हम करें तो वह उचित न होगा। शास्त्र की तरफ भी मैं अभी देखूंगा । गांधी जी एक महान् आत्मा थे, वह शास्त्र बना सकते थे और आत्म शुद्धि के लिये अनशन भी करते थे। परन्तु अनशन करना किसी कार्य को पूरा कराने का अगर अभिप्राय हो तो उस अनशन के अर्थ प्रायः मर जाने के होते हैं। आज जो अनशन हुआ करते हैं वह प्रायः इस कारण हुआ करते हैं कि अगर ऐसा न होगा तो मैं अनशन करके जान दे दूंगा, यह उचित नहीं है।

जहां तक अनशन करने का प्रश्न है या उससे आत्म शुद्धि करने का प्रश्न है तो उसके लिये तो एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि हर महीने में पड़ते रहते हैं जिनमें आत्म शुद्धि के लिये अनशन करना चाहिये। परन्तु मैं देखता हूं कि आज उसे कोई नहीं करता है। हमारे यहां हिन्दुओं में तो हर एक महीने में दो, चार दिन अनशन करने के होते हैं और उनसे बहुत फल मिलता है। अपने लिये भी और दूसरों को भी दे सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि लाखों में एक आध ही ऐसे हो सकते हैं जो अन्तःकरण की शुद्धि के लिये करते हैं।

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़म्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।।

यह जो अन्तःकरण है यह बहुत ही चन्चल है। अगर हम अपना ध्यान एक जगह पर करना चाहते हैं तो आत्म शुद्धि के लिये हमें दो चार मिनट रोज मौन रहना चाहिये और जब हम काफी दिनों तक ऐसा करेंगे तो कहीं जाकर कुछ सिद्धि हो जायेगी और जो यह हमारे रोजमर्रा अनशन हुआ करता है तो यह उचित नहीं है जैसे स्कूलों में लड़कों ने कहीं हड़ताल कर दिया तो अन्तःकरण की शुद्धि के लिये नहीं करते। या जेल में जो हड़तालें होती हैं वह अन्तःकरण की शुद्धि के लिये नहीं होती हैं बल्कि कहीं किसी के लिये कुछ हो रहा हो तो उसका विरोध करने के लिये यह हड़तालें की जाती हैं। किसी ने कहा है कि अन्तःकरण की शुद्धि, तो यह क्या बला है, इसे समझना चाहिये। अन्तःकरण जो है वह एक तरह से फोटोग्राफर है। वह हर एक चीज का फोटो ले लेता है। बुरी चीजों का फोटो अधिक लेता है और अच्छी चीजों का कम लेता है। बुरी चीजों का फोटो लेते लेते वह अच्छी चीजों का फोटो बहुत कम ले पाता है। इसीलिये अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिये अनशन करना अच्छी चीज है लेकिन आजकल अच्छी चीजों के लिये कौन अनशन करता है। अच्छी चीजों के लिये जो अनशन किया जाता है उसके लिये विधि बनी हुई है।

हमारे यहां एक चन्द्रायण ब्रत होता है। उसमें यह होता है कि पहिले दिन एक कौर खाया जाता है दूसरे दिन दो कौर खाया जाता है और जैसे चन्द्रमा बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे खाना भी बढ़ाया जाता है और ज्यों-ज्यों घटता जाता है त्यों-त्यों कवल भी घटता जाता है। इस तरह से यह ब्रत एक महीने के लिये होता है। एकादशी के ब्रत के लिये यह किया जाता है कि उसके एक दिन पहिले एक समय भोजन किया जाता है दूसरे दिन बिल्कुल भोजन नहीं किया जाता है और तीसरे दिन फिर एक समय भोजन किया जाता है। लेकिन आज-कल आत्म-शुद्धि के लिये कौन ब्रत करता है। आजकल तो मरने के लिये ब्रत करते हैं। यह जो अभी कहा गया है कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सब ठीक हो गया वैसे ही सब जगह ठीक हो जायेगा यह बात उचित नहीं है । आजकल तो अनशन करना वैसे ही है जैसे कोई अपने को अस्त्र से मारने लगे तो उसको आत्महत्या करने के अपराध में जेलों में बन्द कर दिया जाता है वैसे ही अगर कोई अपने को भूखों मारकर आत्म हत्या करने की कोशिश करे तो उसको भी बन्द कर दिया जाना चाहिये। इसलिये आजकल जो अनशन हो रहा है उसको रोकने के लिये भय की जरूरत है। बिना भय के कोई इस तरह की चीजें बन्द नहीं किया करता। आजकल तो रात दिन इस तरह के व्यापार चल रहे हैं उनको रोकने के लिये भय की आवश्यकता है। भय बिना यह रुक नहीं सकता है। इसलिये इसको रोकने के लिये कोई ऐसा कानून पास होना चाहिये।

श्री डिप्टी चेयरमैन--दो बज कर पांच मिनट तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक १ बजकर ४ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बज कर ८ मिनट पर श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)।

श्री एम० जे० मुकर्जी--माननीय सभापति जी, मेरा इस पर बोलने का इरादा नहीं था लेकिन चूंकि एक बात ऐसी कही गई जिसकी वजह से मैंने समझा कि मैं कुछ बोलूं। मैं यह समझता हूं कि हमारे ध्यान में रोजा नमाज और भूख-हड़ताल में फर्क नहीं किया जा रहा है। रोजा नमाज और चीज है वह मजहब से ताल्लुक रखती है और उसके मुताल्लिक कुछ भी खिलाफ नहीं कहा जा सकता है और उसकी आवश्यकता है। उसके लिये किसी किस्म का कानून नहीं बन सकता लेकिन भूख-हड़ताल एक ऐसा औजार है तलवार की तरह नहीं क्योंकि तलवार दूसरों को मारती है और भूख-हड़ताल अपने को मारती है। यह दूसरों पर असर डालती है और अंग्रेजी में उसको कोअरशन कहते हैं। अगर कोअरशन से सरकार से कोई काम कराया तो वह वाजिब नहीं मालूम पड़ता है। लिहाजा ऐसी चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिये। कानूनी तौर से कोई शख्स खुदकशी नहीं कर सकता और भूख हड़ताल खुदकशी का पहला कदम है। लिहाजा कानून से यह किया जा सकता है कि भूख हड़ताल रोकी जाय इसलिये इस विधेयक से हम कुछ फायदा उठा सकते हैं या नहीं यह एक सोचने की बात है। लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस तरफ जरूर होना चाहिये और कानूनन जो कुछ वाजिब हो वह करना चाहिये। इस के साथ साथ अगर हम इस विधेयक को पास करें तो ज्यादा फायदा न होगा लेकिन कुछ बातें जो कुंवर गुरु नारायण जी ने कही हैं कोई शक नहीं उसके खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये गो कि मैं इस विधेयक की सिफारिश तो नहीं करूंगा लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस पर लाया जाय और अच्छी तरह से इस पर कार्यवाही की जाय।

*श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनियां के अन्दर अन्याय रोकने के लिये भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न उपाय प्रयोग में लाये गये हैं और अहिंसात्मक प्रतिकार उसमें से एक है और उसका आधार यह है कि समाज के अन्दर हमारा भी कुछ स्थान है और हर एक को है। जो भी सामाजिक दोष पैदा होता है हर एक आदमी जो अहिंसात्मक दृष्टि से देखता है यह समझता है कि उसका भी कुछ हिस्सा है। हमारे दोषों के कारण ही समाज में दोष और खराबी आई है और इस प्रकार जब वह सोचता है तो यह समझता है कि उसका प्रतिकार करना उसका फर्ज है। मान लीजिये हमारे गांव में चोरी हो गई और चोरी गांव के आदमी ने ही की और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी या उसकी संगत खराब थी और मैं भी ग्रामवासी हूं इस दृष्टि से हमारा भी हिस्सा है। सोचने वाले उसको सोच सकते हैं दूसरे शब्दों में चोरी हुई तो चोर को सजा मिलनी चाहिये। किन्तु अगर हम यह मान लें कि इस गांव के बनाने में यह खराबी या अच्छाई में हमारा भी हिस्सा है तो सभी व्यक्तियों को अपने को दोषी मान कर कुछ न कुछ सजा ले लेना स्वाभाविक है।

मैं यह मानता हूं कि हर मनुष्य का यह हक है कि वह जिस डेट से चाहे या जिस दिन चाहे, अगर उसकी आन्तरिक आत्मा कहती है कि खाना छोड़ देना चाहिये और अपने सुख की सामग्री छोड़ देनी चाहिये, तो वह छोड़ सकता है। जितने कानून बने हैं उनका भी गलत प्रयोग होता ही है। कौन सी चीज है जिसका गलत प्रयोग नहीं होता है। दलील हम देते हैं कि कानून ठीक है प्रयोग इसका ठीक नहीं है। उसी तरह से हम कहते हैं कि चीज तो ठीक है, मगर इसका प्रयोग ठीक नहीं है। यह हुआ भी है। यह किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता है। जब जेलखाने में मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया इस बात के लिये कि मैंने भूख-हड़ताल की है, तब भी मैंने कहा कि यह मेरा विचार था और एक ऐसा हक है कि जिस चीज को बुरा समझूं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

उसके खिलाफ मैं अपने जीवन की सामग्री में से जिसे चाहूं छोड़ सकता हूं। यह हक किसी भी कानून से छीनना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस बिल का दिल से विरोध करता हूं। मैंने अपने जीवन में न जाने कितनी बार उपवास किया है, व्यक्तिगत दशा के लिये, अपने मित्रों की दशा के लिये, अपने चारों ओर रहने वाले समाज की दशा के लिये। जहां तक मैं अपने आप को कहता हूं इससे मुझे अपार सीमा तक सफलता प्राप्ति हुई। कितने ही बार मैंने उन उपवासों की चर्चा भी किसी से नहीं की, लेकिन थोड़े दिनों बाद लोगों को उसका ज्ञान हो गया। लेकिन मुझ पर कभी कोई बुरा असर नहीं पड़ा।

सन् १९४७ के हिन्दू मुस्लिम दंगे पर और कितने ही बार हरिजनों के कुंवों पर मैंने इसका प्रयोग किया है। यह मुनासिब तो नहीं है लेकिन मैं अपने आप को कहता हूं कि कोई अज्ञात शक्ति हर अच्छे काम में प्रोत्साहित करती है और भगवान की कृपा से मुझे इसमें कभी भी नाकामयाबी नहीं हुई। पिछली बार जब यह प्रस्ताव आया था तब मैंने इसका समर्थन किया था यह कह कर कि इसमें लिखा था कि सार्वजनिक स्थानों पर आप भूख-हड़ताल नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों पर भूख-हड़ताल सार्वजनिक दृष्टि से होगा। लेकिन जब मैं अपने घर पर कर रहा हूं, उसमें किसी को कुछ कहना नहीं तो वहां आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। आन्ध्र की बात थी। एक आदमी ने समझा कि आन्ध्र प्रदेश अलग होना मुनासिब है। उसने यह बचपन से सोचा था कि आन्ध्र प्रदेश अलग हो जाय, उसके लिये उसने उपवास किया, बाद में क्या हुआ कामयाबी, नाकामयाबी इसको मैं नहीं मानता हूं। लेकिन उसके ऊपर उसने सारी सामग्री छोड़ दी। भोजन भी सुख सामग्री की चीज है। न खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है हम उसको सुख सामग्री समझ कर छोड़ देते हैं एक बहुत बड़ी कुरबानी है इससे राष्ट्र की उन्नति होती है, अवनति नहीं होती है। जब रुड़की में हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था तो कुछ लोगों ने कहा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है, आपने उपवास क्यों कर रखा है। मैंने कहा कि मान लीजिये मैं गलती पर हूं लेकिन यह इत्तला सही थी कि रुड़की में दंगा होने वाला था और मैंने समझा था कि दंगा होगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इससे अच्छा यह है कि मैं ही मर जाऊं और दंगा न हो। मैं पत्नी सहित वहां पर गया और उपवास किया। इसके बाद बहुत से लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि यह गलत है। अगर उपवास करना गलत है तो अपने आप उसके अन्दर सजा भी है और यदि वह सही है तो पुन्य भी है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह एक मानव अधिकार है उस को आप छीन नहीं सकते हैं। यह आप जरूर कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर कोई उपवास नहीं कर सकता है लेकिन एक व्यक्तिगत हक को आप छीन नहीं सकते हैं और न यह उचित ही है बल्कि मैं कहूंगा कि इस तरह से इसका हक छीनना अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**---अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सम्मुख विचाराधीन है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधेयक के पीछे ऐसा प्रश्न है जिसमें आजकल के शासन के लिये और समाज के लिये एक विचित्र परिस्थिति पैदा करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन को इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। यह विधेयक पब्लिक फास्ट से सम्बन्ध रखता है। जो पब्लिक प्लेसेज पर अनशन किया जाय, व्यक्तिगत नहीं, उससे इसका सम्बन्ध है और यह राज्य सरकार को अधिकार देना है कि इस प्रकार अनशन करने वाले को दंडित करे, यही इस विधेयक का उद्देश्य है। यह तो सभी जानते हैं कि कुंवर साहब ने बहुत से विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उनकी प्रयत्नशीलता का प्रशंसक हूं। लेकिन आज श्री चरण सिंह जी ने उनके बिल के बारे में जो बात कही वह ठीक नहीं मालूम होती। उन्होंने कहा था कि कुंवर साहब को दूसरों से बिल को बनाने में काफी सहायता लेनी पड़ी होगी उन्होंने क्या अपना समय नष्ट किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले तीन सालों से उनके बिलों को इस सदन में देखा होगा वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जितने बिल उन्होंने यहां पर

पेश किये हैं उनसे पता चल सकता है कि कुंवर साहब की कितनी शक्ति है और उनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर साहब का इस बिल को रखने का उद्देश्य यह है कि कभी-कभी हमारे शासन के सामने विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है, इसलिये उसका निवारण होना चाहिये। कुंवर साहब ही क्या सभी लोग इसे जानते हैं और इस सम्बन्ध में बातचीत करते हैं कि आज कल लोग छोटी-मोटी बातों को सामने रखकर भूख हड़ताल करते हैं और शासन के सामने एक भयंकर परिस्थिति पैदा करते हैं। यह केवल इस प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है बल्कि अखिल भारतीय प्रश्न है जिस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और केबिनेट को विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अनशन की प्रथा पुरानी है और आजकल की नहीं है। हमेशा से लोग इसको करते आये हैं और इसका पता हमें अपने ग्रन्थों को पढ़ने से भी चलता है। हमारे ग्रन्थों में भी इसका जिक्र आया है। प्राचीन समय में जब कोई बुरा काम करता था तो लोग धरना धरते थे। मार्को पोलो, वेनिस का यात्री जो १३ वीं सदी में हिन्दुस्तान में आया--लिखता है कि इस देश में यह प्रथा है कि जब कोई किसी का रुपया नहीं देता है तब वह उसके चारों तरफ एक सर्किल खींचता है और जब तक वह रुपया नहीं देता है तब तक उस के बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से इब्नबतूता अफ्रीका से १४ वीं सदी में हिन्दुस्तान में आया और दिल्ली के बादशाह ने उसको दिल्ली का काजी मुकर्रर किया। उसने लिखा है कि इस देश में एक अजीब रिवाज है कि अगर कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी कर्जा लेता है और देता नहीं है तो कर्जदार राज दरबार में जाता है और बादशाह के महल के सामने चिल्लाता है कि दुहाई है सुल्तान की। बादशाह पूछता था कि क्या बात है तो उससे कहा जाता था कि फलां आदमी ने या फलां अमीर ने इतना रुपया कर्ज ले लिया है और वह अब नहीं देता है, फिर बादशाह उस का उपाय करता था और उस को रुपया दिलाता था। इब्नबतूता ने भी ५० हजार रुपया कर्ज दिया था, उसको भी बादशाह के सामने पेश किया गया, तो बादशाह ने कहा कि यह एक विदेशी यात्री है इसका रुपया दे दिया जाय। यह एक पुरानी प्रथा है कि लोग धरना देते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी स्त्रियां भी रूठ जाती हैं और अपनी खाटपाटी ले कर पड़ जाती हैं, कभी पड़ोस के मकान में चली जाती हैं, कभी पड़ोस के मन्दिर में जा कर बैठ जाती हैं, तो इस तरह की बातें तो आप अक्सर देखा ही करते हैं। योरुप में भी ऐसा होता है कि लोग धरना देते हैं और अनशन करते रहे हैं। वहां पर भी लोगों ने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी अनशन किया है। मैकस्वीनी और डी वेलेरा ने भी ऐसा किया था। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े महापुरुष महात्मा गांधी जी ने भी अनशन किया है। वे एक बहुत ही विचित्र पुरुष थे। अनशन और सत्याग्रह करना उनका सब से बड़ा शस्त्र था जिससे अंग्रेज तक घबरा गये और इसके आगे उनकी एक भी नहीं चली। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फौज थी, नेवी थी और बहुत बड़ी सम्पत्ति थी, लेकिन महात्मा जी के इस शस्त्र के सामने एक भी चीज कारगर नहीं हुई। उन्होंने बहुत से उपाय किये, लेकिन उनका एक भी उपाय सफल न हो सका और अन्त में उनको देश छोड़ कर चला जाना पड़ा। लार्ड रीडिंग को तीन दफा बजट को सर्टिफाई करना पड़ा। बजट को सर्टिफाई करने से बहुत बड़ा कष्ट होता है। यह महात्मा गांधी जी का ही शस्त्र था जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ा। कांग्रेस ने भी उसको अपनाया और उसको इसमें सफलता प्राप्त हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दफा मैं नैपाल गया तो वहां पर उस वक्त संस्कृत पाठशाला में हड़ताल हो रही थी तो वहां के महाराजा ने और वहां के सेनापति जनरल बबर शमशेर ने मुझ से पूछा कि यह जो लड़कों की हड़ताल हो रही है इसके लिये क्या किया जाय, इसके लिये कोई उपाय बतलाइये। मैंने कहा कि महाराज इसके लिये कोई उपाय नहीं है, सिवाय इसके कि उनसे किसी प्रकार का समझौता किया जाय। आप यह समझौता उन अध्यापकों के जरिये से करें तभी काम चल सकता है, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। महाराजा के पास फौज थी, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति थी, लेकिन उसके जरिये से वे कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स बगावत करता है तो हम उसको फौज के जरिये से दबा सकते

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

हैं, लेकिन इसके लिये हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष ने इसी शस्त्र के द्वारा देश को स्वतंत्र कराया था।

हमारे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि महात्मा जी एक बहुत बड़े महापुरुष थे और उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिये सब कुछ किया था। आत्म शुद्धि किस प्रकार से होगी और उसके लिये कौन सा कार्यक्रम ठीक होगा, इसका निश्चय साधारण मनुष्य के लिये करना कठिन है।

हर आदमी गांधी जी नहीं है। मुझे स्मरण है उन्होंने जो कुछ किया है, उसका अनुकरण करने के लिये बड़ा चरित्र होना चाहिये, बड़ा साहस होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। जैसा श्री कन्हैया लाल जी ने भी कहा, कुंवर साहब ने कहा और श्री सभापति उपाध्याय जी ने कहा कि गांधी जी महापुरुष थे और उन्होंने उन सिद्धांतों का प्रयोग भी किया। श्री कन्हैया लाल जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही और वह यह है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अनशन रोज होना चाहिये। यह उन्होंने अपने भाषण में कहा और इसके साथ यह भी कहा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार इस देश में होना चाहिये। उन्होंने यह कह कर एक बड़ी भ्रमात्मक बात पैदा कर दी। वह कहते रहे कि गांधी जी ऐसे अन्याय को रोकने के लिये ही करते थे और यही हमारे पास एक अस्त्र या शस्त्र है।

श्री पन्ना लाल जी ने यह कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है और अनशन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब कोई अन्याय हो, तो हमें इसका विरोध अनशन से ही करना चाहिय। यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है जिस पर कि बड़ा वाद-विवाद और मतभेद हो सकता है कि क्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और क्या नहीं है और इसको हम कहां तक कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं। यह राष्ट्र का एक बड़ा प्रश्न है, जिस पर कि इस समय विचार नहीं हो सकता है। इसमें शक नहीं है कि इस समय इस सिद्धान्त का देश में दुरुपयोग हो रहा है और सरकार इसको रोकने के लिये चिन्तित भी है। अभी विद्यालंकार जी के लिये कहा गया कि उन्होंने अनशन किया। लेकिन जहां तक विद्यालंकार जी के अनशन करने का प्रश्न है, तो वह दूसरी बात है और उसमें हमारे और दूसरे लोगों का मतभेद हो सकता है। मगर जहां तक अनशन का इस तरह से प्रश्न है, तो वह आज सभी लोगों के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है और हो चुका है। अनशन के प्रश्न के संबंध में हमारे सामने मतभेद रहता है, जब कि आज अनशन का दुरुपयोग हो रहा है।

विद्यार्थी अनशन करते हैं। अगर आप उनके किसी मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो वे अनशन करते हैं और इतना ही नहीं वह इसके लिये एक बड़ा केस बना लेते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ अधिकारी लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें कि इस तरह की बातें हो जाती हैं और वे कह सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और यदि उनको किसी तरह से रोकने का प्रयत्न कीजिए, तो उनके पास एक मात्र उपाय यही है कि वे अनशन करते हैं। तो यह सवाल राष्ट्र के सामने आना चाहिये और इस प्रश्न को हल करना सारे राष्ट्र का कर्तव्य है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि अब हमारे देश में अपना राज्य हो गया है, इसलिये अब ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, यह कोई दलील नहीं है। अगर अपने देशवासी अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो हमें इसके लिये अवश्य अधिकार होना चाहिये। इस सिद्धान्त को हमें ठीक तरह से समझना चाहिये। चूंकि आज इस सिद्धान्त का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिये कुंवर साहब ने इस दुरुपयोग को बन्द करने की इस विधेयक के द्वारा चेष्टा की है।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, केन्द्रीय शासन के लिये एक बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर जगह इस बात की

धमकी दी गयी कि यदि एक विशेष प्रकार का कार्य पूरा न हुआ तो इस साधन का प्रयोग होगा। इस प्रकार की अवस्था पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि कुंवर साहब के विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं। परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रश्न ऐसे महत्व का है कि सदन को इस पर विचार करना चाहिये और जब अन्य प्रदेशों के सदन भी इस पर विचार करेंगे तो बात केंद्रीय शासन तक पहुंचेगी और वहां भी इस पर विचार होगा कि हम साधारण शासन में अन्याय को रोकने के लिये कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं विधेयक को पढ़ता हूं तो यह देखता हूं कि इसमें कई कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, सावित्री श्याम जी यहां मौजूद नहीं हैं, अगर मैं उनको फर्स्ट डिवीजन के नम्बर न दूं और वह मेरे घर पर आकर अनशन करने लगें या किसी मंदिर में जा बैठें तो उनको ऐसा करने से कौन रोकेगा, कौन उनको गिरफ्तार करेगा। विद्यार्थियों के प्रश्न को ही ले लीजिए। विद्यार्थियों की एक टेकनिक है, अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम होगा वह क्या करते हैं। एक विद्यार्थी ने अनशन आरम्भ किया। इरादा किया वाइस चांसलर ने या प्रिंसिपल ने, इस बात का संकल्प किया कि इसको किसी तरह से बन्द कर देना चाहिये, या किसी अस्पताल में हटा देना चाहिये। बस जहां यह चर्चा हुई कि विद्यार्थी को यहां से हटा देना चाहिये वहीं सब चौकन्ने हो जाते हैं और सलाह करके बिगुल ले आते हैं और उसे बजा देते हैं। जैसे ही बिगुल बजता है, ४ हजार विद्यार्थी पास के होस्टलस से आकर जमा हो जाते हैं। इसको आप कैसे रोकेंगे। अगर पुलिस आकर जबरदस्ती करती है तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह प्राब्लेम शासन की रोजमर्रा की है। यह विधेयक किस प्रकार कार्यान्वित होगा? जहां कहीं ऐसा होता है वहां सहानुभूति करने वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। मैजिस्ट्रेट को इसमें अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक को काम में लाये। मैं समझता हूं उसके लिये भी इसको काम में लाने में बड़ी कठिनाई होगी। दंड का प्रश्न भी विचाराधीन होना चाहिये। इसमें जो कुछ धारायें हैं उनसे कभी-कभी ऐसा होगा, जिसके कारण एक दूसरी मुसीबत पैदा हो जायगी। इस बीमारी का इलाज तो होगा नहीं। एक दूसरी बीमारी खड़ी हो जायगी जिस बीमारी का इलाज कुंवर साहब करना चाहते हैं वह बीमारी तो दूर नहीं होगी और सन्निपात पैदा हो जायगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विचारणीय है। क्या हम करेंगे, क्या हम इस विधेयक को अन्तिम रूप देंगे यह विचार करने की बात है।

मैंने वित्त मंत्री जी को नहीं सुना, अगर वह आरम्भ में कुछ कह देते तो हमको बड़ी सहायता मिलती। मैं समझता हूं कि वह भी इस बात को जानते हैं कि इस साधन के उपयोग से बड़ी शासन को कठिनाई होती है। संस्थाओं को कठिनाई होती है, समाज को कठिनाई होती है तो, इसके लिये कोई प्रतिबन्ध सोचा जाय, इसका कुछ उपाय सोचा जाय, तो वह क्या उपाय होगा उसको मैं नहीं कह सकता। इसलिये अगर इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाता है तो वहां इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है और इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने से कोई हर्ज न होगा। मुझे आशा है कि हाफिज जी इसको स्वीकार करेंगे। हाफिज जी तो क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू तक को इस पर विचार करना चाहिये। अधिकाधिक खराबी शासन में आती जा रही है। शासन इसके सामने अशक्त होता जा रहा है। वायस चांसलर को लड़कों ने इलाहाबाद में ४ घंटे बन्द रक्खा, लूई दि सिक्स-टीन्थ की तरह बन्द रखा। किसी ने पूछा कि क्या आपकी सहायता के लिये पुलिस भेजी जाय तो उन्होंने कहा कि पुलिस की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि हम लड़कों के ही सहारे से आवेंगे अगर पुलिस बुला ली जाती तो स्थिति और भी भयानक हो जाती और फिर आखिर में हुआ भी यही। लड़कों ने उनसे कहा अच्छा आप जाइये, भोजन कीजिए। तो यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसका उपाय हमको सोचना है। श्री कन्हैया लाल जी ने कहा कि कानून इसका उपाय नहीं कर सकता है, उसको विचारों से परिवर्तन करना चाहिये। ठीक है, लेकिन विचारों में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकेंगे।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

अध्यापक अपने चरित्र द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावित करेगा, ठीक है, परन्तु मैं जो समझता हूं वह यह है कि अधिकाधिक इस बात की आवश्यकता है कि हम कानून की अवहेलना न करें, नियमों की अवहेलना न करें, अन्याय न करें, अधर्म न करें। न्याय, धर्म, कानून के अनादर से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है और यह तभी दूर हो सकती है जब हम अपने नियमों पर चलें, न्याय करें और जो कानून हमने बनाये हैं उनके अनुसार अपना आचरण रखें। विचारधारा का प्रश्न बहुत गंभीर है। आप जानते हैं कि आजकल हमारी वर्तमान स्थिति में विचारधारा दूसरी तरफ चल रही है। आज विचारधारा है विश्रृंखलता की ओर, आज विचारधारा है अन्याय की ओर और आज विचारधारा है अधर्म की ओर, आज विचारधारा है कानून न मानने की तरफ। विचार धारा में जब इस प्रकार से परिवर्तन हो जायगा तो हम न्याय के अनुकूल आचरण करेंगे। उस समय फिर ऐसे विधेयक लाने की आवश्यकता न होगी। लेकिन शासन को सुचारुरूप से चलाने के लिये इस बात की आज आवश्यकता है कि हम विचारधारा में भी परिवर्तन करें और कानून से भी बुराइयों को रोकें। श्री कन्हैया लाल जी ने कहा कि गांधी जी यह कहते थे कि ऐसी स्थिति हो जाय कि पुलिस की आवश्यकता न रहे। बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं परन्तु उनका कार्यान्वित होना बड़ा ही कठिन है। गांधी जी अमीर आदमियों से कहते थे कि तुमको जायदाद और संपत्ति बहैसियत ट्रस्टी के रखनी चाहिये। लेकिन कितने संपत्ति वाले हैं जो ट्रस्टी बन जायेंगे। आज तो संपत्ति वाले शोषक हैं, ट्रस्टी नहीं, शोषण कर रहे हैं। गांधी जी के विचार उत्कृष्ट थे। अगर हम उनके विचारों को सामने रख कर चलें तो हमारा कल्याण हो जायगा। जो उन्होंने कहा कि तुम जायदाद को ऐसा समझो कि तुम ट्रस्टी हो और जन हित के लिये रुपया खर्च करो। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत कुछ इस संबंध में बता दिया है और अन्त में मैं यह चाहता हूं कि जो विषय श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने हमारे सामने रखा है वह विचाराधीन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। मैं इस में कोई हर्ज नहीं समझता कि विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**---माननीय चेयरमैन साहब, जो बिल इस वक्त ऐवान के सामने है वह पता देता है कि मुतहरिक के दिल में मुल्क के नक्श व निगार का काफी नक्श है और यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट के सामने जब इन मिसालों पर परेशानियां आयत होती हैं, उसका भी क्या असर है। यह एक अलग ख्याल है, इस जुम्ले में एक छोटी सी छोटी बला है और बड़ी सी बड़ी बला नाजिल हो जाया करती है। जिस समय इस ऐवान में हमारे मुतादिद बुजुर्गवारों ने इसे पेश किया तो मेरे दिल में एक ख्याल पेश आया।

आंखें खुली हुई हैं अजब ख्वाबेनाज है।
फितना तो सो रहा है दरफितना बाज है।

अभी बहुत से बुजुर्गों ने ख्याल दिलाया है कि यह हमारा देश एक धार्मिक देश है और धर्म पर हमारा अटल विश्वास है और यहीं हमारा एक सहारा रहा है। यह भी बहुत बेवसी का ख्याल जाहिर किया गया कि महात्मा जी ने जो एक लड़ाई लड़ी वह इसी सहारे लड़ी और यह भी बताया कि जितनी ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई वह बिना किसी तेग व तलवार के लड़ी गई। उसने क्या जोर और करश्मा दिखाया। यह भी बताया गया कि क्राइस्ट ने जब संसार का उद्धार करना चाहा तो ४० दिन और ४० रात का फाका किया। क्या इन चीजों का असर नहीं। हमारे बुजुर्गों ने भी सिखाया है ---

सच पूछिए तो नेस्ती हस्ती का राज है,
जो सर चढ़ा है दार पर वह सरफराज है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

निशां पाते हैं पहिले जो निशां अपना मिटाते हैं,
खुद अपना नाश करके बीज, फल फूल पाते हैं।

यह हमारे धर्म का आदेश रहा है। किसी जुल्म और परेशानी पर कुर्बान कर देना एक अपना आदर्श रहा है। आज हम उस आदर्श को कानून के द्वारा खत्म करना चाहते हैं तो क्या खत्म हो जायगा। मेरी बात तो कुछ झूठी है। जरा लिखलें कि जिस दृष्टि से खत्म किया जा रहा है वह खत्म नहीं हो सकता है। गल्ती गल्ती से पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि यह और भी बढ़ कर रह जायेगी। क्या आप ख्याल करते हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं और क्या किसी के आगोश में भी यह एहसास हो सकता है कि तीन महीने, ६ महीने या साल भर की सजा इस जोश को बदल सकती है। यह बात नहीं हो सकती है। बल्कि अगर एक सत्याग्रही को सजा दी जायेगी छै महीने की तो एक हजार सत्याग्रही और तैयार हो जायेंगे। हमारे डाक्टर साहब ने बजा फरमाया। क्या यह उस तरह से हो सकता है। क्या यह एजुकेशन से हो सकता है। सच बात तो यह है कि यह उस तरह से नहीं हो सकता है। इसका कोई चारा नहीं है। अगर हम हकीकत में जायें तो हमको इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिये। क्राइस्ट ने कहा है।

Whosoever smites thee on thy cheek, turn him the other also. (Christ)
आज यह कौम हिन्दोस्तान के रहने वाले इस चीज पर विश्वास करते आये हैं। हमारे विद्यालंकार जी ने कहा है, मिसाल दी है कि अगर एक जगह पर जुल्म हो रहा है और जुल्म को किसी तरह से खत्म करना है तो यही तरीका होता है। आप तरीकों की मुखालिफत करें। आज कांग्रेस में रंग आया है। तो क्या आप उस रंग को कानून से खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो अगर कांग्रेस कानून का सहारा लेगी तो कांग्रेस अपने सिद्धान्त से गिर जायगी। कभी कांग्रेस इस चीज के लिये तैयार हो सकती है। इसका तरीका माकूल तरीका यही है कि हममें वही जोश हकीकी पैदा हो हमें, वही इल्मी ताकत पैदा हो और हमारे जोश शिक्षा के देने वाले हों और ऐसा जोश कि वह इन चीजों को खुद करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

***श्री हयातुल्ला अंसारी** (नाम निर्देशित)—जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक सत्याग्रह का ताल्लुक है उसके लिये गांधी जी ने जो तरीका अपनाया था उसके लिये कुछ बयान दिया था, उसमें कहा था कि सत्याग्रह अगर सच्चाई के साथ किया जाता है तो वह बड़े से बड़े जुल्म को खत्म कर सकता है और बड़ी से बड़ी ताकत को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर सच्चे तरीके पर नहीं किया जाता तो उसका नुकसान उसी को पहुंचता है और कौम को उसके लिये कुछ नहीं भुगतना पड़ता। उनके सामने ही बहुत सी मिसालें आईं। जेलों में भी उन्होंने मरण सत्याग्रह किया था। इसके लिये हंगामा हुआ। कुछ ऐसे मरण व्रत उन्होंने किये जिनकी वजह से हंगामे हुए और जिनकी वजह से हुकूमत को अपना रुख बदलना पड़ा।

गांधीजी के मरणव्रत की ओर इशारा नहीं करूंगा, क्योंकि उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वह एक बड़ी हस्ती थी। दुनियां उनका आदर करती थी। इसलिये जब वह व्रत रखते थे तो दुनियां बेचैन हो जाती थी। यह नहीं देखती थी कि वह क्या कह रहे हैं चूंकि उन्होंने मरणव्रत रखा है, इसलिये बात पूरी होनी चाहिये।

गांधी जी के आश्रम में एक मामूली काम करने वाले थे अंसारी भाई, उनका तजकिरा करूंगा। जिस जमाने में लड़ाई जारी थी, गांधी जी आगा खां महल में कैद थे, उस उस वक्त एक मुकाम पर फौजियों ने औरतों की बेहुरमती की, जबरदस्ती पकड़ा और बेइज्जती की और बहुत नुकसान पहुंचाया। बरतानियां हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अंसारी भाई हालात की तहकीकात के लिये गये। एक सीधे साधे आदमी थे और सियासत के दांव नहीं समझ सकते थे। वह अभी हैं, मैं उनसे मिला

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयातुल्ला आंसारी]

हूं, वह गये और मामले की तहकीकात की। वह आये और उन्होंने वायसराय से मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई, कौंसिल के मेम्बरान से मिले और बात चीत हुई लेकिन उनका वजन ही क्या हो सकता था। कोई वजन नहीं मिला, न वायसराय से मुलाकात हुई और न किसी ने उनकी सुनी। उन्होंने मरणब्रत रखा। गवर्नमेंट ने यह काम किया कि उनकी खबर अखबारों में छापना बन्द कर दो। मुझे याद है बम्बई के अखबारों में एक दिया बनाया था उसकी लौ बहुत बड़ी बनाई थी और यह सिम्बल किया था कि हर रोज उस लौ को छोटा करते जाते थे और यह मतलब था कि जिस दिन वह मर जायेंगे उस दिन लौ खत्म हो जायेगी, फौजें लड़ाई के मोहाल पर जा चुकी थीं, उनको बुलाना और उन पर मुकदमा चलाना, सजा देना इससे एक तरफ तो फौज में बेइतमाली फैलती और लाखों का मामला था, लेकिन उनके मरणब्रत का असर यह हुआ हालांकि अखबारों में खबर नहीं शाया होती थी, लेकिन सारा मुल्क महसूस कर रहा था और आग पर लोट रहा था, आखिर में हुकूमत हिन्द ने यह महसूस किया कि अगर कोई कार्यवाही न की और यह मर गये तो वही पाप हमारे ऊपर पड़ेगा जो क्राइस्ट के मरने पर पड़ा था। उन्होंने पालिसी बदली और लड़ाई के जमाने में फौज को बुलाया उस पर लाखों और करोड़ों का खर्च बरदास्त किया और मुकदमा चलाया और कितनों को ही फांसी की सजा हुई। यह मामूली आदमी का मरणब्रत था।

एक छोटा सा मरणब्रत और हुआ गोवध के खिलाफ, उसको एक स्वामी जी ने कलकत्ता में किया लेकिन अखबारों में निकला कि उन्होंने खुद छोड़ दिया। उन्होंने मरणब्रत किया था कि गोवध कलकत्ता और सारे हिन्दुस्तना में जब तक बन्द नहीं होगा वह ब्रत रखेंगे, लेकिन उन्होंने खुद छोड़ दिया। मरणब्रत वाले को आप फांसी की सजा इ दीजिए लेकिन वह नहीं छोड़ेगा। गांधी जी ने मरणब्रत किया और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनको जेल भेज दिया और जबरदस्ती फीडिंग करना शुरु किया लेकिन जबरदस्ती फीडिंग में भी डर होता है मर जाने का। यह भी हो सकता था कि गांधी जी जबरदस्ती फीडिंग में मर जाते। अगर ऐसा होता तो खुद बरतानियां गवर्नमेंट खत्म हो जाती और उसके बाद इंगलिस्तान की सरकार में क्या हश्र होता एक नई मुसीबत हो जाती। जब कोई सच्चे काम के ऊपर मरणब्रत करता है उसको अगर आप मार डालिये या कोई भी सजा दीजिए तो आप उस काम को खत्म नहीं कर सकते हैं। फांसी की सजा दे दीजिए नुकसान उसका नहीं होगा, बल्कि काज मजबूत हो जायगा। लेकिन अगर मरण-ब्रत गलती पर है तो उसका गवर्नमेंट पर कोई असर न होगा। अगर सही रास्ते पर मरण-ब्रत है तो उस पर चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी उसको बरदाश्त करना पड़ेगा और वह असर दिखावेगा। अगर सही रास्ते पर मरणब्रत नहीं है तो उसका कुछ असर न होगा।

गवर्नमेंट मासेस के हाथ में है और उसकी पापुलेरिटी खत्म नहीं हो सकती। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं उनकी पापुलरिटी खत्म नहीं हो सकती। उनके खिलाफ आवाज उठाना मामूली काम नहीं है। अगर कोई इस हुकूमत के खिलाफ मरणब्रत रखना चाहे तो उसके लिये आसान काम नहीं है। अगर झूठा करेगा तो असर न पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आपने उसको जेल में डाल दिया और जबरदस्ती फीडिंग किया और वह मर गया तो एक बहुत बड़ा काज बनेगा, जिससे गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और पापुलर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। पहली चीज यह देखना है कि आखिर इसको बन्द करने से फायदा क्या है। जो मरने को तैयार हैं वह जेल भी चला जायगा और हर एक मुसीबत उठाने को तैयार है। वाकया है कि जो सही काज के लिये करेगा वह हर एक मुसीबत उठाने को तैयार रहेगा। यह सही है कि बहुत सी बातें डेमाक्रेसी में भी आ जाती हैं। मसलन बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, बहुत हद तक देनी पड़ती है और उससे नुकसान भी

होता है, लेकिन वह चीज देनी पड़ती है। बहुत सी और भी चीजें उठती हैं जो स्ट्राइक भी कर डालती हैं। मगर जो मरता है वह एक काज को लेकर मरता है। तो जैसे इन चीजों की आजादी है वैसे ही मरणब्रत पर भी आजादी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि जो मरने वाला होगा वह तो मरने को तैयार रहेगा और सही काज पर मरा तो और ताकत पकड़ जायेगा। अगर उसका मरण गलत ढंग पर है तो आगे चल कर लोग सोचेंगे और फिर वह और ताकत पकड़ लेगा। यहां मरने के बजाय जेल में जाकर मरता है तो और हीरो बन जायेगा। इसलिये डेमोक्रैसी में इसकी जरूरत नहीं है।

*श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके ऊपर आदमी विश्वास पूर्वक हां कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जिन पर हां या नहीं कहना कठिन होता है। कुंवर गुरु नारायण जी ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है उसके ऊपर निश्चित रूप से कुछ कहना थोड़ा सा कठिन मालूम होता है। जहां तक भारतीय विचारधारा की बात है, वहां तक उपवास का एक प्रकार से समर्थन होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों और मुनियों ने ऐसे-ऐसे ब्रत रखे जो कि सांसारिक लोग थे उन्हीं में हलचल नहीं मच गई।

(इस समय ३ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

बल्कि इन्द्र तक का भी आसन डोल जाता था। आध्यात्मिक जीवन में उपवास के द्वारा परमात्मा तक को प्राप्त कर लेते थे। केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, बल्कि वैदक में भी कहा जाता है कि एक उल्लंघन से असाध्य रोग में दवा से ज्यादा फल मिलता है।

जहां तक भारतीय विचारधारा का सवाल है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह जरूर था कि गांधी जी ने राजनैतिक दृष्टि से उपवास का प्रयोग किया और उसको अपना सिद्धान्त बनाया और उसमें उनको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जिस विचार से उपवास का आज प्रयोग हो रहा है, उसका समर्थन करने के लिये कोई भी तैयार नहीं होगा। हम देखते हैं कि उपवास के द्वारा एक पैस्सन, हलचल यहां मच जाती है, चाहे विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो या कोई कालेज हो, अगर कोई काम आज उचित या अनुचित करना चाहते हैं तो कहते हैं कि उपवास प्रारम्भ कर देने से हलचल मच जायगी। अभी थोड़े दिन की बात है कुछ विद्यार्थियों ने अनुचित कार्य किया जिसके कारण उनके ऊपर जुर्माना हुआ। जब यह खबर आयी तो उन विद्यार्थियों ने उपवास करना आरम्भ कर दिया ताकि उनका जुर्माना वापस हो जाये। अभी कहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह स्थिति पैदा हो सकती है। इसी प्रदेश में एक विशेष विश्वविद्यालय है जहां पर विद्यार्थियों ने उपवास का तरीका इस्तेमाल किया और उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ और इससे सारे प्रदेश में एक हलचल सी मच गयी।

इसी तरह से उद्योग विभाग है उसमें भी धमकी दी जाती है अगर किसी मजदूर को निकाला जाता है या किसी अनडिजाइरेबिल आदमी को निकाला जाता है। इस तरह से वहां पर एक दो आदमी हड़ताल करते हैं और उपवास करते हैं और इससे काफी तहलका मच जाता है। मैं कहता हूं कि लिंग्विस्टिक प्राविंस का सवाल है वह भी भूख हड़ताल की बात है। एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल की और दुख की बात है कि उनका देहान्त भी हो गया। जिसके कारण हमारे नेताओं को वचन भी देना पड़ा कि वे ऐसे प्राविन्सेज बनायेंगे। जो जवाहरलाल, पटेल और पट्टाभि कमेटी बनी थी उसने कहा था कि हमें अभी ऐसे प्राविंसेज नहीं बनाने चाहिये लेकिन उन्हीं में से एक प्रमुख व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि नहीं ऐसे प्राविंसेज बनाने चाहिये और आज जैसी परिस्थिति इसकी वजह से है वह किसी से छिपी नहीं है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

जो भूख-हड़ताल का प्रश्न है वह सदैव परिस्थिति के ही अनुकूल नहीं होता है बल्कि प्रतिकूल भी होता है। इसलिये मैं समझता हूं कुछ न कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये जिससे यह भूख हड़ताल न होने पाये। यदि इससे जनता में हलचल पैदा होती हो तो ऐसे काम को रोकना आवश्यक है। आज भी हम कोई भाषण दें जिससे कोई कम्युनल फीलिंग एक्साइट होती हो तो हम ऐसे भाषण को रोकते हैं या ऐसे पब्लिकेशन को रोकते हैं। यदि इस तरह से समाज में कोई हलचल किसी कारण से होती हो तो उसको रोकने का प्रतिबन्ध होना चाहिये। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि कुंवर साहब का जो प्रस्ताव है वह विचार के योग्य है। वैसे सामाजिक व्यवस्था के लिए हमने अपनी अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं किया है।

यह जो हमारे सामने विचार के लिये विधेयक है मैं समझता हूं कि इसका सामाजिक जीवन से संबंध है, यद्यपि इसका थोड़ा सा संबंध हमारे राजनैतिक जीवन से और व्यावसायिक जीवन से है लेकिन इनसे अधिकतर सामाजिक जीवन से संबंध रखता है। अभी तक हमने निश्चय किया है कि सामाजिक जीवन के सुधार के लिये कानून का सहारा नहीं लेंगे लेकिन दूसरे देशों में इस तरह के कानून हैं। दूसरे देशों में यह है कि अगर आप सड़क पर कोई कागज ही फेंक दें तो फौरन से पुलिस पकड़ लेगी और अगर आप ने उसी वक्त जुर्माना दे दिया तो छोड़ देगी नहीं तो पकड़ कर जेल ले जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य देशों में तो इस तरह के कानून बने हुए हैं। लेजिस्लेशन का आधार सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना होता है। यह कहा जाता है कि यह चीज हमारे सामाजिक जीवन में पैदा हो गयी है कि हम बिना जरूरत के भूख हड़ताल का सहारा लेने लगे हैं उसको रोकना है। यदि हम ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि वह अनुचित नहीं होगा। बहुत से लोगों ने कहा है कि यह आध्यात्मिक जग की चीज है, इसमें आन्तरिक पवित्रता को अपना लेते हैं तो क्यों रोकते हैं।

जिस रूप में यह विधेयक हमारे सामने है यदि हम आन्तरिक पवित्रता के लिये उपवास करते हैं तो इसकी रुकावट इसमें नहीं है। इसमें तो यह है कि यदि हम किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव डालते हैं तो कानूनन उसको रोका जायगा। लेकिन आध्यात्मिक शुद्धि के लिये हम उपवास करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है और चाहे आत्मशुद्धि के लिये उपवास करते हैं तो उसकी रुकावट नहीं है, इस तरह से फास्ट करने के लिये पूरी स्वतंत्रता है। मैं समझता हूं कि कुछ दृष्टि से इस प्रकार का विनियम बनाना आवश्यक हो जाता है। कुछ हद तक मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बिल पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। कुंवर साहब ने जो इस बिल को एक प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा है तो यह कुछ हद तक ठीक भी है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। वहां पर उन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा जिनसे किसी बात का खतरा पैदा होने का अंदेशा है। प्रवर समिति सब बातों पर विचार करके अपने सुझाव सदन के सामने पेश कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत, वन व सहकारी मंत्री)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने इस मोशन के मुताल्लिक गवर्नमेंट की तरफ से राय जाहिर करने में जानबूझ कर देरी की है। डाक्टर साहब को इस बात का ख्याल भी हुआ कि गवर्नमेंट की इस मामले में कोई राय नहीं मालूम हुई है। मैं बैठे बैठे यह देख रहा था कि इस हाउस के मेम्बरान की इस बिल के मुताल्लिक क्या राय है। लेकिन जब से मैंने सुनना शुरू किया उस वक्त से लेकर अब तक कोई राय इस मामले के मुताल्लिक, कि ऐसा कानून बनना चाहिये, नहीं आई है। एक दो साहब ने इस बिल के बारे में यह

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जरूर कहा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, लेकिन जो कुछ उन्होंने फरमाया उसका मतलब यह नहीं होता है कि इस बिल को इम्प्रूव करके एक कानून की शक्ल में कर दिया जाय। बल्कि उसका मतलब यह था कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज कर, इस बात का विचार किया जाय कि जो सूरत हाल इस फास्ट से पैदा हो जाती है उसके संबंध में क्या किया जाय, मगर यह बात किसी सेलेक्ट कमेटी के अख्तियार के बाहर है। सेलेक्ट कमेटी उन उसूलों की पाबन्द है, जो उसूल इसी बिल में रखे हैं और एक लेजिस्लेचर के ऐवान में उन उसूलों को मान कर उसके पास भेजा है। वह सेलेक्ट कमेटी उन उसूलों के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती है। सेलेक्ट कमेटी में जो बिल भेजा जाता है वह इसलिये भेजा जाता है कि उस बिल से जो मकसद हासिल होता है वह तो वह रहे लेकिन उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाय।

यहां पर इस बिल के बारे मे दो दलीलों की हालत में राय को जाहिर किया गया है। एक तो यह राय थी कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिये, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि होना भी चाहिये लेकिन कुछ हद तक होना चाहिये, तो मैं इसके बारे में यह कहूंगा कि यह एक मुज्जब राय है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने से इसमें कोई खास तब्दीली नहीं हो सकती है। इसलिये बिला लिहाज कुछ बातें हैं जो कि इसके मुआफिकत या मुखालिफत में कही जा सकती हैं। लेकिन जो मसला इस वक्त ऐवान के सामने है, उसके मुताल्लिक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सदन इसकी मुआफिकत में नहीं है कि कोई कानून बन। कानून बनने के मुताल्लिक राय नहीं है और अगर इस राय को मैं तफसील से अर्ज करूं तो वह यह है कि यह सदन चाहता है और गवर्नमेंट के सामने इसके मुताल्लिक यह राय रखता है कि इसके लिये कानून न बनाया जाय, बल्कि कोई और तरीका अख्तियार किया जाय जिससे कि इसके संबंध में जो बुराइयां हैं और जो बुराइयां इस तरह से फास्ट से पैदा होती हैं, वे दूर हों। गवर्नमेंट के मेम्बर होने की हैसियत से और इस हैसियत से कि लेजिस्लेचर का मेम्बर हूं, मैं इसके लिये कोई मशविरा नहीं दे सकता हूं और न इसकी ताईद कर सकता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

जहां तक इस बात का संबंध है आखिर इस मामले में कुछ हो या न हो, हमारे यहां पहले, सदन में, इस मसले पर एक प्रस्ताव हुआ। मैं खुद तो गालिबन उस वक्त उस बहस में मौजूद नहीं था, लेकिन प्रोसीडिंग्स में वह है और मैंने देखा कि उसमें यह कहा गया था कि इस बात की रोकथाम के लिये गवर्नमेंट कोई कानून के जरिये से या किसी एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये से या किसी और मुनासिब सूरत से उसको रोकने की कोशिश करेगी। वह बात अपनी जगह पर है। मैं तो ऐसा स्प्रिच्युलिस्ट हूं नहीं कि फास्ट की हकीकत को, उसके फायदे जो किसी जाति को उससे होते हों, खुद समझ सकूं और न मैं उस फायदे को समझ सकता हूं, जिस फायदे को कोई अपने फास्ट के जरिये पब्लिक को पहुंचा सकता है। वह काम तो मुझ जैसे नीचे दर्जे की आदमी के समझ से, मेरे नजदीक से, ऊपर है और इसलिये महात्मा गांधी की मिसाल को मैं आज कल इस्तेमाल करने की कम से कम अपने नजदीक एक गलत बात समझता हूं। न महात्मा गांधी कोई है और न कोई वैसा कर सकता है जैसा कि महात्मा गांधी जी करते थे।

अब इस वक्त आज मैं देख रहा हूं, ऐसे तजुर्बों और मामलों के बिना पर और यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह फास्ट जो बहुत ही ऊंचे प्रिंसिपल और आला ख्यालात के बिना पर हो अगर कोई शख्स इस किस्म से करे, तो वह अच्छा होगा। मगर इसके बजाय आज बहुत ही गलत गलत मकसद हासिल करने के लिये फास्ट किया जाता है और सब तरफ से हट करके अलग हो करके, यह एक पोलिटिकल वीपन बन गया है। पोलिटिकल मकसद हासिल करने के लिये लोगों ने इस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो यह बात अच्छी नहीं है। लेकिन इस बात को रोका जाय कानून के जरिये से, मैं जरूर यह कहता हूं कि इसे रोका जाय, लेकिन मैं समझता यह हूं कि गालिबन कानून

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के जरिये से यह रुकने वाला नहीं है। गलत हो कि सही हो वह तो एक मसला अलग है।

एक डेमाक्रेसी के अन्दर सत्याग्रह और फास्टिंग वगैरह की क्या पोजीशन है, क्या कदर है, इस मसले को मैं नहीं छेड़ता और न उसके लिये मैं अपने आप को कोई काम्पीटेंट आदमी समझता हूं, लेकिन यह सत्याग्रह या फास्ट इस किस्म का है कि उनको रोकने से जो नतायज मुरत्तब हैं और वह हमारे आंखों के सामने आयें और उसमें हम दुनियां के लिये नुकसान देखें तो हम कम से कम अपनी छोटी अक्ल होने की वजह से समझेंगे कि यह बात दुनिया के फायदे के लिये नहीं है, बल्कि दुनिया के लिये मुजिर है और उसको नहीं चलना चाहिये। कानून के जरियेसे वह बन्द होने का नहीं। मैं समझता हूं कि जो जहनियतें ऐसी हैं जो आदमी ऐसे नहीं है जो किसी मकसद से फास्ट करने की जुर्रत करते हैं तो शायद वह इस बिल में लिखी हुई साल दो साल की कैद का कोई ख्याल नहीं करेंगे और वह फास्ट करने से रुकने के नहीं। इस ख्याल से भी देखने से यह एक एफेक्टिव रेमडी उस इविल के खिलाफ नहीं निकलती है, इसलिये कि जब आदमी इस बात पर तुला हो कि कानून को तोड़े, तो कानून कोई ऐसा बने जो टूट न सके तब तो मैं यह समझूं कि वह दीवार, चट्टान बन गई है जो टूट नहीं सकती लेकिन अगर हर कानून को आदमी तोड़ सकता है, और इस में तो शायद दो साल की ही सजा लिखी है। तो फिर वह आदमी मौत की सजा से भी नहीं डरता है। जिस आदमी को दो साल की सजा देनेकी धमकी देता हूं, वह तो मौत की सजा से भी नहीं डरता है।

एक भाई अपनी तकरीर में कह रहे थे कि जहां वह और कुछ है वहां उस आदमी के लिये वह सजा भी है। अगर वह उल्टा पड़ जाय तो मौत लाजमी है। तो इस दिमागी हालत के अन्दर अगर वह इस बात को करता है कि मुमकिन है मैं मर जाऊं तो मैं नहीं समझता कि जिसके अन्दर यह बात आती होगी वह इस बात से डर जायगा कि मुझको दो साल की सजा हो जायगी, अगर मैं इसको करूंगा। इसलिये वह कोई एफेक्टिव इलाज नहीं है उस मर्ज का, जिसका इलाज हम करना चाहते हैं और फिर यह भी है, जैसा कि डाक्टर साहब इर्शाद फरमा रहे थे अपनी तकरीर में कि यह मसला कुछ यू० पी० के लिये ही नहीं है, एक आल इंडिया मसला है। अगर लेजिस्लेशन की कोई जरूरत है तो बजाय स्टेट के होने से सेंटर से हो। यानी एक हलचल मचाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि फास्ट सिर्फ यू० पी० के रहने वाले ने ही किया हो। और जगह फास्ट करके भी आदमी एक हलचल पैदा कर देता है और उसका असर तमाम हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग पर पड़ता है। उस इविल को बचाने के लिये जरूरी है कि उसे यहां से बिल्कुल मौकूफ किया जाय। ऐसा तो सेंट्रल लेजिस्लेशन से ही हो सकता है। जैसा कि मैंने शुरु में अर्ज किया था मैं तो अपने दिमाग को खुला हुआ लेकर बैठा हूं। मैंने सोचा कि यह एक ऐसा मसला है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी वायस का होना जरूरी नहीं है। यह दुनियां के नफे नुकसान का मसला है और इसमें कुछ ऐसी बातें भी शामिल हैं जिनका जिक्र कुंवर साहब ने किसी हद तक किया भी है, कोई मजहबी न हो यह न हो, वह, हो। इन सब बातों की वजह से मैं यह बेहतर समझता हूं कि जो राय इस हाउस में ज्यादातर मेम्बरों ने दी है कि इस किस्म का लेजिस्लेशन बनाने का इरादा यहां पर न किया जाय तो ऐसी सूरत में इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना, जब कि हमको ऐसा कानून बनाना नहीं है तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के कोई माने नहीं होते।

एसी सूरत में इसको जब हमको कानून बनाना नहीं है तो सेलेक्ट कमेटी में भेजना कोई माने रखता नहीं। हां, इस बात का मैं कुंवर गुरु नारायण साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वह पब्लिक मसलों के ऊपर गौर करते हैं और उन पर अपना वक्त खर्च करते हैं और मुख्तलिफ सूरतें निकाल करके हाउस की तवज्जह उस तरफ दिलाते हैं, लेकिन अब यह कि उसूल अगर उससे टकराते हैं तो फिर सेलेक्ट कमेटी में भेजने से फायदा क्या ? क्या सेलेक्ट कमेटी

में कोई दूसरे लोग होंगे जो कोई तदबीर इसके लिये निकाल देंगे ? होंगे तो वही लोग, जिन्होंने इस बिल पर अपनी राय यहां जाहिर की है। फिर अगर भेजेंगे तो यह तमाम पार-लियामेंट्री कन्वेन्शन के खिलाफ होगा क्योंकि वहां से यह तवक्के। नहीं की जा सकती है कि वहां से कोई इसका इलाज तजवीज होगा। यह रिफरेन्स हमारा जो है यह बिल्कुल खिलाफ कायदा होगा और मैं यह तवक्का, भी नहीं करता हूं कि आसानी से कोई तदबीर समझ में आ जायगी। महात्मा गांधी की ही तरह का कोई होता तो इसकी तदबीर बता सकता था।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--हाउस की कमेटी बन सकती है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह तो एक अलग चीज है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--हाउस की कमेटी बना दीजिये।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--हां, हाउस की कमेटी बनाने की एक बात है। दो हाउस यहां हैं। कुछ उनकी भी राय हो और कुछ यहां की भी हो। तो जहां तक इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का ताल्लुक है उसको तो मैं ठीक नहीं समझता और मैं क्या, मैं तो हाउस पर हूं। हाउस की जो राय होगी वही होगा, लेकिन इस मोशन की मुआफिकत में तो कोई तकरीर हुई नहीं। डाक्टर साहब ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाय। इस पर सोचा जा सकता है। यह सब ठीक है, मगर इस वक्त जो मसला है उस पर मजबूरी जाहिर करता हूं और मेरे ख्याल में कुंवर साहब को भी यह ख्याल होगा कि कम से कम इस वक्त यह हाउस की राय नहीं है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आज जो इस भवन में राय जाहिर की गई उसमें प्रायः काफी लोग यह तो जरूर चाहते हैं कि हंगर स्ट्राइक का दुरुपयोग हो रहा है और कोई न कोई शक्ल ऐसी निकालनी चाहिये जिससे कि वह बन्द हो, लेकिन जो उसके साथ ही साथ बन्द करने का तरीका हो, वह कानून से हो या न हो, इसके ऊपर यह राय है कि विचारणीय प्रश्न है।

लोगों की राय है कि कानून से बन्द न किया जाय। जो आज का डिबेट हुआ और जो १८ फरवरी और ३ अप्रैल सन् १९५४ में हुए थे, मुझे यह आश्चर्य होता है कि उस दिन उस परिस्थिति के ऊपर यह स्वीकृत हो गया था सर्व सम्मति से कि कोई कानून या एक्जीक्यू-टिव आर्डर जारी किया जाय और उस दिन उसका विरोध नहीं हुआ था, लेकिन आज विरोध प्रकट किया गया है। इसका कारण भी मैं समझता हूं। उस वक्त जब वह प्रस्ताव आया था उस वक्त में लखनऊ विद्यार्थियों में अनशन के प्रति काफी गरमागरमी थी, विश्वविद्यालय बन्द था, यफीजीज जलाई जा रही थीं उस समय उस भावना से प्रेरित होकर किसी की हिम्मत न हुई कि खुल कर उसका विरोध करे, या उस प्रस्ताव को गिरा दे। लिहाजा उस परिस्थिति में उसे स्वीकार किया गया। लेकिन जब आज इलाहाबाद में लड़कों ने रेस्ट्रिकेशन के मामले में और भी दूसरे मामलों में माफी मांग ली तो आज उसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक अनशन का ताल्लुक है अनशन एक अचूक अस्त्र है, किसी भी सत्याग्रही के लिये और यही महात्मा गांधी ने भी कह दिया था। लेकिन आज जैसा अनशन का दुरुपयोग होता है उसको भी हम सभी आंख मूंद कर अगर बैठते हैं तो अच्छा नहीं करते हैं। मैं तो यह कहता हूं और अपना यह विश्वास है, आपका कुछ भी विश्वास हो और आप जिस वजह से भी इसको न मानें कि अनशन उस वक्त पर जायज था, जब हमारे यहां विदेशी सरकार थी और हम न तलवारों का और न मशीनगनों का मुकाबला कर सकते थे तो उस वक्त अनशन जायज था। लेकिन हमारी हुकूमत में अनशन करना मेरी समझ में नहीं आता कि कहां तक उचित है। जो हुकूमत हमारी बनाई हुई है उसको हम कांस्टीटयूशनल ढंग से बदल सकते हैं, परन्तु उस समय विदेशी हुकूमत को कांस्टीटयूशनल तरीकों से हटा नहीं सकते थे।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसलिये उस समय हमारे सामने दिक्कतें थीं, हमारे पास कोई सत्ता नहीं थीं, सिवाय इसके कि हम सत्याग्रह और अनशन करके विदेशी सत्ता को हटाते।

आज जब हमारी हुकूमत है और प्रश्न यह है कि हुकूमत की खराबियों को दूर कराना है तो उसके लिये हमारे पास कांस्टीटयूशनल और लीगल रेमेडीज मौजूद हैं, तो फिर इसके बाद अनशन का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। यह भी सही है कि जब प्रजातंत्र राज्य होता है तो बहुमत शासन में आता है और अल्पमत को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, जब तक बहुमत का शासन रहता है। यह डेमोक्रेसी का साउन्ड प्रिन्सिपल है, लेकिन आज इस परिस्थिति में इसको स्वीकार न करें यह बिल्कुल गलत बात है। आज गवर्नमेन्ट या मन्त्री जी इसको न मानें यह एक दूसरी चीज है, लेकिन आगे चल कर जब कोई परिस्थिति ऐसी आयेगी तो उनको मजबूरन यही चीज अपनानी पड़ेगी। लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कोई संदेह नहीं है। जब मैंने पहले इसको रखा था या आज इसको रखा है तो दोनों हालतों में और दोनों अवसरों पर मेरा यही कहना रहा है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह स्थिति पैदा करना या जारी रखना नाजायज है। इससे दूषित वातावरण पैदा होगा और हमारी लाइफ मिजरेबल हो जायेगी। इसलिये इसको दूर करना चाहिये।

मैं तो अपने इस विधेयक को बिलकुल सही और कायदे से पाता हूं। अभी दो चार साहबों ने बातें कहीं अपनी स्पीचेज में। माननीय कक्कड़ साहब कह रहे थे कि अगर कांग्रेस कानून का सहारा लेगी तो वह अपने सिद्धांत से गिर जायेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कांग्रेस अगर कानून का सहारा लेगी तो अपने सिद्धांत से कैसे गिर जायेगी? कांग्रेस क्या, हर गवर्नमेन्ट को कानून का सहारा लेना पड़ता है। कांग्रेस अगर कानून का सहारा लेगी तो अपने सिद्धांत से गिर जायेगी यह बात ठीक नहीं। कन्हैया लाल जी ने कहा कि सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिये, आत्म शुद्धि के लिये करना पड़ता है। मैं यह जानता हूं कि इसके लिये करना चाहिये। लेकिन आज कितने लोग आत्मशुद्धि के लिये अनशन करते हैं। ज्यादातर आजकल जो किया जाता है, वह पोलिटिकल बातों के लिये किया जाता है। विद्यालंकार जी ने कहा कि इसको सार्वजनिक स्थानों के लिये रक्खें प्राइवेट जगहों के लिये न रक्खें। मेरा यह उद्देश्य है कि अगर हमारा आब्जेक्टिव पोलिटिकल है तो जहां करें, चाहे वह प्राइवेट स्थान हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो उसको हमें रोकना चाहिये। अगर कोई सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिये करता है तो हमको उसको नहीं रोकना है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं यह भी समझता हूं और मुझे इस बात का ख्याल है कि यह कदम जो है वह कोई मामूली कदम नहीं है। बड़ी हिम्मत करने वाला ही यह कदम उठा सकता है। महात्मा गांधी ही ऐसे थे जिनके शब्द जनता के लिये वेद वाक्य का काम करते थे। आज न हमारी इतनी होल्डिंग है और न इतना आत्मबल है कि हम जो कुछ कहें उसको लोग फौरन मान लें। ऐसा कदम उठाने के लिये बड़ी हिम्मत की जरूरत है। बहरहाल, मैं अब भी यह समझता हूं कि मौजूदा स्थिति में जब कि हमको देश का निर्माण करना है अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ाना है, हमको टेक्निकल हेंड्स की जरूरत है तो इन चीजों को सही रास्ते में लाने के लिये यह जरूरी है कि जितनी भी प्रविक्तियां इस तरह की हैं, जो गलत रास्ते पर ले जाती हैं उनको ठीक करने के लिये कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। अभी हमने पंचायत राज्य का सिस्टम चलाया है। अभी आचार्य बिनोवा भावे ने एक बयान में कहा है कि पंचायत राज्य ठीक है, लेकिन जब तक लोगों की सोशल और एकनामिकल बक ग्राउंड को ठीक न कर लें तब तक पंचायत राज्य में लोग शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस समय जब कि हमको देश का निर्माण करना है और जब कि आज प्रविक्तियां ऐसी हैं जो कि समाज को बिगाड़ने वाली हैं तब मैं समझता हूं कि हुकूमत को ऐसे कानून का सहारा लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बेजा बात नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि यह विधेयक समय की मांग है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूख-हड़ताल निवारण विधेयक को एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय, जिसके निम्न-लिखित ९ सदस्य हों।

१--डाक्टर ईश्वरी
२--श्री हृदय नारायण सिंह।
३--श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी।
४--डाक्टर बीर भान भाटिया।
५--श्री प्रताप चन्द्र आजाद।
६--श्री परमात्मा नन्द सिंह।
७--श्री ज्योति प्रसाद गुप्त।
८--श्रीमती सावित्री श्याम।
९--श्री कन्हैया लाल गुप्त।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

## सदन का कार्यक्रम

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--मैं यह चाहता हूं कि जो मेरे प्रस्ताव हैं वह अगर सरकार को एतराज न हो तो अगले नान-आफिशियल डे पर ले लिये जायं।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--अगली बार तो प्रस्ताव लिये जायेंगे और बैलेट में कौन पहले आयेगा यह कोई नहीं जानता है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--जिस दिन हाउस रखे, मुझे कोई एतराज न होगा। वह कहते हैं कि जो नान-आफिशियल डे आयेगा उसी दिन इसको रखा जाय और कुंवर साहब यह बतला रहे हैं कि जो बिल का दिन आये उस दिन रखा जाय इसका फैसला हाउस करेगा, जिस दिन हाउस रखे।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--कायदा यह कहता है कि बिल्स के लिये और प्रस्ताव के लिये बैलेट होता है। अगर हम चेन्ज करेंगे तो सारा बिजनेस खत्म हो जायेगा और उस कायदे की यूटीलिटी नहीं रहती है जो बनाया गया है, इस तरह से अगर कोई नया प्रस्ताव आता है और बैलेट होता है तो उसको चान्स मिल जाता है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--हाउस जिस दिन मुनासिब समझें रखे, गवर्नमेन्ट को कोई एतराज नहीं है।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--इसको अगले नान-आफिशियल डे पर रख दिया जायगा।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--कल एक मोशन है--रेफरेन्स टु सेलेक्ट कमेटी सेल्स टैक्स बिल का और दूसरा इंडियन मेडीसिन बिल विचार के लिए है, इनको रख लिया जाय जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है, उसको तीसरे नम्बर पर रख लिया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मैंने आप से कल दरख्वास्त की थी और आपने फरमाया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट बाद में आयेगी, मैंने तो उसको अभी तक देखा भी नहीं। आप ने कहा था कि कन्सोलीडेशन आफ होल्डिंग्स बिल को २३ तारीख को ले लेंगे। आप कल सेल्स टैक्स बिल को ले लीजिये और इंडियन मेडीसिन बिल को अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिये। दो चीजें कल के लिये रखी जायं।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह तो होगा ही मैंने तीसरी बात रखी थी, अगर इत्तिफाक ऐसा हो जाय तो तीसरी चीज एजेन्डे पर होनी ही चाहिये।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मेरी यह दरखास्त है कि जो आपको करना है वही रखिये और जो नहीं करना है, उसको न रखिये।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३ बज कर ४५ मिनट पर बुधवार, २१ दिसम्बर सन् १९५५ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

# नत्थी "क"

(देखिए प्रश्न संख्या १५ पृष्ठ २३१ पर)

## सूची

### आगरा रीजन

(१) एटा–आगरा टुन्डला होकर
(२) मैनपुरी–बेवर
(३) आगरा–शमशाबाद–टूला
(४) आगरा–जगनेर–टांटपुर
(५) अलीगढ़–इगलस–मथुरा
(६) मथुरा–नौझील

### इलाहाबाद रीजन

(१) राबर्टसगंज–चौपान पिपरी
(२) बनारस–तारीघाट
(३) बनारस–जामानिया
(४) बनारस–नौबतपुर
(५) प्रतापगढ़–धारूपुर
(६) मिर्जापुर–हनमाना
(७) जौनपुर–सिंगरामऊ
(८) प्रतापगढ़–पट्टी
  (क) पट्टी ढिकवा
  (ख) पट्टी रामगंज।

### बरेली रीजन

(१) बदायूं–दातागंज
(२) बदायूं–चन्दौसी
(३) रामगढ़–मुक्तेश्वर
(४) बिजनौर–नजीबादबाद
  (क) नगीना–नजीबाबाद

### कानपुर रीजन

(१) इलाहाबाद–सराये आकिल
(२) महोबा–छतरपुर
(३) किशनी–बेवार–मैनपुरी
(४) छिबरामऊ–बेवार–मैनपुरी

### गोरखपुर रीजन

(१) आजमगढ़–चन्दवक
(२) आजमगढ़–गाजीपुर
(३) देवरिया–हाता (गौरीबाजार होकर)
(४) बलिया–सिकन्दर पुर–बेलथरा रोड

### लखनऊ रीजन

(१) रायबरेली–प्रतापगढ़
(२) प्रतापगढ़–कालाकांकड़
(३) उन्नाव–लालगंज
(४) लखनऊ–कानपुर
(५) मौरावां–कानपुर

### मेरठ रीजन

(१) बुलन्दशहर–देहली
(२) मुजफ्फरनगर–बरला बसेरा
(३) सहारनपुर–हरद्वार
(४) मेरठ–गढ़मुक्तेश्वर
(५) राजपुर–देहरादून।

# APPENDIX 'A'

(*See* QUESTION NO. 15 ON PAGE 231)

*List of routes to be taken over by the Roadways during the year* 1955-56

**Agra Region**

1. Etah-Agra *via* Tundla
2. Mainpuri-Bewar
3. Agra-Shamshabad-Toola
4. Agra-Jagner-Tantpur
5. Aligarh-Iglas-Mathura
6. Mathura-Naujhil.

**Bareilly Region**

1. Budaun-Dataganj
2. Budaun-Chandausi
3. Ramgarh-Mukteshwar
4. Bijnor-Najibabad—
   (*a*) Nagina-Najibabad.

**Kanpur Region**

1. Allahabad-Sarai Aqil
2. Mahoba-Chhatarpur
3. Kishni-Bewar-Mainpuri
4. Chhibramau-Bewar-Mainpuri.

**Allahabad Region**

1. Robertganj-Chopan-Pipri
2. Banaras-Tarighat
3. Tarighat-Zamania
4. Banaras-Naubatpur.
5. Pratapgarh-Dharupur
6. Mirzapur-Hanmana
7. Jaunpur-Singramau
8. Pratapgarh-Patti—
   (*a*) Patti-Dhikwa
   (*b*) Patli-Ramganj

**Gorakhpur Region**

1. Azamgarh-Chandwak.
2. Azamgarh-Ghazipur
3. Deoria-Hata *vis* Gauribazar
4. Balla-Sikandarpur Belthra Road.

**Lucknow Region**

1. Rae Barerli-Pratapgarh
2. Pratapgarh-Kalakankar.
3. Unnao-Lalganj
4. Lucknow-Kanpur
5. Maurawan-Kanpur.

**Meerut Region**

1. Bulandshahr-Delhi
2. Muzaffarnagar-Barla-Basera
3. Saharanpur-Hardwar
4. Meerut-Garhmukhteshwar
5. Rajpur-Dehra Dun.

पी० एस० यू० पी०—१५४ एल० सी०—१९५६—७६५(प्री०)

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२१ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य (५९)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
काशी नाथ पांडे, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दरलाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त विद्युत्, बन तथा सहकारी, मन्त्री)।

श्री कमलापति त्रिपाठी (सूचना तथा सिंचाई मन्त्री)।

# प्रश्नोत्तर

१---३---**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।)

४---**श्री राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।)

५---७---**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**---(शिक्षा मन्त्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये)

## उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की संख्या

*८---**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--(अ) क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी कल्याणकारी योजनायें (Welfare Schemes) चालू हैं, और

(ब) अगले दो वर्षों में कितनी चालू होने वाली हैं ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह** (समाज कल्याण तथा श्रम मंत्री के सभा सचिव)---(अ) उत्तर प्रदेश शासन के लगभग सभी विभागों के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं। समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित दो योजनायें चल रही हैं :

(१) ३० जिलों में महिला मंगल योजना,

(२) समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान---जैसे अंधे, गूंगे, बहरों के स्कूल, अनाथालय व विधवा आश्रम।

(ब) अगले दो वर्षों में समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें चालू करने का विचार है:---

(१) इलाहाबाद में निराश्रित महिलाओं तथा बच्चों के लिये आश्रम।

(२) कानपुर में निराश्रित बच्चों के लिये आश्रम।

(३) मेरठ तथा कानपुर में वेश्याओं की अवयस्क बालिकाओं के लिये आश्रम।

(४) मथुरा तथा बनारस में सुरक्षा आश्रम।

(५) अंधों के लिये आगरे में एक विद्यालय।

(६) स्वास्थ्य भिखारियों के लिये लखनऊ तथा हरिद्वार में कर्मशाला।

(७) सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये दो केन्द्र।

९---१२---**श्री बद्री प्रसाद प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---(शिक्षा मन्त्री के इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

## धर्मादाय सम्पत्ति की सूचनायें एकत्र करने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति

*१३---**श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)---

(क) क्या सरकार ने एक अधिकारी धर्मादाय सम्पत्ति की सूचनायें एकत्र करने के लिये नियुक्त किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उसकी रिपोर्ट आ गई है ?

(ग) क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

---

* प्रश्न संख्या ८ श्री शिव प्रसाद सिन्हा (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछा गया।

* प्रश्न संख्या १३ श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछा गया।

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह जांच अपूर्ण रही। अतएव कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार नहीं है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय सभा सचिव बतलायेंगे कि इसकी कुछ जांच हो रही है ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--इस जांच में लगभग तीन वर्ष लग गये और उस समय जमींदारी अबालिशन में अत्यधिक कार्य चल रहा था जिसके कारण जिला अधिकारी इसमें काफी व्यस्त थे और पूरी सूचना नहीं दे सके। फिर भी जो सूचना हमें मिल गयी, उससे हमें एक ऐसा आधार मिल गया जिसके ऊपर आगे चल कर हम लोग बिल ला सकेंगे। अतएव इस वक्त कार्य को वहां समाप्त कर दिया गया है और अब फिर जो बिल हमारे सामने आया है उसमें यह विधि व्यवस्थित है। जो अधिकारी होगा वह हमारे सामने पूरी जानकारी रखेगा।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सभा सचिव यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई जांच दोबारा होगी ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--जब दोबारा यह विषय हमारे सामने आयेगा, तो उसमें यह जिक्र है कि एक अधिकारी इसके लिये नियुक्त हो गया, जो एक-एक मंदिर या ऐसी चीजों की सम्पत्ति की व्यवस्था की जांच करेगा।

१४--१७--**श्री राम नन्दन सिंह**--(शिक्षा मन्त्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

१८--२०--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।)

२१--२९--**श्री बल भद्र प्रसाद वाजपेयी**--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

३०--३२--**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

३३-३६--**श्री हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

३७--३८--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

३९-४०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

४१--४२--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

४३--४५--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

४६-४७--**श्री नरोत्तम दास टंडन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

४८--श्री शिव प्रसाद सिन्हा--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।)

४९--५४--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार २२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।)

## प्रस्ताव कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त विद्युत्, बन तथा सहकारी, मंत्री)--Sir, I move that the Uttar Pradesh Legislative Council agrees to the motion passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly that the U. P. Sales Tax (Amendment) Bill 1955, be referred to a Joint Select Committee of the two Houses.

यह जो सेल्स-टैक्स बिल है, इसमें दो सेक्शन्स हैं, जिनमें एक में सरकार को इस बात का अख्तियार दिया गया है कि इस क़ानून की रू से शरह जिस तरह से लगते हैं, वह सारे के सारे घटा दे और दूसरे में इस बात का अख्तियार दिया गया है कि एक्जेम्प्ट भी कर दे। लेकिन इसमें जो अख्तियार घटाने या एक्जेम्प्ट करने से ताल्लुक रखता है, वह सिर्फ गुड्स से रखता है, न कि किसी कन्सर्न से रखता है। यह बनाने वालों की बाबत नहीं है बल्कि गुड्स की बाबत अख्तियार है। चूंकि इसमें छोटी और बड़ी दोनों इन्डस्ट्रीज आ जाती हैं, इसलिये इस चीज की इसमें जरूरत हुई है। कुछ इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें काफी प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिये उनके लिये कुछ इन्तज़ाम किया गया है।

आप लोगों को यह मालूम होगा कि अभी कुछ दिन हुये, गवर्नमेंट ने बिजली की क़ीमत में कमी की थी। जो इन्डस्ट्रीज नेशनल कैरेक्टर की हैं, या और कोई इन्डस्ट्रीज हैं, लेकिन उनकी उतनी पैदावार नहीं होती है जितनी होनी चाहिये, तो उनको २५ परसेन्ट बिजली की क़ीमत में कमी दी जायगी। अब यह सोचा गया कि नेशनल इन्डस्ट्रीज को भी रियायत देनी चाहिये। इसमें वह इन्डस्ट्रीज आ जाती हैं जो तीन साल से कम की नहीं हैं और पांच साल से ज्यादा की नहीं हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--वह तो पहले से ही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो नेशनल इन्डस्ट्रीज हैं, उनके लिये यह है कि इसमें हेवी क़िस्म की इन्डस्ट्रीज आ जाती हैं। इसमें से तीन-चार ऐसी हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ में हैं, जैसे स्टील इन्डस्ट्रीज वगैरह हैं। यह इन्डस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की नहीं हैं बल्कि पब्लिक सेक्टर की है। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस बात की मांग की है कि कुछ इन्डस्ट्रीज उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दी जायं। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा है कि आप को इस क़िस्म की इन्डिस्ट्रीज यू० पी० के अन्दर भी इस्टेब्लिश करनी चाहिये। उसके लिये २५ परसेन्ट बिजली की क़ीमत में कमी हो जायेगी। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन होगा, उस पर जो सेल्स-टैक्स लिया जायगा, उसमें एक्जेम्पशन या रिडक्शन जो कुछ भी मुनासिब होगा, दिया जायगा। चूंकि यह काम हमारी स्टेट के अन्दर होगा इसलिये इस क़ानून के बनाने की जरूरत महसूस हुई। हमारे सेल्स-टैक्स ऐक्ट की जो धारायें हैं उनके मुताबिक मैंने अर्ज कर दिया है। गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ अख्तियारों को लेने के लिये यह क़ानून बनाया है। चूंकि यह असेम्बली से पास हो गया है और वहां के मेम्बरों की यह राय है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाउस भी इसको मंजूर करेगा और सेलेक्ट कमेटी के लिये अपने मेम्बरों का इन्तखाब कर लेगा। मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी और कुछ नहीं कहना है।

---

*मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

***श्री कुंवर गुरु नारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यू० पी० सेल्स-टैक्स अमेंडमेंट बिल, जो माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख रखा है, और जो मोशन इसके लिये किया है कि यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को रिफर किया जाय, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। इस मोशन को उन्होंने ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये रखा है, तो यह बात ऐसी है कि इसको पढ़ने के बाद मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह तो तुरन्त ही पास हो जाना चाहिये था और इसके ऊपर कोई ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें अख्तियार लिया है कि वह किसी कमोडिटी के ऊपर सेल्स टैक्स लगाये या उसे कम कर दे या एक्जेम्पट कर दे तो इसमें बढ़ाने का प्रश्न नहीं आता है। इस इनोसेन्ट विधेयक से गवर्नमेंट यह अधिकार लेना चाहती है और यह स्वाभाविक भी है। तो कम से कम इस बात का ख्याल करते हुये, इसके ऊपर सेलेक्ट कमेटी बैठाने की कोई जरूरत नहीं थी।

यह हो सकता है और इस बात की दलील दी जा सकती है कि चूंकि सेल्स-टैक्स के लिये सरकार की तरफ से एक कमेटी बैठाई गई है और वह तमाम सेल्स टैक्स की बातों पर विचार कर रही है, तो उसके आधार पर कोई विधेयक विधान मंडल में लाया जायेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पावर तो तुरन्त ही दे देनी चाहिये और जहां तक उस सेल्स-टैक्स ऐक्ट की आवश्यकता होगी और जो विधेयक आयेगा, तो कम्प्रिहेन्सिव फार्म का तो वह विधेयक नहीं कहा जा सकता है। वह दो-चार महीने के अन्दर आ जायेगा। अभी जो सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो उसके मेम्बर कई जिलों में गये और उन्होंने वहां जांच-पड़ताल की। मुमकिन है कि साल भर, डेढ़ साल या दो साल लग जायें, लेकिन जो अधिकार आप इस समय ले रहे हैं, वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको कि पास नहीं होना चाहिये। बहरहाल अब चूंकि यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जा रहा है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सहाब ने इसको असेम्बली में स्वीकार करा लिया है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह सेलेक्ट कमेटी से पास हो जाये इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

***श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा बिल माननीय फाइनेंस मंत्री जी ने पेश किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक छोटा सा बिल है और इस छोटे से बिल को देखकर यह अन्दाजा नहीं लगाना चाहिये कि यह बिल कोई गैर अहमियत का है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बड़ा माकूल बिल है और अब चूंकि यह बिल इस स्टेज पर आ गया है कि इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, इस लिये इसके सम्बन्ध में मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं जिससे कि जो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हों वे और फाइनेंस मिनिस्टर साहब उन बातों का ध्यान रखें।

जो सरकार ने इस तरह का इरादा किया है कि जो नई इन्डस्ट्रीज नेशनल कैरेक्टर की हों, जिनसे कि सरकार को लाभ होगा, तो उन इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वे उन पर चाहें तो सेल्स-टैक्स लगायें या न लगायें और जो सेल्स-टैक्स इस तरह से लगाया जाता है, उस सेल्स-टैक्स को वह इनमें कम कर सकें। यह अख्तियार इस बिल के अन्दर मांगा गया है, तो यह बिल्कुल ठीक है और मुनासिब है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम तीन साल के लिये या ५ साल के लिये यह अख्तियार हो। यह बात मैं इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना अब तक मुखालिफ कामों के लिये बनती गई है, वह ५ वर्ष के लिये होती है। तो मेरा अपना विचार यह है कि इसमें कम से कम ५ वर्ष का समय होना चाहिए। इसमें कोई गवर्नमेंट की पावर को घटाने का सवाल नहीं है, बढ़ाने का सवाल है कम से कम ५ वर्ष का समय इसलिए रखना चाहिये जिससे कम से कम यह तो मालूम हो जाय कि पांच वर्ष के अन्दर, एक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो इन्डस्ट्री खोली गई है, उसका क्या परिणाम हुआ, किस प्रकार से वह डेवलेप हो रही है ?

---

*सदस्यों ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

बाज-बाज इन्डस्ट्रीज तो ऐसी हैं, जो तीन साल में इस्टेब्लिश भी नहीं हो पातीं। इसलिए मेरा अपना विचार यह है कि कम से कम ५ साल का समय हो और ज्यादा से ज्यादा १० साल व १५ साल का भी रख सकते हैं।

दूसरी बात इसके अन्दर यह है और मैं समझता हूं कि मेरा यह सुझाव देना शायद इस बिल के स्कोप से बाहर भी नहीं होगा, क्योंकि यह केवल नई इन्डस्ट्री की बाबत है, जो आलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उन पर यह बिल कुछ एफेक्ट नहीं करता। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी होगी, उसके स्कोप के अन्दर यह बात भी हो कि जो इग्जिस्टिंग इन्डस्ट्रीज हैं, और उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम काटेज इन्डस्ट्री कह सकते हैं, जैसे कि खंडसारी शुगर, वह बहुत से इलाकों की काटेज इन्डस्ट्री बन गई है। मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरे यहां खुद यह इन्डस्ट्री काटेज इन्डस्ट्री बन गई है। लेकिन इस इन्डस्ट्री पर इतना हैवी सेल्स-टैक्स लगा हुआ है कि मैं समझता हूं उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के पास डेपुटेशन वगैरह भी आ चुके हैं, परन्तु अब तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिला है।

**श्री कमलापति त्रिपाठी** (सूचना तथा सिंचाई मंत्री)--केवल इसी के लिए आपने इतनी लम्बी स्पीच दे डाली।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो इग्जिस्टिंग काटेज इन्डस्ट्रीज आजकल हैं, उन पर किसी प्रकार का सेल्स-टैक्स न लगाया जाय। और दूसरी काटेज इन्डस्ट्रीज, जैसे फर्नीचर वगैरह, जिनके डेवलपमेन्ट की बड़ी जरूरत है, अगर उनको सेल्स-टैक्स से छुटकारा दे दिया जाय, तो मैं समझता हूं उनका बहुत कुछ डेवलेपमेन्ट हो सकता है। इस वजह से मैं ऐसा समझता हूं कि इस बिल के अन्दर यह प्राविजन होना चाहिए कि जो आज की नेशनल करैक्टर की इग्जिस्टिंग इन्डस्ट्रीज हैं और जो आइन्दा खुलें, उनके लिए माननीय मंत्री जी को यह अधिकार दिया जाय कि वह चाहे तो सेल्स-टैक्स रिड्यूस कर दें या एक्जेम्ट कर दें। यह दो-तीन सुझाव मैंने माननीय मंत्री जी की सेवा में आप के जरिए से अर्ज कर दिए।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सवाल है, सभी लोग इस बिल का स्वागत करेंगे क्योंकि इसमें सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि वह चाहे तो किसी इन्डस्ट्री पर सेल्स-टैक्स कुछ कम कर दे या बिल्कुल उससे एक्जेम्ट कर दे। लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया और वह प्रश्न वाक़ई बड़ा अहमियत का प्रश्न है। अपने इस प्रदेश में बहुत सी ऐसी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं जिन पर बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स लगा हुआ है। उनमें छोटे-छोटे लोग काम करते हैं। वह बेचारे बिना पढ़े-लिखे लोग होते हैं, ठीक तरह से एकाउन्ट भी नहीं रख सकते। उन पर काफ़ी असेसमेन्ट और आर्बीट्रेरी असेसमेन्ट हो जाता है जिससे उन का काम चौपट हो जाता है। अभी यह कहा गया है कि एक कमेटी सेल्स-टैक्स के सभी मामलों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस इन्क्वायरी कमेटी का काम पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा। उसमें साल, दो बरस, तीन बरस भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज वह इन्डस्ट्री जिस पर काफ़ी सेल्स-टैक्स लगा हुआ है, जिन पर से सेल्स-टैक्स छूटना चाहिए, उसमें एक वर्ष, दो वर्ष का बिलम्ब हो जायेगा। तो ऐसी शक्ल में वह इन्डस्ट्री, जो आज काफी बरबादी की हालत में है, वह मैं समझता हूं दो-एक वर्ष में बिल्कुल चौपट हो जायेगी। ऐसी हालत में अगर कोई इस बिल में उसके लिये प्रोविजन रख दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि उन इन्डस्ट्रीज का, जो काटेज इन्डस्ट्रीज के तौर पर हमारे प्रदेश में काम कर रही हैं, बचाव किया जा सकता है।

दूसरे जहां तक सेल्स-टैक्स का प्रश्न है, हमारे वहां कुछ ऐसी पालिसी चल रही है जिससे इस प्रदेश के ट्रेड पर काफ़ी असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर चूंकि इस प्रदेश में पौलिसी

की कोई यूनीफार्मिटी नहीं है, तो ऐसी शक्ल में उन चीजों को इस प्रदेश में काफ़ी खरीदने में क़ीमत पड़ती है जिनके लिये दूसरे प्रदेश में बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि वहां सेल्स-टैक्स नहीं है। व्यापारी लोग दूसरे प्रदेश से वह चीजें खरीद लेते हैं। उनको उनके लिये वहां कम पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीक़े पर काफ़ी असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर दो—एक चीजें मैं सरकार की नोटिस में आपके द्वारा लाना चाहता हूं। मसलन किराना की, जो चीजें हैं, जिसमें स्पाइसेज और ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उन पर हमारे प्रदेश में टैक्स है और दिल्ली में नहीं है, तो व्यापारी वहीं जाकर उनको खरीद लेते हैं और हमारे यहां की मंडियां बरबाद होती जा रही हैं। मेरी खुद जानकारी की बात है कि हमारे नगर में इन चीजों का लाखों रुपये का कारोबार होता था, लेकिन अब वह बन्द होता जा रहा है और इसका कारण यह है कि व्यापारी दिल्ली चले गये हैं।

इसी तरीक़े से मुझे मालूम है कि ऐसे ही एक समस्या आ गई है। टैक्सटाइल मिलों ने यार्न बनाया था, उस पर सेल्स-टैक्स पड़ता था और दिल्ली में टैक्स नहीं था। तो यहां लाखों करोड़ों रुपये का यार्न इकट्ठा हो गया था और एक क्राइसिस पैदा हो गया था। अब मेरठ या गाजियाबाद के आदमी को अगर जरूरत पड़ती थी, तो वह दिल्ली से मंगाता था। एक-दो रुपया भाड़ा इत्यादि उसको अधिक देना पड़ता था, लेकिन वह १५ रुपये का सेल्स-टैक्स सेव कर लेता था। इस तरह से यहां काफ़ी यार्न जमा हो गया और एक क्राइसिस पैदा हो गई। इस वक्त कुछ मार्केट फेवरेबुल है, लिहाजा इस वक्त स्टाक नहीं है।

तीसरी बात यह है कि एक बड़ी भारी मांग व्यापारी वर्ग की यह है कि अगर गवर्नमेंट विचार करे, यह पौलिसी की बात है, कि वह सेल्स-टैक्स जहां माल मैनुफैक्चर होता है, वहीं पर लगा दे। तो इससे काफ़ी जहमत व्यापारी वर्ग की बच जायेगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा और इस तरह हो जाने से व्यापारी वर्ग भी अपने को तमाम जहमतों और मुक़दमों से बचा सकता है। गवर्नमेंट की यह अपने सोचने की चीज है। मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर किस तरह से विचार कर रही है। अगर इस तरह से विचार हुआ तो व्यापारी वर्ग को इससे काफी लाभ पहुंचेगा। इन्क्वायरी कमेटी, जो मुक़र्रर हुई थी, उस समय भी यह बात कही गई थी। तो आज मैं माननीय मंत्री से इस समय का लाभ उठाकर यह बात कहना चाहता हूं कि अगर वहीं पर सेल्स-टैक्स लगा दिया जाय जिस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक्साईज ड्यूटी इत्यादि लेती है, तो इससे काफी लाभ हो सकता है।

**श्री चेयरमैन**—यह इस विधेयक से असंगत है।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—तो इस तरह से सरकार इस पर विचार करे। यदि इस तरह से विचार किया गया, तो मैं समझता हूं कि काफी लोगों को लाभ होगा।

चौथी बात मुझे यह कहना है कि हमारे यहां ठठेरों की इन्डस्ट्री है। उन पर काफी सेल्स-टैक्स लग गया है और इस सम्बन्ध में कुर्की, गिरफ्तारियों की नौबत आ गई है। इसके बारे में रिप्रेजेन्टेशन भी हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर फिर से विचार करें। वह इन्डस्ट्री बिल्कुल स्माल स्केल इन्डस्ट्री है और सुबह से शाम तक मजदूर बरतन बनाते हैं और उनको बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनको जरूर बरी कर दिया जाय।

किसी भी तरीके से अगर इन लोगों को बचाया जा सके, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह जो बेकार हो गये हैं, उनको रोजगार मिल सके। बस इतना ही मुझे कहना था।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—जनाब वाला, जो बातें कही गई हैं, मसलन खंडसारी शकर की बात कही गई है, तो मैं कह दूं कि गवर्नमेंट खुद उसे सेल्स-टैक्स से मुस्तसना कर सकती है, वह तो मौजूदा कानून में है। गवर्नमेंट को तो हर वक्त किसी चीज पर से टैक्स हटा लेने

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

का अख्तियार है। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है और न उनको यहां पर कहने की जरूरत इस वक्त थी। जो कमेटी का जिक्र था, तो उस कमेटी के सामने तजवीज है कि किन-किन चीजों का मुस्तसना किया जाय या किन किन चीजों को मुस्तसना न किया जाय। वह अपनी तजवीज देगी और उस पर गौर किया जायेगा। चुनांचे आपको याद होगा कि १३, १४ चीजों को गवर्नमेंट मुस्तसना कर चुकी है। वह तो मौजूदा कानून में गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह कर सकती है। इस वक्त तो सिर्फ इतनी सी बात है जितनी कि मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि वह गुड्स से हटा-कर दूसरे तरह से चीज मौजूद है।

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्ताव कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के लिए परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन किया जाय

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—

Sir, I move that the following members be elected by this Council to serve on the Joint Select Committee of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1955.

1. Sri Prem Chandra Sharma.
2. ,, Banshi Dhar Shukla.
3. ,, Badri Prasad Kackar.
4. ,, Panna Lal Gupta.
5. ,, Shiva Sumran Lal Johri.
6. ,, Krishna Chandra Joshi.
7. ,, Kr. Guru Narain.
8. ,, Shiva Prasad Sinha.

**श्री चेयरमैन**—प्रस्ताव यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक पर प्रस्तावित संयुक्त प्रवर समिति पर विधान परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया जायः—

(१) श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
(२) श्री बंशीधर शुक्ल
(३) श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
(४) श्री पन्ना लाल गुप्त
(५) श्री शिव सुमरन लाल जौहरी
(६) श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
(७) श्री कुंवर गुरु नारायण
(८) श्री शिव प्रसाद सिन्हा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बिल हमारे सामने एक बड़ा आवश्यक बिल है, जिसे आज से पहले ही आ जाना चाहिये था। यह बिल महत्वपूर्ण भी है और बड़ा भी है। हमारे भाई श्री प्रताप चन्द्र जी ने अभी कहा था कि यह बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण बिल है, तो मुझे आवश्यकता हुई कि एक बड़ा बिल लाऊं। यह बिल बड़ा भी है और अधिक अहम भी है। इस संबंध में जो कानून बहुत दिनों से हमारे प्रदेश में प्रचलित है, उसमें कुछ संशोधन करके, आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है : विधान सभा में इस विधेयक पर विचार हुआ, वाद विवाद हुआ और वहां से संशोधित रूप में स्वीकृत होकर यह इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

इंडियन मेडिसिन बोर्ड की स्थापना सन् १९३९ में हुई थी और तब से बराबर वह बोर्ड हमारे प्रदेश में काम कर रहा है। ६, ७ वर्ष काम करने के बाद इस बोर्ड की कार्य पद्धति से जो कुछ अनुभव हुआ और जो पुराने कानून थे उसके कारण और कार्रवाई के संचालन के अनुभव के आधार पर, यदि कुछ उसमें शिकायत और दोष दिखाई पड़े, तो उन्हें दूर करने के विचार से, १९४६ में एक रिआर्गनाइजेशन कमेटी कायम की गई, जो तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री खेर जी, की अध्यक्षता में बनी। उस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न भागों में दौरा किया और आयुर्वेदिक शिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा कुछ दवायें भी देखीं। सन् १९४९ में उसने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को, उस कमेटी ने अपने महत्वपूर्ण शब्दों में सरकार के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया और यह सिफारिश की कि उसके आधार पर, इंडियन मेडिसिन ऐक्ट सन् १९३९ का जो है, उसमें संशोधन और परिवर्तन कर दिये जायें। फिर उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर स्वयं इंडियन मेडिकल बोर्ड ने उस पर विचार किया और प्रदेश की देशी चिकित्सा पर दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने भी विचार किया। उस पर टीका टिप्पणी भी हुई और सरकार के सामने वह रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत थी कि उसके आधार पर किस प्रकार संशोधन किये जायें। तो विचार के बाद, अब इस ऐक्ट में संशोधन करने के लिये यह विधेयक सामने रक्खा गया। विधेयक का आधार साधारण उन्हीं शब्दों में है जिसे रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के विचार के लिये प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि इस बिल के मूल अधिनियम में कुछ मौलिक परिवर्तन करने वाली धारायें रखी गई हैं।

हमारे प्रदेश में वैद्य की चिकित्सा पद्धति काफी प्रसिद्ध रही है और इस प्रदेश में अच्छे-अच्छे वैद्य, जो सारे देश में प्रसिद्ध रहे हैं, मौजूद रहे हैं। उसमें देशी चिकित्सा पद्धति और तिब्बी यूनानी चिकित्सा पद्धति शामिल रही है और यहां प्रसिद्ध हकीम रहे हैं, जो हिन्दोस्तान, में प्रसिद्ध रहे हैं, और अपनी विद्वत्ता और विज्ञान के द्वारा प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे हैं।

जो यह इंडियन बोर्ड स्थापित हुआ था, वह इस विचार से हुआ था कि देशी चिकित्सा जो है, उसकी एक आयोजित ढंग से व्यवस्था की जाये। इसे कुछ प्रोत्साहन भी ठिकाने से मिलता रहे, पठन और पाठन की व्यवस्था भी ठीक से हो जाये और धीरे-धीरे इस पद्धति का विकास भी हो जावे। इधर जब से देश में स्वतन्त्रता का उदय हुआ है, इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है कि प्रदेश के कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति के लिये, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये, रोगों से मुक्ति दिलाने के लिये, व्यवस्था की जाये। तब से हम यह भी आवश्यकता समझने लगे हैं कि अपने यहां की चिकित्सा पद्धति, जो यहां के रहने वालों की आर्थिक दृष्टि से और जलवायु के अनुकूल हो, उसका विकास किया जाये और इन दृष्टिकोणों को रख कर के यह आवश्यक हुआ कि हम इसके संगठन और विकास के लिये नये प्रकार से प्रयास करें। आप इस बिल को देखेंगे तो इसमें आपको यह स्पष्ट हो जायेगा कि इसका सारा लक्ष्य यह है कि अपने प्रदेश के इंडियन मेडिसिन बोर्ड को ऐसा स्थान और पद प्रदान किया जाय जिससे इस पर लोगों का विश्वास बढ़े। आयुर्वेद और यूनानी के अध्ययन और अध्यापन के लिये, एक व्यवस्थित ढंग से योजना चलाई जा सके।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जो रिआर्गेनाईजेशन कमेटी बनी थी, उसमें भी उन्होंने इन्हीं दृष्टियों को रख करके अपने सुझाव दिये और अब इस बिल के द्वारा जो पुराने ऐक्ट में परिवर्तन किये गये हैं, वह मुख्य रूप से दो–तीन ही हैं, जिनको मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर सदन के सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। पहला यह है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड का स्वरूप ऐसा होता था कि उसमें सदस्य होते थे, जिसमें भिन्न-भिन्न संस्थाओं के चुने हुये निर्वाचित सदस्य आते थे और २२ की संख्या उनकी होती थी। अब जो प्रस्ताव किया गया है, उसमें संभवतः २१ के करीब सदस्य होंगे। पुराने बोर्ड में असेम्बली से, कौंसिल से और शायद स्वायत्त शासन के विभागों की संस्थाओं से भी रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों की ओर से, युनिवर्सिटीज की ओर से और जो संस्थायें आयुर्वेद की शिक्षा देती हैं और बोर्ड से रिकग्नाइज्ड हों, उनकी ओर से चुने हुये लोग आते थे और वह अपना अध्यक्ष चुना करते थे। मैं यह निवेदन करूं कि यह प्रस्तुत बिल, जिसका आधार रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशें हैं, उसके अनुसार जो प्रस्ताव किया गया है, वह यह है कि करीब २१ सदस्यों का यह बोर्ड बनेगा और उसमें ऐसी यूनीवर्सिटीज के मेम्बर्स होंगे, जिनके यहां आयुर्वेद और यूनानी शिक्षा दी जाती हो, उसमें ऐसे सदस्य होंगे जो बोर्ड से सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त, आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं से चुने हुये हों। ऐसे सदस्य होंगे जिनको रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम चुनेंगे, जिनकी संख्या पहले से बढ़ा दी गई है। पहले ६ होते थे, अब ६ रजिस्टर्ड वैद्य और ३ रजिस्टर्ड हकीमों की ओर से चुने हुये होंगे। इस प्रकार करीब २१ का बोर्ड बनेगा, जिसका अध्यक्ष और जिसके ५ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। अध्यक्ष की इलेक्शन पद्धति इसमें से हटाई गई है और जिन स्थानों पर चेयरमैन कहलाता था, वह प्रेसीडेन्ट होगा। उनका नामीनेशन और उसके साथ ५ सदस्यों का नामीनेशन सरकार द्वारा होगा। इस प्रकार से यह २१ का बोर्ड बनेगा।

पुराने ऐक्ट के मुताबिक इस बोर्ड के तीन फंक्शन्स थे। एक तो यह था कि यह अपनी संस्थाओं को, जो आयुर्वेद या यूनानी की शिक्षा देते थे, उनका रिकग्नीशन करता था और ऐफीलियेशन करता था। रिकग्नीशन और ऐफीलियेशन यह जेनेरल था। दूसरा फंक्शन यह था कि बोर्ड की ओर से आयुर्वेद और यूनानी की जो परीक्षा होते थे, उनके एक्जामिनेशन का यह संचालन करता था। तीसरा फंक्शन यह था कि कुछ संस्थाओं को यह ग्रांट दिया करता था और वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन किया करता था। यह काम आपके भारतीय चिकित्सा बोर्ड के सामने था।

जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, वह इस कारण से बनी कि सारा काम बोर्ड के हाथ में था, ऐफीलियेशन एक्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और ग्रांट का देना इत्यादि। वहां काफी शिकायतें हुईं और फिर इस बिना पर वह रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन कामों का कुछ बटवारा होना चाहिये। एक बोर्ड के हाथ में सारा काम दे देने से काफी दिक्कत पैदा होती है। उन्होंने सिफारिश की कि बोर्ड रजिस्ट्रेशन का काम करे और बोर्ड ही अपनी एक फैकल्टी बनाये जो एक्जामिनेशन का काम करे और ऐफीलियेशन भी बोर्ड के सामने आये और फिर बोर्ड उसको मन्जूर करे। इसी हिसाब से इस बिल में व्यवस्था की गई है। अब आप देखेंगे कि जो सारा काम बोर्ड के हाथ में दिया गया था, वह बोर्ड के ही बीच में बांट दिया गया। ग्रांट देने का काम गवर्नमेंट के जिम्मे, एक्जामिनेशन चलाने का काम फैकल्टी के जिम्मे, ऐफिलियेशन बोर्ड के जिम्मे और जो फैकल्टी बनेगी, उसका चेयरमैन बोर्ड का चेयरमैन होगा। यूनिवर्सिटी सदस्य जो बोर्ड में आये हैं और इन्स्टीट्यूशन्स से जो चुने हुये आवेंगे वे उसके सदस्य होंगे। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। स्थूल रूप से बिल की यही मन्शा है।

महामान्यवर, इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इंडियन मेडिसिन बोर्ड का अध्यक्ष रहा, कदाचित् दो वर्ष तक और उसका मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी है कि किस तरह से काम करने की कठिनाई उसमें होती है और कैसी दिक्कतें उसमें पैदा होती हैं। इसका

अनुभव मुझे हैं और इस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस किस्म के बिल की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में यू० पी० मेडिकल कौंसिल है, जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से इंडियन मेडिसिन बोर्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिये, बावजूद इसके कि इन्डियन मेडिसिन बोर्ड यहां रहा, वह परीक्षायें चलाता रहा, अपने प्रदेश में भी और बाहर भी, आयुर्वेद और यूनानी की शिक्षा देने वाली संस्थाओं का ऐफिलियेशन करता रहा और धीरे-धीरे उसके शिक्षा कार्य में, अनेक कारणों से, जिनका में यहां उल्लेख नहीं करना चाहता, उसकी शिक्षा पद्धति में त्रुटियां आती गईं और एक्जामिनेशन भी बहुत खराब रहे, जिनका मुझे अनुभव है और उनके कारण बोर्ड से निकले हुये या ऐसी संस्थाओं से निकले हुये, हमारे वैद्य और हकीमों के ऊपर जो विश्वास होना चाहिये था, उनकी योग्यता के सम्बन्ध में जो हमारी मान्यता और धारणा होनी चाहिये थी, वह धीरे-धीरे हट गई।

स्वास्थ्य, औषधि, उपचार और दवादारू का सम्बन्ध ऐसा होता है, जो कि मनुष्य के जीवन से होता है, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और किसी भी शिक्षा पद्धति के विषय को पढ़ाने में उसका स्टैन्डर्ड गिराना उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन औषधि में किसी प्रकार का स्टैन्डर्ड गिरा, तो एक बड़ी भयानक बात हो सकती है जिसकी कल्पना मात्र से परेशानी हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि औषधि पद्धति का विकास हो और यह चाहते हैं कि जो लोग इससे निकलें वे इस योग्य हों, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काम, जिसका सम्बन्ध लोगों के प्राण और प्राणों की रक्षा से है, का भार उठा सकें, तो यह जरूरी है कि इस बोर्ड का सुसंगठन किया जाय और इसका संचालन इस तरह से हो कि जो लक्ष्य हमने सामने रखा है, उसकी पूर्ति हो सके। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बिल आवश्यक है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है, इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इसे इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडियन मेडिसिन (अमेंडमेंट) बिल, जो अभी माननीय कमलापति जी ने भवन के सम्मुख रखा है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमन्, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज हमको चिकित्सा के सम्बन्ध में एक सही कदम उठाना है और जैसा अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि किसी भी चीज से खिलवाड़ किया जा सकता है, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है और जो सिस्टम हमारे इलाज का, उसमें हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार उसका संचालन करें कि किसी प्रकार से कोई गलती होने की उम्मीद न हो।

आज यह भी है कि हमारे देश में ही क्या, हर जगह प्रायः चार प्रकार से सिस्टम चल रहे हैं, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। ये चार सिस्टम इस समय चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हमने देखा, जबकि कुछ दिन पहले यहां पर होम्योपैथिक बिल आया था, कि ये जो सिस्टम चल रहे हैं, इनमें एक दूसरे में बड़ा मतभेद सा है, एक दूसरे के प्रति कुछ अविश्वास है और दूसरे सिस्टम को न मानने की बात डाक्टरों में है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि जो चिकित्सा का कार्य है, यह हो सकता है कि अभी हमारी जानकारी इतनी न हो, लेकिन हमें चाहिये कि इन चारों सिस्टम को कोआर्डिनेट करें और एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम निकालें जिससे ये चारों सिस्टम मिलकर सुन्दर तरीके से चिकित्सा का कार्य कर सकें। आज ऐसा होता है कि एलोपैथी डाक्टर होम्योपैथी मेडिसिन को लेते हैं, जहां उनका एलोपैथिक फेल हो जाता है। इसी तरह से जहां पर आयुर्वेदिक फेल हो जाता है, वहां पर एलोपैथिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। जहां तक सर्जिकल साइड का ताल्लुक है, वहां पर एलोपैथिक कार्य बहुत अच्छा चलता है। मेरा तो ख्याल है कि शायद १० या २० वर्ष के बाद कोई ऐसा सिस्टम आ जायेगा, जिसमें यह चारों किस्म की जो चिकित्सा प्रणाली है, मिली-जुली होगी। उससे फिर बहुत ही अच्छी तरह से चिकित्सा हो सकेगी।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, तो इसके लिये मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक पहले के मुकाबिले में बहुत ही अच्छा है और काफी इम्प्रूवमेंट के साथ यहां पर आया है। इसमें कई बातें बहुत ही अच्छी रखी गयी हैं। पहले विधेयक के अनुसार २७ मेम्बरों का बोर्ड होता था, लेकिन इस विधेयक के अनुसार संभवतः १९ से २१ तक ही बोर्ड के मेम्बर होंगे। मैं समझता हूं कि यह एक सही कदम है और जितनी कमी की जाय उतना ही अच्छा है।

दूसरी चीज इसमें यह है कि अब जो बोर्ड बनाया जायेगा, उसमें सिर्फ जो विशेषज्ञ होंगे, वही उसके मेम्बर होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें लेजिस्लेचर का कोई मेम्बर नहीं रखा गया है, और जो लोग म्युनिसिपल बोर्ड से आते थे, उनके लिये भी इसमें कोई प्राविजन नहीं किया गया है। इस बोर्ड में वही लोग होंगे, जो उस चीज के विशेषज्ञ होंगे। मैं समझता हूं कि हमारा जो पहले का ऐक्ट था उसके मुकाबिले में यह विधेयक बहुत ही सुन्दर है और अब बहुत ही अच्छी तरह से कार्य का संचालन हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज अवश्य है, जिसको मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि उसमें मेरी राय में और सरकार की राय में फर्क हो। गवर्नमेंट ने इसमें यह बात रखी है कि प्रेसीडेन्ट का नामिनेशन होना चाहिये, मैं इस को ठीक नहीं समझता हूं। होम्योपैथिक बोर्ड में गवर्नमेंट ने प्रेसीडेन्ट के लिये नामिनेशन की प्रथा रखी थी, क्योंकि उसमें विशेषज्ञ अधिक नहीं थे, लेकिन इसके बारे में मेरा तो यह ख्याल है कि जब वह बोर्ड सिर्फ विशेषज्ञों का ही होगा, तो उसमें नामिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल में तो प्रेसीडेन्ट का चुनाव ही होना चाहिये। इस बोर्ड के सारे मेम्बर विशेषज्ञ ही होंगे, तो वे लोग अपना प्रेसीडेन्ट आप अच्छी तरह से चुन लेंगे। अगर वह प्रेसीडेन्ट उन लोगों के द्वारा चुन कर आयेगा, तो वे लोग उसके ऊपर ज्यादा कान्फिडेन्स रखेंगे और उसकी डिगनिटी भी अच्छी तरह से कायम रहेगी। मैं तो समझता हूं कि उन लोगों को इस बात के लिये मौका देना चाहिये कि वे अपना प्रेसीडेन्ट आप चुन लें।

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि कार्य के संचालन में परेशानी होती थी, इसलिये उसको सुचारुरूप से चलाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। आपने बोर्ड के मेम्बरों को कम कर दिया है, यह ठीक है, इससे अब कार्य करने में आसानी होगी।

इसके साथ ही साथ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि और वह यह है कि मूल विधेयक में २०० रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इस विधेयक में उसके साथ ही ६ महीने की सजा भी रखी गयी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित चीज है। आज हम कह सकते हैं, शहरों को यदि छोड़ दिया जाय, लेकिन कुछ शहरों में ऐसा होगा, मगर देहातों में तो ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं जिनको इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है और उन्होंने थोड़ी सी स्टैन्डर्ड मेडिसिन्स की जानकारी हासिल कर ली है, उन्हीं के जरिये से वह देहातों में अपना कार्य चलाते हैं और उनकी आमदनी भी इससे होती है। कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, मगर बहुत से अनरजिस्टर्ड भी हैं जो कि देहातों में काम कर रहे हैं तो उनके लिये सजा और जुर्माना दोनों रखा गया है, तो बहुत से हद तक मैं समझता हूं कि इससे उन क्वैक्स का सुधार होगा और इस प्राविजन को स्वीकार ही करना चाहिये।

इसमें एक चीज और रखी गई है। पहले के बोर्ड के मेम्बरों को जो टी० ए० अलाउन्स दिया जाता था, वह फर्स्ट क्लास आफिसर्स का दिया जाता था और अब इसमें टी० ए० वेग कर दिया गया है, शायद रूल्स में इसका प्राविजन किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में ही इस सम्बन्ध में स्पेसिफिक प्राविजन होना चाहिये कि क्या मेम्बरों का टी० ए० होगा और क्या उनको मिलेगा? इस चीज को यहां पर वेग नहीं रखना चाहिये। इसमें गवर्नमेंट फैकल्टी को स्वीकार किया गया है, मगर इसमें रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, मैं समझता हूं कि इस फैकल्टी में रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये।

यह चन्द सुझाव मेरे इस विधेयक के सम्बन्ध में हैं और मैं आशा करता हूं कि जो नया बोर्ड बनेगा वह बहुत अच्छा होगा, पहले बोर्ड के मुकाबले में उसमें गुंजाइश भी अधिक है और उसका कान्स्टीट्यूशन भी अधिक सुन्दर कर दिया गया है और उसके पावर्स भी ज्यादा से ज्यादा कर दिये गये हैं। मुझे आशा है कि इससे बहुत कुछ सुधार होगा, लेकिन जो चन्द सुझाव मैंने उचित समझे, इस सम्बन्ध में, वह मैंने आपके सामने रख दिये और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इन पर विचार करेगी।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है, इसमें शक नहीं है कि उनके शब्दों में ही यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल को देखकर मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बिल के अन्दर बहुत कुछ सुधार किये गये हैं और इस बिल के पास हो जाने से मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड की वर्किंग में एफीसियेन्सी ही नहीं आयेगी, बल्कि मेरा अपना विचार यह है कि आयुर्वेदिक, तिब्बी और यूनानी दवाइयां जो हमारे प्रदेश में होती हैं, उनकी भी उन्नति होगी। बहुत समय से हमारे इस प्रदेश के अन्दर आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम को जो नेगलेक्ट किया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने की वजह से उनकी भी उन्नति होगी, और उनमें भी एफीसियेन्सी आयेगी।

इस बिल के अन्दर एक खास अहमियत की चीज यह की गई है कि जो परीक्षायें होती हैं, उनके लिये इस बिल के अन्दर एक अलग बोर्ड बना दिया गया है और इस बोर्ड को काफी बड़ी पावर्स दे दी गई और काफी शक्ति दे दी गई है जिससे कि इन परीक्षाओं में, जो कि आयुर्वेद, वैद्यक और यूनानी के सम्बन्ध में होती हैं, चेक हो सके। जहां तक दूसरी बातों के चेक करने का सम्बन्ध है, जैसे अनरजिस्टर्ड और अनअथाराइज्ड वैद्य हैं, तो उनको चेक करने के लिये इस बिल में काफी प्राविजन जुर्माने का और दंड का रखा गया है। इन सारी बातों के लिहाज से मैं समझता हूं कि यह बड़ा सुन्दर विधेयक है।

जहां तक इंडियन मेडिसिन बोर्ड के प्रधान का सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में कुंवर साहब ने फरमाया कि प्रधान के नामिनेशन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें काफी लोग हैं और जो बोर्ड बनेगा उसमें करीब-करीब सभी क्वालीफाइड आदमी होंगे, इसलिये इसके अन्दर अगर इलेक्शन हो जाता, तो बेहतर था। लेकिन मैं समझता हूं कि वह बेहतर नहीं था। जो नामिनेशन का प्राविजन इसमें रखा गया है, मेरा अपना विचार यह है कि इससे बोर्ड की एफीसियेंसी काफी बढ़ जायेगी। मेरा अपना यह विश्वास है कि जो इंडियन मेडिसिन बोर्ड का प्रधान नामिनेटेड होगा, वह ऐसा होगा जो एमीनेन्ट और क्वालीफाइड वैद्य होगा। इलेक्शन में तो कोई आदमी आ सकता है, चाहे उसको बोर्ड से कोई दिलचस्पी हो या न हो, उसकी आयुर्वेदिक और यूनानी हिकमत से दिलचस्पी हो या न हो, यदि वह बोर्ड का सदस्य होगा, तो चाहे जितना ही दूसरे कामों में मसरुफ हो, वह इलेक्शन्स में आ सकता है। इसलिये मेरा ख्याल है कि सरकार एक ऐसे आदमी को नामिनेट करेगी जो उस बोर्ड की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सके।

(इस समय १२ बजकर २ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

दूसरी बात मैं बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। इसका कान्स्टीट्यूशन बहुत कुछ ठीक है, किन्तु इस सम्बन्ध में एक-दो सुझाव मुझे माननीय मन्त्री जी की सेवा में अर्ज करने हैं। वह यह हैं कि मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर एक-दो प्राविजन्स जो रखे गये हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि ५ व्यक्ति नामिनेट होंगे, गवर्नमेंट के जरिये से और इसके साथ ही साथ ९ वैद्य और हकीम जो होंगे, उनमें से उनका इलेक्शन होगा, तो इसमें यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब ५ व्यक्तियों का नामिनेशन होगा, तो फिर इलेक्शन के क्या माने हैं? इसके अन्दर एक प्राविजो है, जिसमें लिखा गया है कि सबके सब

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

वही होंगे, जो रजिस्टर्ड वैद्य होंगे और यह भी कि रजिस्टर्ड वैद्य ९ होंगे, जो इलेक्शन के जरिये से आयेंगे और इसके साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर से इलेक्ट होते थे, उसके प्रोवीजन को शायद उड़ा दिया गया है। इसके सम्बन्ध में माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने यह फरमाया कि शायद असेम्बली और कौंसिल में वैद्यों का अभाव हो। मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक बिल जो यहां पर पास हुआ है और उससे पहले एलोपैथिक का जो बोर्ड है, उसमें भी जहां तक मेरा ख्याल है, असेम्बली और कौंसिल के नुमायन्दे मौजूद रहते हैं और यह बिल ऐसा आया है जिसमें लेजिस्लेचर के नुमायन्दे नहीं हैं। जहां तक वैद्यों के मिलने का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि असेम्बली इतनी बड़ी बौडी है जिसके अन्दर ४३१ व्यक्ति हैं, उसमें दो-चार नहीं बल्कि ४, ६, १० वैद्य हैं और कौंसिल का जहां तक ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि यहां पर भी दो-चार अच्छे और क्वालीफाइड वैद्य हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि लेजिस्लेचर के मेम्बरों का प्रावीजन क्यों उड़ा दिया गया है।

परीक्षा के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि परीक्षा के लिये जो बोर्ड बनेगा और उसके लिये जो पावर्स दिये गये हैं वह बहुत ठीक हैं। लेकिन उसके अन्दर एक बहुत बड़ी पावर दी गयी है, मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर जरूर गौर करेगी। वह पावर यह है कि किसी भी संस्था को, चाहे वह यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो सस्पेंशन या विघड़ा करने की पूरी पावर बोर्ड को दी गयी है। मेरा विचार है कि यह पावर अगर सरकार को मिलती, तो बहुत ठीक होता। किसी संस्था के रिकगनीशन को विथड्रा करने या सस्पेन्ड करने की पावर गवर्नमेंट को होनी चाहिये। उसके सम्बन्ध में फाइनल आर्डर्स गवर्नमेंट के ही होने चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका असर यह होगा कि इस प्रकार का जो बोर्ड इलेक्शन से बनता है, तो उसमें कभी कभी पार्टीबाजी होती है और अक्सर यह भी होता है कि कुछ एजूकेशनल संस्थायें किसी के मुआफिक होती हैं और कुछ खिलाफ होती हैं। इस तरह से फिर पार्टीबाजी चलने लगती है। इसलिये मैं समझता हूं कि रिकमेन्ड करने की अथारिटी तो बोर्ड को दे दी जाती, लेकिन फाइनल अथारिटी गवर्नमेंट अपने पास रखती।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत समय से यह देखा जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन पालिसी बोर्ड की है, वह बहुत ढीली पालिसी है और उसके अन्तर्गत यह होता है कि वे लोग रजिस्टर्ड वैद्य बन जाते हैं जो किसी प्रकार का कोई इम्तहान पास नहीं होते हैं। उनकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं होती है। लेकिन किसी मेम्बर से सिफारिश करवा लिया या किसी लेजिस्लेचर के मेम्बर से सिफारिश करवा लिया और फिर आसानी से उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इस बिल में कोई ऐसा प्राविजन नहीं दिया गया है जिससे किसी प्रकार की रुकावट होती। इस बिल के अन्तर्गत बहुत से रूल्स और प्राविजन बनाने का अधिकार सरकार को है। आजकल जब कि वैद्यों की संख्या बढ़ गई है, तो यह जरूरी होना चाहिये कि जिनको रजिस्टर्ड किया जाय, उनको देख लिया जाय कि वे किसी आयुर्वेदिक कालिज से कोई परीक्षा पास हैं या नहीं। पहले तो वैद्य कम थे, लेकिन आज तो इतने हो गये हैं कि उनको खपाना भी कठिन हो रहा है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जब उनको रजिस्टर्ड किया जाय, तो यह देख लिया जाय कि वे कोई इम्तहान पास हैं या नहीं ?

इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इतना आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के बावजूद भी आज एलोपैथी और आयुर्वेदिक में भारी अन्तर है। अन्तर ही नहीं, बल्कि ऐलोपैथी और आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी भारी अन्तर है। जो एम० बी०, बी० एस० पास करके निकलता है, उनको भारी तनख्वाह मिलती है और जो बी० एम०, बी० एस० पास करके आता है, उसको कम तनख्वाह मिलती है। इस तरह से बी० एम०, बी० एस० के विद्यार्थी अपने को नीचा समझने लगते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि जो एम० बी०, बी० एस० का ग्रेड हो, वही बी० एम०, बी० एस० का भी हो। इस तरह से आयुर्वेद और यूनानी को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। अगर यह कर दिया जाता है, तो बी० एम०, बी० एस०

के जो विद्यार्थी हैं, उनमें अपने को नीचा समझने की भावना नहीं पैदा होगी। मैं यह समझता हूं कि उनके अन्दर बराबरी लाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इन दोनों तरह के डाक्टर और हकीम का वेतन एक हो और डिपार्टमेन्टल उनको समान माना जाय।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा, वह यह है कि जब होम्योपैथी बिल पहले पास हुआ था और जब एलोपैथिक, बिल पास हुआ था, तो उनके अन्दर यह रखा गया था कि दवाओं के चेक करने के लिये क्वालीफाइड इन्सपेक्टर्स रखे जायेंगे ताकि खराब दवायें न बिकने पायें। माननीय मन्त्री जी ने भी, जहां तक मुझे याद है, कहा था कि दवाओं का मसला बहुत अहम मसला है और खराब दवायें देने से लोगों पर बहुत खराब असर पड़ता है। तो यह चीजें मुझे उस समय बहुत अच्छी जंची थीं। लेकिन आज जो यह बिल आया है, तो उसमें इस प्रकार की चीज नहीं लाई गई है। मेरा अपना ख्याल है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक दवायें बेचने वाले अधिक देखने में आते हैं, जो जगह जगह पर बैठे रहते हैं, इसलिये उनकी दवाओं के चेक करने के लिये भी इन्सपेक्टर्स जरूर रखे जाने चाहिये। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि जैसे एलोपैथिक और होम्योपैथिक की दवायें रखने वालों को लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे ही इनके साथ भी लाइसेंस की कैद होनी चाहिये। इस संशोधन के साथ में इस बिल का पूरी तौर से स्वागत करता हूं।

***श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित है, वह अपनी अहमियत इसलिये रखता है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आज भी बहुत से परिवार हैं, जिनमें यह विश्वास किया जाता है कि उनके परिवार के लोगों को इन्हीं की दवाओं से फायदा होता है और वे हमेशा अपने परिवार का इलाज इसी से कराते हैं। इसलिये जो विधेयक आया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

सन् १९४२ में इंडियन मेडिसिन बिल बना था। फिर सन् १९४७ में रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाई गई थी, जिसके बाद आज यह संशोधक विधेयक हमारे सामने आया है। इसमें दो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आई हैं, इसलिये मैं उन चीजों को सामने रख कर इस बिल का स्वागत करूंगा।

जहां तक प्रेसक्राइब्ड करने की बात है, लोगों के इम्तिहान की बात है और उसके लिये कोर्स बनाने का सम्बन्ध है, और इन सब चीजों के लिये एक फैकल्टी बनाये जाने की भी बात है, तो यह सब बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।

बोर्ड के जिम्मे जितना काम था उस काम का जो कुछ महत्व था, उसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया। बोर्ड ने जितना काम किया है, उसको देखने से मालूम होता है कि उसने यही किया है कि ग्रांट कहां अधिक दी जाये, कहां पर कम दी जाये। शिक्षा को पद्धति को उठाने के लिये जो कार्यवाही होनी चाहिये उसमें कमी मालूम होती है। ऐसी हालत में फैकल्टी का निर्माण बहुत ही आवश्यक कार्य है। उसका यहां पर जो स्थान दिया गया है, उससे बिल का महत्व बढ़ जाता है।

लेकिन इसके साथ ही साथ दो बातें ऐसी हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। पहली बात तो यह है कि नामिनेशन की जो प्रथा है, उसके बारे में सरकारी पद्धति की बातें की गयीं। इस बोर्ड में क्वालीफाइड लोग अर्थात् रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम लोग रहेंगे। ऐसी जगह में नौमिनेशन का सवाल ठीक नहीं मालूम होता है। फिर भी सरकार की तरफ से नौमिनेशन की बात रक्खी गई है। मैं तो चाहूंगा कि नामिनेशन की पद्धति खत्म हो। लेकिन अगर नौमिनेशन की बात होती है, तो सरकार की थोड़ी सी कोशिश

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

यह रहनी चाहिये जिससे किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। इस अमेंडमेंट के जरिये से जो सरकार ताकत ले रही है, उसका मिसयूज न हो। नामिनेशन में चाहे जितनी कोशिश की जाये कि किसी किस्म की पार्टी बन्दी न होने पाये लेकिन किसी न किसी प्रकार से वह बात हो ही जाती है। इसलिये जो सरकार से नामिनेशन की बात कही जाती है, वह पार्टी बन्दी से ऊपर होनी चाहिये और सरकार को नामिनेशन के मामले में काशस रहना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को अगर एलोपैथी के मुकाबले में रखना है, तो इस बात का विचार जरूर करना पड़ेगा कि जो लोग आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति से पढ़कर निकलते हैं, उनकी वही हैसियत हो जो एलोपैथी पढ़कर निकलते हैं। ५ साल का कोर्स आयुर्वेदिक और यूनानी के लिये भी है और ५ साल का कोर्स एम० बी०, बी० एस० के लिये भी होता है। आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम से जो पढ़कर निकलते हैं और एलोपैथी सिस्टम से जो पढ़कर निकलते हैं, उनकी हैसियत में बड़ा फर्क होता है। यदि सरकार इस नीति को बरतती रही, जो कि अभी तक है, तो मैं समझता हूं कि जो सम्मान आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का होना चाहिये, वह नहीं हो पायेगा। इसके साथ-साथ एक खतरा और भी है कि हम चाहे जितना उपाय करें, लेकिन अगर दोनों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं होगा, तो लोग आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की तरफ न जा करके एलोपैथी की ही ओर जायेंगे। इसलिये जो फर्क है, उसको दूर करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के जरिये बोर्ड के सदस्यों के नौमिनेशन की बात रक्खी गई है तो जो रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम होंगे, वही चुन कर बोर्ड के ९ मेम्बर भेजेंगे। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में, सरकार की तरफ से ५ आदमियों का नौमिनेशन ठीक नहीं मालूम होता।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि नामिनेशन का जो तरीक़ा है, वह अपनी जगह पर ग़लत तरीक़े से प्रभाव डाल रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि सारी कोशिश नौमिनेशन के तरीक़े से आने के लिये की जाती है, जिससे सही लोग नहीं हो पाते हैं। चेयरमैन के नौमिनेशन की बात तो समझ में आती है, लेकिन ५ सदस्यों का नामिनेशन यहां ठीक नहीं मालूम देता है। साथ ही साथ जो संख्या में कमी की गई, वह अच्छी बात है, क्योंकि कम संख्या का बोर्ड अपनी जगह पर इफीशिएंसी के साथ काम कर सकता है, बनिस्बत अधिक संख्या के।

इसके साथ साथ एक बात देख कर मुझे दिक्कत महसूस हुई। इस अमेन्डिंग बिल के ज़रिये जो ग्रान्ट देने का सवाल था, उसको सरकार ने अपने हाथ में रखा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि वह प्रोत्साहन देने के लिये फैकल्टी का इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रान्ट का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, तो यह उचित नहीं मालूम होता है। ग्रान्ट का कार्य बोर्ड अच्छी तरह से कर सकता है और सरकार को इसमें कोई परेशानी न होनी चाहिये क्योंकि बोर्ड का चेयरमैन सरकार द्वारा नौमीनेट होगा और जब सरकार उसे भेजेगी, तो सरकार जिम्मेदारी के साथ चुनेगी और यह बात मानी ही जा सकती है कि ऐसी हालत में, जब कि चेयरमैन बोर्ड को ज़िम्मेदारी के साथ चुना जाय, तो ग्रान्ट का एलोकेशन किसी प्रकार गलत नहीं हो सकता और जब हम ऐसा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त हो और उसमें जब सरकार लोगों को नौमीनेट कर रही है, तो ग्रान्ट का काम सरकार अपने हाथ में ले, ठीक नहीं मालूम होता है। इसलिये इस प्रश्न पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और ग्रान्ट का कार्य भी बोर्ड के हाथ में रहना चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ जो विधेयक हमारे सामने है, उस पर हमारी ओर से जो संशोधन सरकार के विचारार्थ उपस्थित किये गये हैं, उन पर माननीय मंत्री जी गौर करें और विधेयक को उसी प्रकार संशोधित करने का प्रयत्न करें।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। चिकित्सा शास्त्री तो नहीं हूं, किन्तु मैं उसके महत्व को समझता हूं। पिछली बार इस सदन में जब होम्योपैथिक बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ कहा गया था और डाक्टर भाटिया साहब ने भी कहा था कि हम गोबर के युग में रहते हैं। जो शब्द उन्होंने इन दोनों के विषय में कहे थे, वे सदन को अच्छे नहीं मालूम हुये थे। उस समय मैंने उनका प्रतिवाद किया था। परन्तु इस बात से प्रसन्नता हुई कि सरकार आयुर्वेद को बराबर प्रोत्साहन दे रही है और उसके लिये एक बोर्ड बनाने जा रही है। आयुर्वेद के महत्व को कोई भारतवासी ऐसा नहीं है जो न जानता हो।

मुझे इस बात का हर्ष है कि इस विधेयक को, इस सदन में, हमारे माननीय मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है। कमलापति जी बड़े विद्वान हैं और काशी के निवासी हैं, वह संस्कृतज्ञ भी है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, आयुर्वेद के चमत्कार को। वह भली प्रकार जानते हैं कि आयुर्वेद से हमारे देशवासियों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है और किस प्रकार से हमारे देश की जनता, जो एलोपैथिक दवा नहीं करा सकती, आयुर्वेद से लाभ उठा सकती है। उन्होंने अपने सुन्दर शब्दों में बतलाया कि इस बिल को लाने की क्यों आवश्यकता हुई?

पहला जो हमारा अधिनियम है, उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई? इस बात पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था हमारे देश में अत्यन्त आवश्यक है। हमारा देश बहुत ही गरीब है, डाक्टरों की फीस यहां बहुत ज्यादा है और फ़ीस के अतिरिक्त डाक्टरों की लापरवाही भी बहुत अधिक है। हमारे भाई लाखों की संख्या में ऐसे हैं, जो डाक्टरी इलाज नहीं करा सकते, इसलिये उनके इलाज के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा के व्यवस्था की परम आवश्यकता है। यह चिकित्सा एक ही प्रकार से सम्भव हो सकती है कि हमारे वैद्यों और हकीमों को राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया जाय। केवल मौजूदा वैद्यों और हक़ीमों को प्रोत्साहन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको उनके भविष्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी है। हमें आयुर्वेद की चिकित्सा के कालेज बनाने हैं। हमें आयुर्वेद की शिक्षा उसी पैमाने पर देनी है जिस पैमाने पर एलोपैथिक की शिक्षा देते हैं, तभी हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में हमारे भाइयों को विश्वास होगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि आयुर्वेद का महत्व बढ़े और जो आयुर्वेद के स्नातक हों और उनका भी सम्मान जनता और सरकार की दृष्टि में उतना ही हो, जितना एलोपैथिक का।

पिछली मर्तबा जब गुप्ता जी ने भाषण दिया, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ, यह सुन कर कि वह आयुर्वेद की शिक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं जितना एलोपैथिक की शिक्षा को। विधेयक को देखने से पता चलता है कि इस बोर्ड का कार्य बहुत ज्यादा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। बोर्ड को बहुत काम करना पड़ेगा। शिक्षा देने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिये इस विधेयक में एक फैकल्टी की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, फैकल्टी का काम होगा शिक्षा और पाठ्यक्रम को देखने का। सदस्यों की संख्या पहले से कम हो गई और २१ सदस्य इसमें होंगे। मै समझता हूं कि इसका काम सुचारु रूप से चलेगा।

प्रेसीडेंट के बारे में कहा गया कि वह नामिनेटेड होगा। श्री प्रभु नाराण जी ने कहा कि प्रेसीडेन्ट चुना जाना चाहिये। अच्छा तो यह होता कि निर्वाचित सभापति हो परन्तु हम देखें कि यह प्रयोग हमारा किस तरह से चलता है? जब देखें कि आदमियों में किसी प्रकार की पार्टीबन्दी नहीं है, तो प्रेसीडेन्ट निर्वाचित हो सकता है। अभी हम इसका प्रयोग करके देखें कि बोर्ड का काम किस तरह से चल सकता है। फिर जिस तरह के सुधार की आवश्यकता होगी, वह कर दिया जायेगा।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह पृष्ठ ६ पर, धारा ३६-ए में है :

"36-A (1) (iii) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves."

[ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ]

धारा ३६-ए (१) (१) में है :

"36-A (1) (i) The President of the Board who shall be ex-officio Chairman of the Faculty."

पाठ्य क्रम निर्धारित करना और परीक्षा लेना इस बाडी का काम है। इसमें लिखा है :

"36-A (1) (iii) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves."

मेरी समझ में २१ मेम्बरों से केवल एक ही मेम्बर फैकल्टी में होना कम होगा। यह फैकल्टी एक स्पेशलिस्ट बाडी है, जिसका काम पाठ्य क्रम निर्धारित करना और परीक्षायें लेना है, तो फिर २१ सदस्यों में से केवल एक सदस्य ही लेना नाकाफ़ी होगा। इस बोर्ड में रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम होंगे, इसलिये मेरी राय में उनको अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

इस विधेयक में कहा गया है :—

"36-A (2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than two members for a specified duration and a specific purpose."

फैकल्टी को यह अधिकार होगा कि वह दो सदस्यों को नियुक्त करे, परन्तु ऐसा करने से पहले उसको सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह रुपये-पैसे की बात नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसका दुरुपयोग हो सके, इसमें तो सिर्फ पाठ्यक्रम को निर्धारित करना है, तो फिर इसमें सरकारी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और यह ठीक नहीं होगा कि हम सरकार से पहले स्वीकृति लें कि हमें ये दो आदमी इसके सदस्य बनाने हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करेगी और स्वयं कहेगी कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध अनावश्यक है।

इनके अलावा इस विधेयक की जो अन्य धारायें हैं वे अच्छी हैं और मुझे आशा है कि बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से होगा और सरकार जिन ५ सदस्यों को मनोनीत करेगी, वे ऐसे होंगे जो कि चिकित्सा शास्त्री होंगे और जिनका सम्बन्ध चिकित्सा से होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थाओं में एक दोष आ जाता है और जहां सरकार मनोनीत करती है, जैसा कि अभी श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा है, वहां कुछ खराबी जरूर आ जाती है। इसमें प्रेसीडेन्ट मनोनीत होगा और ५ सदस्य भी मनोनीत होंगे। हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगी जो इस विषय को जानते होंगे। प्रेसीडेन्ट का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है और उसका काम बड़ी जिम्मेदारी का है तथा उसके काम का बड़ा महत्व भी है, इसलिये प्रेसीडेन्ट ऐसा होना चाहिए, जो योग्य हो, प्रतिभाशाली हो, विद्वान हो और अपने बोर्ड का विश्वासपात्र भी हो। यदि त्रिपाठी जी इसमें दिलचस्पी लेंगे तो कार्य अवश्य ठीक होगा। कौन इस बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होना चाहिए? मैं कहूंगा कि ऐसा प्रेसीडेन्ट हो जिसकी भारतवर्ष में प्रतिभा हो। यदि ऐसा कोई वैद्य प्रेसीडेन्ट बनाया जायेगा, तो इस बोर्ड का काम अच्छी तरह से चल जायेगा, वरना इस बोर्ड की भी ऐसी हालत हो जायेगी जैसी कि आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड्स से और म्युनिसिपल बोर्ड्स की से है। यदि इस बोर्ड को प्रोत्साहन देना है, तो इसका यथोचित रूप से संचालन किया जाना चाहिए।

अभी एक सदस्य ने कहा है कि जो हमारे यहां एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्नातक हैं उनमें बड़ा भारी अन्तर है। यह अन्तर अंग्रेजों के जमाने से चला आया है, जो कि खाली चिकित्सा के ही क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अध्यापकों में भी अन्तर था। जो अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते थे उनको हिन्दी के अध्यापकों से अधिक वेतन मिलता था। लेकिन इसमें अब कोई मतभेद नहीं रखा गया है और सरकार की नियत अयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने का है।

जो कुछ भी कार्य अब तक सरकार ने किया है वह प्रशंसनीय है। एक समय ऐसा आयेगा जब आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास होगा और इसको वही स्थान मिलेगा जो आजकल एलोपैथिक का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और सदन के सामने कहना चाहता हूं और वह यह है कि चिकित्सा हमारे देश को किस प्रकार की होने चाहिये? जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि चिकित्सा, जलवायु, और आर्थिक स्थिति के अनुकूल होनी चाहिये। इस अनुकूलता को सरकार ही दे सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देगी, तो उसकी अवश्य उन्नति होगी। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पर न कोई वैद्य है और न कोई हकीम है। श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो थोड़ा सा सीख लेते हैं और दवा करने लगते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा बहुत ही महंगी पड़ती है। गांव में जब लोगों को कोई वैद्य या डाक्टर नहीं मिलता है, तो वे लोग ओझा के पास जाते हैं।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—वैद्य या हकीम मिलने पर भी लोग ओझा के पास जाते हैं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**—यह तो मनुष्य की एक कमजोरी है। वैसे अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि आज कल मंत्री और गवर्नर ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जा कर पूछते हैं कि अब पांच वर्ष के बाद क्या होगा? मैंने दारुलशफा में देखा है कि ज्योतिषी आते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि क्या होगा और यह भी कहते हैं कि हमने फलां मिनिस्टर को यह बताया था और फलां गवर्नर को यह बताया था और देखिये वह बात सही भी हो गयी है। आज जनतन्त्र के साथ साथ ज्योतिष भी चल रही है। मैं आज सरकार से कहूंगा कि आयुर्वेद को अवश्य प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

श्री प्रताप चन्द्र जी ने एक बात यह कही कि आज कल दवाइयां देशी बनने लगी हैं, इसलिये उन पर नियंत्रण होना चाहिये और उसको देखने के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिये। आज कल इन्सपेक्टरों की इतनी भरमार हो गयी है कि इससे जनता बहुत ही दुखी है। पहले हम केवल स्कूलों के ही इन्सपेक्टर देखा करते थे, लेकिन अब तो मैं हर बात के लिये एक इन्सपेक्टर देखता हूं। अगर श्री आजाद साहब की बात को माना जाता है तो वे लोग दूकानों पर जा कर बहुत परेशान किया करेंगे, जिससे जनता को बहुत ही कष्ट होगा। मैं तो समझता हूं कि सरकार ने जो बोर्ड बनाया है, वही ठीक है। इसी को आगे देखना चाहिये कि इससे किस प्रकार से काम होता है। मैं समझता हूं कि इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली एक बहुत ही महत्व की चीज है और एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से हमारे देश का काम नहीं चल सकता है क्योंकि वह बहुत ही महंगी होती है और हमारा देश बहुत ही ग़रीब देश है। यहां की जनता उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। डाक्टर बहुत कीमती दवा लिख देते हैं।

**श्री गोविन्द सहाय** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—डाक्टर को पता होगा कि मरीज मोटा है।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**—आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ उसके विद्यार्थियों की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध करना चाहिये। हर जिले में एक आयुर्वेदिक कालेज होना चाहिये और उसमें विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिये। आयुर्वेदिक के विद्यार्थियों को आधुनिक साइन्स का भी ज्ञान होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे समाज को लाभ होगा और जनता का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

***श्री गोविन्द सहाय**--डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं इस बिल के लिये सरकार को बधाई देता हूं। मेरा यह ख्याल है कि इस बिल के जरिये एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे यहां है, वह बहुत हद तक दूर हो जायेगी। मुझे अफसोस है कि मेरी इस बधाई को सुनने के लिये मिनिस्टर महोदय यहां पर नहीं हैं और मेरा ख्याल था कि अगर मैंने इसके लिये कुछ नहीं कहा, तो मैं अपने साथ न्याय नहीं करता। जो बात इसमें लिखी गई है, तो मेरा अपना ख्याल है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में बड़े ऊंचे तरीक़े से काम हो सकता है और यह वैज्ञानिक सिस्टम बड़े ऊंचे स्टैन्डर्ड का है और इसका ट्रीटमेंट बड़ा साइन्टिफिक ट्रीटमेंट समझा जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के मुक़ाबिले में साइन्टिफिक नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है और ऐसा कह कर लोग इन दोनों के बीच में एक खाई पैदा कर देते हैं। जहां तक ऐसी चीजों का ताल्लुक़ है, तो उनके लिये मेरा सुझाव है कि आयुर्वेदिक को अगर साइन्टिफिक तरीक़े से किया जाय, तो यह हमारे देश के लिये एक बड़ा अच्छा सिस्टम हो जायेगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक़ है कि एलोपैथ जो है वह कई मानों में अच्छा है, तो उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अगर उसका डाइग्नोसिस ठीक हो तो वह सिस्टम ऐज ए होल ठीक होता है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में साइन्टिफिक तरीक़े से उसके जो सिस्टम्स हैं, उनका अगर ठीक तरह से डाइग्नोसिस किया जाय, तो वह ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा तरीक़ा हो सकता है और इसका भविष्य उज्वल हो सकता है। जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है, सरकार की निगाह इधर गई और यह भी कहा गया कि इस ग़रीब देश में इस ट्रीटमेंट का अनुकूल इलाज है और इसको प्रोत्साहन दिया जाय, तो वह सराहनीय बात है।

साथ ही इस समूचे बिल को पढ़ने से मैं इसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। मैं इस ख्याल से कोई बात नहीं देखता हूं कि चूंकि डेमोक्रेसी है, इसलिये उसके लिये चुनाव ही होना चाहिये, मैं तो समझता हूं कि चुनाव और नामिनेशन दोनों काफ़ी माकूल भी कहे जा सकते हैं और दोनों के खिलाफ भी काफ़ी कहा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि इलेक्शन का तरीक़ा ही माकूल कहा जाय क्योंकि एलेक्शन में भी खराबी हो सकती है और खराब आदमी भी चुने जा सकते हैं। जहां तक इन संस्थाओं में नामिनेशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर उसमें ठीक आदमी नामिनेट किया जाय, तो वह ज्यादा अच्छा है। अगर इन संस्थाओं को चुनाव बाजी से ही अलग रखा जाय, तो वह ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही नामिनेशन के तरीके में एक बड़ी भारी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। क्योंकि जिस तरीक़े से नामिनेशन किया जाता है, उससे लोगों को गलतफहमी हो जाती है और बदनसीबी से आज लोगों का यह इम्प्रेशन भी होता जा रहा है कि जो नामिनेशन होता है उसका स्टैन्डर्ड गिर गया है और उस स्टैन्डर्ड से नामिनेशन नहीं होता, जिस स्टैन्डर्ड से उसे होना चाहिये। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर नामिनेशन करे, तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि उसके लिये जो तरीक़ा अपनाया जाय वह सेल्फ इन्ट्रेस्ट की मोटिव पर न हो और वही आदमी नामिनेट किया जाय जो उस विषय का अच्छी तरह से ज्ञान रखता हो जिसके लिये कि उसको वह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके अलावा कोई दूसरी नजरिया नामिनेशन का नहीं होना चाहिये। Caesor's wife should be above suspician गवर्नमेंट का नामिनेशन जो होता है, तो उसमें प्राइमरी बात जो देखी जाती है वह यह नहीं देखी जाती कि वह आदमी उस काम के लिये माकूल है या नहीं, जिसके लिये उसका नामिनेशन किया जा रहा है। जिस बात का ताल्लुक़ उससे रहता हो नामिनेशन करते वक्त, वही बात देखी जानी चाहिये। लेकिन होता यह है कि मिनिस्टर महोदय की जिसमें दिलचस्पी रहती है, वही आदमी उसके लिए नामिनेट कर दिया जाता है। सरकार को ऐसी चीजों को सेन्ट्रलाइज नहीं करना चाहिये और इसके लिये माकूल तरीक़े से जो आदमी नामिनेट किया जा सकता हो, उसी को नामिनेट किया जाना चाहिये और इसी भाव से इस ख्याल को देखना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बोर्ड के सम्बन्ध में और नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में इन बातों का ख्याल रखेगी। इसमें इलेक्शन का तरीक़ा मुनासिब नहीं हो सकता।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसके साथ ही दूसरी चीज जो है, जिसके बारे में सुझाव दिया गया, उसका सम्बन्ध इन्स्पेक्टरों से है। अगर आज कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वह इन्स्पेक्टर ही बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन हुये सेक्रेटेरियेट में मुझसे एक साहब मिलने आये, तो जब वह नीचे से ऊपर चले आ रहे थे, तो एक आदमी को उन्होंने नमस्ते किया, पूछने पर मालूम हुआ कि यह साहब तो वह नहीं हैं जिनको नमस्ते करना चाहिये, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब से ही इसलिये नमस्ते कर लेते हैं कि उनमें से कोई इन्स्पेक्टर न हो। तो आज टैक्स और इन्स्पेक्टर दो चीजें बढ़ रही हैं। एक इन्सपेक्टर के बढ़ने से यह पता चलता है कि क्राइम की चीजें बढ़ती जाती हैं। मैं अपना सुझाव जो देना चाहता हूं, तो उससे भी इस तरह की चीजें दूर की जा सकती हैं।

आपको दवाओं के सम्बन्ध में एक बात यह भी देखनी चाहिये कि उनमें एडल्ट्रेशन न हो, क्योंकि समाज के अन्दर आज जो यह क्राइम बढ़ रहे हैं और जो खराबियां पैदा हो रही हैं तो पापुलेशन ऐज ए होल पर उनका असर पड़ रहा है। एडल्ट्रेशन की चीजों से खराबी हो सकती है और सोसाइटी में जहां तक इस चीज का ताल्लुक़ है, उसके लिये हमें ठोस क़दम उठाना चाहिये। इसका ताल्लुक़ जनता से भी है और उसको सोचने के तरीक़े से भी है। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में सरकार को कोई तरीक़ा सोचना चाहिए और उस चीज को चेक करना चाहिए।

अब मैं कोई ऐसी चीज नहीं समझता, जिससे इस बिल के बारे में ज्यादा तजकिरा किया जाय। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह बड़ा अच्छा क़दम है और मैं इसे एक बहादुराना क़दम भी समझता हूं। साइंटिफिक आदमी वही समझा जाता है, जो बातों को एलोपैथिक या साइंस के नाम पर कहता है। मैं समझता हूं कि आजकल के ज़माने की हर वह चीज साइंटिफिक है, जो कि चीजों का जवाब सरल तरीक़े से देती है। अगर आयुर्वेदिक सिस्टम की सिन्थेसिस करें और उसको सर्जरी के नए तरीक़े से मिलाया जाय, तो यह तरीक़ा हिन्दुस्तान के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। जो मौजूदा तरीक़ा है वह कास्टली भी है। अभी डाक्टर साहब ने अपना ही जिक्र बताया कि मेरे यहां एक साहब हैं उनको २०० रुपये महीना मिलता है। डाक्टर साहब ने उनके लड़के के लिए इलाज बताया कि तीन महीने तक १०० रुपये महीने की दवा देनी पड़ेगी। इस तरीक़े में परिवर्तन करने की जरूरत है। आयुर्वेदिक तरीक़े की पूरी सिन्थेसिस करनी है। बजाय इसके कि अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स रखे जायें आज नहीं तो कल हमको यह सोचना पड़ेगा कि कैसे इन सिस्टम्स की सिन्थेसिस करके एक कम्पोजिट तरीक़ा अपना कर हम अपनी जनता को दें।

***श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो है, वह इस समय जो स्थिति है, उसमें तरक्की के लिए है। बहुत संक्षेप में आप की इजाजत से मैं यह चाहूंगा कि इसके अन्दर प्राकृतिक चिकित्सा की बात और जोड़ दी जाय। यह बिलकुल ठीक बात है कि आज हमारे मुल्क में भिन्न २ चिकित्सा की पद्धतियां चल रही हैं। उसके अन्दर हिन्दुस्तान के लिए जो बहुत अच्छी पद्धति है, कम से कम एलोपैथी से तो बहुत अच्छी हो है, वह आयुर्वेद की है। एलोपैथी और आयुर्वेद में मौलिक अन्तर है। किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा मेरी दृष्टि में इन दोनों से अच्छी है। हमारे मुल्क की आर्थिक स्थिति जिस तरह की है, उसमें वह इलाज बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि सभी जगह, ग़रीब से ग़रीब और अमीर से अमीर उसका प्रयोग कर सकता है। आज कल वैज्ञानिक ढंग पर उसमें खोज की गई है और कोई भी ऐसा मर्ज नहीं है, जो उससे असाध्य हो और ठीक न किया जा सके। तो मेरा यह सुझाव है कि उस पद्धति के लिये भी सरकार को चाहिये कि उसमें खोज करावे और ऐसे प्रयत्न करे, जिससे उसमें उन्नति हो सके। चूंकि यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का बिल है और प्राकृतिक चिकित्सा भी भारतीय है, इस लिये मैं चाहता हूं कि उसका भी समावेश इस बिल में किया जाय।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

सब लोगों ने यह कहा कि जो लोग पढ़े हुये नहीं हैं, उनको चिकित्सा करने का हक़ नहीं होता। मुझे डर है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे वैद्यों को जानता हूं जिन्होंने शिक्षा बहुत कम ली, पर उन्होंने अपनी चिकित्सा से अनेक आदमियों को फायदा पहुंचाया। इसलिये मैं नहीं समझ सकता हूं कि किस तरह से यह कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको चिकित्सा करने का हक़ नहीं होना चाहिये। हमारी तरफ प्रताप दीन एक मशहूर वैद्य हुये हैं। वह लिखना भी नहीं जानते थे। अभी १० साल हुये उनकी मृत्यु हुई। वह जादू का सा इलाज करते थे। किसी को मिट्टी से और किसी का इलाज किसी दूसरे ढंग से करके लोगों को अच्छा कर देते थे। उनका यह पेशा पुश्तैनी था। तो इस तरह से बहुत से आदमी हैं जो पुश्तैनी यह पेशा करते हैं और जितने पढ़े लिखे हैं, उनसे कहीं अच्छा ज्ञान उनको है चाहे वह किताबों के बारे में इतना ज्ञान न रखते हों।

अभी डाक्टर साहब ने कहा कि आपने यह कोशिश तो की है कि हर पांच मील पर औषधालय हों और लोगों को दवा मिल सके, परन्तु अभी इसमें आप पूरी तौर से कामयाब नहीं हुये हैं। बहुत सी जगहें अब भी ऐसी हैं, जहां पर इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं है। तो जहां पर चिकित्सा की सहूलियत सरकार नहीं दे सकी है वहां उसको यह भी हक नहीं है कि जो इलाज करते हैं, उनको भी इलाज करने से रोक दे। कल एक नाटक यहां हुआ था, जिसके सभापति माननीय मंत्री जो ही हैं। उसमें कालीदास को महाछत्रव का एक तीर लग गया। कोई उनकी चिकित्सा जब न कर सका, तो जया नाम की एक लड़की ने उनका इलाज कर दिया। आप नाटकों में भी देखते हैं जहां कि चलते-फिरते आदमी भी इलाज कर सकते हैं तो वहां आप यदि १००-२०० रुपया आप जुर्माना करते हैं, तो यह मुझे पसन्द नहीं है।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--ऐसी बात नहीं है। आपने बिल देखा होगा। इस वास्ते जुर्माना नहीं है कि कोई आदमी अनरजिस्टर्ड है। जुर्माना तो इस वास्ते है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड है और अपने को रजिस्टर्ड बताता है, तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, वह वैद्य गीरी कर सकते हैं।

**श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार**--तो अब, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से केवल प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति और उसके प्रोत्साहन के बारे में सरकार से और निवेदन करूंगा कि इसका भी प्रबंध हो जावे, तो अच्छा होगा इन सुझावों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं।

**श्री (हकीम) व्रजलाल वर्मन**--उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इंडियन मेडिसिन के संशोधन के लिये आया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। मुख्यतय इसलिये कि जो लोग जिस चिकित्सा की प्रणाली से वाक़िफ नहीं हैं, उनको इलाज करने से रोका ही नहीं है बल्कि उनको सजा और भी सख्त कर दी गई है।

एक बात जरूर है कि जो संख्या रक्खी गई है कमेटी में, उसमें वैद्यों की तरफ से जो संख्या प्रतिनिधियों की रक्खी गई है तो पहिले ऐक्ट में उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था थी, वह अब निकाल दी गई है। इसका कोई कारण मंत्री महोदय ने प्रकट नहीं किया है और न कुंवर गुरु नारायण ने ही बतलाया है। मैं तो समझता हूं कि कम से कम दो प्रतिनिधि विधान मंडल के हों। मुझे इस बात का पता नहीं चलता है कि किस कारण से यह अंश पहिले ऐक्ट से निकाल दिया गया है। मैं कुछ सुझाव इस संबंध में सरकार के सामने रखना चाहता हूं। फैकल्टी में दो रजिस्टर्ड वैद्यों को जरूर रखना चाहिये।

दूसरा जो सुझाव मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि जिस समय हमारे यहां मखज़न उल अदविया व निघंट का निर्माण हुआ, उस समय दूसरे देश बहुत दूर-दूर थे, लेकिन अब वह सिमिट-सिमिट कर क़रीब आ गये हैं। अतः इसमें ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि यह जो दूसरी फैकल्टी बने, वह इस बात के ख्याल से बने कि दुनिया में जितनी दवायें हैं, वह

सब आयुर्वेद में आ जायें क्योंकि हमें उनसे फायदा उठाना चाहिये । अगर यह न हुआ, तो हम उनसे फायदा न उठा पायेंगे । मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था करेंगे ।

इसमें यह रक्खा गया है कि ६ वैद्यों के प्रतिनिधि होंगे और ३ हकीमों के प्रतिनिधि होंगे । इस संबंध में मुझे यह अर्ज करना है कि अभी जो निर्वाचन के लिये विधान बना है, उसमें वैद्यों की तरफ से निर्वाचक संघ अलग है और हकीमों की तरफ से अलग है । मेरा सुझाव है कि दोनों का एक ही निर्वाचन संघ हो । इससे हमें एक दूसरे के पास आने का मौक़ा मिलेगा और एक दूसरे को समझने का मौक़ा मिलेगा । एलोपैथिक और होम्योपैथिक की जो पद्धतियां हैं, वह अलग-अलग हैं, लेकिन हकीमों और वैद्यों को पद्धति क़रीब-क़रीब एक ही है । मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ इसकी नुमाइन्दगी कर सकें । मेरा सरकार से यह विनम्र सुझाव है ।

अंत में मुझे एक बात और कहनी है । जो शख्स किसी का कत्ल करता है, तो उसको आप के क़ानून में फांसी की सजा है, लेकिन जो वैद्य और हकीम नुस्खा लिखता है और दवा भी स्वयं नकली देता है या दवा दूसरे दवाखानों में भी मिलती है, तो वह इन्सान को स्लो प्वाइजिन करते रहते हैं, उनके लिये क्या सजा है ? मसलन किसी को टाईफाइड हो गया और उसको दवा में मोती सच्चे लिखे हैं खमीरा मखारीद या सहद में लिखा हुआ है, तो होता यह है कि बाजार में सच्चे मोती के बजाय उससे ज्यादा खूबसूरत मोती-कांच या सीप के मिल जाते हैं और वह ग़रीब २,४ रुपये खर्च करके दवा ले जाता है इस ख्याल से कि आराम हो जायेगा, जब कि उसे दूसरी दवा मिलती नहीं, तो वह बीमार इन्सान मर जाता है । तो ऐसे लोगों के लिये भी इस बिल में कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

कुछ लोग इन्स्पेक्टर्स के नाम से चौंके । चौंकने से काम नहीं चलेगा । हमें और आप सबको मालूम है कि आज क्या हालत हमारी दवाओं की है ? चिकित्सा प्रणाली तो बेहतरीन है । मगर दवा ठीक नहीं मिल पाती । डाक्टर भाटिया साहब आज तो हैं नहीं, इसलिये अधिक कहने की कोई जरूरत है नहीं । किसी भी चिकित्सा प्रणाली से मर्ज को तब तक आराम नहीं पहुंच सकता जब तक इस्तेमाल करने वाली दवा नकली है । आप सब जानते हैं कि कीमती दवा, चाहे वह मालती बसन्त हो या कोई और दवा हो, आजकल नकली मिलती हैं । गवर्नमेंट को इस बात का भी इन्तजाम करना चाहिये कि इन दवाखानों की पूरी-पूरी जांच की जाय जिससे जो दवा नुस्खे में है, वही दी जाय । हमारे यहां एक ही दवा के नुस्खे अलग-अलग किताबों में अलग-अलग हैं, तो मैं चाहता हूं कि यह किया जाय कि उन नुस्खों का निर्णय किया जाय कि कौन सा नुस्खा बेहतरीन है और उसी का प्रचार होना चाहिये । दवा जो ठीक नहीं बनी होती है, उससे नुक़सान होता है । इसलिये नुस्खे के कान्टेन्ट्स दवा पर लिखे होने चाहिये जैसे एलोपैथिक दवाओं पर लिखे होते हैं कि इस प्रपोर्शन में ये चीजें मिली हुई हों । कुछ दवायें ऐसी हैं जो ६ महीने में खराब हो जाती हैं और कुछ गोलियां एक साल में में खराब हो जाती हैं, तो वह फेंक दी जानी चाहिये । लेकिन यहां हमारे यहां बहुत से दवाखानों में वह सड़ी गली दवाइयां रखी रहती हैं और वह उसको फेंकते नहीं हैं, तो इसकी व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिये । कब वह दवाई बनाई गई, उसकी तारीख होनी चाहिये, जिससे कि जिस वक्त पर वह बेकार होती है, उस वक्त वे निकाल दी जायें और फिकवा दी जायें, जैसे बहुत सी खाने-पीने की चीजें खराब हो जाती हैं और वह फिकवा दी जाती हैं । इसके लिये निरीक्षण करना पड़ेगा और इन्स्पेक्टर्स रखने पड़ेंगे । मेरी दस्तबस्ता सरकार से दरख्वास्त है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति का विकास उस वक्त तक न कर सकेंगे, जब तक सच्ची व अच्छी नई दवाओं की व्यवस्था न होगी, चाहे इसके लिये सख्ती करनी पड़े । इंडियन मेडिसिन बोर्ड से यह चीज न हो सके, तो उसको और तरीक़े से लाने की कोशिश की जाय ।

## इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

**सचिव, विधान परिषद्**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन,) विधेयक, १९५५ को मेज पर रखता हूं। यह अधिनियम २० दिसम्बर, सन् १९५५ ई० को असेम्बली में पारित हुआ और आज इस समय १ बजे यहां पर आया।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--दो बजकर दस मिनट तक के लिये यह सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक १ बजकर ५ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजकर १० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

## सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक

***श्री पन्ना लाल गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो मंत्री महोदय ने इंडियन मेडिसिन (संशोधन) बिल हाउस के सामने रखा है, वह बहुत ही महान् और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हमारे सामने जितने भी बिल आये हैं और जो चीजें आती रही हैं, वे सभी एलोपैथिक और होमियोपैथिक के ऊपर आई हैं। आज माननीय मंत्री जी ने जो बिल हमारे सामने उपस्थित किया है, उसमें हमारी उन चीजों को तथा उस प्राचीन ढंग को लिया है, जो आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के नाम से हमारे देश में हैं। आज इन पद्धितियों से हमारे देश के देहाती वर्ग में हर आदमी का इलाज होता है और आज इन पद्धितियों के अनुसार इलाज करा कर के काफ़ी फायदा हमारे देहाती भाइयों को पहुंच सकता है। कुछ आयुर्वेदिक दवाखाने जरूर देहातों में खुले और उनसे देहाती जनता का लाभ हुआ है, मगर हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक मेडिकल कालेज, आगरा में, एक मेडिकल कालेज, लखनऊ में होते हुये भी, आज एक मेडिकल कालेज, कानपुर में खुलने जा रहा है, परन्तु आयुर्वेदिक के लिये एक भी कालेज सरकार की तरफ से स्थापित नहीं किया गया। बनारस यूनिवर्सिटी में जरूर उसका एक विभाग है और वहां से लोग प्रमाण-पत्र लेकर आते हैं, मगर सौतेली मां का जैसा लड़का होता है, उसी तरह का व्यवहार आज आयुर्वेदिक के साथ और उन वैद्यों के साथ होता है जो वहां से प्रमाण-पत्र लेकर निकलते हैं।

जहां तक हमारी आबोहवा का ताल्लुक़ है और हमारे भारतवर्ष के रहन-सहन का ताल्लुक़ है, वहां आयुर्वेदिक दवाइयां जितनी जल्दी हमें फायदा पहुंचाती हैं, उतनी जल्दी ये एलोपैथिक दवाइयां फायदा नहीं पहुंचाती हैं। जहां तक सर्जिकल मामले हैं, वहां हम कायल हैं कि इससे हमें फायदा पहुंचता है। मगर जो जर्राह लोग यूनानी के होते हैं, वे लोग जिस तरह से सर्जरी का काम करते हैं और जितनी अच्छी तरह से करते हैं तथा जिस खर्चे में करते हैं, आज उतने खर्चे में एलोपैथिक की जो सर्जरी है, उसमें इतना सस्ता इलाज नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत खर्चीला है। आज जहां एम० बी० बी० एस० पास करके कोई डाक्टर निकला, तो वह उसी अंग्रेजी जमाने की हवा में रहता है जिसमें कि हम लोग पले हैं। जहां हमने एम० बी० बी० एस० का साइन बोर्ड देखा तो समझ लेते हैं कि यह होशियार डाक्टर है और अच्छा इलाज कर सकता है, लेकिन जहां हमने किसी आयुर्वेदाचार्य या किसी वैद्य का साइन बोर्ड देखा, तो थोड़ा हिचकते हैं। यह कुछ हमारी प्रवृत्ति भी हो गयी है और साथ में सरकार की भी प्रवृत्ति हो गयी है कि ज्यादातर डाक्टरों को प्रोत्साहन देते हैं और वैद्यों की तरफ नजर ही नहीं डालते हैं। आज हाउस के सामने जो बिल है इसके जरिये से सरकार ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने जो मेडिसिन बोर्ड बनाया है वह बहुत ही अच्छा काम किया है और इससे अब बहुत ही अच्छी तरह से कार्य का संचालन हो सकेगा।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

एक बात मैं डाक्टरों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानियों की प्रवृत्ति म और अंग्रेजों की प्रवृत्ति में जितना फर्क है, उतना ही इन डाक्टरों और वैद्यों की प्रवृत्ति में अन्तर है। जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान आये, तो वे लोग यहां की धन-दौलत लेने के लिये आये थे और यहां पर हुकूमत करना चाहते थे। उन लोगों ने यहां पर अपना घर बना लिया, उनमें कोई त्याग की भावना नहीं थी, वे तो सिर्फ यहां के रहने वालों को लूटना चाहते थे। इसी तरह से आज डाक्टरों की भी हालत है, उनमें कोई त्याग की भावना नहीं होती है, मरीज चाहे अच्छा हो या न अच्छा हो उनको तो अपनी फीस से मतलब होता है और उनको दवाइयों के दाम चाहिये। इसके सिवा उनको मरीज से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप वैद्यों को देखें तो उनमें आपको त्याग की भावना मिलेगी और वे लोग मरीज को अपने घर का आदमी समझते हैं। अगर कोई बच्चा होता है तो उसको अपना बच्चा समझ कर उसका इलाज करते हैं, उनमें पैसे का लालच नहीं होता है। अगर देहात में कोई आदमी किसी वैद्य के पास चला जाता है और अपने घर पर चलने के लिये कहता है, तो वैद्य जी अपनी लाठी उठा कर पैदल ही उसके साथ मरीज को देखने के लिये चले जाते हैं। उनको किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती है और न उनके सामने फ़ीस का सवाल होता है। वे लोग तो यह चाहते हैं कि किसी तरह से मरीज अच्छा हो जाय। उनका उद्देश्य केवल मरीज को अच्छा करना होता है, रुपये का लालच उनमें नहीं होता है। आयुर्वेदिक प्रणाली के जानने वालों में त्याग की भावना होती है। लेकिन एक डाक्टर के हृदय में त्याग की भावना नहीं होती है, उसको तो अपनी फ़ीस और दवाइयों के दाम से ही ही मतलब होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हम देखते हैं कि डाक्टर ज्यादातर अमेरिका, इंगलैंड और जर्मनी की ही बनी हुई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह लोग वहां के एजेन्ट होते हैं, और इस तरह हमारे देश का बहुत सा पैसा बाहर चला जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने जो कदम उठाया है वह बहुत ही अच्छा है। हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसको अपनाने से हमारे देश का कल्याण होगा और यहां के रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फतेहपुर में एक वकील साहब बीमार हो गये, वे मन्नूलाल वैद्य के पास गये। आप बहुत ही पुराने और तजुर्बेकार वैद्य हैं, आपने वकील साहब को एक दवा खाने के लिये दी, जिसका असर उनके पेशाब में आ गया। वकील साहब ने अपने पेशाब को डाक्टर से टेस्ट कराया, तो उन्होंने कहा कि आपके पेशाब में मवाद है। यह बात सुनकर उनके परिवार के सब लोग बहुत ही घबरा गये और परेशान होकर फिर वैद्य जी के पास गय कि डाक्टर इस तरह की बात कहता है। वैद्य जी ने कहा कि कौन डाक्टर है जो यह कहता है कि आपके पेशाब में मवाद है, यह तो दवा का असर है, जो मैंने दी है। आप फिर डाक्टर से टेस्ट करायें, मैं उनके कर्नल और जनरल को चेलेन्ज देता हूं अगर कोई इस बात को साबित कर दे कि आपके पेशाब में मवाद है। डाक्टर ने फिर टेस्ट किया और कहा कि इसमें मवाद नहीं है सिर्फ दवा का असर है। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल के डाक्टरों की यह हालत है। उनको ठीक से पता ही नहीं हो पाता है कि मर्ज क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि डाक्टर मरीज को बहुत ही खराब परिस्थिति में डाल देते हैं, जिससे मरीज बहुत ही परेशान हो जाता है।

मगर आयुर्वेदिक ढंग से हमारे यहां बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं कि वैद्य लोग खाली पत्ती या जड़ी, बूटी ही बतला देते हैं और उसी से रोग अच्छा हो जाता है। यदि किसी को फोड़ा हो गया हो, तो नीम की पत्ती में नमक डालकर, उसकी पुलटिस बनाकर, फोड़े में रख देते हैं और इसी से वह फूट जाता है और अच्छा हो जाता है।

जो यह पद्धति कायम की गई है, तो देहात के ९५ प्रतिशत आदमी इससे फायदा उठाते हैं। जो दवाखाने आज सरकार के हैं, उनमें तो सिर्फ नीले, हरे और लाल रंग की दवाइयां

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

दिखलाई देती है, तो उनमें भी पानी रहता है और वे बोतलों में भरी होती हैं। जो असली दवाइयां होती हैं, डाक्टर्स उनसे प्राइवेट प्रैक्टिस करके पैसा कमा लेते हैं। मगर गरीब आदमी को वह दवाई नहीं मिल पाती है। यदि आज वैद्य और हकीम नहीं होते, तो शायद हमारे देहात के आदमी दवाइयों से ही महरूम रहते। यह जो पद्धति बोर्ड के सम्बन्ध में सरकार ने रखी है और उनके लिये जो सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है, तो उसके लिये मैं कहता हूं कि जितना हो ध्यान दिया जाय उतना ही थोड़ा है। जैसा कि होम्योपैथिक बिल पर पिछली मर्तबा बहस करते समय डाक्टर भाटिया साहब ने कहा था कि यह तो जैसे गाय का गोबर होता है, उसी तरह का इलाज है। मेरी समझ में नहीं आता कि डाक्टर साहब ने, इतने बड़े विद्वान होते हुये भी, यह बात किस तरह से कह दी। जिस आयुर्वेदिक और यूनानी का इलाज हमारे पूर्वज लोग भी करते आये हैं और उससे फायदा उठाते रहे हैं, उसके सम्बन्ध में उनकी ऐसी धारणा हो, यह उचित नहीं है। मगर वह बड़े विद्वान हैं और बड़े आदमी हैं, उनको सब शोभा देता है। मगर हिन्दुस्तान में आयुर्वेदिक की पद्धति बहुत पुरानी चली आ रही है और इससे हमारे पूर्वजों ने फायदा उठाया है और हमने भी फायदा उठाया है।

मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां उसने इस बिल को संशोधित करके आयुर्वेदिक वैद्यों और यूनानी हकीमों को स्थान दिया है और इस पद्धति को माना है, तो उसके साथ ही साथ मेरी यह भी प्रार्थना है कि आयुर्वेद की दवाइयां बनाने के लिये वह एक कारखाना खोले या एक इस तरह का औषधालय हो, जिसमें कि प्रमाणिक दवाइयां मिल सकें। आज जो सरकारी औषधालय हैं और जो वैद्य लोग हैं, तो उनके सामने यही दिक्कत है कि उनको अच्छी औषधि नहीं मिल पाती है। जो अच्छी दवाइयां मार्केट में मिलती हैं, वे उतनी प्रामाणिक नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। इस तरह से देहात में वह रस नहीं बना पाते हैं जो कि बनना चाहिये। अगर एक औषधालय इसके लिये बन जाये, और उसमें प्रामाणिक दवाइयां मिल सकें, तो इस तरह से ज्यादा अच्छी तरह से इलाज हो सकेगा।

इसमें सरकार ने जो एक प्रेसीडेन्ट के नामिनेशन करने का सवाल रखा है, वह बहुत सुन्दर रखा है। मैंने देखा है और बहुत सी जगहों में चुनाव भी कराया है, तो जहां जहां मैंने चुनाव कराया, वहां यदि कामयाबी भी रही, तो कुछ जगहों में जहां कि चुनाव नई चीजों से करानी थी, तो वहां हम फेल भी हुये हैं। म्युनिसिपल बोर्डस से और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव सरकार के सामने है और अभी हाल ही में जो पंचायतों का चुनाव हुआ, उसमें क्या क्या हालतें हो जाती हैं। उसका कारण यह है कि आज देहात में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कि पार्टी बन्दी न हो और जहां एक दूसरे का गला काटने को लोग तैयार न हों। चाहे, असेम्बली के इलेक्शन में कुछ अच्छाई रही हो, मगर पंचायतों के इलेक्शन में तो गोली चली और कई आदमी मर गये। यदि सरकार इस बोर्ड के सम्बन्ध में भी प्रेसीडेन्ट के लिये नामिनेशन की बात न रखती, तो इसमें भी जरूर पार्टी बन्दी होती और जिसका मकसद एक दूसरे का खून करना ही होता है। इस तरह की पार्टी बन्दी में दो पार्टियां होती हैं, एक तो बहुमत में होती है और जो पार्टी अल्पमत में होती है, उसको वह कुचलती है।

इस तरह से जो सरकार ने नामिनेशन अपने हाथ में लिया है, यह बहुत सुन्दर ढंग है। वैसे तो सरकार ने आजमायश के तौर पर वाइस प्रेसीडेन्ट का चुनाव बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया है। वायस प्रेसीडेन्ट को बोर्ड खुद चुनेगा और सरकार देखेगी कि उसका परिणाम क्या होता है? अगर सरकार देखेगी कि उसमें कोई पार्टी बन्दी की भावना पैदा नहीं होती, तो सरकार इस प्रतिबन्ध को भी अपने हाथ से शायद हटा लेगी। ५ सदस्यों की जो नामजदगी का सवाल है उसमें भी कुछ ऐसी ही भावनायें व्यक्त की गई हैं कि वह भी गलत है। लेकिन मैं तो इसे इस माने में भी सही समझता हूं कि हमारे कुछ वैद्य इलेक्शन के पचड़े में कभी नहीं फंसेंगे। जिनको काफी तजुर्बा है, जिनके पहिले अनुभव से हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, वह अपनी कुटिया में बैठे रहेंगे और इलेक्शन के पचड़े में नहीं फंसेंगे। सरकार ने जो ५ व्यक्तियों

को नामजद करने का अधिकार अपने हाथ में रखा है, वह इसी भावना से रखा है कि वह अच्छे से अच्छे वैद्य, जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, उनको नामिनेट करके, उनके तजुर्बे से फायदा उठायेगी। इससे सरकार को बोर्ड का काम अच्छी तरह से चलाने में मदद मिलेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत ही अच्छा और मुनासिब कदम उठाया है।

जैसा कि भाई ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि हर जिले में आयुर्वेदिक कालेज खुलने चाहिये, अगर हर जिले में न हों तो कम से कम हर कमिश्नरी में तो खोल ही दिये जायें जिससे वैद्य वहां ट्रेन्ड हो सकें और वहां से आने के बाद सुचारु रूप से इलाज कर सकें। इन कालेजों के साथ एक औषधालय भी हो जिससे वहां वैद्य दवायें बनाना भी सीख सकें। इस प्रकार से उन वैद्यों को प्रमाणित दवायें भी मिल जायेंगी और अनुभव भी हो जायगा। इस प्रकार से जो स्थान कि आयुर्वेद और यूनानी को मिलना है वह पूर्ण हो जायेगा जो कि अभी अपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को सरकार ध्यान में रखते हुये, थोड़ी सी कमी जो बिल में है, उसकी पूर्ति करेगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

*डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं। इसलिये नहीं कि मैं यूनानी और वैद्यक तरीके के इलाज को उसी पैमाने पर लाना चाहता हूं कि जिस पर कि एलोपैथिक या होम्योपैथिक है। मैं इस वजह से इसका स्वागत करता हूं कि इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके के इलाज को उतना उठाने की कोशिश की गई है जितनी कि एलोपैथिक या डाक्टरी को। यूं तो कोई भी बिल मुकम्मिल नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ खराबियां और कुछ न कुछ नुक्स तो दिखलाये ही जा सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि यह बिल जो पेश हुआ है, उसमें काफी गुड फीचर्स हैं। पहला गुड फीचर तो यह है कि इसमें बोर्ड की स्ट्रेन्थ कुछ कम कर दी गई है। २७ की जगह २१ रखे गये हैं। क्योंकि तजुर्बा यह बतलाता है कि जितना अनवील्डी होता है, उतनी ही खराबियां पैदा होती हैं। दूसरा गुड फीचर फैकल्टी का इस्टेब्लिशमेंट है बोर्ड के हाथ में। जो इम्तहान का लेना, कोर्सेज का प्रेसक्राइब करना बहुत बड़ी जमात के हाथ में था, उसके लिये अब फैकल्टी ऐसे आदमियों की बनाई जायगी, जो इस में एक्सपर्ट समझे जायेंगे और डिग्रियां जो वह देंगे, उनकी वकत होगी।

इसमें एक नुक्स यह दिखाया गया है कि प्रेसीडेन्ट इलेक्टेड नहीं रखा गया है बल्कि नामिनेटेड रखा गया है। मेरा तजुर्बा यह दिखलाता है कि इलेक्शन से जो आते हैं वह आमतौर पर अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वे पार्टी असर से चुने जाते हैं। मेरे ख्याल में नामिनेटेड का जो तरीका रखा गया है, वह बेहतर है खासतौर से इस वजह से कि जो नामिनेटेड किया जायगा, वह कोई प्रैक्टीशनर ही होगा। नामिनेशन से वह ५ मेम्बर्स में से होगा जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया है। अब कहा गया कि इसमें कौंसिल और एसेम्बली के दो मेम्बर्स नहीं रखे गये, तो वह अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और मेम्बर बन सकते हैं।

जो प्रिएम्बुल में पहले था वह हटा दिया गया है। मेरी समझ में वह बहुत जरूरी था, क्योंकि जो दवा मिलती है यूनानी और आयुर्वेद में। उसमें बहुत सी इन्डीजीनियस ड्रग्स आती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि वह फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। इस कारण से यह जरूरी था कि वह कन्ट्रोल में आ जायं।

अब यह कहा गया कि आयुर्वेद कालेज और जगहों में भी होने चाहिये। इस तरह से तरक्की होगी। वैद्यकी तरीके से इलाज करने से फायदा भी पहुंच सकता है और यही तरीका है जिसमें डाक्टरों का मुकाबिला हो सकता है। डाक्टरों का तरीका जुदागाना है। एक शख्स साइन्टिफिक इलाज करता है, दूसरा अनसाइन्टिफिक इलाज करता है, तो डाक्टरों ने सर्जरी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

की वजह से नाम हासिल किया है। अब जब सर्जरी वैद्य हकीम भी करेंगे तो उससे बहुत फायदा पहुंचेगा। मेरा ख्याल यह है हर डिवीजन में जहां कमिश्नर हों, वहां कम से कम एक आयुर्वेद कालेज जरूर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि जो नुक्स बताये गये हैं, उन पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

*श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और मैं देखता हूं कि धाराओं के पढ़ने के बाद कि कम से कम आयुर्वेद की परीक्षा और तिब्बी परीक्षा और इलाज को एक वैज्ञानिक ढंग पर लाने की कोशिश की गई है। बहुत सी और बातें हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि आयुर्वेद और तिब्बी इलाज के दृष्टिकोण से करना एक अच्छी ही बात होगी जो कि इस बिल में की गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करूंगा।

मैं शुरू से इस बात को महसूस करता हूं कि हमने शहरों में कालेज खोले और मैटर-निटी सेन्टर्स को भी शहरों में कायम किया लेकिन इन सब से वह गरीब किसान कोई लाभ नहीं उठा पाते, जो दूर गांवों में रहते हैं।

मैं यहां पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उन गरीब स्त्रियों की तरफ जो देहातों में रहती हैं और जिनको डफरिन अस्पताल या दूसरे स्त्रियों के अस्पतालों की नर्सें उपलब्ध नहीं होती हैं। उनको तो अशिक्षित दाइयां ही प्राप्त होती हैं। उन दाइयों की शिक्षा के लिये या कम से कम एक महीने की ट्रेनिंग के लिये हमने कोई बात इसमें नहीं की है। जब हम आज इसके लिये फैकल्टी की प्रणाली स्थापित करने जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसी आशा करूं कि वह बहुत बड़ी तादाद में दाइयों को ट्रेनिंग देगी जिनके द्वारा देहात की महिलाओं की सेवा होती है और जिनके पास कोई ट्रेनिंग अब तक नहीं रही है। तो क्या उनकी जांच के लिये कोई तरीका इस बिल में नहीं प्रोवाइड हो सकता। मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जायेगा?

दूसरी बात जो हमारे दोस्त हकीम व्रज लाल वर्मन ने कही है कि कम से इन लोगों के लिये शल्य चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया जाये, तो मैं आशा करता हूं कि इन आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के विद्यार्थियों के लिये रिसर्च का भी प्रबन्ध किया जावेगा। इसी तरह से इसको व्यापक बनाया जा सकता है।

तीसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो अधिकार एम० बी०, बी० एस० के डाक्टरों को सार्टिफिकेट वगैरह देने का प्राप्त हैं, वही अधिकार इन लोगों को भी मिलना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एलोपैथिक सिविल सर्जन और असिस्टेन्ट सर्जन फीस वगैरह के मामले में खुल्लम खुल्ला ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उनकी फीस शेड्यूल्ड रेट पर निर्धारित है, लेकिन वह खुल्लम खुल्ला अदालतों में जाकर दुगुनी और चौगुनी फीस लेते हैं। मुझे ताज्जुब है कि इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि डाक्टरों की फीस चाहे वह सरकारी हों, चाहे प्राइवेट हों, इस तरह से होनी चाहिये कि कोई गरीब आदमी भी उसको दे सके। यह नहीं होना चाहिये कि वह गरीब आदमी से दुगुनी और चौगुनी भी ले ले। यह लोग जो बीमार नहीं होते हैं, उनसे फीस लेकर बीमारी का सार्टिफिकेट दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि इन चीजों की तरफ भी सरकार को तवज्जह होनी चाहिये। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि यह सुझाव जो मैंने दिये हैं, उनका समावेश किसी तरह मन्त्री महोदय करने का प्रयास करेंगे। अन्त में मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

**श्री सभापति उपाध्याय** (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, इंडियन मेडिसिन विधेयक, का उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस विधेयक से बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि आजतक यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था और न सहारा मिला था। यह हर्ष की बात है कि हमको स्वतन्त्रता मिली, उसके कारण ही हमको यह अवसर मिला है।

दूसरी बात प्रसन्नता की इसलिये है कि इसको उपस्थित करने वाले हैं कमला पति, कमला पति का अर्थ होता है, 'क' नाम है जल (समुद्र) का। उस (समुद्र) का 'मल' लक्ष्मी है। कमला लक्ष्मी को कहते हैं, उसकी समुद्र से उत्पत्ति हुई है और उनके पति हैं--विष्णु उनके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है। मुझे आशा है कि इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती होगी जैसे एलोपैथी की हुई है और यह चिकित्सा पद्धति भी परिकाष्ठा को प्राप्त होगी।

एक बात और कहूंगा कि यह जो इंडियन मेडिसिन विधेयक उपस्थित हुआ है, उसमें शब्द विधेयक तो ठीक है, परन्तु इंडियन मेडिसिन के बजाय यदि भारतीय चिकित्सा विधेयक रखा जाता, तो अच्छा होता। यह कहा गया है कि हमारा देश निर्धन है और अब उपाय हो रहे हैं जिससे थोड़े समय में यह अन्य देशों की तरह हो जायेगा। लेकिन आज जो एलोपैथिक चिकित्सा चल रही है, उससे गरीब आदमियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है और अगर कोई रोग गरीब आदमी को हो गया, तो वह एलोपैथी चिकित्सा नहीं करा सकता। पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वालों को कोई राज्य से सहायता नहीं मिलती थी।

यह भी सही है कि औषधियां नहीं मिलती हैं। जो औषधियां जड़ी-बूटी की हैं, वह बाजार में दूकानदारों के यहां होती है और वहीं से वैद्य लोग खरीदते हैं और वह जड़ी-बूटी बहुत दिनों की रखी हुई होती हैं और सड़-गल जाती ह, इसलिये उनसे इतना लाभ नहीं होता है जितना की नवीन औषधि से होता है।

एक बात और है कि जो औषधि आजकल बनाई जाती हैं, उनके नाम जो होते हैं उनमें इंगलिश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह न होना चाहिये। आयुर्वेदिक के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि महाविद्यालय कम हैं और जो बनारस में हैं उससे सार्वजनिक लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये हर जिले में न हो सके तो हर कमिश्नरी में तो अवश्य ही एक महाविद्यालय आयुर्वेदिक और यूनानी का होना चाहिये और आयुर्वेद और यूनानी की मिश्रित शिक्षा होनी चाहिये। इससे क्या होगा, आपस में एक सहयोग होगा। आयुर्वेदिक शिक्षा पाने वाले और यूनानी शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाय, तो बहुत अच्छा होगा।

कई मित्रों ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत बड़ा गुण है, यह बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात अभी यह कही गयी कि कोई डाक्टर भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो बिना फीस लिये किसी के घर चला जाय, किन्तु हमारे यहां वैद्यों में यह नियम है कि घर पर जाते हैं, तो औषधि का मूल्य नहीं लेते। यह हो सकता है कि बहुत सी औषधियां उनके पास न हों, किन्तु जो उनके पास होती हैं उनका वह मूल्य नहीं लेते हैं। पहले यह प्रथा थी कि बड़े-बड़े राजा महाराजा औषधि तैयार कराते थे और जो वैद्य औषधि बनाते थे, उनको आधी औषधि दे देते थे और आधी औषधि रख लते थे और गरीबों को दिया करते थे। अब तो राजा महाराजा नहीं रहे, इसलिये अब राज्य सहायता करे, तो सब कुछ हो सकता है।

मैंने सुना है कि रूस में शिक्षा विभाग में और विभागों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि जिस विभाग की शिक्षा करनी हो, उसके जो पढ़ाने वाले हों, उनको अधिक वेतन दिया जाय, तो उन्नति हो सकती है। योग्यता देखकर, अगर वह योग्य हों, तो उनको पूर्ण वेतन दिया जाय। इस समय एलोपैथिक दवाओं के द्वारा हिन्दुस्तान से बाहर इतना धन जा रहा है जो किसी और चीज के बदले में नहीं जाता है। यदि हमारी आयुर्वेदिक

[श्री सभापति उपाध्याय]

चिकित्सा चल गई, तो उससे हमारे देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा में हर चीजों का जो विवेचन किया गया है, वह और क्षेत्रों में नहीं मिलेगा।

कहा गया कि हमारे वैद्यों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि प्राचीन वैद्यों के ऊपर यह बोझ न लादा जाय क्योंकि प्राचीन वैद्यों के पास बहुत औषधियां हैं। अगर ऐसा कर दिया गया तो उनकी औषधियां बन्द हो जायेंगी।

एक बात मैं और कहूंगा कि जो भूल गया था और वह वस्तुस्थिति है, प्रशंसा नहीं एक हमारे महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री थे, जो इतने बड़े संस्कृत के विद्वान थे कि भारतवर्ष का हर एक संस्कृत का विद्वान उनको जानता होगा। उन्हीं की कन्या के सुपुत्र कमला पति जी हैं। उनका भी अंश त्रिपाठी जी में है। मैं उनका शिष्य था। अन्त में मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री हृदय नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बिल के टाइटिल को देखा तो मुझे थोड़ा सा जो उसका नाम है, वह खटका है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक। सम्भव है कि मूल ऐक्ट में इंडियन मेडिसिन रहा होगा, इसलिये संशोधन में भी यही रहने दिया गया। लेकिन जब मैंने बहुत गौर से देखा तो यह मालूम पड़ा कि पहले उत्तर प्रदेश की जगह पर यूनाइटेड प्राविन्स रहा होगा, तो जिस तरह से यह संयुक्त प्रान्त की जगह पर उत्तर प्रदेश हो गया है, उसी तरह से इंडियन मेडिसिन की जगह पर भारतीय चिकित्सा पद्धति हो सकता था। अगर ऐसा कर दिया जाता तो अच्छा होता। वैसे मैं आम तौर से इस बिल का स्वागत करता हूं और बहुत ही समर्थन करता हूं।

हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो कुछ चिकित्सा की सुविधायें हैं, वे इतनी सीमित हैं कि लोगों को बहुत अधिक कष्ट होता है। जब दूसरे सभ्य देशों को तुलना में हम अपने देश को रखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम कितने पिछड़े हुये हैं। एक ही नहीं बल्कि सहस्त्रों जानें इसलिये जाती हैं कि उनको उचित सहायता नहीं मिल सकी, उनको मेडिकल एड नहीं मिल सकी। चूंकि मैं गांव का निवासी हूं इसलिये मेरे ऊपर स्वतः इस तरह की मुसीबत आई है। एक दो-मौतें मेरे परिवार में इसलिये हुई हैं कि उनको उचित इलाज नहीं मिल सका। इसलिये जो चिकित्सा की सहायता है, वह व्यापक बन सके, देहातों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी, क्योंकि छोटे-छोटे शहरों में भी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। छोटे-छोटे शहरों में एक-दो डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों को छोड़ कर, जिनको कम समय मिलता है, हमें अधिकतर चिकित्सक नहीं मिलते हैं। हमें आशा है कि इस बिल के द्वारा अधिक चिकित्सा शहरों और गांवों को प्राप्त हो सकेगी।

वैसे आज एक सवाल उठाया गया है कि जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, वह हमारे देश के अनुकूल नहीं है, इसलिये हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं मध्यम मार्ग को अपनाने वाला हूं और यदि कोई अच्छी चीज है, चाहे वह विदेशों से ही आई हो, तो उसको अपनाना चाहिये। हम अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सी विदेशी चीजों को अपनाते हैं। आज हमारे यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाश्चात्य देशों से आई हैं और उनका मिश्रण कर के हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ले जा रहे हैं। जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, उसका हम बिलकुल त्याग नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा करेंगे तो बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। खासतौर से सर्जरी का इलाज ऐसा है जिसके लिये हमें पाश्चात्य पद्धति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन यह ठीक ही है कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है वह अपने देश के अनुकूल है। जो देश की परिस्थिति के अनुकूल चिकित्सा पद्धति पैदा हो गयी है, वही अधिक अनुकूल है बनिस्बत पाश्चात्य पद्धतियों के।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जहां तक त्याग की बात है, मेरी जानकारी में कोई ऐसा एलोपैथ डाक्टर नहीं है जो मुफ्त में किसी की चिकित्सा करता हो। आपने ऐसे डाक्टर नहीं देखे होंगे जो बिना पैसा लिये किसी का इलाज करते हों, लेकिन आपने बहुत से हकीम और वैद्य देखे होंगे जो बगैर पैसा लिये दूसरों का इलाज करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जौनपुर में एक ठाकुर विश्व सहाय वैद्य थे, जिनके पास बम्बई और कलकत्ता से मरीज आते थे और बिना दवाई के दाम दिये हुये अच्छे हो कर चले जाते थे। आप कुष्ट और लकवे का बहुत ही अच्छा इलाज करते थे और उन्होंने कभी भी किसी मरीज से एक पैसा भी नहीं लिया है। एक दफा का जिक्र है कि उनके पास एक बहुत बड़े जनसेवक गये और कहा कि आप हमारे साथ बम्बई चलिये और वहां चल कर जनसेवा के लिये रुपये जमा करें। तो वैद्य जी ने कहा कि हम किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, हम तो दूसरों को देना चाहते हैं। मेरे पास जो कुछ है उसको मैं देने के लिये तैयार हूं, लेकिन दूसरों से दान मांगना नहीं चाहता हूं। तो इस तरह की भावना हमारे यहां के वैद्यों में होती है। आज उसका यह परिणाम है कि उनके लड़के और उन लड़कों के लड़के बहुत ही खराब हालत में हैं। हमारे देश के वैद्यों में त्याग की भावना हुआ करती है जो किसी डाक्टर में नहीं होती है।

इसके अलावा एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है वह बहुत ही सस्ती भी पड़ती है और हमारे देश के रहने वाले इस प्रणाली को आसानी से अपना भी सकते हैं। आज आप देखते हैं कि एक मेडिकल कालेज का विद्यार्थी जब पढ़ कर निकलता है, तो वह शहर में ही रहना पसन्द करता है, देहात में जाना पसन्द नहीं करता है चाहे उसको वहां पर ज्यादा पैसे ही क्यों न मिलें। हमारी सरकार जो भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहती है, यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि इससे देश का लाभ होगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को केवल शिक्षित करने का ही प्रयत्न नहीं करना चाहिये बल्कि इस पद्धति को विकसित करने की भी आवश्यकता है। प्राचीन काल की जो पद्धति थी वह तो बहुत ही ऊंची सीमा पर थी, लेकिन जिस समय अंग्रेज आये, तो इस पद्धति को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला और यहां की जनता ने भी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि इसका विनाश होता गया। जिस समय अंग्रेज हमारे भारत में आये, तो उन्होंने हमारी बहुत सी प्राचीन परम्पराओं को खत्म कर दिया।

आयुर्वेदिक शिक्षा के साथ में एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी होना चाहिये। जिसमें आयुर्वेदिक रिसर्च मैग्जीनों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, और सरकार जो मेडिसिन बोर्ड बना रही है, उसको इन मैग्जीनों की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे यहां ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं कि अगर उनका विदेशों में प्रचार हो तो वे संसार में काफी प्रसिद्ध हो सकती हैं। हमारे यहां आंवला एक ऐसी चीज है कि अगर इसका हम विदेशों में प्रचार करें, तो बहुत ही लाभ होगा और देश की आमदनी भी बढ़ेगी। इसी तरह से हमारे यहां ब्राह्मी भी एक ऐसी औषधि है, जो बहुत ही अच्छी होती है और जिस का विदेशों में प्रचार करने से बहुत ही लाभ हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सी जड़ी-बूटियां हैं। इनमें जैसे सरपेन्टाइन है, तो आज उसका उपयोग होने लगा है। इसी तरह से जो हर्ब्स हैं और दूसरी जड़ी बूटियां हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है और वे भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। आज हर्ब्स पर रिसर्च होने की जरूरत है और इस सम्बन्ध में जो मेडिकल साइन्स के एक्सपर्ट्स या विद्वान हैं, उनके सामने वे चीजें रखी जायें और वे इस पर कार्य करें। इस तरह से काम करने से उसकी वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस तरह से जो एक पद्धति किसी समय अपनाई गई थी, उसका फिर से पुनरीक्षण होगा।

अब इसके सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज एडलट्रेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है और यदि हमने आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन्स में भी एडलट्रेशन होने दिया, तो मैं समझता हूं कि जितना हम इस तरह से लोगों का हित कर सकेंगे, उससे ज्यादा

[श्री हृदय नारायण सिंह]
अहित करेंगे। इस एडलट्रेशन को रोकने के लिये काफी प्रयत्न होना चाहिये। अभी डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप साहब ने कहा कि स्पूरियस ड्रग्स या मेडिसिन्स प्रचलित न हों, तो इसके लिये भी उद्योग होना चाहिये। यह एक बड़ा सवाल है और हमें इस सम्बन्ध में ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे कि एडलट्रेशन और स्पूरियस न हो और हम उसके प्रचार को रोक सकें।

स्कूल्स और कालेजेज के लिये थोड़ा सा मेडिकल का प्रबन्ध इस समय मौजूद है, लेकिन वह इतना अपर्याप्त है कि शायद ही सारे स्कूलों में वह जाता हो और ठीक तरह से लड़कों का मेडिकल एक्जामिनेशन होता हो क्योंकि वह डाक्टर उतना ध्यान दे ही नहीं सकता है। आयुर्वेदिक कालेज से जो लड़के ट्रेनिंग पाकर निकलेंगे, तो कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वे सारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करें और उनको सहायता पहुंचायें।

इसके साथ ही मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम या ट्रीटमेंट है और इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक की हमारी पद्धति है, तो इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न हमें करना चाहिये। आज जबकि पूरब और पश्चिम इतने निकट आ रहे हैं, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि जो चीज वहां की अच्छी है, हम उसको वहां के तरीके से देखें और उसको तौलें। इस तरह से जांच करके हम अपना बहुत कुछ लाभ कर सकते हैं और हमें इन्सप्रेशन भी प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से साहित्य में कम्पेरेटिव स्टडी होती है, उसी तरह से हमें कार्य करना चाहिए, आज हम राजनीति में भी यही बात कर रहे हैं और सामाजिक तरीके से भी इसको अपना रहे हैं। इस तरह से कम्पेरेटिव स्टडी होनी चाहिये और हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि उनकी कौन सी चीज अच्छी है और हमारी कौन सी चीज अच्छी है। जो चीज उनकी अच्छी है, हम उनको संग्रहीत करें, तभी हमें लाभ पहुंच सकता है। तो कम्पैरेटिव स्टडी का भी उद्योग होना चाहिये। जो ऐलोपैथिक की अच्छाईयां हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिये और जो आयुर्वेदिक की अच्छाइयां हैं, उनको भी अपनाना चाहिये। इन दोनों में रिकन्सिलियेशन करने की बहुत आवश्यकता है और कम्पेरेटिव स्टडी करने से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा जितनी कमियां हैं, वह बहुत हद तक दूर हो जायेंगी।

एक बात इलेक्शन और नामिनेशन की आई, तो इन दोनों में खराबियां भी हो सकती हैं और अच्छाइयां भी हो सकती हैं। इसके बारे में कोई खास बात नहीं कही जा सकती। इसमें तो सिर्फ उसके उपयोग करने का सवाल है। कभी-कभी हम देखते हैं कि जिस सिद्धान्त पर नामिनेशन होना चाहिये, उस सिद्धान्त पर हो नहीं पाता है और जब पता चलता है कि फलां साहब का नामिनेशन हो गया तो बड़ा आश्चर्य होता है यह जानकर, क्योंकि जिसको नामिनेट किया जाता है, वह उसके योग्य नहीं रहता। इलेक्शन में भी खराबियां हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी चीज के उपयोग करने पर ही यह बात है। जो नामिनेशन का प्राविजन रखा गया है, उसका ठीक से उपयोग हो।

वैसे श्री सभापति जी ने कहा कि यह बिल श्री कमलापति त्रिपाठी के द्वारा इस सदन में उपस्थित किया गया है, इसलिये उम्मीद है कि इससे जनता को व्यापक परिणाम में लाभ होगा। इस बिल के साथ श्री चन्द्र भानु गुप्त का नाम भी सम्बद्ध है। चन्द्रमा को औषधिराज कहा जाता है और अंग्रेजी सिस्टम के मुताबिक जो सूर्य होता है, वह सारी औषधियों का स्वामी होता है। जितना वनस्पति जगत है वह विष्णु है और चन्द्रमा, सूर्य उसके नेत्र कहे गए हैं। तो महान् विभूतियों और महान् व्यक्तियों का इससे सम्बन्ध है। इसलिए हमें आशा है कि इससे जनता का व्यापक कल्याण होगा।

**श्री प्रेम चन्द शर्मा**——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० इंडियन मेडिसिन अमेन्डमेन्ट बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझे इस बात का ख्याल है कि मैं सदन का अधिक समय न लूं क्योंकि बिल पर सुबह से काफी बहस हो चुकी है। लेकिन दो एक ऐसी बातें हैं जिन पर मैं महसूस करता हूं कि मुझे कुछ कहना चाहिए।

पहली बात तो यह है कि जो पहला इंडियन मेडिसिन ऐक्ट था, उसमें असेम्बली और कौंसिल दोनों जगहों से कुछ लोग चुन कर जाते थे। यह जो नया अमेन्डिंग बिल पेश किया जा रहा है, इसमें से लेजिस्लेचर्स को बिल्कुल निकाल दिया गया है। मेरा स्वयं बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से कुछ सम्बन्ध रहा है, इस लिए मैं समझता हूं कि बोर्ड पर दो तीन लेजिस्लेचर के आदमियों को रहना जरूरी है। वह लेजिस्लेचर में बोर्ड के इन्टरेस्ट को वाच कर सकते हैं और गवर्नमेंट से जो बोर्ड का काफी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, उसमें भी वह काफी सहयोगी साबित हो सकते हैं। अच्छा होता यदि चुनाव दुबारा नहीं, तो सरकार ने जो ५ आदमियों के नामिनेशन का अधिकार अपने हाथ में रखा है, उसी में से कुछ आदमी लेजिस्लेचर से नामिनेट किये जाने का प्रबन्ध किया होता। मगर इसमें एक प्राविजन रखा गया है जिससे सरकार ने अपने हाथ बांध लिए हैं। इसमें लिखा है :—

"Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners."

इसलिए मैं एक अमेन्डमेंट जो प्रताप चन्द्र आजाद जी ने रखा है, खंड ५ में, उसका स्वागत करता हूं। नामिनेशन तो अच्छा ही रहेगा। सरकार चाहती है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड की काफी उन्नति हो और उसमें ऐसे व्यक्ति हों जो इस चीज में एक्सपर्ट हों। कभी कभी निर्वाचन में ऐसे व्यक्ति नहीं आ पाते जो काफी अनुभव रखते हैं या जो आना चाहते हैं वह इस प्रकार से मैनीपुलेट कर लेते हैं कि अपनी राय हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि नामिनेशन से बोर्ड को लाभ ही रहेगा।

दूसरी बात मैं ग्रान्ट के सम्बन्ध में अभी कहना चाहता हूं। ग्रान्ट जो अब तक बोर्ड दिया करता था, उस अधिकार को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। ग्रान्ट देने का अधिकार अगर बोर्ड के ही हाथ में रहा, तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बोर्ड का सम्बन्ध सीधे उन संस्थाओं से रहता है जो यूनानी और आयुर्वेद में काम करती हैं। सरकार के हाथ में ग्रान्ट्स के जाने से काफी असुविधा होगी क्योंकि सरकार की बड़ी फारमैलिटीज रहती हैं।

तीसरी बात जो कि हम लोग हमेशा महसूस करते हैं, वह यह है कि बोर्ड में फन्ड्स की कमी काफी रहती है जिसकी वजह से बहुत से काम जो इस क्षेत्र में बोर्ड करना चाहता है और कर सकता है, वह अधूरे रह जाते हैं। तो इस मौके पर मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर बोर्ड के डिसपोजल पर अधिक फन्ड्स रखे जायं, तो आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम में काफी उन्नति हो सकती है।

टी० ए० के सम्बन्ध में इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है। पहले यह था कि लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स को जो टी० ए० मिलता था, उसी के अनुसार बोर्ड के मेम्बर्स को मिलता था। वह अब डिलीट कर दिया गया है और पता नहीं कि अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है। यह बिल में स्पष्ट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम इतना भत्ता जरूर मिलना चाहिये जिससे आराम से सदस्य मीटिंगों में भाग ले सकें। अगर यह नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि बहुत से मेम्बर्स आवें ही नहीं।

फिर मुझे एक बात पैरा ४ के सम्बन्ध में कहनी है। १९३५ में जब से कि एक ऐक्ट बना था, तब से इस पैरा ४ के अनुसार रजिस्ट्रेशन का काम हुआ करता था। जो वैद्यक करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन इसी के अनुसार होता था। गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि जो अनुभव रखते हैं, उन लोगों के पास कोई सार्टीफिकेट न होने पर पैरा ४ के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाये और गवर्नमेंट को यह पावर थी कि वह रजिस्ट्रेशन को स्टाप भी कर सकती थी। यह बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैं यह देखता हूं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है और न मालूम उसमें क्या लीगल फ्लो निकल आया है कि जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं और हालांकि यह था कि जनवरी के बाद से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसके सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है, उनमें

[श्री प्रम चन्द्र शर्मा]

कुछ तजुर्बेकार हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अधिक अनुभव नहीं है और किसी तरीके से खाना-पुरी करके अपने को उन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया है। मेरा ऐसा विचार था कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा तरीका अख्तियार करती कि उन लोगों को, जो तजुर्बेकार नहीं हैं, २-३ महीने की ट्रेनिंग देती, तो उन लोगों को भी ज्ञान हो जाता, और उनसे भी जनता फायदा उठाती।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने एक प्रश्न उठाया था कि फैकल्टी में केवल एक ही व्यक्ति जायगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी रखा गया है वह बोर्ड का सदस्य है। प्रेसीडेन्ट जो है वह भी बोर्ड का सदस्य है। नम्बर ३, ४, ५ में जो हैं, वह भी बोर्ड के सदस्य हैं। इस बिल की काफी दिनों से जरूरत महसूस की जा रही थी और अब आशा की जाती है कि बोर्ड में एक द्रुतगामी प्रगति आवेगी।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित)---जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं इस बिल के ऊपर इसलिये कि आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, उनका सम्बन्ध हमारी तन्दुरुस्ती से है और अगर उनको दुरुस्त न किया गया, तो बहुत से छोटे किस्म के हकीम और वैद्य पैदा हो जाते हैं और वह हमारी तन्दुरुस्तियों को खराब कर देते हैं। वह खराब किस्म की दवाइयां देते हैं जिनसे हमारी सेहत पर असर पड़ता है और वह खराब होती हैं। इसलिये यह कोशिश भी बहुत काबिले तारीफ है।

सबसे पहले इस किस्म की शुरुआत में कि आयुर्वेदिक और तिबिया इलाज की ट्रेनिंग यहां पर दी जाये, हकीम अजमल खां ने कोशिश की थी और उन्हीं का एक कालेज इस किस्म का था। लेकिन अब तो कालेज बहु बढ़ गये हैं। आयुर्वेदिक के गवर्नमेंट ने भी कालेज खोल दिये हैं। वह बहुत जरूरी चीज थी और कायम होनी चाहिये थी। लेकिन आज जब कि हकीमों का भी ताल्लुक हमारी जिन्दगी से है, तब यह भी जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग के लिये भी गवर्नमेंट कोई कालेज कायम करे। गवर्नमेंट ने कई दफा वादे भी किये कि वह कायम किये जायेंगे। पन्त जी ने भी वादा किया था और गुप्ता जी ने भी कहा था कि तिब्बी कालेज कायम किये जायेंगे, लेकिन अभी तक कोई कायम नहीं किया गया। यह चीज बराबर चलती रही है कि गवर्नमेंट तिबिया कालेज यू० पी० में कायम करेगी। मेरे ख्याल में अब वादे का जमाना खत्म हो गया है और अब इसको पूरा करना चाहिये। जब आप तिब्बी को तरक्की देना चाहते हैं, तब सरकार को उसके लिये कालेज कायम करना चाहिये। वैसे तो दो कालेजेज हैं, एक इलाहाबाद में। और दूसरा लखनऊ में। उन दोनों को ऐड भी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट कालज की बात ही दूसरी होती है। वहां अच्छी पढ़ायी का इन्तजाम होता है। रिसर्च का इन्तजाम होता है। उसमें बड़ी तरक्की की बातें होती हैं। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वह एक तिबिया कालेज जरूर कायम करे। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देगी।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बिल के ऊपर विचार किया और बहुत उदारतापूर्वक विचार किया, और बहुत से आवश्यक और जरूरी सुझाव भी दिये जिनसे सरकार भी लाभ उठायेगी। इस बहस के दौरान में कुछ बातें उठायी गईं जिनका स्पष्टीकरण कर देना मैं आपकी आज्ञा से जरूरी समझता हूं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि बहुत से सवाल ऐसे उठाये गये हैं कि अगर इस बिल को ध्यान से पढ़ लिया गया होता और जो संशोधन इस बिल के ऊपर विधान सभा में किये गये हैं, उनको तथा पुराने ऐक्ट को भी देखा गया होता तो शायद वह सवाल न उठाये जाते।

मैं आपकी आज्ञा से इन सब का उल्लेख संक्षेप में करूंगा।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो बड़ा भारी प्रश्न यहां उठाया गया वह नामीनेशन का था कि नौमीनेशन करना कहां तक मुनासिब होगा। चुनाव क्यों न किया जाय जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मान्यवर, अधिकतर सदस्यों ने कृपा करके यह राय दी कि यह मसला ऐसा है जिसमें चुनाव भी हो सकता है और नामीनेशन भी हो सकता है। नौमीनेशन का उपाय यहां रखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपत्तिजनक बात हो। फिर भी बहुत से लोगों की राय में यह बात आई और वह समझते हैं कि चुनाव होना ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि यह संस्था ऐसी है जो विशेषज्ञों की संस्था है। ऐसी हालत में कोई जरूरी नहीं है कि इसमें चुनाव ही हो। नामीनेशन रखने से कोई आफत नहीं आयेगी और न सरकार की कोई नियत देखने की जरूरत है और न इसमें कोई कन्ट्रोल करने की बात सरकार के लिये है। इंडियन मेडिसिन बोर्ड से भारतीय चिकित्सा को ठीक ढंग से चलाने के लिये यह काम किया जा रहा है। नौमीनेशन करने से कोई बड़ी बात नहीं हो जायेगी। फिर भी जिन लोगों की ऐसी राय है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह यह विश्वास रखें कि नौमीनेशन जो रखा गया है, वह इस विचार से रखा गया है कि इस प्रकार का प्रयोग करके भी देखा जाय और कोई दूसरा इरादा नहीं है। आप जानते हैं कि मान्यवर, कि १९३९ से इंडियन मेडिसिन बोर्ड का चेयरमैन चुना जाता रहा है और १६ वर्ष से चुनाव की पद्धति चलती रही जैसा कि मैंने सुबह भी निवेदन किया था और मुझे भी, दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य, ऐसा अवसर मिला कि मैं चेयरमैन के लिये चुनाव में खड़ा हुआ था और हो भी गया था। चुनाव १६ वर्ष से हम करते रहे हैं और उस का नतीजा भी हम देखते रहे हैं, इसलिये दूसरे तरीके का भी प्रयोग होने दिया जाय। जो प्रयोग १६ वर्ष से हो रहा है उसमें निश्चय है कि नुकसान हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मैं स्वयं जानता हूं कि दूसरे प्रयोग को करके देखें कि नतीजा कैसा होता है, केवल यही विचार है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपना कन्ट्रोल चाहती है या यह ऐसी संस्था है जो स्वतन्त्र हो जायेगी। यह सरकार को डर नहीं है।

दूसरी बात यह भी है कि होम्योपैथिक और इंडियन मेडिकल कौंसिल में आपके नौमिनेटेड चेयरमैन हैं। मैं स्वयं चाहता हूं कि सरकार का इरादा है कि हम इस बोर्ड को वह स्टेटस दें जो यू० पी० मेडिकल कौंसिल को है। संभवतः ऐसे व्यक्तियों को हम प्रेसीडेन्ट के स्थान पर ला सकें जैसे मेडिकल कौंसिल में डायरेक्टर आफ हेल्थ प्रेसीडेन्ट हैं और यहां डिप्टी डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रदेश के और भी वैद्य हो सकते हैं, जो काम को ठीक ढंग से चला सकें। यह भी अकसर देखा गया है कि बहुत से लोग जिन्हें योग्य व्यक्ति समझा जाता है, वह चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते वह और वंचित रह जाते हैं, इसलिये यह व्यवस्था की गई है। ऐसे हो ५ सदस्यों के नौमिनेशन का प्रश्न है। आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी इस बोर्ड में ऐसा नहीं रखा गया है, जो रजिस्टर्ड वैद्य या हकीम न हो या क्वालीफाइड वैद्य या हकीम न हो।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

केवल यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधि उसमें आयेंगे और ऐसे यूनिवर्सिटी से जहां फैकल्टी आफ आयुर्वेद हो। बाकी सब आदमी रजिस्टर्ड और क्वालीफाइड हकीम और वैद्य होंगे। युनिर्वासिटी अपना प्रतिनिधि ऐसा भेज सकती है जो वैद्य या हकीम न हों। हमारे शर्मा जी ने और प्रताप चन्द्र आजाद जी ने कहा कि लेजिस्लेचर के मेम्बरों को क्यों छोड़ दिया गया, तो एक बात है, अब रेसपान्सिबिल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सारा लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को बनाता है। तमाम संस्थाओं में गवर्नमेंट का पैसा जाता है। यह फैकल्टी वगैरह जो होंगी, उसमें डिप्टी डायरेक्टर मेम्बर होगा। सारी जिम्मेदारी एक ढंग से गवर्नमेंट के ऊपर आती है और गवर्नमेंट जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर के सामने, सारे देश के सामने, तो हर जगह छोटी-मोटी संस्थायें जो बनें, उनमें आवश्यकता हो या न हो, मगर लेजिस्लेचर के मेम्बर रखे जायं, तो अच्छा नहीं होता है। जब एक सेट आपने ऐसा बनाने की कोशिश की जिसमें वैद्य, हकीम, अच्छे अच्छे विद्वान पंडित और योग्य व्यक्ति रहेंगे। तो जिनका इस क्षेत्र से सम्बन्ध है नहीं, वे रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हर जगह लेजिस्लेचर के मेम्बर्स

[ श्री कमलापति त्रिपाठी ]

को रखने की बात असंगत सी है। अगर कोई वैद्य है या हकीम है और लेजिस्लचर में है, तो नौमिनेशन उनको रोकता नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ में पांच व्यक्तियों का नौमीनेशन है उसमें उनका भी नामिनेशन हो सकता है। एक सज्जन ने कहा कि पांच आदमियों के नौमिनेशन के लिये क्यों रखा? वही पहले वाली बात कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, वृद्ध तथा कुछ एसे लोग होते हैं, जो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो इस प्रावीजन से ऐसे लोगों को लेकर बोर्ड में ला सकते हैं जिनसे सहायता लेना इस काम में हम आवश्यक समझते हैं। ६ की जगह ९ होंगे, ६ रजिस्टर्ड वैद्य, ३ रजिस्टर्ड हकीम और वह जो इलेक्शन से आयेंगे। दो हो गये जो आपके इन्स्टीटयूशन के वैद्यों की हैं, एक हो गया तिब्बी इन्स्टीटयूशन्स का। इस तरह से ९ और ३, १२ हो गये। उसके बाद युनिवर्सिटी से आयेंगे। हो सकता है कि लेजिस्लेचर में ऐसे योग्य प्रतिनिधि हों, जो सबसे फाइट करना नहीं चाहते हैं, तो उनको आप रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट की नियत में सन्देह न हो, तब तक जो विधान हो गया है बिल में, वह आपत्ति करने लायक नहीं है। जहां तक तैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। हमारे भाई आजाद साहब यहां नहीं हैं अगर होते तो, मैं उनसे प्रार्थना करता कि इस सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट उन्होंने दिया है, उसको अब मूव करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने जो कहा, उसका जवाब शर्मा जी ने दे दिया भी है। २१ आदमियों के बोर्ड से सिर्फ एक आदमी फैकल्टी में भेजा है। मैं तो कहता हूं कि वह सारी फैकल्टी बोर्ड ही के मेम्बरों से बनी है। यह जो सेक्शन ३६-ए में दिया है कि

"The President of the Board who shall be *ex-officio* Chairman of the Faculty."

बोर्ड में जो इलेक्टेड मेम्बर हैं तो उसके लिये सेक्शन ५ में दिया है।

अब आप यह देखिये कि धारा ३, ४ और ५ में क्या है? इनमें भी यही है कि कुछ युनि-वर्सिटियों से आयेंग, कुछ आयुर्वेदिक इन्स्टीटयूशन्स से आयेंगे, और एक मेम्बर वह है जो कि यूनानी एजूकेशन इन्स्टीटयूट से आयेगा। ये सब मेम्बर इस तरह से फैकल्टी में आ जाते हैं। इस तरह से एक आदमी और चुना जायेगा जो कि रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों का प्रतिनिधित्व करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक ही आदमी नहीं रखा गया है, बल्कि वे सभी आदमी इसमें रहेंगे।

ग्रान्ट्स देने के बारे में भी कहा गया है। मैं प्रेम चन्द्र जी से कहना चाहता हूं, और उनका इस बोर्ड से सम्बन्ध भी रह चुका है, कि बोर्ड ग्रान्ट्स नहीं देता है। मैं स्वयं इस बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं, लेकिन कभी इस बोर्ड ने किसी शिक्षा संस्था को ग्रान्ट नहीं दी है। ग्रान्ट्स तो सरकार सीधे अपने आप देती हैं। जितनी भी हमारी इस तरह की शिक्षा संस्थायें हैं, उनको सरकार स्वयं ग्रान्ट्स देती है। जो हमारे विद्यालय हरिद्वार, झांसी, पीलीभीत और अन्य स्थानों पर हैं, उनको सरकार से सीधे ग्रांट मिलती है। बोर्ड को तो सिर्फ २५ या ३० हजार रुपये मिलते हैं जो कि वह डिस्पेन्सरीज को बांटता रहा है। यह बोर्ड इतने फंड में बड़ी संस्थाओं को ग्रांट दे भी नहीं सकता है। यह भी आप जानते हैं कि किस तरह से डिस्पेन्सरीज को ग्रान्ट्स मिलती है। कुछ यहां दिला दिया और कुछ वहां दिला दिया। लेकिन अब यह प्राविजन हो रहा है कि जब आप एक प्रेसीडेन्ट को वहां रख रहे हैं और साथ ही एक सुसज्जित बोर्ड बना रहे हैं, तो वहां से पहले सिफारिश आये और उन्हीं की सिफारश पर किसी को ग्रांट दी जाय। आज बोर्ड किसी डिस्पेन्सरीज को ४ रुपया देता है तो किसी को ५ रुपया दे पाता है। इससे कुछ नहीं होता है। आज मेडिसिन बोर्ड इस तरह से डिस्पेन्सरीज को मदद देता है, लेकिन वह नहीं के बराबर है। कोई बड़ी चीज यह बोर्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन हां, अब यह व्यवस्था जरूर की

जा रही है कि इस बोर्ड की सिफारिश सरकार के पास हो और चूंकि एक ऐसा बोर्ड बनेगा जो कि अपनी हैसियत रखे तो निश्चित है कि सरकार उसके ऊपर ध्यान रखेगी और जो हमारे इन्स्टीटयूट्स चल रहे हैं, सरकार उनको अधिक से अधिक रुपया देगी। आप देखेंगे कि यह बोर्ड पोस्ट-ग्रेजुएट और रिसर्च के लिये भी सिफारिश कर सकता है।

अभी ठाकुर साहब ने कम्पेरेटिव स्टडी के लिये कहा है। मैं जानता हूं कि अनैटोमी और फिजियालोजी तो अंग्रेजी पद्धति में पढ़ाये जाते हैं, लेकिन जो औषधि और उपचार की पद्धति, है, वह हमारे आयुर्वेदिक और यूनानी के अनुसार पढ़ायी जाती है। कम्पेरेटिव स्टडी के लिये कठिनाई है।

डाक्टर साहब ने कहीं पर यह प्रयोग किया कि किसी साहब ने यह कहा कि अभी तो हम काउ-डंग-एज में रह रहे हैं। मैं तो कम से कम ऐसे शब्द प्रयोग करने का अधिकारी अपने को नहीं समझता और न मैं इस वाद-विवाद में ही पड़ना चाहता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि ये सब वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और इन का सम्बन्ध हम लोगों के रोगों से है। मैं मानता हूं कि वह पद्धति अच्छी है जो लोगों के कष्टों को दूर करे। यदि हम भगवान के क्रोध से बीमार हो गये और डाक्टर की दवाई से अच्छे न हुये और न वैद्य की दवाई से अच्छे हुये, तो ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है ?

अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि किसी वैद्य की दवाई करने से अच्छे नहीं हुये, डाक्टर की दवाई करने से अच्छे नहीं हुये, लेकिन होम्योपैथिक की एक पुड़िया से अच्छे हो जाते हैं। बड़े-बड़े कारबंकल जो डाक्टरों के इलाज से और वैद्यों के इलाज से अच्छे नहीं हुये, लेकिन होम्योपैथिक के इलाज से अच्छे हो गये। तो आप किसी भी पद्धति के लिये नहीं कह सकते हैं कि वह सब से अच्छी है। हम आज इस बात को जरूर कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति जो है वह एक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन चूंकि भारत के पराधीनता के काल में उसकी उपेक्षा की गयी है, इसलिये वैद्यों का प्रभाव कम हो गया और डाक्टरों के प्रति जनता की रुचि अधिक हो गयी है और यही कारण है कि वैद्यों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन कम होती गयी। इसका कोई विशेष कारण नहीं है सिवाय इसके कि इसके पठन-पाठन की व्यवस्था में काफी खराबी आ गयी थी और इसके पठन पाठन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस ओर ध्यान न देने का परिणाम यह हुआ कि लोगों की दृष्टि इस तरफ कम जाने लगी और वे इसमें कम रुचि लेने लगे। आप आयुर्वेदिक पद्धति के लिये यह नहीं कह सकते हैं कि यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। एलोपैथिक पद्धति की तरह से यह भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। जिस प्रकार से कुनीन खाने से मलेरिया का रोग अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार से तुलसी का सेवन करने से भी मलेरिया का रोग अच्छा हो सकता है। दोनों में एक प्रकार की प्राकृतिक शक्ति होती है जिससे मलेरिया के कीड़े मर जाते हैं। आज सरकार आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली को भी प्रोत्साहन देना चाहती है और वैद्यों को भी सरजरी करने का राइट है। इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि इस प्रणाली में रिसर्च हो और रिसर्च का जो परिणाम हो वह लोगों को बतलाया जाय जिससे और लोग भी लाभ उठा सकें। हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल एलोपैथिक ही एक वैज्ञानिक पद्धति है, आयुर्वेदिक भी एक वैज्ञानिक पद्धति है और अगर इसके विकास की ओर ध्यान दिया जायगा, तो अवश्य इसकी उन्नति होगी और इसमे लोगों को काभी फायदा भी होगा। अड़ूसा एक बहुत ही प्राचीन औषधि है जिसका प्रयोग अब नये ढंग से हो रहा है और इस तरह से इससे काफी लाभ उठाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आज के समय में हम हर प्रणाली से फायदा उठा सकते हैं और किसी भी प्रणाली को एक दूसरे से बड़ा नहीं कह सकते हैं। सभी पद्धतियां अपना-अपना स्थान रखती हैं।

इसी दृष्टिकोण से बोर्ड को स्वच्छ और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पड़ी है। उसमें इस तरह से फैकल्टी की स्थापना की गई कि उसमें सरकार के कन्ट्रोल का सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से हो सके।

[ श्री कमलापति त्रिपाठी ]

एक बात और निवेदन करनी है। हमारे एक भाई ने यह कहा कि हमारे यहां अन-रजिस्टर्ड जो प्रेक्टिशनर्स हैं, उनको भी प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाय। हमारे रुड़की के मेम्बर ने इस बात को कहा, तो यह बात सही है कि हमारे इस बिल में इसके लिये कोई रुकावट नहीं की गई है, मगर जो रजिस्टर्ड वैद्य होंगे, उनको ही सार्टिफिकेट देने का अधिकार होगा। जो अन-रजिस्टर्ड होंगे, वे प्रैक्टिस करें, मगर वे मेडिकल सार्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर कोई इसके लिये झूठा सार्टिफिकेट देकर या झूठा सबूत देकर कहेगा कि गुरुकुल कांगड़ी से उसने किया है, तो उसके लिये इसमें सजा रखी गई है और वैसे इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और कोई रुकावट हो, मैं नहीं समझता।

परा ४ की जो बात कही गई, वह इस ऐक्ट के अनुसार बन्द कर दी गई है। मैं जानता हूं कि पैरा ४ में किस तरह से रजिस्ट्री होती रही है।

**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार**--प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या राय है?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--प्राकृतिक चिकित्सा के लिये तो प्राकृतिक जीवन होना चाहिये और उसमें वस्त्रों का भी कोई स्थान नहीं है। जाड़ों में भी हमें बिना कपड़ों के रहना चाहिये।

हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि दफा ४ की रजिस्ट्री बन्द हो रही है और वह इसी कानून से बन्द हो रही है और इसमें उसको डिलीट कर दिया गया है, सिर्फ ३ दफा ही इसमें रह गई है।

दवाओं की चेकिंग और इन्सपेक्टरों के बारे में बात हुई, वह ठीक ही है। दवाएं जिस तरह से बन रही हैं और आयुर्वेदिक के लिये जो रसायन शाला बनी है, उस सम्बन्ध में एक अलग बिल की जरूरत है। चूंकि एडलट्रेशन की हुई दवाओं से नुकसान होने की अधिक संभावना है और इस तरह से प्रयोग करने से दूसरी प्रक्रिया हो सकती है, इस सम्बन्ध में जो भी बिल होगा, तो मैं आशा करता हूं वह सरकार की ओर से उपस्थित किया जायेगा, जिससे कि हम विश्वास के साथ दवायें ले सकें और जो दवायें हम लें, वे भ्रष्ट न हों और गलत नाम से हमें देकर हमारी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न किया जाय। इसलिये इसके लिये एक अलग बिल आयेगा।

श्री हयातुल्ला अन्सारी साहब ने कालेज की बात कही और मैं समझता हूं कि उनकी बात मुनासिब है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ एक आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में शुरू किया गया था, पिछले साल इसका विधान हुआ या इस साल, यह मुझे याद नहीं है, लेकिन यह शुरू किया गया, तो यह भी ठीक ढंग से चल नहीं सका और अभी तक यह ठीक लाइन पर नहीं आया है और इसमें गड़बड़ी रही है। वैसे यहां एक हिन्दू यूनीवर्सिटी की तरफ से इंस्टीट्यूशन है और बाकी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं और ऐसे ही मैं समझता हूं कि अलीगढ़ में एक तिब्बी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसा कालेज नहीं है। अभी उन्होंने आयुर्वेद के संबंध में प्रयोग किया है और धीरे-धीरे ही इसकी उन्नति की संभावना है। खाली आयुर्वेद-आयुर्वेद चिल्लाने से काम नहीं चलता है, जो भी इसकी उपयोगिता है, जो भी उसकी ताकत है, हमें पहले उसे समझना चाहिये, तभी कोई चीज चलती है। इसकी यूटीलिटी को हमें समझना चाहिये और इसकी यूजफुलनेस को भी समझना चाहिये, तभी हम इस चीज को आगे चला सकते हैं। मैंने भी इतिहास में आयुर्वेद के संबंध में पढ़ा है। पहले थैरैपी यूनान में चली और वहां के स्थावरों ने उसे चलाया। फिर वही स्थावर या भिक्षु अरब में जाकर उसी दवा को किया करते थे। धीरे-धीरे वह यूनान तक बढ़े और वह भिक्षु लोग दवा भी किया करते थे, थैरैपी वहीं से निकली। लेकिन अब इन कथाओं से हमारा काम नहीं चलने का है। आज तो मुकाबिला है दुनिया के ज्ञान-विज्ञान से। आयुर्वेद को अगर चलाना है, तो इस संघर्ष में

उसे विजयी होना होगा। ऐसी स्थिति में अगर हमारे स्कूलों और कालेजों में आयुर्वेद को विकसित करना है, तो उसके लिये उन्हें वैसा ही बनाना पड़ेगा। मैंने देखा है, बहुतों का इंस्पेक्शन भी किया है जब प्रेसीडेंट था, तो देखा है कि उनके पास कोई साधन नहीं, कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, विद्यार्थियों के नाम रोल पर नहीं हैं, फिर भी डिग्रियां बांट दी जाती हैं। यह तमाम चीजें चलती रहती हैं। हमको आपको, मालूम है। इम्तहान होते हैं मालूम नहीं कैसे कैसे लोग एक्जामिनर्स बन गए और डिप्लोमा, डिग्रियां दे दीं। आचार्य और वैद्याचार्य हो गये और फिर हम यह मांग करें कि डाक्टरों के मुकाबिले में उनको माना जाय तो यह कैसे संभव हो सकता ह। हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद की गजटेड सर्विस कायम हो, उनका स्टेटस बढ़ाया जाय। पर स्टेटस बढ़ाने से पहले उनके कार्य करने की शक्ति, उनके पठन-पाठन , इन सब के बारे में हम, आप सब इत्मीनान कर लें। उनको योग्यता प्रदान करने के लिये हमको व्यवस्थायें करनी पड़ेंगी। कुंवर साहब ने कहा कि बोर्ड से ही काम क्यों नहीं ले लेते हो ? बोर्ड से यह सारे काम कराना संभव नहीं होगा। वैसे यह बाडी तो बोर्ड की ही होगी। इसमें डिप्टी डाइरेक्टर आफ मेडिकल एंड हेल्थ भी आ जायेंगे। वह संभवतः सेक्रेटरी का काम करेंगे।

मैं समझता हूं मान्यवर, मैंने आप का बहुत समय ले लिया है। अब इसमें कोई विशेष बात उत्तर देने की नहीं है और मुझे यह विश्वास है कि सरकार जो प्रयास करने जा रही है उसके प्रति इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की पूरी सहानुभूति और शुभकामना है। हां, इतना अवश्य विश्वास दिला सकता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं, जो बिल में नहीं होंगे, तो भी सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

हां, शुक्ल जी ने एक बात कही मिडवाइब्ज और नर्सेज के लिये। उनकी बात ठीक है। नया बिल इसके लिये आने वाला है। इसमें सारी चीजें कदाचित् फिट-इन नहीं कर रही थीं। आपके सुझावों पर गवर्नमेंट विचार भी करेगी। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि इस पर अब कोई अमेंडमेंट वगैरा मूव न हो।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसन, संशोधन विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २--४

२--यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ ( जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रीएम्बुल में--

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ के प्रिएम्बुल का संशोधन।

(क) शब्द "medicine" के बाद में कौमा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "and to control the sale of medicinal herbs and drugs" निकाल दिये जायं।

३--मूल अधिनियम में:--

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ में कुछ शब्दों को स्थानापन्न रूप में रखना (Substitution)।

(क) लम्बे शीर्षक में, प्रिएम्बुल में अथवा धारा १ और ४ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा में, जहां-जहां भी शब्द "Indian medicine" अथवा "Indian systems of medicine" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" रख दिए जायं;

(ख) शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं;

(ग) जहां कहीं भी शब्द "Chairman" आया है उसके स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय; और

(घ) जहां कहीं भी शब्द "Surgeon", "Surgeons", Mid-wife या "Mid-wives" आये हैं उन्हें निकाल दिया जाय।

यू० पी० एक्ट १०, १९३९ की धारा २ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २ में:—

(क) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (iii-a) तथा (iii-b) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(iii-a) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

"(iii-b) "Faculty" means Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine constituted under section 36-A-

(ख) खंड (x) के अन्त में शब्द "and surgery" बढ़ा दिये जायं।

(ग) खंड (xi) के अन्त में शब्द "and surgery" बढ़ा दिए जायं।

(घ) खंड (xii) तथा (xiii)) निकाल दिये जायं।

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि खंड २ से ४ तक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड—५

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Constitution of the Board"

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President) :

(i) A President to be nominated by the State Government,

(ii) five members to be nominated by the State Government.

(iii) one member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, in the manner prescribed, by the Faculty,

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Instituuons of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board,

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board, and

(vi) nine member (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims respectively of Uttar Pradesh.

Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President.

**श्री हयातुल्ला अंसारी**—मेरा अमेंडमेंट यह है कि मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ५ में निम्नलिखित नई उपधारा (७) और बढ़ा दी जाय:

(७) One member from Anjuman Tibbia,"

अंजुमन तिब्बिया एक बहुत पुरानी जमाअत है, जिसको २५–३० साल हो गये हैं। यू० पी० के जितने बड़े–बड़े हकीम हुए हैं, वह इसके मेम्बर, सदर, सेक्रेटरी रहे हैं। इसके सालाना जल्से जो होते रहे हैं, उसमें भी हमारे बड़े–बड़े लीडर शरीक रहे हैं, मसलन कमलापति त्रिपाठी जी ने भी इसका उद्घाटन किया है, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने भी किया है, चन्द्रभाल जी ने भी किया है, गोविन्द बल्लभ पन्त ने भी इसका उद्घाटन किया है और यह सिलसिला बराबर २५–३० साल से चला आ रहा है। अब तक इसका एक मेम्बर बराबर इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रहा है, लेकिन अब इसमें से कोई नाम नहीं रखा गया है। अंजुमन तिब्बिया में कोई फूट भी नहीं है जिसकी वजह से वहां से कोई मेम्बर न लिया गया हो। वहां कोई मुकदमेबाजी भी नहीं हो रही है। यह हो सकता है कि एक–दो हकीम उससे अलग हो गये हों और बयान देते रहे हों, लेकिन वह ऐसे ही हैं जैसे बड़ी–बड़ी जमातों में हुआ करता है। वैसे वहां कोई फूट नहीं है। आज ही अखबार से मालूम हुआ कि जनता गांधी, कांग्रेस नाम की एक नई जमात बन गई है। तो इसके माने यह नहीं है कि कांग्रेस में फूट हो गई है। अखबार में नाम आया और लोगों को मालूम हो गया कि कोई जमात इस तरह की बन गई है। लेकिन इससे यह कोई नहीं कह सकता है कि कांग्रेस में कोई फूट पड़ गई है। मेम्बरों को मालूम होगा कि अंजुमन तिब्बिया में कोई फूट नहीं है। अगर गवर्नमेंट जरा इंक्वायरी करे, तो उसको मालूम होगा कि जितने बड़े–बड़े हकीम हैं, जिनकी राय का वजन है, वह समझते हैं कि यह एक अहम जमात है और इसने आर्गनाइज करने में एक बहुत बड़ा काम किया है। पहले कहीं पर लाइब्रेरियां नहीं थीं, न कोई किताबें थीं, लेकिन अंजुमन तिब्बिया ने जगह–जगह लाइब्रेरी कायम की हैं और जो बड़ी–बड़ी बबायें हैं जैसे हैजा वगैरा, उनका मुकाबिला करने का तरीका निकाला है। तो मैं समझता हूं कि अगर उसका एक मेम्बर रख दिया जाय, तो उसका वजन बढ़ जायेगा। अगर मेम्बर नहीं रखा जाता है, तो जिन लोगों को तिब्बी में दिलचस्पी है, वह समझेंगे कि बोर्ड में कोई रखा नहीं गया है, इसलिये इसका कोई वजन नहीं है। इसलिये मैं यही आप से अपील करता हूं कि आप इस टुकड़े को भी शामिल कर लें।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार न कर सकूंगा। इसका कारण यह है कि पिछले बोर्ड में वैद्यों के सम्मेलन में और अन्जुमने तिब्बिया के सम्मेलन में दोनों के प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि चुनने में कठि–नाइयां पैदा हुईं। उनमें बराबर झगड़े चलते रहे। गवर्नमेंट उनमें से नामिनेट कर रही थी, तो बराबर तार पर तार आने लगे। वैद्य सम्मेलन में तो ऐसा हुआ कि दो सम्मेलन हो गये। अंजुमन में दो हुए या नहीं हुए यह तो नहीं मालूम, लेकिन झगड़े उसमें भी होते रहे। इसलिये यही मुनासिब समझा गया कि जहां पहिले वैद्यों के ४ रिप्रेजेन्टेटिव

[ श्री कमलापति त्रिपाठी ]

थे वहां पर ६ कर दिये गये और हकीमों के जहां पहिले २ थे वहां पर ३ कर दिये गये। यही मुनासिब समझा गया बनिस्बत इसके कि इन सम्मेलनों के प्रतिनिधि लिये जायें। लेकिन मैं यह जरूर आश्वासन देना चाहता हूं आपके द्वारा अपने भाई अंसारी जी को कि जो सुझाव उन्होंने दिया है, इस पर गवर्नमेंट विचार करेगी और यदि किसी भी समय यह मुनासिब समझा गया कि उसका रिप्रेजेन्टेटिव लिया जाये, तो उसको ले लिया जायेगा। इस समय मेरी प्रार्थना यही है कि वह इसको इसी तरह से स्वीकार कर लें और अपने संशोधन को वापस ले लें। गवर्नमेंट इस पर विचार कर लेगी।

***श्री अब्दुल शकूर नजमी** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय चयरमैन साहब, यह तरमीम जो भाई हयातुल्ला अंसारी ने रक्खी है, मैं इसको बहुत जरूरी समझता हूं। इसकी एक साफ वजह यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो दलील अंजुमन तिब्बिया के रिप्रेजेंटेटिव को न लेने की दी है, वह यह है कि इनमें झगड़े होते हैं। जहां तक फूट और झगड़े का सवाल है, मुझे पूरी जानकारी है कि तब्बिया में कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई आगे चल कर हो जाये या फ्यूचर में हो जावे, तो मैं नहीं कह सकता हूं। वैद्य सम्मेलन में झगड़े जरूर हुए और वह यहां तक बढ़े कि हाई कोर्ट तक मुकदमेबाजी की नौबत आ गई। लेकिन अंजुमने तिब्बया में कोई तफरका या झगड़ा इस किस्म का नहीं हुआ कि मुकदमेबाजी की नौबत आती। इसकी यू० पी० में ४२ शाखें हैं। उनमें हो सकता है कि दो-चार शाखें कुछ झगड़ा पैदा करने की कोशिश करती हों, लेकिन इस बात को नौबत कभी नहीं आई कि झगड़े की बात बाहर फैलती। इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिये इसको लेना बहुत जरूरी है। इससे वैद्य सम्मेलन एक सबक लेगा कि अगर उसमें भी झगड़ा नहीं होगा, तो उसके भी रिप्रेजेंटेटिव ले लिये जायेंगे। इसके साथ ही साथ अंजुमने तिब्बिया भी यह सबक लेगा कि अगर उसमें कभी झगड़ा होगा, तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव हटा दिया जायगा।

अंजुमन तिब्बिया कालेज ने जो काम किये हैं, वह बहुत अहम हैं। वहां से लिट्रेचर निकाला गया है, जो फी बांटा जाता है उनके पास लाइब्रेरी है, वह सलाह-मशविरा भी देती है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को जरूर मंजूर कर ले। माननीय मंत्री जी से बहुत अदब से कहूंगा कि वह इसको जरूर मंजूर करेंगे क्योंकि यह बहुत मुनासिब है।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड का रिआर्गनाइजेशन हो रहा है, उसमें डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट बातें हुईं, उनको कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता और मैं जानता हूं कि उनसे बोर्ड की प्रगित में बाधा पड़ी। अब यह जो अमेंडिंग बिल आया है, उसमें आन मेरिट्स आदमियों को लिया जायेगा। उनमें जो भी संस्था है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और प्रतिनिधि हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक संस्थाओं क भी प्रतिनिधि लिये गये हैं। पहले लेजिस्लेचर्स के २-३ मेम्बर्स लिये जाते थे, अब वह भी नहीं रखे गये हैं। अब महज इसलिये कि यूनानी संस्था के प्रेसीडेंट हैं इसलिये लिया जाय, तो इसके बाद दूसरी मांग यह होगी कि भारतीय आयुर्वेदिक सम्मेलन के प्रेसीडेंट को भी लिया जाय। कई बातें ऐसी हैं जिससे झगड़े और नोटिसबाजी होती हैं। इन सब बातों को देखकर यह अमेंडिंग बिल लाया गया है, जिससे कोई झगड़ा न रहे और जो लोग लिये जा रहे हैं, वह तजुर्बे और मेरिट्स की बिना पर लिये जा रहे हैं। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का, जो रखा गया है, विरोध करता हूं।

**श्री हयातुल्ला अंसारी**--मैं इसे वापस लेता हूं।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

**श्री चेयरमैन**—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय?

( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। )

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

## खंड ६—२७

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १० का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall after such notice as may be prescribed be removable by the State Government alone."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १२ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

Resignation of a member or president

12. (1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation after due verification shall take effect from the date on which it is accepted by the Board.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation when accepted shall be published in the official Gazette and shall take effect from the date notified therein."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १८ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

quorum for a meeting of the board

18. The quorum of the Board shall be 8 members. but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Provided that at an adjourned meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum my be transacted if not less then five members are present."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २१ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २२ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) से शब्द "not exceeding the allowances payable to the members of the State Legislature" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २५ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और "Vaidyas" शब्द के बाद में कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २७ का संशोधन।

१४—वर्तमान धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

27. Person entitled to be registered

(1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be prescribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the Register, When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the Register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

(3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(4) The Board may, on its own motion or on the application of any person cancel or alter any entry in the Register or order any entry in the Register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained or an application was wrongly refused."

१५—मूल अधिनियम की धारा २८ के खंड (a) में शब्द "medicine, surgery or midwifery or" के स्थान पर शब्द "Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और शब्द "Vaidyas" के बाद के कौमा के स्थान पर शब्द "or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "With fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३३ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३५ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३६ का संशोधन।

Power and duties of the board.

**36.** The Board shall have the following powers and duties namely—

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine including research and post-graduate education

(2) to accord suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani educational institutions on the recommendations of the Faculty

(3) to publish the results of the examination conducted by the Faculty

(4) to grant Degrees or Deplomas to candidates who are successful at the Board's examination

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Boards examinations

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties

(7) to perform such other functions for the developement of Ayurvedic and Unani Education as may be consistent with the provision of the Act

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act and

(9) to grant scholarship and medals to deserving students of institutions affiliated to the Board and with the sanction of State Government, to grant to students domiciled in this State scholarship for research or special study in any Medical Institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian Medicine and Surgery in Institution affliated to the Board."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९में नयी धारायें, 36-A, 36-B तथा 36-C का रखा जाना।

२०—मूल अधिनियम की धारा ३६ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 36-A, 36-B तथा 36-C के रूप में बढ़ा दी जायें—

"Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine.

36-A. (1) For the proper discharge of its duties and functions as a teaching and examining body in the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine, the Board shall appoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following:

(i) the President of the Board who shall be *ex officio* Chairman of the Faculty :

(ii) members of the Board elected under clauses (iii) (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty;

(iii) one member to be elected by the members of the Board from amongst themselves ; and

(iv) the Deputy Director of Medical and Health Services, Ayurved, Uttar Pradesh.

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than two members for a specified duration and a specific purpose.

(3) The Faculty shall elect a Vice-Chairman from amongst its members.

(4) A person shall cease to be member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board.

powers and duties of the Faculty.

36-B. The Faculty shall have the following powers and duties :

(*a*) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in educational institutions affiliated to the Board

(*b*) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board

(c) to exercise geneial supervision over the residential and disiplinary arrangements made by the educationai institutions affiliated to the Board and to make arangement for promoting the health and general welfare of their stundents;

(b) to appoint examiners ;

(e) to cause inspections to affiliated institutions of the Board ;

(f) to make recommendations to the Board for the affiliation or recognition or for suspenion or withdrawal of recognition or affiliation of Ayurvedic and Unani institutions; and

(g) Registrar shall function as the Secretary of the Faculty.

Disagreement between the Faculty and the Board.

36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to Ayurvedic or Unani Education a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Gavernment shall be final. "

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३७ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

(१) शब्द "may" और "frame" के बीच शब्द after "previous publication" रख दिये जायं ;

(२) उप धारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त के फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय ; और तत्पश्चात् द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

" Provided further that no regulation shall be framed under any of the clauses (a) to (g) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty. "

(३) उपधारा (३) म शब्द "Gazette" के बाद शब्द and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government" बढ़ा दिये जायं; तथा

(४) उपधारा (४) में शब्द "c ncel" के स्थान पर शब्द " cancel or modify" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३८ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ३८ क शब्द "and licensing of firms for sale of Indian drugs" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५३ का निकाला जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५४ का निकाला जाना।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५४ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ का धारा ५५ की संशोधन।

यू० पी० [ऐक्ट] १०, १९३[९] नयी धा[रा] 36-A, B तथा C का [जोड़ा] जाना।

२५—मूल अधिनियम की धारा ५५ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "to practise" के स्थान पर शब्द "in or othewise entitled to practise" रख दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "With fine which may extend to five hundred ruppees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment not exceending six months or with fine which may ext[en]d to five hundred rupees or with both" तथा शब्द with fine which may extend to two hundred rupees के स्थान पर With imprisonment not exceeding three months or with fine hich may extend to hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १९, १९३९ की अनसूची का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची में—

(*a*) अनुच्छेद (२) निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

2—Vaids and Hakims who held a degree or diploma granted by the Board

(*b*) अनुच्छेद (४) निकाल दिया जाय।

स्थायी तथा अन्तःकालीन उपबन्ध।

२७—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व कार्यरत (functioning) बोर्ड मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, कि धारा ५ के अधीन कोई बोर्ड विधिवत् संगठित नहीं हो जाता, तथा ऐसा बोर्ड इस बात के होते हुये भी कि मूल अधिनियम के अधीन इसका कार्यकाल अन्यथा समाप्त हो गया है, तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार नया बोर्ड संगठित नहीं हो जाता।

(२) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों, मुख्यतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से उक्त ऐक्ट के, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्धों में संक्रमण के बारे में होने वाली कठिनाइयों के दूर करने के प्रयोजनार्थ आज्ञा द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल ऐक्ट, जैसा कि वह पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार संशोधित हुआ है, ऐसे परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा लोपों (modifications additions or omissions) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, ६ महीने तक की कालावधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायगी, प्रभावी होगा।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि खंड ६ से लेकर खंड २७ तक इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्तावना तथा खंड--१

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ संशोधत किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) १९५५ कहलायेगा ;

(२) यह तुरंत प्रचलित होगा।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं केवल इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हयातुल्ला अन्सारी साहब ने अमेंडमेंट रखा था और हमारे आग्रह पर उन्होंने वापिस ले लिया, इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। परन्तु इतना में निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो न रखी जा सके क्यों कि आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड हकीमों की ओर से तिब्बी का जो कालेज है, उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन है ही, तो मैं नजमी साहब से भी कहूंगा कि सरकार का कोई आग्रह नहीं है और न कोई उसूल की बात है। इस वक्त इसलिये नहीं रखा है कि मतभेद है और बाद में समयानुसार गौर करके जैसा मुनासिब होगा, कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सदन का कार्यक्रम

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--कल के लिये जनाबवाला, फारेस्ट बिल आ गया है। मेरी गुजारिश है कि वह कल से ले लिया जाय और पास भी कर लिया जाय और परसों गैर सरकारी बिजिनेस कर लिया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मुझे कोई एतराज नहीं है।

**श्री चेयरमैन**——कल इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ लिया जायेगा, जो आज मेज पर रखा गया है। परसों नान-आफिशल डे होगा। चूंकि बैलेट नहीं हो सका है, इसलिये पहले के जो संकल्प हैं, वही ले लिये जायेंगे।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ५ मिनट पर बृहस्पतिवार, २२ दिसम्बर, सन् १९५५ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ:

२१ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०।

परमात्मा शरण पचौरी,

सचिव,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२२ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में आरंभ हुई।

## उपस्थित सदस्य (५५)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
काशी नाथ पांडे, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज़ अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वेणी प्रसाद टण्डन, श्री
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे--

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, वन तथा सहकारी मन्त्री)।
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री)।
श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मन्त्री)।

# प्रश्नोत्तर

## इलाहाबाद कुम्भ मेला जांच समिति की रिपोर्ट

१--**श्री नरोत्तम दास टंडन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार कृपा करके इलाहाबाद कुंभ मेला जांच समिति की रिपोर्ट को मेज पर रखेगी ?

**Sri Narottam Dass Tandon** (Local Authorities Constituency)—Will the Government lay on the table the Report of the Allahabad Kumbh Mela Enquiry Committee ?

**श्री सैयद अली जहीर** (न्याय तथा स्वसाशन मंत्री)--यह रिपोर्ट सम्बन्धित सरकारी प्रस्ताव के साथ १५ जनवरी, १९५५ ई० के यू० पी० गजट में छप चुकी है। सरकार अब उसको सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं समझती।

**Sri Sayed Ali Zaheer** (Minister for Justice and Local Self-Government)—The Report along with the Government Resolution thereon has already been published in U. P. Gazette, dated January 15, 1955. Government do not consider it necessary to lay the said Report on the table now.

**श्री नरोत्तम दास टंडन**--क्या सरकार उनकी सिफारिशों पर अमल करने जा रही है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी हां, जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, उसमें लिखा हुआ है कि उन पर सरकार क्या अमल कर रही है और आगे क्या करने वाली है।

२--**श्री हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

## ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के नियम

*३--**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके उत्तर प्रदेश की गांव पंचायतों के सचिवों की नियुक्ति के नियमों की एक प्रतिलिपि को मेज पर रखेंगे ?

**Sri Indra Singh Nayal** (Local Authorities Constituency) [*Absent*]—Will the Government kindly lay on the table a copy of Rules for the recruitment of Secretaries of Gaon Panchayats in Uttar Pradesh ?

**श्री सैयद अली जहीर**--पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति के नियमों की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

**Sri Sayed Ali Zaheer**—A copy of the Rules† for the recruitment of Panchayat Secretaries is laid on the table.

४--**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)--स्थगित।

५--१३--**श्री लल्लू राम द्विवेदी** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचित क्षेत्र)--स्थगित।

---

* प्रश्न संख्या ३ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछा गया।

† देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ३६५ पर।

## उत्तर प्रदेश में सफाई तथा ड्रेनेज सम्बन्धी योजनायें

१४--**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(अ) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितनी सफ़ाई तथा ड्रेनेज सम्बन्धी योजनाएं चालू हैं ?

(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी चालू करने का विचार है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--(अ) इस समय प्रदेश के शहरों में १६ ड्रेनेज योजनायें चालू हैं। इसके अतिरिक्त ५० ग्रामों में भी फ्लश वाली टट्टियां बनाने का विचार है ।

(ब) अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि योजनाओं की संख्या भारत सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता पर निर्भर होगी ।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन योजनाओं में कितने खर्चे का एस्टिमेट है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ये जो १६ योजनायें हैं, उनके मुताल्लिक आप पूछ रहे हैं या जो देहातों में हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं ?

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--मैं सम्पूर्ण योजना के बारे में पूछ रहा हूं ।

**श्री सैयद अली जहीर**--देहातों के लिये ढाई लाख रुपया मंजूर हुआ है, लेकिन बकिया योजना के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ है, इस की इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

**श्री हृदय नारायण सिंह**--ये जो पांच गांव बतलाये गये हैं ये मुख्तलिफ जिलों में हैं या एक ही जिले में यह योजना है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ये मुख्तलिफ जिलों में हैं ।

**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेजी**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भारत सरकार से मदद न मिलने पर यह योजना अधूरी हालत में छोड़ दी जायेगी ?

**श्री चेयरमैन**--यह कल्पनात्मक (हाइपोथिटिकल) प्रश्न है ।

**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार वार्धा मूविंग लैटरिन को प्रचलित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--मुझे मालूम नहीं है कि यह किस क़िस्म की लैटरिन है, लेकिन जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट और दूसरी तरह की लैटरिन हैं उन में एक्सपेरिमेन्ट हो रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा तरह-तरह की स्कीमों पर गौर हो रहा है कि देहातों के लिये क्या किया जाय ।

१५--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--स्थगित ।

(२१ दिसम्बर, सन् १९५५ ई० को शिक्षा मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित किये गये प्रश्न)

## नियोजन विभाग की प्रत्येक जिले में एजुकेशन सब-कमेटियां

*१--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग (Planning Department) की प्रत्येक जिले

---

* प्रश्न संख्या १--३ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछे गये ।

में एजुकेशन सब-कमेटी (Education Sub-Committee) बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री हर गोविन्द सिंह** (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)--(क) शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक जिले में जिला नियोजन कमेटी की एक सब-कमेटी बनाई गई है ।

(ख) सम्बन्धित राजाज्ञाओं की प्रतियां* संलग्न हैं ।

२--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली में एक नियोजन विभाग की शिक्षा उप-समिति (Education Sub-Committee) बन चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

**श्री हरगोविन्दसिंह**--(क) जी हां ।

(ख) सदस्यों की सूची† संलग्न है ।

*३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार ने फरीदपुर, जिला बरेली के सी० ए० एस० इन्टर कालेज को कुछ रुपया, किसी ऐसी एजुकेशन सब-कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उस सब-कमेटी की इस सम्बन्ध में कब बैठक हुई ?

(ग) क्या सरकार उस सब-कमेटी के सम्बन्धित प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--(क) एजुकेशन सब-कमेटी की अपूर्ण सिफारिश उसके अध्यक्ष द्वारा पूर्ण हुई और उस पूर्ण सिफारिश के आधार पर इस स्कूल को अनुदान दिया गया ।

(ख) ५-७-१९५४ ।

(ग) प्रस्ताव की प्रतिलिपि** सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है । तीन स्कूलों के नाम मांगे गये थे, किन्तु एक ही का नाम भेजा गया । कमेटी के अध्यक्ष से दो और नाम मांगे गये और उन्होंने कमेटी के सचिव की सम्मति से दो और नाम भेजे, जिनमें फरीदपुर कालेज का नाम था, अतः १९५४-५५ में उसी को यह अनुदान दिया गया ।

## प्रदेश के जे० टी० सी० के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि

४--**राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जे० टी० सी० के अध्यापकों के वेतन-वृद्धि की कोई सरकारी योजना बन चुकी है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जी हां ।

५--**राम नन्दन सिंह**--यदि हां, तो उन्हें बढ़ा हुआ वेतन कब से दिया जायेगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--१ जुलाई, १९५५ से ।

---

* देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ३६७ पर।
† देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ३७० पर।
** देखिए नत्थी 'घ' पृष्ठ ३७१ पर।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं में एक जुलाई, सन् १९५५ से लागू होगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जी हां, इरादा तो यही है।

**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापकों को जे० टी० सी० का ग्रेड दिया जायगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--इसके बारे में मैं देख कर बताऊंगा। जूनियर हाई स्कूल के लिये तो यह रखा गया है। अगर सम्भव हुआ तो हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापकों को भी यही ग्रेड दिया जायगा बशर्ते कि वह कक्षा ८ तक के लड़कों को पढ़ाते होंगे।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या यह बात ठीक नहीं है कि सरकार ने पिछले बजट में सरकारी स्कूलों के ग्रेड के लिये १ अप्रैल, १९५५ से प्राविजन किया है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--सरकारी स्कूलों के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसको मंजूर कर लिया था कि वहां पर जे० टी० सी० के अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाय, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको उचित नहीं समझा कि गैर सरकारी स्कूलों का वेतनक्रम दूसरा हो और सरकारी स्कूलों का वेतनक्रम दूसरा हो, इसलिये इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि दोनों स्कूलों का ग्रेड एक सा हो।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--तो क्या दोनों स्कूलों का ग्रेड एक सा है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--थोड़ा सा फर्क है। सरकारी स्कूलों में ६०--४--८०--५--१२० रु० है और सहायता प्राप्त स्कूलों में ६०-३-९०-४-११० रु० हैं। यही ग्रेड में फर्क है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या सरकार इस सम्बन्ध में आदेश भेज चुकी है कि उनके ग्रेड का, जो रिवीजन हुआ है, वह लागू होगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--आदेश तो भेजने नहीं हैं क्योंकि इसमें अभी थोड़ी-बहुत दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों के दूर हो जाने के बाद उनको रुपया दिया जायेगा। जब रुपया देंगे, तभी आदेश देंगे।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--वह रुपया कब से मिलने लगेगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैंने कह दिया कि जब भी यह निश्चय होगा, पहली जुलाई सन् १९५५ से उनको दिया जायेगा।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--यह कब तक निश्चय हो जायेगा और रुपया कब मिलेगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--इसमें जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह तो किया ही जायेगा, लेकिन जो थोड़ी-बहुत दिक्कतें हैं, उनका समाधान करना जरूरी होता है।

**श्री शांति स्वरूप अग्रवाल** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान फाइनेंशियल साल में भी इसके मिलने की आवश्यकता है या नहीं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--यह बतलाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ दिक्कतें आ गई हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी दिक्कतें बतलाई हैं जिसके कारण जूनियर हाई स्कूल्स के हेड मास्टर्स का ग्रेड इन टीचरों से कम हो जायेगा। इस तरह से हेड मास्टर्स तो वहां कम पाते रहेंगे और जे० टी० सी० टीचर्स ज्यादा पाते रहेंगे। उनका समाधान

ढूंढा जा रहा है और जब भी इस बात की सम्भावना हो जायेगी, उनको वह रुपया दे दिया जायेगा। लेकिन मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि कब तक यह सम्भव होगा।

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अगले बजट तक इस योजना का निश्चय हो जायेगा ?

**श्री चेयरमैन**——इस प्रश्न का उत्तर तो दिया जा चुका है।

**श्री शांति स्वरूप अग्रवाल**——क्या सरकार यह उचित समझेगी कि सरकार ने जो यह एश्योरेन्स दिया है, तो वह इसको जिलों में इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स के मालूमात के लिये भी भेजेगी ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**——जब तक इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स को यह खबर भेजी जाय, उस समय तक तो बजट में भी प्राविजन हो जायेगा और इसके अलावा सभी जानते हैं कि जे० टी० सी० का ग्रेड रिवाइज हो रहा है।

## विलीन टेहरी तथा रामपुर राज्यों के अध्यापकों की सुविधाओं में असमानता

*६——**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन टेहरी राज्य के अध्यापकों को विलीनीकरण के उपरान्त प्रदेश की सरकार द्वारा जो सुविधायें दी गईं वही सुविधायें विलीन रामपुर राज्य के अध्यापकों को क्यों नहीं दी गईं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**——टेहरी राज्य तथा रामपुर राज्य के ट्रेन्ड अध्यापकों को विलीनीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचलित समान सुविधायें दी गई हैं। अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को उनके भूतपूर्व राज्य की सेवा की शर्तों को ध्यान में रखकर विलीन किया गया है।

७——**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**——स्थगित।

८——**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**——(इस प्रश्न का उत्तर २१-१२-५५ को दिया गया।)

## सन् १९५४-५५ में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि

†९——**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)——प्रदेश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को १९५४-५५ में सरकार द्वारा कितनी धनराशि निम्नलिखित मदों पर दी गई :

(क) प्राइमरी स्कूल्स,

(ख) जूनियर हाई स्कूल्स, और

(ग) गर्ल्स स्कूल्स ?

**Sri Badri Prasad Kacker**—(Legislative Assembly Constituency) [*Absent*] What was the amount of grant given by Government in

---

* प्रश्न संख्या ६ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछा गया।

† प्रश्न संख्या ९——१२ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछे गये।

1954-55 to each District Board in the State under the following Sub-heads:

(a) Primary School,
(b) Junior High Schools, and
(c) Girls School.

**श्री हर गोविन्द सिंह**—सरकार द्वारा हिन्दुस्तानी शिक्षा के विभिन्न उपशीर्षकों के हेतु जिला परिषदों को पृथक् रूप से कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। विभिन्न उपशीर्षकों पर जिला परिषदों द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम व्यय निर्धारित किया जाता है और इन सब उपशीर्षकों के हेतु जिला परिषदों को कन्ट्रैक्ट ग्रान्ट दी जाती है। *सूची (ए) जिसमें विभिन्न उपशीर्षकों पर होने वाला न्यूनतम निर्धारित व्यय तथा प्रत्येक जिला परिषद् को सन् १९५४-५५ में दिये गये कन्ट्रैक्ट ग्रान्ट की धनराशियां दिखाई गई हैं, संलग्न है।

**Sri Har Govind Singh**—Government do not give grants to District Boards for the various sub-heads of Hindustani Education separately. They prescribe the minimum recurring expenditure to be incurred by the District Boards under various sub-heads and give a contract grant towards these sub-heads as a whole. A† statement (A)† showing figures of prescribed minima under the various sub-heads and the amount of contract grant given to each Board during 1954-55 is enclosed.

**श्री हृदय नाराण सिंह**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अनट्रेन्ड अध्यापकों को गवर्नमेंट सर्विस में ग्रेड मिलता है, वह अनट्रेन्ड अध्यापक, जोकि रामपुर में काम करते थे, क्या उनको उससे कम ग्रेड मिलता है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मर्जर की शर्तों में यह था कि जो ग्रेड उनको पहले मिलता था, उससे कम तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट उनकी योग्यता को व सर्विस काल को देखते हुये इस बात को तय करेगी। लेकिन यह जो दूसरे नये वेतन क्रम हैं, उनके लिये नहीं किये गये हैं, और उसमें उनको गवर्नमेंट ग्रेड से कम मिलता है, तो इसके लिये कोई आश्वासन भी उनको नहीं दिया गया था और न मर्जर की शर्तों में ही यह था।

**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या मैं काशी राज्य के बारे में कुछ पूछ सकता हूं ?

**श्री चेयरमैन**—जी नहीं।

१०—**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (अनुपस्थित)—प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की १९५४-५५ में अपनी शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिये (१) शुल्क से आय और (२) बोर्ड की आय से अंशदान के रूप में कितनी कितनी सहायता दी गई।

10. **Sri Badri Prasad Kacker** (*Absent*)—What was the contribution of each District Board in the State during the year 1954-55 for running their educational institutions out of the (i) income from fees and (ii) as contributions from Board's income ?

---

* देखिये नत्थी ङ पृष्ठ ३७२-३७३ पर।
† See नत्थी ङ on page 372 373

श्री हर गोविन्द सिंह—सूची (बी) † संलग्न है।

Sri Har Govind Singh—*Statement (B) is appended.

११—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (अनुपस्थित)—प्रदेश में सन् १९५४-५५ में सरकार द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षकों के इकट्ठे वेतन को भुगतान के लिये कितनी धनराशि देनी पड़ी?

11. Sri Badri Prasad Kacker (*Absent*)—What was the amount of grant given by the Government in 1954-55 to each District Board in the State for clearing the arrears of salaries of teachers?

श्री हर गोविन्द सिंह—इस मद के हेतु १९५४-५५ में जिला परिषदों को शासन द्वारा पृथक् रूप से कोई अनुदान नहीं दिया गया।

Sri Har Govind Singh—No separate grant was sanctioned by Government to the District Boards for this purpose during 1954-55.

१२—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (अनुपस्थित)—३१ मार्च, १९५५ को प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की नौकरी में कितने शिक्षक थे?

12. Sri Badri Prasad Kacker (*Absent*)—What was the number of teachers employed by the District Boards in the State on March 31, 1955?

श्री हर गोविन्द सिंह—७१,७२१।

Sri Har Govind Singh—71,721.

१३—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (अनुपस्थित)—(इस प्रश्न का उत्तर २१-१२-५५ को दिया गया।)

### तहसील चकिया (बनारस) राजकीय स्कूलों के अध्यापकों का वेतन तथा प्राविडेंट फन्ड

१४—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि तहसील चकिया (बनारस) के राजकीय स्कूलों के कुछ अध्यापकों को सितम्बर, और अक्टूबर, सन् १९४९ ई० का वेतन अभी (३१ अगस्त, १९५५) तक नहीं दिया गया है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां।

१५—श्री राम नन्दन सिंह—(क) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे वेतन की रकम कुल कितनी है और कब तक उन अध्यापकों को दी जावेगी?

(ख) इतने दिन तक अध्यापकों को वेतन का रुपया न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) १,१४३-५-० एकाउन्टेन्ट जनरल से बिल पास हो जाने पर शीघ्र ही दे दी जायगी।

(ख) अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश-पत्र तथा कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण-पत्र यथा समय प्राप्त न होने के कारण।

१६—श्री राम नन्दन सिंह—क्या सरकार मेरे प्रश्न संख्या १ से ४, जिनका उत्तर ३० मार्च, १९५५ को दिया गया था, के सम्बन्ध में कृपा करके यह बतायेगी कि विलीन काशी

---

† देखिये नत्थी 'च' पृष्ठ ३७६ पर।
* See नत्थी च on page 376

राज्य की जिला पंचायत चकिया के रिटायर्ड अध्यापकों के प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया उनको अभी (३१ अगस्त, १९५५) तक नहीं दिया गया है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जी हां।

१७--**श्री राम नन्दन सिंह**--यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में हैं, तो इसका कारण क्या है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--अभी प्राविडेन्ट फन्ड का धन जो इस समय बनारस ट्रेजरी में पर्सनल लजर एकाउन्ट्स में है, परिषद के लेखे में स्थानान्तरित नहीं हुआ है ?

**श्री राम नन्दन सिंह**--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज ६ साल से वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुये ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**--जी हां, बहुत से ऐसे केसेज हैं कि टीचर्स के पास तो नियुक्ति आर्डर है, लेकिन जो वहां से सूचियां आई हैं उसमें नहीं हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि वास्तव में वह नियुक्त हुये भी हैं या नहीं।

**श्री राम नन्दन सिंह**--तो क्या आज ६ साल से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**--वेतन जिनका बाकी है उनके लिये बतलाया गया है कि केसेज उनके देखे जा रहे हैं कि वह हैं भी या नहीं। यह सभी सवाल उसके अन्तर्गत हैं।

**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या यह संभव नहीं हो सकता कि जिनके प्रमाणपत्र मिल गये हैं उनको वेतन दे दिया जाय ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जिनके मिल गये हैं उनको तो दिया ही जा रहा है जिनके नहीं मिले हैं उनके केसेज देखे जा रहे हैं।

**श्री राम नन्दन सिंह**--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि सब मास्टर तनख्वाह पा रहे हैं। केवल दो महीने से नहीं मिल रही है।

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैंने तो पहले ही कहा कि तनख्वाह तो सभी बराबर पा रहे हैं। एक आर्डर है जो विलीनीकरण के पहले का है और चार्ज लिया विलीनीकरण के बाद। पहले वाला आर्डर मिलता नहीं है, चार्ज जिन्होंने ले लिया है उनको सबको तन्ख्वाह दे रहे हैं, जिनके मिलते जाते हैं उनको देते जाते हैं। उसमें किसी का वेतन नहीं बाकी होगा।

## प्राइवेट परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में संचालक, शिक्षा विभाग के आदेश

*१८--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि डायरेक्टर, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई ऐसा आदेश १७ सितम्बर, १९५५ को जारी किया गया है, जिसमें १९५५ में हाई स्कूल में फेल होने वाले प्राइवेट परीक्षार्थियों को सन् १९५६ की हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने की आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक कि वे कक्षा ८ के पास करने का सार्टिफिकेट प्रमाण में न दें ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--बोर्ड ने जिन नियमों को अगस्त १९५४ में प्रकाशित किया था उन्हीं को स्पष्ट किया गया। जिसके अनुसार १९५५ की हाई स्कूल परीक्षा में फेल प्राइवेट छात्र १९५६ की परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे जब तक कि वे कक्षा ८ पास का प्रमाण न दें।

---

* प्रश्न संख्या १८--२० श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछे गये।

१९—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)—क्या यह भी ठीक है कि १७ सितम्बर, १९५५ से पूर्व इस प्रकार का कोई आदेश था कि १९५५ में फेल होने वाले उक्त परीक्षार्थी १९५६ की हाई स्कूल परीक्षा में बैठ सकेंगे ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—जी नहीं।

२०—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह भी ठीक है कि बहुत से १९५६ में प्राइवेट तौर पर हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों ने परीक्षा की फीस जमा कर दी है तथा फार्म भर कर भेज दिये हैं ?

(ख) ऐसे परीक्षार्थियों के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—(क) जी हां, कुछ छात्रों ने किया था।

(ख) १९५५ की हाई स्कूल परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठे हुये अनुत्तीर्ण छात्रों को १९५६ की परीक्षा में सम्मिलित होने की अब अनुमति दे दी गई है।

## बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट एजुकेशन की पिछले दस वर्षों की आय-व्यय तथा बचत।

२१—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—(क) क्या सरकार कृपा करके बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजुकेशन, इलाहाबाद की पिछले १० वर्षों की कुल आय-व्यय और बचत बतायेगी, और

(ख) यदि कोई बचत हुई, तो वह किस प्रकार मुख्यतः काम में लाई गई ?

21. **Sri B. P. Vajpai** (*a*) Will the Government be pleased to state the total income, expenditure and savings of the Board of High School and Intermediate Education, Allahabad, for the last ten years ? and,

(*b*) how the above savings, if any have been mainly utilized ?

**श्री हर गोविंद सिंह**—(क) सूचना संलग्न तालिका* में प्रस्तुत हुई ?

(ख) बोर्ड का कार्यालय एक राजकीय कार्यालय है। बोर्ड की परीक्षाओं से आय राज्य कोष में जमा होती है। अतः इस बचत के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

**Sri Har Govind Singh**—(*a*) The information is given in the enclosed statement†

(*b*) The Board's office is maintained by Government and its income from Examination fees is credited as revenue to Government as such the question of utilization of savings does not arise.

२२—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—क्या सरकार कृपा करके बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियट एजुकेशन, इलाहाबाद की आय के मुख्य साधन बतायेगी ?

22. **Sri B. P. Vajpai**—Will the Government be pleased to state the main sources of income of the Board of High School and Intermediate Education, Allahaad ?

**श्री हर गोविंद सिंह**—बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षार्थियों से लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क।

---

* देखिये नत्थी 'छ' पृष्ठ ३७९ पर।

† See Appendix 'A' on page. 379

**Sri Har Govind Singh**—Fees of various kinds received from examinees.

२३—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—क्या सरकार इस समय बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजुकेशन, इलाहाबाद के व्यय की मद के लिये कुछ रुपया अनुदान स्वरूप देती है ?

23. **Sri B. P. Vajpai**—Does the Government contribute at present any sum of money towards the expenditure of the Board of High School and Intermediate Education, Allahabad ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—बोर्ड का कार्यालय राजकीय कार्यालय है, अतः अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका पूर्ण व्यय सरकार वहन करती है ।

**Sri Har Govind Singh**—This office is maintained by Government as such the entire expenditure is borne by Government.

२४—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि शिक्षा विभाग के अफसर, जो कि इस समय बोर्ड की सेवा में हैं, उनको सरकारी निधि से वेतन मिलता है या बोर्ड की निधि से ?

24. **Sri B. P. Vajpai**—Will the Government be pleased to state if the officers of the Education Department at present working in the Board's service are paid their salaries out of the Government Funds or Board's Funds ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—सरकारी निधि से ।

**Sri Har Govind Singh**—Out of the Government funds.

## परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षकों और अधीक्षकों के पारिश्रमिक की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रतिनिवेदन

२५—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—(क) क्या सरकार के पास परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षकों और अधीक्षकों द्वारा उनके वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को बढ़ाने के लिये कोई प्रतिनिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

25. **Sri B. P. Vajpai**—(*a*) Has the Government received any representation from the invigilators and Superintendents of the examination centres for increase in their present rate of remuneration ?

(*b*) If so, what action have been taken by Government in this direction ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—(क) जी हां, बोर्ड के द्वारा ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

**Sri Har Govind Singh**—(*a*) Yes, through the Board.
(*b*) The matter is under consideration.

## प्राइवेट परीक्षार्थियों से बोर्ड द्वारा अंक-सूची के लिये निर्धारित शुल्क

२६—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—(क) क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजुकेशन, इलाहाबाद प्राइवेट परीक्षार्थियों

से बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में अंक-सूची (Marks Sheet) देने के लिये कोई शुल्क वसूल करता है ?

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परीक्षा के लिये देय शुल्क की क्या दरें हैं ?

(ग) क्या परीक्षा केन्द्रों को इस शुल्क का कोई भाग रख लेने की आज्ञा है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या बोर्ड ने सन् १९५४ और १९५५ की परीक्षाओं का प्रदेश के परीक्षा केन्द्रों से अपने शुल्क का पूरा भाग वसूल कर लिया है ?

25. **Sri B. P. Vajpai**—(*a*) Will the Government be pleased to state if the Board of High School and Intermediate Education, Allahabad, realises any fee from private candidates for supplying marks obtained by them at the various examinations conducted by the Board?

(*b*) If so, what is the rate of fee charged for each examination ?

(*c*) Are the examination centres also allowed to retain a part of such fees?.

(*d*) If so, why ?

(*e*) Has the Board realized their full share of such fees for examination of 1954 and 1955, from the examination centres in the State?.

**श्री हर गोविन्द सिंह**--(क) जी हां।

(ख) प्रत्येक हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा के लिये प्रत्येक दो रुपया।

(ग) इस सम्बन्ध में बोर्ड का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

(घ) इस सम्बन्ध में बोर्ड का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

(ङ) जी हां।

**Sri Har Govind Singh**—

(*a*) Yes.

(*b*) Rs.2 for each High School and Intermediate Examination.

(*c*) Board's proposal in this respect is under consideration of the Government.

(*d*) Boad's proposal in this respect is under consideration of the Government.

(*e*) Yes.

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**--जब बोर्ड की बचत निरन्तर कई सालों से कई लाख की हो रही है तो क्या कारण है कि लड़कियों की जो आधी फीस लगती थी, वह अब पूरी कर दी गई है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--बोर्ड की आय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--जो व्यय की रकम यहां तालिका में दी गई है उसके अन्तर्गत बोर्ड के अफसरों का वेतन क्या उसमें शामिल है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--अब यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि उसमें शामिल है या नहीं, क्योंकि वह सब राजकीय है और राज्य कोष से दिया जाता होगा।

**श्री हृदय नारायण सिंह**--इनवेजिलेटर्स और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के रिम्यूनरेशन बढ़ाने का जो मेमोरेण्डम प्राप्त हुआ था, कब हुआ था ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--वह हर साल प्राप्त होता है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--जो प्रश्न मैंने पहले किया था, क्या माननीय मन्त्री जी मुझे उसके बारे में बता सकेंगे ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--हां, आप आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--आवेदन-पत्र में क्या दरें मांगी गई हैं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--उसकी दर बढ़ा दी जाय, यह मांगा गया है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या दर मांगी गई है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--भिन्न-भिन्न आवेदन-पत्रों में भिन्न-भिन्न मांगें की गई हैं।

**श्री चेयरमैन**--विस्तार में आप बाद में मालूम कर लीजियेगा।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--वह तो बोर्ड का प्रस्ताव है चेयरमैन महोदय, प्रस्ताव में क्या दरें हैं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मुझे इसकी सूचना चाहिये।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या सरकार कृपा करके बतला सकेगी कि इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जायगा ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--बहुत जल्दी हो जायगा।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या सरकार को ज्ञात है कि फीस तो बोर्ड वसूल करती है और तैयारी का काम स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाई रोक करके करना पड़ता है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जी नहीं, मुझको नहीं मालूम कि उसकी व्यवस्था क्या है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या सरकार इस सम्बन्ध में पढ़ाई के हित को ध्यान में रख कर जानकारी करने की कृपा करेगी ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--यह बोर्ड का अधिकार है, इसको बोर्ड ही कर सकता है।

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**--जितनी फीस लगाई जाती है, उसमें से कौन सा भाग सरकार ले लेती है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मेरी समझ में आपका प्रश्न नहीं आया।

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**--यह जो फीस २ रुपया ली जाती है, उसमें से कौन सा भाग बोर्ड अपने पास रख लेता है और कौन सा हिस्सा परीक्षा केन्द्र में जाता है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मुझको इसकी सूचना नहीं है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--बोर्ड का प्रस्ताव क्या है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--मैं पढ़े देता हूं।

"बोर्ड ने राज्य सरकार से इस बात की स्वीकृति देने के हेतु सिफारिश की है कि संस्थापन्न परीक्षार्थियों की भांति व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अंक-शुल्क का आधा भाग केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा रोक लिया जाये, जिनको छपे हुये प्रपत्र पर प्रत्येक परीक्षार्थी के विस्तृत प्राप्तांक देने

[हर गोविन्द सिंह]

पड़ते हैं। इस रोके गये शुल्क की आय से केन्द्र-व्यवस्थापकगण छपाई तथा डाक व्यय वहन करेंगे। विषय सरकार के विचाराधीन है"

## आर्बिट्रेशन बोर्ड में शिक्षकों द्वारा दायर किये गये अनिर्णीत मुकद्दमे

२७--श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी--(क) क्या सरकार कृपा करके रीजनल आर्बिट्रेशन बोर्ड मेरठ, बरेली, इलाहबाद, बनारस और लखनऊ में पिछले ३ वर्षों में माध्यमिक संस्थाओं में सेवा करने वाले शिक्षकों (अध्यक्ष और सहायक दोनों) के दायर किये हुये मुकद्दमों की संख्या बतायेगी जिनका कि अभी तक (३० सितम्बर, १९५५ तक) फैसला नहीं हुआ है ?।

(ख) क्या सरकार इस आम देरी के कारण बतायेगी ?

27. **Sri B.P. Vajpai**—(*a*) Will the Government be pleased to state the number of cases of disputes (Heads and Assistants both) of teachers serving in Secondary institutions filed during last three years still (on September 30, 1955) lying undecided before the Regional Arbitration Boards of Meerut, Bareilly, Allahabad, Banaras and Lucknow Regions ?

(*b*) Will the Government be pleased to state the reasons for this delay in general ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--(क) प्रत्येक मंडल के आर्बिट्रेशन बोर्ड के मामलों की संख्या, जिनका कि अभी तक फैसला नहीं किया जा सका, निम्नलिखित हैं:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| मेरठ मंडल | ... | ... | १ |
| बरेली ,, | ... | ... | ५ |
| इलाहाबाद ,, | ... | ... | ३ |
| बनारस ,, | ... | ... | १ |
| लखनऊ ,, | ... | ... | ... |
| | | योग ... | १० |

(ख) वर्तमान समय में किसी मामले में देरी नहीं हुई है। यदि कभी ऐसे मामल में देरी होती है तो प्रबन्ध समिति द्वारा आवेदित सूचना देर से प्राप्त होने या मध्यस्थ समिति के सदस्यों की बैठक की तारीख सुविधाजनक न होने के कारण होती है।

**Sri Har Govind Singh**—(*a*) The number of cases pending before each Regional Arbitration Board is as detailed below :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meerut Region | .. | .. | .. | 1 |
| Bareilly Region | .. | .. | .. | 5 |
| Allahabad Region | .. | .. | .. | 3 |
| Banaras Region | .. | .. | .. | 1 |
| Lucknow Region | .. | .. | .. | Nil |
| | | Total | .. | 10 |

(*b*) There are no delayed cases at present. The delay if any sometimes occurs due to non-receipt of necessary papers from the parties concerned or due to unsuitability of dates to the members of Regional Arbitration Board.

**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—जब जवाब आने में प्रतिबंधक कमेटियों की तरफ से अधिक देर होती है तो उसको रोकने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—अभी तो कोई नहीं है। जो इन्टरमीडियेट बोर्ड नया बन रहा है, उसमें ही कुछ किया जा सकता है।

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कभी-कभी जिला निरीक्षकों के दफ्तरों में ही बहुत दिनों तक दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—पहिले तो ऐसी सूचना थी, लेकिन इधर तो कोई सूचना नहीं है।

## शिक्षा संस्थाओं में पाली व्यवस्था रोकना

२८—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं में पाली व्यवस्था (shift systen.) को रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

28. **Sri B. P. Vajpai**—Will the Government be pleased to state whether it is taking any steps to stop the shift system in educational institutions of the State ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—जी हां।

**Sri Har Govind Singh**—Yes.

## शिक्षा संस्थाओं में आदर्श अवकाश नियम

२९—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी**—(क) क्या सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को कोई आदर्श अवकाश नियम समूह पालन करने के आदेश भेजे थे ?

(ख) क्या ऐसी संस्थायें इन अवकाश नियमों का पालन कर रही हैं ?

29. **Sri B. P. Vajpai**—(*a*) Has the Government sent to the Aided Secondary Schools in the State any standard set of Leave Rules to be observed by them ?

(*b*) Are such institutions following these Leave Rules ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Sri Har Govind Singh**—(*a*) No.

(*b*) Question does not arise.

**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या कोई ऐसा नियम है कि जिला निरीक्षक ऐसी दरख्वास्तों को भेजे ही नहीं ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**—मेरा ख्याल है, ऐसा कोई नियम नहीं है।

३०—३२—**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

३३—३६—**श्री हृदय नारायण सिंह**—स्थगित।

३७--३८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--स्थगित।

## बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों की सहायता

३९--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों की सहायता के लिये कितनी रकम दी गई है ?

(ख) इसमें कितनी सहायता हायर सेकन्डरी स्कूलों के लिये, कितनी विश्वविद्यालयों के लिये और कितनी अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिये दी गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) १० लाख रुपया अब तक दिया गया है तथा ३,४५,००० रु० और दिया जा रहा है।

(ख) इस समय हायर सेकेन्डरी स्कूलों और अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिये अलग-अलग आंकड़े देना संभव नहीं है।

ऊपर की रकम में से विश्वविद्यालयों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

४०--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किस-किस विश्वविद्यालय को कितनी-कितनी धनराशि बाढ़-पीड़ित विद्यार्थियों के सहायतार्थ इस वर्ष प्रदेश में दी गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह--निम्नलिखित सहायता अब तक विश्वविद्यालयों को मुख्य मन्त्री के कष्ट निवारण निधि से दी गई है :--

| | | | रु० |
|---|---|---|---|
| | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ... | ... | १५,००० |
| | लखनऊ विश्वविद्यालय ... | ... | १५,४०० |
| | इलाहाबाद विश्वविद्यालय ... | ... | ५,००० |
| | आगरा विश्वविद्यालय ... | ... | ४,००० |
| | प्रधानाध्यापक डी० ए० वी० कालेज, कानपुर | ... | २,००० |
| आगरा विश्व | प्रधानाध्यापक, एस० एस० डी० कालेज, कानपुर | | २,००० |
| विद्यालय | प्रधानाध्यापक, तिलकधारी कालेज, जौनपुर | ... | १,००० |

४१-४२--श्री शिव प्रसाद सिन्हा (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--स्थगित।

## बरेली कालेज का बोर्ड आफ कन्ट्रोल

*४३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--(क) क्या यह ठीक है कि बरेली कालेज, बरेली का बोर्ड आफ कन्ट्रोल इस समय काम नहीं कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

43. **Sri P. C. Azad** (*Absent*)--(*a*) Is it a fact that the Board of Control of the Bareilly College, Bareilly, is not at present functioning?

(*b*) Is so, why?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) जी हां।

(ख) क्योंकि बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सदस्यों की संख्या ४० से कम हो गई है, जो कि कालेज की नियमावली के नियम १ के अधीन न्यूनतम निर्धारित संख्या है।

**Sri Har Govind Singh**--(*a*) Yes.

(*b*) Because the strength of the Board of Control has fallen below forty--the minimum prescribed under rule 1 of the College Rules.

---

*प्रश्न संख्या ४३--४५ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकर द्वारा पूछे गये।

४४---श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--बोर्ड आफ कन्ट्रोल, की अनुपस्थिति में कौन सी संस्था को कालेज के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करने, स्थायी करने और पदच्युत करने का अधिकार दिया गया है ?

**44. Sri Pratap Chandra Azad** (*Absent*)—In the absence of the Board of Control which body is empowered to exercise the powers relating to the appointment, confirmation and dismissal of the Principal of the College ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--कालेज नियमावली के नियम ११ के अधीन प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) के नियुक्त करने तथा उसे पदच्युत करने का अधिकार केवल बोर्ड आफ कन्ट्रोल के ऊपर आश्रित है।

चूंकि उक्त बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है, इसलिये, वह संस्था, जो कालेज को चला रही है, इसकी ओर से कार्य कर रही है।

**Sri Har Govind Singh**—Under rule 11 of the college rules the power to appoint and dismiss the Principal rests solely with the Board of Control.

Since the Board is not functioning the Body which is running the college is functioning in this behalf too.

## सन् १९५३ और १९५४ में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क की धनराशि

४५---श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५३ और १९५४ को हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं में कितना परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों से वसूल किया गया ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--सन् १९५३ के परीक्षार्थियों से ४४,४१,४९९ रुपये और सन् १९५४ के परीक्षार्थियों से ४९,३१,४६६ रुपये।

## स्त्रियों का सरकारी गृह विज्ञान कालेज, इलाहाबाद

४६---श्री नरोत्तम दास टन्डन--क्या इलाहाबाद का स्त्रियों का सरकारी गृह विज्ञान कालेज इस समय चालू है ?

**46. Sri Narottam Das Tandon** : Is the Government College of Home Science for Women at Allahabad still functioning ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--जी हां।

**Sri Har Govind Singh** : Yes.

४७---श्री नरोत्तम दास टन्डन--(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने इस संस्था को बन्द करने का निश्चय कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

**47. Sri Narottam Das Tandon** : (*a*) Is it a fact that Government have decided to close this institution ?

(*b*) If so, from which date ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**Sri Har Govind Singh:** (*a*) No.

(*b*) The question does not arise.

**श्री नरोत्तम दास टन्डन**--संस्था के बन्द होने से विद्यार्थियों को लाभ कैसे हो सकता है ?

**श्री चेयरमैन**--यह तो राय की बात है।

## ८. गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को विशेष अग्रिम वृद्धि देने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग का पत्र।

*४८--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की विशेष अग्रिम वृद्धि देने के सम्बन्ध में ज्वाइंट सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा (अ) विभाग द्वारा डाइरेक्टर आफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या ए-३६१८/१५--३०४८-५०, दिनांक २८ जुलाई, १९५१, की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

**48. Sri ShivPrasad Sinha** : (*Absent*)—Will the Government be pleased to lay on the table of the House a copy of letter no. A-3618/XV-3048-50, dated July 28, 1951 from the Joint Secretary to Government, Uttar Pradesh, Education (A) Department, to the Director of Education, Uttar Pradesh on the subject of Special Advance increments allowed to the teachers of the non-Government aided schools ?

**श्री हर गोविन्द सिंह**--प्रतिलिपि† सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

**Sri Har Govind Singh** : *It has been placed on the members' table.

४९--५४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)--स्थगित।

## सदन का कार्यक्रम

**श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत्, वन तथा सहकारी मन्त्री)--मैं आपकी इजाजत से थोड़ी सी बात कल का जो बिजनेस है उसके मुताल्लिक कहना चाहता हूं, ताकि उसकी सब को इत्तिला हो जाय। जो प्रस्ताव बाकी हैं उसमें एक तो सर्विसेज में एक्सटेन्शन देने के मुताल्लिक है वह थोड़ा सा बाकी है। दूसरा यह है कि म्युनिसिपैलिटीज में कोआपरेटिव सोसाईटीज के जरिये मकानात बनवाये जायं। एक है कि फ्री मेडिकल फैसीलिटीज प्रोवाइड की जायं, मेम्बरान के लिये, एक अबालिशन आफ कैपिटलिज्म का है, एक जूनियर हायर सेकेन्डरी इन्स्टीट्यूशन्स के मुताल्लिक है। मेम्बरान को याद होगा कि एक्सटेंशन पर डिसकशन हो रहा था। इसलिये अगर मुनासिब हो तो इसको अगले वाले दिन को ले लिया जाय और यह जो हैं इनमें से दो कल के लिये रखे जायं।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--एक्सटेन्शन वाले पर बहस जारी है।

---

*प्रश्न संख्या ४८ श्री नरोत्तम दास टंडन द्वारा पूछा गया।

†देखिये नत्थी 'ज' पृष्ठ ३८० पर

See नत्थी 'ज' on page 336

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--मैं कल को यहां नहीं होऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। जो साहब आयेंगे इस हाउस में काम करने के लिये, उन्होंने उसे सुना नहीं है। इसलिये और जो दिन आयेगा, उस दिन यह ले लिया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अबालिशन आफ कैपिट-लिज्म कल ले लिया जाय।

**श्री चेयरमैन**--संकल्पों का क्रम बैलेट से निर्धारित किया गया है और उसी क्रम में यह संकल्प लिया जा सकता है। कोई उसकी शीघ्रता भी नहीं है क्योंकि संकल्प के स्वीकार होने पर कल ही कैपिटलिज्म अबालिश नहीं हो जायगा।

**श्री कुंवर महाबीर सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--तीन रेजोल्यूशन्स रख दिये जायं।

**श्री चेयरमैन**--संकल्प नम्बर २, ३ और ४ अपने इसी क्रम में रखे जायेंगे।

**श्री हाफिज मुहम्द इब्राहीम**--तो यह तय हुआ कि तीन रेजोल्यूशंस कल एजेन्डा पर रखे जायेंगे और बैलेट के आर्डर में जिसका नम्बर आता होगा, वही रखे जायेंगे।

**श्री चेयरमैन**--१९ दिसम्बर, १९५५ के एजेन्डे में यह सब संकल्प आचुके हैं और उसी क्रम में यह रखे जायेंगे।

## सन् १९५५ ई० का इंडियन फारेस्ट (यू० पी०) संशोधन विधेयक

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, सन् १९५५ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

यह फारेस्ट ऐक्ट जो इस वक्त नाफिज है, उसमें एक छोटा सा चैप्टर इस बिल के जरिये से बढ़ाया गया है। और मुख्तसर तौर पर उसकी जरूरत उसके आब्जेक्ट में रखी हुई है। लेकिन मैं जरा इसको और थोड़ी तफसील के साथ अर्ज किये देता हूं कि यह बहुत ही जरूरी बिल है। बात यह है कि साइन्टिफिक राय यह बतलाई जाती है कि किसी एरिया के अन्दर ३३ परसेंट फारेस्ट होना चाहिये। यू० पी० में जो मुझको मालूम है, गालिबन किसी वक्त ३३ परसेंट नहीं था। जिस वक्त पिछली जंग शुरू हुई थी उस वक्त २१ परसेंट था, उसमें से कुछ जमींदारी अबालिशन के पहले कटा और जो इतने दिन तक पेन्डिंग पड़ा रहा उसकी वजह से जमींदारों के जरिये से भी कुछ कटा और उस कटने का नतीजा यह हुआ कि जो २१ परसेंट था, वह गालिबन ११ परसेंट रह गया और ११ परसेंट भी इस तरीके से है कि शायद २ परसेंट उसमें से प्लेन में है और बाकी पहाड़ों में हैं। तो इसका खुलासा यह निकलता है कि जो इस वक्त फारेस्ट यहां है वह जितना होना चाहिये, उसका एक तिहाई है, अगर ११ परसेंट उसको माना जाय और ३३ परसेंट होना चाहिये यू० पी० के रकबे का। यह भी कहा जाता है कि और एक साईन्टिफिक ओपीनियनन है और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मानने भी लगे हैं। जो इस को समझते हैं उनका भी कहना है कि फारेस्ट इतना होना चाहिये जितना कि प्रपोर्शन के मुताबिक जरूरी है और अगर वह नहीं है तो उससे मुख्तलिफ किस्म के नुकसान इस प्रदेश के लिये पैदा होते हैं, यहां की आबोहवा पर असर पड़ता है इन्हीं की वजह से फ्लड्स आते हैं और इसी किस्म की दूसरी बातें भी होती हैं। अब इस स्टेट की मौजूदा हालत यह है कि यहां बजाय ३३ परसेंट के सिर्फ ११ परसेंट फारेस्ट है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है।

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक और बात है कि हमारे यहां जमीन काश्त में इतनी काफी है कि अब बहुत कम जमीन काश्त के वास्ते अवेलेबिल है और एफोरेस्ट्रेशन की, जैसा मैंने कहा आज बहुत जरूरी है। इस में इतनी बात हर तरीके से माननी पड़ेगी कि जहां कोई पेड़ खड़ा है वह कम से कम न कटना चाहिये और वह मौजूद रहना चाहिये। एक तो यह है कि हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट लगातार एफोरेस्ट्रेशन करता आ रहा है, इससे भी जंगल बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि जमीन में जो जंगल खड़े हैं किसी में कम और किसी में ज्यादा, तो क्या हमें उनको काट लेने देना चाहिये या उनको काटने से रोक देना चाहिये। अगर इस में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिये तो उसके लिये किसी किस्म का कानून भी होना चाहिये। मैं एक केस आपके सामने लाता हूं वह फर्जी है मैं हूं, मेरी यह जमीन है और इस जमीन में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त खड़े हैं जिसको कि जंगल भी कहा जाय या समझा जाय। मैं मालिक हूं जिस वक्त चाहूं काट लूं या जो चाहूं कर लूं। उस मकसद से और उस नुकसान से बचाने के वास्ते जो राज्य को दरख्तों के काटने से होता है मेरे इस हक को करटेल करने की जरूरत है, तो यह हम करें या न करें। असल प्रिंसिपल इस बिल में इतना ही है। एक तरफ सरकार ने यह माकूल समझा है, इसलिये जो यहां के रहने वाले हैं, उनकी तकलीफ और उनकी जिन्दगी में जो मुख्तलिफ किस्म की जरूरतें हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिये पूरा सामान यहां मौजूद रहना चाहिये और अगर किसी में खराबी है तो उनको दूर किया जाय। इसलिये सरकार ने समझा कि दरख्तों और जंगलों की इस कमी की हालत में यह बात बहुत नुकसानदेह होगी, अगर जो पेड़ और जंगल खड़े हैं उनको काटने की इजाजत लोगों को दी जाय।

अब उसके लिये यह तय हुआ कि न काटने दिये जायं, तो उसके लिये यह बिल बनाया गया है। इस बिल के अन्दर फारेस्ट की तारीफ दी हुई है। आप देखेंगे कि बहुत जगहों से इस बात की शिकायत आयी है कि देहातों में काश्तकारों ने अपने खेतों में जो चलने का रास्ता होता है उसको भी शामिल कर लिया है। मैंने अपने जिले बिजनौर में भी देखा है कि बहुत से लोगों ने रास्ते को अपने खेत में शामिल कर लिया है और अपने खेत के रक़बे को बढ़ा लिया है। जो वहां पर बहुत से चरागाह वगैरह थे, उनकी भी जमीन को लोगों ने अपने खेत में शामिल कर लिया था, इस वजह से मवेशियों को चरने के लिये बहुत मुश्किल होती थी। इसके बारे में लोगों ने आम शिकायत की, तो इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार को यह बिल लाना पड़ा। इस बिल के लाने का सिर्फ यही मक़सद है कि जो चरागाह या रास्ते वगैरह हैं या इसी तरह की और जमीनें हैं, उन पर कोई कब्ज़ा न कर ले, अगर किसी ने नाजायज तरीक़े से क़ब्ज़ा कर लिया है तो उसके लिये नोटिस दिया जा सकता है। असेम्बली ने इस बात को तय किया है कि जो इस प्रकार के नोटिस आयेंगे उनकी तहक़ीक़ात करने के लिये एक असिस्टेंट कलेक्टर होना चाहिये, जो जा कर देखेगा कि वह जमीन किसकी है, अगर वह जमीन काश्तकार की नहीं होगी, तो उस पर फारेस्ट वालों का हक़ हो जायगा। इस बिल का यही मक़सद है कि कोई नाजायज बात न होने पाये। अब मुझे इस बिल के बारे में कुछ अधिक नहीं कहना है, क्योंकि इस बिल का जो असली मक़सद था वह तो मैंने अर्ज कर ही दिया है। इसके साथ ही साथ मेरी एक यह भी अर्ज है कि इस बिल को आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिये। कल इस सदन ने इस बात को तय किया था कि यह बिल आज शाम तक खत्म हो जायगा क्योंकि मुझे आज शाम को बाहर जाना है। मुझे उम्मीद है कि हाउस इस बिल को आज शाम तक पास कर देगा।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इंडियन फारेस्ट (यू० पी० अमेंडमेंट) बिल, सन् १९५५ माननीय मंत्री जी ने इस समय सदन के सम्मुख रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक उस उसूल का सम्बन्ध है कि हमें फारेस्ट के वृक्षों की रक्षा करनी चाहिये और हमारे यहां अधिक वृक्ष होने चाहिये क्योंकि उनसे पैदावार बढ़ती है, उनसे फायदा है, वर्षा होती है, उससे भी फायदा होता है, तो उन सब के

सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है । जो इस विधेयक को लाने का मक़सद है, जो उसूल है और जहां तक उस उसूल का ताल्लुक़ है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं और उसका स्वागत भी करता हूं । जब यह मानी हुई बात है कि दरख्त बहुत ही जरूरी चीज है और दरख्तों से, जो भूमि कटाव होता है, उसको भी हम रोकते हैं और इसीलिये आज राजस्थान की सीमा पर सरकार काफ़ी वृक्ष लगाने जा रही है और जो डिजर्ट एरिया है, इस तरह से वह अधिक उत्तर प्रदेश की तरफ न आये । लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यह विधेयक जिसको कि बहुत पहले आना चाहिये था, वह आज ५ वर्ष के बाद आता है और आर्डिनेंस के रूप में यह रखा जाता है ।

[इस समय ११ बज कर ५० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।]

आखिर ५ वर्ष तक सरकार सोती ही क्यों रही । जिस समय जमींदारी उन्मूलन हुआ, उस समय जमीनों के सम्बन्ध में जो उद्देश्य था, वह तो इसके आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी है । जमींदारी उन्मूलन में लोगों ने अपने पट्टे भी कर दिये और बहुत सी जमीन कट गई, तो वह जमीन जोत के लिये भी रिक्लेम की गई है और मैं यह भी कहूंगा कि जो उस समय हमारी नीति थी उसके अनुसार ही यह सब हुआ । मैं तो कहता हूं कि उस समय खाद्य समस्या हमारे सामने थी और रिक्लेम की जो बात थी, वह मान्य सिद्धान्त था कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अन्नोत्पादन करना था । इसके साथ ही साथ कोलोनाइजेशन की भी बात थी और इन दोनों चीजों के लिये हम बराबर जमीनें खाली करते रहे और उस समय यह बात थी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा और अधिक तादाद में जमीनें खाली हों, उससे हमारी जो बड़ी भारी गल्ले की समस्या थी, वह हल हो । मगर कोई भी कार्य जो उस समय शुरू किया गया था, वह तो गवर्नमेंट की एक्सेप्टेड पालिसी थी । जब मुझे इस समय आश्चर्य होता है, तो वह गवर्नमेंट की ढिलाई के ऊपर, कि जिस समय तक जमींदारी अबालिशन की बात थी, उसके पहले गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड के कम्पेन को ही किया ।इन सिद्धान्तों पर उसने जमीन भी खाली करवाई और वहां जोत का कार्य प्रारम्भ किया गया । हम लोग तो चाहते थे कि वह काम किसी तरह से हो । इसी आधार पर जमीनें खाली भी की गईं । गवर्नमेंट को पहले ही यह सोचना चाहिये था कि उस जगह पर हम जो जमीन रिक्लेम करते रहे हैं तो वृक्षों के लिये फिर क्या होगा और आगे चलकर उसका क्या परिणाम होगा । आज ५, ६ वर्ष के बाद यह विधेयक आता है तो जो मिसचिफ होनी थी, वह तो हो चुकी है । अब जब आप विधेयक लाते हैं, तो उससे क्या लाभ हो सकता है, जब कि इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जब कभी भी ऐसी चीजों को करने की जरूरत पड़े, तो उसे ऐसा करने के पहले ही यह सोचना चाहिये । आज विधेयक लाने से कितना पर्सेन्ट इस तरह से किया जा सकता है । अब जो वृक्ष लग रहे हैं, वह तो ठीक है, लेकिन यह बात अदूरदर्शिता की थी और आप ने उसमें स्लैकनेस और नेगलीजेन्स समझी जिसकी वजह से आज आपको यह विधेयक लाना पड़ा, जब कि हमारा मक़सद पहले ही खत्म हो गया ।

यह ठीक है कि दो प्रकार के फारेस्ट्स होते हैं, एक रिजर्व फारेस्ट और दूसरा प्राइवेट फारेस्ट । रिजर्व एरिया में बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के कोई वृक्ष काट नहीं सकता, प्राइवेट एरिया में आप काट सकते हैं । आपने उन पर पाबन्दी लगाई कि वह काट न सकें, बहर हाल, हम उनको रोकना भी चाहते हैं । एक प्रश्न, जिस पर कि जब उस सदन में विधेयक पर वादविवाद हो रहा था तो मैं आशा करता था कि उसका कोई न कोई सैल्यूशन निकाला जायगा क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें दीं लेसीज को और लेसीज को आपने लिख दिया कि आप वृक्ष काट नहीं सकते । इसके लिए उनके मुआवजे का प्रश्न यहां कहीं नहीं है । मान लीजिए किसी आदमी ने किसी को रुपया देकर जमीन ली कि हम दरख्तों को काट कर गल्ले की पैदावार करेंगे, उससे आपने उसको बन्चित किया, तो उसका उसको मुआविजा मिलना चाहिए । यह दलील देना, जैसा कि और जगह दी गई कि वह तो उन के अधिकार में रहते हैं, उनसे हम छीनते नहीं हैं, कोई सही दलील नहीं है और जस्टिस के आधार पर ऐसा नहीं

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कहा जा सकता। जिन्होंने जल्दी की और वृक्ष काट कर अपनी जमीन रिक्लेम कर लिया, वह तो मजे में रहे और जो बेचारे धन के कारण या जन के कारण, ऐसा नहीं कर सके उनको आप रोक देते हैं तो इस रोकने के लिए आपको उन्हें काफ़ी मुआविज़ा किसी न किसी रूप में देना चाहिए। इस विधेयक में किसी प्रकार का मुआविज़ा देने का प्रबन्ध नहीं रखा गया है। जहां तक इस विधेयक के उसूलों का ताल्लुक़ है उसके विरोध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक मुआविज़े का ताल्लुक है उसका प्राविज़न होना चाहिए। कोई वजह नहीं कि जो उनको नुक़सान हो रहा है उसकी पूर्ति का ध्यान हम न रखें। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी के जरिए से गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नैपाल गवर्नमेंट भी हमारे उत्तर प्रदेश के सीमा पर कुछ दरख्त काटने की योजना कर रही है। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने राइट अप्रोच न किया, इस मौके पर अगर नैपाल के बार्डर पर दरख्त काटे गए तो उसका असर हमारी खेती और वर्षा पर भी होगा। ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको एक हायर लेविल पर ले। जहां तक इस विधेयक और इसके प्रिन्सपल का ताल्लुक़ है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

(इस समय ११ बजकर ५८ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

जो इसमें १५ दिन या एक महीने की नोटिस वगैरह देने की बात कही गई है, यह तो ऐसी चीजें हैं जो हुआ ही करती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। 'ए' क्लाज में आप ने सजा और फ़ाइन दोनों रखी है। लेकिन फ़ाइन की तादाद नहीं मुक़र्रर की। इसलिए यह मालूम नहीं कि यह असीमित जुर्माना हो सकता है या इसकी कोई तादाद भी होगी। यह बात इसमें साफ होनी चाहिये थी कि कितना जुर्माना किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो यह विधेयक लाई है वह बहुत देर में लाई है और जो फायदा गवर्नमेंट को मिलना चाहिये वह अब मिलने का नहीं है और मैं आशा करता हूं कि कम से कम गवर्नमेंट न्याय के आधार को लेकर इस बात पर जरूर ध्यान दे कि जिनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है उनके लिये उचित मुआविजे की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। मुझे यही इस बिल के सम्बन्ध में कहना था।

**श्री कुंवर महावीर सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं। मैं उस दृष्टिकोण से, जो अभी कुंवर गुरु नारायण जी ने रक्खा कि इस बिल को लाने में देरी हुई, सहमत नहीं हूं। सच पूछा जाय तो गवर्नमेंट ने इस बिल के या इस कानून के द्वारा कुछ उतावलापन दिखलाया है, कुछ जल्दबाजी भी की है। जमींदारी प्रथा के खत्म करने के पहले ही सरकार ने पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। जब जमींदारी एबालिशन का कानून चल रहा था, बल्कि जब वह पास भी नहीं हुआ था उस वक्त से ही हमारी सरकार ने केवल उन जंगलात को ही नहीं जो कि प्राइवेट फारेस्ट थे, बल्कि उन पर भी जो छिटके पेड़ थे उनके काटने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह कानून था कि कोई भी आदमी बिला सरकार से इजाजत लिये हुये या उन लोगों से जो इसके लिये नियुक्त किये गये हैं एक भी हरा वृक्ष, जिसकी कैटेगेरीज दी हुई थी, नहीं काट सकता था। यह चार्ज लगाना कि सरकार अब तक सोती रही है और अब यह बिल लाई है, जब यह मिस्चीफ (शैतानियां) हो चुकी हैं, यह बात गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें कहीं ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है।

इस कानून में मुझे कुछ आपत्तियां हैं, इसके कई कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। पहले तो यही प्रश्न है कि किन पर यह लागू होगा, किन किन को यह एप्लाई करेगा? कानून को पढ़ने से यह मालूम होता है कि यह केवल क्लेमेन्ट या दावेदारों पर ही नहीं लागू होगा, बल्कि सारी पब्लिक को यह एफेक्ट करेगा, सब पर

हो लागू होगा, कोई भी आदमी इस कानून के अन्तर्गत प्राइवेट फारेस्ट में पेड़ों को ही नहीं खराब कर सकता है बल्कि सभी को रोक दिया गया है कि वह किसी तरीके से भी चरागाह वगैरह किसी चीज को खराब न कर सकेगा। मेरी अर्ज यह है कि इसका असर सब पर पड़ता है, यही नोटिफिकेशन या इत्तला जो दी जायगी वह केवल दावेदारों या क्लेमेन्ट को दिया जायगा या उन आदमियों को दिया जायगा जिन्होंने लीज ले रक्खी है। जनरल पब्लिक (आम जनता) को जिनके हुकूक इस कानून द्वारा छीने जाते हैं उनको कोई नोटिस या इत्तला नहीं दी जायेगी। मेरी दरख्वास्त यह थी कि जब इसका असर हर आदमी पर होने वाला है और हर उन आदमियों पर होने वाला है जो जंगलात के पास ही रहते हैं तो उन सबको आम इत्तला के जरिये से नोटिस होता और वह समझते कि उनके क्या हकूक छीने जाते हैं और क्या रक्खे जाते हैं। होना तो यह चाहिये था कि जिनके हुकूक छिनने वाले है, जिनको अड़चन होने वाली है, उन सभी को सूचना दी जाती और उनको यह भी इजाजत मिलनी चाहिये थी कि वे अपनी फरियाद सरकार या सरकार के कर्मचारियों तक पहुंचाते, परन्तु उनको इत्तला न देने का प्रबन्ध कर उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है। मेरी दरख्वास्त है कि हर आदमी को जिसका सम्बन्ध किसी भी तरह जंगलात से या जो आदमी जंगल की उपज से अपनी जीविका कमाते या उस पर निर्भर रहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से इत्तला मिलनी चाहिये।

फिर वह जंगलात जो प्राइवेट फारेस्ट के नाम से दर्ज हैं उनके इन्द्राजात में बड़ी बेई-मानियां हुई हैं। उनके इन्द्राज गांवों के पटवारियों के कागजात के बिना पर हुआ था जो कि किसी जमाने में हुआ था और वैसे ही चला आ रहा था। पटवारी ने घर बैठे-बैठे लिख दिया था और मौके पर जाकर कभी भी पड़ताल तो किया नहीं था। श्रीमान् जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जिले में ऐसे ही एक पटवारी के कागज में एक खेत को प्राइवेट फारेस्ट दर्ज कर रक्खा था। मैंने कलेक्टर से कहा तो कलेक्टर ने पटवारी को बुला कर पूछा कि अरे बेवकूफ यहां पर तो एक भी पेड़ नहीं है फिर इसको जंगल कैसे लिख रखा है। तो पटवारी ने कहा कि हुजूर मैं क्या करूं यह तो पहले से लिखा चला आ रहा है मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता हूं कि जंगल को खेत लिख दूं। पटवारियों के कागजातों में जो जंगलात दर्ज थे वह सब जंगलात मान लिये गये। असलियत का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस तरह पर इन इन्द्राज को बुनियाद नहीं मानना था। दरअसल यह सब जंगलात सरकारी नहीं हैं। पहले वे जमींदारों के थे फिर सरकार ने जमींदारों से ५५ और ४५ के मुआयदे से ले लिये। आस पास की जगह जमींदारों को दे दी जो प्राइवेट फारेस्ट कहलाते थे। बुन्देलखन्ड की जमीन में हर खेत में बराबर खेती नहीं होती है वहां तो एक साल जोत कर फिर उसको ३, ४ और कभी-कभी तो ८ साल तक के लिये छोड़ दिये जाते हैं। उनमें कभी-कभी तो पेड़ भी उग आते हैं। अब कभी पटवारी ने उसको खेत के बजाय बंजर लिख दिया तो वह बंजर ही लिखा चला आता है। अब जब किसान उसको दोबारा जोतने के लिये जाता है तो उसके खेत को बंजर लिखा हुआ है, वह जंगल लिखा हुआ है, उसके लिय इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है कि जिस जमीन में वह काबिज है वह पटवारी के कागज में जंगल लिखा हुआ है ऐसी सब भूमि पर इन गलत इन्द्राज की वजह से जंगलात पर कब्जा हुआ। वह फरियाद करता है, अपील करता है लेकिन कहीं सुनाई नहीं होती है। पटवारी के ८, १० साल के इन्द्राजात को कौन काटे। श्रीमान् जी, हमारे जिले बांदा में अब भी आदमजातियों के बंशज रहते हैं। वह लोग १०-१० या १५-१५ की टोली बना कर झोपड़ों में रहते हैं और जंगल काट कर खेती कर लेते हैं। भूमि पथरीली है, एक दो वर्ष खेती के बाद उसको छोड़ देते हैं फिर उसको जोतते हैं यही क्रम रहता है। उनका हवाला कुछ कागजात में दर्ज ही नहीं होता है। कहां लालाजी की हिम्मत है कि जंगल में घुस कर पड़ताल करें। वहां तो यह भी हो सकता है कि ११ बजे दिन में जाया जाय और २ बजे वहां से वापस चला आया जाय नहीं तो शेर का शिकार बन जायगा। फिर बताइये ऐसे खतरनाक स्थान में जंगलों के भीतर पटवारी या लेखपाल क्यों जाने लगे। श्रीमन्, खुद ही सोचें ऐसे स्थानों में क्या मौका देखा गया। घर बैठे पटवारी ने लिख दिया जंगल है। इस तरह पर उनके खेत, उनके घर, उनके गुजर

[श्री कुंवर महाबीर सिंह]

बसर के स्थान सरकारी कागजात में जंगल दर्ज कर दिये गये। जब जमींदारी खत्म हुई और प्राइवेट फारेस्ट सरकार के अधीन आ गये तो इन स्थानों का हस्तान्तर भी सरकार के पास पहुंच गया। इस तरह पर घर, खलिहान खेत, जोत के स्वामी जंगलात मुहकमा हो गया। जंगलात मुहकमे ने बिला लिहाज वाकयात या मौका बिला ख्याल कि क्या अंधेर होगा अपने हिटलरशाही हुक्म निकाल दिये कि इन स्थानों पर जंगल लगाये जायं। श्रीमन्, अंदाजा कीजिये उन लोगों की दुर्दशा जहां सैकड़ों वर्षों से वे और उनके पुर्खा गुजर करते आये हैं वह स्थान उनसे छीन लिये गये उनकी सुनवाई नहीं हुई। वह चिल्लाये, रोये और फरियाद की परन्तु सब निष्फल गया।

मैं आपके समीप दूसरी तरह के उदाहरण पेश करता हूं। बहुत से गांव जंगलों के अन्दर बसे हैं घरों के आसपास वहां के निवासियों ने बड़ी मेहनत और खर्च के बाद साफ कर लिये थे और वहां खेती करने लगे थे लेकिन जैसा मैंने अभी अर्ज किया था खेती के लिये, चार, पांच वर्ष जमीन को छोड़ना पड़ता है वह खेत पटवारी ने बंजर और जंगल दर्ज कर दिये। जमींदारी खत्म होने पर यह स्थान गलत इन्द्राजात की वजह से जंगलात के पास चले गये। जंगलात मुहकमा अब उन खेतों में जंगल की हद कायम करते हैं। कहीं कहीं तो बिल्कुल गांव आबादी से सटे हुये जंगलात के हुदूद कायम किये जा रहे हैं। उनमें जंगल लगाये जा रहे हैं। यदि आबादी के इतने समीप जंगल लगाये जायेंगे तो वहां के निवासियों की जान, माल सभी खतरे में पड़ जायेंगे। जंगली जानवर उनके मवेशी और उनके लड़कों, बच्चों के लिये खतरा हो जायेंगे। उनका जीवन दूभर और खतरनाक हो जायगा। चन्दामारा ऐसा ही एक गांव है। वहां पर इसी तरह आबादी से मिली हुई जंगलात की हद कायम की जा रही है। इतने समीप आबादी के जंगल होने से उनके जीवन को खतरा हो जायगा। जंगलात विभाग के कर्मचारियों के पास चन्दामारा के निवासियों ने फरियाद की, परन्तु कोई फल न निकला वे मेरे पास आये। मैंने कर्मचारियों से कहा कि ऐसा करना गलत होगा। परन्तु अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मेरी प्रार्थना है कि उस गांव के आस पास एक एक फर्लांग जमीन जंगलात में शामिल न की जाय। बल्कि गांव सभा को दे दी जावे। वे ही इन्तजाम करें। जंगल के बीच में रहने वालों को गुजर बसर के लिये जंगल की उपज से महरूम या वंचित न किया जाय। जंगल के फल वह खाते रहें हैं, जंगल की लकड़ी काट कर वह जलाते रहे हैं, अपने घरों में लगाते रहे हैं, और जंगल की झाड़ियां काट कर वह अपने मवेशियों के बाड़ों के चारों तरफ लगाते रहे हैं। खेत और खलिहान रूंधते रहे हैं। जमींदारों ने कभीभी इसके लिये न उन्हें रोका और न इस इस्तेमाल के लिये उनसे कोई लगान या रकम वसूल की, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बल्कि जमींदारों ने जंगल में बसने वालों को बढ़ावा व उत्साह देने के लिये, उन्हें लकड़ी बेचने के लिये भी इजाजत दी थी, वह अपने जानवर मुफ्त में चरा सकते थे, उसके मल-मूत्र से खेतों को खाद मिलती थी, उसी से खेती होती थी और अन्न पैदा होता था। अब इन सब अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। उनके वह हुकूक छीने जा रहे हैं जो उन्हें आज से नहीं जन्म जन्मान्तर से प्राप्त थे। अंग्रेजों ने भी जब जंगलात लगाने के लिये जमींदारों से ५५, ४५ मुआवजे के अनुसार जमींन ली तो यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि जंगल से वह सब गुजर बसर जो अब तक लोगों का होता रहा है, पानी, फल-फूल, लकड़ी वगैरह लेने का जो रिवाज है वह कायम रहेगा। लोग उसी तरह अपनी गुजर बसर के लिये यह सामान जंगल से ले सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वह सब हकूक जंगल के रहने वालों के इसी भांति सुरक्षित रखे जायं। उन्हें लकड़ी, फल, फूल, झाड़ी काटने के वही अधिकार रहें, जो पहले थे। यदि ऐसा न किया गया तो जंगल के रहने वालों की जिन्दगी बरबाद हो जायेगी।

फिर हमारे जिले में बहुत से आदिवासी हैं जिन्हें कोल, मवैया व मोड़ कहते हैं। यह जंगलात की पैदावार पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। जंगल की लकड़ी व फूस फास से

अपने झोपड़े बनाते और जंगल की पैदावार बेच कर पेट पालते हैं। इन्हें जमींदार यह सहूलियत अब तक बराबर देते आये हैं। यदि उन लोगों पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया तो इनका जीवन बड़ा कठिन हो जायगा। यह इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं कि कोई और रोजगार गुजर बसर के लिये कर भी नहीं सकते। उनके यह अधिकार ले लेना तो पाप हो जायगा। मेरी प्रार्थना है कि आदिवासियों के साथ यह सहूलियतें, यह रियायतें बराबर रक्खी जावें।

यदि, श्रीमान्, बांदा का गजेटियर सन् १८७४ या १९०७ को देखेंगे तो मेरे इस कथन की सत्यता आपको मालूम हो जायेगी।

श्रीमन्, सरकार जंगलों की रक्षा करनी चाहती है। जंगलों की रक्षा जरूर की जाये। देश के सुन्दर भविष्य के लिये उनकी रक्षा करना आवश्यक ही है। मेरी प्रार्थना तो केवल यही है कि जंगल की भी रक्षा की जावे और उन आदमियों की भी रक्षा की जावे जो जंगलों में रहते हैं। मनुष्यों की रक्षा जंगलों की रक्षा से कम महत्व नहीं रखती। मुझे विश्वास है कि हमारी प्रिय सरकार ऐसे स्थानों की इन बड़ी समस्याओं के ऊपर विशेष तौर पर गौर करेगी।

अब उनके ऊपर दूसरा कानून लादने से बड़ी हतक होगा, उनकी जिन्दगी का बसर होना मुश्किल हो जायेगा। जब कोई उनकी शिकायत जाती है तो कोई सुनवाई आगे नहीं होती है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा, श्रीमन्, कि ऐसे क्षेत्र जो जंगलात समझे जायं उनका फिर से रिव्यू करायें और जो बड़े स्ट्रेन्जेज केसेज हों उनका फिर से इन्तजाम करायें। इस बिना पर दो तरह के क्षेत्र मिलेंगे एक तो पुराने जंगलात, जिन्हें अंग्रेजी या सरकारी जंगलात कहिये, दूसरे ऐसे जंगलात के एरिया जो जंगलात से दूर मामूली आबादी वाले हैं, वह ले लिये गये। उनके लिये आपको लिहाज करने की आवश्यकता है। जो जंगलात से मिले जंगलात वाले गांव हैं उनके लिये थोड़ा कानून बनायें तो ठीक है। लेकिन देहात में आगे चलकर जो सारा का सारा एरिया जंगलात वालों ने ले लिया है उससे वहां के रहने वालों को उनकी जरूरियात से बिल्कुल महरूम कर दिया है, वह तो ग्राम सभा के भी हाथ में नहीं रहे। उनके लिये यह था कि एक बटा दस हिस्सा छोड़ दिया जायेगा इसलिये कि गांव वाले वहां से सामान अपने इस्तेमाल के लिये पा जाया करेंगे। अब वह एक बटा दस हिस्सा भी गांव सभा वालों को नहीं मिल सका। ऐसा हो जाने से ग्राम सभा में वोट देने वाले बहुत परेशान हो जायेंगे। अगर आपने सब ले लिया तो बांदा से झांसी और कहां-कहां दौड़ना पड़ेगा इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये ऐसे क्षेत्र बिल्कुल गांव सभा को दे दिये जायं और ग्राम सभा उन गांव वालों को दे और उनसे जंगलात लगवाये। आप को सिर्फ एडवाइजरी हक हासिल करना चाहिये और सारा अधिकार गांव सभा को दे देना चाहिये। बड़े बड़े जंगलात से मिले हुये गांव हैं उन पर अधिकार लें मगर साथ ही साथ उनके डिमारकेशन को ठीक कर दिया जाय और जो पुराने कायदे इस विषय में बहुत दिनों से चल रहे हैं, उनका पता लगा कर उनको ठीक किया जाय, यह न हो कि जो कागज में दर्ज हों या गजेटियर में लिखा हो वही रक्खा जाय बल्कि गांव सभा वालों से पूछ कर उनके अधिकारों को महफूज किया जाय। अगर ऐसा हो गया तो इस कानून की मन्शा पूरी हो जायेगी। मैं फिर कहता हूं कि इस कानून की बहुत आवश्यकता है, जंगलात कटते जा रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिये। किन्तु जंगलात की रक्षा करने के साथ-साथ जनता की भी रक्षा होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं।

***डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो सिद्धान्त हमारे सामने रखा वह भी सर्वमान्य हो सकता है कि जंगलात हमारे पास काफी हों। जैसा कि मन्त्री जी ने बतलाया, जंगलात से बहुत लाभ होते हैं। कृषि की उन्नति होती है, मवेशियों का पालन होता है और बहुत से लाभ होते हैं। परन्तु यह जो कानून बनाया जा रहा है उससे लाभ होगा या नहीं यह तो उसी समय मालूम होगा, जब इसको व्यावहारिक रूप दे दिया जायेगा।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जो कानून नीचे के सदन के सामने आते हैं, उनको यह सदन रिवाइज करता है। जैसा कि कुंवर साहब ने कहा, कभी-कभी सरकार दूरदर्शिता से काम नहीं लेती है और जो कानून बनता है उससे लाभ नहीं पहुंचता है जैसा कि हम और सरकार आशा करते हैं। कई मामले ऐसे हो चुके हैं कि कानून बने और उनसे पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचा। उदाहरण के लिये आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक पास किया गया जिस आशा से यह विधेयक पास किया गया था वह आशा बिल्कुल निराशा में परिणित हो गयी और जिस सिस्टम तथा जिस प्रणाली को अपनाने, अथवा जिस खराबी को दूर करने के लिये उपाय किया गया था उसको सरकार ने मुस्तसना कर दिया। उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि चारों तरफ संसार में आखिर इसी तरह से होता है। पाप की समाप्ति इसी तरह से होती है। सिन्स ट्राइम्फ्स नाट राइचेसनेस। मैं इतना सिर्फ संकेत इस समय करना चाहता हूं कि यह सदन बड़ा जिम्मेदार है, यह एक रिवाइजिंग चेम्बर है और रिवाइजिंग चेम्बर जो कानून बनाये वह इस तरह के हों जिनको अच्छा कहा जा सके और सरकार भी उनको व्यवहार में अच्छी तरह से लाये।

अध्यक्ष महोदय, फारेस्ट के लाभों पर कोई वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्री जी ने बतलाया है और हम सब इस बात को मानते हैं। कुंवर साहब ने भी इसको स्वीकार किया है कि फारेस्ट बड़े लाभदायक हैं और उनकी रक्षा होनी चाहिए तथा जैसा मंत्री जी ने कहा है कि ४, ५ वर्षों में जो कुछ देखा गया है उससे फारेस्ट की रक्षा करना हमारे लिये अनिवार्य हो गया है। यदि आप इस बिल के उद्देश्य और कारणों को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि भूमि सुधार के लिये तत्कालीन जमींदारों द्वारा पट्टे पर दे दिये गये। उपर्युक्त प्रकार से दिये गये पट्टों पर निर्भर रहते हुये, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे वनों को असावधानी पूर्वक साफ कर गिराने को उत्सुक है। जो काटने की प्रवृत्ति होती है उसके लिये उद्देश्य में लिखा है कि लोग उत्सुक हैं या इसमें असावधानी और उत्सुक दोनों लिखे हुये हैं। सन् ५२ से पहले जिन्होंने जंगल पट्टे पर लिये थे वे अब उत्सुक हैं कि पेड़ों को काट देना चाहिए और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने यह बिल इस सदन में पेश किया है। इस प्रवृत्ति को जरूर रोकना चाहिए। परन्तु कुंवर साहब ने दो, एक बातें बतलायी हैं जिन की ओर हमारी सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहता कि सरकार ने अदूरदर्शिता से काम किया है। बहुत सी बातें अनुभव से होती हैं। सरकार ईश्वर तो नहीं है। जब सरकार ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो उसने सोचा कि इस खराबी को रोकने के लिये कुछ करना चाहिए और आज मनुष्य की प्रवृत्ति जो जंगलों के सम्बन्ध में हो रही है उसको रोकना चाहिए। जिन लोगों ने जंगलों की जमीन जमींदारों से पट्टे पर ली थी और जमींदारों को रुपया भी दिया था, उनका क्या होगा? वैसे सरकार को अधिकार है कि जिसे चाहे छीन ले और सरकार ने जनहित के लिये जमींदारों की जमींदारी भी छीन ली है। सरकार चाहे तो हमारी जमीन भी छीन सकती है, उसको इसका अधिकार है, यद्यपि सरकार ने ऐसा नहीं किया है और उसने थोड़ा बहुत प्रतिकर जमींदारों को दिया है। लेकिन जो बोनाफाइड लीजी या परचेजर है उसने क्या अपराध किया है कि उसका जंगल छीना जाय। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस प्रकार की रूलिंग दी है कि (Bonafide leasee or Purchaser can not be penalised in this manner.)। सरकार के लेजिस्लेटिव विभाग ने इस विधेयक पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के लिये यह विधेयक जायेगा तो मेरा ख्याल है कि यह विधेयक अल्ट्रावायर्स हो सकता है। आप को इस तरह से विधेयक पारित करने का अधिकार नहीं है। जो बोनाफाइड लेसी या परचेजर होगा उस को मुआविजा जरूर देना होगा। जैसा कुंवर साहब ने कहा है कि उसमें प्रतिकर की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है तो इस तरह से कानून बनाना एक प्रकार से अन्याय होगा।

अब जिन लोगों ने जमीन रुपया देकर ली है उन लोगों के साथ अन्याय होगा, उन लोगों की नियत उस समय ठीक थी क्योंकि आपके कानून ने इस बात की आज्ञा दी थी कि जमीन पट्टे पर ले ली जाय। उस समय हमारे देश में फूड की बहुत ही बड़ी समस्या थी और सब की यह इच्छा थी कि देश में अन्न की पैदावार को बढ़ाया जाय। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने तो यहां तक कहा कि जो कोठी और बंगलों में गमले होते हैं उसमें तरकारी पैदा की जाय। हमारी सरकार की भी उस समय यही कोशिश थी कि अधिक से अधिक अन्न पैदा किया जाय, तो अगर किसी व्यक्ति ने जमीन ली है तो उसने कोई बुराई नहीं की है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को इस कानून के द्वारा दंड देना उचित नहीं है और यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। यह एक दोष है, एक खराबी है और एक त्रुटि है जो इस विधेयक में मौजूद है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है और न इसके बारे में कोई विचार ही किया है :

अब दूसरी बात बोनाफाइड परचेजर और लेसी के बारे में है। इस बिल के उद्देश्य और कारण में यह बात कही गयी है कि बड़े-बड़े क्षेत्र जिन पर वन लगे हुये थे, भूमि सुधार के लिये तत्कालीन जमींदारों द्वारा पट्टे पर दे दिये गये थे। जो काम भूमि सुधार के लिये किया गया है, उसको मैं समझता हूं कि कोई खराब काम नहीं है। बिल में फारेस्ट की परिभाषा दी हुई है।

"38—A (b) (i) any land covered by trees and shrubs and (ii) pasture lands."

इससे मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इसके अन्दर आम और महुआ के पेड़ आते हैं या नहीं। इस बिल में इस बात को भी साफ कर देना चाहिये था। अब मैं एक बात पेज चार के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ :

"38-F Any person who—

(i) fells, gridles. lops, taps, pollards or burns and so on....."

अगर कोई आदमी किसी पेड़ को गिराता है या पेड़ की छाल को छीलता है तो उसको सजा दी जायगी। मैं तो समझता हूं कि इस धारा के जरिये से गरीब आदमियों के साथ बहुत ही अन्याय होगा। अगर किसी पेड़ में दीमक लग गयी है या और किसी वजह से खराब हो गया है तो उसको यह बात साबित करनी होगी कि पेड़ में खराबी है। इस तरह से बहुत से लोगों को इस बात का मौका मिलेगा कि वे गरीब आदमियों को परेशान करें। इस बिल के अन्दर जो सजा का प्राविजन किया गया है, तो उसके लिये कोई निश्चित बात नहीं लिखी है कि कितना जुर्माना होना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिये जिसके अन्दर सजा की लिमिट न हो कि अगर किसी ने यह कसूर किया है तो उसको इतनी सजा मिलेगी। इसमें तो आपने मैजिस्ट्रेट के अधिकार को बहुत ही बड़ा कर दिया है। इस बिल में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि कितना जुर्माना होना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि ताजीरात हिन्द में भी जुर्माने की संख्या निर्धारित है कि इतना होना चाहिये। अभी आप ने एक कानून कैटिल पाश्चर लैंड का बनाया था उसमें भी ५०० रुपया जुर्माना निर्धारित कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि इस बिल में सजा की मात्रा का न निर्धारित होना, एक बहुत ही बड़ी त्रुटि है, सरकार को इसमें जरूर व्यवस्था करनी चाहिये। एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा है कि :

"The expression of the settled reason of the cummunity"

कानून में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये, तभी कानून से लाभ हो सकता है। हम कानून को बनाते समय बुद्धि और विवेचना दोनों को स्वीकार करते हैं। तो हमारी बुद्धि और विवेक इस बात का स्वागत करती है कि हमारे यहां जंगल होने चाहिये और उनमें वृक्ष होने चाहिये, परन्तु यह किस प्रकार से होगा, सरकार के इसके लिये नियम बन जायें जिससे कि वह चीज

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

पूरी हो । मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जब सरकार का यह विधेयक पास हो और मुझे आशा है कि इसे पास होना चाहिये और यह पास हो जायेगा, तो सरकार इसके लिये इस तरह से रूल्स रखे कि जिससे इसके कार्यान्वित होने में, गरीब आदमियों को इस विधेयक के द्वारा कष्ट न हों। फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ऐसे अधिकार न लें, जिससे कि जनता को बजाय लाभ पहुंचने के हानि पहुंचे ।

श्री कुंवर महावीर सिंह जी ने कहा कि विन्ध्य प्रदेश, बुन्देलखंड और झांसी में इसके लिये कैसी दिक्कतें हो रही हैं । हमारे सामने तो सारे गांवों का प्रश्न है जहां कि लोग जंगलों से लकड़ी काटकर अपना चूल्हा जलाते हैं और इस तरह से अपनी जीवका भी चलाते हैं । गांव में जिन जगहों में भी आप इसको लागू करेंगे, तो वे लोग बिना लकड़ी के किस तरह से अपना खाना बनायेंगे । जब से जमींदारी चली गई देहातों में इन सब बातों का बहुत ही कष्ट हो रहा है, वहां के जानवर भी अब जंगलों में नहीं जा पाते हैं और उनको घर ही पर बन्द रहना पड़ता है । गरीब आदमियों को लकड़ी का बड़ा भारी कष्ट हो रहा है कि वे भोजन किस तरह से बनायें, जब कि उनके पास जलाने के लिये लकड़ी नहीं है । गोबर से तो वे कन्डे बना लेते हैं, तो फिर वे अपनी रोटी क्या हवा से बनायेंगे । गरीब आदमियों का भोजन किस तरह से हो सकेगा । वहां बिजली का हीटर तो लगा नहीं है, तो उनके लिये यह एक समस्या हो जायेगी कि वह बिना लकड़ी के अपना भोजन किस तरह से बनायेंगे । जैसा कुंवर महावीर सिंह जी ने कहा कि इससे बड़ा भारी कष्ट हो सकता है, वह ठीक है ।

जो पटवारियों के कागजात हैं, उनको भी हमें सही कराना चाहिये । जब गवर्नमेंट इस विधेयक को लागू करेगी, तो उसे चाहिये कि वह उन कागजात को भी देख ले और उनको ठीक कर ले । सरकार इस विधेयक को लागू करेगी, तो और बातों के अलावा, जिनको कि वह ध्यान में रखेगी, उसे इस बात का भी हर तरह से उपाय करना चाहिये, जिससे कि गरीब लोगों को, इससे किसी प्रकार का कष्ट न हो ।

*श्री खुशाल सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं इसके उद्देश्य और कारणों से सहमत हूं और इसका स्वागत करता हूं । जो हमारे प्रदेश में आज इस तरह से जंगलों की व्यवस्था करने की बात है, वह तो उचित है, मगर मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि इस विधेयक से जो नुकसान हमारे पहाड़ी जिलों को होने की सम्भावना है, उसको भी सोचना चाहिये । पहाड़ी इलाकों के जो गांव होते हैं, वे प्लेन्स के गांवों की तरह नहीं हैं । वहां के गांव जंगलों से ही घिरे रहते हैं और वे अपनी जीविका भी वहां की लकड़ी और घास इत्यादि से चलाते हैं । इस कानून के आधार पर घास, पत्ती, झाड़ को काटना मना कर दिया गया है । आप की आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोग जंगलों में घास और पत्ती के लिये जाते हैं और उनके गांव जंगलों के बीच में भी इस तरह से घिरे रहते हैं कि उनको उससे अलग नहीं किया जा सकता । वहां का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो इस तरह से जंगलों में न पड़ता हो और यदि उनको लकड़ी और पत्तियां काटने से मना कर दिया जायेगा तो इससे उनको बहुत असुविधा हो सकती है । अब चीड़ का जहां तक सवाल है तो जहां उनकी खेती होती है, चीड़ के पेड़ भी उसी के नजदीक होते हैं । इस तरह से चीड़ का हिस्सा भी खेती के साथ साथ आ जाता है, तो इस बात का भी हमें ख्याल करना चाहिये कि पहाड़ी इलाकों में पेड़ों के बीच में खेत आ जाते हैं । अगर यह विधेयक इस तरह से वहां लागू किया जायेगा तो इससे वहां के लोगों को बहुत नुकसान हो जायेगा और उनकी खेती को भी नुकसान होगा।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि इस कानून को उसी जगह लागू होना चाहिये जहां कि जमींदारी अबालिशन हुई है। हमारे चार पहाड़ी जिलों में अभी तक जमींदारी अबालिशन लागू नहीं है तो पहाड़ी जिलों में इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा जा सकता है कि वहां किस किस्म से नोटिफिकेशन हो, तो वहां के क्षेत्रों के लिये क्या विज्ञप्ति नहीं करेंगे? लेकिन जब वहां पर इस कानून की विज्ञप्ति नहीं करनी है तो मैं यह कह सकता हूं कि क्यों बेकार के लिए वहां पर यह कानून लागू किया जाय। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जो वहां की जनता में साइकलाजिकल परिवर्तन आयेगा उससे वह निरुत्साहित होगी। मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि हम अपने पहाड़ों में आज कल इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां के लोग खेती बाड़ी से हट कर बागीचों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें। हम इस बात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बन विभाग के द्वारा हम कुछ टुकड़ों को लें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बन विभाग हमें टुकड़े इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता, हमें टुकड़े नहीं मिल रहे हैं चाहे वह टुकड़े बिल्कुल खाली ही क्यों न पड़े हों। लेकिन फिर भी हम वहां के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह अपने खेतों में अपनी असेस लैंड में पेड़ लगायें। लेकिन जब हम उनकी पत्ती नहीं काट सकते, टहनी नहीं तोड़ सकते तो वह कहेंगे कि इससे हमें क्या लाभ। इस कानून की जो प्रतिक्रिया होगी उससे पेड़ पौधे लगाने की जो प्रेरणा पैदा हो रही है वह खत्म हो जायगी। आज तो हमें इस बात का अधिकार है कि हम रिजर्व फारेस्ट से लकड़ी ला सकते हैं लेकिन इस कानून के द्वारा हम अपने खेतों के पेड़ों तक से पत्ती और टहनी लाने से वंचित कर दिए जायेंगे।

इस अवसर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे ज़िले टेहरी-गढ़वाल में आज तक जितनी राजक्रान्तियां हुईं उनके खास कारण बन थे। सन् १९३० में वहां झगड़ा हुआ जिसके कारण बहुत से आदमी मारे गए और अन्तिम क्रान्ति जो टेहरी में हुई, यद्यपि उसके राजनीतिक उद्देश्य भी थे लेकिन उसके पीछे भी जनता को आन्दोलित करने के लिए जो सबसे बड़ा कारण था वह बन की समस्या थी। मैं जानता हूं कि आज टेहरी की जनता कोई इस प्रकार का आन्दोलन नहीं करेगी जिस प्रकार का उन्होंने तब किया था लेकिन वह हतोत्साह जरूर हो जायेंगे और जो प्रगति हो रही है उसमें कमी आ जायगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में इस कानून से कोई खास फायदा न होगा, इससे नुकसान ही होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इस प्रकार का अनुग्रह करें कि जो यह ऐक्ट है उसको कुमायूं कमिश्नरी के चारों जिलों में लागू करने से रोका जाय।

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल के अन्दर जो भी बातें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में बहुत ज्यादा मतभेद मेरे ख्याल में होने की गुन्जाइश नहीं है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा उसका उद्देश्य बहुत ही उचित है और उसकी पूर्ति के लिए जो साधन यहां पर बताया गया है वह बहुत ही आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय ने बिल की भूमिका देते हुए यह कहा था कि हमारे प्रदेश में जहां ३३ फीसदी जंगलों के होने की आवश्यकता है वहां वर्तमान में केवल ११ फीसदी जमीन पर जंगल हैं और उस ११ फीसदी में से भी ९ फीसदी पहाड़ी इलाके में हैं और केवल दो फीसदी मैदानी इलाके में हैं। तो यह जो स्थिति है उसे साधारण तौर पर अध्ययन करने से किसी भी व्यक्ति के लिये यह समझना आसान है कि बड़ी जरूरत हो गई है इस बात की कि हमारे जो भी जंगलात और चरागाह हैं हम उनकी ज्यादा से ज्यादा रक्षा करें। यह बात जैसा कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि बिल देर में लाया गया है, मुझ भी उचित मालूम होती है। एक आवश्यक चीज के लिये और एक ऐसी चीज के लिये जिसके लिये वर्षों से जनता की तरफ से कई बार पुकार हुई, उसके लिय सरकार ने एक बिल प्रस्तुत करने में क्यों देर की? महाबीर सिंह जी ने जब यह कहा कि सरकार ने उतावलापन किया है और देर नहीं की गई है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आज गांवों

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

में जाकर देखिये तो इस बात को मानने में किसी को देर न होगी कि आज किसानों को और जनता को मवेशियों के चराने की जगह नहीं रह गई है। चराने की बात तो दूर रही उनको अपने मवेशियों को भी बाहर भेजने की जगह नहीं रह गयी है। ग्रो मोर फूड कम्पेन का जो दौर शुरू हुआ तो उसमें यहां तक हुआ कि लोगों ने उन जमीनों को भी, जो चरागाह के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे, पट्टे पर उठा दिया या अन्य अनुचित तरीके से कब्जा करके उन पर जोत लगा दी। सरकार की ओर से पंचायतों को आदेश दिया गया था कि जमीन का १/१० हिस्सा ऐसे मकसदों के लिये रखना चाहिये। यदि पंचायतों से इस बाबत जानकारी की जाय तो मालूम होगा कि उस १/१० हिस्से को बाकी नहीं रखा है और उन हिस्सों में भी जोत लगा दी गई है और पट्टे किये गये हैं और पंचायतों ने उन्हें वापस लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। तो जहां पर ऐसी हालत है वहां पर ऐसे कानून की जरूरत थी। सरकार ने, मैं समझता हूं कि देर जरूर की है, लेकिन आज जब यह कानून आया है तो इसका हर तरफ से स्वागत किया गया है। मैं कुंवर साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब यह बिल बेकार है और इससे कोई लाभ न होगा। मैं समझता हूं कि अब भी इसकी जरूरत है और जो कुछ हमने खोया, खोया लेकिन आगे के लिये अवश्य हमको लाभ होगा। हमारे प्रदेश में जो जंगलात को रोकने का काम हो रहा है वह एक माने में सराहनीय हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि वह उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिये था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको और हम सब को ज्ञात है कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल एक महान् पुरुष हैं जिन्होंने सारे भारत में इस आन्दोलन को प्राथमिकता दी थी। इसके अनुसार उनके प्रदेश में तो यह आन्दोलन बहुत तेजी से होना चाहिये लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे जिले से सम्बंध रखता हूं जो रेगिस्तान से बिलकुल मिला हुआ है और हम वहां पर हर साल यह हाल देख रहे हैं कि राजपूताना का रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है। हमारे जिले की जो बार्डर लाईन है वहां पर देखने से मालूम होगा कि कुयें सूख रहे हैं या उनकी गहराई बराबर बढ़ती जा रही है। अगर हम वहां के पुराने इतिहास को देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि जहां पर शाहजहां ने शेर का शिकार किया था, वहां घास का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है, और रेत ही रेत है।

ऐसे स्थान अपने जिले में दिन रात देखने में आते हैं। सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के रेगिस्तानों को रोका जाय, परन्तु वह स्थिति काबू में नहीं आ रही है। सरकार को मैंने पिछले साल यह सुझाव दिया था कि अगर हमें इस बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकना है तो बड़ा जरूरी यह है कि यू० पी० के बार्डर में और राजपूताने के रेगिस्तान के बार्डर लाइन के बीच में एक फारेस्ट बेल्ट कायम करने की जरूरत है। जब तक यह एक गहरी बेल्ट कायम न की जायेगी तबतक हम इस रेगिस्तान को नहीं रोक सकते हैं। सरकार की तरफ से रेगिस्तान को रोकने की कोशिशें हो रही हैं और सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र भी है। फिर भी मेरा यह ख्याल है कि जिस तेजी से इस बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने की कोशिश होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है। यह बात ठीक है कि इस प्रकार की फारेस्ट बेल्ट बनाने के लिये जमीन अक्वायर करनी पड़ेगी और जमीन अक्वायर करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मैं कानून ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जमीन अक्वायर करने में दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमको इस प्रकार की भी जमीन मिल सकती है जहां पर अक्वायर करने में शायद दिक्कत न पड़े। बहुत एरियाज ऐसे हैं जो जोत में नहीं हैं। वहां पर बड़े पैमाने में पेड़ लगाने का काम किया जा सकता है। यह उतने बड़े पैमाने में काम नहीं हो रहा है यही शिकायत हमको है। अगर यह रेगिस्तान बढ़ने दिया गया तो पता नहीं कितना नुकसान करेगा। मैं यह भी सरकार से कहूंगा कि जहां सरकार ने जंगल काटने के लिये निषेध करने की कोशिश की है, वहां पर सरकार को यह भी योजना बनानी चाहिये कि और जंगलात लगायें जायें। अगर

इस बात के लिये योजना नहीं बनाई जाती है तो वह योजना बेकार हो जाती है। सरकार एक स्कीम बनाकर जंगलात लगवाये।

चरागाहों की बाबत यह जो कहा गया है कि उनको वापस लेने की कोशिश की जायेगी। अगर उनको बेदखल किया जायेगा तो उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। डाक्टर साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाया गया तो उसको अल्ट्रावायर्स करार दिया जायेगा। मैं नहीं जानता हूं कि यह कहां तक ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल यह जरूर है कि माननीय मन्त्री जी ने जब यह बिल पेश किया है तो मैं समझता हूं कि जो जंगलात इस वक्त कायम हैं वह खत्म न होने पायें। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि काफी जंगलात कट चुके हैं। लेकिन इस बिल के मातहत यह उद्देश्य है कि जो बच गये हैं अब आगे न कटने पायें। ऐसी सूरत में जो जंगलात गलत या सही तरीके पर किसी के कब्जे में आ गये थे, मालूम होता है कि सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है। अगर है भी तो मेरा अपना ख्याल है कि यहां पर काफी प्राविजन इस बात का नहीं किया गया है। सेक्शन ३८ (डी) में साफ दिया हुआ है कि किसी भी क्लेमेन्ट की जमीन लेने से सरकारी नोटिफिकेशन तक गैर मुनासिब न समझा जायेगा तो नोटिफिकेशन तक का मौका दिया गया। जो भी अधिकारी आज वहां पर है उनका काम होगा कि वह जिस जमीन को लेते हैं उसको देखें कि उसके लेने से वहां के रहने वालों को क्या तकलीफ होगी और अगर लकड़ी की तकलीफ है तो वह अधिकारी देख सकता है इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्राविजन है वह उचित है। इससे कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी। मैं सरकार से इसके खिलाफ यह कहना चाहता हूं कि जो गलत तरीके पर चरागाहें ले ली गई हैं या पट्टे पर उठा दी गई हैं उनको वापस लिया जाय। इस बात का अध्ययन किया जाय कि पहले चरागाह कहां पर था और उस पर पट्टा नाजायज है तो बगैर किसी बात का लिहाज किये हुये वह चरागाह वापस ले लिया जाय। अगर सरकार इस पर विचार करेगी तो इस तरह से बहुत सी जमीन मिल जायेगी। मैं समझता हूं कि वह जमीन अवश्य वापस ली जानी चाहिये। सिर्फ नेगेटिव मेजर्स से उद्देश्य की पूर्ति न होगी। जो गांव ऐसे हैं जिनमें पशुओं के लिये जगह नहीं है उनके लिये इस विधेयक में कोई हल नहीं है। इसलिये सरकार कोई ऐसा कदम उठाये कि जो पहले से चरागाह थे और नाजायज तौर से पट्टे पर उठे हुये हैं उनको चरागाह के रूप में बदले, इसकी आज सख्त जरूरत है, खास तौर से जब कि ऐन्टी-काऊ स्लाटर बिल पास हो चुका है। इसकी और भी आवश्यकता है और यह भी सही है कि हर गांव के अन्दर एक बड़ी तादाद में पशु लूले लंगड़े हैं उनको रखने के लिये जगह की जरूरत पड़ेगी। आप देखें कि जो गांव के ग्वाले लोग आते हैं पहले वह कितनी दूर अपने पशु ले जाते थे और अब उनको बहुत ज्यादा दूर अपने पशुओं को ले जाना पड़ता है, क्योंकि अब चरागाह नहीं रहे और वह पूछते हैं कि हम कहां जावें। ऐसा भी होता है कि वे सड़कों पर अपने पशु खड़ा रखते हैं। तो मेरा विचार यह है कि सरकार इस तरह का कदम उठाये कि जो पुराने चरागाह थे उनकी जांच करके और जिनका गलत किस्म से पट्टा हुआ है, उनसे वह पट्टे वापस लिये जायें और फिर से चरागाह कायम किया जाय। इसमें कम्पेन्सेशन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह ऐसा काम है जो निहायत जरूरी है और जिसका किया जाना कोई कठिन काम नहीं है।

एक बात मुझे और कहनी है, वह यह है कि हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट जब पेड़ लगाता है, या किसी भी हिस्से को अपने मातहत लेता है अफारेस्ट्रेशन के लिये, तो उसमें यह भी देखने में आता है कि बहुत ही गलत तरीके से आर्बिट्रेरीली और बगैर किसी कानून की परवाह किये हुये वह अपने घेरे में कर लेते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उसका नतीजा क्या होगा, किसका नुकसान होगा और किस का फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि अफारेस्ट्रेशन की स्कीम जिन-जिन जिलों में हो उनमें एक नान-आफिशल मेम्बर का एसोसियेशन होना चाहिये, जब तक फारेस्ट डिपार्टमेंट के साथ नान-आफिशल मेम्बर्स एसोसियेटेड न होंगे तब तक काम ठीक प्रकार से न होगा और जिस जमीन को वह डिपार्टमेंट घेर लेता है वह किसी कानून के मातहत नहीं होता है।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

इसका नतीजा यह होता है कि पब्लिक में उस जगह के प्रति किसी न किसी ढंग से अनरेस्ट पैदा हो जाता है और पब्लिक में एक गलत फिजा पैदा हो जाते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हर जिले में जो फारेस्ट डिपार्टमेंट का इस तरह का काम है उनके साथ में नान आफिसियल एसोसियेशन हो तो यह काम पब्लिक के कोआपरेशन से एक अच्छे ढंग से हो सकता है और जो गलतफहमी इसके मुताल्लिक पब्लिक में पैदा हो जाती है, वह न हो। मिसाल के लिये आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे यहां एक बहुत बड़ा मैदान गोरक्षा के लिये है जिसमें एक हजार एकड़ भूमि है। उससे माननीय कुंजरू जैसे व्यक्तियों का सम्बन्ध है। उस जमीन को घेर कर कुछ पेड़ लगाये गये। वहां जो मवेशी चरते थे वह उससे वंचित हो गये और एक गलतफहमी जनता में पैदा हो गई। कारण यह कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने जब पेड़ लगाये उन पेड़ों को रक्षा के लिये मवेशियों के चरने को रोक दिया क्योंकि कि मवेशी पेड़ों को खा जायेंगे। यह जरूरी था, लेकिन वह काम सरकारी मशीनरी के द्वारा होता है इसलिये गलतफहमी पैदा हो गयी। उसमें नान-आफिशियल एजेन्सी नहीं थी इसलिये लोगों को वह समझा नहीं पाये। अगर उसके साथ वहां के लोगों को शामिल कर लिया जाय और उनकी एक ऐडवाईजरी कमेटी बना दी जाय तो वह लोगों को बतला सकते हैं कि पांच साल में यह पेड़ बड़े हो जायेंगे और फिर यह उनके ही फायदे के लिये है। इसलिये एक नान आफिशियल एसोसियेशन की बहुत जरूरत है। इससे पैसे की भी बचत हो सकती है। इसका सम्बन्ध इस बिल से कोई अधिक नहीं है इसलिये इसको बढ़ाकर और नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के काम के मुताल्लिक इस तरह का ख्याल होना चाहिये। नान-आफिशियल तरीके पर उतने ही एरिया में कम खर्च पर उसको आबाद किया जा सकता है बनिस्बत इसके कि वह आफिशियल तरीके पर हो। अगर आफिशियल फीगर्स को ले लिया जाय तो जितने बड़े एरिया में डिपार्टमेंट से पेड़ लगाये गये, उससे कम खर्च में उससे अधिक एरिया में नान-आफिशियल एजेन्सी द्वारा लगाये गये हैं और अधिक पेड़ लगे हैं। ४-६ वर्ष के काम का मुकाबला किया जाय तो ३०-३२ हजार का फर्क मिलेगा। इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं।

**श्री डिप्टी चेयरमैन**--अब २ बजे तक के लिये यह सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक १२ बजकर ५७ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस वक्त सदन के सामने है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे खास तौर पर दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है। जितने भी वक्ता साहब अभी तक इस सदन में बोले हैं उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन साथ-साथ उनको कुछ डर है जो इस बिल के अमल में आने पर सत्य हो सकते हैं। उनको डर है कि इस बिल के निफाज में आने पर कुछ बातें पैदा होंगी जिससे आम जनता परेशान होगी और जो खास खास परेशानियों का जिक्र किया गया है, इस सदन में, वे यह हैं कि जनता को आमतौर से हेरैसमेन्ट होगा, बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि वे जो आम तौर से जंगलों से लकड़ी लाकर बसर करते हैं उनको परेशानी हो जायेगी।

दूसरी चीज यहां पर डाक्टर साहब ने फ्यूल की कमी के बारे में पेश की है। वह भी इतनी ही जरूरी है कि जिस तरह से साइन्टिफिक और स्टैटिस्टिक्स की बातें यहां पर माननीय मन्त्री जी ने पेश की हैं उनको देखते हुये जरूरी हो जाता है कि हम फारेस्ट की रक्षा करें और इसके साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ की भी यानी मनुष्य को जिन्दा रखने के लिये फ्यूल की जरूरत महसूस करें। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि फ्यूल भी हमारी जिन्दगी के लिये एक बहुत जरूरी चीज है। मैं समझता

हूं कि जो डेफिनीशन इस बिल के अन्दर दी गई हैं फारेस्ट की, उसकी वजह से यह परेशानी सदन को है। क्योंकि जो बिल के अन्दर डेफिनीशन है वह वाइड और वेग है। इसके अन्तर्गत कौन-कौन पेड़ इसमें आते हैं। ऐसे पेड़ जो आमतौर से प्राइवेट लोगों के हैं उन को कोई एक्सेप्शन इस बिल में नहीं दिया गया है जो डेफिनीशन है उसका कई तरह से इन्टरप्रिटेशन हो सकता है और एक जनरल हैरेसमेंट है भी जब तक कि उसको लिमिट न कर दिया जाय।

तीसरी दिक्कत इस बिल को पढ़ने से यह भी है कि इस में साफ नहीं किया गया है कि वे एरियाज कौन होंगे जो कि इस लिमिट के अन्दर होंगे। मैं समझता हूं कि गालिबन इन उपरोक्त कमियों के कारण इस सदन को असन्तोष है। यकीनन जिस वक्त यह बिल अमल में लाया जायेगा उस वक्त लोगों में परेशानी पैदा होगी मेरी राय में जहां तक फारेस्ट की डेफिनीशन है इसमें यह जरूरी है कि जो पेड़ वाकई बेकार हैं, जैसे कोई पेड़ सूख जाता है, खराब हो जाता है या खोखला हो जाता है तो इस तरह से पेड़ों को काटने व इस्तेमाल में लाने के लिये एक्सेप्शन होना चाहिए। अगर इस तरह का एक्सेप्शन इसमें होता तो शायद यह परेशानी न होती। इसमें अवश्य कई चीजों के लिये एक्जेम्पसन जरूर होना चाहिये। अभी जैसा डाक्टर साहब ने कहा कि यह एक रिवाईजिंग चेम्बर है और हमारा कई फर्ज हैं। हमको देखना है कि जिस उद्देश्य से यह बिल बनाया जा रहा है उससे लोगों को पूरा पूरा फायदा हो और साथ ही किसी प्रकार का हैरेसमेन्ट न हो। यह भी हमें अभी से देखना है कि जब यह कानून निफाज में आयेगा तो इसका जनता पर अमली तौर पर क्या असर पड़ेगा।

डाक्टर साहब ने एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है कि कहीं यह बिल अल्ट्रावायर्स न हो जाय। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि आप किसी भी वस्तु बगैर कम्पेनसेशन के नहीं ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि वह ली भी नहीं जा रही है परन्तु यह सत्य है कि उन जगहों पर जहां यह क़ानून लगाया जायेगा वहां के लोगों में मुमानियत होगी अपनी चीज को इस्तेमाल करने के लिए वह भी हमेशा के लिए। यह परमानेंट इनवैलीडेशन भी किसी वस्तु को लेने का हर वक्त न रहे ऐसा इन्टरप्रिटेशन हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसमें कम्पेनसेशन का एक क्लाज अगर जरूरी हो तो बढ़ाना चाहिये। अगर मुमकिन हो सके तो इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि कमियां दूर हो सकें और उसके बाद यह बिल इस सदन में फिर रख दिया जाय।

*श्री **कृष्ण चन्द्र जोशी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय माननीय नेता सदन ने सदन के सामने पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि मैं अपने विचार कुमायूं एरिया की ओर से इस बिल पर प्रकट कर दूं जिस पर इस बिल के पास होने से कोई असर होने वाला है। मैं तो समझता हूं कि इस समय इस बिल की कोई अधिक आवश्यकता नहीं थी। जहां तक पर्वतीय इलाकों का सम्बन्ध है, उनको भी इस बिल से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि इसका वहां पर कोई अच्छा असर नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुमायूं के इलाके में अभी तक कोई जमींदारी अबालिशन बिल लागू नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों में जमींदारी अबालिशन बिल के कारण लैंड का मैनेजमेन्ट अच्छी तरह से हो रहा है लेकिन वहां पर कोई भी इस प्रकार का बिल नहीं है, इसलिये सरकार को वहां के रहने वालों के लिये विशेष तौर से विचार करना चाहिये ताकि उनको किसी बात की तकलीफ न होने पाये।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

जब इस बिल की हमें आवश्यकता हो गई है और जो चीज कि बिल के उद्देश्य और कारणों में भी बतलाई गई है, तो इसमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जहां जमींदारी अबालिशन का जिक्र हुआ है और जो इसके लिये सब से बड़ा सवाल है, जिसके दुर्गुणों की वजह से इस बिल को लाने की आवश्यकता समझी गई, वह तो ठीक ही है, मगर इसके साथ ही साथ जहां जमींदारी अबालिशन नहीं हुई है, वहां तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप को अवश्य विचार करना चाहिये। इस बिल के गुण और दुर्गुणों से जो भी लाभ या हानि होगी, उन पर भी आप को ध्यान देना चाहिये और तभी यह चीज ठीक तरह से लागू की जा सकती है। जिस जगह जमींदारी अबालिशन नहीं हुई है, उस जगह इसे लागू करना उचित नहीं है और इस तरह से हर जगह के लिये एक ही लाठी से इस बिल को हांकना ठीक नहीं होगा मेरा निवेदन इतना जरूर है कि पर्वतीय इलाके की जो स्थिति है, उसके लायक यह नहीं है क्योंकि वहां की जनता अशिक्षित है, वहां इतनी जमीन नहीं है। जो आप ने प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट बनाया है, उसकी वजह से भी वहां के लोगों को बड़ी परेशानी और दुख हैं। जगह-जगह जहां कि पेड़ हैं, तो हर स्थान पर उनको पेड़ काटने से इन्कार कर दिया जाता है। यदि वे कहीं पेड़ काटना भी चाहें, तो इसके लिये उनको डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के पास इजाजत लेने के लिये जाना पड़ता है और इस तरह से जब वह बहुत दूर से अल्मोड़े आकर परमिशन लेगा, तभी वह अपने खाने को पकाने के लिये लकड़ी काट सकता है। इस तरह से तो आप के ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी आ जाती है, जब कि इस चीज म इतनी रुकावट का सवाल नहीं आता है। वहां इस तरह से रुकावट में खराबी होती है। रुकावट तो ऐसी चीजों के लिये होनी चाहिये जहां कि उसकी जरूरत हो। लेकिन पर्वतीय इलाकों में इस तरह से रुकावट नहीं होनी चाहिये, जब कि वहां कम्युनिकेशन्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर उसे डी० एफ० ओ० या रेन्जर के पास भी जाना पड़े, तो उसे ढूंढने के लिये वह २० मील जायेगा और तब वह कुछ कर सकेगा। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन्स वहां नहीं होने चाहिये। अगर इस तरह से वहां के लिये भी इसका प्राविजन कर दिया जायेगा, तो वहां की जनता को इससे बड़ी मुश्किल और परेशानी हो जायेगी।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक पहाड़ की एकोनामी का सवाल है, तो वहां जमीन तो है नहीं, इसलिये खेती करके वे अपने लिये कुछ ज्यादा पैदा नहीं कर सकते हैं, खेती करना तो उनका साइड बिजनेस है। अब जो लेबरर और लैंन्डलेस लेबरर क्लास है, यदि उनके लिये आप किसी तरह का प्राविजन न करें, तो वे अपने खाने का इन्तजाम नहीं कर सकेंग, जब कि वे लोग अपनी गुजर–बसर, घास काटकर करते ह या लकड़ी काटकर करते हैं। इसके अलावा उनके पास वहां कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जब तक आप इस चीज के लिये प्राविजन नहीं करेंगे, उनकी गुजर–बसर होनी मुश्किल हो जायेगी। इसलिये पहाड़ी इलाक़े के लिये आप को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां आप का ध्यान इस चीज की ओर गया ह कि आप फारेस्ट के सम्बन्ध में विधेयक ले आये हैं और जैसा उच्च आदर्श इसका है, तो यदि आपने पहाड़ी इलाकों के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया, तो वहां की जनता के लिये बड़ी मुश्किल हो जायेगी क्योंकि वहां के लोग बहुत ग़रीब हैं।

फिर इसमें तीसरी बात, जैसा कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कही, यह है कि इसमें फारेस्ट की डेफिनिशन बड़ी भयंकर है और कोई भी आदमी इससे परेशान किया जा सकता है। आप को फारेस्ट की डेफिनिशन के शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह से किसी भी ग़रीब आदमी का कोई भी दोष न होने पर चालान हो जायेगा और इस तरह से उसका एक सौ, दो सौ रुपया व्यर्थ में खर्च हो जायेगा। इसके ऊपर भी आप को विचार करना चाहिये। इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि जहां तक यह ऐक्ट है, यह बड़ा इनेब्लिंग है, लेकिन जिस समय यह लागू होगा, अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं

देंगे, तो यह बड़ी खराब चीज़ भी हो जायेगी। इनेबिलग ऐक्ट के माने यह नहीं होते हैं। उस वक्त सरकार के पास एक रिपोर्ट आती है। हम जानते हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। सरकार के पास रिपोर्ट जाती है कि साहब यहां पर यह हो जाना चाहिए। उस अफ़सर ने चाहे जिस नियत से रिपोर्ट भेजी हो लेकिन सरकार के पास कोई और साधन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट हाकिम इलाक़े के पास गई, हाकिम इलाक़ा साहब ने डिप्टी कमिश्नर के पास भेज दिया वहां से यहां आ गई और उस पर नोटिफिकेशन हो गया। वहां के लोग इतने अशिक्षित हैं कि अगर पटवारी चाहे तो उस नोटिस को छिपा भी सकता है। पर्वतीय इलाक़े के लोगों के दिल में यह भावना है कि हम हमेशा जंगलों के न मिलने से तबाह हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पर्वतीय इलाक़े में जहां जहां मूवमेन्ट्स हुए हैं वहां जंगलों को तोड़ने और जंगलों के हक़ प्राप्त करने की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। जंगलों के तार तोड़ना वगैरह सत्याग्रह में रखा गया था। आप पर्वतीय इलाक़े की हिस्ट्री देखेंगे, तो आप को पता चलेगा कि असल में दो तरह के जंगल हैं। एक तो रिज़र्व फारेस्ट है। कहीं-कहीं ऐसी स्थिति भी है जहां घरों के पास लोगों ने पेड़ लगाए थे। इन जगहों में अगर आप जनता को रोकेंगे तब जनता के दिल में क्या भावना पैदा होगी इस चीज़ को भी आप को अपने विचार में रखना आवश्यक है। मेरी समझ में इस ऐक्ट की इतनी आवश्यकता इस वक्त नहीं है। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अनुसार भी सब मना है। उसके अलावा आप का प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट भी है। उनके अनुसार भी जो पेड़ काटता है उस पर एकदम से जुर्माना हो जाता है। इसमें आपने क्या किया है। इसके द्वारा आप दो एक चीज़ें रोकना चाहते हैं वह है झाड़ियां काटना और घास काटना। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में भी आप ने जहां-जहां छोटे छोटे एरियाज में भी पेड़ हैं, उनको भी आपने काटा जाना बन्द कर दिया है। तब फिर इस ऐक्ट को लाकर उनके रोकथाम करने की क्या आवश्यकता है।

एक चीज़ मैं माननीय मंत्री जी से और कहना चाहता हूं। आपने छालें काटना भी बन्द कर दिया है वह लोग जो दवाओं के लिए छालें लाकर यहां मैदानी इलाकों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं और अपना गुज़र करते हैं, उनका गुज़र भी आप बन्द कर रहे हैं। लेकिन गुज़र का साधन आप कोई दे नहीं रहे हैं। जहां आप यह कहते हैं कि जंगलों का काटना बन्द कीजिए वहां आप यह नहीं बताते कि जिनके पास खाने लिए ज़मीन नहीं है वह क्या करेंगे ?

आप भले ही दखल न करें, गवर्नमेंट भले ही इसको न चाहे, लेकिन पटवारी, अहलकार, वही पेशकार क्या इसमें दस्तन्दाजी न करेंगे और फिर उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हमारे यहां चर्मकारों की सोसाइटी है। वह पेड़ की छाल काट कर उसका रंग बनाते हैं। उसको भी आप बन्द कर रहे हैं। आप बन्द कर रहे हैं तो कीजिये, लेकिन उनके लिये आपने दूसरा कौन सा साधन दिया है, उनके लिये आपने क्या प्राविज़न किया है। तो जब तक इन चीज़ों का विचार नहीं होता, मैं समझता हूं कि इसको उस क्षेत्र में न लागू किया जाय। ज़मींदारी एबालिशन हुआ लेकिन उसको वहां नहीं लागू किया गया, तो जहां आप ज़मींदारी एबालिशन नहीं लागू कर सके, वहां इस ऐक्ट का लाना सरासर अन्याय है। वहां इस ऐक्ट को न लाया जाय और उस समय तक न लाया जाय जब तक कि बिल्कुल इस बात की आवश्यकता न हो जाय कि बिना इसको वहां लागू किये हुये देश की उन्नति नहीं हो सकती है। इस ऐक्ट को वहां पर लागू करने से जनता के दिलों पर चोट पहुंचेगी, इसलिये मैं इस बिल को इस एरिया में लगाने का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

***श्री जगन्नाथ आचार्य** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक उपस्थित किया गया है वह नितान्त आवश्यक है। एक कुंवर साहब ने कहा कि विधेयक को लाने में जल्दी हुई और दूसरे कुंवर साहब ने कहा कि देर हुई, तो मेरा कहना है कि इस बिल को न लाने में जल्दी हुई और न देर हुई। गांव सभाओं को सरकार ने यह अधिकार

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

दे दिया था कि वे यदि आवश्यक समझें तो पेड़ों को कटावें अन्यथा नहीं, लेकिन गांव सभाओं ने अपने इस अधिकार का दुरुपयोग किया और जब गवर्नमेंट ने यह बात देखी तो यह बिल लाना पड़ा। गोरखपुर जिले में पेड़ों के काटने से बड़ा नुक़सान हुआ। वहां पहाड़ो नदियों के किनारे जो वृक्ष थे वे काट दिये गये हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि बड़े वेग से नदियों मैदानों में पानी लाती हैं और उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इन सब दृष्टियों से जब हम देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि वृक्षों के कटाव का रोकना गवर्नमेंट का एक कर्त्तव्य हो जाता है और उसका रोकना नितान्त आवश्यक हो गया है। हमारे एक मित्र ने कहा कि शाहजहां के टाइम में बहुत से जंगल थे और माननीय मंत्री जी ने भी बतलाया कि ३३ प्रतिशत छेत्र में वृक्षों का रहना नितान्त आवश्यक है। प्राचीन युग में भी ऐसा ही था। जब तक जंगल थे यहां काफ़ी सरसब्ज था लेकिन ज्यों-ज्यों जंगल कटते गये त्यों-त्यों देश अवनति को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ हमें यह विचार करना है कि बिल तो हम लाये हैं लेकिन जहां जंगल नहीं हैं वहां तो लोग नहीं जानते हैं कि क्या कष्ट होते हैं मगर जहां जंगल हैं वहां लोग जानते हैं कि उनको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक फारेस्ट गार्ड का इतना रोब होता है जितना थानेदार का भी नहीं होता है। अभी गोरखपुर में एक झगड़ा हुआ। एक गांव और जंगल के बीच डिमार्केशन नहीं हुआ था। फारेस्ट गार्ड और चौकीदार वहां पहुंचते हैं और वहां गांव की जनता को परेशान करते हैं। अधिकार तो आप दे रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जंगल के अगल बगल में रहने वाले लोगों के साथ जंगलात के अधिकारियों का बर्ताव अच्छा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-एक उदाहरण में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। गोरखपुर जिले में एक मुक़ाम पर एक हरिजन एक जगह पर सिंचाई लगाये हुये था। कहीं से एक फारेस्ट गार्ड वहां पर पहुंचा और उसकी बुरी तरह से पिटाई किया। डाक्टर का सार्टीफिकेट उसका लिया गया। लेकिन वहां डी० एम० बड़ा भला आदमी था, उसने कहा कि हम आपस में समझौता करा देंगे। तो इस तरह से हरैसमेंट हो रहा है। एक तरफ तो आप जंगलात वालों को अधिकार पर अधिकार दे रहे हैं। एक बात और है कि जंगलों में दो तरह की सड़कें हैं। एक तो मोटरों के लिये है और दूसरी बैल गाड़ियों के लिये होती हैं। जो सड़क मोटरों के लिये होती है उस पर तो बराबर मिट्टी पड़ती रहती है लेकिन जो सड़क बैलगाड़ियों के लिये होता है उसमें कभी एक डलिया भी मिट्टी नहीं पड़ती है। उस सड़क से लाखों बैल गाड़ियां लकड़ी भर-भर कर निकलती हैं और उस सड़क की हालत खराब होती चली जाती है। कहीं-कहीं पर बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी-कभी बैलगाड़ियों के पहिये टूट जाते हैं और कभी-कभी बैलों को बड़ा नुक़सान पहुंचता है। क्या इन फारेस्ट गार्ड्स का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उन सड़कों को मेनटेन करें। इसको भी देखना राज्य का कर्त्तव्य है।

अब रहा पर्वतीय एरिया का सवाल, तो मैंने भी पर्वतीय एरिया का भ्रमण किया है। वहां की स्थिति यहां की स्थिति से भिन्न है। उनके साथ तो कुछ न कुछ सहानुभूति बरतनी पड़ेगी। वहां के लोग पत्ते तोड़ते हैं, छाल निकालते हैं, भोजपत्र निकालते हैं और उनसे अपनी जीविका चलाते हैं। उनके साथ सहानुभूति न करने से अन्याय होगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो दो सुझाव मैंने रक्खे हैं, उन पर विचार करेंगे।

**श्री काशीनाथ पाण्डे** (नाम निर्देशित)--इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिल जिस भावना से सदन के सामने रखा गया, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें अवश्य कहनी हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। जैसा कि मंत्री जी ने बिल को प्रस्तुत करते हुये कहा कि वैज्ञानिकों के मतानुसार किसी देश के पूरे भू भाग के ३३ प्रतिशत जंगल का रहना अत्यन्त आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने यह भी

स्पष्ट कर दिया होगा कि वे जंगल देश के केवल एक ही भाग में नहीं बल्कि देश के तमाम भाग में फैले हुये होंगे। हमारे प्रदेश में बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां कहीं तो जंगल बिल्कुल नहीं है और कहीं हैं तो नाम मात्र को, जैसे पश्चिम के कई ज़िलों में। जब यह बिल इस अभिप्राय से लाया गया कि जो जंगल हैं वे कायम रखे जायं तो मेरे विचार से इनके क़ायम रखने पर भी देश में जितने फीसदी जंगल की आवश्यकता है उसमें कमी रह जायेगी और इसके लिये आवश्यक है कि व्यवस्थित रूप से जहां जंगल नहीं हैं वहां पर जंगल लगाये जायं। ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहां लोग लकड़ी की कमी से उपले जलाते हैं। यदि वहां लकड़ी मिलती तो उपले जलाने के बजाय उसका प्रयोग खाद की तरह होता। इस सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि जंगल के सम्बन्ध में भी प्लानिंग होनी चाहिये। विदेशों में लोग जंगल के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने योरुप का भ्रमण करते हुये सन् १९५० ई० में जर्मनी के गांवों को देखा था। जर्मनी में हर गांव के बाहर उससे लगा हुआ एक प्लान्टेड जंगल होता है। अगर आपने केवल उन्हें ही, जो जंगल हैं, क़ायम रखने का प्रयत्न किया तो आप का वह अभिप्राय पूरा न हो सकेगा और जंगल की जिस आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है वह भी अधूरा रह जायेगा।

अब मैं प्रस्तुत बिल को आद्योपान्त पढ़कर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक हमारी जानकारी है बहुत से जंगलों की ज़मीन गल्ले के लिये काफ़ी उपयोगी है तथा ऐसी काफ़ी ऊसर ज़मीन है जहां गल्ला नहीं पैदा होता है पर उसमें जंगल लगाये जा सकते हैं। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और यह सम्भव नहीं है कि हम ज़मीन को खींचकर बढ़ा सकें। अतः यदि जंगल सम्बन्धी कोई प्लानिंग होती तो उस ज़मीन का उपयोग जंगल लगाकर किया जा सकता जो वर्तमान समय में किसी भी काम नहीं आ रही है तथा इसके बदले में उस जंगली भूमि को, जहां की ज़मीन अच्छी है, उसको साफ और गल्ला पैदा करने का प्रयत्न किया जाता। इस तरह की प्लानिंग से हम ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों की भूमि की समस्या हल हो जाये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के हर भाग में जंगल हो जायें तथा इस जंगल का पूरा पूरा लाभ भी हम उठा सकें।

दूसरी बात हमें इस बिल के सम्बन्ध में यह कहनी है कि जिन लोगों ने जंगल की ज़मीन पट्टे पर ली है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो काफी ग़रीब हैं और किसी तरह पैसा इकट्ठा करके जमीन के अभाव में इस तरह की जमीन पट्टे पर लिये हुये हैं तथा दूसरे वे लोग हैं जो साधन सम्पन्न हैं और चूंकि इस तरह की ज़मीन उन्हें पट्टे पर मिल सकती थी उन्होंने इस मौक़े पर लाभ उठाया। जो लोग साधन सम्पन्न थे उन्होंने अपनी ज़मीन पर पूरी तरह क़ब्ज़ा कर लिया था तथा जंगल साफ कर लिया। जो साधन हीन थे उन्हीं का जंगल पूरी तरह क़ब्ज़े में न आ सका और उसी ज़मीन का कुछ भाग अभी जंगल के रूप में रह गया है। इस बिल का प्रभाव उन लोगों पर बुरा पड़ेगा जो पैसे के अभाव में इस प्रकार की ज़मीन पर क़ब्ज़ा न कर सके। चूंकि इस बिल के पास होने के बाद ग़रीब लोग अपने जंगल साफ न कर सकेंगे, अतः उन्हें दोहरी क्षति का सामना करना पड़ेगा। एक तो कठिनाई से एकत्रित किया हुआ पैसा इस प्रकार की ज़मीन के पट्टा लेने में खर्च हो गया तथा दूसरा इस बेकारी के युग में उन्हें जो एक जीविका का सहारा मिला था, उनके हाथ से निकल जायेगा। जहां हमारे देश में पहले से ही बेकारी की समस्या का समाधान अबतक नहीं हो सका है, वहां बहुत से लोगों की ज़मीन जिनकी जीविका जंगल के ही भरोसे चलती है, वहां इस बिल के पास हो जाने पर बेकारी की समस्या और बढ़ेगी और बेकारी की समस्या में और जटिलता आ जायेगी। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जबतक बेकारी की समस्या का कोई हल न निकले तबतक उन ग़रीब आदमियों को जिन्होंने इस प्रकार की ज़मीनें पट्टे पर ली हैं, जीविका रहित न किया जावे। ऐसे बहुत से मामले आपके सामने आयेंगे। सरकार को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उनके साथ अन्याय न करना चाहिये बल्कि न्याय के साथ काम करना चाहिये। यह बात ठीक है कि आप कह सकते हैं कि ऐसे आदमी जिन्होंने जंगल पट्टे

[श्री काशी नाथ पांडे]

पर लिया था और क़ब्ज़ा न करने के कारण उनकी ज़मीन अब भी जंगल के रूप में रह गयी है तो इस क़ानून से वह जंगल तो न काट सकेगा पर भूमि का स्वामी तो वह बना ही रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी जमीन का स्वामी बन कर ही क्या लाभ जिसका हम लाभ न उठा सकें। इस क़ानून के बाद वह अपने ही जंगल की लकड़ी काट कर न बेच सकेगा। इसके अलावा जो और जंगल के लाभ हैं उसका प्रयोग भी वह अपने व्यक्तिगत कामों के लिये क़ानूनी प्रतिबंधों के कारण न कर सकेगा। एक तरह से उसकी जंगल वाली भूमि ही सार्वजनिक सम्पत्ति हो जायेगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि इस क़ानून में कम्पेनसेशन देने की व्यवस्था हो जावे और सरकार ऐसी जमीनें अपने क़ब्जे में कर ले। यही नहीं बल्कि इस बिल के पास हो जाने पर अब इसका प्रयोग क़ानून के रूप में होगा तो ऐसी जमीनों के सम्बन्ध में भी झगड़े पैदा होंगे जिन पर अरसे से खेती हो रही है। पर पटवारी के काग़ज़ में चरागाह या जंगल लिखा हुआ है। सरकार को चाहिये कि ऐसी जमीनों के झगड़े के सम्बन्ध में मौके के मुआइना की व्यवस्था करे।

बिल की धाराओं पर दृष्टि डालने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल में फारेस्ट प्रथा श्रब (shrub) की जो परिभाषा दी हुई है उसकी अनेक भ्रमोत्पादक व्याख्यायें होंगी और आवश्यक मुकद्दमेबाजी शुरू होगी। इस सम्बन्ध में एक बात और मैं सरकार के ध्यान में ला देना चाहता हूं कि उसे इस प्रकार के कानून बनाने के पहले अपने इरादे को साल भर पहले स्पष्ट कर देना चाहिये जिससे लोग उस प्रकार की कठिनाई में न फंसे। बहुत से गरीब बेचारे कर्ज लेकर या भूखे रह कर नजराना देकर जंगल की भूमि पट्टे पर लिये हुये हैं। यदि उन्हें साल भर पहले यह बात मालूम हो जाती तो वे कम से कम इस दलदल में न फंसते और अपने पैसों को किसी गृह उद्योग धंधे में लगाते, जिसका प्रसार सरकार भी चाहती है। किसी डैमोक्रेटिक और प्रगतिशील सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह कानून बनाने के पहले जनता के सुख तथा सुविधाओं का ध्यान रखे। इस प्रकार के कानून के अकस्मात बन जाने से जनता दुखी होती है और प्रजातन्त्र के विरुद्ध तरह-तरह के भ्रम पैदा होते हैं।

**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जंगलात की रक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में जो बिल पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया, हमारे जीवन में जंगलात का काफी महत्व है और वैज्ञानिक तौर से जैसा कि बतलाया गया जंगलात का रहना बहुत आवश्यक है। कोई ऐसा विधेयक जिसके द्वारा जंगलों की रक्षा होती हो तो ऐसा विधेयक हमेशा स्वागत करने योग्य है। न सिर्फ मनुष्य जीवन में बल्कि भारतीय संस्कृति में जंगलात को विशेष स्थान दिया गया है। हमेशा यहां की संस्कृति और विज्ञान जंगलात में ही पनपते रहे और जितने भी यहां के ऋषि और महर्षि हुये हैं उन्होंने जंगलात में ही रह कर संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिये यहां पर जंगलों का सदैव से महत्व रहा है। लेकिन पिछले जमाने में यहां पर न भौतिक दृष्टि से और न आध्यात्मिक दृष्टि से इस चीज पर विचार किया गया और निरन्तर यहां जंगल कम होते गये और कटते चले गये तथा जंगलों की काफी कमी यहां पर हो गयी। पिछली लड़ाई के जमाने में जब कोयला काफी कम हो गया और यहां मिलों तथा कारखानों को चलाने के लिये कोयला प्राप्त नहीं होता था उस समय करोड़ों क्या बल्कि अरबों रुपये की लकड़ी जलायी गयी और इतनी तादाद में जंगल कट गये कि हम निकट भविष्य में पूरा भी न कर सकेंगे। अभी जमींदारी अबालिशन के बाद जो पट्टे किये गये हैं और जिन को किये गये हैं वे अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिये इन जंगलों को काटना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई चारा नहीं रह जाता है कि हम ऐसा विधेयक लायें जिसके जरिये से जंगलों का कटना रुक सके। यहां पर जो पट्टे किये गये हैं उनके सम्बन्ध में विशेष तौर से बात कही गयी है। वैसे जैसा इस समय कहा गया है कि पिछले ५, ६ वर्षों से काफी जंगल कट गये हैं और यह सरकार अब देर से चेती है, तो ऐसी बात नहीं है। जंगल हमेशा से कटते रहे हैं और जहां तक संभव

हो सका है जंगल काटे गये हैं। लेकिन यह तो उन जंगलों के बारे में हैं जो जमींदारी अबालिशन के बाद पट्टे पर दिये गये हैं और जिन पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं हैं, उनके लिये यह विधेयक है। जो सरकारी जंगल हैं वे पिछले सालों से बराबर कटते भी रहे हैं और उनके लिये कानून भी मौजूद है। जहां तक मुझे मालूम है किसी हरे बृक्ष को काटना जुर्म करार दिया गया है, चाहे इसके लिये कानून हो या कोई सरकारी आदेश हो। यह कहा गया है कि सरकार काफी देर बाद चेती है, तो मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है। यहां पर जंगलों का कटना निषेध रहा है। मुझसे पहले एक माननीय सदस्य बोल रहे थे वह पहाड़ों के बारे में कह रहे थे। वास्तव में पहाड़ों का जीवन एक जंगली जीवन है और उनकी जीविका का साधन भी जंगल हैं। वे परिश्रम करते हैं तथा घास और लकड़ी इकट्ठा करके और औषधियों व कहीं से छालों को इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं और इस तरह से अपनी जीविका को चलाते हैं। अगर इस कानून का कड़ाई से पालन किया जाय तो उन लोगों के लिये जीवन यापन की समस्या उपस्थित हो जायेगी। मैं आपके द्वारा चाहता था कि सरकार रूल्स के जरिये या किसी और तरह से नियमों में ऐसी ढील कर दे नहीं तो वे लोग जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से अपना जीवन इन जंगलों पर निर्भर करते आये हैं, उनको अपना जीवन-यापन करना एक विकट समस्या हो जायेगी।

एक बात यहां पर मुआविजा की भी कही गयी कि सरकार उन को मुआविजा दे दे। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मैंने इस विधेयक को देखा तो यह पाया कि सरकार का इन जंगलों को लेने का कोई इरादा नहीं है और न सरकार इन पर कब्जा ही करना चाहती है। मेरे ख्याल से वे अपने जंगलों के स्वामी बने रहेंगे और अगर कोई पेड़ सूख गया तो उसके भी मालिक बने रहेंगे, सरकार कोई मालिक नहीं बनना चाहती है। इसलिये मुआविजा देने का प्रश्न नहीं होता है। हां, एक बात अवश्य इस विधेयक में है। जो सजा या जुर्माना रखा गया है, तो और बिलों में मेन्शन कर दिया जाता है कि इतना तक जुर्माना हो सकता है लेकिन इस विधेयक में यह बात नहीं की गयी है। इसके बारे में मन्त्री जी जरूर बतलायेंगे। अभी यहां पर कहा गया है कि जहां एक-दो पेड़ हैं वे भी इस ऐक्ट के प्राविजन में आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि शायद जहां यह दिया गया है कि तो any land covered by trees एक-दो पेड़ इसमें नहीं आ सकते हैं। इसमें जंगल ही आ सकते हैं। अगर रूल्स में प्राविजन हो सके तो ऐसा भी होना चाहिये जैसा कि एक तो स्वयं पैदा होने वाले जंगल होते हैं और एक ऐसे होते हैं, जो कि पेड़ आर्टिफिशियल तरीके से लगाये जाते हैं, तो जो नेचुरल जंगल हैं उनको जंगल की डेफिनीशन में रखा जाय और जो पेड़ लगाये जाते हैं उनको बगीचे की तरह से रखा जाय। अगर इस तरह से रूल्स में रखा जाय तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जो बिल इस वक्त जेरे बहस है, उस पर जो बहस हुई वह काबिले कदर है और इस बहस के जरिये से बहुत सी बातें ऐसी सामने आयी जिससे सरकार जरूर फायदा उठा सकती है। एक बात यहां पर यह कही गयी कि यह कानून बहुत देर में लाया गया है। यह बात सही है कि इस कानून को लाने में देरी हुई है। लेकिन जो देरी का कारण है उसमें एक वजह यह भी है कि इस बिल को काफी गौर करने के बाद यहां पर लाया गया है। यहां के मेम्बरान साहबान ने बहुत सी बातें इस ऐवान में कही हैं, उनमें बहुत सी बातें सरकार के सामने रही हैं और गवर्नमेंट को इस बात पर बहुत ही ताम्मुल रहा है कि आया इस किस्म का कदम जिसमें इस किस्म की दिक्कत पैदा होने का अन्देशा है, उठायी जाय या न उठायी जाय। दूसरी तरफ सरकार को इस बात का भी ख्याल था जैसा कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने फरमाया कि कानून ऐसा बनना चाहिये कि जिसकी बुनियाद खोखली न हो और जो सुप्रीम कोर्ट में जा कर ठहर सकें। यह बात सही है कि कानून ऐसा होना चाहिये जिससे बुनियाद ठोस हो। सरकार ने इस पर काफी विचार किया है और इसीलिये उसको इस विधेयक को लाने में काफी देर भी लगी है। यह बहुत ही

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

खुशी की बात है कि जिन उसूलों को लेकर यह बिल बनाया गया है उसको सभी माननीय सदस्यों ने पसन्द किया है और यह हाउस उससे पूरी तरह से इत्तफाक करता है। इस बिल की बुनियाद और उसूल बहुत ही अच्छे और सही हैं। इस बिल अमल में आने से कुछ ऐसी बातें पैदा हो सकती हैं जो दूसरों के लिये तकलीफदेह हों, तो उनका भी लिहाज किया जायगा।

मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जहां तक मुआविजा देने का सवाल है, तो उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस का तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे ख्याल में न इसकी कोई खास जरूरत ही है। दूसरी तरफ रुकावट जो इसके रास्ते में पेश की जा रही थी, वह जनरल सोसाइटी और देश के फायदे के लिये है, उसका पब्लिक परपज है और इन दोनों में कोई ऐसी बात पैदा नहीं होती जिसकी बिना पर यह समझा जाये कि इस काम को बगैर मुआविजा दिये हुये नहीं किया जा सकता था।

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहन किया।)

फिलहाल गवर्नमेंट के सामने न यह खतरा है कि यह कानून अदालत पर जाकर कायम न रहे और न यह खतरा है कि किसी को किसी चीज के मुआविजे से महरूम किया जा रहा है। हां, यह बात जो कही गयी कि लोगों को जंगलों से फायदा उठाने का मौका रहता है, मसलन लोग अपने मवेशी चराते हैं, या वहां से लकड़ी अपने जलाने के वास्ते ले जाते हैं या किसी और तरह से उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो ये हकूक बराबर रहे, जब कि जमींदारी अबालिशन नहीं था। वे जमींदारों के गांव में भी, मैं यह समझता हूं और गालिबन सही समझता हूं, जो सरकारी फारेस्ट हैं और जो पहले प्राइवेट में नहीं थे, उन जमींदारों के पास नहीं थे, उनमें भी लोगों को इस किस्म के हकूक दिये होते हैं कि वे वहां से इस किस्म की चीजें लेकर अपनी जरूरतों को हासिल कर सकें और करते रहे हैं। लेकिन जब जमींदारी मन्सूख हुई, ये फारेस्ट जो जमींदारों के थे, वे गवर्नमेंट के पास आये और उस वक्त मेरे इल्म में यह बात है कि एक जी० ओ० इस बात का जारी किया गया, डिपार्टमेंट के आफिसरों को हिदायत करने के लिये कि जो जो हकूक जमींदारों के समय में, जंगलों के बारे में, गांव के रहने वाले लोगों को हासिल थे, वे बराबर उनका हासिल रहने चाहिये और वे आगे भी हासिल रहेंगे और उन सब को अब भी शामिल रखा जाये। अगर इसमें किसी किस्म की गलत बातें होती हों और वे अपने उस हकूक से आगे बढ़ना चाहते हों, तो उनको उससे आगे न बढ़ने दिया जाय, लेकिन इसमें जो फायदा उठाना चाहें, उनका उसको फायदा उठाने दिया जाये। तो यह बात ऐसी है कि जो कानून है, उस कानून में भी इसके खिलाफ कोई बात नहीं है और गवर्नमेंट इस बात पर हमेशा नजर रख सकती है, इस बात की निगरानी भी कर सकती है कि इस किस्म की दिक्कत वहां के रहने वाले लोगों पर न आनी चाहिये और जो फायदे वे किसी जंगल से उठाना चाहें, वे उस फायदे को उठाते रहें, और उससे वे महरूम न हों।

एक बात यह भी कही गई कि जो डेफिनीशन या तारीफ इसमें फारेस्ट की है, तो इस तरह से इसमें और भी कई चीजें शामिल हो सकती हैं, मसलन बागों की निस्बत यह शुबहा हुआ, जो कि मैंने सुना, बाई स्ट्रेच आफ लैंग्वेज से, यह हो सकता है कि जो बाग लोग लगाते हैं, वे भी इसमें आ सकते हैं, तो उसकी निस्बत में अर्ज करूं, जो कि मुझे बाद में मालूम हुआ क्योंकि मैं इससे पहले वाकिफ नहीं था, बल्कि जब से यह फारेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पास आया और मेरा वास्ता इससे हुआ, तो उस वक्त मुझे मालूम हुआ। उस वक्त से, मुख्तलिफ वजूहात से इस बात की जरूरत महसूस होती रही कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की कोई डेफिनीशन ऐसी हो कि फिर उससे किसी और चीज पर वह इस्तेमाल न किया जा सके और दूसरी चीजें उसमें शामिल न हो सकें। ऐसी कोई तारीफ या डेफिनीशन फारेस्ट की बनाई जाय, लेकिन वाकया यह है कि दूसरी जगहों में भी ऐसा कुछ नहीं है। डाक्टर साहब को इसकी निस्बत ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन जहां तक इस हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, मैंने यह देखा कि किसी जगह पर फारेस्ट की ऐसी डेफिनीशन अभी तक बन नहीं सकी है।

इस कानून के मुताल्लिक फारेस्ट की डेफिनीशन बनाने में भी इस बात की कोशिश रही कि एक ऐसी बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनीशन इसकी बन जाय जो और किसी चीज के माने न दे सके लेकिन मैं इकरार करता हूं कि इस बात की कोशिश कामयाब नहीं हुई और जिस हद तक हम उसमें जाना चाहते थे, उस हद तक जा नहीं सके, लेकिन फिर भी जहां तक बाग का ताल्लुक है, ग्रोव का ताल्लुक है, उसके अन्दर हमारी मंशा के मुताबिक भी शामिल नहीं है। यानी गवर्नमेंट की नियत यह नहीं है कि बाग भी इसमें शामिल हो जाय। किसी ने आम का बाग लगाया हो, फल का लगाया हो या किसी और चीज का लगाया हो, उसको गवर्नमेंट फारेस्ट नहीं करार देती। लेकिन यहां दो चार साहबान का ऐसा ख्याल गुजरा, किसी और साहब को भी गुजर सकता हो, तो उसके मुताबिक एक बात हो सकती है और वह यह कि इस पर अमल करना है फारेस्ट डिपार्टमेंट को, तो हम फारेस्ट डिपार्टमेंट को साफ तौर से कह सकते हैं कि बाग को इसके अन्दर शामिल न समझा जाय, इसलिये कि हमने बाग को शामिल करने के लिये इसको नहीं बनाया है। इसके साथ ही जो और जरूरतें पूरी करने के मुताल्लिक कहा जाता है, मैं देखूंगा कि जो इन्स्ट्रक्शन्स पहले जारी हुये थे जंगल से फायदा उठाने के मुताल्लिक, अगर वह काफी नहीं है या डिपार्टमेंट में उन पर पूरे तौर पर अमल नहीं होता है, तो यह तो गवर्नमेंट के खुद कर लेने की बात है। मैं देखूंगा कि लोगों को इस किस्म की तकलीफ पैदा न हो। अच्छे तरीके से आराम से आदमी रह सके और जितना फायदा भी हम जंगल से लोगों को उठाने दे सकते हैं उसको उठाने दें। इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। एक बात यह भी सामने आई कि इसमें लिखा है कि जुर्माना तो इसमें लिखा ही है लेकिन जुर्माने की हद इसमें नहीं लिखी गयी है। तो, यह तो वकील आपके पास बैठे हैं उधर डाक्टर साहब तशरीफ रखते हैं जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, उसकी दफा आप देख लें। इम्प्रिजनमेंट और फाइन की रकम इसके अन्दर मुतैयन है नहीं, मगर वह मुतैयन हो जाती है इस हिसाब से कि जिसमें मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमा जाता है उसको खुद अख्तियार जितना जुर्माना करने का है उतना वह कर सकता है। इस ख्याल से जुर्माने की रकम लिखने का तरीका मुनासिब नहीं था।

**श्री डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--पिछले बिलों में दिया है। ट्रेसपास ऐक्ट में दिया है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह और इस किस्म के कानून होंगे। इस किस्म के न होंगे जिसमें सिर्फ क्रिमिनैलिटी डील हुई है। कुछ बातें मेरे भाई पांडे जी ने यहां बताई, अपनी तकरीर में। मैं उनको बतलाऊं कि जितनी भी बातें यहां कही गयी हैं मैं सब को चुन लूंगा, जब यह प्रोसीडिंग्स छप कर तैयार हो जायेंगी और उनमें से हर एक के मुताल्लिक फारेस्ट डिपार्टमेंट को हिदायतें दे दूंगा।

हां इसमें एक बात और आप कह रहे थे। पास्चर लैन्ड्स जो यहां हैं, मैंने शुरू की तकरीर में कहा था कि पास्चर लैन्ड की बहुत जरूरत यहां पर है और उनके मुताल्लिक हमेशा यह ख्याल रखना चाहिये हर किसी को कि उनमें कमी न होनी चाहिये और अगर आजकल की जरूरत से कम पाये जाते हैं तो उनमें जितना भी इजाफा हो सके उतना इजाफा किया जाय; मगर फिर भी यह कि लोगों को उन चरागाहों से निकाला जाय, यह बात तो नहीं होगी। मगर एक सूरत जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जो है उसकी दफा २१२ में इजेक्टमेंट आफ परसन्स का ला प्रोवाईडेड है। मगर मैं परसनली यह समझता हूं कि हमारे यहां पास्चर लैन्ड बहुत काफी हैं और उससे किसी किस्म की तकलीफ लोगों को न होगी। अभी गवर्नमेंट फारेस्ट में कहीं-कहीं चरागाहों के मौके हैं तो मेरे सामने यह तजकिरा हो रहा था कि वहां अगर यह कर दिया जाय तो चरागाह न रहेंगे। मेरे नजदीक यह बात गलत है। जहां तक होता है हम खुद भी ख्याल रखते हैं और डिपार्टमेंट भी ख्याल रखता है। तो सब बातें जो मैंने सुनी हैं, उनसे इस कानून के चारों तरफ एक किला बना दिया जायगा।

**डाक्टर ईश्वरी प्रसाद**--यूनीवर्सल सपोर्ट हुआ है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--इसीलिये तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिये और इसके खिलाफ शिकायतें भी न होनी चाहिये। जितनी बातें बताई गई हैं, उनका ध्यान रखा जायगा।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## खंड २-३

ऐक्ट १६, १९२७ में नये अध्याय ५-ए का बढ़ाया जाना।

२--इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ के अध्याय ५ के पश्चात् नये अध्याय ५-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

### CHAPTER V-A

OF THE CONTROL OVER FOREST OF CLAIMANTS

Definition.

38-A. In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Claimant" as respects any land means a person claiming to be entitled to the land or any interest therein acquired, owned, settled or possessed or purported to have been acquired, owned, settled or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act :

(*b*) "Forest" includes—

(i) any land covered by trees and shrubs ; and

(ii) pasture lands.

Powerrs to regulate on prohibit breaking or clearing, etc.

38-B. (1) The State Government may by notification in the official *Gazette* regulate or prohibit in any forest (situate in or upon any land of a claimant)—

(*a*) the breaking up or clearing of the land for cultivation, or any other purpose ;

(*b*) the firing or clearing of the vegetation ;

(*c*) the girdling or tapping or burning of any tree or the stripping off of the bark from any tree ;

(*d*) the lopping and pollarding of trees ;

(*e*) the cutting, sawing, conversion or the removal of trees—

where such regulation or prohibition appears necessary—

(i) for the conservation of trees and forests ; or

(ii) for the improvement of grazing ; or

(iii) for the maintenance, increase and distribution of supply of fodder, timber or fuel ; or

(iv) for the protection of land against erosion; or

(v) for subserving the interests of the general public.

(2) No notification shall be made under sub-section (1) until after the issue of a notice to the claimant of the land calling on him to show cause within a reasonable period, not less than fourteen days and not exceeding thirty days, to be specified in such notice, why such notification should not be made, and until objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same, have been heard by an officer not below the rank of an Assistant Collector of the first class appointed in that behalf and considered by the State Government.

(3) It shall be lawful for the State Government to make the notification under sub-section (1) either in respect of any particular forest or generally in respect of all forests situate in an area.

Prohibition or regulation in emergent cases.

38-C. Where it is proposed to issue a notification in respect of any forest or generally all the forests in any area under section 38-B and the State Government is satisfied that immediate action is necessary to prevent the doing of all or any of the acts mentioned in clauses (*a*) to (*e*) of sub-section (1) of the said section, it may by notification in the official *Gazette* prohibit the doing except as and in the manner specified, or such act in respect of that forest or as the case may be generally all forests situate in any area as may be specified and, thereupon, no person shall, notwithstanding any claim, right, agreement, custom, usage or law to the contrary, do any of the said acts in such forest or forests until expiry of six months from the date of the notification, and until the objection, if any, filed in pursuance of the notice under sub-section (2) of section 38-B, has been heard and considered by the State Government.

Service of notice

38-D. The notice under sub-section (2) of section 38-B shall—

(*a*) in the case of a notification affecting an individual person (not being a corporation, firm or body of persons) be served on that person—

(i) personally by delivering or tendering to him the notice; or

(ii) by registered post; or

(iii) where the person cannot be found by leaving an authentic copy of the notice with some adult male member of his family or by affixing such copy in some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; and

(*b*) in the case of a notification of a general nature in relation to all forests in an area, be served by publication in the official *Gazette* and it shall not be necessary, unless the State Government so directs, to serve the notice individually on the claimants.

Application of Section 36 of Act XVI of 1927.

38-E. The provisions of section 36 shall *mutatis mutandis* apply to any regulation or prohibition notified under section 38-B or 38-C.

Penalties

38-F. Any person who—

(i) fells, girdles, lops, taps, pollards or burns any tree or strips off the bark or otherwise damages any tree, or breaks up or clears for cultivation or any other purpose any land in the forest to which the notification under section 38-B or 38-C relates ; or

(ii) sets fire to such forest, or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading ; or

(iii) permits cattle to damage any such tree, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

Savings

38-G. The powers conferred by sections 38-B, 38-C and 38-D shall be in addition to and not in derogation of any other powers conferred on any authority by or under any other provision of this Act.

निरसन

३--इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि खंड २ तथा ३ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड--१

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अधिनियम, १९५५, कहलायेगा।

(२) यह ३ दिसम्बर, १९५५, को और इसी दिनांक से प्रचलित होगा। और प्रचलित हुआ समझा जायगा।

**श्री खुशाल सिंह**--श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि "प्रस्तावित धारा १ के अन्त में उपधारा (३) निम्न रूप में जोड़ दी जाये :--

(३)-यह अधिनियम कुमायूं कमिश्नरी के चार जिलों के अतिरिक्त सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के रखने के दो कारण हैं। पहिली बात यह है कि इस अधिनियम से यह मालूम होता है कि यह अधिनियम सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अगर गवर्नमेंट की मंशा यह है कि यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू किया जाये, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसको पहाड़ी इलाके के चार जिलों में न लागू किया जाये। इस संबंध में लोअर हाउस में भी पहाड़ी इलाके के लोगों ने कहा था कि उस एरिया में इसे न लागू किया जाये। यहां पर भी जो पहाड़ी जिले के लोग हैं, उनका कहना है कि इसको वहां पर न लागू किया जाये। इसके वहां लागू करने से परेशानी होगी। मैं अध्यक्ष महोदय, उन बातों को फिर से कहकर जिनको कि मैं कह चुका हूं, वक्त बरबाद न करूंगा। वहां के लोगों का इन जंगलों से जबरदस्त फायदा होता है। जिस तरह से अधिनियम बनाया गया

हैं अगर उसको लागू किया गया तो वहां लोगों को बड़ी कठिनाई हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे संशोधन को मान लें, तो वहां के लोगों को बड़ी सुविधा हो जायेगी।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--यह जो बिल है वह इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में एक चैप्टर बढ़ा रहा है। जब यह चैप्टर उस ऐक्ट में बढ़ाया जा रहा है तो यह सारे सूबे में लागू किया जा रहा है। यह सेंटर का ऐक्ट है। इसको हर सूबे में लागू किया जायेगा। इसलिये यह कुल यू० पी० में लागू होगा। अब यह चैप्टर कहां पर इनफोर्स किया जायेगा यह तो जरूरत समझ कर किया जायेगा। यह जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर को हर जगह लागू ही कर दिया जाये। यह नहीं है कि हर जिले में हर जगह पर लागू हो कर दिया जायेगा। इसलिये इसमें यह जरूरत नहीं है कि इसमें यह जोड़ा जाये कि फलां फलां जिले इससे मुस्तसना कर दिये जायेंगे। अब जैसे नैनीताल का जिला है उसमें कुछ हिस्सा पहाड़ी भी है और कुछ हिस्सा प्लेन का भी है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि सब जगह पर एकदम से लागू कर दिया जायेगा, तो जब नैनीताल का कुछ हिस्सा पहाड़ी है और कुछ प्लेन का है, इसी तरह से गोरखपुर का कुछ हिस्सा पहाड़ी है और कुछ हिस्सा प्लेन का है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह जिला पहाड़ी है या प्लेन है। इसके लिये एक नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि फलां जगह इसको न लागू किया जाये। मेरे ख्याल में इस अमेंडमेंट की जरूरत कम ही होगी। इसमें हमको क्या दिक्कत होगी कि जहां पर इसकी जरूरत नहीं है, वहां न लागू किया जाये। हम तो एक ताकत अपने हाथ में ले रहे हैं कि अगर हम चाहें तो लागू करें। यह जरूरी नहीं है कि हम हर जगह इसको लागू ही कर दें। मैं इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं समझता हूं। आप इसको वापस ले लें।

**श्री खुशाल सिंह**--मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर अपने अमेंडमेंट को वापस लेता हूं क्योंकि मंत्री जी का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि वहां पर न लागू किया जाये।

**श्री चेयरमैन**--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाये।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री चेयरमैन**--प्रश्न यह है कि खंड १ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्तावना

कुछ प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७, जहां तक वह उत्तर प्रदेश पर लागू होता है, को संशोधित करने का

## विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५, प्रचारित किया गया था:

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७, में संशोधन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश १४, १९५५, प्रचारित किया था;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का भाग बनी रहे।
(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० का इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

मैं आपके जरिये से इस सदन के मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बिल को सराहा और इसके प्रिन्सिपल को तस्लीम किया तथा जो माकूल और मुनासिब क्रिटिसिज्म हो सकते थे, वह किये, जिससे फारेस्ट डिपार्टमेंट को भी फायदा उठाने का मौका मिलता है।

**श्री सरदार संतोष सिंह** (नाम निर्देशित)—माननीय चेयरमैन साहब, फारेस्ट अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और इस पर ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। मगर मैं कुछ बातें जो ऐवान की नोटिस में नहीं लाई गई हैं वह कहना चाहता हूं। वह यह हैं कि फारेस्ट दो तरह से होते हैं। एक तो सिर्फ जिनमें दरख्त ही दरख्त होते हैं और दूसरे जिनमें छोटी-छोटी झाड़ियां भी होती हैं, जैसे सेंठा, भरा और काई आदि के जंगल होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आया यह जंगल भी इस कानून में आते हैं क्योंकि गांव में जो लोग झोपड़ी बनाते हैं वह इन जंगलों से लकड़ी और घास लेते हैं, अगर यह चीजें इस कानून में होंगी तो उनको परेशानी होगी। मेरी राय में यह बिल ठीक है परन्तु यह बात साफ नहीं है कि जिन चीजों का मैंने नाम लिया है उन पर यह लागू होगा या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि किसान भाइयों को इससे तकलीफ होने का अन्देशा है। इसलिये मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें।

**श्री चेयरमैन**—यह प्रथम वाचन में कहने की बातें हैं, तृतीय वाचन में कहने की नहीं हैं।

**श्री चेयरमैन**—प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का इन्डियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

**श्री चेयरमैन**—कल नान आफिशियल डे होगा।
अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।
(सदन की बैठक ३ बजकर १५ मिनट पर दिनांक २३ दिसम्बर सन् १९५५ ई० को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

**परमात्मा शरण पचौरी,**

सचिव,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,

दिनांक: २२ दिसम्बर सन् १९५५ ई०।

## नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या ३ का उत्तर ३२० पृष्ठ पर।)

संख्या ३८३८/३३--२९३-५३

प्रेषक,

श्री हरिहर लाल भार्गव,
अनुसचिव, स्वशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संचालक, पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ, ८ अगस्त, १९५३ ई०

पंचायत राज विभाग

विषय : पंचायत मंत्रियों के चुनाव सम्बन्धी आदेश।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या ४६०७/पं० रा० वि०---५/४६, दिनांक २५ जुलाई १९५० तथा पंचायत राज विभाग के शासकीय आदेश संख्या ३९४/पी० आर० डी०---३०-४९, दिनांक ५ मार्च, १९४९ तथा शासकीय पत्र संख्या ५०३/पी० आर० डी०---३०-४९, दिनांक २५ मार्च, १९४९ की ओर आकृष्ट करते हुये यह सूचित करन का आदेश है कि पंचायत मंत्रियों के चुनाव के लिये भेजे गये उपरोक्त तीनों परिपत्रों को तत्कालीन चुनाव के लिये पर्याप्त समझा गया था। पंचायत मंत्रियों के चुनाव के लिये प्रदेश भर में एक सामान्य नीति का अनुसरण हो इस कारण अब यह उचित प्रतीत होता है कि उपरोक्त तीनों आदेशों का निम्न प्रकार संशोधन कर दिया जावे :

१---पंचायत मंत्रियों का चुनाव प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष नवीन रूप से किया जाय जो नवम्बर मास में कराया जाये और इस चुनाव का फल प्रत्येक ३० दिसम्बर तक अवश्य घोषित कर दिया जावे। इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक जिला पंचायत अफसर आगामी वर्ष के लिये जितने पंचायत मंत्रियों के रिक्त पदों की सम्भावना हो उनका अनुमान अक्टूबर मास तक अवश्य लगा ल और इस अनुमानित संख्या के लिये प्रार्थना-पत्र यथा सम्भव Employment Exchange द्वारा मंगाये जावें। प्रार्थना-पत्र स्थानीय पंचायत पत्रिकाओं तथा अन्य महत्व पूर्ण स्थानीय पत्र व पत्रिकाओं द्वारा भी आमंत्रित किये जायं।

२---प्रार्थना-पत्र समाप्त होने के उपरान्त चुनाव पंचायत राज नियम संख्या १६८/२ के प्राविधानों के अधीन कराया जावे और जितने पदाभिलाषियों के लिये चुनाव कराया जावे उनकी सूची १ वर्ष के लिये श्रेष्ठता के क्रम में बनाई जावे। जिला पंचायत अधिकारी इसी सूची से वर्ष भर में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्तिां श्रेष्ठता के क्रम में करते रहें।

३---यदि किसी कारण से वर्ष के अन्दर ही इस सूची के पदाभिलाषियों के अतिरिक्त और पंचायत मंत्रियों की अस्थायी नियुक्तियों की आवश्यकता हो तो ऐसी अस्थायी नियुक्तियां जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की जावेंगी। यदि स्वीकृत सूची बनने के पश्चात् आगामी दिसम्बर के अन्त तक स्वीकृत सूची के समस्त पदाभिलाषियों को नियुक्त न किया जा सका तो यह स्वीकृत सूची अगले वर्ष के चुनाव के लिये रद्द समझी जायेगी।

४---जहां तक पंचायत मंत्रियों के लिये न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता का सम्बन्ध है पंचायत राज नियम संख्या १६७ के प्राविधानों का पालन किया जावे। यदि निर्धारित न्यूनतम

योग्यता के अतिरिक्त कोई व्यक्ति कृषि का डिप्लोमा प्राप्त किये हो या पटवारी स्कूल की क्षा पास हो तो उस पदाभिलाषी को इन वर्षीय चुनावों में प्रधानता दी जावे ।

५--निर्धारित आयु सीमा को २०-३० रक्खा जावे । प्रार्थना-पत्र देते समय पहली जनवरी तक प्रत्येक पदाभिलाषी कम से कम २० वर्ष का हो और अधिक से अधिक ३० वर्ष का हो । राजनैतिक पीड़ितों तथा परिगणित जाति वालों के लिये क्रमानुसार अधिक से अधिक ४ वर्ष तथा ३ वर्ष तक की छूट दी जावे । जो कि नियम संख्या १६८/१, के अनुकूल शासन द्वारा दी जावेगी ।

६--जहां तक पंचायत मंत्रियों को अवकाश देने का प्रश्न है पंचायत राज नियम संख्या १७६ के प्राविधानों का पालन किया जाये ।

७--पंचायत मंत्रियों का वेतन-क्रम पूर्ववत् ही रहेगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि यदि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है तो साल भर के अन्दर जिलाधीश स्वीकार करगे तदोपरान्त संचालक, पंचायत राज की पूर्व स्वीकृति से प्राप्त होगा ।

भवदीय,
ह० हरिहर लाल भार्गव,
अनुसचिव ।

संख्या ३८३८(१)/३३--२९३-५३

प्रतिलिपि :

१--समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश ।

२--समस्त जिला पंचायत अफसरों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
ह० हरिहर लाल भार्गव,
अनुसचिव ।

*Copy of rules no. 167 and 168 of the Panchayat Raj Rules, 1947*

167. The Secretary of the Panchayat shall be required to possess the minimum educational qualification of Hindustani Middle Examination with Hindi as one of the subjects or any other examination declared by Government as equivalent thereto and shall satisfy any other qualifications as the State Government may, by a general or special order, fix.

168 (1) The State Government may, by a general or special order, direct that only one Secretary may be appointed for one or more Gaon Panchayats on a scale of pay and other conditions to be fixed by the Government.

(2) Where the State Government has passed an order under sub-rule (1), the prescribed authority shall select a person out of the list of approved candidates prepared by the selection committee consisting of the President, District Board (Chairman), District Inspector of Schools and District Magistrate or his nominee in accordance with the directions of the State Government and appoint him as Secretary to a panchayat of group or panchayats :

Provided that in special circumstances Government may nominate any authority to carry out the selection of Secretaries.

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न सं० १ का उत्तर ३२२ पृष्ठ पर।)

No. B-4830/XV—900(53)-1954

FROM

SRI S. R. SINGH, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

THE ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH.

*Dated Lucknow, May* 31, 1954.

*Subject*:—**Constitution of Sub-Committees of the District Planning Committees in each District**

SIR,

Education (B)Deptt.

I am directed to say that for each of the Junior High Schools in which Agriculture will be introduced with effect from July, 1954 as a compulsory subject under the Reorientation Scheme as School Committee has been constituted under G.O. no.B-2901/XV—900(44)-1954, dated April 14, 1954, which will help in securing land and also giving advice and assistance in all possible ways towards the running of the school farm and making the scheme as success. With a view to co-ordinating the activities of these committees in the district and to implementing the Educational plans, the Governor has been pleased to order the formation of a Sub-Committee of the District Planning Committee in each district. The duties and functions of the Sub-Committee will be as follows :

(1) Mobilizing public opinion in support of the scheme of the Reorientation of Junior High Schools.

(2) Securing land for the Junior High Schools.

(3) Organizing functions with the object of acquainting the parents of the wards with the school and helping the students of the schools in undertaking development work in villages.

This Sub-Committee will consist of the following :

(1) District Magistrate .. .. (*Chairman*).

(2) President, District Board .. (*Vice-Chairman.*)

(3) Three non-official members of the District Planning Committee, two of whom will be members of the Legislature, nominated by the District Planning Committee.

(4) District Agricultural Officer.

(5) District Planning Officer.

(6) Deputy Inspector of Schools.

(7) District Inspector of Schools.. .. (*Secretary*).

2. The Sub-Committee will have the right to co-opt not more than three other members, who may be specially interested in education.

3. No travelling allowance or daily allowance will be paid to the members of the Committee for attending the meeting.

4. The District Magistrates are being asked to take immediate steps to constitute these Sub-Committees of the District Planning Committees in each district and convene a meeting of the Sub-Committees as early as possible.

Yours faithfully,
S. R. SINGH,
*Secretary.*

---

No. B-4830(i)/XV—900(53)-1954

Copy forwarded to all the District Magistrates, Uttar Pradesh for information and immediate necessary action for the formation of the Sub-Committees.

---

No. B-4830(ii)/XV—900(53)-1954

Copy also forwarded for information to the —

(1) Director of Education, Uttar Pradesh,
(2) Presidents, District Boards, Uttar Pradesh,
(3) District Inspectors of Schools, Uttar Pradesh,
(4) District Planning Officers, Uttar Pradesh.

---

No. B-4830(iii)/XV—900(53)-1954

Copy also forwarded for information to all the Departments of the Secretariat.

By order,
S. R. SINGH,
*Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh.*

No. B(P)-1948/XV—900(98)-1955

FROM

SRI B. D. BHATT, M.A., L.T.,
OFFICER ON SPECIAL DUTY (EDUCATION)
TO GOVERNMENT, UTTAR PRADESH,

To

ALL THE DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

*Dated Lucknow, May* 31, 1955.

SIR,

Education B) Deptt.

I am directed to refer to General Administration Department Office Memo. no. 963(i)/III/30(2)/53, dated April 23, 1955,

copy sent to you with Endorsement no. 963(3)/III—30(2)/1953 of the same date and to say that in pursuance of the decision contained therein to relieve you of your responsibilities in regard to some of the committees of which you are the Chairman, the Governor has been pleased to order in partial modification of G. O. no B-4830/XV—900 (53)-1954, dated May 31, 1954, that the President, District Board shall henceforward be the Chairman of the Sub-Committee of the District Planning Committee constituted under the Government Order, dated May 31, 1954, mentioned above in your place.

Yours faithfully,
B. D. BHATT
*Officer on Special Duty (Education).*

---

No. B(P)/1948(i)/XV—900(98)-1955

COPY forwarded for information to the Additional Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, in continuation of G.O. no. B-4830/XV—900(53)-1954, dated May 31, 1954.

---

No. B(P)/1948(ii)/XV—900(98)-1955

COPY also forwarded for information to the—

(1) Director of Education, Uttar Pradesh,

(2) Presidents, District Boards, Uttar Pradesh,

(3) District Inspectors of Schools, Uttar Pradesh,

(4) District Planning Officers, Uttar Pradesh,

in continuation of G. E. no. B-4830/(ii)/XV—900(53)-1954, dated May 31, 1954.

---

No. B(P)/1948(iii)/XV—900(98)-1955

COPY also forwarded for information to all the Departments of the Secretariat in continuation of this Department Endorsement no. B(P)/4830(iii)/XV—900(53)-1954, dated May 31, 1954.

By order,
B. D. BHATT
*Officer on Special Duty (Education),*
*Uttar Pradesh.*

## नत्थी "ग"

(देखिये प्रश्न संख्या २ का उत्तर पृष्ठ ३२२ पर)

जिला बरेली के नियोजन कमेटी की सब-कमेटी के सदस्यों की सूची

(१) अध्यक्ष, जिला परिषद्, बरेली, अध्यक्ष ।
(२) श्री नाथू सिंह, एम० एल० ए० ।
(३) श्री नवल किशोर, एम० एल० ए० ।
(४) श्री नौरंग लाल, एम० एल० ए० ।
(५) श्री धर्मदत्त वैद्य, एम० एल० ए० ।
(६) श्री रामचरन लाल, एम० एल० ए० ।
(७) श्री सुन्दर लाल, एम० एल० ए० ।
(८) श्रीमती बेगम अब्दुल वाजिद, एम० एल० ए० ।
(९) श्री पी० सी० आजाद, एम० एल० सी० ।
(१०) श्री आर० के० शर्मा, एम० एल० सी० ।
(११) श्री एम० जे० मुखर्जी, एम० एल० सी० ।
(१२) श्री मुकन्दी लाल, एम० पी० ।
(१३) समस्त सब-डिवीजनल आफिसर ।
(१४) डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर ।
(१५) जिला विद्यालय निरीक्षक ।
(१६) उप-जिला विद्यालय निरीक्षक ।
(१७) अध्यक्ष, शिक्षा समिति, जिला परिषद् ।
(१८) श्री ज्वाला सिंह, आंवला तहसील ।
(१९) श्री शिवकुमार पाठक, बरेली तहसील ।
(२०) श्री कन्हैयालाल, नवाबगंज तहसील ।
(२१) श्री राममोहन लाल, फरीदपुर तहसील ।
(२२) श्री ए० एन० दीक्षित, बहेरी तहसील ।

## नत्थी "घ"

(देखिये प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ३२२ पर)

*Extracts of the Proceedings of the District Planning Educational Sub-Committee meeting held on July* 5, 1954 *at* 10 *a. m. at the District Magistrate's residence.*

" It was resolved unanimously that the name of Jai Prakash Narain Higher Secondary School, Nawabganj, be recommended for this non-recurring grant-in-aid to the Director of Education. Sri Shiva Kumar Pathak alone objected to this on the ground that this school should not receive grant because it was not teaching Science or Agriculture. "

नत्थी "ङ"

(देखिये प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पृष्ठ ३२५ पर।)

STATEMENT 'A'

*Statement showing prescribed minimum recurring expenditure under the various sub-heads of Education of the District Boards in Uttar Pradesh in* 1954-55.

| Serial no. | Name of the District Board | Junior High Schools for Boys | Primary Schools | Junior High Schools for Girls | Total Minima (Columns 3+4+5) | Government grant | Boards contribution (Columns 6—7) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | |
| 1 | Dehra Dun .. .. | 53,920 | 3,80,020 | 4,710 | 4,38,650 | 3,49,070 | 89,580 | |
| 2 | Saharanpur .. .. | 65,680 | 7,72,160 | 4,790 | 8,42,630 | 7,14,830 | 1,27,800 | |
| 3 | Muzaffarnagar .. | 1,35,200 | 6,61,980 | 9,030 | 8,06,210 | 5,32,110 | 2,74,100 | |
| 4 | Meerut .. .. | 93,120 | 8,53,090 | 7,130 | 9,53,340 | 7,83,390 | 1,69,950 | |
| 5 | Bulandshahr .. .. | 77,560 | 7,48,460 | 6,460 | 8,32,480 | 5,41,550 | 2,90,930 | |
| | Total, Meerut Division | 4,25,480 | 34,15,710 | 32,120 | 38,73,310 | 29,20,950 | 9,52,360 | |
| 6 | Aligarh .. .. | 73,790 | 6,66,320 | 16,020 | 7,56,130 | 6,31,560 | 1,24,570 | |
| 7 | Mathura .. .. | 1,00,180 | 7,26,500 | 11,320 | 8,38,000 | 6,12,770 | 2,25,230 | |
| 8 | Agra .. .. | 64,530 | 6,73,620 | 9,480 | 7,47,630 | 6,30,590 | 1,17,040 | |
| 9 | Mainpuri .. .. | 1,35,640 | 7,37,420 | 18,050 | 8,91,110 | 5,91,300 | 2,99,810 | |
| 10 | Etah .. .. | 1,18,610 | 7,93,020 | 12,580 | 9,24,210 | 7,26,380 | 1,97,830 | |
| | Total, Agra Division .. | 4,92,750 | 35,96,880 | 57,450 | 41,57,080 | 31,92,600 | 9,64,480 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bareilly .. .. | 49,950 | 5,45,410 | 5,610 | 6,00,970 | 5,14,130 | 86,840 |
| 12 | Bijnor .. .. | 56,560 | 7,32,140 | 14,170 | 7,93,870 | 7,37,820 | 56,050 |
| 13 | Badaun .. .. | 1,49,500 | 6,98,600 | 18,860 | 8,67,050 | 5,73,020 | 2,94,030 |
| 14 | Moradabad .. .. | .72,730 | 6,57,280 | 15,800 | 7,45,810 | 6,24,550 | 1,21,260 |
| 15 | Shahjahanpur .. | 61,720 | 7,10,930 | 6,340 | 7,78,990 | 6,33,240 | 1,45,750 |
| 16 | Pilibhit .. .. | 1,18,670 | 6,75,740 | 11,210 | 8,05,620 | 4,60,420 | 3,45,200 |
| | Total, Rohilkhand Division | 5,09,130 | 40,11,190 | 71,990 | 45,92,310 | 35,43,180 | 10,49,130 |
| 17 | Farrukhabad .. .. | 1,85,650 | 8,43,830 | 11,030 | 10,40,510 | 6,43,500 | 3,97,010 |
| 18 | Etawah .. .. | 1,33,300 | 7,10,600 | 23,150 | 8,67,050 | 6,34,760 | 2,32,290 |
| 19 | Kanpur .. .. | 67,990 | 8,97,480 | 38,520 | 10,03,990 | 7,22,160 | 2,81,830 |
| 20 | Fatehpur .. .. | 38,090 | 5,77,860 | 3,950 | 6,19,900 | 5,55,670 | 64,230 |
| 21 | Allahabad .. | 2,49,150 | 10,88,410 | 23,500 | 13,61,060 | 8,26,810 | 5,34,250 |
| | Total, Allahabad Division | 6,74,180 | 41,18,180 | 1,00,150 | 48,92,510 | 33,82,900 | 15,09,610 |
| 22 | Banda .. .. | 81,880 | 5,88,540 | 8,210 | 6,78,630 | 5,44390 | 1,34,240 |
| 23 | Hamirpur .. .. | 83,650 | 6,38,130 | 16,830 | 7,38,610 | 5,91,380 | 1,47,230 |
| 24 | Jhansi .. .. | 87,660 | 5,37,420 | 14,310 | 6,39,390 | 5,29,550 | 1,09,840 |
| 25 | Jalaun .. .. | 90,000 | 5,93,920 | 7,880 | 6,91,800 | 5,44,910 | 1,46,890 |
| | Total, Jhansi Division | 3,43,190 | 23,58,010 | 47,230 | 27,48,430 | 22,10,230 | 5,38,200 |

| Serial no. | Name of the District Board | Junior High Schools for Boys | Primary Schools | Junior High Schools for Girls | Total Minima (Columns 3+4+5) | Govern-ment grant | Boards contribution (Columns 6—7) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | |
| 26 | Banaras .. .. | 1,46,810 | 12,61,740 | 17,030 | 14,25,580 | 9,19,480 | 5,06,080 | |
| 27 | Mirzapur .. .. | 60,850 | 8,77,470 | 7,480 | 9,45,800 | 8,22,220 | 62,580 | |
| 28 | Jaunpur .. .. | 1,63,460 | 9,89,390 | 3,920 | 11,56,770 | 5,54,490 | 3,02,280 | |
| 29 | Ghazipur .. .. | 1,67,480 | 7,11,330 | 5,460 | 8,84,270 | 6,06,700 | 2,77,570 | |
| 30 | Ballia .. .. | 1,80,980 | 9,89,090 | 8,820 | 11,78,890 | 8,06,890 | 3,72,000 | |
| 31 | Sub-board Bhadohi .. | 50,220 | 1,61,220 | .. | 2,11,440 | 1,57,240 | 54,200 | |
| | Total, Banaras Division | 7,69,800 | 49,90,240 | 42,710 | 58,02,750 | 42,27,030 | 15,75,720 | |
| 32 | Gorakhpur .. .. | 2,06,810 | 11,81,490 | 8,330 | 13,96,630 | 9,62,490 | 3,34,140 | |
| 33 | Deoria .. .. | 86,560 | 10,49,380 | 24,450 | 11,60,390 | 8,59,860 | 3,00,530 | |
| 34 | Basti .. .. | 1,18,220 | 8,91,790 | 10,120 | 10,20,130 | 8,68,450 | 1,51,680 | |
| 35 | Azamgarh .. .. | 70,910 | 9,47,580 | 12,740 | 10,31,230 | 9,38,140 | 93,090 | |
| | Total, Gorakhpur Division | 4,82,500 | 40,70,240 | 55,640 | 46,08,380 | 36,28,940 | 9,79,440 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Naini Tal .. .. | 62,710 | 3,35,600 | 5,040 | 5,03,350 | 4,29,000 | 74,350 |
| 37 | Almora .. .. | 1,12,040 | 7,06,890 | 3,010 | 8,21,940 | 7,34,160 | 87,780 |
| 38 | Garhwal (Pauri) .. | 72,730 | 6,95,960 | 5,120 | 7,73,810 | 6,88,990 | 84,620 |
| | Total, Kumaun Division | 2,47,480 | 18,38,450 | 13,170 | 20,99,160 | 18,52,150 | 2,46,950 |
| 39 | Lucknow .. | 94,410 | 4,84,580 | 5,760 | 5,84,750 | 4,88,040 | 96,710 |
| 40 | Unnao .. .. | 42,310 | 6,42,610 | 20,620 | 7,05,540 | 6,11,520 | 94,020 |
| 41 | Rae Bareli .. | 1,24,730 | 7,40,780 | 3,390 | 8,86,900 | 6,49,330 | 2,19,570 |
| 42 | Sitapur .. .. | 68,350 | 7,98,300 | 5,880 | 8,72,530 | 6,72,770 | 1,99,760 |
| 43 | Hardoi .. .. | 57,990 | 7,10,790 | 8,600 | 7,77,380 | 6,98,810 | 78,570 |
| 44 | Kheri .. .. | 54,400 | 6,04,940 | 6,000 | 6,65,340 | 6,12,680 | 52,660 |
| | Total, Lucknow Division | 4,42,190 | 39,82,000 | 50,250 | 44,74,440 | 37,33,150 | 7,41,290 |
| 45 | Faizabad .. .. | 1,170,570 | 8,59,510 | 5,440 | 10,35,520 | 7,79,670 | 2,55,850 |
| 46 | Gonda .. .. | 1,20,180 | 8,36,510 | 12,280 | 9,68,970 | 6,69,520 | 2,99,450 |
| 47 | Baharaich .. .. | 1,27,630 | 7,31,760 | 9,510 | 8,68,900 | 6,32,340 | 2,36,560 |
| 48 | Sultanpur .. .. | 1,21,370 | 7,28,340 | 8,130 | 8,57,840 | 6,07,640 | 2,50,200 |
| 49 | Pratapgarh .. .. | 1,4,710 | 8,04,230 | 10,630 | 9,29,570 | 6,81,050 | 2,48,520 |
| 50 | Bara Banki .. .. | 85,960 | 6,30,000 | 9,450 | 7,25,410 | 5,89,260 | 1,36,150 |
| | Total, Faizabad Division | 7,40,420 | 45,90,350 | 55,440 | 53,86,710 | 39,59,480 | 14,26,730 |
| | TOTAL, UTTAR PRADESH | 51,27,120 | 3,69,71,250 | 5,36,150 | 4,26,34,520 | 3,26,50,610 | 99,83,910 |

## नत्थी "च"

(देखिये प्रश्न सं० १० का उत्तर पृष्ठ ३२६ पर)

## STATEMENT "B"

| Serial no. | Name of District Boards | Contribution of District Boards in 1954-55 for running their Hindustani Educational institutions out of the | | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | Income from fees | Board's income | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dehra Dun .. | 25,444 | 64,136 | |
| 2 | Saharanpur .. | 84,000 | 43,800 | |
| 3 | Muzaffarnagar .. | 2,56,760 | 17,340 | |
| 4 | Meerut .. | 1,69,950 | .. | |
| 5 | Bulandshahr .. | 1,34,556 | 1,56,374 | |
| 6 | Aligarh .. | 1,24,570 | .. | |
| 7 | Mathura .. | 71,336 | 1,53,894 | |
| 8 | Agra .. | 1,17,040 | .. | |
| 9 | Mainpuri .. | 2,58,655 | 41,155 | |
| 10 | Etah .. | 1,80,282 | 17,548 | |
| 11 | Bareilly .. | 86,633 | 207 | |
| 12 | Bijnor .. | 56,050 | .. | |
| 13 | Badaun .. | 1,35,314 | 1,58,716 | |
| 14 | Moradabad .. | 1,21,260 | .. | |
| 15 | Shahjahanpur .. | 57,923 | 87,827 | |
| 16 | Pilibhit .. | 74,591 | 2,70,609 | |
| 17 | Farrukhabad .. | 2,42,670 | 1,54,340 | |
| 18 | Etawah .. | 1,00,672 | 1,31,618 | |
| 19 | Kanpur .. | 1,97,989 | 83,841 | |
| 20 | Fatehpur .. | 46,048 | 18,182 | |
| 21 | Allahabad .. | 83,030 | 4,51,220 | |
| 22 | Banda .. | 81,161 | 53,079 | |
| 23 | Hamirpur .. | 63,880 | 83,350 | |
| 24 | Jhansi .. | 97,392 | 12,448 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jalaun .. | 1,00,553 | 46,337 | 38 | Garhwal (Pauri) | 58,393 | 26,427 |
| 26 | Banaras .. | 39,854 | 5,20,436 | 39 | Lucknow .. | 60,709 | 36,001 |
| 27 | Bhadohi .. | | | 40 | Unnao .. | 94,020 | .. |
| 28 | Mirzapur .. | 63,580 | .. | 41 | Rae Bareli .. | 1,89,641 | 29,929 |
| 29 | Jaunpur .. | 2,31,630 | 70,650 | 42 | Sitapur .. | 82,984 | 1,16,776 |
| 30 | Ghazipur .. | 1,92,492 | 85,078 | 43 | Hardoi .. | 78,570 | .. |
| 31 | Ballia .. | 2,82,571 | 88,429 | 44 | Kheri .. | 52,660 | .. |
| 32 | Gorakhpur .. | 2,22,658 | 2,11,482 | 45 | Faizabad .. | 1,85,300 | 70,550 |
| 33 | Deoria .. | 2,38,700 | 61,830 | 46 | Gonda .. | 1,53,839 | 1,45,611 |
| 34 | Basti .. | 1,51,680 | .. | 47 | Bahraich .. | 92,917 | 1,43,643 |
| 35 | Azamgarh .. | 93,090 | .. | 48 | Sultanpur .. | 1,13,670 | 1,36,530 |
| 36 | Naini Tal .. | 37,011 | 37,339 | 49 | Pratapgarh .. | 1,14,263 | 1,34,257 |
| 37 | Almora .. | 74,645 | 13,135 | 50 | Bara Banki .. | 1,04,263 | 31,887 |

## नत्थी "छ"

(देखिये प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पृष्ठ ३२८ पर)

बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट एजुकेशन, इलाहाबाद की पिछले १० वर्षों की कुल आय, व्यय और बचत का विवरण (रुपयों में)।

| क्रम-संख्या | वर्ष | | आय | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १९४५-४६ | ... | ६,८५,१११ | ६,१९,२४२ | ६५,८६९ |
| २ | १९४६-४७ | ... | ८,६२,८८१ | ६,८१,६४० | १,८१,२४१ |
| ३ | १९४७-४८ | ... | १०,४३,९१६ | ९,७२,३६८ | ७१,४५८ |
| ४ | १९४८-४९ | ... | १३,१८,७२८ | ११,८३,०५४ | १,३५,६७४ |
| ५ | १९४९-५० | ... | १८,५६,००१ | १९,३६,४५६ | ... ८०,४५५ (घाटा) |
| ६ | १९५०-५१ | ... | २८,४५,०९८ | २१,६३,२६९ | ६,८१,८२९ |
| ७ | १९५१-५२ | ... | ३२,४७,७५४ | ३१,८१,१५७ | ६६,५९७ |
| ८ | १९५२-५३ | ... | ४४,४१,४९९ | ३५,०१,००६ | ९,४०,४९३ |
| ९ | १९५३-५४ | ... | ४९,३१,४६६ | ४८,०१,२९९ | १,३०,१६७ |
| १० | १९५४-५५ | ... | ५८,१४,५७३ | ४८,९९,६८४ | ९,१४,८८९ |

## Appendix 'A'

( See *question no.* 10 *on page* 325)

*Statement showing actual receipts and expenditure of the Board of High School and Intermediate Education, U. P., Allahabad for the last* 10 *years.*

| Serial no. | Year | Actual receipt | Actual expenditure | Savings |
|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | 1945-46 .. .. | 6,85,111 | 6,19,242 | 65,869 |
| 2 | 1946-47 .. .. | 8,62,881 | 6,81,640 | 1,81,241 |
| 3 | 1947-48 .. .. | 10,43,916 | 9,72,368 | 71,458 |
| 4 | 1948-49 .. .. | 13,18,728 | 11,83,054 | 1,35,674 |
| 5 | 1949-50 .. .. | 18,56,001 | 19,36,456 | Excess of 80,455 |
| 6 | 1950-51 .. .. | 28,45,098 | 21,63,269 | 6,81,829 |
| 7 | 1951-52 .. .. | 32,47,754 | 31,81,157 | 66,597 |
| 8 | 1952-53 .. .. | 44,41,499 | 35,01,006 | 9,40,493 |
| 9 | 1953-54 .. .. | 49,31,466 | 48,01,299 | 1,30,167 |
| 10 | 1954-55 .. .. | 58,14,573 | 48,99,684 | 9,14,889 |

नत्थी "ज"

(देखिये प्रश्न सं० ४८ का उत्तर पृष्ठ ३३६ पर)

No. A-3618/XV—3048-1950

FROM

SRI B. N. JHA, B.SC., B.ED. (Edin.)
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH.

*Dated Lucknow, July* 28, 1951.

*Subject*:—**Special Advance Increments to Teachers and Heads of non-Government (aided) Higher Secondary Schools.**

SIR,

ation
eptt.

With reference to correspondence resting with your letter no. F(1)/ CD/401, datad May 19, 1951, I am directed to say that with a view to give some relief to the teachers and Heads of aided Higher Secondary Schools the Governor has, after careful consideration of the matter, been pleased to sanction the payment, with effect from July 1951, of special advance increments subject to a maximum of two increments to teachers and Heads of aided Higher Secondary Schools on the following principles :

(*a*) For ten or more but less than twenty years of service rendered—one special advance increment in their respective scales of pay.

(*b*) For twenty or more than twenty years of service rendered—two special advance increments in their respective scales of pay.

(*c*) For computation of the period of service laid down in (*a*) and (*b*) above, service rendered in any one institutions or in different institutions with or without any break should be taken into account.

(*d*) The period of qualifying service laid down in (*a*) and (*b*) above shall be computed from July 1951, backwards.

2. I am to add further that teachers and Heads of institutions shall not be entitled to claim any arrears of salary on account of the concession allowed in paragraph I (*a*) and 1 (*b*) above.

3. The special advance increment or increments allowed under paragraph 1(*a*) and 1(*b*) above, shall be in addition to the increment that they may have earned in their respective scales of pay on July 1, 1951 and their pay shall be fixed accordingly i.e., on the formula—

A (salary on June 30, 1951 in their respective scales of pay).

+B (annual increment earned in the respective scales of pay on July 1, 1951).

+C or D [one or two special advance increments in accordance with paragraph 1(*a*) or 1(*b*) as the case may be respectively].

4. Necessary provision to meet the charge on the above account has been made under the head " 37. Education—B—Secondary—(*b*) Direct Grant to non-Government Secondary Schools—Other Schools—Maintenance " in the budget of the current financial year.

Yours faithfully,
B. N. JHA,
*Joint Secretary.*

---

FINANCE (A) DEPARTMENT

No. A-3618(1)/XV—3048-1950

Copy forwarded for information to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,
N. C. RAY,
*Under Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh*

---

EDUCATION (A) DEPARTMENT

No. A-3618(2)/XV—3048-1950

Copy with 50 spare copies forwarded to the Examiner, Local Fund Accounts, Allahabad, for information.

---

No. A-3618(3)/XV—3048-1950

Copy with 10 spare copies also forwarded for information and necessary action to Commissioners of Divisions in so far as the matter relates to the teachers and Heads of institutions working in Higher Secondary Schools maintained by Local Boards.

---

No. A-3618(4)/XV—3048-1950

Copy also forwarded for information to—

(1) All Regional Deputy Directors of Education,
(2) All Regional Inspectresses of Girls' Schools ; and
(3) All District Inspectors of Schools.

---

No. A-3618(5)/XV—3048-1950

Copy also forwarded for information to the Honorary General Secretary, U. P. S. E. A., Lucknow.

By order,
B. N. JHA,
*Joint Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh.*

पी० एस० यू० पी० १५२ एल० सी०—१९५६—७९६ (प्रो०)

# उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२३ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर, नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
काशीनाथ पान्डेय, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विश्वनाथ, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप डाक्टर, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री चन्द्र भानु गुप्त (उद्योग, नियोजन, स्वास्थ्य व रसद मन्त्री)

श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मन्त्री)

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा व हरिजन सहायक मन्त्री)

श्री हुकुम सिंह (कृषि व पशु-पालन मन्त्री)

# प्रश्नोत्तर

## डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय द्वारा जनता के पत्रों के उत्तर देने में देरी का कारण

*१---श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)---(क) क्या यह ठीक है कि डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय द्वारा जनता के पत्रों के उत्तर बहुत देर से दिये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो जनता की इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह** (सभा सचिव, श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्री)---(क) आम तौर से पत्रों का उत्तर यथासम्भव शीघ्र दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

२---श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्डस्ट्रीज विभाग के कितने गजटेड, नानगजटेड अफसर और अन्य कर्मचारी कानपुर में इस समय नियुक्त हैं ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**---गजटेड अफसर ५४, नानगजटेड ११५ और अन्य कर्मचारी ७२४ हैं।

३---श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार उनको प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**---जी नहीं।

४-६---श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)---(स्थगित)।

## जिला नियोजन समितियों, डेवलपमेंट ब्लाक कमेटियों और प्रोजेक्ट एरिया कमेटियों के नियम तथा उनका पुनर्निर्माण

*७---श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार निम्नलिखित के विषय में जिला नियोजन समितियों, डेवलपमेंट ब्लाक कमेटियों और प्रोजेक्ट एरिया कमेटियों के नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(क) इन समितियों की बैठक का समय और स्थान,

(ख) इनके सभापतित्व करने का व्यक्ति,

(ग) कार्यक्रम के निकालने का तरीका और उसकी विषय सूची,

(घ) कार्यक्रम के निकालने और समिति की बैठक होने के बीच में आवश्यक समय,

(ङ) प्रश्नों और प्रस्तावों पर कार्यवाही होने से पहले उन पर बैठक में आवश्यक विचार होना,

---

*प्रश्न संख्या १---३ श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

*प्रश्न संख्या ७---९ श्री खुशाल सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

(च) प्रश्न और प्रस्ताव जिन पर इन समितियों में (१) चेयरमैन या जिला नियोजन अधिकारी द्वारा (२) गैर सरकारी सदस्य या सदस्यों द्वारा विचार हो सकता है,

(छ) आर्थिक विषयों में इन समितियों द्वारा अधिकार और सत्ता का उपयोग,

(ज) मत देने का तरीका, और सकारी सदस्यों और सरकारी आमन्त्रित व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा या नहीं ?

7· **Sri Indra Singh Nayal** (Local Authorities Constituency) (*absent*) Will the Gevernment please lay on the table a copy of the rules made for District Planning Committees, the Development Blocks and Project Area committees regarding :

(*a*) the time and place of meeting of these bodies,

(*b*) the person to preside ever the same,

(*c*) the manner of issue and contents of the agenda,

(*d*) the necessary time between the issue of the agenda and the date of meetings,

(*e*) the questions and proposals that must be duly considered in a meeting of these bodies before any action is taken on the same,

(*f*) the questions and proposals that may be considered by these bodies at the discretion:

(i) of the Chairman or the District Planning Officer,

(ii) of non-official member or members,

(*g*) the powers and authority these bodies are to exercise in financial matters,

(*h*) the manner of voting and whether the official members and the official invitees will have a right to vote ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**—इस विषय के सम्बन्ध में जो नियम बने तथा आदेश जारी हुये उसकी एक प्रति* माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

**Sri Parmatma Nand Singh** (Parliamentary Secretary to Minister-for Labour and Social Welfare) : A copy of the rules made and inss tructions† issued on the subject is placed on the table of honourable member.

८—**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन समितियों का पुनर्निर्माण गैर सरकारी सभापतियों के अन्तर्गत में करने का विचार करती है ?

8. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*) : Do the Government propose to reconstitute these bodies with non-official Chairmen ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**—जी नहीं।

**Sri Parmatma Nand Singh** : No.

९—**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन समितियों के पुनर्निर्माण की प्रस्तावित योजना की एक प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखने को कृपा करेंगे ?

9. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*) : Will the Government lay on the table a copy of the proposed scheme of reconstitution of these Committees ?

---

*नियम तथा आदेश की प्रति के लिये देखिये नत्थी 'क' पृ० ४०६ पर

†For rules and instruction see नत्थी 'क' on page 409

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--जिला नियोजन समितियों का पुनर्निर्माण हाल ही में हुआ है और उसके आदेश की एक प्रति* माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ?

डेवलपमेंट ब्लाक कमेटियों और प्रोजेक्ट एरिया कमेटियों को पुनर्निर्माण करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

**Sri Parmatma Nand Singh :** District Planning Committees have already been reconstituted recently and a copy† of the scheme of reconstitution is placed on the table of the honourable member.

As regards the Development Blocks and Project Area Committees the question of reconstituting them is not under consideration.

## १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० से अब तक उत्तर प्रदेश में आये हुये विदेशी कुशाग्र व्यक्ति

१०--**श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी**--(अ) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में कितने विदेशी कुशाग्र व्यक्ति (experts) आये और उनमें से इस समय कितने मौजूद हैं ?

(ब) उनसे इस समय क्या कार्य लिया जा रहा है ?

(स) सरकारी कोष से उन पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--(अ) विभिन्न विभागों से (जिनमें सिंचाई विभाग सम्मिलित नहीं है) इस विषय पर १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५५ तक के लिये उपलब्ध ब्योरे से प्रतीत होता है कि इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा ४९ विदेशी कुशाग्र व्यक्ति नियुक्त किये गये जिनमें से १५ अब भी मौजूद हैं।

(ब) इस सूचना का विवरण** माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(स) राज्य सरकार ने प्रसंगगत अवधि में विदेशी कुशाग्र व्यक्तियों पर २५,४०,२२२ रुपया ८ आना ६ पाई खर्च किया है ।

## अक्तूबर सन् १९५५ ई० में एडीशनल डेवलपमेंट अफसरों के लिए किये गये साक्षात्कार के लिये प्रार्थना-पत्रों की संख्या तथा प्रार्थियों की योग्यतायें

११--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्टूबर, १९५५ में जिन (A. D. Os.) की जगहों के लिये साक्षात्कार (interview) किया गया था उनके लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और प्रत्येक प्रार्थी की क्या योग्यतायें (qualifications) थीं ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--कुल ६,१२९ प्रार्थना-पत्र आये। प्रार्थियों की योग्यताओं का विवरण† माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

१२--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपयुक्त प्रार्थियों में से किन प्रार्थियों को साक्षात्कार (interview) के लिये बुलाया गया था और किस आधार पर ?

---

*देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ४०९ पर ।

†See Appendix "क" on page 409

**देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ४२३ पर ।

†विवरण के लिये देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ ४२६ पर ।

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--साक्षात्कार के लिये बुलाये गये प्रार्थियों का विवरण* माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

१३---**श्री प्रताप चद्र आजाद**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कितने राजनैतिक पीड़ितों को उपर्युक्त साक्षात्कार (interview) के लिये बुलाया ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--कुल ७६ राजनैतिक पीड़ितों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो १८ सेकेन्ड डिवीजन एम० ए० और २२ सेकेन्ड डिवीजन बी० ए० थे, वे किस आधार पर नहीं बुलाये गये थे और जो २६९ थर्ड डिवीजन बी० ए० थे, उनको किस आधार पर बुलाया गया था ?

**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--जिस आधार पर ये लोग बुलाये गये थे, उस आधार की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है और बतलाया गया है कि ये निम्न-लिखित लोग बुलाये गये थे। इसमें पहले यह तय किया गया था कि पहली श्रेणी के ही लोग बुलाये जायेंगे, लेकिन एक यह अपवाद था कि कुछ द्वितीय और तृतीय श्रेणी के भी लोग बुलाये जायं, इसलिये कुछ द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लोग भी बुलाये गये।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**---मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों को छोड़-कर बाकी जो थर्ड डिवीजन में पास हुये लोगों को बुलाया गया है, वह किस आधार पर बुलाया गया है और साथ में जो सेकेन्ड डिवीजन वालों को बुलाया गया है, वह भी किस आधार पर बुलाया गया है ?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त** (उद्योग, नियोजन, स्वास्थ्य व रसद मन्त्री)--जिन व्यक्तियों ने थर्ड डिवीजन में पास किया है, उनको इसलिये बुलाया गया, क्योंकि उनका रिकार्ड देखने से यह मालूम हुआ कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काफी कार्य किया है और जनता की सेवा करने में काफी हिस्सा लिया है। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने किसी लाईब्रेरी या स्कूल को खोला है और उसके कार्य में काफी सहायता की है, उनको भी प्राथमिकता दी गयी है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो सकेन्ड डिवीजन पास बी० ए० और एम० ए० व्यक्तियों को बुलाया गया है, वह किस आधार पर बुलाया गया है ?

**श्री चन्द्र भानु गुप्त**--जो ताजा बी० ए० और एम० ए० पास थे, उनको नहीं बुलाया गया था और जो पुराने थे यानी जिनकी उम्र ऐसी थी जो सरकारी नौकरी के लिये खत्म हो रही थी, उनको प्राथमिकता दी गयी। जिन व्यक्तियों की उम्र ऐसी थी कि जिनके लिये आगे भी चान्सेज थे, उनको नहीं लिया गया। चूंकि लोगों की संख्या बहुत ही लम्बी चौड़ी थी, इसीलिये इस प्रकार से लोगों को छांटा गया। लेकिन मैं इतना माननीय सदस्य को जरूर बतला देना चाहता हूं कि अधिकांश वही लोग लिये गये हैं जो इस निर्धारित योग्यता के अन्दर आते थे।

## संकल्प कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नगरपालिका के क्षेत्र में कोआपरेटिव हार्उसिग सोसाइटीज की स्थापना कराने की व्यवस्था करे, और उन्हें मकान निर्माण कराने में सब आवश्यक सुविधायें दे

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, म आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:--

*देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ४२६ पर ।

[श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन]

"विधान परिषद् की सम्मति में उत्तर प्रदेशीय सरकार प्रत्येक नगरपालिका के क्षेत्र में कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटीज की स्थापना कराने की व्यवस्था करे, और उन्हें मकान निर्माण कराने में सब आवश्यक सुविधायें दे ताकि उनके द्वारा मकान निर्माण कार्य अगले ५ वर्षों में पूरा किया जा सके।"

भोजन और वस्त्र के बाद मनुष्य को निवास, यानी मकान की आवश्यकता होती है। पिछले साल से भोजन की समस्या अब बहुत कुछ हल हो गयी है। इसके साथ ही साथ वस्त्र भी सुविधा से मिलने लगे हैं। इस प्रस्ताव को आज से एक वर्ष पूर्व विचार के लिये भेजा था, परन्तु कुछ कारणों से अब यह विचार के लिये आया है।

चूंकि उद्देश्य और सिद्धांत के रूप में सरकार ने इसे मान लिया है, इसलिये मेरे लिये इसमें कुछ अधिक कहना बाकी नहीं रह गया है। किस तरह से अंधेरी जगहों में आज भी मकान बनते जा रहे हैं और किस तरह से साधारण लोग ही नहीं, सरकारी अधिकारी भी एक दूसरे के साथ मकान के लिये विकल रहते हैं और जुडिशियल आफिसर भी आपस में इसके लिये लड़ जाते हैं, यह हम जानते हैं। तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये और जनता की सुविधा के लिये यह आवश्यक है कि उनको सरकार की ओर से मकानों की सुविधा मिले और यथासंभव तथा शीघ्र एलाटमेंट की जो यहां बुराइयां हैं, उनको दूर करने में उन्हें सहयोग मिल सके। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इन वर्षों में मकान बनाने के लिये कर्जा देने की योजनायें सरकार ने जारी कीं। हमें यह पता तो नहीं है कि इन योजनाओं से कितने लोगों ने लाभ उठाया है और इस समस्या में कितने लोगों को सुविधायें पहुंचाई गई हैं। हमें तो केवल इतना पता है कि ये योजनायें जारी हुईं और लोगों को इस बात के लिये आवाहन किया गया कि वे कर्जा लें और ज्यादा से ज्यादा वह स्वास्थ्यप्रद मकान बना सकें। जितने क्षेत्रों से हमें ज्ञात हुआ है, तो उससे यही पता चला कि इस योजना से बहुत कम लोगों ने लाभ उठाया। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस मौके पर वह हम लोगों को इस बात से अवगत कराये कि इस प्रदेश में कितने लोगों ने कर्जा लेने की सुविधा से लाभ उठाया और कर्ज के अलावा और उनको क्या क्या सुविधायें दी गईं, जिससे यह पता चल सके कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक निवास-स्थानों की समस्या कम से कम नगरों में कितनी हल हो जायगी।

मुझे कुछ कठिनाइयां लोगों की पता है, वह मैं इस मौके पर सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने जहां तक मुझे पता है यह नियम रखे हैं कि जो सज्जन जितना कर्जा लेंगे, उसका एक बटा छः हिस्सा, रुपये के हिसाब से, पहले उस जमीन में वह स्वयं लगा दें अर्थात् नक्शे के माफिक उसकी नींव तक भर दें। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। मान लीजिये कि एक शख्स मकान बनाना चाहता है अगर वह सारे नक्शे के माफिक नींव का काम शुरू करता है, तो आगे ऐसा संभव हो सकता है कि उसके पास रुपया न हो। यह तो जरूरी है कि एक बटा छः रुपया वह जमीन के लिये लगा दे और तब सरकार उसे कर्जा दे। लेकिन यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि सारी फाउन्डेशन के लिये भी वह रुपया पहले खर्च करे। यह हो सकता है कि वह एक कमरा बना ले और फिर बाकी हिस्से में वह बाद में मकान बना सकता है। इस कैद से, उनको, जो मकान बनाना चाहते हैं, उनके मुक्त करने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये।

दूसरी चीज जो उनके सामने दिक्कत है, वह यह है कि मकान के लिये सरकार कर्जा देती है और उसने उसमें मकान बना तो लिया मगर जमीन व मकान उसकी मार्गेज कर ली गई और जब वह मार्गेज कर लेते हैं, तो दो जमानतें भी उनसे मांगना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यह जरूरी नहीं मालूम होता है। जब उनको मकान के लिये आप कर्जा दे रहे हैं और जब मकान उनके यहां मार्गेज हो रहा है और कोआपरेटिव सोसाइटी भी इसकी जिम्मेदार है, तो जमानतें लेने में इस तरह से उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिये यह दो जमानतें लेने

की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्हें किसी मौके पर सीमेंन्ट और लोहा भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे बनने वाले निवासों के लिये जो सरकार की तरफ से बस्ती या कालोनी की शक्ल में बनती है, उनको सामग्री जुटाने के लिये विशेष सुविधायें देनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि सरकार को इसके साथ ही साथ माडल हाउसेज भी बनाकर देना चाहिये। दो हजार से से छः हजार तक तीन तरह के वह हो सकते हैं। अगर सरकार के कर्ज से मकान बनें भी और उनमें वही बुराइयां रह जायें जो पुराने मकानों में थीं, तो यह मुनासिब न होगा। इसलिये सरकार को एक दो, ढाई हजार के माडल मकान रखना चाहिये और इस बात के लिये कर्ज लेने वाल को वाध्य भी करना चाहिये कि वह माडल हाउस की तरह का ही मकान बनाये। यह भी संभव हो सकता है कि सरकार अपने रुपये से कुछ मकान बनाये और उनको बनाने के बाद जो लेना चाहे, उनको फरोख्त कर दे या किराये पर उठा दे। इससे बड़ी दुखदाई समस्यायें, जो बहुत घने बसे हुये शहरों में अब तक हम लोगों को बरदास्त करनी पड़ रही है, उनसे मुक्त हो जायेंगे। जब सरकार एक नई चीज करने जा रही है तब उसको यह भी देखना चाहिये कि जो मकान बना रहे हैं, उनको बनाने में सुविधा मिले और जिन को मकान बनाने में झन्झट महसूस हो, उनको सरकार स्वयं माडल हाउस बना कर दे ताकि इस समस्या में जो बुराइयां आ सकती हैं, वह दूर हो जायें और जो इष्ट है मकान बनाने का, वह पूरा हो। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया आज से लगभग ढाई वर्ष पहले इस प्रस्ताव को पेश किया गया था और सरकार ने इसको योजना बनाकर जारी भी की, इसलिये मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है सिवाय इसके कि सरकार को इसके लिये धन्यवाद दूं और उसकी तवज्जह इस तरफ मबजूल कराऊं कि यह जो कठिनाइयां और दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी बहुत शीघ्र दूर करें।

*__श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल__ (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपरोक्त संकल्प से शब्द "प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में" निकाल देने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं आशा करता था, अध्यक्ष महोदय, कि प्रस्तावक महोदय संभवतः यह बतायेंगे कि किन कारणों से उन्होंने यह उचित समझा कि उनके प्रस्ताव का क्षेत्र केवल नगरपालिका ही रहे।

__श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन__---माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान में इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ऐसा कोई संशोधन तो मेरे सामने आया नहीं, जैसा कि आप पेश कर रहे हैं।

__श्री चेयरमैन__---यह एजेन्डा में छपा हुआ है।

__श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल__---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और इस आशा से मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता रहा कि कोई ऐसी बात सामने आवे कि विशेषकर नगर-पालिकाओं के क्षेत्र के लिये ही इस प्रस्ताव को क्यों सीमित किया गया है? मैंने जिन कारणों से यह संशोधन प्रस्तुत किया है, यह वही हैं जो प्रस्तावक महोदय ने नगरपालिकाओं के क्षेत्र के लिये दिये हैं। नगरपालिकाओं का क्षेत्र इस प्रस्ताव से सीमित कर देने से, जो इस समय कार्य नगरपालिकाओं में हो रहा है, उसको ही प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार का कार्य लगभग बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस तरफ उसकी बुनियाद पड़ने का भी कोई सहारा नहीं है। नगरपालिकाओं के क्षेत्र पर बहुत विचार करने पर भी कोई ऐसी दलील मुझे नहीं मिली कि इस प्रस्ताव का क्षेत्र केवल नगरपालिकायें ही क्यों रहें और गांव क्यों न रहें, बल्कि इसके विपरीत विचार करने पर यह भलीभांति सिद्ध होता है कि गांव का क्षेत्र इसके लिये विशेष मांग करता है। वहां जितनी सरकारी समितियां मकान बनाने के लिये बनाई जायं, उतनी ही थोड़ी हैं। नगरपालिकाओं में तो कुछ ऐसी सरकारी

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

समितियां बन भी रही हैं, परन्तु गांव के क्षेत्रमें इनका नितान्त अभाव है। कोई परिस्थिति ऐसी असंभव भी नहीं है कि सरकारी समितियां गांवों में जो और कामों के लिये बन सकती हैं, वह मकान बनाने के लिये नहीं बन सकती हैं। इसलिये न तो वह परिस्थिति है कि इस प्रस्ताव का क्षेत्र गांव तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, न ऐसी ही बात है कि गांव में इस प्रस्ताव के अन्दर समितियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इस प्रस्ताव के अनुसार जो प्रोत्साहन नगरपालिकाओं के क्षेत्र के लिये मांगा गया है, उस क्षेत्र को गांवों तक बढ़ाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि गांवों में दृष्टि डाली जाय, तो जब दूसरे क्षेत्रों की कार्य समितियां वहां बनी हैं, जैसे ईंटों के लिये भट्ठों की समिति व दूध उत्पादन और वितरण के लिये सरकारी समितियां बनी हैं। उसी तरह से यदि मकानों के बनाने का शौक पैदा किया जाय और कार्यसमितियों द्वारा किया जाय, तो वहां की जो एक बहुत भारी कमी है, वह पूरी हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातों के विचार करने पर यह देखने में स्पष्टतयः आता है कि जो आजकल वहां के नौजवान दूसरे शहरों में पढ़ने के लिये जाते हैं, और वहां कालिज और यूनिवर्सिटियों के विशाल होस्टलों में रह कर जब वह गांवों को लौटते हैं, तो फिर उनको वहां रहने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है, और यह अभाव केवल उन्हीं को नहीं लगता है बल्कि और दूसरे क्षेत्रों में भी प्रतीत होता है। आज यह एक बड़ी समस्या हो गई है कि जहां जहां गांवों में हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बन गये हैं, वहां उनके लिये अच्छे टीचर्स इसलिये नहीं मिलते हैं कि गांवों में रहने के लिये अच्छे मकान नहीं मिलते हैं। मेरे पास ऐसी १०० मिसालें हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि वहां से टीचर्स इसलिये छोड़कर चले आये हैं क्योंकि वहां रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिये वहां ऐसे मकानों के बनने की आवश्यकता है, जिनमें वह लोग जाकर भली प्रकार से रह सकें, जिन्होंने शहरों में रहने की ट्रेनिंग पाई है।

इसके अतिरिक्त लड़कियों की शिक्षा की जो बड़ी समस्या है, वह केवल इसलिये है कि गांवों में पढ़ी-लिखी देवियां नहीं हैं जो कि शिक्षा का काम कर सकें। और जो नगरों से ट्रेन्ड अध्यापिकायें देहातों में जाती हैं, उनके लिये वहां रहने की समस्या पैदा होती है। इसलिये लड़कियों की शिक्षा में विशेष बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये क्षेत्र नगर में ही न रखकर गांवों में भी बढ़ा दिया जाये। यह काम पूरा होने पर मेरा ख्याल है कि जिस उन्नति के लिये सरकार और जनता लगी हुई है कि गांवों की सभ्यता उन्नति करे, लोग वहां से कुछ सीखें, वह पूरी हो जायेगी। हमें अगर गांवों में मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा, उससे गांवों की उन्नति होगी। मैं समझता हूं कि जो कारण मैंने दिये हैं वह प्रस्तावक महोदय को भी अच्छे लगे होंगे और वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

**श्री कुंवर महावीर सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव की मंशा का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि चाहे इस सदन में हो या बाहर हो कोई भी दो रायें नहीं हो सकती हैं कि हमारे देश में घरों की बेहद कमी है। अच्छे साफ सुथरे सुडौल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले घरों को, जिन्हें हर हालत में घर कह सकें, बहुत ही अधिक कमी है। घर का सम्बन्ध केवल फिजिकल इन्वायरमेंट से ही नहीं है, उसका घनिष्ठतम सम्बन्ध सोशल इन्वायरमेंट से भी है। उसका घर की चाहारदीवारियों और फर्नीचर से ताल्लुक ही नहीं बल्कि उसका सम्बन्ध मेंटल और सोशल इन्वायरमेंट से भी है जिसमें कि आदमी रहता है। घर अगर सचमुच देखा जाये तो एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति का श्रीगणेश होता है और उसका निर्माण होता है। यहीं बाल्यकाल से अपने अन्दर वह अमिट छाप पा लेता है जो जीवन पर्यन्त उसे बनाती या बिगाड़ती है। यहीं से आगे चलकर वह इस संसार में अपना पार्ट प्ले करता है। यदि घर सचमुच अच्छा घर बना दिया जाये तो मेरा विश्वास है कि मनुष्य का वह ढांचा बन सकता है कि वह एक आदर्श व्यक्ति बन कर संसार को सुखी और समृद्धिशाली बना सकता है। इसलिये जहां घर का प्रश्न

आता है वहां हमको घर के माने केवल चहारदीवारियों से बने हुये ढांचे को ही नहीं समझना चाहिये। बल्कि उसको व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वह मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो मनुष्य के विकास के लिये आवश्यक हैं। एक राइटर ने बड़े सुन्दर शब्दों में घर की डेफिनीशन इस प्रकार दी है:—

A dwelling house includes buildings, Surroundings, their settings as a whole.

इस दृष्टिकोण से हम को थोड़ा सा इस प्रस्ताव को देखना होगा। मकानों की कमी है और इस तरह के मकानों की तो जैसा मैंने अर्ज किया है, बेहद कमी है। यू० एन० ओ० की एक कमेटी की रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि संसार में १०० लाख और २०० लाख मकानों की हर साल कमी पड़ती है जबकि केवल ४० लाख मकानों का निर्माण हर वर्ष होता है। भारत में तो १०० मनुष्यों के पीछे २० मनुष्यों के पास मकान हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े दिये हैं हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि वह कहां तक सही हैं, फिर भी यहां पर १०० व्यक्तियों के पीछे २५ व्यक्तियों के पास मकान नहीं है। घरों की कमी के कारण, जो बढ़ती हुई आबादी है, वह भी है। हमारी आबादी इतनी अधिक बढ़ गई है और उसके साथ घरों का निर्माण उतना नहीं हो पा रहा है कि जिस तादाद में जन-संख्या बढ़ रही है। यही नहीं सन् १९३९ से लेकर सन् १९४५ तक में, जब महायुद्ध हुआ, तो उसमें हर तरह के सामानों की मांग में वृद्धि हुई। नयी नयी इन्डस्ट्रीज, नये नये उद्योग धंधे शहरों में खुले। इस कारण देहात की आबादी शहरों में चली आई। शहरों में घरों की तादाद उतनी नहीं बढ़ सकी जितनी आवश्यकता थी। फिर आप देखें कि हम अपने जीवन की शैली को भी बदल रहे हैं जिसकी पहले कोई आशा नहीं थी। हम ज्वाइन्ट फेमिली सिस्टम से इन्डिविजुअल फेमिली सिस्टम पर आ रहे हैं। हमारे स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है वैसे वैसे उसका असर सोशल इन्वायरमेंट पर भी पड़ रहा है और हमारे रहने का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा है। हमारे रहन-सहन की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो गये हैं। इसी तरह हमारे घर की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया है। जो उल्टे सीधे बेडौल योजना रहित घर पहले हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे, आज वह हमारे लिये बकार हैं। ऐसे ही हमारे देश में घरों की बेहद कमी है और यदि हम आज के बदले जमाने को मद्देनजर रखें तो उनकी बेहद कमी है। जिसे असली घर सच्चे माने में कहा जा सके, ऐसे तो घर सौ में बीस भी नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से तो यह मसला बड़ी ही गम्भीरता रखता है।

अब प्रश्न यह है कि घर की कमी कैसे दूर हो। खाने और कपड़े के बाद घर का ही प्रश्न सबसे अहम और गम्भीर है। आज के जमाने में सभी की निगाह हर तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार पर जाती है। परन्तु सरकार के पास इतना धन कहां और साधन कहां कि सरकार इतना बड़ा काम खुद करे। सरकार को वह तरीके अख्तियार करने चाहिये कि जो लेटेस्ट तरीके विदेशों में वहां की सरकारों द्वारा सफलता पूर्वक इस्तेमाल किये गये हैं। विदेशों में हम से भी जटिल उनकी घरों की समस्या थी। उन्होंने बहुत कुछ उन को हल किया है। हमें उनसे सबक लेना चाहिये। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बन्धनों और पा-बन्दियों के साथ प्रोत्साहन दिया है। हाउसिंग कन्ट्रोल की हमारी जो स्कीम रही है, उससे लोगों ने अपने घर बनाना बन्द कर दिया। वजह यह है कि जमींदारी खात्मा के बाद से लोगों को कुछ ऐसा ख्याल हुआ कि कहीं हम लोग भी इसी तरह किसी कानून के जरिये न खत्म कर दिये जायं। जो लोग घरों का निर्माण कर सकते थे, जो अपना फायदा उठा कर दूसरों को फायदा और आराम पहुंचा सकते थे, वह इस डर से कि कहीं सरकार इन घरों को भी न ले ले, चुप हो गये। इस तरह प्राइवेट सेक्टर द्वारा घरों के बनवाने की नीति असफल रही

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

और इस ओर प्रगति नहीं के बराबर रही। इसलिये सरकार को इस बारे में अपनी पालिसी बतानी पड़ेगी। सरकार को इस मकान की दिक्कत को दूर करने के लिये हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा। जेकोस्लाविया और स्वीडन में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बहुत बड़ी तादाद में घरों का निर्माण किया है। स्वीडन में ऐसे घर बनाये गये हैं जिनको देखकर आप दंग रह जायेंगे। वहां फी व्यक्ति पर १२० से लेकर १५० वर्ग फीट तक स्थान पड़ता है और बच्चों के लिये ६० वर्ग फीट का स्थान फी बच्चे के हिसाब से पड़ता है। उन्होंने केवल रहने के लिये ही घर नहीं बनाये बल्कि उन सब सामानों को मुहैया किया है जो वहां के रहने वालों की हर आवश्यकता, हर जरूरत की चीज पूरी करती है। हम भी अपने मसलों को कोआपरेटिव सोसाइटी से ही हल कर सकते हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें।

बड़े-बड़े लोग तो ऐसे भी घर बनवा सकते हैं और बनवा भी लेते हैं। मजदूरों के लिये शुक्रिया है सरकार को, अब मिल मालिको को घर बनवाना पड़ रहा है। भविष्य में तो यह लाजिमी हो जायेगा कि जो मजदूर लगाय उसे मजदूरों को सुन्दर स्थान रहने के लिये देना ही पड़ेगा। विदेशों में तो मिल चलाने के लिये लाइसेंस मिलने के पूर्व मिल संचालकों को सरकार को यह दिखाना पड़ता है कि उन्होंने मजदूरों के रहने का समुचित प्रबन्ध कर दिया है। हमारे देश में भी मुझे विश्वास है कि सरकार भविष्य में ऐसा ही करेगी। सरकार खुद भी मजदूरों के लिये अपने पैसे से घर बनवा रही है। सबसे बड़ा मसला तो बेचारे मिडिल क्लास के लोगों का है। सरकार उनका बोझ उठा नहीं सकती तो फिर वह कैसे घर पावें? कहां से घर बनावें, कहां से धन मिले? उनके लिये तो कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ही यह मसला हल करने को रह जाता है। विदेशों में तो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज ने चमत्कार करके दिखाया है। इधर २०,२५ वर्षों में उन्होंने जो असीम प्रगति की है वह काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। मिडिल क्लास के लिये तो वह बून और बरदान साबित हुई है।

इस देश में कोआपरेटिव सोसाइटीज का जन्म सरकारी कन्ट्रोल के साथ हुआ। वह कन्ट्रोल के समय में चमकी और फिर उसी के साथ अपनी अन्तिम सांसें गिनने लगी। इसलिये सहयोगी समितियों को ठीक तौर से चलाना बड़ा ही आवश्यक है। जनता उन पर इमान लाये, उन पर श्रद्धा करे, उनसे लाभ उठाये, इसलिये उनके संचालन में बहुत ही सतर्कता व्यवहार में लानी पड़ेगी। उनका संचालन सुन्दर और स्वस्थ बनाना पड़ेगा।

यहां मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट हाउसिंग के लिये अलग कर दिया है और उसमें रिसर्च आदि करके प्रगति की है। मेरी प्रार्थना सरकार से आपके द्वारा यह है कि हमारे प्रान्त में भी इस बात की आवश्यकता है कि एक डिपार्टमेंट कायम हो जिसका काम सिर्फ हाउसिंग का ही हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फूड और क्लाथ के बाद हाउसिंग की आवश्यकता आ जाती है। यह तभी हो सकता है जब एक मन्त्री इसके लिये अलग नियुक्त हो। इसकी महत्ता को कम न किया जाय इसको प्लानिंग या स्वायत्त शासन के साथ जोड़ कर न रखा जाय। श्रीमन्, आप देखें कि हमारे कौंसिलर्स रेजीडेन्स बने हुये हैं, उनमें गर्मियों में कितना कष्ट होता है और वह गर्मियों में बेकार हो जाते हैं और वह यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते ह। आवश्यकता इस बात की है और हम उस चीज को मद्देनजर रखें कि हमारे मकान चीप रहें, कम लागत के हों, सुन्दर हों और हमारी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। यह तभी हो सकता है जब हम एक डिपार्डमेंट को इसके लिये जिम्मेदार कर दें। आज प्लानिंग डिपार्टमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन उन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे विचार से प्रान्त के घरों के मसले को हल करने के लिये एक अलग विभाग की आवश्यकता है। कोआपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण होना चाहिये। सरकार से वह सिर्फ रुपये ही

न पायें चीप रेट्स में, बल्कि उसको सबसीडी प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिये। मकान बनाने की स्कीम व प्लान सरकार के हाथ में होना चाहिये। जो लोअर रैंक के लोग हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार उनको घर बना कर दे। घर बनाने के लिये सरकार ने रुपया दिया है, लेकिन वह भी कम है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पर मकान का इन्तजाम करे और सोसाइटीज को मदद दे और उनको मकान बनाने का सामान भी दे, जिससे वह मकान निर्माण कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं यह फिर दोहराता हूं कि हकीम साहब की जो मंशा थी कि उस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित हो, वह पूरी हो गयी। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि सरकार इस पर गौर कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें लें।

***श्रीमती तारा अग्रवाल** (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय हकीम जी द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका स्वागत करने के लिये खड़ी हुई हूं। यह प्रस्ताव मकानों की आवश्यकता को बताते हुये पेश किया गया है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में ३ ही मुख्य आवश्यकतायें होती हैं। प्रथम आवश्यकता अन्न की, द्वितीय वस्त्र की और तृतीय गृह की। हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना में सरकार द्वारा एक कोटा गृह निर्माण के लिये निर्धारित करके रखा गया है, और गृह निर्माण के ऊपर केन्द्रीय सरकार से लेकर प्रादेशिक सरकारों ने इस बात की कोशिश की कि जितना कोटा इसके लिये निर्धारित किया जाय, उसका ठीक ठीक समय के अन्दर उपयोग किया जाय। अभी हाल में नन्दा साहब का जो दिल्ली में भाषण हुआ था, उससे मालूम हुआ कि जितनी गृह निर्माण योजनाओं को सफलता मिलनी चाहिये, उतनी नहीं मिली है। यह मैं नहीं कहती हूं कि सरकार की मन्शा अच्छी नहीं है। मैं समझती हूं कि सरकार की मन्शा बहुत ही अच्छी है। लेकिन व्यवस्था न होने के कारण यह योजना पूर्ण न हो सकी। मकान बनाने में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि उसका समाधान उसी रूप से किया जाता, तो हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना में वह मकान अवश्य बन जाते। आज भी जिस प्रकार से प्रस्ताव सदन के सामने आया है, वह यह बताता है कि यह व्यावहारिक रूप से कितना आवश्यक है कि सरकार एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जगह-जगह निर्माण करे, जिसके द्वारा वह गृह की आवश्यकताओं को पूरा करा सके। यह हाउसिंग सोसाइटीज बन जाने से मैं समझती हूं साधारण व्यक्तियों को, मध्यम श्रेणी के लोगों को, जिनको गृह बनाने की आवश्यकता है, काफी सुविधा मिलेगी।

आज गृह बनाने में मुख्य कठिनाइयां क्या २ आती हैं, उनमें से कुछ मैं प्रस्तुत कर देना चाहती हूं। गृह निर्माण के लिये आज सरकार द्वारा जो कर्ज दिया गया है, उस कर्ज के लेने और अदायगी में इतनी कठिनाइयां पड़ती हैं कि वहां पर उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। अगर पहुंच हो भी पाती है, तो उन कठिनाइयों का वह निराकरण नहीं कर पाते हैं। कारण यह कि जो कर्जा उनको दिया जाता है और जिन शर्तों द्वारा दिया जाता है, उन शर्तों के द्वारा उस कर्ज को अदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जमीन उनको मकान बनाने के लिये मिलती है, उन जमीनों की कीमत इतनी अधिक रखी जाती है कि कर्ज का अधिक भाग जमीन ही म खर्च हो जाता है। अगर हाउसिंग सोसाइटीज सरकार द्वारा निर्माण हो जायें, तो वह राजस्टर्ड बाडी होंगी और वही उसकी आवश्यकता को पूरी करने की एक मात्र साधन होगी। इस प्रकार से जितनी कठिनाई कर्जा लेने में होगी, उसका भी हल वह सरकार द्वारा करा सकेगी। दूसरी बात जो जमीन मकान बनाने को दी जाती है, वह जमीन इस प्रकार से पूर्ण विकसित करके नहीं दी जाती है, जो मकान बनाने की आवश्यकता होती है। कहा यह जाता है कि यह प्लाट तुमको दिया जाता है और उसमें बहुत शीघ्र बिजली, पानी आदि का निर्माण हो जायेगा और तब तुम्हें मकान बनाने में पूरी सुविधा हो जायेगी। लेकिन वर्षों

* सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[ श्रीमती तारा अग्रवाल ]

तक प्लाट लेकर मकान बनाने वाला प्रतीक्षा करता है। उसका परिणाम यह होता है कि जो समय कर्ज अदा करने का होता है, उस समय तक मकान वह बना नहीं पाता है। अगर हाउसिंग सोसाइटीज हो जाये और उसके द्वारा पूर्ण रूप से विकसित करके प्लाट गृह बनाने वालों को दे दिया जाय, तो गृह बनाने में उनको बड़ी आसानी होगी।

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज जगह-जगह पर हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, बहुत से लोग आपस में एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम से संस्था बना लेते हैं। अगर उन सोसाइटियों की जांच की जाय, तो बहुत सी बोगस पाई जायेंगी और बहुत सी जो काम करती हैं, उनको भी वही कठिनाइयां हैं, जो मकान बनाने वालों को होती हैं। वह भी उन कठिनाइयों को हल नहीं कर पाती हैं। इस तरीके से एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी अगर हर नगर में बन जायेगी, तो अवश्य मकान बनाने वालों को वह सुविधाय हो जायेंगी।

तीसरी बात यह है कि जो लोन सरकार देती है, उस लोन का दायरा एक सीमित सा होता है। जो ३०० रुपये की आय वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को कर्जा दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि यह प्रतिबन्ध भी आज की मौजूदा परिस्थिति में कारगर नहीं हो रहा है। सच पूछिये तो हमें मकान बनाने के लिये और भी सुविधायें देनी चाहिये। अगर ज्यादा मकान बन जायं, तो तर्क शास्त्र के नाते भी इस बात का प्रमाण मिल जायेगा कि अगर चीज अधिक हो जायगी, तो किराया कम हो जायेगा। आज मकान कम होने की वजह से किराया ज्यादा है। इस तरीके से सोसाइटीज बना देने से ज्यादा मकान बनेंगे और उनको सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही साथ गृह निर्माण करने वालों को भी अपने आवश्यकतानुसार रुपया मिलता रहेगा। क्योंकि आज सोसाइटीज को बैंकों द्वारा रुपया उधार मिल सकता है और सोसाइटी इस तरह से बैंक से रुपया लेकर उन व्यक्तियों को दे सकती है। हर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को कोई भी बैंक रुपया दे सकता है, लेकिन नान रजिस्टर्ड को रुपया देना खतरनाक समझता है। मैंने कानपुर में देखा कि वहां पर वास्तव में मकान बनाने में बहुत लूटमार होती है। कहीं पर ठेकेदार लेता है, कहीं पर इन्जीनियर लेता है और कहीं पर ओवरसियर आ कर तंग करता है। नतीजा यह होता है कि वह आदमी एक प्लाट लेकर मुसीबत में पड़ जाता है। अगर उसको अपने मकान का नकशा पास कराना होता है, तो काफी मुसीबत उठानी पड़ती है ? और जब तक कुछ दे नहीं देता, तब तक जल्दी से पास ही नहीं करते हैं। अगर उसने कुछ नहीं दिया तो महीनों तक उसका नक्शा पास नहीं करग। म अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय का ध्यान इन चीजों की ओर दिलाना चाहती हूं। अगर हाउसिंग सोसाइटी नक्शे बना दें, जैसे कि हमें अपने प्रदेश म मकान बनाने चाहिये और वे इस तरह स देखने में भी लगें जैसे कि एक रो में चले जांय, तो फिर किसी से नक्शे पास कराने की जरुरत ही न पड़े। जो सोसाइटी ने नक्शे बना दिये हों उन्हीं के अनुसार गृह निर्माण करने वाले अपने मकान बनायें।

चौथी बात सामग्री की आती है। आज सब से बड़ी कठिनाई सामग्री लेने में होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को तो अनुभव होता नहीं है कि किसी मकान को बनाने के लिये कितनी और क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर वह व्यक्ति बालू लेने जाता है तो उसको बतला दिया जाता है कि यह २०० फीट बालू की ढेर है, भले ही उसमें १०० फीट बालू हो। यदि सामग्री दिलाने की भी सुविधा हो जाय तो अच्छा है। यह इस तरीके से हो सकता है कि सोसाइटी दुकानदारों से पहले सामान ले ले और उसके बाद मकान बनाने वालों को दे। इससे मकान बनाने वालों को काफी सुविधा हो जायेगी। इस तरह से बहुत शीघ्र ही हमारी योजना के अन्दर जितने काफी मकान बनने चाहिये वे पूरे हो जायेंगे।

**श्री चेयरमैन**--आप बहुत तफसील में जा रही हैं।

**श्रीमती तारा अग्रवाल**--एक बात यह है कि आज जो व्यक्ति मकान बनाता है, वह मकान बना कर एक सबसे बड़ी कठिनाई में पड़ता है। इसके साथ ही साथ एक बात में यह भी

कहना चाहती हूं कि इन्कम टैक्स वाले भी बहुत धांधली करते हैं। अगर कोई मकान २५ हजार रुपये में तैयार होता है, तो इन्कम टैक्स वाले उसकी कीमत ५० हजार रुपया आंकते हैं और इस तरह से लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मकान हाउसिंग सोसाइटी के जरिये से तैयार होगा उसकी कीमत को आंकने में कोई झगड़ा भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं और वह यह है कि मकान बनाने में महिलाओं की सलाह का लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मकान बनाने में जितनी अच्छी सलाह महिलायें दे सकती हैं, उतनी अच्छी सलाह पुरुष भाई नहीं दे सकते हैं। महिला चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन वह अच्छी सलाह दे सकती है। मैं कानपुर में मजदूरों के मकान को देखने के लिये गयी, तो क्या देखती हूं कि रसोई घर में एक भी आलमारी नहीं है, जिसमें मसालदान या और कोई वस्तु रखी जा सके। इसी प्रकार से कमरे के अन्दर कोई ताक वगैरा भी नहीं हैं, जिन पर तेल, कंघा या और कोई आवश्यक वस्तु रखी जा सके, जिनको बच्चे न खराब कर सकें। तो इस प्रकार की छोटी-छोटी भूलें रह जाती हैं, जिनसे बाद को काफी परेशानी होती है। अगर इस मामले में महिलाओं से सलाह ली जायगी, तो फिर इस प्रकार की छोटी-छोटी गलतियां नहीं होने पायेंगी।

मकान के निर्माण में इन्जीनियर, ओवरसियर और दूसरे अच्छे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, इन्हीं लोगों की सलाह से अच्छे मकान भी बन सकते हैं। मैं तो समझती हूं कि सोसाइटी के निर्माण से काफी फायदा हो सकता है और जनता को भी काफी लाभ पहुंच सकता है। अभी मैं हाल में देहली गयी तो वहां पर देखा कि कानपुर के मकानों से वहां के मकान काफी अच्छे हैं और एक नये ढंग से बनाये गये हैं। कानपुर में आप देखें तो आप को मालूम होगा कि जो जमीन मकान बनाने के लिये ली जाती है, वह काफी महंगी पड़ती है और मध्यम वर्ग के कर्मचारी उसको खरीद नहीं सकते हैं। सरकार ने कानपुर में मजदूरों के लिये तो जरूर कुछ मकान बनवा दिये हैं, लेकिन कहार, रिक्शा वाले और तांगे वालों के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि उस को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। जिस प्रकार से मजदूरों और हरिजनों के लिये एक स्कीम है, उसी प्रकार से मिडिल क्लास के लोगों के लिये भी एक स्कीम होनी चाहिये, ताकि उनको मकान बनवाने में अधिक सुविधा मिल सके। मैं समझती हूं कि अगर इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण हो जायगा, तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना का जो कोटा है, वह भी काफी पूरा हो जायेगा और जनता की मकान की आवश्यकता भी काफी पूरी हो जायेगी।

**श्री कुंवर गुरु नारायण** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री हकीम ब्रज लाल जी ने सदन के सामने पेश किया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक इस प्रस्ताव के उद्देश्य का सम्बन्ध है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हम सब लोग यह जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश में मकानों की कमी है और विशेषकर नगरपालिकाओं में अधिक कमी है। गालिबन जो नगर-पालिका का शब्द श्री हकीम ब्रज लाल साहब ने रखा है, उसका उद्देश्य यह है कि आज जो भी इस तरह का काम हो, वह म्युनिसिपैलिटी में हो, क्योंकि देहातों में इतनी कमी महसूस नहीं होती। इस मौके पर मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कुछ ही महीने हुये, जब एक हाउसिंग कारपोरेशन बनाने के सम्बन्ध में, एक विधेयक इस सदन में आया था। माननीय मन्त्री जी ने, उस विधेयक पर जब विचार हो रहा था, आश्वासन दिया था कि हम एक गवर्नमेंट की ओर से कमेटी नियुक्त करेंगे और वह कमेटी उन तमाम समस्याओं पर, जो कि मकानों की है, विचार करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की और मैं यह भी जानता हूं कि उस कमेटी ने काफी समय अपना लगा करके, इस बात की सिफारिश की है कि गवर्नमेंट को एक हाउसिंग बोर्ड बनाना चाहिये और एक हाउसिंग फाइनेन्शियल कारपोरेशन बनाया जाये। यह भी सिफारिश की गई है कि मकानों के निर्माण के लिये एक हाउसिंग मिनिस्ट्री भी होनी चाहिये और इसका विभाग अलग होना

[ श्री कुंवर गुरु नारायण ]

चाहिये। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, शायद गवर्नमेंट ने एक विभाग हाउसिंग का किसी मन्त्री महोदय के सुपुर्द अलग कर दिया है। मैं नहीं कह सकता कि कहां तक यह बात ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सुन रखा है। बहरहाल, जहां तक मकानों के निर्माण का ताल्लुक है, मैं यह कहता हूं कि हमें केवल कोआपरेटिव सोसाइटियां ही इसके सम्बन्ध में नहीं बनानी हैं, बल्कि हमें और भी कई रास्ते अपनाने हैं, जिनके जरिये से हमें मकानों का निर्माण करना है। जो हाउसिंग कमेटी बनी थी, उसने अपनी सिफारिशों में, इस बात की भी एक सिफारिश की कि स्थानीय संस्थायें भी मकान बनाती रहें और निजी व्यक्तियों को भी मकान बनाने में हमें पूरी मदद देनी चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये भी हम मकान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिये हमें इन बातों को भी देखने की आवश्यकता है कि कहां कितने मकानों की आवश्यकता है और किस किस किस्म के मकानों की आवश्यकता है, दो कमरे के हों, एक कमरे का हो या ४ कमरे के हों। कमेटी ने इन तमाम बातों पर विचार किया है और विचार करके उसने अपनी डेफनिट सिफारिशें गवर्नमेंट के पास भेजी हैं। हम तो यह चाहते हैं कि यह जो समस्या है, इसका हल केवल कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से ही नहीं होना चाहिये, बल्कि हमें उन और तमाम जरियों को भी जुटाना चाहिये, जिनके जरिये से हम आसानी के साथ मकानों का निर्माण कर सकते हैं। और हमें इन्हीं सब बातों पर विचार करके ही मकानों का निर्माण करना चाहिये। हमारी यह ख्वाहिश है कि जो सिफारिश है और जो हमारे यहां हायर परचेज सिस्टम पर मकान बनाने की बात है, तो उसके लिये यह है कि गवर्नमेंट मकान बनाये और उसमें लोगों को वे मकान किराये पर दे। किराये की बात इस तरह से मुकर्रर की जाय कि कुछ वर्षों के बाद वह मकान उस आदमी का ही हो जाये, जो उसमें १५, २० वर्ष से रह रहा हो, या इसके लिये गवर्नमेंट जो भी समय तय करेगी कि इतने वर्षों के बाद मकान उसका हो जायेगा।

जहां तक मकानों की कमी का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं कि आज लोगों को बड़ी दुश्वारी है। यह अवसर मैंने खासतौर से इसलिये लिया है कि गवर्नमेंट से आग्रह करूं कि जो सिफारिशें गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी ने की है, उनको कार्यान्वित करने के लिये गवर्नमेंट जल्द से जल्द कदम उठाये। अगर कमेटी की सिफारिशें कार्यान्वित करने में देरी हुई, तो फिर नुकसान होगा। जहां तक इस तमाम हाउसिंग प्राबलम् का सम्बन्ध है, इसको गवर्नमेंट की उस कमेटी ने जिसके स्वयं माननीय हाफिज जी चेयरमेन थे, छानबीन करके और हाउसेज का सर्वे कर लेने के बाद रेकमेन्डेशन्स की हैं, तो अब मैं गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त जरूर करना चाहता हूं कि हमारी वह सिफारिशें अगर बहुत समय तक पड़ी रहीं, तो इससे प्रदेश की जनता को लाभ न हो सकेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि उन सिफारिशों को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय। फाइनेन्शियल हाउसिंग कारपोरेशन की बुनियाद डाली जाय और जो हाउसिंग बाडी बनाई गई है, सारे प्रदेश के ऊपर मकानों की देख रेख करने के लिये, उसका फौरन निर्माण किया जाय। यह हमारी इस समय गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। मैं समझता हूं कि अगर हमारी यह सिफारिश गवर्नमेंट मानती है और उस पर अमल करना शुरू करती है, तो इन तमाम प्रस्तावों का आना रुक जायगा और हमारा सारा लक्ष्य पूरा हो जायगा और जो कमी मकानों की हो रही है और आगे आने वाले दस वर्षों के लिये हमने जो असेस कर लिया है, वह पूरा हो जायेगा। मैं आशा करता हूं गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द पूरा करेगी।

**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द आप की अनुमति से कहना चाहता हूं। यह प्रस्ताव एक बहुत ही आवश्यक समस्या के सम्बन्ध में है, जिसको स्वयं गवर्नमेंट ने भी अनुभव किया है और जैसा कि भाई गुरु नारायण जी ने कहा, इसके सम्बन्ध में एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसने बहुत समय तक काम करके अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। उस हाउसिंग कमेटी ने एक स्टेटमेंट ऐसा तैयार कराया था

जिससे यह पता चले कि जिले के हेडक्वार्टर पर कितने मकानों की कमी है और उसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती है। उस स्टेटमेंट से यह पता चला कि बड़े बड़े शहरों में लाखों मकानों की आवश्यकता है, जिनके बनाने से जो इस वक्त वहां की जन संख्या है, उसको रहने की सुविधा हो सकती है। उसको सामने रख कर कमेटी ने यह निश्चय किया कि एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाय और उस हाउसिंग बोर्ड में इसी तरह का प्रस्ताव किया गया,। गवर्नमेंट से यह कहा गया कि वह बोर्ड ऐसा हो कि जितने भी भिन्न-भिन्न विभाग हैं, जिनका इस समस्या से सम्बन्ध है, वह सब मिलकर साथ काम कर सकें ताकि काम जल्दी से हो और उसमें कोई कठिनाई न आये। इसी बीच में गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक स्कीम आई जो लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में थी। उस स्कीम के अन्तरगत करीब चार करोड़ रुपया हमारी स्टेट को भी लोन मिला। उन चार करोड़ रुपये में से तीन करोड़ रुपये के करीब कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया गया कि वह मिडिल क्लास इन्कम के आदमियों को मकान बनाने के लिये लोन दे। उस वक्त इतनी जल्दी थी कि समझा जाता था कि पिछली मई तक यह रुपया लोन में दे दिया जायगा जिससे मकानों की समस्या बहुत हद तक शीघ्र दूर हो जायेगी। परन्तु नहीं मालूम कि अब तक भी जो तीन करोड़ रुपया हाउसिंग सोसाइटीज और इन्डिविजुवल को लोन में देने को था, उसका क्या हुआ, कितना रुपया लोन में दिया गया? वह स्कीम ३१ मार्च, सन् ५६ तक खत्म होने को है और मैं समझता हूं कि शायद गवर्नमेंट के कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने उस रुपये का अच्छी तरह से सदुपयोग कर लिया होगा। जहां तक उस रिपोर्ट का सम्बन्ध है उसमें अनेक सिफारिशें गवर्नमेन्ट से की गई हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला कि उस रिपोर्ट पर क्या कारवाई की गई और उसकी सिफारिशों को कहां तक गवर्नमेंट मानने को तैयार है?

एक बात जरूर है। उस रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई थी और शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी यह तय किया था कि हर स्टेट में एक हाउसिंग का डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर से सम्बन्धित होना चाहिये। चुनान्चे हमारे यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर को हाउसिंग का भी मिनिस्टर बनाया गया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जहां तक शहरों का ताल्लुक है, वहां मकानों की इतनी कमी है कि अगर जल्द से जल्द उस कमी को पूरा करने की कोशिश न की गई, तो बड़ी कठिनाई होने की संभावना है। शहरों में जहां अनेक प्रकार के अच्छे-अच्छे मकान बने हुये हैं वहां एक ऐसी आरटीजन क्लास है, कुछ ऐसे काटेज वर्कर्स हैं, जिनके लिये रहने का कोई प्रबध ठीक नहीं है। उनके लिये भी यह जरूरी है कि नगरपालिकायें अपने यहां इस तरह के मकान बनाने की चेष्टा करें जिनमें वह रह सकें। अगर नगरपालिकायें ऐसे मकानों को न बनायें तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जायं जिनके जरिये से आरटीजन क्लास के लिये मकानात और वर्कशाप आसानी से बन सकें।

हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाने जा रहे हैं और हर ऐसी स्टेट पर ५.३ लाख रुपया खर्च होना है। परन्तु यह योजना तो केवल दो शहरों तक सीमित है। अतः यह कठिनाई जो इन छोटे-छोटे वर्कर्स को अनेक नगरों में हो रही है, इसके दूर करने के लिये दूसरे साधनों का प्रयुक्त करना आवश्यक होगा, परन्तु यह जरूरी है कि उनके लिये जितनी जल्दी हो सके वह सुविधायें दी जायं जिससे वह आसानी के साथ रह सकें। उनको वह सुविधायें जरूर मिलनी चाहिये, जो एक नागरिक के लिये बहुत जरूरी हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनके लिये बड़े-बड़े मकान हों, लेकिन इतना तो मैं जरूर चाहता हूं कि वन रूम वाले मकान कम से कम उनके लिये हों। अगर हाउसिंग सोसाइटीज के जरिये से या नगरपालिका द्वारा यह कार्य समुचित रूप से होना संभव न हो, तो सरकार स्वयं इस प्रश्न पर विचार करे कि यह मकान किस तरह से शीघ्र बनाये जा सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि गरीब व्यवसायिकों की इस बड़ी दिक्कत और कठिनाई का दूर किया जाना सामाजिक वेलफेयर के लिहाज से बहुत जरूरी है और उसके लिये हमें शीघ्र समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

[ श्री ज्योति प्रसाद गुप्त ]

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने है उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर किसी निर्णय पर पहुंचने में देर नहीं करना चाहिये क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसको हमें जल्दी से जल्दी हल करना है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी इच्छा है कि यह जल्दी से जल्दी हल हो।

फर्स्ट फाइव इयर प्लान के अन्दर जो लोन्स दिये गये थे, अगर उसको ठीक तरह से सर्फ कर सकें, तो बड़ी सुविधा हो। मेरा तो यह विश्वास है कि अगली प्लान में वह रुपया बढ़ेगा और उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है और वह है आयरन का नया कन्ट्रोल। इस कन्ट्रोल से एक बड़ी असुविधा नये मकानात के बनानेवालों को पैदा हो गई है। इसके लिये मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जहां तक आयरन स्टील परमिट्स का सम्बन्ध है उसके लिये नये मकान बनाने वालों के लिये ऐसी सुविधा करे कि उनको परमिट्स के मिलने में असुविधा न हो। आज उस आयरन की मार्केट प्राइसेज बढ़ गई हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गयी है। अगर हमने इसका प्रबन्ध न किया तो एक और समस्या पैदा हो जायगी और लोग काफी दिक्कत और परेशानी महसूस करेंगे। और भी अनेक कठिनाइयां और परेशानियां हैं, ब्रिक्स और मिटीरियल इत्यादि के मिलने की, परन्तु आयरन और स्टील के कन्ट्रोल के कारण जो किसी वजह से भी हुआ हो, नये मकानों के बनने में एक नई कठिनाई पैदा हो गयी है। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि सामान के मिलने में कोई परेशानी न हो। अन्त में मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि हाउसिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार को तुरन्त गौर करना चाहिये और उसके द्वारा प्रस्तावित फाइनेन्स कारपोरेशन को शीघ्र बनाना चाहिये। गवर्नमेंट की जो नीति हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के विषय में हो, उसे साफ हो जानी चाहिये कि कि वह इसमें क्या करना चाहती है और क्या कर चुकी है।

*श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय बृज लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, वह बहुत सुन्दर और अच्छा है। सरकार और इस सदन का ध्यान इस ओर खींच कर, एक बहुत बड़ा उपकार का काम हकीम जी ने किया है।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन श्री निजामुद्दीन ने सभापति आसन ग्रहण किया)

आज जहां तक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात है, वह म्युनिसिपल बोर्ड्स और नगरपालिकाओं में आम तौर पर चल रही है और हम लोगों का भी यही काम है कि हम सरकार को मजबूर करें कि उसकी तरफ से भी मदद और नोटिस जाने की जरूरत है। वैसे तो नगरपलिकाओं में हाउसिंग सोसाईटीज मिलजुल कर बना दी गई हैं, लकिन उनकी परेशानियां क्या हैं, यह हमारे गौर करने की बात है। फतेहपुर में एक कोआ-परेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी और वहां के लोगों ने दरख्वास्तें दीं कि हमको इतना रुपया दिया जाय और हम मकान बनायेंगे। सारी चीजें होने के बाद और इन्क्वायरी के बाद जब वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंची, तो वहां के कुछ दिक्कतें उपस्थित हो गई। हम आपके जरिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहत हैं कि एक भी रुपया किसी को नहीं दिया गया और वहां के इन्क्वायरिंग आफीसर से कहा गया कि गलत रिपोर्ट लाते हो, ठीक रिपोर्ट लाओ। आखीर में नतीजा यह हुआ कि उनको कर्ज नहीं दिया गया और वह मामला वैसे ही पड़ा रहा। लोगों ने जमीनें खरीदी थीं, लेकिन उनको मदद नहीं दी गई। फतेहपुर का यह हाल है कि वहां जो मिडिल क्लास के क्लर्क्स या कलेक्टरी के क्लर्क्स हैं, उन्हें रहने को मकान नहीं मिलते हैं और दो-दो, तीन-तीन आदमी एक-एक मकान में रहते हैं, लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब बेकार रही। जमीन खरीदी, पैसा लगाया, मगर सब बेकार रहा। सरकार के अधिकारियों का यह सब काम है, जो गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। सरकार जो आज

दिक्कत देख रही है कि रहने के लिये लोगों को मकान नहीं मिलते हैं और वह उसका प्रबन्ध करती है कि जिससे लोग आराम से रह सकें, मकान बना लें, तो ये अफसर लोग उसमें दिक्कतें पैदा करते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश निकलना चाहिये, जिससे ऐसी दिक्कतें लोग न पैदा कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो तरीका सार्वजनिक निर्माण विभाग और म्युनिसिपैलिटीज से नक्शे पास होकर मकान बनाने का है, इसमें भी बहुत सी दिक्कतें हैं और बड़ा समय नष्ट होता है।

आज अगर नगरपालिका कोई नक्शा पास भी कर देती है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नक्शा जाता है और जब तक वहां से पास होकर नहीं आ जाता है और मकान मालिक को नहीं मिल जाता है, तब तक वह मकान नहीं बनवा सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास यह नक्शे साल-साल भर पड़े रहते हैं और जब तक वह कुछ पूंजी नहीं ले लेते हैं! वह नक्शा नहीं देते हैं। बहुत से नक्शे तो वहां पर २, २ साल तक पड़े रहते हैं। मकान बनवाने के लिये किसी ने जमीन भी ले ली और सरकार से रुपया भी ले लिया, तो नक्शा पास होने में दो दो साल लग जाते है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से जो लापरवाही होती है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिये। एक तो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से ही लापरवाही होती है। अगर किसी आदमी की पार्टी का कोई वहां पर होता है, तब तो वह नक्शा पास हो जाता है। नहीं तो अगर अपोजिट पार्टी का हुआ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह से बड़ी दिक्कतें हाउस बनाने में हो जाती हैं। इन मकानों के बनवाने में जैसा कि श्री ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि जहां सरकार ने मजदूरों के लिये मकान बनवाया है, हरिजनों के लिये बनवा रही है, वहां सरकार के लिये यह भी जरूरी है कि वह इन मिडिल क्लास के क्लर्कों के लिये और अहलकारों के लिये भी मकान बनवा दे। इन मिडिल क्लास के क्लर्क का ट्रान्सफर एक जिले से दूसरे जिलों में भी कर दिया जाता है और उनको वहां मकान नहीं मिलता है, तो वह बेचारे चपरासियों की छोटी-छोटी कोठरियों मे रहने लगते है और उनको बड़ी दिक्कत होती है। सरकार को इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये। जहां सरकार ने साढ़े ३ करोड़ रुपया मकान बनवाने के लिये रखा है, तो मेरा ख्याल है कि साल भर के अन्दर एक करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होगा, बाकी का सब रुपया लैप्स हो जायेगा। सरकार एक तरफ तो रुपया दे रही है और दूसरी तरफ यह छोटे-छोटे अफसर इतनी दिक्कत पैदा कर रहे हैं कि मकान ही नहीं बन पा रहे हैं। लोग जमीन भी खरीद लेते हैं और कर्जा भी ले लेते हैं, इतने पर भी परेशानी होती है और तब लोग सरकार को भला बुरा कहते हैं। इन अफसरों की लापरवाही को कोई नहीं देखता है। जहां यह लोग और काम करते हैं, वहां इस काम में भी अड़चन डालते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के काम को सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिये। अगर यह रुपया नहीं खर्च होता है, तो सरकार को चाहिये कि इस रुपये से मिडिल क्लास के लोगों के लिये क्वार्टर्स बनवा दे, जिसमें से उनकी आमदनी के हिसाब से उनसे किराया वसूल कर लिया जाया करे। आज मकानों की दिक्कत शहरों, कस्बों और देहातों और सब जगहों पर है। इस तरह से अगर सरकार थोड़ा सा कड़ा कदम उठा कर सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दे देती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का रुपया बच जायेगा। लेने वाले तो मौजूद हैं, सरकार भी रुपया देने के लिये मौजूद है, लेकिन इन अधिकारियों की वजह से लोग कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग जमीन खरीद लेते हैं, नींव भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी रुपया नहीं मिलता है। अगर कहीं मिल भी गये, तो पी० डब्लू० डी० से नक्शा मन्जूर नहीं होता है। मकान बन भी नहीं पाते हैं, किस्त की मांग हो जाती है। इस तरह की सारी दिक्कतें उनके सामने हैं। जो प्रस्ताव भाई बृज लाल जी ने रखा है, वह बड़ा सुन्दर है, सरकार अपनी तरफ से कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाये और उनको सामान मोहैया करे, जिससे मकान बन सकें और सरकार की नीति कार्यान्वित हो सके।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस शक्ल में यह प्रस्ताव श्री बृज लाल जी ने रखा है और जो इस प्रस्ताव पर भाषण हुये, मैंने देखा उनमें बड़ी भिन्नता है। प्रस्ताव जो रखा गया उसका आशय यह है कि कोआपरेटिव हार्उसिंग सोसाइटी की स्थापना हर नगरपालिका के क्षेत्र में हो। इस प्रस्ताव के मूवर महोदय जब बोल रहे थे, उस समय भी मैंने गौर से सुना कि हार्उसिंग सोसाइटी कायम हो, लेकिन वह किस प्रकार से इस प्राब्लम को हल करेगी, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना। इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, इसके मकान किराये पर दिये जायेंगे या जो लोग बनायेंगे वह खुद रहेंगे, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना। जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का सम्बन्ध है, मुझे अफसोस है कि मैं इत्तिफाक नहीं करता, इसलिये कि मैं समझता हूं कि जहां तक हाउसेज का सम्बन्ध है, जब तक मकानात प्राइवेट प्रापर्टी है, तब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये मकान बनवाना रुपये का वेस्ट करना है। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा कि सरकार ने मकान बनाने के लिये रुपया देने को कहा, लेकिन लोग इतने उदासीन हैं कि उन्होंने रुपया नहीं लिया और मकान नहीं बन रहे हैं। एक तरफ तो सरकार रुपया दे और उसके बावजूद इतनी उदासीनता कि कर्जा लेकर मकान बनाने को तैयार नहीं और जब कोआपरेटिव सोसाइटी बनेगी तो उसमें शेयर भी होंगे और उसके अन्तर्गत मकान बनाये जांय, उसको कौन देखभाल करेगा, मैं समझता हूं कि यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है। हां, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐसे मकानों के लिये तो फायदेमन्द साबित हो सकती है जैसे इन्डस्ट्रियल लेबरर्स के लिये, शूगर फैक्टरीज के लिये या मिल के लेबर्स के लिये मकान बनायें। मैं समझता हूं कि उसमें तो ठीक साबित हो सकती है। इसके अलावा नगरपालिकाओं के अलावा श्री शान्ति स्वरूप जी ने और जोड़ दिया कि देहातों में भी यह सोसाइटीज बनाई जांय। मैं तो कहूंगा कि नगरपालिकाओं में कोआपरेटिव सोसाइटीज के ढंग पर मकान बनाये जायेंगे, तो किसी तरह से वह कामयाब नहीं होंगे। आज जेहनियत यह हो गई है कि ओनर मकान को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और उस पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। इसलिये कि किरायेदार उस मकान की केयर नहीं रखते हैं जितना कि मकान मालिक रखता है। इस वजह से मैं समझता हूं कि जो ढांचा हमारे देश और प्रदेश में आज है कि वह मकान को एक प्राइवेट प्रापर्टी समझते हैं, उसके होते हुये एक ढंग है और वह यह कि मकान लोग अपना बनायें और उनको बनाने में सरकार की ओर से सुविधा मिले और वह सुविधा जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा मुख्तलिफ ढंग से हो सकती है। सबसे पहली रुपये की इम्दाद। इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत रुपया दिया, लेकिन उस रुपये के खर्च करने में इतने प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि जो तीन चार करोड़ रुपया इसके लिये दिया गया है, उस प्रतिबन्ध की वजह से उसमें से तीन चार लाख भी नहीं खर्च हो सकेगा। ३१ मार्च, १९५६ तक उसकी मियाद रखी गई है। मैं समझता हूं कि ३१ मार्च सन् ५६ तक सारा का सारा रुपया लैप्स हो जायेगा और वह इसलिये लैप्स हो जायेगा कि उसके अन्दर जो शर्त रखी गयी है, वह रुपया लेने वालों के लिये बहुत सख्त है और साथ ही साथ ५ फीसदी इन्टरेस्ट रखा गया है, जो बहुत अधिक है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मकान बनाने के लिये सरकार नामिनल इन्टरेस्ट पर कर्ज दे, एक दो फीसदी से अधिक वह न हो क्योंकि ५ फी-सदी पर आम तौर से कर्ज मिल जाता है।

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन**--नहीं मिलता है।

**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--हो सकता है। जहां तक हार्उसिंग कारपोरेशन का सम्बन्ध है, जहां सेन्ट्रल हार्उसिंग कमेटी बनी है, उसका हवाला दिया है। मेरे विचार में आम तौर से इन दोनों संस्थाओं का हार्उसिंग सोसाइटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे मालूम है कि यहां पर जो हार्उसिंग सोसाइटी बनी है उसने कोई इस प्रकार की सिफारिश नहीं की है कि जो मकानात बनाये जायं वह कोआपरेटिव सोसाइटी के ढंग पर बनाये जायं। इस प्रकार की सेन्ट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी कमेटी ने भी कोई सिफारिश नहीं की है। यह बात समझ में आ सकती है कि सरकार सस्ते और छोटे-छोटे मकान क्वार्टर नुमा मिडिल क्लास के रहने वालों के लिये बनवाये और वह सरकार की प्रापर्टी हो। सरकार उनको उठाये। यह स्कीम ज्यादा कामयाब हो सकती है।

जहां और चीजों का जिक्र है, इस प्रस्ताव के आखिर में, मैं समझता हूं कि मकान की कमी को हल करने की ओर दूसरे मसलों की, और जिसकी ओर कि ज्योति प्रसाद जी ने इशारा किया, तो आज मिडिल क्लास और अपर क्लास व्यक्तियों को मकान बनाने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उनके रास्ते में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं खास तौर से लोहा, सीमन्ट और ईंटों की दिक्कत है। ये सारी दिक्कतें हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर लोहा और सीमेंट की कमी नहीं है और जहां तक ईंटों का सम्बन्ध है उनकी तो कमी है ही नहीं। जितना पहले लोहा और सीमेन्ट की कमी थी, मैं समझता हूं कि आज उससे कहीं अच्छी पोजीशन है। अगर इन चीजों को सस्ता किया जाय और लोहा तथा सीमेंट के कन्ट्रोल की शर्तों को ढीला किया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह मकानों की समस्या हल हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो मकानों के अलाटमेंट का ढंग है, उसके अन्दर भी सुधार होना चाहिये। आज मकानों के अलाटमट की यह हैसियत है कि आदमी की हैसियत को देखकर मकान का अलाटमेंट नहीं होता है। १०० रुपये पाने वाले क्लर्क के लिये ५० रुपये माहवार वाले मकान को अलाट कर दिया जाता है, तो वह बेचारा इतना किराया कहां स दे। जो बड़े आफिसर हैं उनको तो आसानी से मकान मिल जाते हैं, चाहे उनका ट्रान्सफर भी हो जाय। लेकिन हर एक शहर में और खास तौर से इसी लखनऊ में मैं देखता हूं कि बहुत से क्लर्क बेचारे मेरे पास आते हैं और कहत ह कि फलां मकान खाली है और मैं कई दिनों से किसी रिश्तेदार के साथ या स्टशन पर पड़ा हुआ हूं, इसलिये वह मकान मुझे दिला दिया जाय। मैं समझता हूं कि किसी क्लर्क का ट्रान्सफर करते समय यह ख्याल रखना चाहिये कि जहां पर उसका तबादिला किया जा रहा है, वहां पर उसको मकान भी मिले। दूसरी बात यह है कि जो मकान अलाट करत हैं उसमें यह जरूर देखना चाहिये कि वह उस आदमी की हैसियत के मुताबिक है या नहीं। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाय, तो मैं समझता हूं कि जो मकानों की समस्या है वह आसानी से हल हो सकती है।

हाउसिंग कारपोरेशन का जहां तक ताल्लुक है, वह ऐसी संस्था होगी, जो इस बात पर नजर रखेगी कि हम मकानों की कमी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, चाहे वे मकान प्राइवेट आदमी सरकार से कर्जा लेकर बनायें या सरकार से मैटिरियल लेकर बनायें या चाहे सरकार ही मकान बना कर लोगों को दे। लेकिन हाउसिंग कारपोरेशन का मतलब यह नहीं है कि मकान कोआपरेटिव बेसिस पर बनाये जायें। मैं ऐसी ही बात बतलाना चाहता हूं कि जो जमींदारी अबालिशन अधिनियम बनाया गया था, उसके अन्दर जमीन कोआपरेटिव ढंग से लेने की बात रखी गयी थी और यह भी सभी को मालूम है कि उस समय जो माननीय मन्त्री जी थे, उन्होंने कहा था कि यह जमीन, कोआपरेटिव बेसिस पर दी जायेगी, जिससे यहां की एकोनामी अच्छी हो जायेगी और एक तरह का सोसलिज्म भी हो जायगा। लेकिन आज तक वह चीज नहीं हुई है। अगर सचमुच सारा गांव कोआपरेटिव ढंग पर जमीन को करे, तो उनको फायदा हो, लेकिन आप को एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां पर कोआपरेटिव ढंग पर जमीन की गयी हो। फिर मकान तो ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोआपरेटिव बेसिस पर कामयाबी नहीं हो सकती है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का तो समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि मकानों के सम्बन्ध में जितनी भी सुविधा हो सकती है और जितनी भी कम सूद पर कर्ज दिया जा सकता है, वह दिया जाय। दूसरी बात यह है कि कन्ट्रोल का जितना मैटीरियल है, वह भी प्रोवाइड किया जाय ताकि मकानों की समस्या हल हो और मिडिल क्लास के लोगों को सहायता मिले।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इस वक्त इस हाउस में जो श्री हकीम बृज लाल जी ने संकल्प रखा है, और उसमें जो श्री शान्ति स्वरूप जी की तरफ से संशोधन आया है, तो अगर उन के लफ्जों और शब्दों पर गौर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

किया जाय, तो उसकी मन्शा यह है कि हमारे प्रदेश में जो आज मकानों की कमी है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया जाय। यहां पर जो तकरीरें हुईं उनको सुनने के बाद कई सवाल पैदा होते हैं। नम्बर एक यह है कि हमारे प्रदेश में जो मकानों की कमी है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे जनता को फायदा पहुंच सके। दूसरे जो प्रस्ताव में कोआपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिये व्यवस्था की गयी है, उसमें कुछ सहूलियतें और सुविधा मिलनी चाहिये। तीसरे यह कि जो मकान बनाये जायें वह उन लोगों को दिये जायें जो बेघर बार हों और ऐसे मकान बनने चाहिये जिससे नीचे के तबके को फायदा पहुंच सके। जनाबवाला, जहां तक इस बात का सवाल है कि आज सोसाइटी में लोगों को इतनी ज्यादा जरूरियात पैदा हो गयी हैं कि हमारी मयार जिन्दगी का सवाल इतना अहम और मुश्किल हो गया है, कि जिसका हल करना आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल लोगों की जिन्दगी की जरूरियात बहुत ही ज्यादा हो गयी हैं। श्री हकीम ब्रज लाल जी ने इन्सानी जिन्दगी के लिये सिर्फ तीन ही चीजें बतलायी हैं, एक भोजन, दूसरे कपड़ा और तीसरे मकान। लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा जिन्दगी में और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में इन्सान की जिन्दगी के लिये पांच चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, रोजी, कपड़ा, मकान और अच्छा साथी। इस वक्त में इन सब के बारे में बहस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त हाउस के अन्दर मकान के बारे में ही मसला पेश है, इसलिये उसी के बारे में कहूंगा। इन्सान को जिन्दगी के लिये एक साफ सुथरे मकान की बहुत ही आवश्यकता है। उसके अन्दर जो जजबात छिपे हुये होते हैं, जो भावनायें होती हैं, वह सब एक अच्छा मकान न मिलने से दम तोड़ देती हैं। गन्दगी में रहने से जो एक कुदरती इन्सानी जजबात पैदा होते हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं जिससे इन्सान की जिन्दगी भर पर एक बहुत ही खराब असर पड़ता है। अक्सर यह देखने में आया है कि एक या दो कमरे में दो-दो, या तीन-तीन परिवार रहते हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा मकान न मिलने से लोगों के दिलों में कोई जजबा नहीं पैदा होता है, उनकी सारी ख्वाहिशातें खत्म हो जाती हैं और लोग अपनी जिन्दगी को एक बेकार की जिन्दगी समझने लगते हैं। अभी एक साल पहले की बात है या इसके कुछ दिन और पहले की बात है कि श्री जवाहर लाल जी एक दफा कानपुर गये, तो उनको मजदूरों की बस्तियों की तरफ जाने से मना किया गया, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से वहां पर पहुंच गये, तो वहां की गन्दगी को देखकर उन्होंने अपनी नाक को बन्द कर लिया और कहने लगे कि यह लोग यहां पर किस तरह से रह सकते हैं, यह लोग इस गन्दगी का खात्मा क्यों नहीं कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहां के मजदूर किस खराब तरह से अपनी जिन्दगी को गुजार रहे हैं। इस तरह रहने से उनके अन्दर सारी इन्सानी खुशी का खात्मा हो जाता है। अभी थोड़े दिन हुये कि शिमले में मकान के वजीरों की एक कमेटी हुई जिसमें बहुत सी स्कीमें बनायी गयीं, लेकिन मैं देखता हूं कि स्कीमें तो बहुत बन जाती हैं, लेकिन कोई भी स्कीम कार्य रूप में या अमल में नहीं आती है। जब तक कोई चीज अमल में नहीं आती है, उससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, तो उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसके लिये इस वक्त यही तरीका अच्छा है कि जो म्युनिसिपैलिटीज की नजूल की जमीन है, वह कोआपरेटिव सोसाइटियों को दे दी जाय या सरकारी जो जमीनें हैं, वह कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दी जायं। यह जमीनें सस्ते दामों पर लोगों को मिलेंगी, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वे अच्छी तरह से मकान को बनवा सकेंगे। एक बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि दो हजार से दस हजार तक की लागत के जो मकान हों, उनके लिये लोहा, सीमेन्ट और लकड़ी सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये, इससे लोगों को मकान बनाने में काफी सुविधा होगी और मकान भी काफी संख्या में बन जायेंगे। इस तरह से अगर बहुत अच्छे मकान नहीं बनेंगे फिर भी ऐसे मकान होंगे, जो लोगों के रहने के काबिल होंगे। जो मकान २० हजार तक के या इससे ऊंची लागत के मकान हों, उनके लिये अगर सामान कुछ

महंगा करके दिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं होगा । मैं समझता हूं कि आज के जमाने में सरकार को मकानों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिये। अच्छे और साफ मकानों में रहने से लोगों की मयारे जिन्दगी भी ऊंची होगी ।

उसके बाद आखिर में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से जो चीज होगी उससे माल की खपत भी होगी, सरकार को आराम और सुख मिलेगा और उससे कई फायदे भी होंगे, जैसे कि मजदूरों को काम मिलेगा, लकड़ी चीरने वालों को काम मिलगा, राजगीरों को काम मिलेगा और इस तरह से बेकारी का भी बहुत कुछ प्राब्लम हल हो जायगा। इस तरह से बिजली और सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी, लोहे की मांग बढ़ेगी। तो अगर सामूहिक तौर पर हम इस नीति को अपनाये और उस ढंग से काम करें और इसको सामूहिकता की शक्ल दे दी जाय, तो इस तरह से बहुत कुछ काम हो सकेगा, क्योंकि आज सभी देखते हैं कि आबादी किस तरह से बढ़ रही है। यू०पी० में ही साढ़े सात लाख प्रति साल आबादी बढ़ने का हिसाब है। इसके अलावा गांवों से लोग शहरों में भी खूब आ रहे है और यह बात भी नहीं है कि भविष्य में वे गांवों में ही रहना पसन्द करें और शहरों में न आयें। तो इस तरह से आप देखें, तो मकानों की समस्या आज बढ़ती ही जा रही है। जब तक हम इसके लिये इस तरह की नीति नहीं अपनाते हैं, तब तक यह मसला मेरे नुक्ते निगाह से हल नहीं हो सकेगा। मैं आखीर में हकीम साहब को मुबारकबाद देता हूं और वे हाउस से भी मुबारकबाद पाने के मुस्तहक हैं क्योंकि उन्होंने इस हाउस के सामने बहुत ही अहमियत का मसला रखा है। जब कि आज हम देखते हैं कि वक्त थोड़ा है और मकानों की बड़ी भारी समस्या है, तो मुझे उम्मीद है कि हकीम साहब के प्रस्ताव को माननीय मन्त्री जी जरूर कबूल करेंगे।

**श्री सैयद अली जहीर** (स्वशासन तथा न्याय मंत्री)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है यह तो बजाहिर ऐसा प्रस्ताव है कि जिससे गवर्नमेंट का बहुत थोड़ा ताल्लुक है यानी जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, वहां कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जायें और उनको कुछ आसानियां मुहैया की जायें ताकि मकानों के निर्माण करने में अगले ५ सालों में, इसको पूरा किया जा सके। कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाना तो एक नान आफिशियल काम है जैसा कि बड़े शहरों में बनाई जा सकती है और उनसे काम भी लिया जा सकता है। दूसरे स्थानों में जैसे मद्रास, बम्बई, दिल्ली और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में भी बहुत सी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बिल्कुल प्राइवेट हैं और वे अपना काम भी जारी किये हुये हैं। जिनको इसकी जरूरत होती है, वे पहले रुपया जमा करते हैं और उसके जरिये से वे मकान और जमीन लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद वह उनको मुख्तलिफ मकान बनाने वालों के पास बेचते हैं और वे लोग वहां अपने मकान बनाते हैं। यह जरूर है कि उसके सिलसिले में जो सहूलियतें मुनासिब तरीके से हुकूमत दे सकती है, वह उसे देनी चाहिये और वह अकसर उनको दी भी जाती है। लेकिन इस प्रस्ताव की बहस के दौरान में ज्यादातर जो तकरीरें इस हाउस में हुईं, उससे यह मालूम हुआ कि इसकी मन्शा यह भी है कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाई जाये कि हमारे सूबे में मकानों की कमी है और उस कमी को मुख्तलिफ जरियों से पूरा करने की जरूरत है। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं इस सिलसिले में यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस जहमत को रफा करने के लिये क्या-क्या किया है और जिसका जिक्र भी आ चुका है। मई सन् १९५४ में एक हाउसिंग कमेटी मुकर्रर की गई थी और उस हाउसिंग कमेटी के सदर, जो हमारे ऐवान के लीडर हैं, यानी मिनिस्टर आफ फाईनेन्स, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, उसके सदर थे और बहुत से मेम्बरान थे जिसमें कि इस सदन के भी काफी मेम्बर उस कमेटी में थे। यह कमेटी बराबर बैठी रही और बिल आखिर जून सन् १९५५ में, जहां तक मुझे रिपोर्ट से पता मालूम होता है, इस कमेटी की रिपोर्ट पर दस्तखत हुये। और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट के सामने पेश कीं। बाज-बाज सिफारिशों का जिक्र भी बाज

[श्री सैयद अली जहीर]

लोगों ने जो इस कमेटी में थे या जिनको इसकी कुछ इत्तिला है, उन्होंने बतलाया। मैं कुछ मोटी-मोटी सिफारिशें, जो इस कमेटी ने की है, वह इस सदन के सामने पेश कर देना चाहता हूं। पहली चीज जहां तक कि समस्या की जांच-पड़ताल का ताल्लुक है, यानी यह कि हमारे यहां कितने मकानों की जरूरत है, उसके मुताल्लिक इस कमेटी ने जांच-पड़ताल करके यह तय किया कि हमारे सूबे में दो लाख बाइस हजार मकानों की कमी है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां मकानों की कमी पूरी हो जाय, तो सन् १९६१ तक दो लाख बीस हजार मकान बनाने चाहिये। उन्होंने बताया है कि बाईस हजार मकान ऐसे होने चाहिये जो एक कमरे वाले हों। एक लाख बीस हजार मकान ऐसे होने चाहिये जो दो कमरे वाले हों और और ६६ हजार मकान ऐसे होने चाहिये जो तीन कमरे वाले मकान हों और २२ हजार ऐसे मकान होने चाहिये जो ४ कमरे वाले हों। इन सब का मजमुआ दो लाख बाइस हजार है। इस सिलसिले में पहली सिफारिश यह की गई है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो इस सिलसिले में कर्ज देना मन्जूर किया है, उसका पूरा-पूरा फायदा उठाया जाय। इसके बाद इस कमेटी की यह तजवीज है कि एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाय और एक हाउसिंग फाईनेन्सिंग कारपोरेशन इस सूबे में बना दिया जाय और उनका यह फर्ज हो कि जो गवर्नमेंट की हाउसिंग पालिसी हो या हाउसिंग के मुताल्लिक गवर्नमेंट के जो काम हों, उनकी निगरानी करें और जहां तक हो सके उनको बढ़ायें। इसी तरह से इसका भी इसमें हवाला है कि ऐसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स और रिसर्च इन्स्टीट्यूट बनें जिसके जरिये से सस्ते मकान लोगों के पास बन सकें और किस तरह से बन सकते हैं, उनके मुताल्लिक तहकीकात की जाय और जो उनसे प्राफिट हो, उससे भी मुतला किया जाय ताकि पब्लिक उससे मुस्तफीज हो सके। इस तौर से इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि जमीनों की दुरुस्ती की जाय और उनको तरक्की दी जाय। इसमें पानी, रोशनी, सड़कें और इस किस्म की जरूरियात मोहैया की जायें और इस किस्म के प्लाट्स जिनको बिल्डिंग साइड्स कहा जाता है, डेवलप किये जायें और लोगों को बेच दिये जायें। इसके साथ ही साथ यह भी सिफारिश है कि जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड वगैरह के मुलाजिमान हैं, उनको मकानों की सुविधा मोहैया की जाय ताकि वह अपने मकानात बना सकें और उनमें वह रह सकें। इसी तरह से और भी कुछ सिफारिशें हैं जो सरैदस्त ज्यादा जरूरी नहीं हैं। जहां तक सरकार का कुछ भी ताल्लुक है, हमको इस दौरान में यानी तकरीबन मार्च सन् १९५५ में, यह मालूम हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमको तकरीबन तीन करोड़ रुपये का कर्ज देने को तैयार है ताकि हम लो इन्कम ग्रुप हाउसेज को अपने सूबे में तैयार कर सकें। जिस वक्त यह हमें इत्तिला मिली, उस वक्त हमने कोशिश की कि इस रुपये को किस तरह से खर्च किया जाय और इसके इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। इस सिलसिले में हमें १५ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस लिये दिया था कि उसको हम म्युनिसिपल बोर्डों को दें ताकि वह हाउसिंग साईड डेवलप कर सकें। ४५ लाख रुपया इस लिये दिया गया कि हम म्युनिसिपल बोर्ड स को दें, इसलिये कि जो लो पेड इम्पलाइज हैं, उनके घरों के लिये उनको कर्ज दिया जा सके। दो करोड़ ४० लाख रुपया जो बचा, वह इस गरज से था कि हम लोगों को कर्ज दें और ३० वर्ष में उस कर्ज को ईक्वल इन्स्टालमेंट्स में वापस लें और इस बात की कोशिश करें कि वह अपने मकान बनवायें। उसमें कुछ शरायतें थीं और उनमें से एक यह थी कि ज्यादा से ज्यादा १० हजार का मकान हो और कम से कम ६,००० का हो और ऐसे आदमियों को कर्ज दिया जाय जिनकी तन्ख्वाहें ५०० या उससे कम हों। इससे ज्यादा तन्ख्वाह वाले को न दिया जाय। इसमें यह भी सूरत थी कि मालिक मकान २० फीसदी अपने पास से खर्च करे और ८० फीसदी इस कर्ज से दिया जायगा।

(इस समय, १२ बजकर ५१ मिनट पर, श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसके बाद हमने यह तय किया कि इस रुपये को कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से तकसीम किया जाय। चुनान्चे यह फैसला गवर्नमेंट का हुआ और कोआपरेटिव सोसाइटी से कहा गया कि आप रूल्स बनावें और जितनी ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें आवें, उन लोगों को रुपया तकसीम किया जाय। उन्होंने अपने रूल्स बनाये और यह कोशिश की कि लोग

दरख्वास्तें दें, लेकिन कोई वजह ऐसी हुई कि कोआपरेटिव से ज्यादा रकम तकसीम न की जा सकी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--इसकी वजह क्या थी ?

श्री सैयद अली जहीर--उसकी वजह यह थी कि रुपया जो लें उसको कोआपरेटिव की शरायतों को पूरा करना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसकी वजह से लोगों को दरख्वास्तें देना मन्जूर न हुआ। एक वजह यह भी समझ में आती है कि यह रुपया कर्ज की शक्ल में दिया जाता था और उस कर्ज की जिम्मेदारी कोआपरेटिव पर थी। पब्लिक का रुपया लेकर ही वह कारोबार करती है। इसलिये उनको बहुत ठोक बजाकर ही इस रुपये को देना था। इसलिये वह यह खतरा नहीं बरदास्त कर सकते थे कि वह रुपया दे दें और वसूल न हो, इसलिये रूल्स उन्होंने काफी सख्त बनाये और उसमें यह रखा गया था कि जो कर्जा ले वह मकान को रेहन रखे, जमानत दें, दस्तावेज लिखें। तो बहुत ज्यादा रुपया उनके जरिये से तकसीम न हुआ। उसी जमाने में, मई या जून में हाउसिंग मिनिस्ट्री भी बनी ताकि वे काम पूरे किये जा सकें जिनकी सिफारिश बोर्ड ने की है। इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि हाउसिंग मिनिस्ट्री अगर बन जाय, तो हाउसिंग के जितने भी काम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, उनको एक जगह सेन्ट्रेलाइज किया जा सके। सितम्बर में हमने यह सोचा कि यह रुपया जो हम तकसीम कर रहे हैं, उसको कैसे तकसीम किया जाय? लिहाजा एक कान्फन्स की गई और उसमें अपने ऐडमिनिस्ट्रेटर्स बुलाये गये, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के भी लोग थे और वहां यह तय हुआ कि हमको कुछ दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जिसके जरिये से यह रुपया पब्लिक तक पहुंच सके। हमें यह भी महसूस हुआ कि पब्लिक इस वजह से भी तैयार नहीं है कि मकान बनाने में जो दिक्कतें पड़ती हैं, उनके लिये बहुत से लोग तैयार नहीं थे। लोग नहीं चाहते थे कि वह एक जिम्मेदारी को अपने सिर ले लें और फिर वह मकान न बना सकें, तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिये हमने एक मीटिंग की तमाम ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की और उसमें हमने अपने ऐडमिनिस्ट्रेटर्स से कहा कि जितना रुपया आप लेना चाहें ले लें। नतीजा यह हुआ कि लोकल बाडीज को ४५ लाख रुपया जो दिया गया, वह बांट दिया गया और करीब--करीब वह रुपया बहुत हद तक खत्म भी हो गया है। इसके साथ-साथ जो लोकल बाडीज को कर्ज देने की स्कीम, लो पेड सरवेन्ट्स और कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन की थी, वह कर्जा दे सकें, तो उसमें भी १५ लाख २० हजार रुपया सरकार ने बांट दिया और वह भी खत्म हो गया है। इसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड और डेवलपमेंट बोर्ड और पांचों कबाल टाउन्स को एक करोड़ सात लाख रुपया तकसीम कर दिया गया है और अब भी बहुत सी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जिनका डिस्पोजल बहुत जल्दी होगा। इसके साथ-साथ ५० लाख रुपया कोआपरेटिव के लिये रिजर्व कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जो-जो उनकी दिक्कतें थीं, वह बहुत हद तक अब दूर हो रही हैं और वह भी अब उस रुपये का इस्तमाल कर सकेंगी। इसी तरह से हमने कानपुर को २५ लाख रुपया दिया है। उन्होंने कहा है कानपुर में काफी डिमान्ड है, अगर ज्यादा रुपया मिलेगा तो वह भी आसानी से बांटा जा सकता है। इस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो हमें तीन करोड़ रुपया दिया था, वह हम ३१ मार्च सन् ५६ तक खत्म कर सकेंगे। यह इन्तजाम है करीब-करीब उस रुपये का, जो हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला है।

इसके अलावा हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में हमारी सरकार ने भी काफी किया है। जो दूसरे और शोबों में लगाया गया है। लेबर डिपार्टमेंट का भी लेबर हाउसिंग स्कीम है। फिरोजाबाद और हमारे सूबे में ८ ऐसे शहर हैं, जहां मजदूरों के लिये मकान बनाने की स्कीम चल रही है। इसी तरह से लोकल बाडीज भी हरिजन और स्वीपर्स के लिये मकान बना कर, उनके रहने की सुविधा का प्रबन्ध कर रही हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह समझ रही है कि हमारे सूबे में मकानों की दिक्कत है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द मकान

[श्री सैयद अली जहीर]
बनाये जायं। हमारी यह कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान मुहैया करें। गालिबन सेकेन्ड फाइव इयर प्लान जो बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया एक स्कीम मिडिल क्लास वालों के लिये निकालने वाली है और ५०० रुपये से ज्यादा तन्ख्वाह पाने वाले लोग भी उसमें रुपया लेकर मकान बना सकेंगे। अगर माननीय मन्त्री जी भी चाहें, तो उनको भी उसमें रुपया मिल जायेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री)--पहले तो आपने रिजेक्ट कर दिया था।

श्री सैयद अली जहीर--अब इस स्कीम की तहत में, वह दिया जा सकेगा। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनायी थी क्योंकि वह हर हालत से पूरी तौर पर वाकिफ है और अब इस कमेटी की सिफारिश आ गई है। जहां तक हो सकेगा हम उसे पूरा करने की बराबर कोशिश करते रहेंगे, मगर यह चीज ऐसी है जिसमें पब्लिक कोआपरेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। खुद पब्लिक में जब तक इसकी डिमांड पैदा नहीं होगी कि हम अपने मकान बनवा कर उनमें रहें, उस वक्त तक इसमें कोई ज्यादा तरक्की होने की मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं है। पहले तो यह था कि लोग बहुत सा रुपया लगा देते थे और मकान बनवा देते थे, वह रुपया उसमें इन्वेस्ट कर देते थे और उससे किराये कमाते थे, लेकिन अब लोगों की आमदनियां कम हो गई हैं। उनके पास इतना रुपया नहीं होता है कि १०, १५ या २० हजार रुपया लगा दें। लेकिन जो लोग अपना मकान चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उनके लिये हमने यह स्कीम रक्खी है जिससे कि वह तीस वर्ष में अपना कर्ज अदा कर सकें। इसमें दो किस्म की स्कीमें हैं। एक तो वह जो रुपया कर्ज लेना चाहते हैं और अपना मकान बनवाना चाहते हैं, वह लें। दूसरी स्कीम जो मैंने आगरे में देखी कि खुद लोकल बाडीज मकान बनवा देती हैं और उसको हायर पर्चेज सिस्टम के ऊपर बेच देती हैं। अगर कोई एक मुश्त में खरीदना चाहे, तो दे देती हैं, नहीं तो ३० साल के इन्सटालमेंट में दे देती है। उसका मकसद यह होता है कि जो लोग उनको लेते हैं, वह इस उम्मीद पर लेते हैं कि ३० साल के बाद वह मकान उनका हो जायगा। वह करीब-करीब उतना ही होता है जोकि उस मकान का किराया होना चाहिये। यह सब काम गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूं कि हकीम साहब का मकसद इससे पूरा हो जायेगा और वह अपने प्रस्ताव को वासप ले लेंगे।

**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन**--अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के पेश करने का मकसद सिर्फ यह था कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस ओर मबजूल कराई जाये। लेकिन खुशी यह है कि प्रस्ताव जब भेजा गया, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोशिश करना शुरू कर दिया। अब जैसा कि भाई आजाद ने कहा कि इसमें गरीब आदमियों के लिये दिक्कत है तो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव में गरीब आदमी भी शामिल हो सकते हैं। हमारे यहां तो मिस्त्री लोग भी एक एक रुपया देकर कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर बन जाते हैं। वहां पर गरीब आदमी भी मकान बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट एक नई स्कीम बना रही हैं उसके हिसाब से वह भी मकान बनवा सकते हैं। सरकार ने जो कुछ भी इस अरसे में किया ह, मैं उसके लिये उसको धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि जो मेरा मकसद इस तजवीज क पेश करने से था, वह पूरा हो गया है और सरकार ने उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इन हालतों के देखते हुये मैं अपना प्रस्ताव वासप लेता हूं।

**श्री चेयरमैन**--क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

**श्री कुंवर महावीर सिंह**--मेरा प्रस्ताव है कि भवन आज स्थगित कर दिया जाय और जब दूसरी दफा भवन बैठे, तो मेरा प्रस्ताव पहले ले लिया जाय।

**श्री कुंवर गुरु नारायण**--मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि बाकी के लिये बैलेट हो जाय।

## संकल्प कि राज्य में जमींदारी–विनाश के पश्चात् पूंजीवाद का अन्त करने के लिये उत्पादन, विनियम और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये

**श्री कुंवर महावीर सिंह**––मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस परिषद का यह मत है कि राज्य म जमींदारी विनाश के पश्चात् पूंजीवाद का उसके समस्त स्वरूपों में अन्त किया जाना समाज की भलाई के लिये अत्यन्त आवश्यक है और सरकार से सिफारिश करती है कि उत्पादन, विनियम और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।

**श्री चेयरमैन**––क्या श्रीमती सावित्री श्याम को मन्जूर है कि उनका सकल्प बाद में लिया जाय। न्याय से तो वह पहले लिया जाना चाहिये।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**––मैंने प्रस्ताव पेश कर दिया है यह समझ कर कि यह पहले लिया जायेगा।

**श्री चेयरमैन**––अगर आप मन्जूर न करियेगा तो श्री कुंवर महावीर सिंह जी का संकल्प बाद को लिया जायेगा। लेकिन अगर आप उदार होकर आज्ञा दे दीजियेगा, तो उनका संकल्प पहले ले लिया जायेगा।

**श्रीमती सवित्री श्याम** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)––मैं यह चाहूंगी कि मेरा प्रस्ताव पहले होना चाहिये।

**श्री चेयरमैन**––यह आप बाद में आपस में तै कर लीजियेगा।

## हारकोर्ट बटलर इन्स्टीट्यूट कानपुर के लिये एक सदस्य और उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण बोर्ड के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन

**श्री चेयरमैन**––मुझे यह घोषणा करना है कि हारकोर्ट बटलर इन्स्टीट्यूट, कानपुर के लिय एक और उत्तर प्रदश भूमि–संरक्षण बोर्ड के लिये सदन को दो सदस्यों का चुनाव करना था जिसके लिये आज १२ बजे तक नाम निर्देशन आने थे। निर्धारित समय तक श्री सरदार सन्तोष सिंह का नाम हारकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट के लिये और सर्व श्री लल्लू राम द्विवेदी और पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार का नाम उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण बोर्ड के लिये श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा प्रस्तावित व श्री कुंवर महावीर सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्योंकि केवल ये ही तीन नाम इन दोनों संस्थाओं के लिये निर्धारित समय तक नाम निर्देशित किये गये हैं। मैं श्री सरदार सन्तोष सिंह को हारकोर्ट बटलर इन्स्टीट्यूट पर और सर्व श्री लल्लू राम द्विवेदी व पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार को उत्तर प्रदेश भूमि–संरक्षण बोर्ड पर निर्वाचित घोषित करता हूं।

**श्री कुंवर महावीर सिंह**––मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

**श्री चेयरमैन**––यह आप स्वयं तै कर लें।

**श्री चेयरमैन**—अब कौंसिल अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजकर ७ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई।)

दिनांक लखनऊ,
२३ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पृष्ठ ३८५ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार

नियोजन विभाग

---

संख्या १०१७८-पी/३५-१५२--पी-५५

---

दिनांक, लखनऊ, २२ अक्टूबर, १९५५

---

स्मृति-पत्र

---

विषय--जिला नियोजन समितियों का पुनर्निर्माण

---

जिला नियोजन समितियों और उनकी उप-समितियों का निर्माण स्मृति-पत्र संख्या १८५७-पी-३९/पी-५०, दिनांक १ अक्टूबर, १९५२, तथा बाद के आदेशों में हुआ था। समितियों के कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने इसको पुनः निर्मित करने का निश्चय किया है। अतः पिछले तीन साल के अनुभव के आधार पर इनको बनाने के लिये निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:--

२--जिला नियोजन समितियां अब इस प्रकार निर्मित की जावें:--

(१) सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् जो कि जिले में रहते हों या उस जिले के प्रतिनिधि हों (यह इस प्रकार किया जावे कि एक सदस्य एक ही जिले की कमेटी पर रहे)।

(२) एक हरिजन कार्यकर्त्ता यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई हरिजन सदस्य नहीं हैं। यह हरिजन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(३) सामाजिक तथा रचनात्मक एक महिला कार्यकर्त्ता यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई महिला न हों। महिला सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी।

(४) पांच गैर-सरकारी सदस्य जिनको सरकार मनोनीत करे जिनमें एक औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखता हो।

(५) जिलाधीश दो गैर-सरकारी सदस्यों को रख सकता है। जिसमें एक जिला स्काउट एसोसियेशन का उच्च अधिकारी हो और दूसरा जो विकास कार्य में रुचि रखता हो।

(६) जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों का एक प्रतिनिधि जिसको समस्त स्कूलों के प्रिंसिपल चुन कर भेजें।

(७) मन्त्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड।

(८) अध्यक्ष, जिला बोर्ड।

(९) दो सदस्य जिनको जिला बोर्ड मनोनीत करके भेजें।

(१०) मैनेजिंग डायरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक।

(११) जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष जिलाधीश हैं।

(१२) समस्त चेयरमैन, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाईड एरिया।

(१३) गांव सभा के प्रतिनिधि पंचायत इन्स्पेक्टर के हर सर्किल से एक प्रधान (जो विकास कार्य में रुचि रखते हों और जिन्होंने गणतंत्र सप्ताह में अच्छा कार्य किया हो।)

(१४) एक प्रतिनिधि जिले के हर गन्ना मारकेटिंग सोसाइटी से।

(१५) संयोजक, भारत सेवक समाज।

(१६) राज्य नियोजन बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य जो जिले में रहता हो।

(१७) कृषि, पंडित, यदि जिले में रहता हो।

(१८) राज्य कृषि बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों।

(१९) सरकारी सदस्य :

| | | |
|---|---|---|
| जिलाधीश | ... | चेयरमैन |
| जिला नियोजन अधिकारी | ... | मन्त्री |

समस्त सब-डिवीजनल अफसर, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जन-स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के जिले स्तर के अधिकारी, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और हाइडेल डिवीजन तथा सब-डिवीजन, जो कोई भी जिले में हों, उनके उच्च अधिकारी, सिविल सर्जन, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, स्वायत्त शासन (इन्जीनिरिंग) विभाग, प्रिंसिपल, कृषि प्रसार शिक्षण केन्द्र, जो कि जिले में हों, मथुरा जिले में पशुपालन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में पर्वतीय सिंचाई योजना सम्बन्धी सहायक इन्जीनियर, कानपुर में कृषि महाविद्यालय के प्रिंसिपल, जिन जिलों में वन विभाग हैं वहां वन विभाग के जिले स्तर के अधिकारी और उद्योग विभाग के जिले स्तर क अधिकारी यदि जिले में हों।

कार्यकारिणी समितियां--

| | | |
|---|---|---|
| (१) जिलाधीश | .. | चेयरमैन |
| जिला नियोजन अधिकारी | .. .. | मन्त्री |

सरकारी सदस्य जो जिला नियोजन समिति पर खंड १९ के अन्तर्गत मनोनीत किये गये हों।

(२) अध्यक्ष, जिला बोर्ड।

(३) खंड ४ में जो गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत हों उनमें से तीन गैर-सरकारी सदस्य जो सरकार द्वारा मनोनीत किये जावें।

(४) नगरपालिका बोर्ड का एक प्रतिनिधि।

(५) सहकारिता का एक प्रतिनिधि।

(६) तीन प्रतिनिधि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से।

(७) हरिजन कार्यकर्त्ता [यदि जिला नियोजन समिति पर एक से ज्यादा हरिजन सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् हों तो समस्त सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् (हरिजन व गैर हरिजन) एक हरिजन को चुनेंगे।]

(८) महिला कार्यकर्त्ता।
(९) गांव सभा का एक प्रतिनिधि।

प्रतिनिधि जो खंड ४, ५, ६ और ९ के अन्तर्गत मनोनीत हों वह जिला नियोजन समिति के अपने-अपने दलों द्वारा चुनें जावेंगे।

३--जिला नियोजन समितियों और उनकी कार्यकारिणी समितियों के उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे।

४--जिलाधीशों से संलग्न सरकारी कर्मचारियों की समितियां, जिनकी निर्माण-विधि उपरोक्त स्मृति-पत्र के पैरा ४ में दी हुई है, उसी प्रकार कार्य करती रहेंगी।

५--जिला नियोजन समितियों का कार्यक्रम उक्त स्मृति-पत्र के पैरा ५ में दिये हुये आदेशों के अनुसार जारी रहेगा।

६--जिलाधीश जिला नियोजन समितियों के निर्माण के लिये अपनी सिफारिशें सरकार को भेजें। यदि किसी जिले में सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में हरिजन या महिला सदस्य नहीं हैं, तो जिलाधीश पैरा २ के खंड २ और ३ के अन्तर्गत २ नामों की सिफारिश करें। खंड ४ के अन्तर्गत अपनी सिफारिश भेजते समय ७ व्यक्तियों के नाम भेजें जिनमें दो औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों। यदि जिले के लिये आवश्यक हो तो श्रमिकों के प्रतिनिधि के नाम की भी सिफारिश की जावे।

७--जिला नियोजन समितियों की जो उपसमितियों हैं उनको पुनर्निमित करने के सम्बन्ध में सचिवालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किये जावेंगे।

८--जिला नियोजन समितियों की बैठकें प्रति माह निश्चित तिथि पर हुआ करें। यह तिथि जिलाधीशों को जिला नियोजन समितियों की पहली बैठक में निश्चय कर लेनी चाहिये।

९--जिला नियोजन समितियों का कार्यकाल १५ नवम्बर से तीन वर्ष तथा कार्य-कारिणी समितियों तथा उपसमितियों का कार्यकाल एक वर्ष रहेगा।

१०--इन नयी समितियों के स्थापित हो जाने के बाद पिछली समितियां तथा उप-समितियां समाप्त हो जायेंगी।

आदित्य नाथ झा,
नियोजन सचिव।

प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती हैं:--

(१) समस्त जिला नियोजन अधिकारी,
(२) समस्त अधीक्षक, जिला बोर्ड,
(३) समस्त अधीक्षक, जिला कांग्रेस कमेटी,
(४) समस्त वैभागिक अधीक्षक,
(५) सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद तथा उत्तर प्रदेश द्वारा चुने गये सदस्य लोक सभा और सदस्य राज्य सभा,
(६) डिवीजन्स के कमिश्नर, और
(७) महा लेखापाल, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी भेजी जाती है :--

(१) सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग--सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, हरिजन सहायक और चिकित्सा विभागों द्वारा जिला नियोजन समितियों की, जो उपसमितियां बनाई गई है, उनको पुनर्निर्मित करने के आदश सम्बन्धित विभाग शीघ्र जारी करने की कृपा करें। इन उपसमितियों का निर्माण १५ नवम्बर, १९५५ तक जरूर हो जाना चाहिये।

(२) सचिव, प्लानिंग कमीशन, केन्द्रीय सरकार, देहली।

(३) समस्त प्रदेशीय सरकार के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,<br>
आदित्य नाथ झा,<br>
नियोजन सचिव।

No. 896-R/XXXV—500 (129)-53, *dated Lucknow, March 17, 1954.*

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh.

---

*Subject*—**Constitution of Block Advisory Committee in National Extension Service Blocks.**

---

Sir,—In supersession of the instructions issued in G. Os. nos. 6701-R/XXXV—500 (129)-53, dated January 18, 1954 and 964/XXXV—500 (129)-53, dated March 4, 1954, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the formation of a Block Advisory Committee for each of the National Extension Service Blocks which have already been opened and which are likely to be opened in the State in future. The Committee will consist of the following:

1. All Members of the District Planning Committee who are residents of the National Extension Service Block area.
2. All Sarpanches of Co-operative Societies in the National Extension Service Block area.
3. One representative of each Block Committee in the area formed under Planning Department's letter no. 405-p/65-p50;, dated February 28, 1951, and approved by the District Planning Committee.
4. All M. L, As., M. L., Cs. and Members of Parliament residing in or representing the Block area or any portion thereof.
5. President, District Board and all members of District Board belonging to the N. E. S. Block area.
6. Officials of different Development Departments of the level of Group Level workers in the Block area, and also the district level workers where necessary.
7. Five members nominated by Government.

The Block Development officers of the National Extension Service Block will be the *ex officio* Secretary of the Committee and the District Magistrate or his nominee shall be the Chairman.

2. The function of the Block Advisory Committee will be to advise and assist the Block staff in the planning and execution of the programme of the N. E. S. scheme in accordance with the instructions issued by Government from time to time. The Committee shall be an advisory body and shall have no financial or executive functions. It shall be independent of the District Planning Committee.

3. I am to add that no travelling or daily allowance will be paid to the members of the Block Advisory Committee for attending the meetings.

No. 131-R/XXXV—500(68)/54, dated Lucknow, January 6, 1954.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

*Subject*—**Constitution of the Block Advisory Committee for the National Extension Service Blocks.**

Sir—With reference to your letter no. 11536/NES, dated December 10, 1954, and in continuation of G. O. no. 896-R/XXXV—500 (129)-53, dated March 17, 1954, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the inclusion of the Principals of the Extension Training Centres, which are located in the National Extension Service Block areas, in the Block Advisory Committees formed for such blocks.

---

No. 5019/XXXV—500(129)/55, dated Lucknow, May 28, 1955.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—All District Magistrates, Uttar Pradesh.

*Subject*—**Constitution of National Extension Service Advisory Committees for the National Extension Service Blocks.**

Sir,—In continuation of G.E. no.485-R/XXXV—500(129)-53, dated February 10, 1955, on the above subject, I am directed to say that it has been brought to the notice of the Government that in certain cases the nominees of the Government to the National Extension Service Advisory Committees do not take any interest in the development work and are constantly abstaining themselves from attending the meetings of the Committees. Government have decided that in such cases where any of the Government nominees to the above committee abstains from attending six consecutive meetings of the Block Advisory Committee without assigning any reason for it and does not inform you of his intention of not attending any particular meeting, it will be considered that he is not interested in the work of the committees and would cease to be a member of the above committee. Such cases may kindly be reported to Government to whom a panel of three names of those who are really interested in the development work be also submitted for making nomination to fill in the vacancy so occasioned.

2. I am to add that these orders may also please be brought to the notice of the Government nominees of the National Extension Service Advisory Committees of the various National Extension Service Blocks of your district.

---

No. 7625-R/XXXV—500(129)/53, dated Lucknow, November 15, 1954.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh.

*Subject*—**Constitution of Block Advisory Committees for the National Extension Service Blocks.**

Sir,—In continuation of G. O. no. 896-R/XXXV—500(129)/53, dated March 17, 1954, on the above subject, I am directed to say that it has come to the notice of Government that in some cases, persons, who due to their special qualifications, e.g. technical skill of a nature which would be helpful to development work in the project area or exceptionally keen interest in development work, would be of great assistance, do not sometimes find a place in the Block Advisory Committees. It has, therefore, been decided that wherever necessary, such persons may be included in the Block Advisory Committees. All the District Magistrates are, accordingly, authorized wherever they consider it necessary, to co-opt one active development worker to each of the Block Advisory Committee of his district.

No. 964-R/XXXV—500(19)/53, dated Lucknow, April 1, 1954.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The District Magistrates, Uttar Pradesh.

*Subject*—**Constitution of Block Advisory Comitttees in the National Extension Service Blocks.**

Sir,—I am directed to refer to G. E. no. 896-R/XXXV—500(129)/53, dated March 17, 1954, on the above subject, and to say that under paragraph 1(7) thereof, five members of the Block Advisory Committee are to be nominated by Government. It has now been decided that members to be so nominated should be selected from amongst the leading agriculturists and social workers residing in the Block area and should also include a member of Bharat Sewak Samaj, if any, residing in the block area. In case, however, there are more than one member of the Bharat Sewak Samaj residing in the area, the name of the member selected by the District Bharat Sewak Samaj should be reported to Government.

I am accordingly to request that immediately on inaguration of a National Extension Service Block in your district a panel of 8 names, arranged in order of preference, may kindly be submitted for the approval of Government. While doing so, you should also please give against each name a brief description of the qualifications of the persons recommended by you.

No. 46-R/XII-G—500(7)-1952, dated Lucknow May 14, 1953.

From Sri G. MUKHARJI, I.A.S., Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow,

*Subject*—**Constitution of Project Advisory Committee in the Community Projects**

Sir—With reference to your letter no. 6347/OPD, dated December 26/31, 1952, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the formation of a Project Advisory Committee each for the Community Project areas noted on the margin. The Committee will consist of the following :

(1) Almora-Garhwal
(2) Jhansi.
(3) Etah-Mainpuri-Farrukhabad
(4) Faizabad-Sultanpur
(5) Gazipur-Balia-Azamgarh
(6) Gorakhpur-Deoria

(1) All members of the District Planning Committee who are residents of the Community Project area.

(2) All Sarpanches of Co-operative Societies in the Project area.

(3) One representative of each Block Committee in the area formed under Planning Department's letter no. 405-P/65-P-50, dated February 28, 1951, and approved by the District Planning Committee.

(4) All M. L. As., M. L. Cs., and members of Parliament residing in or representing the Project area or any portion thereof.

(5) President, District Board and all members of District Board belonging to the Community Project area.

(6) Officials of different development departments of the level of Group Level Workers in the Project area; and whenever it is essential, also the District Level Workers.

(7) Five members nominated by Government.

The Deputy Project Executive Officer of the Community Project will be the *exofficio* Secretary of the Committee and the District agistrate or his nominee shall be the Chairman.

2. The functions of the Project Advisory Committee will be to dvise and assist the Project Staff in the planning and execution of the programme of the Community Projects in accordance with the instructions issued by Government from time to time. The Committee shall be an advisory body and shall have no financial or executive functions. It shall be independent of the District Planning Committee.

3. I am to add that no travelling or daily allowance will be paid to the members of the Project Advisory Committee for attending the meetings.

---

No. 11080-R/XXXV—500(7)/52, dated Lucknow, December 4, 1954.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

*Subject*—**Constitution of Project Advisory Committee for the Community Projects.**

Sir,—In continuation of G. O. no. 2112-R/XXXV—500(7)/52, dated December 17, 1953, on the above subject, I am directed to say that it has come to the notice of Government that in some cases, persons, who due to their special qualifications, e.g. technical skill of a nature which would be helpful to development work in the Community Project areas or take exceptionally keen interest in development work and would be of great assistance, do not sometimes find a place in the Project Advisory Committees. It has, therefore, been decided that wherever necessary, such persons may be included in the Project Advisory Committees. All the District Magistrates are, accordingly, authorized, wherever they consider it necessary, to co-opt one active develoment worker to each of the Project Advisory Committee of his district.

No. 2892/XXXV—500(7)/52, dated Lucknow, May 3, 1955.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—All the District Magistrates of the Commuuity Projects District, Uttar Pradesh.

*Subject*—**Constitution of the Project Advisory Committees for the Community Project Blocks.**

Sir,—In continuation of G.Es., no. 46-R/XII-G—500(7)-1952, dated May 14, 1953, and no. 2112-R/XXXV—500(7)/52, dated December 17, 1953, on the above subject, I am directed to say that it has been brought to the notice of the Government that in certain cases the nominees of the Government to the Project Advisory Committees are not taking any interest in the development work and are constantly abstaining themselves from attending the meeting of the Project Advisory Committees. Government have decided that in such cases where any of the Government nominees to the Project Advisory Committees abstains from attending six consecutive meetings of the Project Advisory Committee without assigning any reason for it and does not inform you of his intention of not attending any particular meetings, it will be considered that he is not intersted in the work of the Committee and would cease to be a member of the above Committee. Such cases may kindly be reported to Government to whom a panel of three names of those persons who are really interested in the development work be also submitted for making nomination to fill in the vacancy so occasioned. These orders may also please be brought to the notice of Government nominees in Project Advisory Committees.

No. 11316-R/XXXV—500(68)/54, dated Lucknow, January 6, 1955.

From—Sri T. D. PANDE, Deputy Secretary to Government, Planning Department, Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

---

*Subject*—**Constitution of the Project Advisory Committee in the Community Projects.**

---

Sir,—With reference to your letter no. 11536/NES, dated December 10, 1954, and in continuation of G. Os. no. 46-R/XII-G—500(7)-52, dated May 14, 1953, and no. 2112-R/XXXV—500(7)-52, dated December 17, 1953, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the inclusion of the Principals of the Extension Training Centres, which are located in the Project areas, in the Project Advisory Committees of such Community Project Blocks.

---

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH PLANNING DEPARTMENT**
**No. 1857-P/39P/1950**

*Dated Lucknow, October* 1, 1952

MEMORANDUM

(As modified from time to time)

*SUBJECT* :—**Reconstitution of the District Planning Committees in Uttar Pradesh.**

The District Planning Committees and their subordinate bodies organized in Government Resolution no. 5463-R/D.C.—617-50, dated July 15, 1950, and subsequent orders have now been working for about two years. A considerable change in the political scene has taken place during this period. The Legislature now consists of representatives elected on the basis of adult suffrage and its strength too is considerably augmented. Besides this the pressing problems confronting us demand immediate solution. The Community Projects have to be given concrete shape. Taking all these factors into consideration, Government have decided to reorganize the District Planning Committees and their subordinate bodies on a broader basis as in the following paragraphs.

2. The District Planning Committee will be reconstituted and will consist of the following :

(1) All the M.Ps., M.L.As. and M.L.Cs., representing the district or resident therein (with suitable adjustments to avoid double commitments in more districts than one).

(2) A Harijan member nominated by Government in case there is no Harijan M.P., M.L.A., or M.L.C., from the district.

(3) One lady social and constructive worker nominated by Government, if there is no lady M.L.A., or M.L.C.

(4) Three non-officials to be appointed by Government.

(4a) A representative of the Higher Secondary Schools in the district, Secretary of the District Soldiers, Sailors and Airmen's Board.

(4b) The District Magistrate is authorized to co-opt one active development worker of the district.

(5) President of the District Board—Vice-Chairman.

(6) Two members nominated by the District Board.

(7) President or Vice-President of the District Co-operative Bank (if the President is the District Magistrate himself) Managing Director of the Co-operative Bank.

(8) President or Vice-President (if the President is the District Magistrate himself) of the District Co-operative Development Federation.

(9) All Chairman, Municipal Boards, Town Areas and Notified Areas.

(10) Representatives of Gaon Sabhas—One Pradhan from each circle of the Panchayat Inspector to be selected in the light of experience gained in the Republic Week.

(11) A representative of each Cane Marketing Society in the District.

(12) A representative of Bharat Sewak Samaj.

(13) Non-Official members of the State Planning Board resident in the district.

(13a) A Krishi Pandit if available in the district.

(13b) Non-Official members of the State Board of Agriculture.

(14) Officials :

1. District Magistrate—Chairman.
2. District Planning Officers—Secretary.
3. All S.D.Os., D.S.Os., D.L.Os., Employment Officers, Senior Officers in the district from the Public Health and Education Departments. Senior Officers from each of the Irrigation, Public Works (B & R) and Hydel Divisions or Sub-Divisions in the district, Civil Surgeon, Executive Engineers of the L.S.G., (Engineering) Department.

3. The Executive Committee will be reconstituted as follows :

(1) All the officials (at item 14) of the District Planning Committee. The District Magistrate to be the Chairman and the District Planning Officer, Secretary.

(2) President, District Board, Vice-Chairman.

(3) One of the three non-officials mentioned in above to be nominated by Government.

(4) One representative of the Municipal Bc

(5) One representative of Co-operatives.

(6) Two from amongst M.Ps., M.L.As., and M.L.Cs.

(7) The Harijan Worker. Where there are more than one Harijan M.Ps., M.L.As., and M.L.Cs., in the District Planning Committee, all M.Ps., M.L.As., and M.L.Cs., (Both Harijan and non-Harijan)should elect the Harijan representative for the Executive Committee for amongst the Harijan M.Ps., M.L.As. and M.L.Cs.

(8) The lady workers.

(9) One representative of Gaon Sabhas.

The representative under itmes (4) to (6) and (9) will be elected by the respective groups under paragraph 2 above.

The one under item (3) will be selected by Government.

4. The District Magistrate should have a staff committee consisting of the District Planning Officer, Sub-Divisional Officers and Assistant District Planning Officers including the local senior gazetted officers of the Agriculture, Animal Husbandry and of such other departments as he may consider necessary. The District Magistrate is to be the Chairman and the District Planning Officer, Secretary.

5. The functions of the District Planning Committees should be generally—

(1) To make a plan for the district with specific targets and time schedules, in keeping with local needs and resources and in keeping also with the State Plan.

(2) To fix priorities within the Plan.

(3) To review the progress of the execution of the Plan, once in each quarters, and in case of any short all, in the execution to assess and assign the causes for it.

(4) The fourth and the most important function of the Planning Committee will be to ensure the successful and satisfactory execution of the Schemes by enlisting the co-operation of non-officials and to enlarge the scope of the district plan by creating enthusiasm for it among the people and inspiring them with the ideals of self-help and self-reliance.

6. The District Magistrates may recommend to Government a panel of names for the District Planning Committees accordingly. In case of items (2) and (3) of paragraph 2 if there is no Harijan or lady member M.L.A. or M.L.C., they may send three names with recommendations for the selection of one. In case of (4) they may include representatives of Industry including small scale and Cottage Industry and Labour, where necessary, and recommend a panel of four names for Government's approval.

7. With the establishment of these reconstituted bodies the District Planning Committees and their subordinate bodies formed under the Government Resolution referred to above will be dissolved.

8. The term of the District Planning Committee will be three years and those of Sub-Committees only one year with effect from the date of their constitution or from October 1, 1952, whichever date is later.

A. N. JHA,
*Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh.*

No. 1857 (1)—P/39-P/50 of date.

Copy forwarded for information and necessary action to all District Magistrates in Uttar Pradesh.

No. 1857 (2)—P/39—P/50 of date.

Copy forwarded for information to—

1. All District Planning Officers.
2. All Presidents, District Boards.
3. All Presidents, District Congress Committees.
4. M. L. Cs. and M. L. As.
5. All Heads of Departments.
6. All Commissioners of Divisions.
7. The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

No. 1857 (3)-R/39-P/50 of date.

Copy also forwarded to:

1. All Departments of the Secretariat, Uttar Pradesh.
2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.
3. Chief Secretaries of the State Governments.

By order.
A. N. JHA,
*Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh.*

**No. 354—R/XXXV—60/53**

From—SRI K. A. P. STEVENSON, I.A.S.,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

To—The Development Commissioner,
Uttar Pradesh.

**Planning Department**

*Dated Lucknow March* 9, 1954

SIR,

With reference to your letter no.85/GO, dated September 24, 1953, I am directed to convey sanction of the Governor to the merging of the allotments sanctioned in paragraphs (i) (ii),(iii) and (iv) of G.O. no. 2083-R/XXXV—11/1953, dated June 18, 1953, for the purposes specified therein, under one head, i.e. 'Discretionary Grants' in the interest of fostering development activities according to local needs and demands and to achieve better results than at present. I am to add that the above grant should be operated upon subject to the conditions laid down in G.O. no. 8430-R, dated December 24, 1952.

2. I am to add that the conditions specifying that the District Planning Committees should take the prior approval of the Development Commissioner, Uttar Pradesh, if they prepare any scheme to be financed out of the Discretionary Grants the total cost of which exceeds Rs.500, is also relaxed to the extent of Rs.2,500, for the current financial year, subject to the condition that all schemes costing more than Rs.500, should be reported to Government immediately after their approval even though sanction of Government will not be necessary.

Yours faithfully,
K. A. P. Stevenson,
*Joint Secretary.*

No. 345 (1)/XXXV

FINANCE DEPARTMENT

Copy forwarded to the Accountant General, The Examiner, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh, for information in continuation of G. O. no. 2083 (1)/XXXV—6-53, dated June 18, 1953.

By order,
N. C. RAY,
*Under Secretary.*

## नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न संख्या १० का उत्तर पृष्ठ ३८६ पर)

विधान परिषद् के वर्तमान सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या १० (ब) के प्रसंग में विवरण

| राज्य सरकार द्वारा १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५५ तक नियुक्त विदेशी कुशाग्र व्यक्तियों की संख्या | स्तम्भ १ में निर्दिष्ट संख्या में से जितने इस समय काम कर रहे हैं उनकी संख्या | कार्य, जो इस समय उनसे लिया जा रहा है | विदेशी कुशाग्र व्यक्तियों पर प्रसंगगत अवधि में किया गया व्यय | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय | विदेशी सहायता | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | | **कृषि (स) विभाग** | | | |
| | | | रु० आ० पा० | | |
| १५ | ६ | कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि के कीड़ों तथा रोगों की रोकथाम, फार्म इक्विपमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, कृषि की विधियों तथा यन्त्रों का प्रशिक्षण, चमड़े का कार्य, ऊन उत्पादन तथा भेड़ पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्य | २,८२,४७९ ० ० | विदेशी सहायता का अनुमान लगाना संभव नहीं है | ये सभी विदेशी कुशाग्र व्यक्ति फूड ऐन्ड ऐग्रीकचरल आर्गनाईजेशन के कर्मचारी हैं। राज्य सरकार को उनके लिये केवल सचिवात्मक सहायता का प्रबन्ध करना पड़ता है तथा उनकी यात्राओं का एवम् स्थानीय खर्च उठाना पड़ता है। |

| राज्य सरकार द्वारा १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५५ तक नियुक्त विदेशी कुशाग्र व्यक्तियों की संख्या | स्तम्भ १ में निर्दिष्ट संख्या म से जितने इस समय काम कर रहे हैं उनकी संख्या | कार्य, जो इस समय उनसे लिया जा रहा है | विदेशी कुशाग्र व्यक्तियों पर प्रसंगगत अवधि में किया गया व्यय | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय | विदेशी सहायता | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | | **विद्युत् (अ) विभाग** (रुड़की विश्वविद्यालय) | रु० आ० पा० | | |
| २ | २ | इन कुशाग्र व्यक्तियों की इन्जीनियरिंग की, जिन शाखाओं में कुशाग्रता प्रमाणित है, उनमें पोस्ट ग्रजुएट कोसज तथा रिसर्च का परिचालन | १३,००० ० ० | विदेशी सहायता का अनुमान लगाना संभव नहीं है | इन व्यक्तियों का वेतन व भत्ते उन विदेशी राज्यों की सरकारें देती हैं जहां के ये व्यक्ति हैं। |
| | | **उद्योग (अ) विभाग** | | | |
| १ | ... | ... | ११,४३८ १३ ० | अविदित | इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक और विदेशी कुशाग्र व्यक्ति (फूट वियर में एक्सपर्ट) की सेवायें उत्तर प्रदेशीय सरकार को फरवरी, १९५५ से एक वर्ष के लिये |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | उपलब्ध की गई हैं। *राज्य सरकार को उसके लिये केवल "फ्री फरनिश्ड अकामोडेशन का प्रबन्ध करना पड़ता है जिसका वार्षिक खर्च ५,८८० रु० है। |
| | | | **उद्योग (ब) विभाग** | | | | | |
| १५ | २ | | एक गवर्नमेंट प्रिसीजन्स इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी में और दूसरा चुर्क में स्थित गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी में उत्पादन (प्रोडक्शन साईड) की देख रेख के लिय नियुक्त हैं। | १०,३४,२४१ | ० | ० | ... | .. |
| | | | **यातायात विभाग** | | | | | |
| १ | ... | | ... | १,५५,४३८ | ९ | ६ | ... | |
| | | | **जन-स्वास्थ्य विभाग** | | | | | |
| १० | | ५ | तीन कुशाग्र व्यक्ति प्लेग रिसर्च और दो जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य के लिये नियुक्त हैं। | १५,०५५ | २ | ० | विदेशी सहायता का अनुमान लगाना संभव नहीं है | ये कुशाग्र व्यक्ति वर्ल्ड हेल्थ आगनाईजेशन के कर्मचारी हैं। राज्य सरकार इनके रहने का प्रबन्ध करती ह तथा इन्हें ट्रवलिंग एलाउन्स दती ह। |
| | | | **विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश का कार्यालय** | | | | | |
| ५ | ... | | ... | ३,२८,५७० | ० | ० | .. | ... |
| योग ४९ | | १५ | ... | २५,४०,२२२ | ८ | ६ | ... | ... |

## नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पृष्ठ ३८७ पर)

## प्रार्थियों की योग्यताओं का विवरण

उन प्रार्थियों की योग्यताये निम्नलिखित है जो कि सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता एवं पंचायत) के लिये साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे :—

| | |
|---|---|
| एम० ए० (Post-Graduates I Division) | १६ |
| एम० ए० (Post-Graduates II Division) | ५६७ |
| एम० ए० (Post-Graduates III Division) | २१९ |
| बी० ए० (Graduates I Division) | १२ |
| बी० ए० (Graduates II Division) | ८४१ |
| बी० ए० (Graduates III Division) | २६१ |
| एम० एस-सी० (ए० जी०) (M. Sc, Ag.) | १२ |
| बी० एस-सी० (ए० जी०) (B. Sc. Ag. II Division) | ९२ |
| बी० एस-सी० (ए० जी०) B. Sc. Ag. III Division, | २४ |
| अन्डर ग्रेजुएट्स (Under Graduates) | ८ |
| कुल (Total) | २,०६० |

कृषि योग्यता रखने वाले प्रार्थी-जिन्होंने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे और साक्षात्कार के लिये बुलाये गये :—

| | |
|---|---|
| पोस्ट ग्रेजुएट्स (Post Graduates) | ३९ |
| ग्रेजुएट्स (Graduates I Division) | ५ |
| ग्रेजुएट्स (Graduates II Division) | १४८ |
| ग्रेजुएट्स (Graduates III Division) | ४५ |
| (कुल) Total | २३७ |

उन प्रार्थियों की योग्यतायें निम्नलिखित है, जिन्हें अयोग्यता होने के कारण साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया गया था :—

| | |
|---|---|
| एम० ए० प्रथम श्रेणी (Post-Graduates I Division) | ४ |
| एम० ए० द्वितीय श्रेणी) (Post-Graduates II Division ) | १८ |
| एम० ए० तृतीय श्रेणी (Post-Graduates III Division) | ४५० |
| बी० ए० प्रथम श्रेणी (Graduates I Division) | ३ |
| बी० ए० द्वितीय श्रेणी (Graduates II Division) | २२८ |
| बी० ए० तृतीय श्रेणी (Graduates III Division) | ३,०३९ |
| अन्डर ग्रेजुएट्स (Under Graduates) | ९० |
| कुल (Total) | ३,८३२ |

साक्षात्कार के लिये निम्नलिखित श्रेणी के प्रार्थियों को बुलाया गया था:--

(१) जिन्होंने बी० ए० अथवा एम० ए० द्वितीय श्रेणी में पास किया हो।

(२) जिनकी आयु १ जुलाई, १९५५ को २१ और २८ वर्ष के बीच रही हो।

(३) जो प्रार्थी स्वयं राजनैतिक पीड़ित थे अर्थात् कम से कम ६ मास तक कारावास का दन्ड भोग चुके हों और उनकी योग्यता कम से कम इन्टरमीडियेट पास थी। और इसके प्रमाण के लिये कि वह राजनैतिक पीड़ित है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र साथ में होना आवश्यक था। यदि वह निश्चित आयु से चार साल अधिक रहे हों तो भी उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था।

(४) जो प्रार्थी स्वयं राजनैतिक पीड़ित नहीं थे, परन्तु उन पर निर्भर थे जोकि राज-नैतिक पीड़ित रहे हों, उन्हे तृतीय श्रेणी मे बी० ए० या एम० ए० पास होने पर भी बुलाया गया था।

(५) परिगणित जाति के प्रार्थियों को तृतीय श्रेणी में बी० ए० या एम० ए० पास होने पर उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। और यदि उनकी आयु निश्चित आयु से पांच वर्ष अधिक थी तो भी उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था।

(६) जिन प्रार्थियों के पास जे० के० इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, टाटा इन्स्टीट्यूट बम्बई, काशी विद्यापीठ, बनारस, समाज सेवा ट्रेनिंग कैम्प; फैजाबाद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त समाज सेवा के प्रमाण-पत्र रहे हो, उन्हें साक्षात्कार के लिये तृतीय श्रेणी मे होने पर भी बुलाया गया था।

(७) जो प्रार्थी राशनिंग अथवा खाद्य एवं रसद विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी थे उनकी आयु अधिक होने पर जितने समय तक उन्होंने राशनिंग में काम किया था, उतने समय की आयु में छूट देकर बुलाया गया था।

पी० एस० यू० पी०--१५७ एल० सी०--१९५६--७९५ (प्रो०)